लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पंद्रहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

विषय-सूची

दशम माला, खंड 45, पन्द्रहवां सत्र, 1995/1917 (शक)
अंक 8, बुधवार, 6 दिसम्बर, 1995/15 अग्रहायण, 1917 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर:	
*तारांकित प्रश्न संख्या: 141 से 143	1—24
प्रश्नों के लिखित उत्तर:	
तारांकित प्रश्न संख्या: 144 से 160	24—42
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1485 से 1701	42—257
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	258—261, 305—306
(एक) मूल्य स्थिति	258
(दो) बोस्निया-हर्जेगोविना में शांति के लिए सामान्य रूपरेखा संबंधी करार	305
र्गीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या की साजिश के संबंध में जैन जांच आयोग के बारे में	265—280
दिसम्बर, 1992 की अयोध्या की घटना के बारे में	280—286
ना पटल पर रखे गए पत्र	286—303
य सभा से संदेश	303
द्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक	303
राज्य सभा द्वारा यथापारित—सभा पटल पर रखा गया	
क लेखा समिति	303
एक सौ दसवां प्रतिवेदन	
र्य मंत्रणा समिति	304
छप्पनवां प्रतिवेदन	
ा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	304
ग्यारहवां प्रतिवेदन	
म और कल्याण संबंधी समिति	304
अठारहवां और उन्नीसवां प्रतिवेदन	
पेट्रोलियम और रसायन संबंधी समिति	304
बीसवां प्रतिवेदन	

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
गृह कार्य संबंधी समिति	304
पच्चीसवां प्रतिवेदन	
परिवहन और पर्यटन संबंधी समिति	305
उन्नीसवां प्रतिवेदन	
परिवहन और पर्यटन संबंधी समिति	305
साक्ष्य	
समितियों के निर्वाचन	306
मानसिक अवरुद्धता और प्रमस्तिष्क अंगघात ग्रस्त व्यक्ति कल्याण राष्ट्रीय न्यास विधेयक—पुरःस्थापित	307
नियम 377 के अधीन मामले	307—310
(एक) उड़ीसा के बरहामपुर, में निम्न शक्ति वाले टी०वी० ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति वाले टी०वी० ट्रांसमीटर में बदलने की आवश्यकता	
श्री गोपी नाथ गजपति	307
(दो) महाराष्ट्र में चन्द्रपुर में बाईपास सड़क पर स्थित रेलवे क्रासिंग पर उपरि पुल के निर्माण की आवश्यकता	
श्री शांताराम पोतदुखे	308
(तीन) मध्यप्रदेश में जबलपुर में हवाई अड्डे का कार्य शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता	
श्री श्रवण कुमार पटेल	308
(चार) वस्त्र उद्योग के लिए मूल्य संवर्धित कर-प्रणाली शुरू किये जाने के प्रस्ताव को वापस लिये जाने की आवश्यकता	
श्री कांशीराम राणा	308
(पांच) रामपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर बाईपास सड़क का निर्माण किये जाने की आवश्यकता	
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	309
(छह) असम में विभिन्न नदियों द्वारा, विशेष रूप से बारपेटा में किये जा रहे भूमि क्षरण को रोकने के लिए राज्य सरकार को अधिक धनराशि आवंटित किये जाने की आवश्यकता	
श्री उद्धव बर्मन	310
(सात) बागान मालिकों को शारीरिक संरक्षण प्रदान किये जाने के लिए बागान श्रम और बागान श्रम प्रशासन अधिनियम, 1951 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता	
श्री रामगोपाल नायडू रामासामी	310
निक्षेपागार अध्यादेश, 1995 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प	
और	
निक्षेपागार विधेयक	310—324
विचार के लिए प्रस्ताव	
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी	311
श्री राम कापसे	313
श्री राजगोपाल नायडू रामासामी	315
डा० देवी प्रसाद पाल	317
श्री राम नाईक	320

विषय	पृष्ठ
खंड 2 सें 31 और 1 पर विचार	324
पारित करने के लिए प्रस्ताव	324
1995-96 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगे – सामान्य	325–385
डा० सत्यनारायण जटिया	327
कुमारी ममता बनर्जी	332
प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती	337
श्री मोहन सिंह (देवरिया)	341
डा० एस० पी० यादव	344
श्री प्रभु दयाल कठेरिया	347
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	349
श्री रूप चन्द्र मुरमु	353
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	357
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	359
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या	365
श्री सत्यदेव सिंह	366
श्री राजागोपाल नायडू रामासामी	374
श्री प्रमथेश मुखर्जी	375
श्री राम नाईक	377
श्री सुकदेव पासवान	378
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	379
डा० देवी प्रसाद पाल	382
अनुपूरक अनुदानों की मांगें – सामान्य	385
विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक – पारित	386–388
पुरःस्थापित किए जाने के लिए प्रस्ताव	
विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव	
खंड 2, 3 और 1	386

लोक सभा

बुधवार, 6 दिसम्बर 1995/15 अग्रहायण, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

सामान की चोरी

+

*141. श्री कुंजी लालः

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमीः

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में रेलवे में सामान की चोरी की अनेक घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान जोन-वार, कितने मूल्य के सामान की चोरी हुई;

(ग) उक्त चोरियों के कारण रेलवे को कितनी हानि हुई;

(घ) इन चोरियों में रेलवे के कितने कर्मचारी शामिल हैं तथा चोरी हुए सामान में से कितने मूल्य का सामान बरामद हुआ; और

(ङ) ऐसी चोरियों को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है?

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी): (क) जी हां।

(ख) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ङ) ऐसी चोरियों की रोकथाम के लिए निम्नलिखित निवारक उपाय किए जा रहे हैं:-

1. जहाँ तक संभव हो मूल्यवान और महत्वपूर्ण परेषण ले जा रही गाड़ियों का मार्गरक्षण।
2. यार्डों और अन्य भेद्य क्षेत्रों/खंडों में गहन गश्त लगाना।
3. चोरी की आशंका वाले परेषण आदि ले जा रहे मालडिब्बों/सील लगे मालडिब्बों की हालत का जायजा लेने के लिए अंतर्बदल स्थलों पर संयुक्त जांच करना।
4. जहाँ तक संभव हो भेद्य खंडों में रे०सु०ब० सशस्त्र टुकड़ियां लगाई/तैनात की जाती हैं।
5. अपराधियों की धर-पकड़ के उद्देश्य से अपराध आसूचना एकत्र करने के लिए सादे वस्त्रों में रे०सु०ब० कर्मी भी तैनात किए जाते हैं।
6. उपलब्धता के अनुसार भेद्य यार्डों और क्षेत्रों में गश्त लगाने के लिए श्वान दस्ते तैनात किए जाते हैं।
7. अपराधियों और चुराई गई संपत्ति के प्राप्तकर्त्ताओं से निपटने के लिए विभिन्न स्तरों पर रे०सु०ब०, रा० रे० पु० और स्थानीय पुलिस के बीच निकट समन्वय बनाए रखा जाता है।
8. अपराध आसूचना के आधार पर आपराधियों/चुराई गई संपत्ति के प्राप्तकर्त्ताओं के अड्डों पर उन्हें पकड़ने के लिए छापे मारे जाते हैं और तलाशी ली जाती है।

विवरण

वित्त वर्षों 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान भारतीय रेलों पर चुक किए गए परेषणों की चोरी/उठाईगीरी के मामलों का ब्यौरा

रेलवे	वर्ष	मामलों की संख्या	संपत्ति का मूल्य(रुपयों में)		गिरफ्तार किए गए	
			चुराई गई	वसूल की गई	बाहरी व्यक्ति	रेल कर्मचारी
मध्य	1992-93	1001	40,26,391	8,51,926	175	19
	1993-94	795	36,93,895	13,00,487	158	23
	1994-95	702	1,69,04,483	1,22,75,737	207	24
पूर्व	1992-93	5253	1,71,76,132	20,53,801	262	6
	1993-94	4123	1,60,56,780	11,20,824	150	5
	1994-95	3275	1,81,82,971	17,35,916	295	2
उत्तर	1992-93	1780	71,55,586	12,23,696	370	81
	1993-94	1182	82,92,251	11,24,947	294	56
	1994-95	1039	75,23,249	14,14,159	299	26

रेलवे	वर्ष	मामलों की संख्या	संपत्ति का मूल्य(रुपयों में)		गिरफ्तार किए गए	
			चुराई गई	वसूल की गई	बाहरी व्यक्ति	रेल कर्मचारी
पूर्वोत्तर	1992-93	1163	59,56,200	1,41,978	76	5
	1993-94	847	40,00,179	77,478	57	13
	1994-95	644	52,26,498	2,16,840	35	3
पर्वोत्तर	1992-93	1698	73,20,495	9,89,301	157	9
सीमा	1993-94	1306	1,13,00,194	2,86,790	79	7
	1994-95	1212	67,68,456	1,86,722	70	-
दक्षिण	1992-93	2089	63,47,682	2,56,093	61	15
	1993-94	1564	40,23,746	99,520	68	8
	1994-95	987	32,61,388	2,27,613	67	10
दक्षिण मध्य	1992-93	647	16,96,061	1,67,886	112	11
	1993-94	439	14,81,682	3,78,455	111	19
	1994-95	296	15,86,437	9,13,201	187	29
दक्षिण पूर्व	1992-93	1927	1,36,86,462	8,77,680	237	8
	1993-94	1816	46,56,294	14,22,634	191	8
	1994-95	1228	67,19,359	17,68,051	225	11
पश्चिम	1992-93	997	47,37,093	15,49,572	233	13
	1993-94	730	60,94,282	4,97,653	176	21
	1994-95	670	32,72,454	3,18,368	177	15
जोड़	1992-93	16555	6,81,02,102	81,11,933	1683	167
	1993-94	12802	5,95,98,503	63,88,828	1284	162
	1994-95	10053	6,94,45,295	1,90,54,599	1562	120

वित्त वर्षों 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान भारतीय रेलों पर रेलवे सामग्री और फिटिंगों की चोरी/उठाईगीरी के मामलों का ब्यौरा

रेलवे	वर्ष	मामलों की संख्या	मूल्य(रुपयों में)		गिरफ्तार किए गए	
			चुराई गई	वसूल की गई	बाहरी व्यक्ति	रेल कर्मचारी
मध्य रेल	1992-93	3612	62,99,306	16,81,459	2289	162
	1993-94	2590	50,89,618	25,78,618	1960	111
	1994-95	2266	70,48,192	40,24,950	1693	100
पूर्व रेल	1992-93	23619	1,36,70,351	75,83,050	2264	38
	1993-94	28655	1,34,78,721	77,71,335	2077	47
	1994-95	28565	1,33,99,631	68,45,938	1948	49
उत्तर रेल	1992-93	42042	95,78,637	21,98,475	1270	201
	1993-94	30171	82,66,363	26,81,743	1273	126
	1994-95	20940	84,41,515	32,15,377	1332	144
पूर्वोत्तर रेल	1992-93	1439	24,77,467	6,16,840	576	92
	1993-94	1213	19,10,661	7,10,150	535	100
	1994-95	1059	13,07,417	12,25,439	545	63

रेलवे	वर्ष	मामलों की संख्या	मूल्य(रुपयों में) चुराई गई	मूल्य(रुपयों में) वसूल की गई	गिरफ्तार किए गए बाहरी व्यक्ति	गिरफ्तार किए गए रेल कर्मचारी
पूर्वोत्तर सीमा रेल	1992-93	520	23,16,566	16,57,737	388	34
	1993-94	542	26,94,846	8,84,289	297	15
	1994-95	507	16,99,162	11,05,044	290	12
दक्षिण रेल	1992-93	5662	43,11,727	14,48,207	785	47
	1993-94	6164	23,93,899	14,45,908	833	64
	1994-95	5470	28,37,646	15,64,892	771	37
दक्षिण मध्य रेल	1992-93	1179	28,57,763	22,67,231	1155	73
	1993-94	937	20,20,372	17,08,190	1074	43
	1994-95	719	29,23,396	25,35,812	1027	63
दक्षिण पूर्व रेल	1992-93	7003	87,80,735	23,49,774	833	38
	1993-94	5392	62,88,429	18,72,571	681	14
	1994-95	5353	54,32,494	11,02,667	508	20
पश्चिम रेल	1992-93	2428	22,60,460	7,98,980	1734	120
	1993-94	2242	38,29,654	18,03,668	1630	68
	1994-95	1885	31,42,687	12,40,343	1314	69
जोड़	1992-93	87504	5,25,43,012	2,06,01,753	11294	805
	1993-94	77906	4,63,71,990	2,14,56,472	10360	588
	1994-95	66764	4,62,32,140	2,28,60,462	9428	557

[हिन्दी]

श्री कुन्जी लालः माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के उत्तर से स्पष्ट है कि रेलवे में चोरियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही हैं। इसमें रेलवे कर्मचारी भी लिप्त हैं। यह एक गम्भीर बात है। इन बढ़ती हुई चोरियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं?

[अनुवाद]

श्री सुरेश कलमाड़ीः महोदय, विगत कुछ वर्षों में चोरी और उठाईगीरी के मामलों में कमी आ रही है तथा रेलवे सामग्री और फिटिंगों की चोरी और उठाईगीरी में भी कमी आ रही है। जिन रेलगाड़ियों और क्षेत्रों में चोरी डकैती आदि की अपेक्षाकृत अधिक आशंका रहती है उनमें इसकी रोकथाम जांच तथा इससे रक्षा आदि हम कई उपाय कर रहे हैं। ऐसी रेलगाड़ियों में सुरक्षाकर्मी तैनात किये गए हैं। यार्डों के चप्पे-चप्पे पर गश्त लगाई जा रही है, विभिन्न स्थानों पर रेलवे सुरक्षा बल के कर्मी सादे वस्त्रों में तैनात किए गए हैं हमने कार्य बल का गठन किया है तथा रेलवे सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा स्थानीय पुलिस में घनिष्ठ सम्पर्क बनाए रखा जाता है तथा वे अपराधियों के अड्डों पर छापे मारते हैं और तलाशी लेते हैं। हमने कई कदम उठाये हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि उठाईगीरी आदि के मामलों में काफी कमी आ रही है।

[हिन्दी]

श्री कुन्जी लालः क्या सरकार रेलवे सुरक्षा बल को और विशेष अधिकतर देने की किसी योजना पर विचार कर रही है या कोई ऐसी योजना है?

[अनुवाद]

श्री सुरेश कलमाड़ीः यह सतत प्रक्रिया है, रेलवे सुरक्षा बल का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। हम संचार-व्यवस्था के लिए वायरलेस सेटों की व्यवस्था कर रहे हैं। हमें रे०सु० बल की संख्या बढ़ाने के लिए भी उत्सुक रहे हैं। इसलिए रेलवे सुरक्षा बल में सुधार के लिए कई कदम उठाये जा रहे हैं ताकि यह चुस्त दुरूस्त रहे।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमीः अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में मालगाड़ियों में खासकर जो खुली होती हैं, जिनमें खुले रूप में आइटम्स जाते हैं उनमें बड़े पैमाने पर बाज़फ्ता मुख्तलिफ-मुख्तलिफ स्टेशन के दौरान माफिया गैंग काम करते हैं। लेकिन जो आंकड़े यहां दिये गये हैं वह यह शो करते हैं कि पाच-छः करोड़ रुपये से ज्यादा की चोरी नहीं होती है। क्या ये जो आंकड़े दिये गये हैं और जितनी चोरियां होती हैं, उनको सही तरीके से आंका जाता है? इसके साथ ही दूसरा प्रश्न है कि जब लोगों की चीज चोरी होती है तो उनको रिफंड मिलने में काफी समय लगता है, क्या सरकार ने कोई ऐसा इंतजाम किया है कि क्लेम करने वाले क्लाइंट का केस जल्दी निबटे जिससे उसको शीघ्र रिफंड मिल सके।

श्री सुरेश कलमाड़ीः आपने सही कहा है कि जो ओपन वैक्स हैं, उनमें थोड़ी पिलफ्रेज होती है। हम लोग उपाय कर रहे हैं कि ज्यादा क्लोज वैक्स हों और जो

ओपन रेक्स हों, वह किस तरह से डाल सकते है, हम इस बारे में स्टेप्स ले रहे हैं। जो आपने संशय व्यक्त किया है कि ये फिगर्स सही हैं या नहीं, मैं आपको कहना चाहूंगा कि फिगर्स सही हैं। जो पिलफ्रेज हो रही हैं, उसकी टोटल वैल्यू साढ़े चार करोड़ रुपये है और उसमें से रिकवरी भी हम कर रहे हैं। हम लोगों का जो फोलो अप एक्शन होता है, उसमें हम लोगों ने काफी लोगों को अरेस्ट भी किया है। इस साल हम लोगों ने 10,000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट भी किया है और जो साढ़े चार करोड़ रुपया नुकसान हुआ है, उसमें से ढ़ाई करोड़ रुपये की रिकवरी भी हो चुकी है। रिकवरी रेट भी अच्छा है और जो इतने बड़े पैमाने पर हमारे स्टॉक हैं, कनसाइनमेंट हैं, उसके बहुत छोटे फ्रैक्शन का इस तरह से नुकसान हो रहा है। जो रिफन्ड की आपने बात कही है, वह हम लोगों ने डैड लाइन रखी है कि 6 महीने के अन्दर उनको रिफन्ड मिलना चाहिए लेकिन कोई क्लेम में गलती हो तो वक्त ज्यादा हो जाता है। कोई क्राइम का कुछ हो रहा हो, कोई पुलिस केस हो तो वहां वक्त ज्यादा लगता है अन्यथा 6 महीने के अन्दर हम सारा क्लेम दे देते हैं।

श्री माणिक राव होडल्या गावीत: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रेलवे में जो कोयले वगैरह की चोरी होती है, हमारी सूरत-भुलावल लाईन पर भी बड़े मैमाने पर कोयले की चोरी होती है, लेकिन वहां पर आर०पी०एफ० के जवान तैनात रहते हैं। वे लोग ऐसा बोलते हैं कि वे भी इसमें शामिल हो जाते हैं और इसके लिए गाड़ी रोककर वे लोग कोयला वगैरह की चोरी करते हैं। दूसरे, जो डकैती होती है, उसमें भी सिक्योरिटी गार्ड खुद फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं। इसीलिए वहां पर डकैती होती है। इसको रोकने के लिए रेल मंत्री महोदय क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री सुरेश कलमाड़ी: कोयले की थोड़ी पिलफ्रेज जरूर होती है और क्लेम्स भी हुए हैं। 18 करोड़ रुपये की वैल्यू के कोयले का क्लेम हुआ है। आप सही कहते हैं कि थोडी-बहुत चोरी होती है। हम लोग वहां पर कैसे मामला तय कर सकते हैं, इसके लिए वहां पर हम लोगों ने सर्च लाईटिंग का भी इन्तजाम किया है। जो प्रोन एरिया है, जहां डकैती और चोरी ज्यादा होती हैं, वहां हम ज्यादा गार्डस भी रखते हैं। इस तरह से हम लोगों ने काफी स्टेप्स लिये हैं कि यह नुकसान कम हो। फिर भी मुझे खुशी होती है कि हर साल 20 टका से 35 टका चोरी और पिलफ्रेज कम होती जा रही है और पिछले 6 महीने में भी वैसा ही ट्रेन्ड है।

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी ओपन वैगेज के अन्दर चोरी की बात उठाई है, उसमें बताया है कि 18 करोड़ रुपये का क्लेम भी रेलवे ने दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यहां पर ओनर रिस्क के ऊपर जो सामान जाता है, उस सामान का आपके यहां क्लेम नहीं होता है आपने अभी 18 करोड़ रुपये का क्लेम बताया है, यह क्लेम तो वह है जो लोगों का माल था और उस वैगन के माल को आपने दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया था, उसके क्लेम का आपने जवाब दिया है। हम यह जानना चाहते हैं कि यह जो ओनर रिस्क के ऊपर माल आता है, उसमें जो भारी पैमाने पर चोरी होती है और जिसका क्लेम भी आपके यहां दर्ज नहीं होता है, उसके बारे में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं? ओनर रिस्क में अभी तक कितना माल चोरी हुआ है, क्या इसकी कोई सूचना आपके पास है?

श्री सुरेश कलमाडी: मैं कहना चाहूंगा कि जो आप बुक्ड कनसाइनमेंट की बात कह रहे हैं, इसका टोटल नुकसान साल में 7 करोड़ रुपये का अन्दाजा है। पहले वह ज्यादा था, अभी कम हुआ है।

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : न, न, न....

श्री सुरेश कलमाडी : वर्ष 1992-93 में कुल 16 हजार केस थे। अभी 1994-95 में 10 हजार केस आये हैं और उससे कम अभी 1995-96 के पहले 6 महीने में सिर्फ 4 हजार केसेज आये हैं। जो आपने कहा कि कोयले का फिगर जो हमने 18 करोड़ रुपया दिया था, वह फिगर तीन साल का है।

जो आपने 18 करोड़ का फिगर कोल और कोक का दिया है, वही तीन साल का है और सारे माल का टोटल क्लेम.....

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : अध्यक्ष जी, मुझे आप का संरक्षण चाहिए। मंत्री जी आप मेरे प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। माल दो प्रकार से बुक होता है। एक माल ओनर-रिस्क पर बुक होता है और दूसरे, जो माल बुक होता है, जिस पर कि उसका हक रहता है और इसमें आपका रिस्क रहता है, रेलवे का रिस्क रहता है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने फ्री-कनसाइनमेंट बोल दिया है।

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : फ्री-कन्साइनमेंट, इसका आपके पास कितना क्लेम आया है और उसका ब्यौरा क्या है?

अध्यक्ष महोदय : वही एक्सप्लेन कर रहे हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : नहीं, मान्यवर। यह 18 करोड़.....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृप्या बहस् मत करिये।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी : अध्यक्ष महोदय, माल ढोने की व्यवस्था के साथ-साथ आप प्रोटैक्शन दे रहे हैं। इसका मतलब है, लोगों का रेलवे पर बिश्वास बढ़े और माल रेलवे से ज्यादा से ज्यादा भेजें। लेकिन रेलवे विभाग का खुद का इस पर विश्वास नहीं है, ऐसा दिखता है। हाल ही में पूना-बारामती रेलवे का केन्द्रीकरण हो गया है, इस कारण दो करोड़ बकाया दे कर प्राइवेट ट्रक-औनर से माल वहां भिजवाया गया है। मंत्री महोदय, इससे क्या मैं यह समझूं कि यातायात सुविधा पर रेलवे के अधिकारियों का विश्वास नहीं है?

श्री सुरेश कलमाडी : हमारा पूरा विश्वास है और आपको पता है.....

श्री अन्ना जोशी : आपका है, लेकिन आपके डिपार्टमेंट का?

श्री सुरेश कलमाडी : महोदय करीब 22 हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता है। इसमें से 15 हजार करोड़ का फ्रेट से आता है। इसके अगेन्स्ट सिर्फ 25.2 करोड़ रुपए का क्लेम है। रेलवे इतना बड़ा नेटवर्क है, साठ हजार किलोमीटर का नेटवर्क है और हर रोज 12 हजार गाड़ियां चलती हैं तथा डेढ़ करोड़ लोग आते-जाते हैं। इतना बड़ा नेटवर्क है और इतना कम नुकसान हुआ है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि रेलवेज का पूरा भरोसा है।

श्री अन्ना जोशी (पुणे): रेलवे वैगन्स होते हुए भी, माल ट्रक से भेजा गया—इसकी आप एन्क्वायरी करायेंगे? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप दोनों एक ही जगह के हैं अतः आप बाद में भी बात कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती लवली आनंद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से जानना चाहती हूं, बिहार के साथ सहरसा जिला और समस्तीपुर रेलवे लाइन को बड़ी लाइन से जोड़ने का काम लम्बित पड़ा हुआ है, यह कब तक पूरा हो जाएगा?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इसमें से नहीं निकलता है।

श्री कासकादास : अध्यक्ष महोदय, रेलवे में बड़े पैमाने पर चोरियां-उठाईगीरी हो रही है, ऐसा मंत्री जी के उत्तर से मालूम होता है। इसका दुखद पहलू यह है कि इस चोरी-उठाईगीरी के काम में बाहर के लोगों के साथ-साथ डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल हैं। इनकी संख्या भी काफी बढ़ रही है मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, इस चोरी-उठाईगीरी के काम में रेलवे कर्मचारी जो पकड़े जाते हैं, उनकी संख्या क्या है और उनको किस प्रकार की सजा दी जाती है?

श्री सुरेश कलमाडी : जो पिलफ्रेज और बुक-कन्साइनमेंट हैं, उसमें 1600 लोग आउटसाइडर्स पकड़े गए हैं और रेलवे कर्मचारी 120 हैं। हर साल इनकी संख्या कम होती जा रही है, इस साल 120 है। रेलवे मैटीरियल्स फिटिंग्स में बाहर के 9500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और रेलवे कर्मचारी 550 गिरफ्तार किए गए हैं। थैफ्ट केसेस में रेलवे एम्पलाइज को 1994-95 में, यानि इस साल 81 का कन्विक्शन हुआ है।

[अनुवाद]

व्यापक लोकपाल विधेयक

*142. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्रीः** क्या प्रधान मंत्री 12.8.95 के "नवभारत टाइम्स" में "लोकपाल की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव मांगे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के बारे में 22 मार्च, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1304 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या राजनीतिक पार्टियों एवं नेताओं में आम सहमति नहीं बन पाने की स्थिति में सरकार का विचार स्वयं ही एक व्यापक लोकपाल विधेयक लाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या औचित्य है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) लोकपाल के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा सुझाव मांगे जाने के किसी ऐसे निर्देश के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) एक आम सहमति बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्रीः अध्यक्ष महोदय, हमें दुख है कि हमारे ऐसे गंभीर सवाल को माननीय मंत्री जी ने बहुत हल्केपन से लिया है। यह आम चर्चा है कि प्रायः जनप्रतिनिधि भ्रष्ट होते जा रहे हैं, राजनीति तिकड़म फरेब, भोग-विलास और धन कमाने का साधन बन गई है। नौकरशाही भ्रष्टाचार में लिप्त है। कार्यप्रालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों पर अनेक प्रकार के ऐसे आरोप लग रहे हैं जिससे इनकी प्रतिष्ठा गिरती जा रही है। इन सब को नियंत्रित करने के लिए हमारा यह परिकल्पित लोकपाल विधेयक 27 वर्षों से सत्ता के गलियारे में भटक रहा है। ऐसी स्थिति में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि संसद में लोकपाल विधेयक 1968 से लेकर 1989 तक पांच बार पेश हुआ। इसके बाद लोकपाल की नियुक्ति किए बिना अथवा उसके किसी परिणाम को देखे बिना पुनः एक संशोधन विधेयक लोकपाल विधेयक के रूप में पेश करने की सरकार को क्या जरूरत पड़ गई है? इसका विस्तृत ब्यौरा क्या है?

महोदय, इसका ख प्रश्न यह है कि क्या किसी राजनैतिक दल ने इस विधेयक या इस विधेयक में वर्णित लोकपाल की नियुक्ति का कोई विरोध किया है? यदि हां तो वे कौन-कौन से दल अथवा नेता हैं जो आम सहमति के नाम पर इसका विरोध कर रहे हैं और यह आम सहमति कब तक हो सकेगी?

[अनुवाद]

श्रीमती मारग्रेट आल्वाः महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया है किंतु मेरे विचार से यह सत्य नहीं है। क्योंकि हमने कई बार प्रयास किए हैं वास्तव में केन्द्र में किसी एक राजनीतिक दल या दूसरे द्वारा नहीं किए गए हैं अपितु विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारों ने पांच बार इसके बारे में प्रयास किये हैं। किंतु अभी तक संसद में इस मुद्दे पर आम सहमति का भ्रम ही है इसीलिए यह विधेयक पारित नहीं हुआ। यह मुद्दा इस सभा में दो बार उठाया गया है तथा राज्य सभा में भी उठा है वहां पर इस पर दो बार व्यापक चर्चा हुई है, जिसका उत्तर मैंने विस्तृत रूप में दिया है। इसमें प्रधान मंत्री ने स्वयं हस्तक्षेप किया और कहा कि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस के बाद जब आम सहमति होगी तो हम इस सभा में एक ऐसा विधेयक लाने के लिए तैयार हैं जिस पर आम सहमति हो।

महोदय, इस संबंध में हम तदनुसार कदम उठा रहे हैं। संसद के विगत बजट सत्र में मैंने दोनों सभाओं में विभिन्न राजतीतिक दलों के 49 नेताओं को पत्र लिखे तथा निवेदन किया कि वे पहले के विधेयकों पर अपनी टिप्पणियां दें, क्योंकि हमने इन विधेयकों को परिचालित कर दिया था ताकि हम किसी आम सहमति तक पहुंच सकें। उन 49 में से पांच राजनीतिक दलों के नेताओं ने जवाब दिया, फलस्वरूप चूंकि हमने अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं से लिखित उत्तर प्राप्त नहीं किए इसलिए इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने के लिए कल माननीय गृह मंत्री ने राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ एक बैठक की थी। मेरे विचार से व्यापक सहमति बन रही है। कल बैठक में हमने नेताओं को आश्वासन दिया तथा इससे पहले ऐसा आश्वासन सभा को दिया था कि हम इसका समाधान ढूंढेंगे और सभा में पेश करेंगे।

[हिन्दी]

कौन-कौन सी पोलिटिकल पार्टीज ने अपोज़ किया और किस ने..... (व्यवधान).

श्री राजनाथ सोनकार शास्त्रीः हां, यह बताएं।

श्रीमती मारग्रेट आल्वाः मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे पास पांच उत्तर आए थे। उसमें एक पार्टी ने कहा है कि अभी आप इसमें क्यों जा रहे हैं, इलैक्शन के बाद जो नयी सरकार आएगी उन्हें यह करना चाहिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्रीः उनके नाम क्या हैं? वे कौन सी पोलिटिकल पार्टीज हैं या उसके लीडर्स हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं?

श्रीमती मारग्रेट आल्वाः अभी तो कंसेंसस ऐमर्ज हो रही हैं हम कंसेंसस होने के बाद हाउस के सामने आ जाएंगे।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्रीः महोदय, हम चाहेंगे कि आप हमको संरक्षण दें। हम नाम पूछना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदयः यह जो एक-दूसरे को पत्र लिखे जाते हैं वे डिस्कलोज नहीं करते। अगर सारे रूल समझाने की कोशिश करें तो मुश्किल हो जाएगी।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्रीः महोदय, हमारा दूसरा सवाल है क्या यह सच है कि वर्तमान नियमों, उपनियमों के तहत लोकपाल के दायरे में प्रधान मंत्री को नहीं रखा गया है, जब कि वर्तमान प्रधान मंत्री श्री राव स्वयं कह रहे हैं कि लोकपाल विधेयक की परिधि में प्रधान मंत्री को लाए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

महादय, इसी का 'ख' पार्ट है क्या यह सच है कि व्यावहारिक रूप में तमाम अधिकारों के बावजूद लोकपाल प्रधान मंत्री का बाल भी बांका नहीं कर सकता, इसलिए कि लोकपाल के पास कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं है।

मेरे प्रश्न का 'ग' भाग है कि लोकपाल विधेयक कब तक यहां पर पेश किया जाएगा तथा कब तक इस देश में लोकपाल की नियुक्ति हो जाने की संभावना है?

[अनुवाद]

श्रीमती मारग्रेट आल्वाः महोदय, चर्चा के दौरान प्रधान मंत्री ने स्वयं खड़े होकर कहा कि प्रधान मंत्री के पद को भी लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में लाया जाए। अतः इसके बारे में कोई विवाद नहीं है। जो प्रश्न है वह कब तक लोकपाल की नियुक्ति होगी उसके संबंध में है। आप मुझसे तत्संबंधी समयानुसूची के बारे में पूछ रहे हैं। जैसा मैंने कहा है कि कल की बैठक में यह आम सहमति बन गई है कि 1985 में पुरःस्थापित किए गए विधेयक को कुछ परिवर्तनों के साथ पुनः पुरःस्थापित किया जाए क्योंकि इस विधेयक की जांच संयुक्त समिति ने की थी, इसलिए हम सभा में विधेयक लेकर आयेंगे, विधि मंत्रालय इस विधेयक पर विचार करेगी तब हम इसे सभा में लायेंगे।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी बाजपेयीः अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक वर्षों से धूल खा रहा है। हम इधर से लगातार मांग करते रहे हैं कि लोकपाल बनना चाहिए और राजनेताओं को उसकी परिधि में लाया जाना चाहिए। क्या यह सच है कि आम सहमति निर्धारित होने के मार्ग में दो बड़ी बाधाएं हैं। पहली बाधा यह है कि सत्ता पक्ष प्रधान मंत्री को लोकपाल की सीमा से बाहर रखना चाहता है, क्यों रखना चाहता है, कारण स्पष्ट नहीं है। हमारी मांग है कि प्रधान मंत्री का भी उसमें समावेश होना चाहिए। प्रधान मंत्री के विरुद्ध आरोप लगते है तो उनकी जांच कौन करेगा, कहां जांच की जाएगी?

अध्यक्ष महोदय, असहमति का दूसरा मुद्दा यह है कि लोकपाल के पास इनवेस्टीगेटिंग मशीनरी कौन सी होगी। अगर लोकपाल को वर्तमान मशीनरी से काम करना है तो न तो वह विश्वसनीयता पैदा कर सकेगा और न वह तथ्यों तक पहुंच सकेगा। लोकपाल को अधिकार होना चाहिए कि वह जांच का अपना तंत्र इकट्ठा कर सके।

अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात यह है कि हम चाहते हैं कि इस विधेयक के अंदर यह भी व्यवस्था हो कि आरोप लगाने वाला अपनी जिम्मेदारी से आरोप लगाए और अगर जांच के पश्चात आरोप गलत साबित होते हैं तो आरोप लगाने वाले के खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए, मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री को इस परिधि में लाने में क्या आपत्ति है?

[अनुवाद]

श्रीमती मारग्रेट आल्वाः जो विधेयक अब तक पुरःस्थापित किए गए उनमें स्वतंत्र जांच एजेंसी का प्रावधान नहीं है। लोकपाल को आवश्यक रूप से एक सलाहकार निकाय माना गया था जो मामलों की जांच करेगा और उसके बाद न्यायालय सामान्य प्रक्रिया के द्वारा जांच करेगा, जैसा आप जानते हैं कि संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कानून भी बनाया गया है, यह भ्रष्टाचार विरोधी कानून है, हमें कहना चाहिए कि हमारे पास एक सामान्य न्यायालय प्रणाली है।

लोकपाल विधेयक में ऐसी समानान्तर विधि व्यवस्था स्थापित करने के प्रावधान नहीं हैं जो जांच करेगी, मुकदमा चलायेगी तथा दंड भी दे, यह एक ऐसी निकाय है जिसमें शिकायतें की जा सकती हैं, वे आवश्यक रिकार्ड साक्ष्य आदि के लिए बुलायेंगे तथा यदि वे एक बार किसी को दोषी पाते हैं तब कानून की सामान्य प्रक्रिया अपना रास्ता अख्तियार करेगी, इसीलिए हम ऐसा कह रहे हैं। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामलों की जांच करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग है जो सलाह देने वाला एक मात्र प्राधिकरण है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो जो एक जांच अभिकरण है। इसलिए यह प्रश्न उठा है कि लोकपाल का वास्तविक कार्यकरण क्या होगा, क्या यह न्यायपालिका से स्वतंत्र हो सकता है या इसे अपना निर्णय देना होगा तथा उसके बाद न्यायपालिका इस पर विचार करेगी जैसा राज्यों में लोकायुक्त के मामले में होता है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी बाजपेयीः अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि मैं भी इनकी कई सलेक्ट कमेटियों में रह चुका हूँ और हर बार बात आकर अड़ जाती थी कि प्रधान मंत्री को इसकी परिधि में शामिल किया जाए या नहीं। हर बार यह मांग होती रही है कि क्या अधिकार-संपन्न संस्था होनी चाहिए जो बड़े से बड़े आदमी को तलब कर सके, तथ्यों की जांच कर सके और जानकारी प्राप्त करने के लिए

अपना तंत्र इकट्ठा कर सके। अब जिस तरह का वर्णन श्रीमती आल्वा कर रही हैं वह तो एक लीपापोती, एक दिखावे वाली संस्था होगी इसलिए इस संस्था में हमारी रुचि नहीं है। जब हमारे पास लोकपाल बिल पर फिर से बात करने के लिए पत्र आया था तो हमने कहा था कि पांच साल तो आपने बिता दिये और अभी भी आपका दिमाग साफ नहीं है कि आप चाहती क्या हैं? मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि मंत्रियों के खिलाफ, प्रधान मंत्रियों के खिलाफ इस देश में जांच का प्रबंध होगा या नहीं होगा? दुनिया में इस तरह का प्रबंध है। पुराने राष्ट्रपति जेल भेजे जा रहे हैं। इटली के प्रधान मंत्री को हटना पड़ा। आप यह न समझें कि यह मैं आपके लिए ही कह रहा हूं, यह आने वाले प्रधान मंत्री पर भी लागू होगा। अध्यक्ष महोदय, कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए इस तरह के लोकपाल बिल का हम क्या करेंगे, जिसमें दूध तो है नहीं पानी ही पानी है।

[अनुवाद]

श्रीमती मारग्रेट आल्वाः महोदय, श्री वाजपेयीजी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। वास्तव में, उन्होंने हमें जवाब दिया है कि वे इस वक्त इसमें जल्दबाजी करने के पक्ष में नहीं हैं, और नई सरकार द्वारा ही लोकपाल विधेयक को पेश किया जाना चाहिए। और इसीलिए हमें इसे प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। उनके दल का यही रुख था। लेकिन इस विधेयक के कार्यक्षेत्र में प्रधान मंत्री को भी लाने का सवाल उठाया गया और महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए उस वक्तव्य को उद्धृत करती हूं जो उन्होंने 15 दिसम्बर, 1994 के प्रश्न काल में हस्तक्षेप करते हुए अन्य सदन में कहा था। उन्होंने कहा "मैं यह कहने से पीछे नहीं हटूंगा कि प्रधान मंत्री कार्यालय को भी इस विधेयक का अंग बनना चाहिए।"

उन्होंने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि वह लोकपाल के कार्यक्षेत्र में प्रधान मंत्री कार्यालय को भी लाने को इच्छुक हैं। महोदय, यदि माननीय सदस्य मुझसे इस विधेयक में निहितार्थ तथ्यों का विवरण चाहते हैं तो मैं उन्हें दे सकती हूं। विधेयक, जिसे सर्वसम्मति से सभा में लाया गया था और जिस पर कल चर्चा की गई थी, में उपबंध है कि लोकपाल अपने से अधीनस्थ किसी भी अधिकारी अथवा जांच एजेंसी के किसी अधिकारी को जांच करने और किसी भी दस्तावेज आदि को जब्त करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। राष्ट्रपति के आदेशानुसार उपलब्ध कराये जाने वाले उपकरण और अन्य शक्तियों के प्रावधान का भी इसमें उल्लेख है। यह कहा गया कि अनुवर्ती कार्यवाही पर निर्णय लेने के लिए लोकपाल का प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के पास भेजा जाएगा। मैं भी यही कहना चाहती हूं तथा विधेयक के अनुसार जो अब परिकल्पित किया गया है, द्वारा यह नहीं कहा गया है कि यह अन्य न्यायालय अथवा न्यायिक निकाय नहीं है।

श्री इन्द्रजीतः महोदय, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो हमेशा सम्मान का पात्र नहीं रहा है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या लोकपाल कार्यालय को सुदृढ़ बनाने के लिए इसे अपने जांच तंत्र के साथ महाभियोजक उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है जिससे कि किसी भी दल की सरकार होने पर यह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके।

श्रीमती मारग्रेट आल्वाः नहीं, महोदय, मैं इस देश में ऐसे किसी निकाय की कल्पना नहीं करती जिसे सभी चीज की आजादी हो। आखिरकार, किसी न किसी स्तर पर कुछ जवाबदेही और उत्तरदायित्व तो होना ही चाहिए।

श्री इन्द्रजीतः जहां तक लोकपाल का संबंध है तो संसद के प्रति इसका उत्तरदायित्व हमेशा रहेगा अनेक देशों में महाभियोजक हैं और वहां सरकार के विचारों से महाभियोजक को प्रभावित नहीं किया जा सकता। अतः, वास्तव में यदि हम लोकपाल को वैसा ही ईमानदार बनाना चाहते हैं तो हम एक महाभियोजक की नियुक्ति के बारे में क्यों नहीं सोचते?

अध्यक्ष महोदयः यहां लाये जाने वाले विधेयक की विषय वस्तु के बारे में अभी चर्चा करना ठीक नहीं होगा। क्योंकि यदि हम विधेयक के पुरःस्थापित हुए बिना इसकी विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं तो लोगों को भ्रम हो सकता है। इसलिए, हमें ऐसी चर्चा से बचना चाहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरीः महोदय, वोहरा समिति की रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक होगा है कि लोकपाल जैसे किसी तंत्र का गठन किया जाए जो सार्वजनिक जीवन में बढ़ते भ्रष्टाचार को नियंत्रित कर सके। अब, ऐसे में यदि प्रधान मंत्री कार्यालय को इसके दायरे से बाहर रखा गया तो लोकपाल की कोई आवश्यकता नहीं है। वोहरा समिति की रिपोर्ट में राजनीतिज्ञों नौकरशाहों और न्यायाधीशों के संबंध के बारे में.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः हम फिर अनुमान लगा रहे है कि प्रधान मंत्री कार्यालय को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाएगा। कृपया आप इसको समझिये। सर्वप्रथम, तो सभा के समक्ष यह प्रश्न उठाना ही नहीं चाहिए क्योंकि विधान से संबंधित प्रश्न पूछे ही नहीं जा सकते। आप इस संबंध में गैर-सरकारी सदस्य विधेयक पुरःस्थापित कर सकते हैं। चूंकि यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण मुद्दा है अतः इसकी अनुमति दी गई। अब हम, ऐसे समय विधेयक पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं जब कि विधेयक हमारे समक्ष नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरीः महोदय, मैं विधेयक पर विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा हूं। मेरा यही कहना है कि वोहरा समिति की रिपोर्ट में अनेक लोगों, राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों और यहाँ तक कि न्यायाधीशों का उल्लेख किया गया है। सभी को इस विधेयक के दायरे में लाना चाहिए। एक बहु-सदस्यीय लोकपाल का गठन किया जाना चाहिए। हो सकता है कि न्यायालय की भांति वे निर्णय न दे सकें। वे अपनी राय देंगे और कानून अपना कार्य करेगा। मैं आपसे सहमत हूँ। लेकिन यह एक बहु-सदस्यीय आयोग होना चाहिए; उनकी नियुक्तियां बिना किसी भेदभाव के किया जाना चाहिए तथा सभा में महाभियोग प्रस्ताव द्वारा ही उन्हें हटाया जाना चाहिए। कृपया हमें बतायें कि क्या आप इस विचार से सहमत हैं या नहीं।

श्रीमती मारग्रेट आल्वाः महोदय, ये सुझाव हैं.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं मंत्री से उम्मीद करता हूं कि विधेयक का प्रारूप तैयार करते समय माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रवि रायः अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मारग्रेट आल्वा जी का प्रश्न का जवाब जानबूझ कर सदन को गुमराह करता है। यह सदन और देश के लिये बहुत लज्जाजनक बात है। सरकार ने बार-बार यहां पर आश्वासन दिया था कि यह लोकपाल बिल लेकर आयेंगी। ट्रांसपैरेंस इंटरनैशनल जो कि जर्मनी बेस्ड है, उसने खोज की है कि दुनिया के जितने भी भ्रष्ट देश हैं, उसमें अमेरिका

और हिन्दुस्तान भी हैं। क्या मंत्री महोदय की दृष्टि में यह चीज आई है? यह एक दुर्भाग्यजनक बात है। 1991 से सरकार गद्दी पर है। वह 1991 से सर्वानुमति की बात कह रही है। सर्वानुमति की आड़ में वह अपनी दृष्टि को छिपा रही है। सरकार ने 1991 से यह वचन दिया था कि वह लोकपाल बिल लायेगी। केन्द्र सरकार के मंत्रियों पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, उनकी जांच करने के लिये लोकपाल बिल लाना चाहिये। सरकार 1991 से इस मामले में सर्वानुमति नहीं कर पायी है। अब इस लोक सभा की अवधि भी समाप्त होने जा रही है। अभी भी यह कहा जा रहा है कि हम लोग सर्वानुमति कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? सरकार ने 1991 से क्या काम किया है?

[अनुवाद]

श्रीमती मारग्रेट आल्वा: महोदय, मुझे दुःख है कि मैं इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश नहीं कर रही हूं.....(व्यवधान) हम कहते हैं कि हम इसे राजनीतिक रंग नहीं देते ताकि आप कहें कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया तब मैं आपसे पूछूंगी कि दो बार सरकार में रहने के बावजूद भी आपने इसे पारित क्यों नहीं किया..,....(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य: मात्र ग्यारह महीने के लिए (व्यवधान)

श्री रवि राय: यह उत्तर नहीं है। अब तो आप कटघरे में खड़े हैं (व्यवधान)

श्रीमती मारग्रेट आल्वा: महोदय, मैं कटघरे में खड़ी नहीं हूँ (व्यवधान)

श्री रवि राय: श्रीमती मारग्रेट आल्वा जी आप कटघरे में खड़ी हैं न कि पहले की सरकार। आप वह उत्तर देने की कोशिश न करें.....(व्यवधान)

श्रीमती मारग्रेट आल्वा: उन्होंने विधेयक पुरःस्थापित किया और वे इसे दो बार पारित नहीं कर पाये.....(व्यवधान) महोदय, मेरा यही कहना है कि संसद की राय के अनुसार ही हम विधान लाते हैं और न कि किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को खुश करने के लिए, जो कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। हम इसके लिए चिंतित नहीं हैं....(व्यवधान) बाहरी एजेंसियों द्वारा इसका निर्णय नहीं लिया जाएगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रवि राय: चिदम्बरम साहब ने यह रिपोर्ट हाउस में देने के लिए कहा था।

[अनुवाद]

श्री चिदम्बरम ने दो बार कहा है कि हम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। आपको जानना चाहिए कि.....(व्यवधान)

श्रीमती मारग्रेट आल्वा: हम इस देश की राय के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं और हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई कहीं भी बैठकर क्या करता है।

अध्यक्ष महोदय: मुझे खुशी है कि कुमारी ममता बनर्जी यहाँ आयी हैं और मैं उनका यहाँ स्वागत करता हूं। मैं उन्हें प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूं।

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, मैं आपका आभार मानती हूं कि आपने प्रश्न पूछने की मुझे अनुमति दी है।

महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। वोहरा समिति की जो भी रिपोर्ट मुझे मिली है उसे मैंने पढ़ा है। यह लोकतंत्र का शीर्षस्थ मंच है और राजनीतिज्ञ, माफिया, अपराधियों और अन्य एजेंसी साथ-साथ मिलकर काम करते हैं।

यह हकीकत है कि यदि यह सिलसिला जारी रहा तो लोगों के मसले से निपटने का इस संसद के पास कोई प्राधिकार नहीं रह जायेगा और अब जो कुछ हम कह रहे हैं कि लोगों की सरकार, लोगों द्वारा बनाई गयी तथा लोगों के लिए है, माफिया की सरकार हो जायेगी....(व्यवधान) मुझे अपना प्रश्न पूरा करने दीजिये। यदि यह नहीं हुआ.....(व्यवधान) मुझे समझ में नहीं आता कि अब वे क्यों चिल्ला रहे हैं। जब आपने कुछ प्रश्न पूछे हैं तो आप मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति क्यों नहीं देते?.....(व्यवधान)

श्रीमती मारग्रेट आल्वा: वे पश्चिम बंगाल का जिक्र कर रही हैं....(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी: तब तो यह मंत्रिपद का दुरुपयोग करने के लिए धनशक्ति द्वारा बनायी गई बाहुबल की सरकार हो जाएगी। मैं केवल केन्द्रीय सरकार के बारे में ही नहीं कह रही हूँ। अपितु राज्य सरकार के बारे में भी कह रही हूँ। महोदय, जय ललिता के पुत्र की शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? कितना धन खर्च हुआ? मैं तो अपने राज्य के विषय में जानती हूँ कि वहाँ कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। महोदया, जब तक यह मुद्दा सभा में नहीं लाया जायेगा तब तक माफिया गिरोह से निपटना तथा राजनेताओं और अपराधियों के बीच संबंधों से निपटना बड़ा मुश्किल होगा। अतः सरकार को चुनाव से पूर्व एक व्यापक विधेयक अवश्य लाना होगा ताकि कोई भी राजनेता—चाहे वह किसी भी दल का हो— इस देश में अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करे। राजनेता के रूप में चुनाव जीतने के लिए राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय माफिया गिरोह के साथ उसके संबंध नहीं होने चाहियें।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से सहमत हूँ।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, जैन हवाला काण्ड तथा इसकी जांच-पडताल करने में केन्द्रीय जांच ब्यूरो से हुए विलम्बन को लेकर राजनैतिक दलों द्वारा स्वीकार किये जा रहे दान के संबंध में तथा विभिन्न राजनैतिक दलों को मिल रहे धन के स्त्रोतों के संबंध में जनता के विभागों में कतिपय प्रश्न उठ खडे हुये हैं। उच्चतम न्यायालय का भी निर्देश है कि राजनैतिक दलों को अपने धन के स्त्रोतों के बारे में बताना चाहिये। चूँकि माननीय मंत्री ने कहा है कि सहमति हो रही है, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या इस संबंध में कोई चर्चा हुई है और यदि हुई है तो क्या इस मुद्दे पर कोई सहमति हुई है।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा: महोदय, राजनैतिक दान का प्रश्न लोकपाल विधेयक का अंग नहीं है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य: यह भ्रष्टाचार से संबंधित है।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा: महोदय, उच्चतम न्यायालय ने पन्द्रह राजनैतिक दलों से यह सूचना देने के लिए कहा। वे अथवा उनकी पार्टी अथवा अन्य और कोई, यह आप सभी लोगों पर है कि आप इकट्ठे इस पर निर्णय लें कि इस मुद्दे के संबंध में क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिये।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य: सरकार की भी कोई जिम्मेदारी हैं। उनके बारे में आपका क्या कहना है?

अध्यक्ष महोदयः हमें यह चर्चा नहीं करनी चाहिये कि विधेयक में क्या होगा। जब विधेयक आ जायेगा तो आपको इसके बारे में मालूम हो जायेगा और यदि आप संतुष्ट नहीं हुये तो आप संशोधन कर सकते हैं।

श्री रूपचन्द पालः अब तक हमें पता चल चुका है कि लाकपाल जैसे विधेयक के संबंध में इस सभा के विभिन्न वर्गों की क्या प्रतिक्रिया होगी। लेकिन ऐसे विधेयक के अधिनियम का विलम्बन होने से रिपोर्टें आ रही हैं और देश शीर्ष स्थानों पर व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा कर रहा है। रोजाना समाचारपत्रों में तथा अन्य साधनों से यह प्रकट हो रहा है कि कम से कम दस मंत्री-हवाला काण्ड में संलिप्त हैं तथा जब मैंने एक ऐसा प्रश्न पूछा तो मंत्री ने यह कहते हुए सभा को गुमराह किया है कि यह मामला न्यायाधीन है, आंकडे और सूचना नहीं दी जा सकती हैं। महोदय, चूंकि सरकार इस प्रकार के लोकपाल विधेयक का समर्थन करती है तो क्या मैं उससे यह जान सकता हूं कि वह कोई इस प्रकार की प्रथा कायम करेगी कि मंत्रीगण सभा में आकर स्वयं हवाला काण्ड में संलिप्त होने के बारे में अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दें?

श्रीमती मारग्रेट आल्वाः मेरे पास कोई जवाब नहीं है।

अध्यक्ष महोदयः जो विधेयक में होगा उसे आप बताने की स्थिति में नहीं हैं तो यह बात आप खड़ी होकर कहें।

श्रीमती मारग्रेट आल्वाः महोदय, मुझे खेद है। हवाला काण्ड के बारे में मुझे मालूम नहीं है कि इसका इससे कैसे संबंध है।

कूड़ा-कचरे पर आधारित विद्युत संयंत्र

+

*143. **श्री बोल्ला बुल्ली राम्मय्या :**
श्री डी० वेंकटेश्वर रावः

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कुछ देशों ने बड़े शहरों में कूड़ा-कचरे पर आधारित विद्युत संयंत्रों में निवेश करने में काफी रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों के प्रति केन्द्रीय और राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी०जे० कुरियन): (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा है।

विवरण

(क) और (ख) संयुक्त राज अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया की दस कम्पनियों/फर्मों ने बड़े शहरों में कूड़ा-कचरा आधारित विद्युत संयंत्रों के प्रति रुचि प्रकट की है। तथापि, किसी विदेशी सरकार ने ऐसी कोई रुचि नहीं दिखाई है। इन कम्पनियों/फर्मों द्वारा प्रकट की गई रुचि, विशिष्ट निवेश और/अथवा प्रौद्योगिकी प्रस्तावों को तैयार करने से पूर्व, प्रारंभिक पूछताछ के रूप में है।

(ग) और (घ) केन्द्र और राज्य दोनों ही सरकारों ने उपरोक्त विदेशी फर्मों के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया प्रकट की है। विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हो जाने और पूंजी निवेश तथा प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण के लिए संबंधित एजेंसियों द्वारा आवश्यक समझौते किए जाने के पश्चात अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा।

श्री बोल्ला बुल्ली राम्मय्याः बेकार लकड़ी से 15 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने वाले भारत के पहले बायो मास विद्युत संयंत्र को रामागुण्डम में नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन के परिवार में शुरू किये जाने की सम्भावना है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या विभिन्न प्रकार की बेकार लकड़ी तथा अन्य चीजों के इस्तेमाल के संदर्भ में इस परियोजना का मूल्यांकन हुआ है और क्या कोई विदेशी मदद मिल रही है। इस परियोजना की हालत कैसी है?

प्रो० पी०जे० कुरियनः महोदय, माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा है.... ..(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदयः आप उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं।

प्रो० पी०जे० कुरियनः महोदय, धन्यवाद।

माननीय सदस्य ने नगर पालिकाओं में कचरा प्रबंधक से संबंधित विदेशी प्रस्ताव के बारे में एक प्रश्न पूछा है। वह प्रश्न जिसका मैंने अब आपसे जिक्र किया है वह एक विशिष्ट प्रश्न है जिसका विदेशी निवेश से कोई लेना-देना नहीं है। अतः इसके लिए एक अलग सूचना की जरूरत है।

श्री बोल्ला बुल्ली राम्मय्याः महोदय, क्या यह हकीकत है कि गैर-परम्परागत ऊर्जा संसाधन मंत्रालय के पास मुम्बई, मद्रास, कलकत्ता जैसे विभिन्न स्थानों जो प्रतिदिन पांच हजार टन से भी अधिक कचरा पैदा कर रहे हैं में बायोमास ऊर्जा पैदा करने के संबंध में आस्ट्रेलिया से पहले से ही कोई प्रस्ताव आया है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उस प्रस्ताव की जांच की है। यदि की है, तो वह इससे लगभग हजार मेगावाट विद्युत पैदा कर सकती है और इस देश के सारे कचरे को समाप्त कर सकती हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव तैयार किया है और क्या वह आठवीं तथा नवीं योजनावधि में कोई वित्तीय सहायता भी दे रही है।

प्रो० पी०जे० कुरियनः यह सत्य है कि कुछ विदेशी फर्में ऐसी हैं जो कचरा संबंधी प्रबन्ध तथा नगरपालिका के कचरे को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव लेकर आगे आ रही हैं। लेकिन वे केवल पूछताछ/अन्वेषणात्मक प्रश्नों के रूप में हैं। हमें कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं मिला है। विशिष्ट प्रस्तावों से मेरा जो आशय है वह यह है कि उन्हे वित्तीय समझौता को स्पष्ट करना चाहिये, उन्हें बताना चाहिये कि वे कौन सी प्रौद्योगिकियां इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें स्थान आदि विनिर्दिष्ट करना चाहिये। ऐसे कोई विशिष्ट प्रस्ताव हमें नहीं मिले हैं। वस्तुतः नगरपालिका के कचरा प्रबन्ध के लिए हमें विदेश से नौ प्रस्ताव मिले हैं। हम उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम विशिष्ट प्रस्तावों का इंतजार कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूँ कि यदि कोई विशिष्ट प्रस्ताव मंत्रालय के पास आ गया है तो हम इसे मंजूरी दे देंगे और हम इसे मंजूर करना चाहते हैं और हम इसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव के रूप में ले रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम कचरा से ऊर्जा पैदा कर सकते हैं जो आज नगरपालिकाओं के लिए एक समस्या है। इससे हमें दोहरा लाभ मिलता है। इससे नगरपालिकाओं का कचरा भी साफ हो जायेगा

और हम ऊर्जा भी पैदा कर सकते हैं। अतः यदि हमें विदेशों से अथवा देश में से ही कोई प्रस्ताव मिलता है तो हम उन्हें प्रोत्साहित करना चाहना चाहते हैं। लेकिन एक बात है कि उनके पास श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी होनी चाहिये। यदि आप उस प्रौद्योगिकी को अपनाते हैं। जिसका आज प्रचलन नहीं है तो अंततः इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अतः मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि ऐसे प्रस्तावों की जांच की जायेगी तथा मंजूरी प्रदान की जाएगी।

जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया के प्रस्ताव का संबंध है, हम सभी आवश्यक समझौतों सहित विशिष्ट प्रस्तावों का इंतजाम कर रहे हैं।

श्री राम कापसेः महोदय, जहाँ तक सभी नगरपालिकाओं तथा नगरनिगमों का संबंध है, कचरा साफ करना एक बड़ी समस्या है।

कल्याण निगम ने कचरा साफ करने की एक योजना के बारे में विचार किया है और लंदन की एक कंपनी ने पहले ही उन्हें एक प्रस्ताव भेजा था। इसके बारे में मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ क्योंकि यह ऊर्जा उत्पादन तथा कचरा साफ करने के हित में है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह कल्याण निगम योजना आपके कार्यालय में पहुंच गई है और क्या इसे मंजूरी दे दी गई है अथवा नहीं।

प्रो० पी०जे० कुरियनः महोदय, जैसाकि मैंने पहले कहा था कि हमें नौ प्रस्ताव मिले हैं। लेकिन ये केवल पूछताछ वाली प्रकृति के है। हमें कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं मिला है। हम केवल उसी प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं जो विशिष्ट हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें वित्तीय बंधन का विवरण, प्रौद्योगिकी बंधन आदि का विवरण होना चाहिये। यह बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि प्रौद्योगिकी उपयुक्त होनी चाहिये।

जहाँ तक माननीय सदस्यों द्वारा किए गए प्रस्ताव का संबंध है, हमें ऐसा कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय सदस्य द्वारा यदि ऐसा कोई विशिष्ट प्रस्ताव किया गया है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम इस पर विचार करेंगे।

श्री ए० चार्ल्सः जैसा कि माननीय मंत्री ने ठीक ही कहा है कि अधिकतर राज्यों में कचरे का निपटान एक बहुत ही गंभीर समस्या है। केरल में इस प्रश्न पर विस्तार से जांच की गई तथा कचरे पर आधारित एक ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु प्रयत्न किया जा रहा है। मेरे विचार से यह प्रस्ताव भारत सरकार के पास भी भेजा गया है।

क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूँ कि इस संबंध में कोई जांच पड़ताल की गई है या नहीं और क्या कोई ऐसा तंत्र है जो राज्यों को प्रौद्योगिकी संबंधी जानकारी आदि उपलब्ध करा सके? जहाँ कहीं भी किसी राज्य सरकार से ऐसा प्रस्ताव आया है तो क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रौद्योगिकीय सहायता उपलब्ध कराते हुए इस दिशा में कोई पहल करेगी जिससे परियोजनाओं का समय पर पूरा होना सुनिश्चित किया जा सके? (व्यवधान) क्या मैं जान सकता हूं कि केरल सरकार से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, और क्या भारत सरकार ने स पर विचार किया है?

प्रो० पी०जे० कुरियनः महोदय, माननीय सदस्य की इस बात से मैं सहमत हूँ कि नगरपालिका द्वारा कचरे का निपटान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमने इस संबंध में पहले ही एक योजना बनाई है जहाँ कचरे का सही रूप से उपयोग कर विद्युत उत्पादन किया जा सकेगा। हमारे एक अनुमान के अनुसार नगरपालिका के कचरे से देश में 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता विद्यमान है। तदनुसार, हमने माननीय प्रधान मंत्री के निर्देश पर हाल ही में एक योजना प्रारम्भ की है जिसके तहत एक हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा सकेगा। यदि उद्यमी इस योजना के अन्तर्गत कोई विशेष प्रस्ताव लाते हैं तो उन्हें हम कतिपय प्रोत्साहन भी देते हैं। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूँ कि यदि राज्य सरकारें इस संबंध में कोई प्रस्ताव लाती हैं तो हम उन्हें प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है क्योंकि इस क्षेत्र में हमारे पास कारगर प्रौद्योगिकी विद्यमान है। हम निवेशकों को आयकर के उद्देश्य से मूल्य-ह्रास पर शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं। हम उन्हें आई०आर०ई०डी०ए० के माध्यम से रियायती दर पर ऋण देते हैं और साथ ही ब्याज पर छूट भी देते हैं। लेकिन इसमें समस्या यह है कि यह कचरा नगरपालिका के नियंत्राणाधीन है और भूमि राज्य सरकार के अधीन होती है। आज हमें जिस गहन समस्या का समाधान करना पड़ रहा है वह यह है कि अधिकतर राज्य सरकारों ने विद्युत खरीदने की नीति नहीं बनाई है। विद्युत खरीद समझौता निवेशकों के साथ करना होता है। केन्द्रीय सरकार की ओर से, मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूँ कि इस योजना का उपभोग किया जाए। हमारी इच्छा है कि अगले पांच वर्षों में सभी नगरपालिकाओं के कचरे का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाए। माननीय प्रधान मंत्री के निर्देश पर हमने जिस योजना की शुरूआत की है वह ऐसा ही है और अब यह राज्य सरकारें और नगरपालिकाओं का कर्तव्य है कि वे आगे आकर इस योजना का लाभ उठायें। आपके माध्यम से मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे इस योजना को समझें और नगरपालिकाओं से कहें कि वह आगे आकर इस योजना का लाभ उठायें।

जहाँ तक केरल सरकार से प्रस्ताव मिलने का प्रश्न है, इस योजना के तहत ऐसे किसी सुस्पष्ट प्रस्ताव की जानकारी मुझे नहीं है। मेरी जानकारी में तो मात्र एक ही प्रस्ताव है जो निजी क्षेत्र से कोचिन निगम को प्राप्त हुआ है और जो उसी उत्पादन में कचरे का प्रयोग करने के बारे में है।

श्री अनिल बसु : महोदय, मंत्री जी ने अभी-अभी कहा है कि नगर पालिका के कचरे को विद्युत उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाए लेकिन इसके लिए प्रस्ताव सुस्पष्ट होना चाहिए और प्रौद्योगिकी भी पुरानी नहीं होनी चाहिए। नगरपालिका के कचरे का ऊर्जा उत्पादन हेतु उपभोग न केवल ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से लाभदायक है अपितु नगरपालिकाओं तथा महानगरों में स्वच्छ पर्यावरण के लिए भी आवश्यक हैं। इसलिए, इसमें पर्यावरणीय पहलू भी शामिल हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि क्या इस योजना को भारत के महानगरों में लागू करने के लिए उनके मंत्रालय की शहरी विकास मंत्रालय से चर्चा हुई है और क्या यह प्रौद्योगिकी हमारे देश में उपलब्ध है।

श्री पी०जे० कुरियन : महोदय, अपारंपरिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय न केवल शहरी विकास मंत्रालय के साथ अपितु नगरपालिकाओं तथा राज्य सरकारों के साथ इस मामले को उठा रहा है। हमारी इन सभी एंजसियों के साथ चर्चा चल रही हैं ताकि समन्वित प्रसाय किए जा सकें। हम मेयरों तथा स्थानीय निकायों के मुखियाओं का एक सम्मेलन आयोजित करने की भी योजना बना रहे हैं ताकि उन्हें इस योजना से परिचित कराया जाए तथा इसे कार्यान्वित करने हेतु एक आम नीति भी तैयार की जा सके। शहरी कार्य मंत्रालय में माननीय सांकी, अहलूवालिया जी से मुझे यह मालूम हुआ कि वे एक ऐसा सम्मेलन बुला रहे हैं। अतः हम उस अवसर का भी सदुपयोग कर रहे हैं....(व्यवधान)

श्री अनिल बसु : क्या यह इस बैठक की कार्यसूची में होगी? जब मंत्री जी ने कुछ कहा है तो उन्हें सभा को भी विश्वास दिलाना चाहिए।

प्रो० पी०जे० कुरियन : इस मामले को लेकर हमने शहरी कार्य मंत्रालय से चर्चा की है।

हम नगर पालिकाओं के मुखियाओं तथा मैयरों का एक सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव कर रहे हैं और हम वहां इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहेंगे। लेकिन मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिकी सहायता, वित्तीय सहायता आदि देने के लिए तैयार है....(**व्यवधान**)

श्री अनिल बसु : क्या कोई विदेशी प्रौद्योगिकी है ?

प्रो० पी०जे० कुरियन : हाँ है। (**व्यवधान**) लेकिन प्रश्न यह है कि कचरे का विषय नगरपालिकाओं के पास है तथा भूमि का विषय राज्य सरकार के पास है तथा बिजली खरीदने का समझौता राज्य सरकार को क्या करना है ....(**व्यवधान**)

श्री अनिल बसु : कचरा सारे देश में है।

प्रो० पी०जे० कुरियन : आपको राज्य सरकार तथा नगरपालिकाओं को इन योजनाओं को पेश करने के लिए राजी करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो बताया है उसमें दो बातें सामने आती हैं। एक तो उन्होंने कहा कि गारबेज म्यूनिसिपैलिटी के पास हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जिसके पास भी हो, गारबेज सारे देश में हैं, लेकिन उस गारबेज को डिसपोजल करके बिजली का उत्पादन हो सकता है और इसके लिए प्रूवन टक्नोलॉजी हैं। यह अभी आपने बताया है। तो इन्टरप्रेन्योर बिजली का उत्पादन करेंगे तो उससे बिजली खरीदने के बारे में स्टेट गवर्नमेंट को एग्रीमेंट करना चाहिए यह बात आपने कही है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या प्रूवन टैक्नोलॉजी का कभी ट्रायल लिया गया है और उसके आधार पर कोस्ट एफिसियंसी को डिसकस किया गया है? यह कोस्ट एफिसियंट हो रहा है या नहीं?

नम्बर दो गारबेज बेस्ड पावर प्लांट होंगे तो उनका जो वेस्ट होगा उसके डिस्पोजल के बारे में भी अभी से सोचा गया है या नहीं?

[अनुवाद]

प्रो० पी०जे० कुरियन : महोदय, मैंने केवल यही कहा है कि कचरे का विषय नगरपालिकाओं के पास है।

अध्यक्ष महोदय : अब केवल दो प्रश्न हैं। एक तो यह है कि क्या यह लागत प्रभावी होगा तथा दूसरा यह है: कि क्या विद्युत पैदा करने के बाद अवशिष्ट का किसी अन्य प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जायेगा अथवा नहीं।

प्रो०पी०जे० कुरियन : महोदय, लागत प्रभाविता के प्रश्न के सम्बंध मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूँगा कि प्रति मेगावाट विद्युत पैदा करने के लिए परियोजना की लागत 4 करोड़ रुपये से 8 करोड़ रुपये हो गई है।

माननीय सदस्य : यह तो मंहगी है।

प्रो० पी०जे० कुरियन : लेकिन हमें देश के अन्दर से ही एक प्रस्ताव मिला है जिसमें निवेशक 2.25 पैसे प्रति किलोवाट/घंटा अर्थात प्रति यूनिट की दर से विद्युत देने के लिए सहमत हैं। सभी पहलुओं पूंजी की लागत, प्रौद्योगिकी तथा अन्य पहलुओं पर विचार करने के बाद हम कमोवेश एक फार्मूला पर पहुँचे है जिससे हम यह पाते हैं कि 2.25 पैसे प्रति यूनिट की दर कमोवेश व्यवहारिक है। इस पर निर्णय लेना अब राज्य सरकार का काम है कि क्या 2.25 पैसे प्रति यूनिट की कीमत उन्हें स्वीकार्य है। राज्य बिजली बोर्डों को प्रोत्साहित करने के लिए हमने बतौर प्रोत्साहन पांच पैसे प्रति यूनिट देने की पेशकश की है ....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मंत्रीजी, आप प्रशासनिक पहलू की चर्चा कर रहे हैं। वह इस तकनीकी पहलू को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या यह लागत प्रभावी होगी अथवा नहीं। निश्चित उत्पादनस्तर पर पहुँचकर ही मितव्ययिता आ सकती है और दर लागत प्रभावी हो सकती है। कृपया सभा को बतायें कि क्या यह अब लागत प्रभावी है।

प्रो० पी०जे० कुरियन : हाँ, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : आप कह सकते हैं कि यह लागत प्रभावी है।

प्रो० पी०जे०कुरियन : यह लागत प्रभावी है। इसकी दर दो रुपये पच्चीस पैसे प्रति युनिट हैं। पहले ही कुछ राज्य सरकारें....(**व्यवधान**) मैं इस संबंध में कुछ और स्पष्ट करना चाहता हूँ....(**व्यवधान**)

श्री अनिल बसु : यह एनरान की कीमत से बहुत कम है।

प्रो० पी०जे० कुरियन : पहले ही कुछ राज्य सरकारें उदाहरण के लिये तमिलनाडु सरकार तथा दूसरी राज्य सरकारें इस पर सहमत हो चुकी हैं और वायु ऊर्जा के लिए इस कीमत पर पी०पी०एठं तैयार किया है। इस पर पहले ही सहमति हो चुकी है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

श्री पी०सी० थामस : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार घरेलु कचरे के अलावा विदेशी कचरे को भी प्रोत्साहन दे रही है....(**व्यवधान**) यह बेतुका प्रश्न नहीं है। हमें समाचार पत्रों से पता चला है कि बाहर के एक देश ने अपने यहाँ से इस देश में कचरा आयात करने और उसका प्रयोग बिजली उत्पादन में करने का प्रस्ताव किया था यह भी पता चला है कि वह बहुत सस्ते दर पर इसका प्रस्ताव किया गया था। लेकिन इसके बारे में होने वाले परिणामों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है और यदि ऐसा नहीं है तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि यदि यह प्रस्ताव सरकार के पास विचार के लिए आता है तो क्या वह इस प्रस्ताव के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलूओं पर गौर करेगी।

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। क्या वह देश में कचरे का आयात करने की अनुमति देंगे?

प्रो०पी०जे० कुरियन : महोदय, ऐसे प्रस्ताव के बारे में हमें कोई सूचना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन क्या आपका ऐसा इरादा है?

प्रो० पी०जे० कुरियन : नहीं महोदय।

श्री पी०सी० थामस : क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है?

प्रो० पी०जे० कुरियन : यह महज उनकी कल्पना है।

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, मैं इस मुद्दे के अहम पहलू पर आता हूं। बायोगैस का उत्पादन जिस अपशिष्ट पदार्थों से किया जाता है उस से ऊर्जा उत्पादन करने वाले अनेक यूनिट समुचित प्रौद्योगिक के अभाव में सफल नहीं हुए हैं। माननीय मंत्री ने ठीक ही कहा है कि हमें मात्र समुचित प्रौद्योगिकी को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। कचरे से उत्पादित बायोगैस से ऊर्जा उत्पादन करने के अनेक प्रस्ताव हमारे क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। लेकिन उन्हें समुचित इंजिनों की आवश्यकता है और ये इंजन स्थानीय तौर पर उपलब्ध नहीं हैं। तथा लोगों ने यह प्रस्ताव किया है कि उन्हें ऐसे इंजनों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी जाए। क्या सरकार हाईड्रोजन सल्फाईड मुक्त बायोगैस उत्पादन करने वाले इंजनों के शुल्क मुक्त आयात पर विचार करेगी।

अध्यक्ष महोदय : नहीं; इस तकनीकी पहलू पर जवाब देने की उम्मीद मैं उनसे नहीं करता।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश की कौन-कौन सी ऐसी कम्पनियां हैं जिन्होंने कचरे/गारबेज से बिजली बनाने के लिए प्रस्ताव दिए हैं? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि हमारे देश में कौन-कौन सी ऐसी कितनी म्यूनिसिपेलिटीज हैं जहां से कचरा ज्यादा उपलब्ध हो सकता है, क्या इस प्रकार का कोई सर्वे हुआ है और कौन-कौन से ऐसे शहर हैं जहां यह बिजली पैदा करने वाले कारखाने लगाए जायेंगे, क्या इस प्रकार का कोई ब्यौरा मंत्री महोदय के पास है, यदि है, तो कृपया बताएं ?

[अनुवाद]

प्रो० पी०जे० कुरियन : महोदय, देश के अन्दर ही तीस ऐसी कम्पनियां है जिन्होंने कचरे का उपयोग कर ऊर्जा उत्पादन करने के प्रारम्भिक प्रस्ताव दिये हैं। जहाँ तक देश में कचरे की कुल मात्रा का प्रश्न है तो मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इसके लिए अलग से सूचना की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी : अध्यक्ष महोदय, गारबेज सारे स्त्रोतों से निकलता है। इसके लिए हमारे यहां के पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि इससे छुटकारा पाने के लिए इकनीमिकली गेनफुल परपज में बिजली बनाना ही सर्वोत्तम है, तो क्या मंत्री महोदय इस प्रकार के सुझावों पर विचार करने की कोई मंशा रखते हैं ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जितने भी हमारे यहां दारू बनाने वाले कारखाने हैं, जो 50 किलो लीटर्स बनाते हैं उनके सोलिड एड्स लिक्विडिटी वेस्ट्स से 12 हजार क्यूबिक मीटर्स बायोगैस बना सकते हैं जिससे 80 प्रतिशत खाना पकाने के लिए गैस का उत्पादन वहीं पर हो सकता है, तो क्या विद्युत विभाग इसको कड़ाई से लागू कर विद्युत इकाइयां कायम करने का विचार रखता है ?

[अनुवाद]

प्रो० पी०जे० कुरियन : हां, महोदय। शराब के कारखानों के कचरे से बिजली उत्पादन की योजना को हम पहले की कार्यन्वित कर चुके हैं। और ऐसे 70 यूनिट पहले से ही कार्यरत हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, कलकत्ता स्थित एक नोडल अनुसंधान केन्द्र नगरपालिकाओं के ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियों का परीक्षण कर रहा है। उन्हें अनुसंधान हेतु धन की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि क्या उन्हें इस अनुसंधान संगठन तथा इस अनुसंधान प्रयास के बारे में जानकारी है। क्या यह उन्हें धन उपलब्ध कराने को तैयार है?

प्रो० पी०जे० कुरियन : महोदय, यदि वे मंत्रालय की योजना के अंतर्गत आते हैं तो इसमें मुझे कोई समस्या नहीं है।

श्री उमराव सिंह : अध्यक्ष महोदय, ज्यादातर क्षेत्रों में नगरपालिकाओं के कचरे को खाद के रूप में उपभोग किया जा रहा है क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूँ कि ऊर्जा उत्पादन हेतु कचरे को प्रयोग करने के पश्चात उसका अवशिष्ट खाद के रूप में भी उपयोगी होगा?

प्रो० पी०जे० कुरियन : महोदय, विभिन्न प्रौद्योगिकी हैं। एक प्रौद्योगिकी– जो कि नवीनतम हैं– ऐसी हैं जिसमें अवशिष्ट बहुत कम बचता है, लेकिन कुछ अन्य प्रौद्योगिकियों में बचे हुए शेष भाग का खाद के रूप में उपभोग किया जा सकता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गेज परिवर्तन

*144. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तन करने हेतु स्वीकृत की गई उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो धनराशि की अनुपलब्धता के कारण लंबित पड़ी है;

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक शुरू करने और पूरा कर दिये जाने की संभावना है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से कोई सहायता मांगी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाड़ी) : (क) आमान परिवर्तन के लिए अनुमोदित की गई निम्नलिखित परियोजनाएं संसाधनों की तंगी के कारण लंबित पड़ी हैं:-

1. काशीपुर-लालकुआं

2. भिलडी-लूनी

3. भिलडी तक विस्तार सहित महसाना-पाटन।

(ख) ये परियोजनाएं संसाधनों की तंगी और निम्न परिचालानिक प्राथमिकता के कारण अस्थाई रूप से रोक दी गई हैं। पहले से चल रही कुछ परियोजनाओं के पूरा हो जाने और संसाधनों की स्थिति में सुधार होने के बाद इन पर कार्य शुरू किया जाएगा। इन परियोजनाओं के समापन कार्यक्रम के बारे में इनका कार्य शुरू होने के बाद निर्णय लिया जाएगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पूंजीगत वस्तुओं सबंधी उद्योगों में विदेशी पूँजी निवेश

*145. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आर्थिक उदारीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव देने के लिए कोर ग्रुप का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूंजीगत वस्तुओं संबंधी उद्योगों के विकास में विदेशी पूंजी निवेश को और अधिक बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पूंजीगत वस्तुओं के विकास के लिए घरेलू तथा विदेशी दोनों क्षेत्रों में पूजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किये गये उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ, ये शामिल हैं– 35 उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों (औद्योगिक नीति विवरण 1991 का अनुबंध-III) में 51% तक विदेशी इक्विटी के बारे में स्वतः अनुमोदन, कच्चा माल और उपकरणों के आयात पर से वास्तविक प्रतिबंधों को हटाना; पूँजीगत वस्तुओं, उपकरणों व कच्चे-माल पर सीमा-शुल्क में कमी करना; मॉडवेट योजना को पूंजीगत माल आदि के लिए बढ़ाना। तीव्र औद्योगिक विकास के फलस्वरूप पूंजी माल उद्योग में और ज्यादा पूंजी निवेश होगा।

स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय

*146. **श्री राजेश कुमार** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सकल राष्ट्रीय उत्पाद के संदर्भ में स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ख) वित्तीय व्यवस्था को पुनर्संरचना के पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत में सामाजिक क्षेत्र में वस्तुतः खर्च होने वाले धनराशि में कमी होने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए०आर० अंतुले) : (क) और (ख) यह अनुमान है कि सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में स्वास्थ्य क्षेत्र पर कुल खर्च 6 प्रतिशत है जिसका 1.5 प्रतिशत खर्च सार्वजनिक क्षेत्र का है। अक्तूबर, 1995 को हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के सम्मेलन में केन्द्रीय सरकार, योजना आयोग तथा राज्यों से पुरजोर अनुरोध किया गया कि वे स्वास्थ्य क्षेत्र के आवंटन में वृद्धि करें तथा प्राथमिक परिचर्या में निजी क्षेत्र को अधिक से अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करें ताकि सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 5 प्रतिशत तक किया जा सके तथा स्वास्थ्य क्षेत्र पर कुल निवेश सकल घरेलू उत्पाद के 10 प्रतिशत तक पहुंच जाए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र, जो कि सामाजिक क्षेत्र खर्च का एक भाग है को पिछले चार वर्षों के दौरान प्लान खर्च के अंतर्गत निम्नलिखित आवंटन किया गया:–

वर्ष	रुपये करोड़ में
1992-93	2222.00
1993-94	2709.20
1994-95	3249.10
1995-96	3754.90

मालगाड़ी दुर्घटना

*147. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 जून को 1995 हलद्वानी से कोचीन जा रही मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी जिसके फलस्वरूप 65 कोच/डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो इसे दुर्घटना के परिणामस्वरूप रेलवे को कितनी हानि हुई;

(ग) इस दुर्घटना के मुख्य कारण क्या थे और इसके दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध तथा कार्यवाही की गयी है; और

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने क्या एहतियाती कदम उठाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) 29.6.1995 को पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल पर हल्द्वानी और लालकुंआ स्टेशनों के बीच खाद्यान्न से भरे 58 सी०आर०टी० मालडिब्बे पटरी से उतर गए।

(ख) रेलवे को इस दुर्घटना में 29,80,000/- रुपये की हानि हुई।

(ग) दुर्घटना अधिक गति होने और ड्राइवर के अधोगामी ढाल पर गाड़ी को नियंत्रित न कर पाने के कारण हुई। गाड़ी इस खंड के लिए अनुमेय भार से अधिक की ढुलाई भी कर रही थी। ड्राइवर और गार्ड को इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार पाया गया था और उन्हें निलंबित कर दिया है। उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(घ) गाड़ी से पटरी से उतरने की घटनाओं की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

1. 10 वर्ष से कम सेवा वाले लगभग 17,000 ड्राइवरों को पिछले एक वर्ष के दौरान विशिष्ट रूप से स्क्रीन किया गया है और उन्हें तदनुसार पाठ्यक्रम से इतर त्वरित प्रशिक्षण दिया गया है।

2. लगभग 60,000 कर्मचारियों ने पिछले एक वर्ष के दौरान संरक्षा कैंप और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में भाग लिया।

3. कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करके और बल दिया गया है।

4. निर्धारित खंडों पर भार वहन करने की सीमाओं का कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं।

5. ड्यूटी आरंभ करने से पूर्व श्वास-विश्लेषण टैस्ट द्वारा चालकों की यह जांच की जाती है कि उन्होंने मद्यपान तो नहीं किया हुआ। विशेष अचानक जांचें भी की जाती हैं।

6. रेलपथ संरचना को सुदृढ़ किया गया है। फिश प्लेटों के बदले पटरियों की झलाई करके उन्हें झलाईयुक्त लंबे पटरी पैनलों में बदला गया है। कुल रेलपथ के लगभग आधे भाग पर, जिसमें लगभग समस्त महत्वपूर्ण मुख्य लाइनें शामिल हैं। लचकदार स्थिरकों सहित कंक्रीट स्लीपर लगाए गए हैं।

7. चल-स्टाक की स्थिति में सुधार किया गया है। घीपहिया माल-डिब्बों का बेहतर बोगी वात-ब्रेक स्टाक में बदला जा रहा है।

8. निरीक्षणों और अचानक जांचों की बारंबारता बढ़ा दी गई हैं। और सरक्षा अभियान आरंभ किए गए हैं।

रेजीडेन्सी स्कीम में अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण

*148. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्थायी चिकित्सकीय स्नातकोत्तर रेजीडेंसी स्कीमों में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, जे.आई.पी.एम.ई.आर. तथा पी.जी.आइ. जैसी शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों का प्रतिशत क्या है और

(घ) अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, जे.आई.पी.एम.ई.आर. और पी.जी.आई. में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित शेष पदों को भरने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए०आर०अन्तुले) : (क) से (घ) अन्य पिछड़ी जातियों से संबंधित भारत सरकार के आदेश सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जाने वाली सिविल पदों और सेवाओं की 27 प्रतिशत रिक्तियों के आरक्षण से संबंधित हैं। ये आदेश शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण को कवर नहीं करते जैसा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है।

सैनिक स्कूल

*149. **डा० (श्रीमती) के०एस० सौन्दरम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक स्कूलों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अन्तरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग-अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सैनिक स्कूलों का प्रशासनिक और प्रबंधकीय नियंत्रण, स्टाफ (सिविलियन) और उनके पदों सहित, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अन्तरित करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस प्रस्ताव पर अभी विचार कर रहा है।

[हिन्दी]

सरकार क्षेत्र के उपक्रम

*150. **श्री नीतिश कुमार**:
श्री वृशिण पटेल :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक कुल संख्या कितनी थी;

(ख) उक्त वर्ष के दौरान कितने उद्योग घाटे में चल रहे थे और उन्हें कुल कितना घाटा हुआ;

(ग) क्या वर्ष 1993-94 की तुलना में 1994-95 के दौरान इन एककों के कुल घाटे में और घाटे में चल रहे उद्योगों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान सरकारी क्षेत्र के रुग्ण घोषित किये गये औद्योगिक एककों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार जिस अवधि के लिए सूचना उपलब्ध है, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत 166 औद्योगिक एकक थे। इनमें से 89 औद्योगिक एककों ने 4346.68 करोड़ रुपए का घाटा उठाया। वर्ष 1992-93 के दौरान 81 औद्योगिक एककों ने 3307.70 करोड़ रुपये का घाटा उठाया। वर्ष 1993-94 के दौरान सरकारी क्षेत्र के जिन औद्योगिक एककों ने घाटा उठाया, उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। वर्ष 1992, 1993 और 1994 के दौरान औद्योगिक वित्त एवं पुनर्निमार्ण बोर्ड द्वारा घोषित किए गए रुग्ण सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक एककों की संख्या क्रमशः 38, 7 तथा 8 थीं।

विवरण

विनिर्माणकारी केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के घाटे संबंधी आंकड़े

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	निवल घाटा 1993-94
1	2	3
1.	बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०	- 1098
2.	बंगाल इम्युनिटी लि०	- 794
3.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व लि०	- 1828
4.	भारत गोल्ड माइन्स लि०	- 3939
5.	भारत इम्युनोलोजीकल एण्ड बायोलॉजिकल कारपो०लि०	- 30
6.	भारत ऑप्टैल्मिक ग्लास लि०	- 1261
7.	भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लि०	- 1531
8.	भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेशर्स लि०	- 920
9.	बड्र्स, जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लि०	- 242
10.	ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि०	- 7457
11.	ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लि०	- 3252
12.	ब्रुशवेयर लि०	- 11
13.	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि०	- 10107
14.	कानपुर टेक्सटाईल लि०	- 592
15.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०	- 14713
16.	सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लि०	- 87
17.	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि०	- 2559
18.	कोल इंडिया लि०	- 3347
19.	कोचीन शिपयार्ड लि०	- 198
20.	भारतीय साईकिल निगम लि०	- 3104
21.	दामोदार सीमेंट एण्ड स्लैग लि०	- 1335
22.	इस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	- 7040
23.	एल्गिन मिल्स कंपनी लि०	- 3623
24.	भारतीय उर्वरक निगम लि०	- 26887
25.	एच०एम०टी० लि०	- 11926
26.	भारी इंजीनियरी निगम लि०	- 8050
27.	हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि०	- 1268
28.	हिन्दुस्तान कॉपर लि०	- 6955
29.	हिन्दुस्तान फीर्टलाइजर कारपो० लि०	- 36673
30.	हिन्दुस्तान फलूरोकार्बन्स लि०	- 188
31.	हिन्दुस्तान पेपर कारपो० लि०	- 24684
32.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्यु० कारपो० लि०	- 6955
33.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०	- 94
34.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०	- 11025
35.	हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल कारपो० लि०	- 1025
36.	हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि०	- 925
37.	इस्को उज्जैन पाईप एण्ड फाउण्ड्री कंपनी लि०	- 353
38.	इण्डिया फायरब्रिक्स इन्स्यूलेशन कंपनी लि०	- 192
39.	इण्डियन एडिटिव्स लि०	- 666
40.	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०	- 6965
41.	इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि०	- 7619
42.	इण्डियन रेअर अर्थ लि०	- 131
43.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०	- 596
44.	जेसप एण्ड कंमनी लि०	- 12551
45.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०	- 5849
46.	मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि०	- 1653
47.	मणिपुर स्टेट ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०	- 12
48.	माइका ट्रेडिंग कारपो० ऑफ इण्डिया लि०	- 472
49.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपो० लि०	- 8716
50.	नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लि०	- 2230
51.	भारतीय राष्ट्रीय बाईसाईकिल निगम लि०	- 1270
52.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि०	- 29
53.	नेशनल इन्स्ट्रूमेंटस लि०	- 3107
54.	नेशनल जूट मैन्यु० कारपो० लि०	- 6173

1	2	3
55.	राष्ट्रीय बीज निगम लि०	- 337
56.	नेशनल टेक्सटाईल कारपो० लि०	- 13
57.	नेपा लि०	- 2545
58.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि०	- 141
59.	नेटेका (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे) लि०	- 4142
60.	नेटेका (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि०	- 3012
61.	नेटेका (गुजरात) लि०	- 8238
62.	नेटेका (मध्य प्रदेश) लि०	- 6747
63.	नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि०	- 7901
64.	नेटेका (साउथ महाराष्ट्र) लि०	- 6553
65.	नेटेका (तमिलनाडु एवं पॉडिचेरी) लि०	- 538
66.	नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि०	- 8862
67.	नेटेका (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि०	- 10246
68.	भारतीय आर्णविक ऊर्जा निगम लि०	- 12971
69.	उड़ीसा ड्रग्स एण्ड कैमिकल्स लि०	- 68
70.	पारादीप फास्फेट्स लि०	- 8091
71.	प्रागा टूल्स लि०	- 834
72.	भारतीय परियोजना एवं विकास निगम लि०	- 1986
73.	पायराइट्स फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि०	- 1552
74.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	- 1208
75.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि०	- 57266
76.	उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि०	- 3989
77.	रेगल बर्न लि०	- 32
78.	रिचडसन एण्ड क्रूडास (1972) लि०	- 1278
79.	सांभर साल्ट्स लि०	- 14
80.	स्कूटर्स इण्डिया लि०	- 10634
81.	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०	- 772
82.	स्पंज आयरन इंडिण्या लि०	- 245
83.	भारतीय राज्य फार्म्स निगम लि०	- 176
84.	टेनरी एण्ड फुटवियर कारपो० ऑफ इण्डिया लि०	- 2370
85.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०	- 1632
86.	टायर कारपो० ऑफ इण्डिया लि०	- 3128
87.	यू०पी० ड्रग्स एण्ड फार्माम्यूटिकल्स लि०	- 247
88.	विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि०	- 1821
89.	वेबर्ड (इण्डिया) लि०	- 832
		- 434668

मतदाता सूचियां

*151. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार मतदाताओं की संख्या कितनी है;

(ख) 30 सितम्बर, 1995 की स्थिति के अनुसार 1995 की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं में से कितने मतदाताओं को पहचान पत्र जारी किये गये और राज्य-वार कुल मतदाताओं की संख्या से उसका प्रतिशत क्या है;

(ग) इस कार्य के राज्य-वार किस तारीख तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है;

(घ) इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य-वार कुल कितनी धनराशि का आवंटन किया गया और 30 सितम्बर, 1995 तक कुल कितनी धनराशि जारी की गई और उक्त तारीख तक राज्यों द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस कार्य को पूरा करने के लिये, राज्यवार, अनुमानतः कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी और इसके लिए संशोधित केन्द्रीय आवंटन कितना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) विवरण-I संलग्न कर दिया गया है।

(ग) निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों में, जम्मू-कश्मीर को छोड़कर जहां स्कीम आरंभ नहीं की गई है, मतदाताओं को फोटो पहचानपत्र तैयार करने और जारी करने का कार्य पूरा करने के लिए नियत तारीख के रूप में 31.12.95 नियत की है।

(घ) से (च) केन्द्रीय सरकार द्वारा 30.9.95 तक किए गए आवंटन की कुल रकम और जारी की गई रकम संलग्न विवरण-II में दी गई है, जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है। विभिन्न राज्यों को, जैसे ही उनकी पुनरीक्षित मांगें प्राप्त होती हैं, आबंटित करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 225 करोड़ रुपये का और उपबंध भी किया गया है। सात राज्यों द्वारा 30.9.95 तक उपगत किए गए व्यय और उनके संबंध में कार्य पूरा करने के लिए अनुमानित अतिरिक्त व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं। शेष राज्यों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण- I

क्र० सं०	राज्य	कुल निर्वाचन मंडल	जारी किए गए पहचान पत्र	प्रतिशत
1.	आंध्र प्रदेश	4,76,32,646	शून्य	-
2.	अरूणाचल प्रदेश	5,22,646	2,64,040	49.57
3.	असम	1,22,69,696	शून्य	-
4.	बिहार	5,78,00,000	2,76,132	00.48
5.	गोवा	8,22,830	4,28,350	52.06
6.	गुजरात	2,90,22,094	1,79,89,660	61,99
7.	हरियाणा	1,13,16,573	72,41,503	63.99
8.	हिमाचल प्रदेश	33,92,327	11,22,910	33.10
9.	जम्मू व कश्मीर	42,71,418	स्कीम कार्यान्वित नहीं की गई	
10.	कर्नाटक	3,16,26,135	शून्य	-
11.	केरल	2,03.79,935	शून्य	-
12.	मध्य प्रदेश	4,42,83,305	15,35,294	03.47
13.	महाराष्ट्र	5,50,74,046	3,82,19.799	69.40
14.	मणिपुर	12,67,904	7,78.433	61.40
15.	मेघालय	10,86,374	4,11,889	37.91
16.	मिजोरम	3,95,945	शून्य	-
17.	नागालैंड	8,47,716	शून्य	-
18.	उड़ीसा	2,20,68,712	1,40,50,729	63.67
19.	पंजाब	1,40,00,884	80,05,753	57.18
20.	राजस्थान	2,99,13,178	11,43,269	03.82
21.	सिक्किम	2,17,446	1,34,997	62.08
22.	तमिलनाडु	4,20,97,622	शून्य	-
23.	त्रिपुरा	15,78,000	शून्य	-
24.	उत्तर प्रदेश	9,65,22,000	21,42,000	02.22
25.	पश्चिम बंगाल	4,46,75,204	66,10,639	14.82

विवरण- II

केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को आवंटित की गई और जारी की गई रकम

क्र० सं०	राज्य सरकार का नाम	आंवटित और जारी की गई रकम (रु०में)
1.	आंध्र प्रदेश	17,71,37,000
2.	अरूणाचल प्रदेश	93,46,120
3.	असम	3,49,20,000
4.	बिहार	22,76,00,000
5.	दिल्ली	2,94,21,000
6.	गोवा	31,93,000
7.	गुजरात	12,25,84,508
8.	हरियाणा	5,13,34,000
9.	हिमाचल प्रदेश	2,15,61,000
10.	कर्नाटक	13,52,92,000
11.	केरल	7,50,00,000
12.	मध्य प्रदेश	16,08,14,000
13.	मेघालय	1,01,67,000
14.	मिजोरम	15,70,000
15.	मणिपुर	1,40,72,244
16.	महाराष्ट्र	20,49,59,884
17.	नागालैंड	32,52,000
18.	उड़ीसा	8,44,78,244
19.	पांडिचेरी	35,93,000
20.	पंजाब	5,53,07,000
21.	राजस्थान	11,36,00,000
22.	सिक्किम	21,93,000
23.	तमिलनाडु	16,17,05,000
24.	त्रिपुरा	66,93,000
25.	उत्तर प्रदेश	36,84,00,000
26.	पश्चिम बंगाल	13,50,00,000

विवरण-III

क्र०सं०	राज्य का नाम	राज्य सरकार द्वारा 30-9-1995 तक उपगत व्यय	कार्य पूरा करने के लिए अनुमानित अतिरिक्त व्यय
1.	बिहार	41,41,69,278	18,58,00,000
2.	गुजरात	22,72,00,000	16,00,00,000
3.	हिमाचल प्रदेश	2,85,42,437	5,15,00,000
4.	केरल	शून्य	25,19,00,000
5.	महाराष्ट्र	81,80,72,000	42,00,00,000
6.	उड़ीसा	30,67,47,000	4,82,53,000
7.	उत्तर प्रदेश	22,86,00,000	121,87,00,000

[हिन्दी]

इन्सैट-2 सी उपग्रह

*152. **श्री सत्यदेव सिंह:**
श्री बलराज पासी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सर्वाधिक शक्तिशाली संचार उपग्रह इन्सैट-2 सी का प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना से करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उपग्रह के सारे परीक्षण कर लिए गए हैं; और

(घ) इसका प्रक्षेपण कब तक किये जाने की सम्भावना है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हाँ।

(ख) इनसैट उपग्रहों की दूसरी पीढ़ी के तृतीय उपग्रह, इन्सैट-2सी, जिसका डिजाइन और निर्माण भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा किया गया है में 18-सी बैण्ड प्रेषानुकरों, 3 के.यू. बैण्ड प्रेषानुकरों, एक एस-बैण्ड प्रसारण प्रेषानुकर और एक-एस बैण्ड मोबाइल प्रेषानुकर रखे गए हैं। उड़ान के समय उपग्रह का भार 2050 कि.ग्रा. होगा। पूववर्ती इनसैट उपग्रहों की तुलना में इन्सैट-2सी उपग्रह पर स्थित सी-बैंड प्रेषानुकर अधिक शक्तिशाली हैं।

(ग) जी, हां। उपग्रह की तरह जांच कर ली गयी है, इसे प्रसोचन स्थल पर ले जाया गया है और इसे प्रमोचक राकेट के साथ जोड़ दिया गया है।

(घ) इन्सैट-2 सी का प्रमोचन भारतीय समयानुयार 7 दिसम्बर 1995 की सुबह (लगभग 4 बजे प्रातः) के लिए निर्धारित है।

[अनुवाद]

भारतीय सीमेंट निगम

*153. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम के कुछ एकक घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध मे गत दो वर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन एककों को अर्थक्षम बनाने हेतु इन्हें निजी कम्पनियों को बेचने अथवा उनके सहयोग से चलाने का है; और

(घ) यदि हां, तो एककवार/प्रस्ताव-वार इसके क्या परिणाम/निष्कर्ष रहे?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) गत दो वर्षों, अर्थात् 1993-94 और 1994-95 के लिए इकाइयों के लाभ/ हानि के ब्यौरे सलंग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सरकार सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया (सी०सी०आई०) की जैव्यता में सुधार के लिए सयुंक्त उद्यम/निजीकरण सहित विभिन्न विकल्पों का पता लगा रही है। सी०सी०आई० द्वारा येरागुटला इकाई के लिए बोलियां आमत्रित की गई हैं तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 8.1.1996 है।

विवरण

(लाख रुपये में)

इकाई	लाभ/हानि					
	निवल लाभ/हानि		नकद लाभ/हानि		प्रचालन लाभ/हानि	
	1993-94	1994-95 अनंतिम	1993-94	1994-95 अनंतिम	1993-94	1994-95 अनंतिम
क. पुराने संयंत्र						
मांढर	(1,495)	(1,562)	(1,416)	(1,488)	(1,123)	(1,007)
कुर्कटा	(511)	(567)	(450)	(509)	(258)	(289)

(लाख रुपये में)

इकाई	लाभ/हानि					
	निवल लाभ/हानि		नकद लाभ/हानि		प्रचालन लाभ/हानि	
	1993-94	1994-95 अनंतिम	1993-94	1994-95 अनंतिम	1993-94	1994-95 अनंतिम
बोकाजन	502	612	595	693	601	708
राजबन	359	268	440	340	459	343
नयागांव	(1,162)	(1,474)	(988)	(1,342)	(424)	(752)
अकलतरा	(2,382)	(2,492)	(2,196)	(2,338)	(998)	(1,211)
येरागुंटला	(497)	(488)	(325)	(336)	17	12
धरखी-दादरी	(907)	(984)	(858)	(942)	(355)	(474)
आदिलाबाद	(848)	(709)	(629)	(503)	(269)	(157)
उप योग	(6,942)	(7,396)	(5,825)	(6,426)	(2,351)	(2,827)
ख. नए संयंत्र (एक मिलियन टन)						
तांडूर	(2,936)	(2,741)	(2,111)	(1,988)	(167)	418
नयागांव विस्तार/डी.जी.यू	(4,804)	(4,860)	(3,886)	(3,947)	(972)	(1,174)
उप-योग	(7,741)	(7,601)	(5,996)	(5,936)	(1,140)	(756)
ग. अन्य गति विधियां	(30)	1	18	36	140	127
कुल योग	(14,718)	(14,996)	(11,803)	(12,326)	(3,350)	(3,455)

रेकों का आवंटन

*154. **श्री काशी राम राणा :**
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेकों की कमी के कारण देश में आयोडिन युक्त नमक की कमी है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात के नमक उत्पादन क्षेत्रों की आपूर्ति किए गए एंव उनके द्वारा उपयोग किए जा रह रेलवे रेकों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या पूरे देश में नमक की मांग को देखते हुए आपूर्ति किए गए रेलवे रेकों की विद्यमान संख्या अपर्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो मांग के अनुसार अतिरिक्त रेकों का आवंटन करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाड़ी): (क) से (घ) देश के किसी भी भाग से फिलहाल अभाव की स्थिति की सूचना नहीं मिली है। कुछ क्षेत्रों में संकट के समय यदा-कदा अनुरोध प्राप्त होने पर तत्काल कार्रवाई कर दी गई थी। गुजरात के नमक उत्पादक क्षेत्रों के लिए रेकों की सप्लाई में कुछ कमी रही है। माल डिब्बों की सप्लाई का स्तर बढ़ाने के लिए उपाय किए गए हैं।

कम्पनी अधिनियम, 1956

*155. **श्री छीतूभाई गामीत :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एसोसिएटेड चैम्बर आफ कामर्स एंड इण्डस्ट्री द्वारा अक्तूबर, 1995 में "कर और कम्पनी कानून" विषयक एक गोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन लोगों ने भाग लिया और इसमें क्या-क्या सिफारिशें की गईं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन सिफारिशों को कम्पनी अधिनियम, 1956 में शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) इस विधेयक को कब तक पुरःस्थापित कर दिए जाने की सम्भावना है?

विधि न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्डस्ट्री द्वारा 30-31 अक्तूबर, 1995 को नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कर तथा कम्पनी कानून सम्मेलन में 207 व्यक्तियों ने भाग लिया है। इस सम्मेलन में प्रकट हुई ऐसी किसी भी सिफारिश को एसोचैम द्वारा सरकार को अग्रेषित नहीं किया गया है। तथापि, सम्मेलन के कम्पनी कानून सत्र में गैर-मताधिकार वाले शेयरों, शेयरों की क्रय द्वारा वापसी, अन्तः निगमित ऋणों तथा निवेशों जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया गया है। सरकार को इन विषयों के बारे में पहले से ही जानकारी है तथा वह उन पर अपने विचारों को कम्पनी विधेयक, 1993, जो कि पहले ही 14.5.1993 की राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था, पर विचार किए जाने से पूर्व, अन्तिम रूप दे सकती है।

रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

*156. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए रक्षा संबंधी आत्मनिर्भरता योजना 1995-2005 अपनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों तथा इस पर आने वाली लागत सहित अन्य ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग-अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) रक्षा प्रणालियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक दस वर्षीय योजना तैयार की गई है, जिसमें आत्म-निर्भरता सूचक (किसी वर्ष में अधिप्राप्त रक्षा प्रणालियों पर किए गए कुल व्यय की तुलना में देशी स्त्रोतों से अधिप्राप्त रक्षा प्रणालियों पर किए गए व्यय की दरों को 30 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर वर्ष 2005 तक 70 प्रतिशत किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले से अधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए इस योजना में निम्नलिखित तीन तरफा दृष्टिकोण अपनाए जाने की परिकल्पना है:-

(1) अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों का देशीकरण करके मौजूदा रक्षा प्रणालियों को बनाए रखना;

(2) मौजूदा व्यवहार्य रक्षा प्रणालियों का उन्नयन करना तथा उनकी उपयोग अवधि एवं क्षमता में बढ़ोतरी करना; और

(3) क्रमिक रूप से अधिक देशी रक्षा प्रणालियों को शामिल करना तथा मुख्य प्रणालियों के आयात को न्यूनतम करना।

तथापि, लागत संबंधी सूचना प्रकट करना राष्ट्रहित में नहीं होगा।

ओजोन परत

*157. **श्री चेतन पी०एस० चौहान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली सहित भारत के निम्न अक्षांश वाले क्षेत्रों में ओजोन की मात्रा में वृद्धि होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ओजोन प्राणियों के लिए अत्यधिक विषैला पदार्थ है; और

(घ) यदि हां तो, सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निवारक उपाय किए जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) विभिन्न उपग्रहों तथा भू-स्थित यंत्रों के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से भारत के ऊपर ओजोन विभिन्न के स्पष्ट रुख का पता नहीं चलता है। कुछ वैज्ञानिकों द्वारा जो थोड़ा बहुत अन्तर देखा गया है वह ओजोन के स्वाभाविक घट-बढ़ के अंतर्गत हो सकता है।

(ग) पृथ्वी की सतह पर ओजोन का उच्च संघनत्व प्राणियों के लिए विषैला होता है।

(घ) वर्तमान में सतह स्तर पर ओजोन का संघनत्व सुरक्षित सीमा के भीतर है। तथापि, सरकार ने वाहन जैसे स्त्रोतों से निकलने वाले प्रदूषकों को, जो सतह के ओजोन को प्रभावित कर सकते हैं, कम करने के लिए कार्रवाई की है।

साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड

*158. **श्री ह्याराधन राय** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड का आधुनिकीकरण करने के लिए कोई उपाय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उत्पादन, पूंजी निवेश, जनशक्ति, लाभ और हानि तथा क्रयादेशों संबंधी अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ङ) इस कम्पनी को अर्थक्षम बनाने की दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (ङ) साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) को संदर्भित किया गया था। बी०आई०एफ०आर० ने दिनांक 23.7.93 को हुई अपनी पिछली सुनवाई में प्रथम दृष्टया यह मत बनाया था कि कंपनी दीर्घावधिक-आधार पर जैव्य नहीं है और तदनुसार परिसमापन के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था। बी०आई०एफ०आर० की आगामी सुनवाइयों पर कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश दे दिया गया है। मामला न्यायाधीन है।

(घ) वर्ष 1994-95 हेतु नवीनतम स्थिति इस प्रकार है :-

1. उत्पादन	89 लाख रुपये
2. पूंजीगत निवेश	शून्य
3. जनशक्ति	1778
4. लाभ और हानि	(-) 3469.32 लाख रुपये
5. कार्यादेश स्थिति	90 लाख रुपये की अग्रिम राशि के साथ 9000 साइकिलों के कार्यादेश प्राप्त हुए।

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा

*159. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के कुछ राज्यों, विशेषकर गुजरात में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए राष्ट्रपति एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों में परियोजनाओं की स्थापना हेतु कुछ प्रोत्साहन/रिसायतें देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन क्षेत्रों में भारतीय एवं विदेशी निवेशकों को कुछ सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी०जे० कुरियन): (क) और (ख) राज्य में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावों हेतु जारी किए गए एक अनुरोध के प्रत्युत्तर में पांच कम्पनियों ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए। स्वयं बनाओ, चलाओ और देखभाल करो के आधार पर विभिन्न सौर प्रौद्योगिकियों पर आधारित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने तीन कम्पनियों को आशय पत्र जारी किए। गुजरात सहित अन्य राज्यों को कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन और रियायतें इन परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होंगी। इनमें 100% संवर्द्धित ह्रास के लिए सुविधाएं कर-अवकाश, उदार शर्तों के ऋण, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क रियायतें शामिल हैं।

(ङ) और (च) अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को प्राप्त सुविधाएं सभी पात्र भारतीय और विदेशी निवेशकों को उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

जिपर उद्योग

*160. **श्री रवि राय** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिपर उद्योग भारत में लघु क्षेत्र में है तथा जापान के मैसर्स वाई०के० के० कारपोरेशन से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्हें संसद सदस्यों से इस घरेलू उद्योग को विलुप्त होने से बचाने के लिए पत्र प्राप्त हुये हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ख) देश में जिप फास्नर्स का विनिर्माण लघु क्षेत्र और संगठित क्षेत्र दोनों में किया जा रहा है। हाल ही में मै० वाई०के०के० कारपोरेशन ऑफ जापान को सभी अवयवों का विनिर्माण करने वाले एक एकीकृत संयंत्र के जरिए धात्विक तथा गैर-धात्विक जिप फास्नर्स के विनिर्माण के लिए 100 प्रतिशत आनुषंगिक एकक की स्थापना का अनुमोदन दिया गया है। इस प्रकार के एकीकृत संयंत्रों के जरिए धात्विक और गैर-धात्विक दोनों प्रकार के जिप फास्नर्स का विनिर्माण लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है। मैसर्स वाई०के०के० कारपोरेशन ऑफ जापान द्वारा जिप फास्नर्स का विनिर्माण अभी शुरू होने वाला है।

(ग) और (घ) जी, हां। यद्यपि वाई०क०के० को दिया गया। अनुमोदन आरक्षण नीति के मानदण्डों के भीतर है फिर भी माननीय संसद सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच की जा रही है।

कर मुक्त रेलवे बॉण्ड

1485. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मार्च, 1994 में रेलवे वित्त निगम द्वारा बेचे गए 10½ प्रतिशत ब्याज मुक्त बॉण्डों का बड़ा हिस्सा राष्ट्रीकृत बैंकों के पास जमा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जमा की गई राशियां उपरोक्त बैंकों द्वारा पुनर्भुगतान कर दी गई; और

(घ) यदि हां, तो अब तक नहीं किए गए पुनर्भुगतान का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाड़ी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

इश्यू से संबंधित विभिन्न बैंकरों सहित 8वीं श्रृंखला का पब्लिक इश्यू लेखा नीचे दिया गया है:-

	चैक/नकद (रुपये)	स्टॉक निवेश (रुपये)	जोड़ (रुपये)
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	46,15,02,000	1,08,97,000	47,23,99,00
विजया बैंक	3,06,25,000	9,21,000	3,15,46,000
पंजाब नेशनल बैंक	10,29,87,000	6,79,60,000	17,09,47,000
पंजाब एंड सिंध बैंक	4,38,84,000	54,90,000	4,93,74,000
ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स	1,02,56,000	7,00,000	1,09,56,000
यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक	4,01,12,000	30,55,000	4,31,67,000
इंडियन ओवरसीज बैंक	3,34,85,000	44,75,000	3,79,60,000
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	6,55,96,000	56,90,000	7,12,86,000
इंडियन बैंक	1,95,06,000	28,00,000	2,23,06,000
	80,79,53,000	10,19,88,000	90,99,41,000

उपरोक्त बांडों में से 85,70,85,000 रुपये की राशि के बांड आवंटित किए गए हैं तथा शेष राशि इश्यू/एस० ई० बी० आई०/दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज की पर्जीकारों द्वारा तकनीकी रूप में रद्द कर किए जाने के कारण वापिस कर दी गयी।

उपरि पुल

1486. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल के कालीकट जिले में बडागरा और माहे के बीच चार्ड लेवल क्रॉसिंग पर रेलवे उपरि पुल का निर्माण करने के लिए सरकार ने कोई धनराशि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार की ओर से इस उपरि पुल का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाड़ी): (क) और (ख) दक्षिण रेलवे के कालीकट कण्णनोर खंड पर कि०मी० 713/10-11 पर राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण कार्य 1990-91 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल था। लेकिन, राज्य सरकार की दिलचस्पी न होने के कारण इस कार्य को रेलों के 1992-93 के निर्माण कार्यक्रम से निकाल दिया गया था। तब से केरल सरकार ने इस कार्य को कोई प्राथमिकता नहीं दी है और न ही केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे का वित्तीय निष्पादन

1487. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के प्रथम छह महीनों के दौरान रेलवे के कार्य निष्पादन की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम छह महीनों के दौरान हुए रेलवे के कार्य निष्पादन से आय और व्यय के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्ति की संभावना बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बेहतर कार्य निष्पादन के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाड़ी) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न हैं।

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान निरंतर लागत नियंत्रण, बाजारोन्मुखी रणनीतियों को अपनाया जाना तथा महत्वपूर्ण क्षेत्र से बेहतर यातायात की आमद बेहतर निष्पादन के मुख्य कारण रहे है।

विवरण

1992-93, 1993-94 और 1994-95 (सितंबर के अंत तक) के दौरान वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रु० में)

	1992-93			1993-94			1994-95		
	लक्ष्य	वास्तविक	कमी-बेशी	लक्ष्य	वास्तविक	कमी-बेशी	लक्ष्य	वास्तविक	कमी-बेशी
कुल आमदनी	7614.09	7813.57	+199.48	9215.74	8733.94	-481.80	9635.35	9529.24	-106.11
संचालन व्यय	5220.34	4953.02	-267.32	5628.95	5458.04	-170.91	6290.78	6063.60	-227.18

1995-96 (सितंबर के अन्त तक) के दौरान वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रु०में)

	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य की तलना में कमी-बेशी	तदनरूपी अवधि की तुलना में कमी-बेशी		
				1992-93	1993-94	1994-95
कुल आमदनी	10576.96	10764.68	187.72	+2951.11	+2030.74	+1235.44
संचालन व्यय	7200.49	7116.20	-84.29	+2163.18	+1658.16	+1052.60

रेल बस

1488. **श्री जितेन्द्र नाथ दासः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास रेल यात्रियों को नजदीक के शहरों में जाने हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए रेलवे बस चलाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन रेल मार्गों पर इसे शुरू किया गया है तथा किन-किन रेल मार्गों पर निकट भविष्य में उक्त सुविधा दी जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाड़ी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। बहराल, "रेल बसें", जो रेलपथ पर चलती हैं को अब तक कम घनत्व वाले कतिपय खंडों अर्थात-मेड़ता रोड- मेड़ता सिटी बीकानेर-कोलायत तथा मनकापुर-कटरा के बीच चलाया गया है। चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के दौरान "रेल बसों" को कुछ और खंडों पर चलाने की योजना है जो उनकी उपलब्धता पर निर्भर करती है।

बुदनी स्टेशन पर हॉल्ट

1489. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य रेलवे के बुदनी रेलवे स्टेशन पर एक हाल्ट बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाड़ी) : (क) बुदनी में 7021/7022 दक्षिण एक्सप्रैस के ठहराव की व्यवस्था करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

रोहिणी आवास योजना

1490. **श्री जगदीर सिंहः** क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नवम्बर, 1991 में पंजीकृत व्यक्तियों को इस आशय से सेक्टर 24, रोहिणी आवास योजना में 60 मीटर के अविकसित भूखंड आवंटित किए थे कि ये भूखंड मार्च, 1993 तक पूर्णतः विकसित कर दिए जाऐंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक उक्त भूखंड दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्णतः विकसित नहीं किए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि पट्टे समझौते के अनुसार आवंटी से अपेक्षा की जाती थी कि वह आवंटित भूखंड पर कब्जा ले लेने के 2 वर्ष के अंदर आवंटित भूखंड पर आवासीय एकक बना लेगा और यह अवधि कब की समाप्त हो चुकी है;

(घ) क्या ऐसे आवंटियों को दिल्ली नगर निगम को भी अपने अविकसित भूखंडों के लिए ग्रह कर देना पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो आवंटित भूखड कब तक पूर्णतः विकसित कर दिए जाएंगे?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर०के०धवन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि सैक्टर 24, रोहिणी आवास योजना में 60 वर्गमीटर के 2024 प्लाट प्रतीक्षारत पंजीकृत व्यक्तियों को 27.3.1991 को लाटरी द्वारा आवंटित किए गए थे। आवंटन के समय विकास-कार्य मार्च, 1993 तक पूरा होने की आशा थी।

(ख) जी, हां।

(ग) पटटे की शर्तों तथा निबंधनों के अनुसार, प्लॉट के पट्टेदार/आवंटिती द्वारा प्लाट का कब्जा लेने की तारीख से दो वर्ष के अन्दर प्लाट पर निर्माण- कार्य पूरा करने की अपेक्षा की जाती है,साथ ही एक वर्ष की माफी अवधि और दी जाती है। किन्तु यदि निर्माण-कार्य पूरा नहीं होता है तो प्लाट पर भवन-निर्माण की अवधि, भवन निर्माण कार्यकलाप रिलीज होने की तारीख से मानी जाती है। तदनुसार, इस मामले में भवन-निर्माण के लिए स्वीकृत अवधि भवन-निर्माण कार्यकलाप रिलीज की तारीख से आरंभ होगी।

(घ) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि उन सभी भूखंडों पर सम्पति कर लगाया जाता है जिन पर निर्माण किया जा सकता हो, अथवा जिन पर भवन निर्माण किया जा रहा हो। अतः अविकसित प्लाटों को कर-निर्धारण से छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सभी विकास-कार्य दिसम्बर, 1996 तक पूरा कर लिये जाने की आशा है।

उत्तर प्रदेश में शहरी विकास परियोजनायें

1491. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी विकास परियोजनाओं का विकास करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अधिक सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्ताव को स्वीकार किया है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई है ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर०के०धवन) : (क) से (घ) छोटे और मझौले कस्बों के समेकित विकास की केन्द्र प्रवर्तित योजना (आई०डी०एस०एम०टी०) के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई सितम्बर, 1995 में 9 कस्बों, यथा बांसी, गोरखनाथ, बरहलगंज, टांडा, खलीलाबाद, पलियाकला, शिकोहाबाद, बलरामपुर और अकबरपुर, की परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ये रिपोर्ट आई०डी०एस०एम०टी० स्कीम के पूर्व दिशानिर्देश के अनुसार तैयार की गयी थीं। चूंकि आठवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि मूल्यांकन के आधार पर दिशानिर्देश संशोधित करके अगस्त, 1995 में राज्य सरकारो को भेजे गये थे इसलिए इन परियोजना रिपार्टों को नये दिशानिर्देश के आधार पर पुनः तैयार करने हेतु राज्य सरकार को लौटा दिया गया है। आई०डी०एस०एम०टी० के तहत 1995–97 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के 11 कस्बे आवंटित किये गये हैं और उसे 1995–96 के दौरान पहली किस्त के रूप में 3.10 करोड़ की धनराशि (अनन्तिम) मिलेगी। राज्य सरकार को चुनींदा प्राथमिकता कस्बों के परियोजना प्रस्ताव राज्य स्तरीय मंजूरी समिति को प्रस्तुत करने की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

रेल लाइन

1492. **प्रो० प्रेम धूमल**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में नांगल-तलवाड़ा रेल लाइन पर निर्माण कार्य रोक दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त निर्माण कार्य को पुनः कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाड़ी) : (क) से (ग) नांगल बांध ऊना (17 कि०मी०) लाइन का निर्माण हो चुका है और यात्री यातायात के लिए जनवरी 1991 में इसे खोल दिया गया है। इस परियोजना के लिए निःशुल्क भूमि तथा लकड़ी के स्लीपरों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार की अपनी वचन बद्धता से मुकर जाने के कारण ऊना से आगे के निर्माण कार्य को–अस्थाई तौर पर स्थगित कर दिया गया है, जिससे परियोजना की व्यवहार्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। राज्य सरकार के साथ मामले पर बातचीत की जा रही है। इस मामले के निपट जाने के बाद निर्माण कार्य पुनः शुरू किया जाएगा।

पदोन्नति में आरक्षण

1493. **श्री राम विलास पासवान**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अ०जा०/अ०ज०जा० के अधिकारियों के लिए समूह के सेवाओं में श्रेणी-I से श्रेणी-II के पदों में प्रोन्नति हेतु आरक्षण संबंधी आदेश जारी कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (ग) पदोन्नति में आरक्षण वरिष्ठता से पदोन्नति के संबंध में उपयुक्तता की शर्त के अध्यधीन समूह "क" के भीतर तथा चयन द्वारा पदोन्नति में समूह "क" के निम्नतम स्तर तक उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त समूह "क" में 5700 रुपये तक के वेतनमान वाले पदों के लिए एक ऐसी रियायत उपलब्ध है कि अनु०जा०/अनु० जनजाति के उन अधिकारियों को, जो पदोन्नति के लिए विचारण के क्षेत्र में इतने वरिष्ठ हैं कि वे उन रिक्तियों की संख्या के भीतर आते हैं जिनके लिए चयन सूची तैयार की जानी होती है, उस सूची में शामिल कर लिया जाएगा बशर्ते कि उन्हें पदोन्नति के अनुपयुक्त न पाया जाए। इससे संबंधित आदेश पहले से ही विद्यमान हैं।

रेलवे नेटवर्क का विस्तार

1494. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल की सरकार ने कूच बिहार जिले में रेलवे नेटवर्क के विस्तार हेतु केन्द्र सरकार को कुछ प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोंकण रेल निगम

1495. **श्री राम नाईक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गठन के उपरान्त कोंकण रेल निगम संबंधी संसद सदस्य जांच समिति की बैठक किन-किन तिथियों को आयोजित की गई थी;

(ख) क्या मंत्रालय को समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ग) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो यह रिपोर्ट किस तिथि तक प्राप्त होना अपेक्षित है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाड़ी) : (क) अभी तक कोंकण रेलवे पर संसद सदस्यों की जांच समिति की 2.8.95, 23.8.95 एवं 5.9.95 तथा 5.10.95 को बैठकें हुई। समिति ने 26.9.95 से 30.9.95 तक इस खण्ड का भी निरीक्षण किया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) समिति से अभी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

कलकत्ता मैट्रो रेलवे

1496. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता मैट्रो रेलवे की लागत बहुत अधिक बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी राशि का क्या ब्यौरा है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां.

(ख) (एक) मूल अनुमानित लागत–140.30 करोड़ रुपये।

(दो) वर्तमान स्वीकृत अनुमानित लागत - 1562.68 करोड़ रुपये।

(ग) निम्नलिखित मुख्य कारणों से समय अधिक लगने तथा लागत में परिणामी वृद्धि के कारण:

(एक) परियोजना के प्रारंभिक चरणों के दौरान धनराशि की अपर्याप्त उपलब्धता।

(दो) राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण में विलम्ब।

(तीन) श्रमिक समस्याएं।

(चार) सड़क यातायात ब्लाकों के कारण गतिरोध, स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा विलम्ब, जल पाइप, सीवर लाइन, बिजली, टेलीफोन केबलों आदि जैसी अज्ञात भूमिगत सुविधाओं को हटाना।

[हिन्दी]

मैट्रो रेलवे योजना

1497. **श्री सुरेन्द्र पाल पाटक**: क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में जापान के परिवहन मंत्रालय में विदेशी मामलों के जापानी उपमंत्री के साथ दिल्ली की राजधानी मैट्रो रेल योजना के संबंध में कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो समझौते के दौरान किन-किन विषयों पर चर्चा हुई; और

(ग) जापान द्वारा इस परिवहन परियोजना के लिए उपलब्ध करायी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर०के० धवन) : (क) और (ख) जापान के परिवहन मंत्रालय के अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के उपमंत्री ने 24.10.1995 को शहरी विकास मंत्री से मुलकात की। यह मूलतः शिष्टाचार मुलाकात थी। तथापि, बैठक के दौरान आगन्तुक महानुभाव को दिल्ली के लिए एम०आर०टी०एस० परियोजना बाबत ओ०ई०सी०एफ० कर्ज की मांग से अवगत कराया गया जिन्होंने इस बाबत जापान सरकार की ओर से आवश्यक सहयोग का वायदा किया।

(ग) दिल्ली एम०आर०टी०एस० के लिए ओ०ई०सी०एफ० द्वारा दी जाने वाली सहायता के ब्यौरे तभी ज्ञात होंगे जब ओ०ई०सी०एफ० का तकनीकी दल दिसम्बर, 95, फरवरी 96 के दौरान परियोजना का प्रस्तावित प्रौद्यो-वित्तीय मूल्याकन पूरा कर लेगा और तत्पश्चात् मामले पर ओ०ई०सी०एफ०/जापान सरकार द्वारा विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

रेलवे भूमि

1498. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे की राज्यवार कुल कितनी भूमि वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध है; और

(ख) रेलवे की भूमि के इस प्रकार उपभोग किए जाने के संबंध में बनाई गयी योजना का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाड़ी) : (क) और (ख) रेलवे को अपने परिचालनिक एवं उससे संबंधित उपयोग के लिए समस्त रेलवे भूमि की आवश्यकता है। रेलवे का प्रस्ताव रेलवे भूमि के वाणिज्यिक दोहन के लिए नहीं है बल्कि रेलवे भूमि/भवनों के ऊपरी स्थान के उपयोग के लिए है।

नारियल-जटा अनुसंधान केन्द्र

1499. **श्री वाइल जॉन अंजलोज** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में कलावूर में स्थित नारियल-जटा अनुसंधान केन्द्र को विकसित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) और (ख) नारियल-जटा उत्पादों की गुणवत्ता, नारियल-जटा से संबद्ध श्रमिकों की कार्य संबंधी स्थितियों को सुधारने और नारियल जटा के नये उपयोगों का पता लगाने के लिए केन्द्रीय नारियल जटा अनुसंधान संस्थान, कलावूर अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों को करने हेतु पर्याप्त सुविधाओं से सुसज्जित है। जब कभी नारियल जटा अनुसंधान केन्द्र के विकास के लिए कोई

प्रस्ताव प्राप्त होगा, उस पर सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

निदेशकों/परिसमापकों का सम्मेलन

1500. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1994 में और बाद में क्षेत्रीय निदेशकों और सरकारी परिसमापकों के अखिल भारतीय सम्मेलन हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक सम्मेलन में क्या निर्णय लिये गये;

(घ) क्या तबसे कुछ निर्णय लागू कर दिए गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या परिणाम हैं?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज): (क) से (च) प्रादेशिक निदेशकों और शासकीय समापकों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन, जून 1994 में बंगलौर में आयोजित किया गया था। इसके बाद इसी प्रकार का एक और सम्मेलन सितम्बर, 1995 में बंगलौर में ही हुआ था। इन सम्मेलनों में अन्य बातों के साथ-साथ लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार थे:

(क) जून, 1994 में आयोजित सम्मेलन वर्ष 1994-95 के दौरान 300 कम्पनियों के विघटन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लेकिन वर्ष 1994-95 के दौरान 104 कम्पनियां विघटित की गई थीं। सितम्बर, 1995 में आयोजित सम्मेलन के दौरान, 1995-96 के दौरान 235 कम्पनियों के विघटन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) दोनों ही सम्मेलनों में यह विचार किया गया था कि ऋणों की वसूली परिसम्पत्तियों की बिक्री और लाभांशों की घोषणा व भुगतान शीघ्र किया जाएगा। दोनों सम्मेलनों में लेखाओं के अद्यतन रख-रखाव तथा उनके मरे जाने की आवश्यकता का पुनरीक्षण भी किया गया। इन क्रियाकलापों पर समय-समय पर निगरानी रखी जाती है।

(ग) व्यावसायिक समापकों के पैनलों के उपबन्ध के संदर्भ में, पहले सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि यूनाइटेड किंगडम की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जायेगा और प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए व्यावसायिक समापकों के पैनलों को तैयार करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों को तैयार करने के वास्ते एक समिति गठित की जाएगी। एक अध्ययन दल ने अक्टूबर/नवम्बर, 1994 में दिवालियापन सम्बन्धी प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए यू०के० का भ्रमण किया। दूसरे सम्मेलन में इस विषय पर भी विचार किया गया लेकिन व्यावसायिक समापकों के पैनल सम्बन्धी प्रस्तावों को कम्पनी अधिनियम, 1956 में संशोधन किए जाने के बाद ही कार्यान्वित किया जा सकता है। इसी प्रकार पंजीकृत नीलाम कर्त्ताओं और अधिकर्ताओं के पैनल सम्बन्धी उपबन्धों को, जिन पर दूसरे सम्मेलन में विचार किया गया था, कम्पनी अधिनियम, 1956 में संशोधन किए जाने के बाद ही कार्यान्वित किया जा सकता है।

रेलवे आरक्षण कार्यालय

1501. **श्री अमर राय प्रधान**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में कूच बिहार रलवे स्टेशन पर कंप्यूटर बुकिंग/रेल आरक्षण कार्यलय खोलने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) कूच बिहार में रेलवे आरक्षण कार्यालय कब तक खोले जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां।

(ख) कूच बिहार नागरिक समिति के महासचिव ने कूच बिहार स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) 1995 के दौरान न्यू कूच बिहार स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं पहले ही उपलब्ध करा दी गई हैं। अतः कूच बिहार स्टेशन पर अतिरिक्त कम्प्यूटीकृत आरक्षण कार्यालय खोलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि आरक्षण संबंधी क्रियाकलापों का वर्तमान भार काफी कम है।

अलाभकर लाइनें

1502. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अलाभकर लाइनों की पहचान की है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन लाइनों को निजी हाथों में सौंपने का है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

क्रायोजेनिक इंजिनों की आपूर्ति

1503. **श्री हरीश नारायण प्रभु आंद्रये** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 नवम्बर 1995 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "एशियन्स क्राइम आफ क्रायोजेनिक डील" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मैसर्स ग्लेवकॉस्मास, रूस के साथ किए गए करार के अनुसार, प्रथम उड़ान उपयुक्त क्रायोजेनिक चरण (इंजन सहित) के 1996 की अंतिम तिमाही तक आपूर्ति किए जाने की आशा है। शेष छः क्रायोजेनिक चरणों की आपूर्ति इसके बाद प्रत्येक छः माह के अंतरालों से की जाएगी। करार के अनुसार रूस से कुल मिलाकर सात क्रायोजेनिक चरण प्राप्त किए जा रहे हैं।

न्यायाधीशों की रिक्तियां

1504. **श्री धर्म सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न उच्च न्यायालयों में अभी भी न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन रिक्तियों के कब तक भरे जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज): (क) से (ग) देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 1.12.1995 को न्यायाधीशों/अपर न्यायाधीशों के रिक्त पदों को दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। विद्यमान रिक्तियों को भरे जाने के लिए संबद्ध संवैधानिक प्राधिकारियों के बीच परामर्श की प्रक्रिया चल रही है। इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है, यह बताना संभव नहीं है।

विवरण

क्रं०सं०	उच्च न्यायालय	1-12-1995 को न्यायाधीशों/अपर न्यायाधीशों के रिक्त पद
1.	इलाहाबाद	4
2.	आंध्र प्रदेश	-
3.	मुंबई	17
4.	कलकत्ता	6
5.	दिल्ली	3
6.	गुवाहाटी	3
7.	गुजरात	3
8.	हिमाचल प्रदेश	1
9.	जम्मू-कश्मीर	3
10.	कर्नाटक	5
11.	केरल	7
12.	मध्य प्रदेश	7
13.	मद्रास	9
14.	उड़ीसा	7
15.	पटना	5
16.	पंजाब और हरियाणा	8
17.	राजस्थान	2
18.	सिक्किम	1
	योग	91

लोक अदालत

1505. **श्री राम कृपाल यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में अब तक कितनी लोक अदालतों का आयोजन किया गया है;

(ख) इन लोक अदालतों में कितने मामलों का निपटान किया गया है;

(ग) क्या लोक अदालतों के क्षेत्राधिकार में विस्तार करने का कोई प्रस्ताय है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

विधि,न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज): (क) और (ख) बिहार राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार 30.4.1995 तक 42 लोक अदालतें आयोजित की गई थीं, जिनमें 53,000 मामले निपटाए गए थे।

(ग) से (ङ) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 को 9 नवम्बर, 1995 में प्रवर्तन में लाया गया है। इस अधिनियम के अधीन लोक अदालत के प्रत्येक पंचाट को सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जाएगा और उसका विनिश्चय आबद्धकर तथा अपील न किए जा सकने योग्य होगा। लोक अदालत के समक्ष सभी कार्यवाहियां, भारतीय दंड संहिता की धारा 193, धारा 219 और धारा 228 के अर्थ में न्यायायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी। प्रत्येक लोक अदालत को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

आरक्षण कोटा

1506. **श्री अशोक आनंदराव देशमुख** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परभनी-जालना-औरंगाबाद-दिल्ली के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए इस क्षेत्र में परभनी में आरक्षण कोटा पर्याप्त नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन रेलगाड़ियों में परभनी (महाराष्ट्र) के आरक्षण कोटे में वृद्धि करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) परभनी और दिल्ली के बीच कोई सीधी गाड़ी नहीं है। दिल्ली की ओर यात्रा करने के इच्छुक परभनी के यात्री या तो सिकन्दराबाद से या मनमाड़ से गाड़ी पकड़ सकते हैं। परभनी के यात्रियों की सुविधा के लिए सिकंदराबाद के मुख्य यात्री आरक्षण प्रणाली टर्मिनल पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा की व्यवस्था की गई है और ये दिल्ली की ओर जाने वाली गाड़ियों सहित विभिन्न गाड़ियों में "पहले आओ पहले पाओ" आधार पर आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

दोषपूर्ण गर्भ निरोधक

1507. **श्री प्रमथेश मुखर्जी** :
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 नवम्बर, 1995 को "स्टेट्समैन" में "हैल्थ" मिनिस्ट्री डिस्ट्रिब्यूटिंग डिफैक्टिव कन्ट्रासेप्टिव" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उच्च न्यायालय के आदेशों को अवहेलना करके उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में दोषपूर्ण गर्भ निरोधक वितरित किए जा रहे हैं; और

(ग) इस चूक के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए०आर० अंतुले) : (क) जी, हां। लेकिन यह मंत्रालय कोई दोषपूर्ण गर्भ निरोधक वितरित नहीं कर रहा है।

(ख) उच्च न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा नहीं की जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान को सप्लाई किए गए गर्भ निरोधक बी०आई०एस० विनिर्देशों के अनुरूप हैं। दिनाक 6.11.1995 (सायं) को न्यायालय के आदेश प्राप्त होने के बाद इन राज्य सरकारों से उनके संवितरण को रोकने के लिए कहा गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

फोटो पहचान पत्र

1508. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फोटो पहचान-पत्रों को तैयार करने पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है और केंद्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी-कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) फोटो पहचान-पत्र तैयार करने का कार्य सभी राज्यों में संतोषजनक रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इससे क्या कारण हैं?

विधि न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर०भारद्वाज): (क) फोटो पहचान-पत्र तैयार किए जाने के संबंध में संघ सरकार द्वारा अब तक प्रदान की गई राज्यवार वित्तीय सहायता और अट्ठारह राज्यों द्वारा उपगत व्यय से युक्त एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। शेष राज्यों की बाबत जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) और (ग) यद्यपि फोटो पहचान पत्र जारी किए जाने का कार्य कुछ राज्यों में संतोषजनक रूप में चल रहा है, किन्तु मुख्यतः साधन की मजबूरी, व्यावहारिक और प्रशासनिक कठिनाइयां, आदि के कारण अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है।

विवरण

फोटो पहचान पत्रों के तैयार किए जाने के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा आंवटित रकम और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपगत व्यय दर्शित करने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	केन्द्रीय सरकार द्वारा आवंटित रकम (रुपयों में)	राज्य सरकार द्वारा उपगत (रुपयों में)
1.	आंध्र प्रदेश	17,71,37,000	55,18,00,000
2.	अरूणाचल प्रदेश	93,46,120	+
3.	असम	5,49,20,000	शून्य
4.	बिहार	22,76,00,000	41,41,69,278
5.	गोवा	31,93,000	61,52,188
6.	गुजरात	12,25,84,508	+
7.	हरियाणा	5,13,34,000	10,74,75,000
8.	हिमाचल प्रदेश	2,15,61,000	3,37,99,000

क्र० सं०	राज्य का नाम	केन्द्रीय सरकार द्वारा आवंटित रकम (रुपयों में)	राज्य सरकार द्वारा उपगत (रुपयों में)
9.	कर्नाटक	13,52,92,000	+
10.	केरल	7,50,00,000	शून्य
11.	मध्य प्रदेश	16,08,14,000	4,61,53,000
12.	महाराष्ट्र	20,49,59,884	81,30,72,000
13.	मणिपुर	1,40,72,244	4,74,91,941
14.	मेघालय	1,01,67,000	3,98,43,793
15.	मिजोरम	15,70,000	13,21,280
16.	नागालैंड	32,52,000	+
17.	उड़ीसा	8,44,78,244	30,91,47,000
18.	पंजाब	5,53,07,000	8,47,05,685
19.	राजस्थान	11,36,00,000	9,85,54,000
20.	सिक्किम	21,93,000	58,73,291
21.	तमिलनाडु	16,17,05,000	+
22.	त्रिपुरा	66,93,000	+
23.	उत्तर प्रदेश	36,84,00,000	25,60,00,000
24.	पश्चिम बंगाल	13,50,00,000	54,00,00,000

+ जानकारी एकत्रित की जा रही है

टिप्पणी : यह स्कीम जम्मू-कश्मीर राज्य में आरम्भ नहीं की गई है।

[अनुवाद]

मतदाता सूची

1509. **श्री गुरूदास कामत:**
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कितने व्यक्तियों के नाम मतदाता सूचियों से हटा दिये गये हैं;

(ख) क्या सरकार की जानकारी में अन्य राज्यों से भी ऐसे मामले आए हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या जिन मतदाताओं के नाम संशोधित सूची में है, वे अब जीवित नही हैं; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर०भारद्वाज): (क) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

जम्मू और कश्मीर में विस्फोट

1510. **श्री हरिन पाठक :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में जम्मू बम विस्फोट कांड में आर०डी०एक्स० का इस्तेमाल किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आर.डी.एक्स. पाकिस्तान से लाया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) से (ग) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार जम्मू में 26 जनवरी, 20 जुलाई और 26 जुलाई, 1995 को हुए तीन बम विस्फोटों में प्रयुक्त विस्फोटक पदार्थ में आर०डी०एक्स० होने के सुराग मिले थे। जांच-पड़ताल के दौरान यह सिद्व हो गया कि जम्मू के एम०ए०एम० स्टेडियम में 26 जनवरी को हुए विस्फोटों में प्रयुक्त विस्फोटक डिवाइस, पाकिस्तान से लाए गए थे।

(घ) आंतकवादियों तथा विध्वंसकारियों तत्वों की घुसपैठ रोकने और राज्य में उनके क्रियाकलापों पर नियंत्रण पाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें शामिल हैं– नियंत्रण रेखा/सीमा पर चौकसी और गश्त में वृद्धि करना, विभिन्न बलों तथा आपरेशनल एजेंसियों के बीच सतत आधार पर आधसूचना प्रबन्धों और समन्वय को मजबूत एवं सुव्यवस्थित बनाना, सुरक्षा अभियानों की नियमित समीक्षा और प्रबोधन तथा सीमा/नियंत्रण रेखा पर स्थित सुभेद्य क्षेत्रों में तथा अन्तः क्षेत्र में अपेक्षित सुरक्षा प्रबन्धों को मजबूत बनाना। जम्मू क्षेत्र में सीमा से लगे सुभेद्य क्षेत्रों में सीमा-बाड़ के निर्माण तथा फ्लड लाइट लगाने का भी निर्णय लिया गया है। सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से और अन्य राजनयिक माध्यमों के जरिए पाकिस्तान से लगातार तथा कड़ाई से कहा है कि वह सीमा-पार से आतंकवाद को प्रायोजित करने और तदर्थ देने से बाज आए। इन सभी प्रयासों को जोर-शोर से आगे बढ़ाया जाना भी जारी रखा जाएगा।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में जान-माल की क्षति

1511. **डा० मुमताज अंसारी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार जम्मू और कश्मीर में आंतकवाद द्वारा हुई जान-माल की क्षति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि में वर्ष-वार सरकार द्वारा मुआवजे के रूप में कितनी राशि प्रदान की गयी है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1993 से 1995 (अक्तूबर तक) की अवधि के दौरान आंतकवादी हिंसा में 3096 व्यक्तियों की जानें गई, 1859 सरकारी इमारतें, 391 शैक्षणिक संस्थान, 3336 प्राईवेट मकान, 94 पुल, 897 दुकानें नष्ट/क्षतिग्रस्त हुए।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

वित्तीय सहायता

1512. **श्री चित्त बसु :** क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से पूर्वी पाकिस्तान (बंग्लादेश) से आये शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर०के० थवन) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल में विस्थापितों की बस्तियों में अवस्थापना सुविधाएं देने की योजना 1976 से बनाई जा रही है। राज्य सरकार ने कार्यक्रम के पहले और दूसरे चरण में, 12.01 करोड़ रुपये के खर्च पर 59,132 भूखंडों में इन सुविधाओं के प्रावधान की सूचना दी थी। शेष 44025 भूखडों के विकास बाबत तीसरे चरण को भारत सरकार के प्रति भूखंड 17,777/- रुपये की अधिकतम संशोधित लागत से जनवरी, 1995 में 78 करोड़ रुपये की समग्र लागत पर है। यह राशि केन्द्रीय अनुदान के रूप में समुचित किश्तों में दी जाएगी। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, कार्यक्रम के I तथा II चरणों के लिए जारी केन्द्रीय अनुदान राशि से अधिक खर्च की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य सरकार को 2.33 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। कार्यक्रम III चरण के लिए चालू वित्त वर्ष में अब तक 8.71 करोड़ रुपये की केन्द्रीय अनुदान दिया जा चुका है।

समुद्री तूफान

1513. **कुमारी सुशीला तिरियाः** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में लोगों को हाल में ही में आये समुद्री तुफान के बारे में पहले से जानकारी नहीं दी गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, नहीं। भुवनेश्वर के चक्रवात चेतावनी केंद्र ने 7 नवम्बर 1995 की सुबह से ही उड़ीसा के बंदरगाहों एवं तटीय मछुआरों को चेतावनियां जारी करना आरंभ कर दी थी, जबकि चक्रवात ने वास्तव में 9 नवम्बर, 1995 को भारतीय समयानुसार करीब 11 बजे तट को पार किया। 8 नवम्बर, 1995 से कटक, बरहामपुर, बारिपदा तथा सम्बलपुर स्थित आकाशवाणी केन्द्रों से बार-बार प्रसारण करवाने के लिए चक्रवात चेतावनियां जारी की गईं। इसके अलावा, आकाशवाणी/दूरदर्शन, नई दिल्ली से राष्ट्रीय प्रसारण के लिए चक्रवात से संबंधित नवीनतम जानकारी बुलेटिनों के द्वारा जारी की गयी थी। भुवनेश्वर स्थित चक्रवात चेतावनी केन्द्र द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों को भी लगातार स्थिति से अवगत कराया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में विदेशी निवेश

1514. **श्री के०एम० मैथ्यू :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एनरॉन विवाद ने वर्तमान और भविष्य में भारत में होने वाले निवेश को प्रभावित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में प्रमुख एशियाई और यूरोपीय देशों विशेषकर अमरीका की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) सरकार द्वारा ऐसी आशकांओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में दोषरहित आन्तरिक तंत्र व्यवस्था तैयार करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) से (घ) भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में ऐसा कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा गया है। पिछले 3 वर्षों के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के ब्यौरे इस प्रकार हैं:—

वर्ष	वि०प्र०नि० के अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	वि०प्र०नि० की अनुमोदित राशि (रु० करोड़ में)
1993	785	8859.38
1994	1062*	14187.19
1995 सितम्बर तक	975**	11513.88

*5230.44 करोड़ रुपये की राशि के यूरो निर्गम के लिए दिए गए 22 अनुमोदनों सहित।

**709.88 करोड़ रुपये की राशि के यूरो निर्गम के लिए दिए गए 2 अनुमोदनों सहित।

(ङ) से (घ) सरकार ने विद्युत परियोजनाएं आमंत्रित करने, विचार विमर्श करने और सौंपने के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए हैं और इन्हें जनवरी, 1995 में राज्यों को भेजा गया है जिसमें संगत प्रक्रिया संबंधी विषयों का उल्लेख पर्याप्त रूप से किया गया है।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

1515. **श्री ब्रजभूषण शरण सिंह :**
श्री पंकज चौधरी :
श्री रामपाल सिंह :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में निवेश में वृद्धि करने के लिए योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तुलनात्मक आंकड़ों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनके द्वारा वर्ष 1994-95 की तुलना में वर्ष 1995-96 के दौरान किये गये निवेश में कितनी वृद्धि हुई है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) और (ख) सरकार ने अनिवासी निवेश बढ़ाने हेतु कई कदम उठाये हैं जिनमें शत-प्रतिशत अनिवासी इक्विटी के निवेश के अनुमति भी शामिल है। यह एक निरन्तर प्रक्रिया है तथा सरकार अनिवासी भारतीय निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सभी सम्भव कदम उठा रही है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित अनिवासी भारतीय निवेश निम्न प्रकार से हैं:–

वर्ष	(रु० लाख में)
1992	25,403.15
1993	96,977.60
1994	60,852.46

(घ) 1995 की अप्रैल से अक्तूबर की अवधि में अनिवासी भारतीय निवेश, 1994 की इसी अवधि के 41,977 लाख रुपये की तुलना में 1,48,963 लाख रुपये था, जो कि 254% की वृद्धि दिखाता है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य क्षेत्र

1516. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद कितने अनुपात में खर्च किया गया था;

(ख) क्या इसमें कोई कमी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए०आर० अंतुले) : (क) सूचना 1993-94 तक ही उपलब्ध है तथा इसीलिए उसे 1991-92 से 1993-94 तक संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 1991-92 से 1993-94 तक की अवधि में प्रदर्शित अनुपात में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	व्यय				प्रतिशत व्यय			
					सकल राष्ट्रीय उत्पाद		सकल घरेलू उत्पाद	
	सकल राष्ट्रीय उत्पाद	सकल घरेलू	स्वास्थ्य	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सेवा	स्वास्थ्य	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सेवा	स्वास्थ्य	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सेवा
1991-92	605984	616061	4888	5459	0.81	0.90	0.79	0.89
1992-93	691026	702829	5624	6009	0.81	0.87	0.80	0.85
1993-94	774552	786355	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी।

* परिवार कल्याण सेवाओं पर सरकारी व्यय में "स्वास्थ्य" शीर्ष के तहत व्यय शमिल नहीं है तथापि सरकार के दूसरे सामाजिक कल्याण व्ययों के साथ "सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सेवाओं" में इसे शामिल किया जाता है।

[हिन्दी]

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड

1517. **श्री रामपाल सिंह :**
श्री बलराज पासी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बी०एच०ई०एल०) ने अति खारे/समुद्री जल के शोधन के लिए उपकरण विकसित किया है ताकि इसे पीने योग्य बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई परीक्षण किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा०सी० सिल्वेरा): (क) से(घ) भेल वर्तमान में प्रतिकूल परासरणी प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा प्रति दिन मिलियन गैलन क्षमता तक के (अति खारे/समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए उसके शोधन हेतु) विलवणीकरण संयंत्र लगाने के लिए तमिलनाडु जल आपूर्ति और जल निकास बोर्ड हेतु एक संविदा कार्यान्वित कर रहा है।

विलवणीकरण उपकरण की अभिकल्पना और आपूर्ति भेल द्वारा प्रतिकूल परासरणी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व स्तर के लिए अग्रंणी के साथ सहयोग से की जा रही है।

[अनुवाद]

जम्मु कश्मीर को वित्तीय सहायता

1518. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय द्वारा क्षतिग्रस्त भवनों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए 1995-96 के दौरान जम्मू-कश्मीर को कुल कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) क्या सरकार शिक्षा सहायता के रूप में विशेष अनुदान देने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या कोई शिक्षा परियोजना योजना आयोग के पास इसकी स्वीकृति के लिए लम्बित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) से (घ) जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा बताई गई 49.84 करोड़ रुपये की कुल आवश्यकता की तुलना में 8.00 करोड़ रुपये 5.00 करोड़ रुपये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तथा जवाहर रोजगार योजना के अधीन 3.00 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा) की राशि का आवंटन केन्द्र सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के पुनर्निर्माण के लिए किया गया है। योजना आयोग द्वारा 49.00 करोड़ रुपये की लागत के पूरे प्रस्ताव का अनुमोदन हो जाने तक विशेष सहायता के रूप में शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 5.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जम्मू व कश्मीर में शैक्षिक विकास हेतु और सहयता प्रदान करने के प्रस्ताव की जांच कर रहा है।

[हिन्दी]

रेल लाइन

1519. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया:** क्या प्रधान मंत्री 28 मार्च, 1995 के अतारांकित प्रश्न सं. 2234 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में आगरा- फतेहाबाद-बाह से होकर उड़ी मोड़ के लिए एक रेल लाइन बिछाने से संबंधित सर्वेक्षण करा लिया गया है;

(ख) क्या सरकार को सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी): (क) इस समय फतेहाबाद-बाह-उडी के रास्ते आगरा से इटावा तक नई बड़ी लाइन के लिए टोह-इंजीनियरी-एवं यातायात सर्वेक्षण कार्य चल रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रिलायंस उद्योग समूह

1520. **श्री सुकदेव पासवान :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मैसर्स रिलायंस उद्योग समूह शेयर पूंजी जुटाने के उद्देश्य से अपनी वित्तीय और वाणिज्यिक स्थिति को बढ़ा-चढ़ा कर दिखा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी अनियमितताओं के कितने मामलों का पता चला और इस कम्पनी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) क्या सरकार शेयर बाजार में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं को कोई निर्देश जारी किए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अपशिष्ट ढेर

1521. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण :** क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शास्त्री इंडोकनाडियन इंस्टीट्यूट, कनाडा और कनाडियन इन्टरनेशल डेवलपमेंट ऐजन्सी (सी०आई०डी०ए०) ने सरकार का ध्यान कानपुर में गन्दगी/कचरे के भारी ढेर की ओर आकर्षित किया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा कानपुर को एक स्वच्छ शहर बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर०के० धवन) : (क) और (ख) कानपुर में गन्दगी/कचरे के भारी जमाव बाबत शास्त्री इण्डो-कनेडियन इंस्टीट्यूट कनाडा और कनेडियन इन्टरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी (सी०आई०डी०ए०) की किसी रिपोर्ट की इस मंत्रालय को जानकारी नहीं है।

चूंकि शहरी कचरे का निपटान राज्य का विषय है, अतः इस बाबत राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए उपायों की केन्द्र सरकार द्वारा मानीटरी नहीं की जाती है। फिर भी इस मामले के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान दिलाया गया है।

[हिन्दी]

शहरी विकास परियोजनाएं

1522. **श्री राम सिंह कस्वां:**
श्री विजय एन० पाटील :
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित शहरी विकास कार्यालय के अंतर्गत चालू वर्ष के लिए कितना परिव्यय उलब्ध होने का अनुमान है और तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों की अवधि के दौरान राज्य-वार कुल कितनी परियोजानाएं प्राप्त/स्वीकृत की गई और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने लागू की जा रही परियोजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखी है;

(घ) यदि हां, तो इनमें क्या कमियां पाई गई हैं तथा सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं; और

(ङ) विभिन्न राज्यों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में किन-किन स्थानों पर इन परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर०के० धवन) : (क) समेकित शहरी विकास कार्यक्रम नामक कोई केन्द्रीय स्कीम नहीं है। तथापि, छोटे व मझौले कस्बों के समेकित विकास आई०डी०एस० एम० टी०) की स्कीम के तहत वर्ष 1995-96 के दौरान केन्द्रीय अंश के अंश के रूप में राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के लिए 35 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इस बजट-राशि का राज्यवार नियतन संलग्न विवरण-I में हैं।

(ख) ब्यौर संलग्न विवरण II में हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) ज्ञात मुख्य कमियां इस प्रकार हैं:—

(एक) संस्थागत वित्त के अलावा, केन्द्रीय और राज्य हिस्से की राशि भी कर्ज के रूप में भी। फलतः प्रति लाभकारी परियोजनाएं ही शुरू की जा सकीं।

(दो) बड़ी संख्या में कस्बों को थोड़ा-थोड़ा धन दिया गया है। फलतः "समेकित विकास" नहीं हो पाया।

इन कमियों को ध्यान में रखकर, संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत, केन्द्रीय और राज्य अंश को अनुदान में बदल दिया गया है और संस्थागत वित्त घटक कस्बे की आबादी के अनुसार परियोजना लागत के 40-70 प्रतिशत से घटाकर 20-40 प्रतिशत कर दिया गया है। आर्थिक संवृद्धि और रोजगार के क्षेत्रीय केन्द्रों की क्षमता से भरपूर संभावना वाले केवल कुछ केन्द्रों को समग्र कस्बा आधार पर विकसित करने की नीति अपनायी गयी है।

(ङ) कस्बों के निर्धारण और परियोजनाओं की मंजूरी का हक नए दिशा-निर्देशों में राज्य को सौंपा गया है। राज्य सरकारों ने आई०डी०एस०एम०टी० प्रोजेक्ट की अवस्थिति बाबत् अपने निर्णय की सूचना अभी तक नहीं दी है।

विवरण-I

राज्य/संघ शसित क्षेत्र	आवटित धन (करोड़ रु०)
आंध्र प्रदेश	1.90
अरूणाचल प्रदेश	0.10
असम	0.25
बिहार	1.20
गोवा	0.15
गुजरात	1.15
हरियाणा	0.50
हिमाचल प्रदेश	0.15
जम्मू व कश्मीर	0.60
कर्नाटक	1.50
केरल	0.80
मध्य प्रदेश	1.75

राज्य/संघ शसित क्षेत्र	आवंटित धन (करोड़ रु०)
महाराष्ट्र	2.00
मणिपुर	0.10
मेघालय	0.10
मिजोरम	0.10
नागालैंड	0.10
उड़ीसा	0.70
पंजाब	0.45
राजस्थान	1.15
सिक्किम	0.10
तमिलनाडु	1.45
त्रिपुरा	0.10
उत्तर प्रदेश	3.10
पश्चिम बंगाल	1.10
अं० नि० दीप समूह	-
दमन एवं दीव	0.10
पांडिचेरी	0.10
दादर व नागर हवेली	0.10
लक्षद्वीप	0.10
योग	21.00
वर्ष 1995-96 के पहले अनुमोदित स्कीमों के लिए दूसरी और बाद की किस्तें/नई परियोजना रिपोर्ट बनाने हेतु अनुदान	14.00
सकल योग	35.00

विवरण- II

आठवीं योजना अवधि के पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त/सम्मिलित आई०डी०एस०एम०टी (अप्रैल 1992 से मार्च, 1995 तक)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य का नाम	प्राप्त परियोजना रिपोर्ट	सम्मिलित कस्बे
1.	आंध्र प्रदेश	33	24
2.	अरूणाचल प्रदेश	3	2
3.	असम	3	3
4.	बिहार	6	2
5.	गोवा	3	2
6.	गुजरात	10	10
7.	हरियाणा	-	-
8.	हिमाचल प्रदेश	-	-
9.	जम्मू व कश्मीर	3	3
10.	कर्नाटक	30	30
11.	केरल	9	6
12.	मध्य प्रदेश	19	17
13.	महाराष्ट्र	45	36
14.	मणिपुर	3	3
15.	मेघालय	2	-
16.	मिजोरम	2	2
17.	नागालैंड	3	-
18.	उड़ीसा	14	14
19.	पंजाब	7	4
20.	राजस्थान	16	12
21.	सिक्किम	2	1
22.	तमिलनाडु	30	29
23.	त्रिपुरा	2	1
24.	उत्तर प्रदेश	10	10
25.	पश्चिम बंगाल	20	20
	संघ शसित क्षेत्र		
1.	दमन एवं दीव	2	-
2.	पांडिचेरी	11	1
	योग	278	232

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद

1523. **श्री मोहन रावले:**
श्री दत्तात्रेय बंडारू:
श्री ललित उराव :
श्री गुरूदास कामत :
श्री डी० वेंकटेश्वर राव :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान जम्मू और कश्मीर में मुठ-भेड़ में पाकिस्तान में प्रशिक्षित कितने उग्रवादी/पाकिस्तानी घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए/मारे गये हैं;

(ख) क्या हाल ही में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में आंतकवादियों और शस्त्रों को भेजने की गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जनवरी, 1995 के दौरान जेल में कई उग्रवादियों को रिहा किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके पुनर्वास के लिए कितनी धनराशि दी गई है; और

(च) सरकार द्वारा पाकिस्तानी घसुपैठियों की गतिविधियों को प्रभावी तरीके से रोकने हेतु तथा कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1992 से 1995 तक की अवधि के दौरान 2232 पाकिस्तान प्रशिक्षित आंतकवादी मारे गए तथा 4532 ऐसे तत्व गिरफ्तार किए गए।

(ख) और (ग) यह सत्य है कि पाकिस्तान, जम्मू व कश्मीर में आंतकवादी हिंसा को सक्रिय रूप से भड़काना, उसको मदद देना तथा आंतकवादियों को अवप्रेरित करना जारी रखे हुए है तथा विदेशी नागरिकों और भाड़े के सैनिकों तथा शस्त्रों सहित प्रशिक्षित आंतकवादियों की राज्य में घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है ताकि राज्य में हिंसा ऊंचे स्तर पर बनी रहे।

(घ) और (ङ) जनवरी 1995 के दौरान सक्षम अधिकारियों के आदेशों पर 174 उग्रवादियों को रिहा किया गया। ऐसे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया।

(च) राज्य में आंतकवादियों और विघटनकारी तत्वों की घुसपैठ रोकने तथा उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों में नियंत्रण रेखा/सीमा पर बढ़ी हुई चौकसी और गश्त लगाना, आसूचना व्यवस्था को मजबूत और सुव्यवस्थित करना, तथा विभिन्न बलों और ओप्रेशनल एजेंसियों के बीच सतत आधार पर तालमेल, सुरक्षा अभियानों की नियमित संवीक्षा तथा प्रबोधन करना तथा सीमा/नियंत्रण रेखा पर और भीतरी प्रदेश मे सुभेद्य क्षेत्रों में अपेक्षित रूप में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना शामिल है।

आमान परिवर्तन

1524. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :**
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय:
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न रेलवे जोन में आमान परिवर्तन कार्य के संबंध में बिना निविदाएं आमंत्रित किए अवैध ठेके देने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या आमान परिवर्तन के इस कार्य की लागत में भारी वृद्धि हुई; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी): (क) और (ख) आमान परिवर्तन कार्यों के संबंध में प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों से संबंधित विधिक ठेके प्रदान करने से पूर्व कार्य निष्पादन के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पहले ही जांच शुरू की जा चुकी है।

(ग) और (घ) आमान परिवर्तन परियोजनाओं की लागत में वृद्धि लागतों में बढ़ोत्तरी होने और रेल उपयोगकर्त्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए मूलतः योजनाबद्ध सुविधाओं के बजाय बेहतर स्तर की सुविधाओं की व्यवस्था के कारण हुई हैं। मुहैया की गई बेहतर स्तर की कुछ सुविधाओं में बेहतर स्तर की सिगनल व्यवस्था, उच्च स्तर के प्लेटफार्म, बेहतर यात्री सुविधाएं शामिल हैं।

नौसेना वायु स्क्वाड्रन

1525. **श्री बी०एल० शर्मा 'प्रेम'** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौसेना वायु स्क्वाड्रनों में रखे गये विमान तथा हैलीकाप्टर (पी०टी०ए० सहित) कितने प्रकार के हैं;

(ख) प्रत्येक प्रकार के विमानों की प्राधिकृत उड़ान क्षमता कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक प्रकार के विमानों के मामले में वास्तव में प्राप्त की गयी उड़ान क्षमता की वर्षवार औसत प्रतिशतता कितनी है;

(घ) इसमें कमी के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इससे प्रशिक्षण तथा परिचालन संबंधी तत्परता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है; और

(च) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग—अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) नौसेना की वायु स्क्वाड्रनों में सी हैरियर, किरण 'आई एल-38/टी यू 142 एम, डोर्नियर, आइलैडर, सी किंग' कामोव और चेतक वायुयान हैं। पायलट रहित लक्ष्यवेधी वायुयान नौसेना की वायु स्कवाड्रनों में नहीं हैं।

(ख) वायुकर्मीदल/वायुयानों की उपलब्धता और सक्रियात्मक/प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर प्रत्येक किस्म के वायुयान के उड़ान प्रयासों में भिन्नता होती है। तदनुसार, उड़ान कार्यों की प्रति वर्ष घोषणा की जाती है।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान कामोव 28 को छोड़कर सभी किस्मों के वायुयानों के उड़ान प्रयासों की उपलब्धि संतोषजनक रही है। सुरक्षा संबंधी कारणों से यह प्रकट करना वांछनीय नहीं है कि उड़ान प्रयास में यथार्थतः कितने प्रतिशत सफलता मिली।

(घ) हिस्से-पुर्जों की अपर्याप्त आपूर्ति और खराब मौसम के कारण कमी हुई।

(ङ) संक्रियात्मक और प्रशिक्षण संबंधी तैयारी सामान्यतया संतोषजनक रही है।

(च) हिस्से-पुर्जों के अधिग्रहण के लिए रूस के मूल उपस्कर विनिर्माताओं के साथ संपर्क स्थापित कर लिया गया है।

माफिया का आतंक

1526. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री प्रणवेश मुखर्जी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 नवंबर, 1995 के "दि स्टेट्समैन" में "माफिया टाईरेनी रन्स शिपयार्ड अग्राउन्ड" शीर्षक में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग) में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) कलकत्ता में रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जी आर एस ई) के उप ठेकेदारों से कुछ गैर-कानूनी तत्वों द्वारा धन वसूलने की गतिविधियों के कारण आ रही परेशानियों के बारे में सरकार ने समाचार-पत्र में छपा समाचार देखा है।

(ख) और (ग) यह मामला राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है। यह बताया गया है कि स्थानीय पुलिस ने गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की वर्कशापों के आस-पास चौकसी बढ़ा दी है और इस संबंध में कुछ आसूचनाएं प्राप्त करके हाल ही में कुछ व्यक्तियों को पकड़ा है। आसपास के इलाकों में पुलिस दस्ते तैनात कर दिए गए हैं।

बिस्तरबंदों की आपूर्ति

1527. **श्री तेजनारायण सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलगाड़ियों में ए०सी० श्रेणी के यात्रियों को बिस्तर बंद की आपूर्ति हेतु लाइसेंसे देने, नवीकरण और लाइसेंस शुल्क हेतु कोई नीति और मानदंड निर्धारित किया है;

(ख) क्या बेरोजगार स्नातकों को बिस्तरबंद का ठेका देने में प्राथमिकता दी जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी): (क) बिस्तरबंदों की सप्लाई सामान्यतः विभागीय सेवा के एक भाग के रूप में की जाती है इस सुविधा का निजीकरण हाल ही में आरंभ किया गया है। क्षेत्रीय रेलों को रसोई यान परिचालकों अथवा निजी ठेकेदारों के जरिए स्थानीय कारकों को ध्यान में रखते हुए परस्पर तय की गई शर्तों के आधार पर, जिसके लिए सामान्य दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, बिस्तरबंदों की व्यवस्था करने के अधिकार दिए गए हैं।

(ख) और (ग) बेरोजगार स्नातकों से प्राप्त आवेदनों पर अन्य आवेदनों के साथ गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

लुमडिंग से हावड़ा तक रेलगाड़ी

1528. **श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा, मिजोरम और असम की बराक घाटी से हावड़ा की यात्रा करने वाले यात्रियों को दो बार गाड़ी बदलनी पड़ती है;

(ख) क्या सरकार का विचार लुमडिंग से हावड़ा के लिए सीधी रेलगाड़ी शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या कंचनजंघा एक्सप्रेस को लुमडिंग से हटाकर गुवाहाटी से शुरू किया जा रहा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी): (क) जी हां।

(ख) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) परिचालनिक कठिनाइयां तथा संसाधनों की तंगी।

(ङ) जी हां।

दवाइयों की कमी

1529. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के प्राधिकारी बहिरंग रोगी विभाग में दवाइयों की कमी पर ध्यान न देकर धनराशि का दुरुपयोग अस्पताल की मरम्मत तथा आधुनिकीकरण के लिए कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रोगियों की दशा तथा उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी लेने हेतु अस्पताल में आकस्मिक निरीक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का प्राधिकारियों के विरुद्ध इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए०आर० अंतुले): (क) बहिरंग रोगी विभाग में दवाओं की कमी और निधियों का दुरुपयोग सूचित नहीं किया गया है।

रोगी परिचर्या सेवाओं में सुधार लाने के लिए आपरेशन थियेटरों, स्वास्थ्य लाभ कक्षों (आई०सी०यू०) प्रयोगशाला, एमरजैंसी, नवजात नर्सरी तथा उपचर्या कक्ष का नवीकरण/आधुनिकीकरण किया गया है।

(ख) से (घ) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय अस्पताल में परिचर्या सेवाओं का आवधिक अनुवीक्षण करता है और समग्र संसाधनों की उपलब्धता के भीतर सुविधाओं का स्तर बढ़ाने के लिए कदम उठाता है।

शिशु मृत्यु

1530. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "यूनिसेफ" द्वारा शिशु मृत्यु के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए०आर० अंतुले): (क) और (ख) "यूनिसेफ" ने "दि प्रोग्रेस ऑफ इंडियन स्टेट्स 1995" नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें शिशु मृत्यु दर संबंधी आंकड़े, नमूना पंजीयन पद्धति भारत के महापंजीयक से उद्धृत किए गए हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर में कमी हुई है।

[हिन्दी]

परिवार नियोजन

1531. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :**
श्री राम पूजन पटेल :
डा० अमृतलाल कालिदास पटेल:

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान परिवार नियोजन हेतु पुरुषों तथा महिलाओं के निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उपलब्धियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस मद में किए गए आवंटनों और व्यय का प्रत्येक वर्ष में राज्यवार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए०आर० अंतुले): (क) और (ख): सूचना संलग्न विवरण I में दी गई है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण II में दी गई है।

विवरण-I

1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान परिवार नियोजन तरीकों के लक्ष्य और उपलब्धियां

प०नि० तरीके	1992-93		1993-94		1994-95	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	*उपलब्धियां	लक्ष्य	*उपलब्धियां
बंध्यीकरण	5275640	4286306	5183100	4495653	5326380	4505952
आई.यू.डी.निवेशन	6384450	4739858	7330200	6012917	7868850	6583952
इक्वेलेट सी.सी.प्रयोगकर्त्ता	16471571	15004452	19345000	17279405	21777350	17474135
मुखसेव्य गोली के प्रयोगकर्त्ता	4581180	3001318	5004000	4298947	5467905	4826427

*अनन्तिम

विवरण- II

1992-93 से 1994-95 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार जारी की गई सहायता अनुदान राशि (नकद तथा सामग्री के रूप में)

(रु० लाखों में)

राज्य	1992-93			1993-94			1994-95		
	नकद	सामग्री	कुल	नकद	सामग्री	कुल	नकद	सामग्री	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	6443.05	924.28	7367.33	9002.44	1683.62	10686.06	8761.02	2301.35	11062.37
असम	2009.74	346.53	2356.27	2031.69	454.05	2485.74	2258.44	1229.94	3488.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बिहार	5529.36	674.63	6203.99	8393.38	1405.70	9799.08	8360.75	2589.23	10949.98
गुजरात	5337.51	849.25	6186.76	8362.13	1490.93	9853.06	5963.51	1562.28	7525.79
हरियाणा	1762.96	431.91	2194.87	2995.18	656.50	3651.68	1609.62	931.41	2541.03
हिमाचल प्रदेश	1032.63	139.49	1172.12	2026.48	204.28	2230.76	1858.43	316.31	2174.74
जम्मू व कश्मीर	959.13	56.61	1015.74	2085.36	188.74	2274.10	2789.13	238.06	3027.19
कर्नाटक	3083.39	561.72	3645.11	4681.93	1086.49	5768.42	7915.49	1392.31	9307.80
केरल	3629.10	403.02	4032.12	4524.32	544.10	5068.42	5692.35	824.69	6517.04
मध्य प्रदेश	5844.07	1580.97	7425.04	7360.31	2419.58	9779.89	6178.79	4206.37	10385.16
महाराष्ट्र	8261.10	1131.13	9392.23	9680.31	1985.21	11665.52	7240.26	2754.01	9994.27
मणिपुर	441.22	28.17	469.39	562.86	59.59	622.45	487.90	70.06	557.96
मेघालय	242.57	22.43	265.00	266.39	29.15	295.54	286.28	57.49	343.77
नागालैंड	263.34	13.36	276.70	448.88	14.87	463.75	377.04	23.63	400.67
उड़ीसा	3226.72	485.02	3711.74	3637.17	856.00	4493.17	4623.45	1688.95	6312.40
पंजाब	1885.94	526.52	2412.46	2826.97	781.50	3608.47	2287.20	1473.73	3760.93
राजस्थान	5014.50	905.00	5919.50	6365.72	1331.57	7697.29	8444.14	2547.76	10991.90
सिक्किम	127.77	7.84	135.61	241.43	9.86	251.29	206.90	15.15	222.05
तमिलनाडु	5090.47	697.60	5788.07	6636.79	1254.91	7891.70	8123.54	1604.60	9728.14
त्रिपुरा	274.51	21.69	296.20	770.66	55.32	825.98	693.77	78.59	772.36
उत्तर प्रदेश	16289.41	2578.51	18867.92	20515.53	3808.84	24324.37	16562.29	7221.23	23783.52
पश्चिम बंगाल	4455.11	819.84	5274.95	5755.80	1048.01	6803.91	4910.10	1537.41	6447.51
अरूणाचल प्रदेश	26.63	28.02	54.65	46.18	18.38	64.56	133.29	45.64	178.93
गोवा	118.36	9.26	127.62	122.84	13.77	136.61	104.65	62.02	165.67
मिजोरम	143.03	14.83	157.86	168.20	14.72	182.92	166.60	27.48	194.08

1992-93 से 1994-95 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम पर राज्यवार किया गया व्यय (नकद और सामग्री के रूप में)

(रुपये लाखों में)

राज्य	1992-93			1993-94			1994-95		
	नकद	सामग्री	कुल	नकद	सामग्री	कुल	नकद	सामग्री	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	7316.54	924.28	8240.82	9139.67	1683.62	10823.37	10210.95	2301.35	12512.30
असम	1754.64	346.53	2101.17	2299.50	454.05	2753.55	2583.79	1229.96	3813.75
बिहार	6914.11	674.63	7588.74	7435.86	1405.70	8841.56	7656.86	2589.23	10246.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
गुजरात	4942.94	849.25	5792.19	6057.38	1490.93	7548.31	6945.01	1562.28	8507.29
हरियाणा	2322.01	431.91	2753.92	2800.81	656.50	3457.31	2771.56	931.49	3703.05
हिमाचल प्रदेश	1364.48	139.49	1503.97	2188.34	204.28	2392.62	1575.70	316.31	1892.01
जम्मू व कश्मीर	1222.58	56.61	1279.19	1295.31	188.74	1484.05	1052.90	238.06	1290.96
कर्नाटक	4158.06	561.72	4719.78	4515.54	1086.49	5602.03	4639.39	1392.31	6031.70
केरल	3100.44	403.02	3503.46	3815.43	544.10	4359.53	4576.72	824.69	5401.41
मध्य प्रदेश	6325.25	1580.97	7906.22	8155.46	2419.58	10575.04	7499.22	4206.37	11705.59
मणिपुर	478.49	28.17	506.66	347.96	59.59	407.55	383.07	70.06	453.13
महाराष्ट्र	8367.25	1131.13	9498.38	9510.43	1985.21	11495.64	10754.11	2754.01	13508.12
मेघालय	234.41	22.43	256.84	275.38	29.15	304.53	276.47	57.49	333.96
नागालैंड	229.21	13.36	242.57	256.58	14.87	271.45	259.92	23.63	283.55
उड़ीसा	3486.35	485.02	3971.37	2465.07	856.00	3321.07	6478.01	1688.95	8166.96
पंजाब	3247.65	526.52	3774.17	3553.01	781.50	4334.51	3591.32	1473.73	5065.05
राजस्थान	5002.37	905.00	5907.37	5439.35	1331.57	6770.92	5253.67	2547.76	7801.43
सिक्किम	190.37	7.84	198.21	266.25	9.86	276.11	250.61	15.15	265.76
तमिलनाडु	7221.54	697.60	7221.54	4790.10	1254.91	6045.01	5825.19	1604.60	7429.79
त्रिपुरा	556.94	21.69	578.63	340.21	55.32	395.53	732.38	78.59	810.97
उत्तर प्रदेश	14526.10	2578.51	17104.61	19945.65	3808.84	23754.49	26344.75	7221.23	33565.98
पश्चिम बंगाल	5841.06	819.84	6660.90	6317.42	1048.01	7365.43	5586.72	1537.41	7124.13
अरूणाचल प्रदेश	58.09	28.02	86.11	67.90	18.38	86.28	95.21	45.64	140.85
गोवा	94.77	9.26	104.03	100.06	13.77	113.83	100.06	62.02	162.08
मिजोरम	159.91	14.83	174.74	167.35	14.72	182.07	190.30	27.48	217.78

[अनुवाद]

प्रसूति केन्द्र

1532. **डा० साक्षी जी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय, देश में, राज्यवार कितने प्रसूति केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं;

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान ऐसे कितने केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या परिवार कल्याण केन्द्रों के लिए कोई विदेशी सहायता प्रदान की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए०आर० अन्तुले): (क) प्र परिचर्या 131900 उप-केन्द्रों, 21693 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 2: सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ-साथ अस्पतालों के माध्यम से उपलब्ध क जाती है। प्रसूति केन्द्र के नाम से अलग से केन्द्र नहीं है।

(ख) से (घ) विश्व बैंक सहायता प्राप्त सामाजिक सुरक्षा नेट योजन अंतर्गत जनाकिकीय दृष्टि से पिछड़े 90 जिलों के पांच-पांच स्वास्थ्य केन्द्रों सुदृढ़ीकरण के लिए वर्ष 1992-93 और 1993-94 के लिए 40.00 करोड़ र की सहायता प्राप्त हुई थी।

वजीर-ए-आजम पदनाम

1533. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जम्मू-कश्मीर राज्य में मुख्य मंत्री के लिए वजीरे-ए-आजम" और राज्यपाल के लिए सदर-ए-रिसायत पदनामों के प्रयोग की अनुमति का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का प्रस्ताव अन्य राज्यों में भी इन पदों के नामों ऐसे परिवर्तनों की अनुमति देने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष भाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चौबेदी): (क) और (ख) प्रधान मंत्री ने जम्मू और कश्मीर पर 4 नवम्बर, को दिए अपने वक्तव्य में कहा कि 1975 में हुए समझौते के समय भारत सरकार इस बात पर राजी हुई थी कि यदि राज्य विधान मंडल "वजीर-ए-आजम " के पदनाम का प्रावधान करने के लिए राज्य संविधान में संशोधन करती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रधान मंत्री ने आगे कहा कि यही बात "सदर-ए-रियासत" के पदनाम के बारे में भी है: राज्य विधान मडंल राज्य के संविधान में संशोधन करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ कर सकती है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

गेज परिवर्तन

1534. **श्री खाईता उम्ब्रे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऊपरी आसाम में मीटर गेज से बड़े गेज में रूपान्तरण कार्य की धीमी प्रगति कोष के अल्प आवंटन के कारण हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो कोष के आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(घ) कार्य के पूरे होने का संभावित समय क्या है और प्रस्ताव में परिकल्पित परियोजना क्या हैं;

(ङ) क्या मीटर गेज लाइन को तिनसुकिया से आगे सेखोआघाट और लीडो तक रूपान्तरित करने को कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाड़ी): (क) जी नहीं, कार्य क्षमिकता के आधार पर किया जा सकता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1995-96 में इन कार्यों के लिए 110 करोड़ रु. की व्यवस्था की गई है।

(घ) दीमापुर और डिब्रूगढ़ के बीच का कार्य 31.03.97 तथा मोरनहाट, मरियानी फरकटिंग लूप, और तिनसुकिया-लेखापानी से संबद्ध शाखाओं का कार्य 97-98 तक पूरा हो जाएगा।

(ङ) तिनसुकिया लीडो लेखपानी लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य स्वीकृत आमान परिवर्तन परियोजना में शामिल है।

(च) यह कार्य 1997-98 में पूरा किया जाएगा।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चिकित्सीय उपचार

1535. **श्री मोहन सिंह (देवरिया)**: क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई केन्द्रीय मंत्रियों तथा भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्रियों ने दिल के रोग गुर्दा प्रत्यारोपण इत्यादि के उपचार के लिए अमरीका तथा ब्रिटेन की यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष की अवधि के दौरान अमरीका तथा ब्रिटेन में उपचार पाने वाले मंत्रियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान भूतपूर्व मंत्रियों तथा वर्तमान मंत्रियों पर प्रत्येक के संबंध में कितना धनराशि खर्च की गयी; और

(घ) क्या सरकार का विचार भविष्य में इन मंत्रियों द्वारा विदेश में चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिए निरन्तर की जाने वाली यात्राओं को बढ़ावा नहीं देने हेतु देश मे चिकित्सा सुविधाओं में सुधार लाने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए०आर० अंतुले) : (क) जी, हां। लेकिन गुर्दा रोपण के लिए नहीं।

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका और यू० के० में उपचार किए गए मंत्रियों का ब्यौरा इस प्रकार है:–

1. श्री तरूण गोगाई, खाद्य राज्य मंत्री	1993 और 1994
2. श्री सीताराम केसरी, कल्याण मंत्री	1994
3. श्रीमती शीला कौल, शहरी विकास मंत्री	1994
4. श्री अजीत कुमार पांजा, कोयला राज्य मंत्री	1994 और 1995
5. श्री अर्जुन सिंह, मानव संसाधन विकास मंत्री	1994
6. श्री सी०के० जाफर शरीफ, रेल मंत्री	1995
7. श्री सुखराम, संचार मंत्री	1995

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) चिकित्सीय सुविधाओं में सुधार और उनका उन्नयन करना एक सतत प्रक्रिया है।

सरकारी आवास

1536. **श्री नवल किशोर राय:**
श्री वृशिण पटेल :

क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी आवास के लिए भारी संख्या में सरकारी कर्मचारियों ने आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने 1992-93 1993-94 और 1994-95 के दौरान सरकारी आवास के लिए आवेदन किया है;

(ग) क्या इन वर्षों में किसी कर्मचारी को सरकारी आवास आवंटित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने आवास आवंटित किए गए हैं; और

(ङ) 1994-95 तक पंजीकृत सभी कर्मचारियों को आवास कब तक दिया जायेगा ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर० के० धवन) : (क) जी, हां।

(ख) मांग की तुलना में कम मकान सुलभ होने से, दो वर्ष की ब्लॉक अवधि हेतु सीमित आधार पर आवेदन मांगे जाते हैं। ब्लॉक अवधि 1.1.92 से 31.12.93 और 1.1.94 से 31.12.95 के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या इस प्रकार है:–

1.1.92 से 31.12.93	1.1.94 से 31.12.95
35,281	34,382

(ग) और (घ) प्रत्येक वर्ष में आवंटित आवासों की संख्या इस प्रकार है:-

1992	–	6818
1993	–	5392
1994	–	5956
1995 (30.11.95 तक)	–	5177

(ङ) चूंकि आवंटन खाली क्वार्टर सुलभ होने पर निर्भर करता है, जो एक सतत प्रक्रिया है; इसलिए सभी पंजीकृत कमचारियों को वास देने हेतु कोई-समय-सीमा तय नहीं की जा सकती है। फिर भी, अतिरिक्त साधारण पूल वासों का निर्माण पहले ही शुरू कर दिया गया है और नेहरू नगर में 132 टाइप III क्वार्टर तथा एम०बी०रोड में 112 टाइप IV क्वार्टर मार्च, 96 तक आवंटन हेतु सुलभ हो जाने की आशा है। आर०के०पुरम के सेक्टर 10 में 412 (200 टाईप-V , 152 टाइप-IV व 60 टाइप III) क्वार्टरों तथा 106 हॉस्टल सूटों का निर्माण कार्य भी शीघ्र आरम्भ होने की संभावना है। इसके अलावा विभिन्न इलाकों में 5000 अतिरिक्त क्वार्टर बनाने की मजूंरी भी दे दी गई है। साथ ही, एंड्रयूज गंज काम्पलेक्स में 84 फ्लैटों (60 सी II टाईप फ्लैट और टाइप IV जैसे 24 ट्रांजिट फ्लैट) का निर्माण पूरा हो चुका है और वे इस वर्ष के अन्त तक आवंटन हेतु सुभल हो जाऐंगे।

[अनुवाद]

नई रेल लाइनें

1537. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई रेल लाइनों के निर्माण हेतु सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ख) इस वर्ष के दौरान किन-किन राज्यों में सरकार ने नई रेल लाइनों के निर्माण संबंधी कार्य शुरू किए हैं;

(ग) इस परियोजना हेतु आवंटित धनराशि क्या है;

(घ) क्या इस वर्ष के दौरान अथवा चालू योजना के अंत तक हरियाणा में किसी नई रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाड़ी): (क) नई लाइन परियोजनाओं को निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार शुरू किया जाता है:-

1. नए उद्योगों अथवा खनिज अथवा अन्य सम्पदाओं वाले क्षेत्रों को सेवित करने के लिए परियोजना उन्मुख लाइनें।
2. अप्राप्त संपर्क के रूप में सेवित करने के लिए, जो मौजूदा व्यस्त रेल मार्गों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए वैकल्पिक मार्ग बन सकते हैं।
3. सामरिक महत्व के आधार पर।
4. नए विकास केन्द्र स्थापित करने अथवा दूरस्थ क्षेत्रों में आवागमन के लिए विकासात्मक लाइनों के रूप में।

(ख) इस वित्त वर्ष में महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश राज्यों में नई लाइनें बिछाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, आन्ध्र प्रदेश में उखाड़ी गई लाइन पुनः बिछाने की संभावना है।

(ग) 1995-96 के दौरान 4.1 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

परमाणु विद्युत परियोजनाएं

1538. **श्री हरिसिंह चावड़ा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से अपने राज्यों में परमाणु विद्युत परियोजनाएं लगाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इन संयत्रों की स्थापना पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) और (ख) जी, हां। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार की राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए अनुरोध किए हैं।

(ग) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा गठित स्थल चयन समिति ने विभिन्न राज्यों में सभावित स्थलों की जांच की है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता। कोई नया परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के बारे में इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

कम्पनियों का पंजीकरण

1539. **श्री दिलीप भाई संघाणी :**
श्री रतिलाल वर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार-कितनी कम्पनियों का पंजीकरण किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी कम्पनियों का पंजीकरण रद्द किया गया/कितनी कम्पनियों का परिसमापन किया गया;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य में अभी भी पंजीकरण के लिए अनेक आवेदन लम्बित हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन आवेदनों को कब तक निपटा दिए जाने की सम्भावना है?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज): (क) वर्ष 1992-93, 1993-94 व 1994-95 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शेयरों द्वारा सीमित पंजीकृत कम्पनियों की संख्या सलग्न विवरण- I में दी गई है।

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उन कम्पनियों की संख्या (समाप्त और बन्द की गई दोनों प्रकार की कम्पनियां) जिन्होंने वर्ष 1992-93, 1993-94 व 1994-95 में काम करना बंद कर दिया संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण-I

वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान विभिन्न राज्यों में पंजीकृत शेयरों द्वारा सीमित कम्पनियों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93	1993-94	1994-95
1.	आंध्र प्रदेश	1482	1730	2574
2.	असम	176	177	253
3.	बिहार	426	540	593
4.	गुजरात	1798	2464	3532
5.	हरियाणा	338	293	356
6.	हिमाचल प्रदेश	84	79	108
7.	जम्मू व कश्मीर	50	36	47
8.	कर्नाटक	1118	1272	2056
9.	केरल	597	732	1048
10.	मध्य प्रदेश	518	616	1028
11.	महाराष्ट्र	5186	5997	9563
12.	मणिपुर	5	12	7
13.	मेघालय	4	10	19
14.	नागालैंड	9	7	7
15.	उड़ीसा	262	263	373
16.	पंजाब	616	826	1168
17.	राजस्थान	672	893	1540
18.	तमिलनाडु	2767	3087	4547
19.	त्रिपुरा	3	0	3
20.	उत्तर प्रदेश	993	1016	1508
21.	पश्चिम बंगाल	3340	4365	7918
22.	अं० और नि० द्वीप समूह	0	0	0

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93	1993-94	1994-95
23.	अरूणाचल प्रदेश	10	13	15
24.	चण्डीगढ	326	282	483
25.	दा० और नगर हवेली	5	1	20
26.	दिल्ली	4565	5293	8791
27.	गोवा	107	206	241
28.	दमन और द्वीव	9	6	17
29.	मिजोरम	2	0	0
30.	पांडिचेरी	73	75	113
	कुल योग	25511	30291	47928

विवरण- II

वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जिन कम्पनियों में कार्य करना बंद कर दिया है। (समाप्त और बंद हुई दोनों प्रकार की कम्पनियां) उनकी संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93 कुल	1993-94 कुल	1994-95 कुल
1.	आंध्र प्रदेश	16	7	6
2.	असम	0	1	5
3.	बिहार	5	4	4
4.	गुजरात	0	0	0
5.	हरियाणा	0	1	0
6.	हिमाचल प्रदेश	0	1	2
7.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0
8.	कर्नाटक	13	33	69
9.	केरल	16	48	30
10.	मध्य प्रदेश	0	0	0
11.	महाराष्ट्र	3	5	13
12.	मणिपुर	0	0	0
13.	मेघालय	0	3	1
14.	नागालैंड	0	0	1
15.	उड़ीसा	0	11	10
16.	पंजाब	0	0	10
17.	राजस्थान	0	0	0
18.	तमिलनाडु	4	0	0
19.	त्रिपुरा	0	0	0
20.	उत्तर प्रदेश	2	0	0
21.	पश्चिम बंगाल	43	96	34
22.	अं० और नि० द्वीप समूह	0	0	0
23.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	1
24.	चण्डीगढ	0	0	3
25.	दा० और नगर हवेली	0	0	0
26.	दिल्ली	8	1	12
27.	गोवा	22	21	4
28.	दमन और द्वीव	0	0	0
29.	मिजोरम	0	0	0
30.	पांडिचेरी	5	29	16
	कुल योग	137	263	221

[हिन्दी]

दोहरी रेल लाईन

1540. **श्री महेश कनोडिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जनजातीय बहुलता वाले क्षेत्र के विकास के लिए सूरत और जलगांव के मध्य इकहरी रेल लाइन को दोहरी रेल लाइन में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इकहरी लाइन वाले खण्डों का दोहरीकरण उनकी ढुलाई क्षमता संतृप्त हो जाने पर किया जाता है और ऐसा करते समय माल यातायात की अधिकता वाले खण्डों को प्राथमिकता दी जाती है, उधना-जलगांव खण्ड पर 13.84 करोड़ रु० की लागत से लाइन क्षमता संबंधी निर्माण कार्य पहले ही प्रगति पर है और इनके पूरा हो जाने पर इस खण्ड पर राहत मिलेगी. यातायात की आवश्यकता के आधार पर इस खण्ड के दोहरीकरण की योजना बनाई जाएगी बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

विशाखापत्तनम से दिल्ली के लिए रेलगाड़ी

1541. **श्री जीवन शर्मा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशाखापत्तनम से दिल्ली और दिल्ली से विशाखापत्तनम के लिए एक भी नियमित एवं फास्ट रेलगाड़ी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस मार्ग की अनदेखी करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव उपरोक्त मार्ग पर कोई फास्ट गाड़ी चलाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाड़ी): (क) निज़ामुद्दीन तथा विशाखापत्तनम के बीच रायपुर के रास्ते सप्ताह में तीन दिन चलने वाली एक्सप्रेस गाड़ी सेवा उपलब्ध है। इसके अलावा, इन दोनों गंतव्यों के बीच विजयवाड़ा के रास्ते दक्षिण लिंक एक्सप्रेस सेवा भी उपलब्ध है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस मार्ग पर मौजूदा सेवाएं यातायात की वर्तमान मात्रा को सम्हालने के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं।

दोहरी लाइन

1542. **श्री एस०एम० साहजान बाशा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की आंध्र प्रदेश में गुटुंर और विजयवाड़ा के बीच यातायात के सुगम आवागमन हेतु दोहरी लाइन बिछाने की कोई योजना है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी): ? (क) और (ख) विजयवाड़ा गुंटूर खंड 32 कि०मी० लम्बा मार्ग है जिसमें से विजयवाड़ा से कृष्णा नदी (5.05 कि०मी०) के उप खंड पर स्वचल जुडवां इकहरी लाइन कार्य प्रणाली के माध्यम से पहले ही दोहरी लाइन की व्यवस्था है।

कृष्णा नदी से गुंटूर तक का शेष उप खंड इकहरी लाइन का विद्युतीकरण खंड है। इस खंड पर इस समय उपलब्ध क्षमता इस मार्ग पर ढोए जा रहे यातायात की मांग पूरा करने के लिए पर्याप्त है, अतः इसके दोहरीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। यातायात की दृष्टि से आवश्यक होने पर इस खंड का दोहरीकरण किया जाएगा।

[हिन्दी]

भूमि का अधिग्रहण

1543. **श्री रामनिहोर राय:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिग्रहीत उपजाऊ भूमि, जो बिना जुताई के पड़ी है और जिसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है जिसके लिए यह अधिग्रहीत की गई थी, का कुल कितना क्षेत्र है;

(ख) क्या फालतू बची भूमि को किसानों में वितरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग-अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री .मल्लिकार्जुन): (क) से (ग) रक्षा मंत्रालय के पास 21.50 लाख एकड़ भूमि है जिसे विभिन्न प्रयोजनों अर्थात् सैनिकों के आवास, प्रशिक्षण संस्थान, फील्ड फायरिंग रेंज, परीक्षण रेंज, कैंप ग्राउंड आदि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेंजों और प्रशिक्षण से संबंधित अन्य जरूरतों के लिए कुछ भूमि खाली रखना अपेक्षित है। तत्काल रक्षा संबंधी इस्तेमाल के लिए निर्धारित न की गई खाली भूमि खेतीबाड़ी करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को अस्थाई पट्टे पर दी जाती है। किसानों को दिए जाने के लिए कोई अतिरिक्त भूमि नहीं है।

रेलवे रैक की कमी

1544. **श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे-रैक के उपलब्ध नहीं होने के कारण बिहार में उर्वरकों और बीजों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम स्वास्थ्य गाइड

1545. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अगस्त, 1995 की स्थिति के अनुसार देश में राज्यवार कार्यरत कितने ग्राम स्वास्थ्य गाइड हैं;

(ख) उनके कार्य तथा पारिश्रमिक का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पारिश्रमिक को बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को जनसंख्या नियंत्रण योजना के लिए तैनात करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए०आर० अंतुले): (क) 30.6.95 की स्थिति के अनुसार देश में ग्राम स्वास्थ्य गाइडों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) ग्राम स्वास्थ्य गाइड समाज और सरकारी स्वास्थ्य प्राधिकरणों के बीच कड़ी का काम करता है। ग्राम स्वास्थ्य गाइड का प्रतिमाह 50/- रुपये मानदेय दिया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को परिवार कल्याण उपायों और जन संख्या नियत्रण में सरकारी प्राधिकारियों की सहायता करनी होती है।

विवरण

ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र०सं०	राज्य/सं.रा.क्षे.	प्रा० स्वा० के० 1.4.80 तक कार्यरत एच जी स्कीम में कवर किए जाने वाले	प्रा.स्वा.के कवर	प्रशिक्षित ग्रा.स्वा.गा.की कुल संख्या			सूचित कार्यरत ग्रा.स्वा. गा. की कुल संख्या			कब तक की सूचना है
				पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	420	420	33122	2502	35624	28698	5636	34334	31.3.87
2.	अरूणाचल प्रदेश &									
3.	असम	146	146	8171	11936	20107	निल	11001	11001	31.12.91
4.	बिहार	587	100	आईएनआर	आइएनआर	11180*	आइएनआर	आइएनआर	10431*	31.3.85
5.	गोवा £	15	15	426	458	884	निल	निल	निल	30.9.94
6.	गुजरात	251	251	21267	6993	28260	निल	3004	3004	31.12.94
7.	हरियाणा	89	89	9981	299	10280	निल	270	270	30.6.90
8.	हिमाचल प्रदेश	77	77	4976	615	5591	3067	383	3450	31.12.94
9.	जम्मू व कश्मीर &									
10.	कर्नाटक	269	191	12681	2447	15128	12681	2447	15128	31.3.94
11.	केरल									
12.	मध्य प्रदेश	465	448	36000	1000	37000	एनए	एनए	30619*	31.3.95
13.	महाराष्ट्र	428	428	15874	25214	41088	13061	24001	37062	30.6.95
14.	मणिपुर	25	25	1118	600	1718	1107	590	1697	31.3.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	मेघालय	22	22	899	1401	2300	137	1159	1296	31.3.87
16.	मिजोरम	12*	12	585	232	817	357	176	533	30.3.95
17.	नागालैंड	14	14	349	199	548	349	199	548	31.3.91
18.	उड़ीसा	314	314	18627	4670	23297	16530	4487	21017	31.3.92
19.	पंजाब	129	129	1196	10461	11657	1196	10461	11657	31.3.90
20.	राजस्थान	232	232	20941	9018	29959	6289	2693	8982	30.9.89
21.	सिक्किम	15	11	257	88	345	177	60	237	31.3.94
22.	तमिलनाडु &									
23.	त्रिपुरा	27	27	1118	813	1931	1050	787	1837	30.6.94
24.	उत्तर प्रदेश	907	907	89071	1040	90111	एनए	एनए	90111*	31.12.92
25.	पश्चिम बंगाल	335	335	31754	9478	41232	एनए	एनए	39965*	30.6.94
26.	अं० नि० दीप समूह	2	2	209	137	346	50	100	150	30.6.95
27.	चण्डीगढ़	निल	1	20	24	44	20	22	42	30.9.93
28.	दा० व नगर हवेली	2	2	68	4	72	18	1	19	30.6.91
29.	दमन एवं दीव	निल	निल	निल	निल	निल	निल	निल	निल	31.12.94
30.	दिल्ली	8	3	89	38	127	निल	निल	निल	30.9.87
31.	लक्षद्वीप	7	7	11	31	42	2	12	14	30.6.95
32.	पांडिचेरी	12	12	150	120	270	128	39	167	31.3.95
	कुल	4810	4220	308960	89818	409958	84917	67528	323571	

टिप्पणी :

आई एन आर = सूचना अप्राप्त

* = अलग में पुरुष व महिला विवरण उपलब्ध नहीं है। (आकडें अन्तिम)

£ = ग्रा० स्वा० गा० स्कीम 1-8-85 से गोवा, दमण दीव में बन्द कर दी गई है।

& = वैकल्पिक स्वा. गा. स्कीम राज्यों/सं० रा० क्षेत्रों में चल रही हैं।

** = फाइल सं० एच- 11016/64/89 आर. एच. डी. (बिहार, गुजरात, पांडिचेरी, उ.प्र. और म. प्र. को छोड़कर) मार्च 1990 से किसी राज्य/सं. रा. क्षे. में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है।

महाराष्ट्र से ग्रा. स्वा. गाइड एवं प्रशिक्षण के संशोधित आंकड़े तिमाही प्रगति रिपोर्ट 30.6.95 को प्राप्त हुए।

[हिन्दी]

नई रेल लाइनें

1546. **डा० सत्यनारायण जटिया:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक जोन में नई रेललाइनों के निर्माण और नई रेल सेवाओं पर गत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी राशि खर्च की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी): नई गाड़ी सेवाओं पर किए गए खर्च/किए जाने वाले खर्च की राशि का ब्यौरा अलग से नहीं रखा जाता है। प्रत्येक जोन में नई रेलवे लाइनों के निर्माण पर पिछले तीन वर्षों के दौरान खर्च की गई राशि/चालू वित्त वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रु० में)

क्षेत्र	खर्च 1992-93	खर्च 1993-94	खर्च 1994-95	बजट प्रावधान 1995-96
मध्य	25.56	60.98	32.61	17.22
पूर्व	7.02	6.74	3.11	7.17
उत्तर	15.10	13.70	55.27	52.35
पूर्वोत्तर	10.10	13.14	11.01	2.40
पूर्वोत्तर सीमा	32.26	22.26	49.04	40.50
दक्षिण	117.35	59.54	15.52	10.32
दक्षिण मध्य	1.97	2.51	1.87	2.60
दक्षिण पूर्व	62.96	64.95	82.69	68.43
पश्चिम	-	-	0.52	2.00

[अनुवाद]

आरक्षण काउन्टर

1547. **श्री अन्ना जोशी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पूर्ण शहर के बुकिंग कार्यालय में उन आरक्षण काउन्टरों को खोलने पर पुनः विचार कर रही है जो हाल ही में बन्द कर दिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या शहर के बुकिंग कार्यालय को पूर्ण स्टेशन के कम्प्यूटर टर्मिनल से जोड़ दिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां।

(ख) रविवारपेठ सिटी बुकिंग कार्यालय में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा शीघ्र ही प्रारम्भ हो जाएगी।

(ग) जी हां।

[हिन्दी]

एशियाई ब्राउन बोवेरी लोकोमोटिव्स

1548. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष एशिया ब्राउन बोवेरी के इंजनों की तकनीक एवं अन्य जानकारी प्राप्त करने हेतु कितने अधिकारियों ने विदेश का दौरा किया था;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में इन अधिकारियों के दौरे पर कितना व्यय हुआ;

(घ) निकट भविष्य में कितने अधिकारियों को विदेश भेजा जाएगा;

(ङ) क्या उपरोक्त अधिकारियों ने उक्त इंजन को चलाया था; और

(च) यदि नहीं, तो उन इंजनों को चलाने हेतु वास्तविक प्रशिक्षण कहां दिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी): (क) और (ख) 1994 के दौरान निम्नलिखित 6 अधिकारियों ने स्विटजरलैंड और जर्मनी का दौरा किया था:

(i) श्री एस०के० जेटली, मुख्य उप बिजली इंजीनियर (रेल इंजन), चितरंजन रेल इंजन कारखाना।

(ii) संयज चन्द्र मुख्य बिजली इंजीनियर (रेल इंजन) चितरंजन रेल इंजन कारखाना।

(iii) डी० मजूमदार, उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर/चितरंजन रेल इंजन कारखाना।

(iv) एस०के० खन्ना, निदेशक, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानव संगठन।

(v) एच० सी० गुप्ता, सयुक्त निदेशक/ अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन।

(vi) ए०जे० गुप्ता, कार्य. सयुंक्त निदेशक/बिजली इंजीनियरी (चल स्टाक) रेलवे बोर्ड।

(ग) 9,38,037 रुपए के अलावा हमारे दूतावासों द्वारा खर्च किए गए होटल प्रभार, जिसकी व्यवस्था उन्होंने की थी।

(घ) मैसर्स ए०बी०बी० ट्रांसपोर्टेशन सिस्टमस के साथ प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए किए गए ठेके में सप्लायर के कारखाने में रेल कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इस ठेक के अंतर्गत 1995 के दौरान अब तब 28 अधिकारियों ने फर्म के परिसर का दौरा किया है, जब कि 7 का प्रशिक्षण चल रहा है। 13 अन्य अधिकारियों को निकट भविष्य में भेजने का प्रस्ताव है।

(ङ) जी नहीं, उन्हें भारत में इंजन के निर्माण के लिए डिजाइन का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है।

(च) इन रेल इंजनों के परिचालन के लिए ड्राइवरों को वास्तविक प्रशिक्षण भारत में दिया जाएगा।

[अनुवाद]

ज्वारीय-विद्युत

1549. **श्री वी०धनंजय कुमार:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ज्वारीय-तरंगों से विद्युत उत्पादन करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी०जे० कुरियन) : ज्वारीय ऊर्जा की संभाव्यता का दोहन करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में देश के विभिन्न स्थानों पर ज्वारीय ऊर्जा की संभाव्यता का पता लगाने के लिए अध्ययन करना शामिल है।

एक ऐसे ही अध्ययन द्वारा कच्छ की खाड़ी में 900 मे०वा० की संभाव्यत का पता लगाया गया है। इस स्थल के लिए तैयार की नई एक तकनीकी आर्थिक सभाव्यता रिपोर्ट में 6300 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान लगाया गया है। विभिन्न देशों से प्रौद्योगिकी प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं और अब तक छः प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

भारत सरकार की आंशिक सहायता से अभी हाल ही में किए गए एक अन्य सभाव्यता अध्ययन द्वारा पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र में 3 मे०वा० की ज्वारीय ऊर्जा की सभाव्यता का पता लगाया गया है।

राजीव गांधी फाउण्डेशन को अंशदान

1550. **श्री चित्त बसु :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने राजीव गांधी फाउण्डेशन को अंशदान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अंशदान के तौर पर दी गई राशि का किस तरह उपयोग किया जाएगा

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

यात्री किराया तथा मालभाड़ा अर्जन क्षमता

1551. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन विशेषतः यात्री किराया और मालभाड़ा अर्जन क्षमता की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) इस विषय पर अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी): (क) और (ख) रेल प्रौद्योगिकी का उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है। राजस्व में वृद्धि करने हेतु यात्री और माल सेवाओं की क्षमता को उन्नत करने के लिए डीजल और बिजली रेल इंजनों की कर्षण क्षमता में बढ़ोतरी, 3 टियर वातानुकूलित शयनयानों, डीजल मल्टिपल यूनिटों, सवारी डिब्बों के लिए छत पर लगे वातानुकूलकों वाली प्रौद्योगिकी, उच्चतर धुरा भार वाले माल डिब्बों और उच्च गति की गाड़ियों के विकास तथा बेहतर डिजाइन वाले वात ब्रेक युक्त बेडे के विस्तार जैसे कुछ उपाय किए जा रहे हैं।

नये मार्ग

1552. **श्री रमेश चेन्नितला :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल मंत्रालय ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में वृहत यातायात संभावनाओं वाले नये मार्ग शुरू करने हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक क्षेत्र में अब तक निर्माणाधीन ऐसे मार्गों का प्रतिशत क्या है; और

(घ) इन मार्गों पर नई लाइनें बनाने हेतु कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी): (क) जी हां।

(ख) योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई रेलवे नेटवर्क विस्तार संबंधी समिति (सी ई आर एन) ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1988 में प्रस्तुत कर दी थी। समिति ने उन नई लाइनों तथा आमान परिवर्तन कार्यों की पहचान की है जो शताब्दी के अंत तक यातायात संभालने के लिए अपेक्षित और 2906 कि०मी० का आमाप परिवर्तन करने की सिफारिश की है।

(ग) ब्यौरा इस प्रकार है:-

जोन	रे. ने. वि. स. की सिफारिश		निर्माण हेतु हाथ में लिए गए कार्य		प्रतिशत	
	नई लाइन कि०मी० में	आमान परिवर्तन कि०मी० में	नई लाइन कि०मी० में	आमान परिवर्तन कि०मी० में	नई लाइन	आमान परिवर्तन
मध्य	-	-		-	-	
पूर्व	-	-	-	-	-	-
उत्तर	-	-	-			
पूर्वोत्तर सीमा	320	247	-	-	-	-
दक्षिण	-	-	-	-	-	-
दक्षिण मध्य	636	-	-	-	-	
दक्षिण पूर्व	-	470	-	253	-	54%
पश्चिम	535	131	461	131	86%	100%
कोंकण रेल निगम	760	-	760	-	100%	-

(घ) रेल नेटवर्क विस्तार संबंधी समिति द्वारा यथा संस्तुत लाइनों के निर्माण तथा आमान परिवर्तन हेतु वर्तमान मूल्यों के आधार पर अपेक्षित कुल राशि क्रमशः 3200 करोड़ रुपये तथा 1850 करोड़ रुपये है।

विदेशी पर्यटकों का अपहरण

1553. **श्री परसराम भारद्वाजः**
श्री फूलचन्द वर्मा :
श्री केशरी लाल :
कुमारी उमा भारती :
श्री मणिकराव होडल्या गावीतः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल-फरान द्वारा अपहृत कुछ विदेशी पर्यटकों की हालत बहुत गंभीर है;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अपहृत विदेशी पयेटकों को छुड़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं;

(घ) क्या इन पर्यटकों को मुक्त कराने के लिए विदेशी कमाण्डों की भी सहायता ली गई थी तथा इस संबंध में क्या प्रगति हुई; और

(ङ) इन बधकों को कब तक मुक्त करा लिए जाने की संभावना है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) कुछ बंधकों के बीमार होने के बारे में सावधिक रिपोर्टों की सरकार को जानकारी है। तथापि इस बारे में कोई ब्यौरे देना संभव नहीं है।

(ग) से (ङ) सरकार का उद्देश्य और प्रयास बातचीत करके तथा समझाने-बुझाने की प्रक्रिया के माध्यम से अपहरणकर्त्ताओं से मानवता की दुहाई की अपील करते हुए बन्धकों को सुरक्षित रिहा कराने तथा कोई भी ऐसा काम न करने का है जिससे अपहरण सहित आंतकवाद को और बढ़ावा मिलता हो। जम्मू व कश्मीर के लगभग सभी उग्रवादी/अलगाववादी गुटों, सभी संबधित देशों की सरकारों तथा एमनेस्टी इन्टरनेशनल आदि जैसे संगठनों द्वारा समय-समय पर इस घटना की भत्संना और बन्धकों की रिहाई की मांग करते हुए वक्तव्य जारी किए हैं। इसके साथ-साथ सरकार ऐसी किसी भी अविचरित कार्रवाई, जिससे बंधकों के जीवन खतरे में पड़ जाएं, को टालती रही है। जिन देशों के नागरिकों का अपहरण हुआ है उनके संबंधित राष्ट्रों के मिशनों के अधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखा गया है। पारदर्शिता की नीति को ध्यान में रखते हुए उनके अधिकारियों को कश्मीर जाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। सरकार उन देशों के विशेषज्ञों को कश्मीर में उपस्थित रहने देने पर भी राजी हो गयी ताकि वे स्थिति का स्वयं मूल्यांकन कर सकें और अपने मिशनों को सलाह दे सकें। इस प्रक्रिया में, सरकार ने उनके द्वारा दी गयी किसी सलाह और सुझावों का भी स्वागत किया है।

चूँकि विदेशी पर्यटक अभी भी अपहरणकर्त्ताओं के बन्धक हैं, इसलिए यह बताना कठिन है कि उन्हें कब रिहा किया जाएगा।

राजघाट पर ईंट के भट्ठे

1554. **श्रीमती गिरिजा देवी :**
श्री राम विलास पासवान :

क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजघाट समाधि परिसर के पीछे हरित क्षेत्र में फ्लाईएश ईंट के भट्ठे बनाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां तो क्या अरबन आर्ट्स कमिशन ने इस परियोजना को पारित कर दिया है; और

(ग) राजघाट समाधि को भटठें के फ्लाईएश (कूड़े) से सुरक्षित रखने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर०के० धवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र

1555. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र की समस्याओं की जानकारी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस परमाणु विद्युत संयंत्र को जल्द से जल्द चालू करने के लिए इसके रिएक्टर की मरम्मत हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) जी, हाँ। राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के दोनों यूनिट फिलहाल बंद हैं। पहले यूनिट, जिस पर उपस्कर संबंधित समस्याओं का प्रभाव पड़ा है, को लगातार चालू रखने की संभावना का तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किया जा रहा है। दूसरे यूनिट, जिसे उसके शीतलक चैनलों के निरीक्षण के लिए अगस्त, 1994 से बंद किया हुआ है, को शीतलक चैनल एक साथ बदल दिए जाने के बाद तीन वर्ष में फिर से चालू कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन

1556. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में पूर्वोत्तर रेलवे में समस्तीपुर से मानसी तक मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक कार्य शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी): (क) समस्तीपुर से मानसी तक पहले ही बड़ी लाइन मौजूद है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी आवास

1557. श्री दत्तात्रेय बंडारू: क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 5000 क्वार्टरों (प्राथमिकता आधार पर) के निर्माण का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रयोजन हेतु पहचान किये गये स्थानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन क्वार्टरों के निर्माण हेतु निर्धारित समयावधि क्या है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर०के० धवन) : (क) जी, हां।

(ख) निर्माण के लिये प्रस्तावित क्वार्टरों का इलाका और अनन्तिम संख्या इस प्रकार है:-

	इलाका	निर्माण प्रस्तावित क्वार्टरों की संख्या
(1)	देव नगर	1515
(2)	माता सुन्दरी एरिया	2017
(3)	जोरबाग के सामने अलीगंज	780
(4)	बंसत बिहार	147
(5)	मोती बाग	42
(6)	सेक्टर 10 आर०के० पुरम	94
(7)	आई०एन०ए०	376

इन क्वार्टरों पर 370 करोड़ रु० की लागत आने का अनुमान है।

(ग) धन मिलने पर निर्माण कार्य 3 वर्ष के भीतर पूरा करने का कार्यक्रम है।

एच०आई०वी० संक्रमण

1559. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एच.आई.वी. संक्रमण तेजी से फैल रहा है;

(2) यदि हां, तो 1993 से आज तक दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में भर्ती की गई ऐसी गर्भवती महिलाओं की संख्या कितनी है जिनमें एच० आई० वी० संक्रमण पाया गया;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संक्रमण पर नियंत्रण करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए०आर० अन्तुले): (क) बेहतर नैदानिक सुविधाओं और चिकित्सीय एवं पराचिकित्सीय कार्मिकों के प्रशिक्षण के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से और अधिक एच०आई०वी० मामले सूचित किए जा रहे हैं।

(ख) सरकारी अस्पतालों में दाखिल की जाने वाली प्रसव पूर्व माताओं की एच०आई०वी० की जांच नहीं की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एच.आई.वी./एड्स के निवारण एवं नियत्रण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित सारे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है।

रेल लाइन का दोहरीकरण

1559. **श्री संदीपन भगवान थोरात** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनमाड से वाडी तक दौंड होते हुए रेलवे लाइन का दोहरीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस कार्य का सर्वेक्षण करा लिया गया है तथा विद्युत परियोजना रिपोर्ट तैयार करके रेलवे बोर्ड द्वारा मंजूर कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए निर्धारित की गई कुल राशि कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी): (क) और (ख) अभी मनमाड़-दौंड खण्ड का दोहरीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस खण्ड पर यातायात अभी दोहरीकरण के औचित्य स्तर तक नहीं पहुंचा है।

वाडी और गुलबर्गा (38 कि०मी०) के बीच पहले ही दोहरी लाइन मौजूद है। दौंड और भीगवान (28 कि०मी०) के बीच दोहरीकरण का कार्य 1995-96 के बजट के शुरू कर दिया गया है और भीगवान से गुलबर्गा (272 कि०मी०) तक दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ग) दौंड-भीगवान (28 कि०मी०) खंड के दोहरीकरण के लिए 1995-96 में उपलब्ध करायी गई राशि 1.50 करोड़ रुपये है।

रेल जोनों का पुनर्गठन

1560. **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों और राज्य सरकारों से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों को कार्य रूप देने के लिए रेल जोनों और मंडलों का पुनर्गठन करने के लिए विस्तृत अध्ययन पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी): (क) और (ख) एक आमान परियोजना तथा कोंकण रेल के गठन के परिप्रेक्ष्य में जोनों तथा मंडलों के मौजूदा भौगोलिक अधिकार क्षेत्रों की जांच करने के लिए गठित अध्ययन दल ने इसे युक्तियुक्त बनाने की आवश्यकता का सुझाव दिया है इस प्रक्रिया में कुछ नए जोनों तथा मंडलों का सृजन किया जा सकता है।

प्रस्ताव तैयार करने तथा अन्य संबंधित मामलों पर आगे कार्रवाई की जा रही है।

मलेरिया नियंत्रण

1561. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मलेरिया प्रवण क्षेत्रों में मलेरिया की रोकथाम के लिए कोई नए उपाय कर रही है;

(ख) क्या इसके लिए कोई विदेशी सहायता उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए०आर० अंतुले): (क) मलेरिया नियंत्रण हेतु प्रारंभ किए गए नए उपायों में पूर्वोत्तर क्षेत्रों को 100% सहायता, औषधसंसिक्त मच्छरदानियों की आपूर्ति हेतु प्रायोगिक परियोजनाएं, केन्द्रीय सरकार से चुनिंदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को माइक्रोस्कोप भेजना शामिल है। इसके अलावा सक्रिय निगरानी और मलेरिया आषधियों की पर्याप्त आपूर्ति करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है तथा इस पर राज्य सरकारों द्वारा ध्यान दिया जा रहा है।

(ख) और (ग) एक परियोजना तैयार की जा रही है, मलेरिया कार्यक्रम के लिए इस समय कोई बाहरी सहायता उपलब्ध नहीं है।

कोंकण रेलवे

1562. **श्री सुधीर सावन्त : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोंकण रेल निगम ने सिंधुदुर्ग और पटनागिरी जिले के उन सभी भूस्वामियों को मुआवजा दे दिया है जिनकी भूमि रेल प्रयोजनों के लिए अधिग्रहीत की गई थी:

(ख) यदि नहीं, तो भूस्वामियों की संख्या कितनी है और अब तक अदा न किए गए मुआवजे की कुल राशि कितनी है;

(ग) क्या दिया गया मुआवजा निधारिंत दर पर नहीं था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी): (क) और (ख) लगभग 4500 भू स्वामियों को अभी भुगतान किया जाना है। फिलहाल सही राशि का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता क्योंकि राज्य सरकार के भूमि अधिग्रहण अधिकारियों द्वारा अभी निर्णय दिया जाना शेष है।

(ग) महाराष्ट्र सरकार के विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारियों द्वारा घोषित निर्णय के अनुसार निर्धारित दर पर मुआवजे का भुगतान किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर फ्लाई ओवरों का निर्माण

1563. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर कितने फ्लाई ओवरों का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूर्णिमा जंक्शन के निकट फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय राजमार्ग-31 के निम्नलिखित पांच स्थानों पर ऊपरी, सड़क-पुलों के निर्माण का सुझाव दिया है:—

क्रं० सं०	निम्नलिखित स्टेशनों के बीच	समपार फाटक सं०	कि०मी०	राज्य
1.	किशनगंज-हटवार	एस के/317	526/3-4	बिहार
2.	बोंगाईगांव-चपरकाटा	एस के/48	139/5-6	असम
3.	सोरूपेटा-पाठशाला	एस के/33	84/4-5	-
4.	रंगिया-केंडूकोना	एस के/ 13	35/3-4	-
5.	चंगसारी-अग्ठोरी	एस के/2	8/0-1	-

रंगिया-केंडूकोना स्टेशनों के बीच कि०मी० 35/3-4 पर समपार सं०एस के/13 तथा चंगसारी-अग्ठोरी स्टेशनों के बीच कि०मी० 8/0-1 पर समपार सं० एस के/2 के बदले ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण से संबंधित कार्यों को रेलों के 1996-97 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग-31 के पूर्णिया जंक्शन पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण करने के संबध में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

पैदल उपरि पुल

1564. **श्री राम कापसे : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या थाणे जिला मे मुम्ब्रा रेलवे स्टेशन पर पैदल उपरि पुल के निमाण के प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस निर्माण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी): (क) अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और परिवार कल्याण केन्द्र

1565. **श्री राम सिंह कस्वां :**
डा० ताराजी :
श्री सैयद शहाबुद्दीन :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं और ऐसे प्रत्येक केन्द्र में कितने लोगों को चिकित्सा सुविधा मिलती है;

(ख) देश में राज्यवार कितने "रेफरल" अस्पताल हैं और प्रत्येक "रैफरल" अस्पताल में कितने लोगों को चिकित्सा सुविधा मिलती है;

(ग) देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को दवाइयों के लिए अनुमानित प्रति व्यक्ति आवंटन राज्यवार कितना है;

(घ) देश में प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए राज्यवार कितने चिकित्सकों की आवश्यकता है और प्रत्येक केन्द्र में चिकित्सकों की वास्तविक औसत संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार 1995-96 के दौरान देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इनके उपकेन्द्र खोलने पर विचार कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए०आर० अंतुले) : (क) और (ख) विवरण-I संलग्न है।

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और औषधों की सप्लाई राज्य सरकारों द्वारा की जाती है।

(घ) एक विवरण-II संलग्न है।

(ङ) और (च) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन की जाती है। 1995-96 के लिए नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लक्ष्यों को दर्शाने वाला विवरण III संलग्न है।

सरकार द्वारा नए उपकेन्द्रों की स्थापना हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि 1994-95 में जम्मू व कश्मीर राज्य के लिए 100 नए उपकेन्द्र स्वीकृत किए गए थे और 100 अतिरिक्त केन्द्रों की वचनबद्धता दी गई है।

विवरण I

बुनियादी ग्रामीण स्वास्थ्य आधारभूत ढांचा और कुछ डेरीवेशन
(30.6.95 की स्थिति के अनुसार)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्य कर रहे		प्रा०स्वा० केन्द्र द्वारा सेवा की गई औसत ग्रामीण जनसंख्या	सामु० स्वा० केन्द्र द्वारा सेवा की गई औसत ग्रामीण जनसंख्या (लाख में)
		ग्रा० स्वा० केन्द्र	सामु०स्वा० केन्द्र		
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1283	46	37896	10.05
2.	अरूणचल प्रदेश	42	9	17950	0.83
3.	असम	619	105	32191	1.89
4.	बिहार	2209	148	53962	5.07
5.	गोवा	21	5	32859	1.38
6.	गुजरात	956	185	28309	1.46
7.	हरियाणा	397	60	31256	2.06
8.	हिमाचल प्रदेश	240	47	19678	1.00
9.	जम्मू व कश्मीर	335	45	17550	1.30
10.	कर्नाटक	1428	204	21757	1.52
11.	केरल	929	64	23055	3.96
12.	मध्य प्रदेश	1376	190	36949	2.67
13.	महाराष्ट्र	1695	295	28551	1.64
14.	मणिपुर	72	15	18498	0.88
15.	मेघालय	88	10	16417	1.44
16.	मिजोरम	43	6	8846	0.61
17.	नागालैंड	38	5	30343	2.00
18.	उड़ीसा	1055	157	25995	1.74
19.	पंजाब	472	104	30272	1.37
20.	राजस्थान	1495	246	22732	1.37
21.	सिक्किम	23	2	16063	1.84

1	2	3	4	5	6
22.	तमिलनाडु	1436	72	25614	5.11
23.	त्रिपुरा	63	10	37070	2.33
24.	उत्तर प्रदेश	3761	262	29648	4.25
25.	पश्चिम बंगाल	1556	89	31729	5.54
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	17	4	12100	0.51
27.	चंडीगढ़	शून्य	1	शून्य	0.06
28.	दादरा व नगर हवेली	6	शून्य	21125	-
29.	दमण व दीप	4	2	13510	0.27
30.	दिल्ली	8	शून्य	118627	-
31.	लक्षद्वीप	7	3	3227	0.07
32.	पांडिचेरी	26	4	11184	0.72
	योग	21693	2385	28981	2.64

नोट : 1995 की जनगणना के आधार पर (आंकड़े अनंतिम)।

विवरण II

30.6.95 को ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत स्वास्थ्य कार्मिक शक्ति

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर			
		अपेक्षित	स्वीकृत	मौजूद	रिक्त
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1283	1760	1593	167
2.	अरूणाचल प्रदेश	42	31	31	शून्य
3.	असम	619	584	584	शून्य
4.	बिहार	2209	2121	2121	शून्य
5.	गोवा	21	56	49	7
6.	गुजरात	956	1159	930	229
7.	हरियाणा	397	671	431	240
8.	हिमाचल प्रदेश	240	352	316	36
9.	जम्मू व कश्मीर	335	158	158	शून्य
10.	कर्नाटक	1428	1290	1104	186
11.	केरल	929	1230	1230	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	1376	5709	4768	941
13.	महाराष्ट्र	1695	2887	2286	601
14.	मणिपुर	72	119	102	17
15.	मेघालय	88	94	80	14
16.	मिजोरम	43	24	34	10
17.	नागालैंड	33	29	29	शून्य
18.	उड़ीसा	1055	2636	2331	285
19.	पंजाब	472	1706	1615	91
20.	राजस्थान	1493	2200	1949	251
21.	सिक्किम	23	43	23	20
22.	तमिलनाडु	1436	2674	2338	336
23.	त्रिपुरा	63	161	120	41
24.	उत्तर प्रदेश	3761	3787	2263	1524
25.	पश्चिम बंगाल	1556	1841	1547	294
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	17	29	25	4
27.	चंडीगढ़	शून्य	7	7	शून्य
28.	दादरा व नगर हवेली	6	6	5	1
29.	दमन व द्वीप	4	1	1	शून्य
30.	दिल्ली	8	6	6	शून्य
31.	लक्षद्वीप	7	4	4	शून्य
32.	पांडिचेरी	26	45	45	शून्य
	कुल	21693	33420	28145	5275

विवरण III

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की वर्ष 1995-96 के दौरान स्थापना करने के लिए लक्ष्य

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
1.	आंध्र प्रदेश	60
2.	अरूणाचल प्रदेश	5
3.	असम	50
4.	बिहार	150
5.	गोवा	1
6.	गुजरात	5
7.	हरियाणा	-
8.	हिमाचल प्रदेश	15
9.	जम्मू व कश्मीर	18
10.	कर्नाटक	50
11.	केरल	25
12.	मध्य प्रदेश	-
13.	महाराष्ट्र	53
14.	मणिपुर	2
15.	मेघालय	1
16.	मिजोरम	-
17.	नागालैंड	2
18.	उड़ीसा	-
19.	पंजाब	10
20.	राजस्थान	55
21.	सिक्किम	-
22.	तमिलनाडु	75
23.	त्रिपुरा	3
24.	उत्तर प्रदेश	-
25.	पश्चिम बंगाल	2
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	-
27.	चंडीगढ़	5
28.	दादर व नगर हवेली	-
29.	दमन व दीव	-
30.	दिल्ली	-
31.	लक्षद्वीप	-
32.	पांडिचेरी	4
	कुल	601

रेलवे की भूमि

1566. **डा० परशुराम गंगवार:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शाहजहांपुर-मैलानी रेल लाइन 1918 में बंद कर दी गई थी;

(ख) क्या इन स्टेशनों के बीच अवस्थित रेलवे की भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है;

(ग) यदि हां, तो इस भूमि, को खाली कराने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस लाइन पर रेल सेवा पुनः आरम्भ करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ङ) सूचना इकठ्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

लम्बित मामलों का निपटान

1567. **श्री प्रबीन डेका** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवम्बर, 1995 को हुए पेंशन प्रभारी राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में किन मामलों पर चर्चा की गयी और सम्मेलन में क्या निर्णय लिये गये; और

(ख) इस प्रकार लिये गये निर्णयों, विशेषकर लम्बित मामलों के जल्द से जल्द निपटान संबंधी निर्णयों को लागू करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा): (क) और (ख) पेंशन प्रशासन के संबंध में 17 राज्यों के राज्य मंत्रियों का सम्मेलन 9 नवम्बर को आयोजित किया गया। इसमें राज्यों के मंत्रियों तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में हुई चर्चा से पेंशन की नीति निर्धारण तथा पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए प्रभावशाली तंत्र की स्थापना के आशय से राज्यों तथा केन्द्र के मध्य समन्वित तथा लगातार सम्पर्क बनाने की आवश्यकता पर जोर देने में मदद मिली है। पेंशन कार्य का हिसाब-किताब रखने के लिए कम्प्यूटरीकरण के अधिकाधिक उपयोग की वांछनीयता की सभी राज्यों ने सराहना की है। निम्नलिखित निर्णय जिसमें लम्बित मामलों का शीघ्र निपटान करना भी शामिल है, अनुवर्ती कार्रवाई के लिए रिकार्ड किए गए थे:

(एक) केन्द्रीय सरकार तथा दो अथवा तीन अन्य राज्यों के संगठन मॉडल सभी राज्यों को परिचालित किए जाऐंगे ताकि वे उपयुक्त पेंशन प्रशासन पद्धति बना सकें।

(दो) एन०आई०सी० तथा पेंशन विभाग पेंशन कार्य के कम्प्यूटरीकरण के बारे में राज्य सरकारों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करेंगे।

(तीन) एक छोटी समिति, महालेखाकारों से राज्य सरकारों को पेंशन कार्य के हस्तांतरण के कार्य को देखेंगी।

(चार) राज्य सरकारें स्कोवा पद्धति पर राज्य स्तर की समितियां गठित करने पर विचार करेगी जिसकी अध्यक्षता उस राज्य के पेंशन प्रभारी मंत्री द्वारा की जाएगी।

(पांच) राज्यों में पेंशन अदालत पद्धति प्रभावी ढंग से लागू की जाएगी।

(छः) कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले अनुशासनिक कार्यवाहियां, जहां तक संभव हो सके यथाशीघ्र पूरी की जाएगी।

आंध्र प्रदेश में पवन ऊर्जा परियोजना

1566. **श्री रामकृष्ण कोंताला :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में पवन उर्जा उत्पादन हेतु चयनित उचित स्थान का ब्यौरा क्या है;

(ख) कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है और उनकी वर्तमान प्रगति, उनकी लागत और क्षमता कितनी-कितनी है; और

(ग) इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान एकक-वार और वर्षवार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) राष्ट्रीय पवन संसाधन आकलन कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित संभाव्यता वाले स्थलों की पहचान की गई है:-

1. भीपुनीपत्तनम
2. काकुलाकोंडा
3. एमपीआर डैम
4. मुस्कतीकोवाला
5. नरसिम्हा कोंडा
6. पायलकुंटला
7. रामगिरी
8. तिरूमाला
9. जपालामडम
10. सिंगानामाला
11. कडायाकल्लू

(ख) राज्य में कुल 10.69 करोड़ रुपये की लागत वाली 3.05 मे०वा० समग्र क्षमता की तीन प्रदर्शन परियोजनाएं मंजूरी की गई है। इसके अलावा राज्य में अब तक 37.9 मे०वा० की निजी क्षेत्र पवन विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई है।

(ग) राज्य में पवन ऊर्जा प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए आवंटित की गई परियोजनावार राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान पवन विद्युत प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए आवंटित की गई धनराशि का विवरण

(लाख रु० में)

परियोजना	आवंटित राशि	निर्मुक्ति धनराशि			अभ्युक्तियां
		1992-93	1993-94	1994-95	
तिरूमाला I	60.50		-	-	1992-93 से पूर्व जारी की गई राशि
तिरूमाला II	199.93	-	115.00	20.77	
रामगिरि	550.57	64.23	157.00	137.65	

[हिन्दी]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन

1569. **श्री फूल चन्द वर्मा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन करने के लिए लागू की जा रही परियोजनाओं/योजनाओं के राज्यवार नाम क्या-क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कुल कितनी विद्युत का उत्पादन हुआ; और

(ग) 1995-96 के दौरान विद्युत उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) पवन, लघु पन बिजली, सौर और बायोमास से विद्युत उत्पादन के लिए योजनाओं को विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) इन परियोजनाओं/योजनाओं से विद्युत उत्पादन की संभाव्यता लगभग 16740 लाख किवा० घं० प्रतिवर्ष है। पवन विद्युत परियोजनाओं से वास्तविक उत्पादन के आंकड़ें, जैसे कि राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) इन स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए राज्यवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

विवरण-I

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए विभिन्न राज्यों में स्थापित की समग्र संस्थापित क्षमता का ब्यौरा

योजना का नाम	समग्र संस्थापित क्षमता (मेवा०)	राज्यों की संख्या
पवन विद्युत	556 मेवा०	8
लघु पन बिजली	121 मेवा०	23
सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र	1.025 मेवा०	23
बायोमास	34 मेवा०	6

विवरण-II

पवन विद्युत परियोजनाओं से पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार विद्युत उत्पादन का ब्यौरा

राज्य	विद्युत उत्पादन (लाख कि०वा० घं०)		
	1992-93	1993-94	1994-95
तमिलनाडु	568.73	719.16	1513.74
गुजरात	187.93	215.93	378.33
आंध्र प्रदेश	0.63	1.62	6.19
महाराष्ट्र	5.19	2.09	11.38
मध्य प्रदेश	4.07	3.36	2.50

[अनुवाद]

जड़ी-बूटियों से बनी औषधियां

1570. **श्री शरत पटनायक:** क्या स्वास्थ्य तथा कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में जड़ी-बूटियों से निर्मित औषधियों के लिए बाजार विकसित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय चिकित्सा प्रणाली तथा होम्योपैथी विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) देश में इस समय जड़ी बूटी दवाईयों के बाजार विकसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे स्टेशन

1571. **श्रीमती गीता मुखर्जी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दुंआ में राधामोहनपुर और पाली चौक के बीच स्टेशन बनाने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या इन परियाजनाओं की व्यवहायता के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी): (क) राधामोहनपुर और बालीचक के बीच दुआं में एक हाल्ट स्टेशन खोलने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) प्रस्ताव की तकनीकी तथा वाणिज्यिक व्यावहारिकता का मूल्यांकन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

इलेक्ट्रोनिक परियोजनाएं

1572. **श्री रामेश्वर पाटीदार:**
श्रीमती शीला गौतम:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष और आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान इलैक्ट्रानिक के विकास के लिए कुल कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है;

(ख) इस आवंटन में प्रत्येक राज्य का हिस्सा कितना है;

(ग) चालू वर्ष और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक राज्य में विदेशी और निजी निवेश हेतु स्वीकृत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) से (ग) चालू वर्ष तथा आठवीं योजना के दौरान इलैक्ट्रानिकी के विकास के लिए केंद्र सरकार का परिव्यय नीचे दिए अनुसार है:-

अवधि	
1995-96	147 करोड रुपए
(सकल बजटीय सहायता)	
आठवीं योजना का परिव्यय	598 करोड़ रुपए

इस केन्द्रीय परिव्यय का इलैक्ट्रानिकी क्षेत्र के लिए राज्यवार कोई विशिष्ट आवंटन नहीं है। इलैक्ट्रानिकी विभाग इस केन्द्रीय परिव्यय से विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए संसाधनों का आवंटन करता है जिनका निर्धारण इलैक्ट्रानिकी उद्योग की आवश्यकतानुसार विभिन्न विशेषज्ञ परिषदों और समितियों द्वारा किया जाता है। ऐसी परियोजनाएं और कार्यक्रम मूल संरचनात्मक सुविधाएं स्थापित करने या विशिष्ट प्रौद्योगिकी के लिए प्रायोजित परियोजनाओं या जनशक्ति विकास की प्रकृति के होते हैं। इलैक्ट्रोनिकी विभाग के अनुसंधान तथा विकास संवर्धनात्मक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वर्ग की परियोजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) वर्ष 1993-94 की अवधि (आज की तारीख तक) के दौरान विभिन्न राज्यों में स्थित इलैक्ट्रानिक इकाइयों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश वाले 206 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए, जिनके ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण- I

1. प्रायोगिक सूक्ष्मतरंग इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरी तथा अनुसंधान संस्थान (समीर)
2. उक्त अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक)
3. इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र (ई आर एंड डी सी एस)
4. राष्ट्रीय सोफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र (एन सी एस टी)
5. प्रणाली इंजीनियरी तथा परामर्श सेवा कार्यक्रम (सीको)
6. इलेक्ट्रानिकी सामग्री विकास कार्यक्रम (सी-मेट, ई एम डी सी)
7. मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन (एस टी क्यु सी)
8. विशिष्ट जनशक्ति विकास कार्यक्रम
9. इलैक्ट्रानिकी डिजाइन प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी ई डी टी एस)
10. इलैक्ट्रानिकी उद्योग विकास कार्यक्रम
11. जापानी भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम
12. विद्युत क्षेत्र इलैक्ट्रोनिकी कार्यक्रम
13. औद्योगिक इलैक्ट्रानिकी संवर्धन कार्यक्रम (आई ई पी पी)
14. नैशनल एच० बी० डी० सी० प्रोजैक्ट
15. पांचवीं पीढी की कम्प्यूटर प्रणाली परियोजना
16. कैस/कैम कार्यक्रम
17. कम्प्युटर नेटवर्किंग में उन्नत प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (अर्नेट)
18. साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन कार्यक्रम
19. प्रौद्योगिकी विकास परिषद (टी डी सी)
20. राष्ट्रीय रेडार परिषद (एन आर सी)
21. सूक्ष्म इलैक्ट्रोनिकी विकास कार्यक्रम
22. ग्रामीण तथा सामाजिक विकास/कृषि इलैक्ट्रानिकी
23. भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास (टी डी आई एल)
24. फोटोनिकी विकास कार्यक्रम
25. स्वास्थ्य की देखभाल के लिए इलैक्ट्रानिकी
26. परिवहन प्रणाली कार्यक्रम
27. औद्योगिक रोबोटों के अनुप्रयोगों का विकास
28. ए सी ड्राइवों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा संरक्षण परियोजना
29. पूंजीगत वस्तु व विकास कार्यक्रम
30. मूल्य संवर्धित उच्च गति डेटा संचार नेटवर्क

31. इलैक्ट्रोनिकी उद्योग के लिए सूचना-विज्ञान संबंधी सहायता

32. प्रौद्योगिकी मिशन

33. सकल क्रिस्टल अनुसंधान केन्द्र

34. इलैक्ट्रोनिक्स ट्रेड एंड टैक्नोलाजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०

35. सी एम सी लिमिटेड

36. सेमीकंडक्टर कांपलेक्स लिमिटेड

विवरण-II

वर्ष 1993–95 की अवधि (आज की तारीख तक) के दौरान विदेशी/निजी पूंजीनिवेश के लिए अनुमोदित प्रस्तावों के संबंध में राज्यवार जानकारी

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या
1.	हरियाणा	19
2.	चण्डीगढ़	2
3.	कर्नाटक	43
4.	पंजाब	5
5.	दिल्ली	33
6.	तमिलनाडु	26
7.	गुजरात	5
8.	उत्तर प्रदेश	7
9.	पश्चिम बंगाल	7
10.	राजस्थान	2
11.	केरल	1
12.	आंध्र प्रदेश	13
13.	हिमाचल प्रदेश	2
14.	मध्य प्रदेश	4
15.	उड़ीसा	1
16.	महाराष्ट्र	32
17.	शिलवासा (दादर और नगर हवेली)	1
		206

[अनुवाद]

रेल लाइन को दोहरा किया जाना

1573. **श्री प्रेमचन्द रामः** क्या प्रधान मंत्री 14 फरवरी, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 130 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को पटना और गया के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण के संबंधी कोई सर्वेक्षण प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 31.1.96 तक।

कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र

1574. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्सः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या परमाणु विद्युत निगम के कैगा परमाणु संयंत्र के एकक-एक में स्थित गुम्बज का पुनर्निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो यह काम कब तक पूरा हो जाएगा;

(ग) अब तक खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और इस काम को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(घ) गुम्बज के टूट जाने के कारण कुल कितना घाटा हुआ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) और (ख) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने विशेषज्ञ समितियों, जिन्होंने विस्तरण घटना के बारे में जॉच-पड़ताल की थी, की सिफारिशों के आधार पर कैगा-I परमाणु बिजलीघर के भीतरी संरोधक गुम्बद की अभियांत्रिकी फिर से करने का काम हाथ में लिया है। संशोधित डिजाइन के आधार पर गुम्बद के पुनः निर्माण का कार्य दिसम्बर, 1995 तक पूरा हो जाएगा।

(ग) कैगा परमाणु परियोजना के दो यूनिटों, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 220 मेगावाट है, की 2275 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत में से, अक्तूबर, 1995 तक 1324 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक शेष राशि 951 करोड़ रुपए है।

(घ) कैगा- I के क्षतिग्रस्त हुए भीतरी संरोधक गुम्बद को गिराने और नए डिजाइन वाले गुम्बद का फिर से निर्माण करने की अनुमानित लागत लगभग 13 करोड़ रुपए है।

अनुसंधान परियोजनाओं हेतु धनराशि

1575. **श्री विजय एन० पाटील:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी०एस०आई०आर०) की अनेक अनुसंधान परियोजनाएं धनराशि की कमी के कारण प्रभावित हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी परियोजनाओं को छोड़ दिया गया है;

(ग) क्या उच्च तापीय संचालकता (सुपर कंडक्टिविटि) संबंधी अध्ययन और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समाप्त कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सी० एस० आई० आर० में अनुसंधान कार्य को जारी रखने हेतु क्या नीति अपनाई गयी है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) और (ख) जी नहीं। वास्तव में सी० एस० आई० आर० की सहायता के लिए कई वर्षों से सरकारी बजट में बढ़ोतरी हुई है तथा सी० एस० आई० आर० भी बाह्य स्रोतों से निधियों की निरन्तर बढ़ती राशि अर्जित करता आ रहा है।

(ग) जी नहीं, उच्च ताप अति चालकता तथा अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर अध्ययन जारी है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन

1576. **श्री मनफूल सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किस समय तक गंगानगर मीटर गेज लाइन का बड़ी लाइन में परिवर्तन रेल विभाग द्वारा प्रस्तावित है;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने गंगानगर एक्सप्रेस में 1995 में टू टीयर ए० सी० लगाने की घोषणा की है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके कब तक आरंभ होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाड़ी): (क) सरूपसर-श्री गंगानगर-हनुमानगढ़ लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य एक आमान परियोजना के अंतर्गत कार्य योजना के पहले चरण में शामिल किया गया है और इसे आगामी वर्षों में शुरू किया जाएगा।

(ख) और (ग) 9711-9712 जयपुर-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस में दूसरे दर्जे के वातानुकूल शयनयान उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है जो ऐसे डिब्बों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

कम लागत वाली सफाई योजना

1577. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव:** क्या **शहरी तथा रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश कम लागत वाली सफाई योजनाओं के वादों में पिछड़ा हुआ है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश ने अब तक इसके लिए हुडको द्वारा स्वीकृत ऋण की मात्र 11.6 प्रतिशत राशि का उपयोग किया है;

(ग) यदि हां, तो ऋण राशि का पूरा-पूरा उपयोग न किए जाने के मुख्य कारण क्या-क्या हैं; और

(घ) राज्य सरकार पर ऋण राशि का पूरा-पूरा उपयोग किये जाने के लिये दबाव डालने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर० के० धवन): (क) और (ख): जी, हां। आंध्र प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के लिए हुडको द्वारा मंजूरी की तुलना में जारी ऋण की राशि 14.57 प्रतिशत बैठती है।

(ग) धीमी प्रगति के मुख्य कारण हैं:-

(1) हुडको से ऋण व सब्सिडी पाने हेतु निर्धारित कानूनी दस्तावेजों को पूरा करने में विलंब।

(2) संबंधित नगरपालिका/राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा सब्सिडी की पहली किस्त के उपयोग का प्रमाण प्रस्तुत करने में विलंब, फलतः शेष ऋण/सब्सिडी राशि रिलीज करने में विलंब,

(3) राज्य स्तर पर कार्यक्रम के प्रभावशाली कार्यन्वयन हेतु समुचित मानीटरी प्रणाली का अभाव।

(4) नगरपालिकाओं/राज्य सरकारों द्वारा भारत सरकार/हुडको को आवधिक तिमाही प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत न करना, फलतः एक-दूसरे की समस्याओं का पता न चल पाना।

(घ) इस योजना कार्यान्वयन की गति बढ़ाने के लिए समुचित उपाय करने हेतु सचिव, शहरी विकास ने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव, को अगस्त, 1995 में लिखा था। इसके बाद सितम्बर, 1995 में शहरी विकास मंत्री ने आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री को पत्र लिखा। राज्य में कम लागत की सफाई योजना की गति बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ 17-11-95 को समीक्षा बैठक भी की गई थी।

[हिन्दी]

वायु सेना का हवाई अड्डा (एयर बेस)

1578. **श्रीमती भावना चिखलिया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेष-कर गुजरात में वायु सेना के हवाई अड्डे का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग-अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, हां। गुजरात में डीसा में 4326 एकड़ भूमि पर एक एयरफील्ड बनाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी एयरफील्ड बनाए जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

पानी की कमी

1579. **श्री कुन्जी लाल :**
श्री राम कृपाल यादव :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार और राजस्थान में पानी की भारी कमी का सामना कर रहे छोटे और मध्यम दर्जे के शहरों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो बिहार में ऐसे गांवों और शहरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन राज्य सरकारों ने इन शहरों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की कोई योजना भेजी है और उसके लिए धनराशि मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर० के० पवन) : (क) और (ख) जल आपूर्ति राज्य विषय है और शहरी क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त व शुद्ध पेय जल सुलभ कराने की जिम्मेवारी राज्य सरकार/स्थानीय निकायों की हैं। जल आपूर्ति परियोजनाओं के कार्यान्वयन, संचालन और अनुरक्षण के लिए राज्य सेक्टर में धन का प्रावधान किया जाता है। बाहरी स्रोतों से धन लेने, 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत के परियोजना प्रस्तावों तथा भारतीय जीवन बीमा निगम से मदद लेने के परियोजना प्रस्ताव तकनीकी मंजूरी के लिए भारत सरकार से जांच करानी जरूरी होती है।

(ग) और (घ) तथापि, 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों के लिये त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए०यू०डब्ल्यू०एस०पी०) के तहत केन्द्रीय सहायता हेतु कस्बों का चयन बिहार की राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा अभी किया जाना है। विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तथा राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर इस मंत्रालय द्वारा स्कीमों की जांच के बाद वित्तीय सहायता हेतु विचार किया जायेगा।

जहां तक राजस्थान का प्रसंग है, संलग्न विवरण के अनुसार 7.118 करोड़ रुपये की लागत की 10 जल आपूर्ति स्कीमें अनुमोदित की गई हैं और अब तक 2.599 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

विवरण

स्वीकृत परियोजनाएं

राज्य : राजस्थान स्थिति : 31.10.95

क्र०सं०	कस्बे का नाम	स्वीकृति की तारीख माह/वर्ष	परियोजना लागत (लाख रुपये)
1.	अन्ताह	मार्च, 1993	74.44
2.	सरवर	-	10.00
3.	बसवा	-	99.50
4.	देवगढ़	-	94.74
5.	गलियाकोट	-	17.20
6.	खेरली	-	67.40
7.	महता	-	40.80
8.	धरीबाद	-	79.60
9.	बाली	-	160.00
10.	तखत गढ़	-	68.80
	योग		711.88

जम्मू-ऊधमपुर-श्रीनगर रेल परियोजना

1580. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊधमपुर-श्रीनगर रेल संपर्क परियोजना जिसे 2001 ईसवी तक पूरा किये जाने का प्रस्ताव था, से संबंधित रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऊधमपुर-श्रीनगर रेल संपर्क प्रस्तावों की व्यवहार्यता अथवा अन्य पहलुओं के संबंध में कोई पुनर्विचार किया जाएगा;

(ङ) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या जम्मू तवी-ऊधमपुर रेल संपर्क संबंधी कार्य जिसे मार्च, 1994 तक पूरा किया जाना था, उसमें भी विलंब हुआ है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) जम्मू तवी-ऊधमपुर रेल संपर्क के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है और 30 जून, 1995 तक उस पर कितनी राशि खर्च की गई है और उक्त व्यय मूलतः अनुमानित व्यय की तुलना में कितना है; और

(झ) इस रेल संपर्क का निर्माण कार्य कब तक पूरा किया जाएगा और यह कब से कार्य करना शुरू करेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) ऊधमपुर से कटरा तक इस परियोजना के पहले चरण के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। कार्य शुरू करने के लिए सरकार का अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया गया है। शेष खंडों के लिए सर्वेक्षण रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) और (ग) सर्वेक्षण से पता चला है कि ऊधमपुर से कटरा तक 25 कि०मी० लाइन की अनुमानित लागत 168 करोड़ रुपये होगी।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) लाइन को मार्च, 94 तक पूरा करने का कभी लक्ष्य नहीं था, और इसे लक्ष्य के अनुसार मार्च, 1997 तक पूरा कर दिया जाएगा।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) इस समय 55 प्रतिशत कार्य पूरा कर दिया गया है और 50 करोड़ रुपए की मूल अनुमानित लागत की तुलना में मार्च 95 तक 135.13 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था।

(झ) मार्च 1997 तक।

रेलगाड़ियों का विलंब से चलना

1581. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तरी बंगाल से कलकत्ता की ओर जाने वाली लगभग सभी रेलगाड़ियां अत्यधिक विलंब से चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या कई बार कुछ रेलगाड़ियों को चलाया ही नहीं जाता जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का कलकत्ता और उत्तरी बंगाल के बीच रेलगाड़ियों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) दुर्घटनाओं, आंदोलनों, उपस्करों की खराबियों, खतरे की जंजीर खींचने, शरारती तत्वों की गतिविधियों जैसे कारणों से कभी-कभी गाड़ियों का चालन प्रभावित होता है।

(ख) मंडल तथा मुख्यालय दोनों स्तरों पर दैनिक समय पालन पर बैठकें आयोजित करने सहित विभिन्न स्तरों पर गहन जांच तथा प्रतिदिन निगरानी रखी जाती है तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से फुट प्लेट निरीक्षण किये जाते हैं। इसके अलावा, निरीक्षकीय और अधिकारी दोनों स्तरों पर समय पालन अभियान भी चलाये जाते हैं तथा प्रणाली में जब कभी खामियां पाई जाती हैं, उन्हें दूर किया जाता है।

(ग) और (घ) कभी-कभार दरारों, दुर्घटनाओं, आंदलनों, रेकों की अनुपलब्धता आदि के कारण गाड़ियों को रद्द करना पड़ता है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण।

रेलवे लाइन

1582. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंदौर-देवास-जबलपुर रेलवे लाइन को स्वीकृति प्रदान करने का है;

(ख) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस रेलवे लाइन के कार्य को कब तक शुरू कर दिये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग) इंदौर से देवास तक पहले से ही बड़ी रेल लाइन मौजूद है। देवास-मकसी नई बड़ी रेल लाइन, जो प्रगति पर है, के पूरा हो जाने पर देवास, जबलपुर से सीधी बड़ी रेल लाइन से जुड़ जाएगा।

लंबित मामले

1583. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद और दिल्ली के उच्च न्यायालयों में कितने मामले लंबित हैं और इनमें से कितने मामले 5, 10 और 20 वर्षों से और उससे अधिक समय से लंबित हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है ?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज): (क) उपलब्ध जानकारी निम्नलिखित रूप में है :–

	इलाहाबाद उच्च न्यायालय (30.6.94 को यथाविद्यमान)	दिल्ली उच्च न्यायालय (31.13.91 को यथाविद्यमान)
लंबित मामलो की संख्या	7,55,920	1,46,613
5 वर्ष से अधिक समय से और 10 वर्ष तक लंवित मामलों की संख्या	2,32,596	42,144
10 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों (जिनके अंतगत 20 वर्ष और उससे अधिक के मामले भी हैं) की संख्या	1,36,650	25,424

(ख) न्यायालयों में वकाया मामलों की समस्या पर विचार करने और उन्हें यथासभव शीघ्र निपटाने के लिए तरीकों और उपायों का पता लगाने के लिए मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों की एक बैठक 4 दिसंबर, 1993 को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी। सम्मेलन में अंगीकृत संकल्पों को सभी राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और उच्च न्यायालयों को, जिनके अंतगत इलाहाबाद और दिल्ली के उच्च न्यायालय भी हैं, आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। मामलों के शीघ्र निपटारे के मार्ग में आने वाली अवसंरचनात्मक बाधाओं को दूर करने की दृष्टि से न्याय प्रशासन को केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के रूप में योजना मद बनाया गया है।

फालतू भूमि का उपयोग

1584. **श्री राम नाईक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा मुम्बई में फालतू भूमि में वाणिज्यिक उपयोग द्वारा धनराशि जुटाने का प्रस्ताव मत्रालय के विचाराधीन है अथवा इसे आस्थगित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कब से और इसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) मुबई के लिए नवंबर, 91 में तैयार किए गए पायलट प्रस्ताव में वांद्रा में रेलवे भूमि के भूखंड के ऊपरी स्थान के उपयोग के माध्यम से ही धन जुटाना शामिल है। इस प्रस्ताव के संबंध में निर्णय आस्थगित रखा गया है।

[हिन्दी]

वालू अलग करने का काम्प्लेक्स

1585. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कुछ राज्यों में तथा विशेषरूप से गुजरात में किसी विदेशी कंपनी के सहयोग से वालू अलग करने का काम्प्लेक्स स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन विदेशी कंपनियों तथा उन राज्यों तथा उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां इन काम्प्लेक्सों को स्थापित किए जाने का विचार है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) केरल राज्य के कोलाम जिले में पुलिन बालू में से खनिज निक्षेपों को निकालने के लिए इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड और केरल सरकार द्वारा मैसर्स रेनिसन्स गोल्डफील्ड्स कंसोलिडेटिड लिमिटेड नामक एक विदेशी कंपनी, और चैमप्लास्ट सनमार लिमिटेड नामक एक प्राइवेट कपनी के साथ मिलकर एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) इन पक्षों के बीच बातचीत चल रही है।

[अनुवाद]

सेना कैंटीन

1586. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या **प्रधान मंत्री** 23 अगस्त, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2874 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना मुख्यालय कैंटीन (यू०आर०सी) नई दिल्ली की प्रबंध समिति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संबंध में महालेखाकार शाखा, सेना मुख्यालय द्वारा गठित जाच समिति ने सरकार को अपनी जांच अंतरिम रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) कथित भ्रष्टाचारों के मामलों में संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जांच समिति ने सेना मुख्यालय कैंटीन की प्रबंध समिति के तत्कालीन अध्यक्ष की गवाही पर ध्यान नहीं दिया है जिन पर भ्रष्टाचार आदि के आरोप लगाए गए थे;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या यह सच है कि इस सेवा अधिकारी द्वारा नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में अपनी सामान्य कार्यावधि पूरा किए बिना उसे नई दिल्ली से स्थानांतरित कर दिया गया है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और किस तिथि को ये आदेश जारी किए गए ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग-अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (छ) सेना मुख्यालय कैंटीन सेना की रेजिमेंटल संस्था होने के कारण सरकार द्वारा चलाए जाने वाली कैंटीन नहीं है। यह सेना की निजी रूप से चलाई जाने वाली कैंटीन है। अतः सामान्यतः इस मामले में सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जानी है।

सेना मुख्यालय ने बताया है कि ए जी ब्रांच द्वारा गठित जांच समिति ने क्यू एम जी ब्रांच को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और जांच समिति ने कैंटीन प्रबंधन समिति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को झूठा, निराधार और द्वेषपूर्ण पाया है। सेना मुख्यालय ने यह भी बताया है कि जांच समिति ने सभी संबंधित गवाहों के बयान दर्ज करने के पश्चात् प्रबंध समिति के पूर्व अध्यक्ष का बयान दर्ज करना आवश्यक नहीं समझा क्योंकि किसी भी प्रकार का गलत कार्य किए जाने का कोई प्रमाण नहीं मिल रहा था।

कैंटीन प्रबंध समिति के पूर्व अध्यक्ष, सेना सेवा कोर से होने के नाते, सेना मुख्यालय में अपर महानिदेशक, पूर्ति और परिवहन का पद धारण किए हुए थे, इस रैंक में उनके लिए अपने कैरियर के हित में यह आवश्यक है कि वे अपनी कोर में आगे उन्नति के लिए एम०जी०ए०एस० की नियुक्ति पर रहें। जब इस प्रकार का पद रिक्त हुआ तो उन्हें 11.10.1995 को उस पद पर स्थानांतरित कर दिया गया।

बिहार में क्षेत्रीय कार्यालय

1587. **श्री राम विलास पासवान :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है,

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त राज्य में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का है, और

(ग) यदि हां, तो यह कब तक कार्य करना शुरू कर देगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) बिहार में कोई क्षेत्रीय रेल मुख्यालय नहीं है।

(ख) और (ग) एक आमान परियोजना तथा कोंकण रेल के गठन के परिप्रेक्ष्य में जोनों तथा मंडलों के मौजूदा भौगोलिक अधिकार क्षेत्रों की जांच करने के लिए गठित अध्ययन दल ने इसे युक्तियुक्त बनाने की आवश्यकता का सुझाव दिया है। इस प्रक्रिया में कुछ नए जोनों तथा मंडलों का सृजन किया जा सकता है।

प्रस्ताव तैयार करने तथा अन्य संबंधित मामलों पर आगे की कारवाई की जा रही है।

पश्चिमी रेलवे को प्रस्ताव

1588. **श्री चंद्रेश पटेल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों और अन्य संगठनों की ओर से कुछ नई रेलगाड़ियां चलाने, कुछ रेलगाड़ियों को कुछ स्थानों पर थोड़े समय के लिए रोकने, कुछ रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण करने, कुछ रेलगाड़ियों को पश्चिम रेलवे में बड़ोदा डिविजन में भावनगर, राजकोट, अहमदाबाद तक चलाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) भावनगर-तारापुर बड़ी रेल लाइन के निर्माण की बहुत समय से चली आ रही मांग को पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) इस संबंध में संसद सदस्यों, यात्री संघों सहित अन्य लोगों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं।

(ख) इन सभी मांगों की विधिवत जांच की जाती है और यथा व्यावहारिक कारवाई की जाती है। इसके परिणामस्वरूप 1995-96 के दौरान पश्चिम रेल के भावनगर, राजकोट एवं बड़ोदरा मंडलों में निम्नलिखित अतिरिक्त रेल सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं :–

I. नई गाड़ियां

9935/9936 अहमदाबाद-भावनगर एक्सप्रेस

8403/8404 अहमदाबाद-पुरी जनसेवा एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

279/280 बोटाद-सुरेन्द्र नगर, तेज पैसेंजर

भिलाई-सूरत-भड़ौंच-वडोदरा एवं वडोदरा-अहमदाबाद खंडों में एम.ई.एम. यू. गाड़ियां।

II. विस्तार

गाड़ियां	तक
211/212 तेज पैसेंजर	राजकोट
213/214 पैसेंजर	मनवाड
215/216 पैसेंजर	मनवाड
199/200 पैसेंजर	अम्बलीधासन
1 जे एस.एम./2 जे.एस.एम. तेज पैसेंजर	अहमदाबाद
351/353 पैसेंजर	जैतलसोर

III. ठहराव

गाड़ियां	स्टेशन
9011/9012 गुजरात एक्सप्रेस	अंबरगांव
211/212 राजकोट-पोरबंदर पैसेंजर	अलियावदा, हदमलिया, पदाधारी, जलिया देवानी एव जाम्वंथली

IV. रेलवे स्टेशनों की मरम्मत/उनका विस्तार एवं विकास

चालू वर्ष के दौरान धांगधरा, हथुरून किम, मनी नगर, मेहमदवाड, खेड़ा रोड, नबीपुर, राजकोट, उतरान, वडोदरा, वीरमगाम, विश्वमित्री, गोधनगांव, कोसाड एवं कुडसाड पर कार्य शुरू किया गया। हथुरन एवं विश्वमित्री रेलवे स्टेशनों में कार्य पूरा हो गया है।

(ग) विभिन्न क्षेत्रों से पुरजोर मांग के परिणामस्वरूप विगत में भावनगर-तारापुर नई ब०ला० (149.82 कि०मी०) के लिए एक अंतिम स्थान निर्धारण, इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण किया गया था। परन्तु इस परियोजना को अलाभप्रद पाया गया जिस कारण इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

जम्मू और कश्मीर में विद्रोह

1589. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान और अप्रैल-सितंबर 1995 के दौरान चल रहे विद्रोह और विद्रोह रोधी अभियान में कुल कितने व्यक्ति मारे गए हैं;

(ख) विद्रोहियों द्वारा पृथक-पृथक कितने सुरक्षा कर्मी और नागरिक मारे गए;

(ग) इस अवधि के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा एन्काउंटर अथवा गोलीबारी में पृथक पृथक कितने विद्रोही और नागरिक मारे गए हैं;

(घ) क्या क्रम में मारे गए सभी नागरिकों के निकट संबंधी को निर्धारित मानदड के अनुसार कोइ मुआवजे की राशि प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसे कितने दावे हैं जो 1 नवंबर, 1995 की स्थिति के अनुसार लंबित पड़े हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग) वर्ष 1994 और सितंबर, 1995 तक के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादी हिंसा में मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या 4981 है। इसमें 1967 सिविलियन, 384 सुरक्षा बल कर्मी तथा 2630 उग्रवादी शामिल हैं।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

हृदय रोग

1590. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हृदय रोग के कारण होने वाली मृत्यु के मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इन रोगों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए० आर० अंतुले) : (क) चूंकि हृदय रोग अधिसूचनीय नहीं है इसलिए कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) शुरू किए जा रहे उपायों में स्वास्थ्य शिक्षा, रोगियों को परामर्श देना और उपचार सुविधाओं की व्यवस्था/संवर्धन करना शामिल है।

दिल्ली से परभनी तक रेलगाड़ी

1591. **श्री अशोक आनंदराव देशमुख** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में परभनी से दिल्ली तक बरास्ते मनमाड सीधी एक्सप्रेस गाड़ी चलाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उक्त गाड़ी कब तक चलाई जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) नदिड-अमृतसर के बीच परभनी-दिल्ली को सेवित करने वाली गाड़ी चलाने की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय नवीकरण कोष

1592. **श्री नीतीश कुमार :**
डा० महादीपक सिंह शाक्य :
श्री एन० जे० राठवा :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और इस वर्ष अब तक राज्यवार राष्ट्रीय नवीकरण कोष से कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ख) क्या यह घोषणा की गई थी कि उक्त कोष की धनराशि का उपयोग श्रमिकों के पुनर्वास और उन्नत प्रशिक्षण के लिए किया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान कितने श्रमिकों का पुनर्वास किया गया और उन्हें प्रशिक्षण दिया गया;

(घ) 1994-95 और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान क्रियान्वित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) राष्ट्रीय नवीकरण कोष के अंतर्गत 1995-96 के दौरान देश में, विशेषकर गुजरात में किन कार्यक्रमों को आरंभ किये जाने का प्रस्ताव है;

(च) 30 सितंबर, 1995 तक राज्यों से राष्ट्रीय नवीकरण कोष से सहायता मांगने संबंधी प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस समय ये प्रस्ताव किस स्तर पर हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) और (ख) आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी प्रोन्नोति तथा औद्योगिक पुनः संरचना से प्रभावित कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए 3 फरवरी, 1992 को राष्ट्रीय नवीकरण निधि

की स्थापना की गई है। प्रथमतः विभिन्न राज्यों में स्थित स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को सहायता प्रदान की गई है। राष्ट्रीय नवीकरण निधी से खर्च की गई धनराशि से संबंधित आंकड़े प्रशासनिक मंत्रालयवार रखे जाते हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय नवीकरण निधि अन्य बातों के साथ-साथ कर्मचारियों के पुनः प्रशिक्षण तथा पुनः तैनाती की व्यवस्था के लिए सहायता प्रदान करता है। प्रारंभ में प्रारंभिक आधार पर, बंबई, अहमदाबाद, इंदौर, कानपुर तथा कलकत्ता में पांच कर्मचारी सहायता केन्द्रों की स्थापना की गई थी। इस योजना का अब 16 राज्यों में 13 केन्द्रीय एजेन्सियों के माध्यम से 49 स्थानों में विस्तार किया गया है। अब तक विभिन्न केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा सर्वेक्षण के तहत 27,900 कर्मचारियों को लिया गया है, जिनमें से 17,236 कर्मचारियों को परामर्श, पुनः प्रशिक्षण तथा पुनः तैनाती के लिए सहायता प्रदान की गई है।

(ङ) से (छ) गुजरात राज्य में, गुजरात सरकार द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार गांधी नगर श्रमिक संस्थान के माध्यम से बड़ौदा, सुरेन्द्र नगर, पोरबंदर, कालोल तथा नवसाड़ी सहित विभिन्न स्थानों तक परामर्श, पुनः प्रशिक्षण तथा पुनः नियुक्ति के लिए योजना का विस्तार किया गया है। सरकार को राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता के लिए विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण 2 में दिए गए हैं। राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता प्रदान करने के लिए संचालन कार्यविधियां सुनिश्चित हो जाने के बाद ही प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

विवरण I

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान राष्ट्रीय नवीकरण निधि द्वारा प्रदान की गई सहायता का मंत्रालय-वार ब्यौरा

क्रम सं०	मंत्रालय/विभाग का नाम	करोड़ रुपये में व्यय		
		1993-94	1994-95	1995-96 (31.10.95 की स्थिति के अनुसार)
1.	रसायन तथा पैट्रो-रसायन विभाग	40.20	25.50	-
2.	उर्वरक विभाग	0.50	3.50	4.35
3.	नागरिक विमानन तथा पर्यटन मंत्रालय	8.64	-	-
4.	नागरिक आपूर्ति, उपभोक्त मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	7.00	-	-
5.	रक्षा मंत्रालय	10.00	12.23	-
6.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	2.00	-	-
7.	भारी उद्योग विभाग	179.09	85.22	6.37
8.	खान मंत्रालय	82.48	35.00	-
9.	भूतल परिवहन मंत्रालय	36.20	17.07	-
10.	वस्त्र मंत्रालय	129.95	40.00	10.00
11.	जल संसाधन मंत्रालय	6.00	-	-
12.	परमाणु ऊर्जा विभाग	5.00	5.00	
13.	इस्पात मंत्रालय	34.00	37.02	11.00

विवरण II

राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता के लिए विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की सूची

गुजरात

1. गुजरात स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड
2. अरविन्द मिल्स
3. नवसाड़ी काटन एंड सिल्क लिमिटेड

असम

4. फर्टीकेमि० लिमिटेड
5. कचहार सुगर मिल्स लिमिटेड

नागालैंड

6. नागालैंड फोरेस्ट प्रोडक्टस लिमिटेड
7. नागालैंड शूगर मिल्स कं० लिमिटेड

उड़ीसा

8. इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट कार्पोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड

तमिलनाडु

9. तमिलनाडु लघु उद्योग कार्पोरेशन लि०
10. तमिलनाडु मेगनेसियम एण्ड मेराइन केमिकल्स लिमिटेड
11. साउदर्न स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
12. तमिलनाडु मेग्नेसाइट लिमिटेड

13. तमिलनाडु सीमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

14. डालमिया मेग्नेसाइट कार्पोरेशन लिमिटेड (प्रो० डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड)

15. तमिलनाडु एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन

16. बिनी लिमिटेड

उत्तर प्रदेश

17. अपट्रान इंडिया लिमिटेड

18. यू०पी० सीमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

बिहार

19. सोन वैली सीमेंट लिमिटेड

पश्चिम बंगाल

20. टीटाघर पेपर मिल्स कं० लिमिटेड

21. न्यू सेंट्रल जूट मिल्स कं० लिमिटेड

मध्य प्रदेश

22. इंदौर टेक्सटाइल मिल्स

23. बिनोद मिल्स कं० लिमिटेड

आंध्र प्रदेश

24. सरसिल्क कं० लिमिटेड

25. मैसर्स एलविन आटो लिमिटेड

26. मैसर्स रिपब्लिक फोर्ज कं० लिमिटेड

राजस्थान

27. राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड

कर्नाटक

28. कर्नाटक मिनरल्स एंड मेनुफैक्चरिंग कं० लिमिटेड (यूनिट : गोकुल सीमेंट)

29. कर्नाटक एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड

30. एन०जी०ई०एफ० लिमिटेड

महाराष्ट्र

31. टेक्सटाइल कार्पोरेशन ऑफ मराटवाडा लिमिटेड

32. महाराष्ट्र स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड

दिल्ली

33. दिल्ली स्टेट मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

[अनुवाद]

सफदरजंग अस्पताल

1593. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली द्वारा "इन्ट्राविनसफ्लाइड्स" को ऊंचे दरों पर कथित खरीद की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए० आर० अंतुले) : (क) से (घ) जी, हां। इस मामले की स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक द्वारा और आगे अपर सचिव (स्वास्थ्य) द्वारा भी जांच कराई गई थी।

जांच में ब्लो फिल सील बोतलों की बजाए शीशे की बोतलें, जो अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं, में अन्तः शिरा द्रवों की खरीद के बारे में टिप्पणियां की गई। चूंकि सफदरजंग अस्पताल में अन्तः शिरा द्रवों का उपभोग बहुत अधिक है और अन्तः शिरा द्रवों की ब्लो फिल सील बोतलों की प्रौद्योगिकी देश के लिए अपेक्षाकृत नई है इसलिए शीशे की बोतलों में अन्तः शिरा द्रव सुपर बाजार जैसी सरकार की अधिकृत दुकानों से खरीदे गए थे।

[हिन्दी]

बहादुरगढ़ पर स्टाप

1594. **श्री जंगवीर सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दैनिक यात्रियों ने नई दिल्ली और गंगानगर के बीच चलने वाली दैनिक एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को बहादुरगढ़ स्टेशन पर स्टाप बनाने के लिए अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस पर कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) जांच की गई थी किंतु परिचालनिक आवश्यकताओं तथा यातायात का औचित्य न होने के कारण इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

मुम्बई में एच०आई०वी० के मामले

1595. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री मोहन रावले :
श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मम्बई में एच०आई०वी० पोजीटिव और एड्स के पूर्णतः विकसित मामलों की संख्या में गंभीर वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो एच०आई०वी० पोजीटिव मामलों की ऐसी भारी वृद्धि के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं;

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) मुम्बई में एच०आई०वी० पोजीटिव मामलों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी पर काबू पाने के लिए क्या कठोर उपाय किए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए० आर० अंतुले) : (क) और (ख) बेहतर नैदानिक सुविधाओं और चिकित्सा और परा चिकित्सा कार्मिकों के प्रशिक्षण के कारण महाराष्ट्र से एच०आई०वी०/एड्स के और अधिक मामलों की सूचना मिल रही है।

(ग) और (घ) एच०आई०वी०/एड्स को रोकने तथा नियंत्रित करने का एक व्यापक कार्यक्रम बंबई सहित सारे देश में इस समय कार्यान्वित किया जा रहा है।

यूरेनियम की तस्करी

1596. **डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय से यूरेनियम की तस्करी के संबंध में कुछ विदेशी नागरिकों को अक्टूबर, 1994 के अंत में गिरफ्तार किया गया था;

(ख) क्या यूरेनियम की चोरी की कुछ घटनाएं हुई हैं, यदि हां, तो ऐसी घटनाओं का ब्योरा क्या है; और

(ग) उन स्थानों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गयी है जहां पर यूरेनियम का खनन होता है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, नहीं।

(ख) मेघालय पुलिस ने 12 अक्टूबर, 1994 को चार व्यक्ति पकड़े थे जिनके कब्जे में अवैध रूप से 2.5 किलोग्राम सोडियम-डाई-यूरेनेट था जिसे येलो केक भी कहा जाता है। मेघालय पुलिस ने पुनः जनवरी, 1995 में पांच व्यक्तियों को 3.5 किलोग्राम येलो केक के साथ पकड़ा, और मार्च, 1995 में दो व्यक्तियों को एक किलोग्राम येलो केक के साथ गिरफ्तार किया था।

(ग) परमाणु खनिज प्रभाग द्वारा मेघालय के डोमियासियात में पूर्वेक्षण का और प्रायोगिक संयंत्र के परिचालन का कार्य पूरा हो गया है तथा इस संयंत्र को अंतिम रूप से बंद कर दिया गया है। इसलिए, किसी सुरक्षा व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं है।

भारत-चीन संयुक्त कार्यदल की बैठक

1597. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-चीन संयुक्त कार्यदल की पिछली बैठक के परिणामस्वरूप दोनों पक्ष वांगडंग क्षेत्र की दो चौकियों से अपनी सेनाएं हटाने के लिए सहमत हुए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि लगभग दस वर्ष पूर्व चीन की सेनाओं ने इस क्षेत्र में घुसकर हमारी विद्यमान सीमावर्ती चौकियों को छल-कपट से घेर लिया था और नई चौकियां स्थापित कर दी;

(ग) क्या भारतीय सुरक्षा सेनाएं अब इन दोनों चौकियों से हट जाएंगी; और

(घ) क्या इस प्रकार वहां से हटने का तात्पर्य भारत को नियंत्रणाधीन भारतीय क्षेत्र से हटना होगा जबकि 1987-88 में इसी प्रकार का प्रस्ताव चीन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) संयुक्त कार्यदल की अगस्त, 1995 में हुई आठवीं बैठक में भारत और चीन के बीच किए गए करार के अनुसार भारत और चीन दोनों देश पूर्वी सेक्टर में समडोरांग चू घाटी (वांगडंग क्षेत्र) के निकट बनी चार चौकियों अर्थात् दोनों तरफ की दो दो चौकियों की पीछे हटाने पर सहमत हो गए थे। इन चौकियों को हटाए जाने से इस क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन की स्थितियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख) जून, 1986 में यह पता चला था कि चीनी सैनिकों ने समडोरांग चू घाटी में घुसपैठ की थी और उन्होंने वहां पर अपनी मौजूदगी सुस्थापित कर दी। बाद में इस क्षेत्र में नई चौकियां बना ली गई।

(ग) और (घ) संयुक्त कार्यदल में हुई सहमति के अनुसार दोनों देशों ने अपनी अपनी चौकियां हटा ली हैं। उक्त चौकियों को हटाए जाने से हमारे वास्तविक नियंत्रण की यथा स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा संयंत्र

1598. **श्री सत्यदेव सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनी "एमको" एनरान ने देश में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थिति-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन संयंत्रों से कम मूल्यों पर विद्युत आपूर्ति की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : राजस्थान सरकार ने स्वयं बनाओ, चलाओ और देख भाल करो के आधार पर सौर प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी पर आधारित 50 मे०वा० के एक विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसर्स एमको एनर्जन सोलर पावर डेवलपमेंट को एक आशय पत्र जारी किया है। राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा, पांचवें वर्ष में आरंभ होने वाली सात वर्षों हेतु 3.818 रुपये की राशि को छोड़कर, 25 वर्षों हेतु भारतीय रुपये में 2.246 रुपये प्रति कि०वा० घं० का भुगतान किया जाएगा।

[अनुवाद]

लाभांश दायित्वों की माफी

1599. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने 1995-96 में, 1,900 करोड़ रुपए मूल्य के लाभांश दायित्वों पर माफी के लिए मंत्रिमंडल की स्वीकृति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा 1,900 करोड़ रुपए के लाभांश दायित्वों की माफी मांगे जाने का क्या औचित्य है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अंतिम निर्णय लिया गया है और चालू वित्त वर्ष में केन्द्रीय बजट के प्रावधानों पर इसका क्या समग्र प्रभाव पड़ेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति

1600. **श्री मोहन रावले** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार जनसंख्या योजनाओं को लागू करने के लिए इंडोनेशिया के आयोग की तरह जनसंख्या तथा सामाजिक विकास आयोग स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए० आर० अंतुले) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को भारत सरकार द्वारा 1983 में संसद की स्वीकृति से अंगीकार कर लिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की प्रमुख विशेषताऐं इस प्रकार हैं :–

(एक) व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या कार्यनीति और सामुदायिक भागीदारी के जरिए 2000 ई. तक "सबके लिए स्वास्थ्य" के लक्ष्य के प्रति वचनबद्धता।

(दो) स्वैच्छिक आधार पर परिवार नियोजन को विधियां अपनाने को प्रोत्साहित करके छोटे परिवार के मानदंड को अपनाना।

(तीन) रोग प्रतिक्षण और पौषणिक पूरकता सहित सुरक्षित मातृत्व और शिशु जीवन रक्षा सुनिश्चित करना।

(चार) संचारों और गैर-संचारी रोगों के नियंत्रण/उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करना।

(पांच) कार्मिक शक्ति अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा की पुनः संरचना।

(छः) पर्यावरणिक सफाई।

(सात) खाद्य अपमिश्रण निवारण और औषध अभिकरणों का प्रवर्तन।

(आठ) समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा प्रचार-प्रसार।

(नौ) एक रेफरल पद्धति विकसित करना।

(दस) विधिवत प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ महामारी विज्ञान केन्द्र स्थापित करना।

(ग्यारह) मानसिक मंदता, बहरे, गूंगे, दृष्टिहीन, शारीरिक रूप से विकलांग, दुर्बल और वृद्ध व्यक्तियों का पुनर्वास और जनजातीय, पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान करना।

(बारह) स्वास्थ्य सूचना प्रबंध पद्धति विकसित करना।

(तेरह) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी का विकास और स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाय पद्धतियों में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक व्यवसासियों को शामिल करना।

(चौदह) जैव-चिकित्सीय और संबद्ध विज्ञानों में अनुसंधान करना।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं। इस समय नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

समन्वित सैन्य कूटनीति

1601. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** :
श्री तारा सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 अक्टूबर, 1995 के "दि स्टेट्समैन", में "नीड फार इन्टीग्रेटेड मिलिटरी स्ट्रेटेजी स्ट्रेस्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत की एक व्यापक सामरिक और सुरक्षा नीति है जो अन्य बातों के साथ-साथ हमारे संभावित खतरों और विश्व तथा क्षेत्रीय सुरक्षा परिवेश पर आधारित है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए इस नीति की निरंतर समीक्षा की जाती है ताकि सरकार राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आए किसी भी खतरे का सामना करने के लिए आवश्यक कदम उठा सके।

कंपनियों का विलय

1602. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1993 से अब तक कितनी भारतीय कंपनियों का बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ विलय हुआ है; और

(ख) क्या सरकार ने देश में स्वास्थ्य प्रतियोगिता के स्तर पर इस प्रकार के विलयों तथा अधिग्रहणों के प्रभाव पर विचार किया है ?

वित्त, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्वास्थ्य सम्मेलन

1603. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद द्वारा अक्तूबर, 1995 में एक तीन दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में परिवार कल्याण योजना के कार्यान्वयन के संबंध में क्या प्रमुख सिफारिशें और टिप्पणियां की गई हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार विवाह की प्रभावी आयु को बढ़ाने, गर्भपात के नियमों और विनियमों में संशोधन करने तथा प्रसव-पूर्व निदान तकनीक का कार्यान्वयन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए० आर० अंतुले) : (क) और (ख) जी, हां। सम्मेलन में परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में की गई सिफारिशें और टिप्पणियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) सरकार ने इन सिफारिशों को सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। ब्यौरा प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में शामिल है।

विवरण

जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और दम्पति सुरक्षा दर को प्रभावित करने के संबंध में हुई परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रगति

संकल्प

परिषद राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति द्वारा निर्धारित किए गए परिवार कल्याण कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विभिन्न राज्यों द्वारा की गई प्रगति को नोट करती है। परिषद परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करना चाहेगी। परिषद उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का आभार व्यक्त करना चाहेगी जिन्होंने 2000 ई. के लक्ष्यों को पहले ही प्राप्त कर लिया है और उनका भी आभार व्यक्त करना चाहेगी जो इन लक्ष्यों के काफी नजदीक पहुंच गए हैं। परिषद अन्य राज्यों से जोरदार ढंग से आग्रह करती है कि वे जनसंख्या और परिवार कल्याण कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता प्रदान करके इस दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखें।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और कवरेज मूल्यांकन सर्वेक्षणों के निष्कर्षों में भिन्नताएं और रोग प्रतिरक्षण की स्थिति के बारे में राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टें

संकल्प

परिषद संकल्प करती है कि रोग प्रतिरक्षण की स्थिति के बारे में सूचना और अनुवीक्षण पद्धतियों को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए ताकि शिशुओं और गर्भवती महिलाओं में रोग प्रतिरक्षण कवरेज स्तरों का वास्तविक रूप में आकलन किया जा सके। रोग प्रतिरक्षण कवरेज को बढ़ा चढ़ाकर बताने को जोरदार ढंग से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और उससे बचा जाना चाहिए।

गर्भ निरोधन के मात्रात्मक लक्ष्यों की बजाए मार्गदर्शी आधार पर गुणात्मक संकेतकों को अपनाना, इन्हीं मार्गदर्शी क्षेत्रों में परंपरागत गर्भ निरोधकों और मुखसेव्य गोलियों को, खरीदी जाने वाली वस्तुओं के रूप में उपलब्ध कराने की व्यवहार्यता

संकल्प

परिषद गर्भ निरोधन के मात्रात्मक लक्ष्यों के बजाए गुणात्मक संकेतकों को अपनाने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहलों का समर्थन करना चाहेगी। तथापि कुछेक राज्यों ने यह चिन्ता व्यक्त की है कि लक्ष्यों को समाप्त करने से कार्य निष्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और समुदाय द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य वांछनीय होंगे। परिषद गर्भ निरोधकों और अन्य आपूर्तियों की बरबादी को कम करने के प्रयासों का भी समर्थन करना चाहेगी और इस संबंध में मुफ्त कंडोमों और खाई जाने वाली गोलियों जिन्हें सेवा प्रदानकर्ताओं द्वारा रखा जा सकता है, पर नाममात्र सेवा शुल्क वसूल करने के प्रस्तावित मार्गदर्शी प्रयोग का समर्थन करती है। मार्गदर्शी प्रयोग के लिए क्षेत्रों के बारे में निर्णय संबंधित राज्यों के साथ परामर्श करके किया जाए। कंडोम प्रदान करते और सेवा शुल्क वसूल करते समय गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी है।

राज्य सरकारों द्वारा विचारार्थ चिकित्सीय गर्भ समापन विनियमों और नियमों में प्रस्तावित संशोधन

संकल्प

परिषद सरकार द्वारा यथा प्रस्तावित चिकित्सीय गर्भ समापन नियमों और विनियमों में परिषद द्वारा आगे सुझाए गए और संलग्न विवरण में दिए गए प्रस्तावित

संशोधनों में समाविष्ट किए गए परिवर्तनों के साथ शोधन/संशोधन करने का समर्थन करने के लिए संकल्प करती है ताकि सुरक्षित गर्भ समापन सेवाओं के लिए सुविधाओं में वृद्धि की जा सके।

परिषद बहुत बड़ी संख्या में किए जा रहे असुरक्षित गर्भ समापनों को भी नोट करती है और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला के स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षित गर्भ समापन सेवाओं का विस्तार करने की सिफारिश करती है।

चिकित्सीय गर्भसमापन नियम, 1975 में किए गए सुधारों/संशोधनों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	नियम संख्या	मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित सुधार/संशोधन
1.	नियम 2	इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं	2(छ) सिविल सर्जन जोड़े।
2.	नियम 3	अनुभव या प्रशिक्षण आदि धारा 2 के खंड (घ) के प्रयोजन के लिए, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी को स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान में निम्नलिखित लिखित में से एक या अधिक का अनुभव प्राप्त होना चाहिये, अर्थात्:–	2(च) चिकित्सीय गर्भसमापन के स्थान पर अनुमोदन के लिए जिला स्तर पर गठित समिति जिसके अध्यक्ष सर्जन/मुख्य चिकित्सा अधिकारी और सदस्य प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान तथा संवेदनाहरण विज्ञान विशेषज्ञ होंगे।
		(क) ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की दशा में, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व राज्य चिकित्सा रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हुआ हो, स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान के व्यवसाय में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव	(क) जैसा कि मूल रूप में है।
		(ख) ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की दशा में जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को या उसके पश्चात् राज्य चिकित्सक रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हुआ है।	(ख) ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की दशा में जो इस अधिनियम के आरंभ होने की तारीख को या उसके पश्चात् राज्य चिकित्सक रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हुआ है।
		(1) यदि उसने स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान में छः मास की हाउस सर्जरी पूरी कर ली हो, अथवा	यदि उसने चिकित्सीय गर्भ समापन में प्रशिक्षण प्राप्त किया है जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है:
		(2) जहां उसने ऐसी कोई हाउस सर्जरी पूरी नहीं की है, यदि उसके पास किसी अस्पताल में स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान के व्यवसाय का कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो, अथवा	(i) यदि उसने सरकार द्वारा स्थापित या संचालित अस्पताल अथवा इसी प्रयोजन के लिए अनुमोदित किसी प्रशिक्षण संस्थान में 10 मामलों में पर्यवेक्षण के अधीन गर्भ का चिकित्सीय समापन किया है और ऐसे 15 मामलों में सहायता की है।
		(3) यदि उसने गर्भ के चिकित्सीय समापन के लिये सरकार द्वारा स्थापित अथवा संचालित अस्पताल में, अथवा इसी प्रयोजन के लिए अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में, गर्भ के चिकित्सकीय समापन के पच्चीस मामलों में किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी की सहायता की हो।	
		(ग) ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी की दशा में जो किसी राज्य चिकित्सा रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हो चुका हो और जो स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा धारी हो, ऐसी डिग्री अथवा डिप्लोमा के दौरान प्राप्त अनुभव अथवा प्रशिक्षण।	(ग) जैसा कि मूल रूप में है।

क्रम सं०	नियम संख्या	मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित सुधार/संशोधन
3.	नियम 4	4.3 उप नियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी उसमें अन्तर्विष्ट जानकारी का सत्यापन करेगा या उसके बारे में अपना समाधान करने के लिए पूछताछ करेगा या उस स्थान पर निरीक्षण करेगा कि उपनियम (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं की उसमें व्यवस्था की गई है और वहां पर निरापद और स्वास्थ्यकर दशाओं में गर्भ का समापन किया जा सकता है।	4.3 मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्थान पर समिति रखा जाए।
		4.4 जिस स्थान का निरीक्षण जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाना है उसका प्रत्येक स्वामी उस स्थान के निरीक्षण के लिए सभी युक्तियुक्त सुविधायें प्रदान करेगा।	4.4 मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्थान पर समिति रखा जाए।
		4.5 जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी सरकार से ऐसे स्थान के अनुमोदन के लिए सिफारिश कर सकेगा यदि ऐसे सत्यापन पूछताछ अथवा निरीक्षण के पश्चात् यह आवश्यक समझता हो, उसका यह समाधान हो जाता है कि वहां पर निरापद समझता हो, और स्वास्थ्यकर दशाओं में गर्भ का समापन किया जा सकता है।	4.5 समिति मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन से ऐसे स्थान के अनुमोदन के लिए सिफारिश कर सकेगी यदि ऐसे सत्यापन पूछताछ अथवा निरीक्षण के पश्चात् वह आवश्यक समझती हो कि वहां पर निरापद और स्वास्थ्यकर दशाओं में गर्भ का समापन किया जा रहा है।
		4.6 आवेदन और जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात सरकार ऐसे स्थान का अनुमोदन कर सकेगी और प्ररूप में अनुमोदन का प्रमाण दे सकेगी।	4.6 सरकार के स्थान पर समिति रखा जाए।
		4.7 सरकार द्वारा जारी किए गए अनुमोदन का प्रमाण-पत्र उस स्थान पर सहजदृश्य रूप से प्रदर्शित किया जायेगा जिससे कि वे व्यक्ति जो उस स्थान में जाएं उसे आसानी से देख सकें।	4.7 सरकार के स्थान पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन रखा जाए। 4.8 जोड़े "अनुमोदन का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए समिति को अधिक से अधिक 3 माह का समय दिया जाए। अथवा उसे देर से दिया गया अनुमोदन समझा जाएगा। तथापि ऐसी अवस्थाओं में बाद में ऐसे स्थान की पुनरीक्षा निरीक्षण करने पर यदि सुविधाओं का समुचित ढंग से रखरखाव नहीं किया जा रहा है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी लाइसेंस को अस्थायी तौर पर निलंबित कर सकता है। इस तथ्य की सूचना समिति को नियम 6 में दिए अनुसार आगे पुनरीक्षा और कार्रवाई करने के लिए दे सकता है।
4.	नियम 6	अनुमोदन के प्रमाण-पत्र का रद्द अथवा निलंबित किया जाना : (1) यदि नियम 4 के अधीन अनुमोदित किसी स्थान के निरीक्षण के पश्चात् जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह समाधान हो जाए कि नियम 4 में विनिर्दिष्ट सुविधाएं उसमें समुचित रूप से नहीं दी जा रही हैं और ऐसे स्थान पर गर्भ का समापन निरापद और स्वास्थ्यकर दशाओं में नहीं किया जा सकता है तो वह उस बात की रिपोर्ट सरकार को देगा जिसमें उस स्थान पर पाई	6. अनुमोदन के प्रमाणपत्र का रद्द अथवा निलंबित किया जाना – निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा : 1.(क) यदि नियम 4 के अधीन अनुमोदित किसी स्थान के निरीक्षण के पश्चात् मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह समाधान हो जाए कि नियम 4 में विनिर्दिष्ट सुविधाएं उसमें समुचित रूप से नहीं दी जा रही हैं और ऐसे स्थान पर गर्भ का समापन निरापद और स्वास्थ्यकर दशाओं में नहीं किया जा सकता है तो वह उस बात की रिपोर्ट समिति को देगा जिसमें उस स्थान पर पाई गई कमियों और त्रुटियों का ब्यौरा दिया जाएगा। ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर समिति उस स्थान के स्वामी को सुनवाई का उचित युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उस अनुमोदन प्रमाणपत्र को या तो रद्द कर सकेगी या उतनी अवधि

क्रम सं०	नियम संख्या	मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित सुधार/संशोधन
		गई कमियों और त्रुटियों का ब्यौरा दिया जाएगा। एसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार उस स्थान के स्वामी की सुनवाई का उचित युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उस अनुमोदन प्रमाणपत्र को या तो रद्द कर सकेगी या उतनी अवधि के लिए निलंबित कर सकेगी जितनी वह ठीक समझे।	के लिए निलंबित कर सकेगी जितनी वह ठीक समझे। इस सूचना की जानकारी राज्य प्राधिकरणों को दी जाएगी। 6(i)(ख) जोड़ें "यदि स्थान का स्वामी उपधारा 7, (i)(ख) के अंतर्गत अपेक्षित माहवार सूचना नहीं दे रहा है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी इस मामले की सूचना समिति को देगा, जो उस स्थान के अनुमोदन को उतनी अवधि के लिए निलंबित कर सकेगी जितनी ठीक समझे।
		(2) जहां नियम 4 के अधीन दिए गए किसी प्रमाण-पत्र को रद्द अथवा निलंबित किया जाए वहां उस स्थान का स्वामी उस स्थान में ऐसे परिवर्तन या सुधार कर सकेगा जिन्हें वह ठीक समझे, और उसके पश्चात् वह सरकार को यथास्थिति नियम 4 के अधीन अपने को अनुमोदन का नया प्रमाणपत्र दिये जाने के लिए, या उस प्रमाण-पत्र को पुनः प्रवर्तित करने के लिए, जो उप-नियम (i) के अधीन निलंबित कर दिया गया था, आवेदन कर सकेगा।	(2) सरकार के स्थान पर समिति का अध्यक्ष रखा जाए। 6(ग) जोड़ें– यदि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुमोदन के लिए प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु उसका आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है तो स्थान का स्वामी राज्य के परिवार कल्याण निदेशक/अपर निदेशक को अपने आवेदन पत्र पर पुनः विचार करने के लिए अपील कर सकेगा।
5.	नियम 7	पुनरीक्षा	
		7(1) किसी स्थान का स्वामी जो नियम 6 के अधीन किए गए आदेश से व्यक्ति के ऐसे आदेश को 60 दिन के भीतर सरकार को उस आदेश के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा।	7(1) सरकार के स्थान पर समिति रखा जाए।
		7(2) सरकार स्वामी की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उस आदेश की पुष्टि कर सकेगी, उसे उपान्तरित कर सकेगी या उलट सकेगी।	7(2) सरकार के स्थान पर समिति रखा जाए।

चिकित्सीय गर्भसमापन विनियम 1975 में सुधारों/संशोधनों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	नियम संख्या	मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित सुधार/संशोधन
2.		(घ) "राज्य का मुख्य चिकित्सा अधिकारी" से राज्य का मुख्य चिकित्सा अधिकारी अभिप्रेत है, चाहे वह जिस नाम से भी ज्ञात हो;	(घ) "जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी अभिप्रेत है, चाहे वह किसी नाम से भी ज्ञात हो।
		(च) "अस्पताल" से केन्द्रीय सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा "स्थापित" या संचालित अस्पताल अभिप्रेत है।	(च) जोड़ें–संघ राज्य क्षेत्र के प्राइवेट चिकित्सा व्यवसायी/गैर स्वैच्छिक संगठन
4.	**प्रारूपों की अभिरक्षा**		
		(1) गर्भवती महिला द्वारा अपने गर्भ के समापन के लिए दी गई सम्मति और यथास्थिति धारा 3 अथवा 5 के अधीन अभिलिखित प्रमाणित राय तथा गर्भ के समापन का प्रज्ञापन एक लिफाफे में रखे जायेंगे जो कि उस रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी अथवा उन रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा मोहरबंद किया जायेगा	(1) गर्भवती महिला द्वारा अपने गर्भ के समापन के लिए दी गई सम्मति और यथास्थिति धारा 3 अथवा 5 के अधीन अभिलिखित प्रमाणित राय एक लिफाफे में रखे जायेंगे जो कि उस रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी अथवा उन रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा मोहरबंद किया जाएगा जिन्होंने गर्भ का समापन किया है, उसे यथास्थिति संबंधित रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी अथवा व्यवसायियों की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा जिसके बारे में समिति के अध्यक्ष द्वारा पूछा जा सकता है।

क्रम सं०	नियम संख्या	मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित सुधार/संशोधन
		जिन्होंने गर्भ का समापन किया है और जब तक वह लिफाफा अस्पताल के प्रधान अथवा अनुमोदित स्थान के स्वामी अथवा राज्य के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास नहीं भेज दिया जाता, तब तक उसे यथास्थिति संबंधित रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी अथवा व्यवसायियों की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा।	
		(2) धारा 3 के अधीन गर्भ के समापन से संबंधित, उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक लिफाफे पर, प्रवेश रजिस्टर में उस गर्भवती स्त्री को दी गई क्रम संख्या तथा उस रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी अथवा व्यवसायियो के नाम, जिन्होंने गर्भ का समापन किया हो, लिखे जायेंगे तथा ऐसे लिफाफे को "गुप्त" अंकित किया जायेगा।	(2) लोप किया जाए।
		(3) उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक लिफाफा, गर्भ के समापन के तत्काल पश्चात् उस अस्पताल के प्रधान अथवा उस अनुमोदित स्थान के स्वामी के पास जहां गर्भ का समापन किया गया हो, भेज दिया जायेगा।	(3) लोप किया जाए।
		(4) उप-विनियम (3) में निर्दिष्ट लिफाफे को प्रेषित कर, अस्पताल का प्रधान अथवा अनुमोदित स्थान का स्वामी उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखने का प्रबंध करेगा।	(4) लोप किया जाए।
		(5) अस्पताल का प्रत्येक प्रधान अथवा अनुमोदित स्थान का प्रत्येक स्वामी राज्य के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उन मामलों का, जिनमें गर्भ का चिकित्सीय समापन दिया गया हो, साप्ताहिक विवरण प्रारूप 2 में भेजेगा।	(5) राज्य के स्थान पर जिला और साप्ताहिक के स्थान पर मासिक रखा जाए।
		(6) धारा 5 के अधीन गर्भ के समापन से संबंधित उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक लिफाफे पर उस रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी का नाम और पता जिसके द्वारा गर्भ का समापन किया गया था तथा वह तारीख जब गर्भ का समापन किया गया था, लिखे जायेंगे तथा ऐसे लिफाफों को "गुप्त" अंकित किया जायेगा।	(6) लोप किया जाए।
		स्पष्टीकरण : धारा 5 के अधीन किये गये गर्भ समापन की स्थिति में प्रारूप-1 में अस्पताल, अथवा अनुमोदित स्थान से संबंधित स्तंभ तथा प्रवेश रजिस्टर में गर्भवती स्त्री को दी गई क्रम संख्या को खाली छोड़ दिया जायेगा।	
		6. प्रवेश रजिस्टर का निरीक्षण के लिये खुला न होना —प्रवेश रजिस्टर अस्पताल के प्रधान अथवा अनुमोदित स्थान के स्वामी अथवा ऐसे प्रधान अथवा स्वामी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सुरक्षित अभिरक्षों में रखा जायेगा, तथा विनियम 4 के उपविनियम (5) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह निम्नलिखित के प्राधिकार के अधीन के सिवाय, किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुला न होगा :	जैसा कि मूल रूप में है।
		(1) विभागीय अथवा अन्य जांच की दशा में, संघ राज्य क्षेत्र की सरकार का मुख्य सचिव।	(1) विभागीय अथवा अन्य जांच की दशा में जिला कलक्टर।

प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकें (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 का कार्यान्वयन

संकल्प

परिषद संकल्प करती है कि प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकें (विनियमन और दुरुपयोग का निवारण) अधिनियम, 1994 और उसके अधीन बनाए गए नियमों को लागू करने के तत्काल बाद उपयुक्त प्राधिकारी नियुक्त किए जाएं और सलाहकार समितियां गठित की जाएं और आगे संकल्प करती हैं कि प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकों, जो लैंगिक समानता और समता के विरुद्ध जा सकती हैं और लैंगिक अनुपात में असंतुलन पैदा कर सकती हैं, के दुरुपयोग के विरुद्ध एक सशक्त जनता की राय तैयार करने सहित इस अधिनियम और नियमों का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए यथापेक्षित सभी प्रकार की कार्रवाई की जाए।

विवाह की प्रभावी आयु बढ़ाना और पहला बच्चा देर से पैदा करने के लिए समाज में सूचना शिक्षा एवं संचार को बढ़ावा देना

संकल्प

समिति यह संकल्प करती है कि :

(क) समाज को शामिल करते हुए उचित संचार नीतियां अपनाई जाएं जिसमें मां और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए लड़कों की शादी 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के फायदों का संदेश हो। पहला बच्चा देर से पैदा करने को जोर शोर से बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

(ख) समाज में दो बच्चों के जन्मों में कम से कम पांच साल का अंतर रखने को स्वीकार्यता पैदा करना। इस उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र दोनों स्तरों पर अधिक वित्तीय प्रावधान किए जाएं।

(ग) विवाह की प्रभावी आयु में देर करने तथा पहले बच्चे के जन्म में देरी करने को आकर्षक बनाने वाली स्कीमों को बढ़ावा देना चाहिए।

(घ) सूचना शिक्षा तथा संचार आवंटन को राज्य सरकारों को जरूरत के अनुसार खर्च करने की छूट दी जानी चाहिए।

(ङ) दूरदर्शन (राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर) को परिवार कल्याण संबंधी सामाजिक संदेशों के लिए हर रोज प्राइम टाइम में पांच मिनट का समय मुफ्त देना चाहिए।

(च) विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण की सिफारिश की जाती है।

शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व उपचारों की पुनरीक्षा मौजूदा सेवाओं की पर्याप्तता, उपलब्धता और उनमें सुधार करना, उनकी सेवा प्रदाय पद्धतियों के लिए वैकल्पिक कार्यनीतियों का पता लगाना

संकल्प

समिति यह संकल्प करती है कि:

(क) पराचिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि अधिक जोखिम वाले मामलों की गर्भकाल के दौरान ही पहचान हो जाये।

(ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्रथम रेफरल यूनिटों के लिए विशेषज्ञों को तैनात किया जाना चाहिए ताकि प्रसूतिक आपातकालीन मामलों की उपचार व्यवस्था की जा सके।

(ग) प्रत्येक जिले में 4 से 6 उप-जिला स्तर पर चिकित्सा संस्थाओं को प्रथम रेफरल यूनिटों के रूप में स्थापित किया जाए।

(घ) 1996 के अंत तक सभी गर्भवती महिलाओं को प्रशिक्षित अटेन्डेंटों की सेवा सुनिश्चित करने के लिए दाई प्रशिक्षण को एक समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में शुरू किया जाये।

(ङ) ग्रामीण विकास स्कीमों के तहत उपकेन्द्रों और गांवों में प्रसव कक्ष बनाये जाने चाहिए, जहां पर ऐसी सुविधाएं नहीं हैं और अन्य स्कीमों के तहत स्वच्छ प्रसव पद्धतियों को बढ़ावा देने संबंधी कदम उठाये जाने चाहिएं।

(च) अत्यधिक खून की कमी से होने वाले मातृमौतों को रोकने के लिए फालिक एसिड गोलियों द्वारा सभी गर्भवती महिलाओं की व्यापक कवरेज का लक्ष्य दिसंबर 1996 तक कार्यान्वित करना।

(छ) प्रसव पूर्व और नवजात बच्चों की मृत्यु दर को कम करने के लिए दिसंबर, 1997 तक अनिवार्य नवजात परिचर्या पद्धतियों को व्यापक बनाना।

(ज) सन् 2000 ई. तक पोलियो उन्मूलन को प्राप्त करने के लिए प्लस पोलियो प्रतिरक्षण अभियान जारी रखना, सभी वैक्सीन निवार्य बीमारियों का 100 प्रतिशत प्रतिरक्षण लक्ष्य प्राप्त करना और उसे जारी रखना।

(झ) स्वास्थ्य शिक्षा संदेशों में गर्भ के दौरान आराम और पोषाहार पर जोर देना, प्रशिक्षित दाइयों या स्वास्थ्य कार्मिकों द्वारा प्रसव कराना और प्रसूतिक आपात कालीन स्थिति के मामले में रोगी को अस्पताल ले जाने के लिए परिवहन की अग्रिम व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए।

(ञ) समाज और परिवार में पुरुष जिम्मेदारियां निभाएं और सुरक्षित प्रसव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।

(ट) बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल की स्थापना को बढ़ावा देना।

ग्रामीण स्वास्थ्य आधारभूत ढांचा

(क) गर्भवती औरतों की समुचित रेफरल परिचर्या के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सुविधाओं का स्तर बढ़ाना, माताओं एवं शिशुओं की सेवा करने हेतु 3,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करना।

(ख) ग्रामीण जनता को प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने हेतु विशेषज्ञों तथा डाक्टरों और बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं (पुरूष) को तैनात करना, रिक्तियों को भरना।

संकल्प

समिति मानव संसाधन विकास विषयक संसदीय स्थायी समिति द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में बतायी गयी कमियों पर चिन्ता व्यक्त करते हुए निम्नलिखित प्रभावी कदम उठाने की सिफारिश करती है:–

(i) उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा, पराचिकित्सा कार्मिकों की रिक्तियां भरी जाएं।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्तियों की समस्या दूर करने के लिए अंशकालिक/संविदा अनुबंध आधार पर प्राइवेट डाक्टरों, सेवानिवृत डाक्टरों को तब तक नियुक्त किया जाए जब तक नियमित आधार पर पदों को भर नहीं दिया जाता है।

(iii) आवश्यकतानुसार जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सोसायटियों का गठन किया जाए ताकि वे भारत सरकार, राज्यों एवं अन्य स्रोतों से सीधे निधियां प्राप्त करने को पात्र हों।

(iv) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र में पंचायती राज निकायों व नगरपालिकाओं को वित्तीय संसाधनों सहित शक्तियां तथा जवाबदेहियां सौंपी जाएं।

(v) उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाइयों की आपूर्ति करने के लिए केन्द्र व राज्यों द्वारा किये गये बजटीय प्रावधानों में बढ़ोतरी की जाए।

(vi) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों जैसे कार्यरत राज्य स्तरीय अभिकरणों को समय पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाए।

(vii) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों में यथासंभव कम्प्यूटरीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना पद्धति प्रारंभ की जाए ताकि कार्यक्रमों का अनुवीक्षण और प्रभावी ढंग से सार्थक किया जा सके।

(viii) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के लिए लागू होने वाले मानकों में संशोधन करके ऐसे गैर-सरकारी संगठनों को समय पर वित्त उपलब्ध किया जाए।

(ix) केन्द्रीय सहायता के समुपयोजन में राज्यों को स्वतंत्रता दी जाए।

(x) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी व्यवसायियों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम में शामिल करना।

प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं के प्रबंधन व प्रशासन में पंचायतों को सहभागी बनाना

संकल्प

परिषद संकल्प करती है कि:–

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में एलोपैथिक डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद के विनियमों में उपयुक्त संशोधन किया जाए ताकि एम.बी.बी.एस. डाक्टरों को स्थायी पंजीयन तभी दिया जाएगा जब वे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 3 वर्षों तक सेवा कर चुके होंगे।

(ii) राज्य विचार करें कि जिला स्तरों पर डाक्टरों की नियुक्ति का अधिकार जिला परिषद पंचायतों को सौंपा जाए।

(iii) राज्य शीघ्र कदम उठाएं ताकि पंचायतों को विभिन्न स्तरों पर वित्तीय संसाधनों सहित सम्यक अधिकार एवं जिम्मेदारियां प्रदान की जाएं।

(iv) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/अन्य रेफरल यूनिटों में सुविधाओं को स्तर बढ़ाने तथा मानकों के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को स्थापित करने हेतु राज्य शीघ्र कार्रवाई करें।

(v) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण हेतु केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा वित्तीय आवंटन पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाए।

(vi) शहरी निर्धनों की स्वास्थ्य परिचर्या आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली प्रारंभ की जाए।

(vii) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का प्रबंध व प्रशासन करने हेतु पंचायतों को अधिकार प्रदान किया जाए और प्राथमिक स्वास्थ्य परियचर्या के कारगर अनुवीक्षण व प्रबंधन के लिए उन्हें पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराया जाए।

पंचायत स्वास्थ्य सेवा योजना

संकल्प

कार्यदल-1 संकल्प करता है कि नई ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड योजना को शुरू न किया जाए। जहां तक मौजूदा ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड योजना का संबंध है, इसे निर्णय लेने के लिए राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाता है।

कार्यदल आगे यह संकल्प करता है कि मौजूदा स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण हेतु उपलब्ध ससाधनों का इस्तेमाल किया जाए और नये अभिकरणों की सेवा न ली जाए। फिर भी, परिषद के अध्यक्ष ने सलाह दी कि इसका समाधान किया जा सकता है।

[हिन्दी]

बाल स्वास्थ्य केन्द्र

1604. **डा० साक्षी जी** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के आदिवासी जिलों में कुल कितने बाल स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं;

(ख) शिशुओं को नये रोगों से बचाने के लिए इन केन्द्रों में क्या निरोधात्मक उपाय किये गये हैं;

(ग) क्या सभी केन्द्रों/चिकित्सालयों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां रखी जाती हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए० आर० अंतुले) : (क) से (घ) भारत सरकार से अनुमोदित पैटर्न के अनुसार जनजातीय जिलों सहित उत्तर प्रदेश में शिशु स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम से कोई स्वास्थ्य सुविधा देना प्रारंभ नहीं किया गया है। फिर भी अस्पतालों व औषधालयों के अलावा उप केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के तंत्र के जरिये शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। रोग प्रतिरक्षण, अतिसार और निमोनिया का निवारण, रक्ताल्पता तथा विटामिन-ए की कमी का रोग निरोधन, आयोडीन अल्पता विकास नियंत्रण कार्यक्रम, स्तनपान और जन्म में अंतराल रखने को प्रोत्साहन तथा प्रसवपूर्व, प्रसवकालीन और प्रसवोत्तर परिचर्या को सुदृढ़ किया जा रहा है। उपर्युक्त विभिन्न केन्द्रों को दवाइयों की आपूर्ति करने के सामान्य पैटर्न के अलावा शिशु जीवन रक्षा तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अधीन औषध किटें उपकेन्द्रों को उपलब्ध करायी जाती हैं।

[अनुवाद]

जाली रेल टिकट

1605. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के जाली टिकटों की बिक्री के कुछ मामलों का हाल में ही पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें लिप्त पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है तथा जाली टिकटों की बिक्री के कदाचार को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) हाल ही में जाली टिकटों के 25 मामलों का पता चला है जिन में 16 मामले उत्तर रेलवे पर, 5 मध्य रेलवे पर तथा 2-2 मामले क्रमशः पूर्व एवं पश्चिम रेलवे पर थे।

(ग) इन मामलों में लिप्त पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध की गयी कारवाई में रेल कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करना तथा जहां कहीं भी आवश्यक है, केन्द्रीय जांच ब्यूरो/पुलिस द्वारा रेल कर्मचारियों एवं बाहरी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने/मुकदमा चलाए जाने की कार्रवाई शामिल है। जाली टिकटों के इस्तेमाल संबंधी मामलों का पता लगाने के उद्देश्य से केन्द्रीय जांच ब्यूरो, पुलिस, रेल सुरक्षा बल जैसी विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर टिकट जांच कर्मचारियों, धोखाधड़ी निरोधी दस्तों एवं सतर्कता विभाग द्वारा नियमित रूप से जांच की जाती है।

रेलवे में विभिन्न सेवाओं का निजीकरण

1606. **श्री श्रवण कुमार पटेल** :
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे को माल-भाड़े और यात्री यातायात की प्राथमिक मांगों की पूर्ति करने के दायित्व तक सीमित रखने और उसकी कार्यकुशलता में सुधार लाने तथा उसके समक्ष नकदी की कमी को दूर करने के उद्देश्य से माल-भाड़ा टर्मिनलों के विशेष विक्रय अधिकारों को निजी हाथों में देने के साथ-साथ नई सेवाओं का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग) घटती हुई बजटीय सहायता को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी गतिविधियां, जो लाइन से संबंधित नहीं हैं, निजी क्षेत्र में देने का निर्णय लिया गया है, जिससे प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ने से कार्य कुशलता में वृद्धि तथा संसाधनों की तंगी की कमी को दूर करने में सहायता मिलेगी। निजी भागीदारी के लिए पहचाने गए क्षेत्रों में दूर संचार की सुविधाओं का अनुरक्षण स्टेशनों एवं अमानती सामान घरों का अनुरक्षण, माल-भाड़ा टर्मिनलों के विशेष विक्रय अधिकार, पहचाने गए सरकिट में पर्यटक रेल गाड़ियां चलाना शामिल है। 'अपने माल डिब्बे के स्वामी बनें' प्रणाली एवं 'निर्माण' 'स्वामित्व-पट्टा-हस्तांतरण' योजना आदि ऐसी प्रणालियां है जो निजी पूंजी को आकर्षित करती है और पहले ही ये काफी लोकप्रिय हो चुकी हैं।

सरकारी अस्पताल

1607. **डा० मुमताज अंसारी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में चल रहे सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मौलिक चिकित्सा सुविधाएं, दवाइयां और यहां तक कि रूई भी उपलब्ध कराई जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ सरकारी चिकित्सक निजी क्लिनिक चला रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी पाए गए चिकित्सकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए० आर० अंतुले) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार के ध्यान में ऐसा कोई दृष्टांत नहीं आया है।

(ग) और (घ) "स्वास्थ्य" राज्य का विषय है, इसलिए रोगियों को दवाइयां और दूसरी चिकित्सा सुविधायें प्रदान करना तथा डाक्टरों की सेवा शर्तों को विनियमित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

1608. **श्री हाराधन राय** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में स्वैच्छिक, सेवानिवृत्ति योजना अपनाने वाले कर्मचारियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) राज्य-वार और उपक्रम-वार इस पर कितनी धनराशि का व्यय है;

(ग) क्या इसके कारण रिक्त हुए स्थानों को भर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वैच्छिक सेवा योजना अपनाने वाले कर्मचारियों की संख्या का विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति पर किया गया भुगतान अनुग्रह पूर्वक अदायगी है जो कर्मचारियों द्वारा पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 1½ महीने की परिलब्धियां (केवल + महंगाई भत्ता) या सेवा निवृत्ति की सामान्य तारीख तक सेवा के जितने महीने बचे हों उतने महीने की मासिक परिलब्धियां (वेतन + महंगाई भत्ता), इन में जो भी कम हो, के तुल्य होता है।

स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना तभी लागू की जाती है जब मानवशक्ति जरूरत से अधिक होती है। जब कोई कर्मचारी सेवा निवृत्ति के लिए विकल्प देता है तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को यह देखना पड़ता है कि उनकी स्टाफ संख्या में सभी पदों को एक साथ मिलाकर कुछ कमी हुई है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	31.3.93 तक	1993-94 के दौरान	1994-95 के दौरान
1	2	3	4	5
	आंध्र प्रदेश			
1.	भारत डायनामिक्स लि०	11	18	11
2.	भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लि०	127	45	74
3.	सी०एम०सी० लि०	13	6	7
4.	इलेक्ट्रानिक्स कारपो० आफ इण्डिया लि०	171	97	84
5.	एच०एम०टी० बियरिंग्स लि०	8	35	15
6.	मिश्र धातु निगम लि०	शून्य	5	2
7.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	9	शून्य	शून्य
8.	प्राग टूल्स लि०	शून्य	73	87
9.	राष्ट्रीय इस्पात निगम नि०	10	4	2
	असम			
10.	आयल इंडिया लि०	2	2	1
	बिहार			
11.	भारत कोकिंग कोल लि०	5505	1274	3638
12.	भारत रिफ्रेक्टरीज लि०	232	62	6
13.	सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०	3232	791	627

1	2	3	4	5
14.	केन्द्रीय खान योजना एवं अभिकल्पन संस्थान लि०	1	-	-
15.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लि०	105	शून्य	33
16.	भारी इंजीनियरी निगम लि०	3478	1669	581
17.	इण्डिया फायरब्रिक्स एण्ड इन्सूलेशन कंपनी लि०	107	62	12
18.	मेटालर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इण्डिया लि०	14	8	2
19.	माइका ट्रेडिंग कारपो० आफ इण्डिया लि०	702	142	5
20.	प्रोजेक्ट्स एण्ड डिवेल्पमेंट्स इण्डिया लि०	254	81	28
21.	पायराइट्स फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि०	309	60	92
	गुजरात			
22.	इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपो० लि०	19	12	9
23.	ने०टे०का० गुजरात लि०	5535	1505	600
	हरियाणा			
24.	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स	996	824	1240
	कर्नाटक			
25.	भारत अर्थ मूवर्स लि०	620	609	175
26.	भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि०	1617	900	786
27.	भारत गोल्ड माइन्स लि०	1182	916	381
28.	एच०एम०टी० (इन्टरनेशनल) लि०	6	19	5
29.	एच०एम०टी० लि०	420	1390	499
30.	हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लि०	797	632	230
31.	आई०टी०आई० लि०	1904	500	727
32.	कर्नाटक एण्टिबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०	शून्य	1	शून्य
33.	कुद्रेमुख आयरन ओर कं० लि०	7	शून्य	शून्य
34.	माण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि०	145	3	शून्य
35.	ने०टे०का० (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे) लि०	441	758	241
36.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि०	139	9	20
37.	विगनयन इण्डस्ट्रीज लि०	-	62	7
38.	विश्वश्वैरया आयरन एण्ड स्टील कं० लि०	2107*	शून्य	शून्य
	केरल			
39.	कोची शिपयार्ड लि०	104	21	शून्य
40.	फर्टिलाईजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणको	98	85	54

*अक्टूबर 1986 से

1	2	3	4	5
41.	हिन्दुस्तान लेटेक्स लि०	1	शून्य	39
42.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि०	2	शून्य	2
	मध्यप्रदेश			
43.	नेपा लि०	120	225	145
44.	नार्दन कोलफील्ड्स लि०	शून्य	16	73
45.	ने०टे०का० (मध्यप्रदेश) लि०	3547	772	223
46.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	191	758	231
	महाराष्ट्र			
47.	एयर इण्डिया	17	शून्य	शून्य
48.	कोटन कारपो० आफ इण्डिया लि०	11	शून्य	शून्य
49.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि०	27	2	1
50.	इण्डियन आयल ब्लेंडिंग लि०	4	शून्य	7
51.	भारतीय तेल निगम लि०	237	120	307
52.	इण्डियन रेअर अर्थस लि०	71	1	2
53.	महाराष्ट्रा एण्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०	1	शून्य	शून्य
54.	महाराष्ट्रा इलेक्ट्रोस्पेल्ट लि०	24*	शून्य	शून्य
55.	मैंगनीज ओर इण्डिया लि०	1340	शून्य	शून्य
56.	माझगांव डाक लि०	शून्य	शून्य	707
57.	खनिज गवेषण निगम लि०	50	574	276
58.	नेशनल बाइसाईकिल कारपो० आफ इण्डिया लि०	653	30	शून्य
59.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि०	31	14	10
60.	ने०टे०का० (महाराष्ट्रा नार्थ) लि०	2576	1116	420
61.	ने०टे०का० (साउथ महाराष्ट्र) लि०	4377	2211	1075
62.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	104	24	28
63.	रिचर्डसन एण्ड कूडास (1972) लि०	965	189	78
64.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	1069	556	260
	मेघालय			
65.	नार्थ इस्टर्न हेण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम डिवेल्पमेंट कारपो० लि०	35	शून्य	1

*अक्तूबर 1986 से

1	2	3	4	5
	नागालैण्ड			
66.	नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कं० लि०	106	177	14
	उड़ीसा			
67.	महानदी कोलफील्ड्स लि०	शून्य	1	शून्य
68.	नेशनल एल्यूमिनियम कं० लि०	5	4	1
69.	पारादीप फास्फेट्स लि०	शून्य	55	शून्य
	पंजाब			
70.	सेमीकन्डक्टर कम्प्लेक्स लि०	2	-	-
	राजस्थान			
71.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०	शून्य	11	9
72.	हिन्दुस्तान ज़िंक लि०	शून्य	1237	385
73.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०	175	506	67
74.	साम्भर साल्ट्स लि०	शून्य	27	31
	तमिलनाडु			
75.	हिन्दुस्तान फोटो-फिल्म्स मैन्यु०	228	182*	287
76.	एच०टी०एल० लि०	शून्य	73	शून्य
77.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०	79	23	शून्य
78.	नवेली लिग्नाइट कार्पो० लि०	शून्य	48	134
79.	ने०टे०का० (तमिलनाडु एण्ड पाण्डिचेरी) लि०	2137	59	195
	उत्तर प्रदेश			
80.	भारत लेदर कारपो० लि०	46	17	16
81.	भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेशर्स लि०	97	16	33
82.	ब्रिटिश इण्डिया कारपो० लि०	शून्य	शून्य	577
83.	ब्रशवेयर लि०	शून्य	शून्य	33
84.	कानपुर टेक्सटाइल लि०	384	326	120
85.	एल्गिन मिल्स कं० लि०	1000	1859	709
86.	ने०टे०का० (उत्तर प्रदेश) लि०	4154	1360	730

*1986 से

1	2	3	4	5
87.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि०	974	435	515
88.	स्कूटर्स इण्डिया लि०	243	777	42
89.	टेनरी एण्ड फुटवियर कारपो० आफ इण्डिया लि०	179	161	शून्य
90.	त्रिवेणी स्ट्रकचरल्स लि०	330	121	18
	पश्चिम बंगाल			
91.	एण्ड्रयू यूले एण्ड कंपनी लि०	शून्य	197	173
92.	बोर लारी एण्ड कं० लि०	11	35	15
93.	बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यू० लि०	63	91	75
94.	बंगाल इम्यूनिटी लि०	182	38	75
95.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि०	75	15	23
96.	भारत आपथैल्मिक ग्लास लि०	14	17	16
97.	भारत प्रेसिस एण्ड मकेनिकल इंजी० लि०	569	32	19
98.	बीको लारी लि०	285	29	29
99.	ब्रेथवेट एण्ड कं० लि०	1013	223	132
100.	ब्रिज एण्ड रूफ कं० इण्डिया लि०	283	25	25
101.	बर्न स्टैण्डर्ड कं० लि०	656	608	626
102.	सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपो० लि०	शून्य	598	115
103.	कोल इण्डिया लि०	2	शून्य	19
104.	साईकिल कारपो० आफ इं० लि०	1320	365	शून्य
105.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	1672	800	4116
106.	गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि०	20	शून्य	शून्य
107.	हिन्दुस्तान केबल्स लि०	172	52	65
108.	हिन्दुस्तान कापर लि०	1305	2091	743
109.	हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लि०	3791	1850	96
110.	हुगली डाक एण्ड पोर्ट इंजी० लि०	186	229	31
111.	आई० बी० पी० कं० लि०	44	16	16
112.	इस्को उज्जैन पाइप एण्ड फाउण्ड्री कं० लि०	30*	166	शून्य
113.	इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कं० लि०	3125*	शून्य	573

*अक्तूबर 1986 से

1	2	3	4	5
114.	जेसप एण्ड कं० लि०	29	175	49
115.	जूट कारपो० आफ इं० लि०	24	16	33
116.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपो० लि०	1141	902	65
117.	नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि०	143	114	शून्य
118.	नेशनल जूट मैन्यु० कारपो० लि०	1130	597	44
119.	ने०टे०का० (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि०	4313	527	245
120.	उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि०	484	355	201
121.	रेरोल बर्न लि०	शून्य	28	12
122.	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड फार्मा० लि०	153	91	36
123.	भारतीय चाय व्यापार निगम लि०	7	9	4
124.	टायर कारपो० आफ इण्डिया लि०	288	408	148
125.	वेबर्ड (इण्डिया) लि०	169	32	18
	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह			
126.	अण्डेमान एवं निकोबार आइलैंड फारेस्ट एण्ड प्लांटेशन डिवेल्प० कारपों० लि०	4	शून्य	शून्य
	दिल्ली			
127.	भारत एल्यूमिनियम कं० लि०	128	115	195
128.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०	987	शून्य	शून्य
129.	सीमेंट कारपो० आफ इण्डिया लि०	200	144	38
130.	भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लि०	42	7	10
131.	दिल्ली परिवहन निगम	शून्य	4428	1065
132.	ड्रेजिंग कारपो० आफ इण्डिया लि०	शून्य	शून्य	13
133.	इंजीनियर्स इण्डिया लि०	16	40	2
134.	भारतीय उर्वरक निगम लि०	923	167	200
134.	भारतीय खाद्य निगम	143	36	35
136.	हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम एक्सपोर्ट कारपो० लि०	35	8	11
137.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपो० लि०	1147	254	66
138.	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि०	98	38	27
139.	हिन्दुस्तान पेपर कारपो० लि०	20	11	22
140.	हिन्दुस्तान प्रीफेब लि०	97	207	71

1	2	3	4	5
141.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०	1277	85	57
142.	हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल कारपो० लि०	144	506	20
143.	भारत पर्यटन विकास निगम लि०	973	शून्य	शून्य
144.	इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाईजेशन	63	शून्य	6
145.	इण्डियन एयरलाइंस लि०	शून्य	शून्य	232
146.	भारतीय सड़क निर्माण निगम लि०	शून्य	शून्य	5
147.	खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि०	717	55	27
148.	माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इं०) लि०	14	79	123
149.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०	69	104	84
150.	नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपो० लि०	137	366	91
151.	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि०	44	11	3
152.	राष्ट्रीय बीज निगम लि०	308	68	81
153.	ने०टे०का० लि०	शून्य	11	6
154.	ने०टे०का० (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि०	1241	601	311
155.	परियोजना एवं उपस्कर निगम लि०	14	शून्य	शून्य
156.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि०	144	652	368
157.	भारतीय राज्य व्यापार निगम लि०	580	शून्य	158
158.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०	10820*	शून्य	शून्य
	गोवा			
159.	गोवा शिपयार्ड लि०		3	-

*अक्तूबर 1986 से

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन

1609. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए विद्युत चालित सीढ़ियां बनायी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो ये विद्युत चालित सीढ़ियां कब लगाई गई थीं और उन पर कुल कितना व्यय हुआ;

(ग) आज तक उन्हें मरम्मत, रख-रखाव आदि के लिए कितनी बार बंद किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसी सुविधाएं अन्य रेलवे स्टेशनों पर भी प्रदान कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे स्टेशनों के क्या नाम है और ये कब तक प्रदान करा दी जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) इस कार्य में रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट छोर और पहाड़गंज छोर पर 3.89 करोड़ रुपये की लागत पर दो-दो एस्केलेटरों की व्यवस्था करना शामिल है। इनमें से अजमेरी गेट छोर पर दो एस्केलेटरों को 30.10.95 से चालू कर दिया गया है।

(ग) एक एस्केलेटर को तीन बार और दूसरे को चार बार बंद किया गया है।

(घ) और (ङ) जी हां। इस संबंध में निर्माण कार्यों को बेंगलूर, पुणे और विजयवाड़ा के लिए भी अनुमोदित कर दिया गया है। इन निर्माण कार्यों के लक्ष्य आगामी वर्षों में धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेंगे।

रेल पटरी का टूट जाना

1610. **श्री एस० एम० लालजान बाशा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दक्षिण-मध्य रेलवे में रेल पटरी टूटने की डिविजन वार कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) क्या अन्य मंडलों की तुलना में दक्षिण-मध्य रेलवे में रेल पटरी टूटने संबंधी घटनाओं का पता लगाने संबंधी असंतोषजनक रिकार्ड का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो दक्षिण-मध्य रेलवे में ढिलाई के क्या कारण हैं;

(घ) दक्षिण-मध्य रेल में रेल पटरी के बार बार टूटने और इसके टूटने की संभावना के कारण विजयवाड़ा और कापाली के बीच कितने लंबे रेल मार्ग को बदले जाने की आवश्यकता है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) दक्षिण मध्य रेलों पर पिछले तीन वर्षों में रेल पथों की टूट फूट की पहचान की गई घटनाओं की मण्डल वार संख्या इस प्रकार है :–

	मण्डल	वर्ष		
		92-93	93-94	94-95
1.	विजयवाड़ा	221	157	114
2.	सिकंदराबाद	17	16	26
3.	गुंतकल	6	7	10
4.	हुबली	2	3	2
5.	हैदराबाद	2	2	-
	जोड़	248	185	152

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विजयवाड़ा और कवाली के बीच खण्ड का बकाया रेलपथ नवीकरण शून्य है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र

1611. **श्री राम निहोर राय :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों, चिकित्सीय कर्मचारियों तथा आवश्यक दवाईयों की अनुपलब्धता के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों की संख्या कितनी है, जहां चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए० आर० अंतुले) : (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना तथा रख-रखाव राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तथापि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में समय समय पर डाक्टरों तथा दवाईयों की कमी की सूचना मिलती रहती है।

(ख) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनूसार 30.6.95 की स्थिति के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मौजूद डाक्टरों की संख्या नीचे दी गई है :

	स्वीकृत	मौजूद
भारत	33420	28145

राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत स्वास्थ्य कार्मिक

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रा० स्वा० केन्द्रों में डाक्टर				कब तक की सूचना है
		अपेक्षित	स्वीकृत	मौजूद	रिक्त	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1283	1760	1593	167	31.12.94
2.	अरुणाचल प्रदेश	42	31	31	निल	31.12.94
3.	असम	619	584	584	निल	31.12.88
4.	बिहार	2209	2121	2121	निल	31.3.85

1	2	3	4	5	6	7
5.	गोवा	21	56	49	7	30.6.95
6.	गुजरात	956	1159*	930*	229	31.3.95
7.	हरियाणा	397	671	431	240	31.12.94
8.	हिमाचल प्रदेश	240	352	316	36	31.12.94
9.	जम्मू व कश्मीर	335	158	158	निल	31.3.85
10.	कर्नाटक	1428	1290	1104	186	31.12.91
11.	केरल	929	1230	1230	निल	31.12.94
12.	मध्य प्रदेश	1376	5709*	4768*	941	30.9.94
13.	महाराष्ट्र	1695	2887	2286	601	30.6.95
14.	मणिपुर	72	119	102	17	31.3.91
15.	मेघालय	88	94	80	14	31.12.94
16.	मिजोरम	43	24	34	10	30.6.95
17.	नागालैंड	33	29	29	निल	31.3.91
18.	उड़ीसा	1055	2636	2351	285	31.3.95
19.	पंजाब	472	1706	1615	91	31.3.95
20.	राजस्थान	1493	2200	1949	251	31.3.94
21.	सिक्किम	23	43	23	20	31.3.94
22.	तमिलनाडु	1436	2674*	2338*	336	31.3.95
23.	त्रिपुरा	63	161	120	41	30.6.94
24.	उत्तर प्रदेश	3761	3787	2263	1524	31.12.92
25.	पश्चिम बंगाल	1556	1841	1547	294	30.6.94
26.	अंडमान निकोबार	17	29	25	4	30.6.95
27.	चंडीगढ़	निल	7	7	निल	30.6.94
28.	दादरा व नगर हवेली	6	6	5	1	31.12.94
29.	दमण व दीव	4	1	1	निल	31.12.94
30.	दिल्ली	8	6	6	निल	30.9.87
31.	लक्षद्वीप	7	4	4	निल	30.6.95
32.	पांडिचेरी	26	45	45	निल	31.3.95
	योग	21693	33420	28145	5275	

टिप्पण : आइ०एन०आर०– सूचना प्राप्त नहीं हुई।

*– आंकड़ों में एलोपैथिक औषधालयों और भारतीय चिकित्सा पद्धति औषधालयों में चिकित्सा अधिकारियों के आंकड़े भी शामिल हैं। (आंकड़े अनंतिम हैं)

निल–शून्य

[हिन्दी]

काठगोदाम और अमृतसर के बीच रेलगाड़ी

1612. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-तवी और अमृतसर के लिए काठगोदाम से कोई रेलगाड़ी नहीं है;

(ख) क्या पंजाब के तराई क्षेत्र में रहने वाले लोगों से इस रेल मार्ग पर एक्सप्रेस रेलगाड़ी सेवा उपलब्ध कराने की मांग के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) काठगोदाम से जम्मू अथवा अमृतसर तक कोई सीधी गाड़ी नहीं है।

(ख) इस संबंध में कुछ मांगें प्राप्त हुई हैं।

(ग) जांच की गई है परन्तु परिचालनिक कठिनाइयों तथा संसाधनों की तंगी और जम्मू तवी एवं अमृतसर में टर्मिनल सुविधाओं की कमी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

एड्स पर नियंत्रण

1613. **श्री सुरेन्द्रपाल चाटक :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक देश में एड्स के नियंत्रण के लिए सहायता दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक संगठन से गत तीन वर्षों के दौरान कितनी सहायता प्राप्त हुई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों को कितनी धनराशि जारी की गई है;

(घ) क्या सरकार को इन धनराशियों को अन्यत्र देने के संबंध में शिकायतें मिली हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए० आर० अंतुले) : (क) और (ख) विश्व बैंक ने भारत में एड्स के निवारण और नियंत्रण की योजना को कार्यान्वित करने के लिए 64 मिलियन अमरीकी डालर का एक उदार ऋण देने की वचनबद्धता दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस परियोजना के लिए 1.5 मिलियन अमरीकी डालर तक की तकनीकी सहायता देने की वचनबद्धता दी है।

(ग) 1992, 1993, और 1994 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 56.00 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मिग-27 विमान की दुर्घटना

1614. **श्री रामपाल सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में ही एक मिग-27 युद्धक विमान उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में लोनी के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं; और

(ङ) इस दुर्घटना में दोषी पाये गये व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) एक मिग-27 वायुयान 18 सितंबर, 1995 को हिंडन हवाई क्षेत्र से 4 कि. मी. की दूरी पर क्षतिग्रस्त हो गया था। इस वायुयान का पायलट सुरक्षित रूप से बाहर निकल गया था। इस संबंध में जांच करने पर पता चला कि उस वायुयान से एक पक्षी टकरा गया था जिससे उसके इंजन में आग लग गई थी। इस दुर्घटना की जांच करने के लिए जांच अदालत बिठाने के आदेश दे दिए गए हैं। हिंडन के निकट कसाई की दुकानें होने के कारण पक्षियों से होने वाला खतरा बढ़ गया है। ये दुकानें बंद कर दी गई थीं परन्तु इलाहाबाद उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करने के पश्चात् दुकानदारों ने ये दुकानें फिर से खोल ली हैं।

तोड़-फोड़ संबंधी घटना

1615. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में दरभंगा रेलवे स्टेशन के निकट 18.11.95 को तोड़फोड़ की एक घटना हुई थी जिसमें 5539 अप मिथिलांचल एक्सप्रेस के दो डिब्बों को आग लगा दी गई, रेल लाइन को क्षति पहुंचायी गयी और रेलगाड़ी पर पथराव किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस घटना के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपर्युक्त घटना से पूर्व दरभंगा-समस्तीपुर बड़ी रेल लाइन परियोजना में विलंब होने के कारण कोई आन्दोलन पहले से ही चल रहा था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) 18.11.1995 को दरभंगा "बंद" के दौरान, समस्तीपुर-दरभंगा खण्ड पर लहरिया सराय-दरभंगा रेलवे स्टेशनों के बीच कि०मी० सं० 35/15, गेट सं० 25 पर एकत्रित भीड़ ने 5539 अप मिथिलांचल एक्सप्रेस गाड़ी को रोक लिया गया और आग लगाकर तथा पथराव करके दो सवारी डिब्बों को क्षतिग्रस्त कर दिया। यह घटना तोड़फोड़ की कार्यवाही के अंतर्गत नहीं आती है।

(ख) आंदोलन, समस्तीपुर-दरभंगा खण्ड के बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन के कार्य में तथा कथित धीमी प्रगति के विरोध में था। वस्तुत, कार्य पूरे जोरों पर है, और जनवरी 96 में पूरा हो जायेगा।

(ग) जी हां।

(घ) दरभंगा-समस्तीपुर-बड़ी रेल लाइन परियोजना में विलंब के विरोध में 18.11.1995 से पूर्व निम्नलिखित तारीखों को विभिन्न राजनैतिक और अन्य स्थानीय संगठनों द्वारा आंदोलन किए गए थे :–

तारीख	निम्नलिखित द्वारा आंदोलन	संक्षिप्त ब्यौरा
12.11.1995	श्री भोगेन्द्र झा, सांसद, सी०पी०आई०	गाड़ियों का संचलन रोकना।
13.11.1995	पत्रकार संघ, दरभंगा	दरभंगा रेलवे स्टेशन पर रेल कार्यालयों को बंद करना।
15.11.1995	युवा जनता दल, दरभंगा	गाड़ी संचलन में बाधा डालना और रेल सम्पत्ति को क्षति पहुंचाना।
16.11.1995	विद्यार्थी परिषद, दरभंगा	गाड़ी संचलन में बाधा डालना और दरभंगा में रेल कार्यालयों को बंद करना।

(ङ) सरकार में पहले ही आश्वासन दे दिया था कि समस्तीपुर-दरभंगा आमान परिवर्तन परियोजना को बड़ी लाइन के यातायात के लिए जनवरी 1996 में खोले जाने की योजना है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य सेवाएं

1616. डा० कार्तिकेश्वर पात्रः क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 से 1995-96 तक देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रति वर्ष कितना सरकारी खर्च हुआ;

(ख) उपरोक्त वर्ष में राज्य-वार प्रतिव्यक्ति कितना खर्च हुआ;

(ग) क्या सरकार का विचार खर्च बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आधार पर तथा राज्यवार स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर प्रति व्यक्ति सरकारी व्यय वर्ष 1992-93 का ही उपलब्ध है, जो संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी हां। विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के परिव्ययों को बढ़ाने के लिए तथा माध्यमिक स्तर के अस्पतालों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या की अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए, योजना परिव्ययों में प्रगामी वृद्धि के अतिरिक्त, विश्व बैंक, डेनिडा, सीडा, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि जैसे विदेशी अभिकरणों से सहायता ली गई है। सरकार स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने में, विशेष रूप से द्वितीयक तथा तृतीयक परिचर्या स्तर में, संयुक्त क्षेत्र के दृष्टिकोण अर्थात् सार्वजनिक निजी साझेदारी, गैर-सरकारी संगठनों, उद्योगों, निगम निकायों आदि की भागीदारी पर भी विचार कर रही है।

विवरण

वर्ष 1992-93 में स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सेवाओं पर प्रति व्यक्ति सरकारी व्यय

क्र०सं०	राज्य का नाम	कुल व्यय (लाख रुपये में)			1.10.92 को जनसंख्या (लाख में)	प्रति व्यक्ति व्यय (रुपये में)		
		स्वास्थ्य	सा० सुरक्षा एवं कल्याण सेवाएं	कुल		स्वास्थ्य	सा० सुरक्षा एवं कल्याण	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	33245	38337	71582	684.33	49	56	105
2.	अरूणाचल प्रदेश	2202	604	2806	8.98	215	67	312
3.	असम	12041	7538	19579	232.01	52	32	84
4.	बिहार	28114	34662	62776	894.68	31	39	70
5.	गोआ	2823	937	3760	12.06	234	78	312
6.	गुजरात	21758	24073	25831	425.22	51	57	108

क्र०सं०	राज्य का नाम	कुल व्यय (लाख रुपये में)			1.10.92 को जनसंख्या (लाख में)	प्रति व्यक्ति व्यय (रुपये में)		
		स्वास्थ्य	सा० सुरक्षा एवं कल्याण सेवाएं	कुल		स्वास्थ्य	सा० सुरक्षा एवं कल्याण सेवाएं	कुल
7.	हरियाणा	7890	18001	25891	170.58	46	106	152
8.	हिमाचल प्रदेश	7881	5494	13375	53.27	148	103	251
9.	जम्मू एवं कश्मीर	13649	5480	19129	79.97	171	69	240
10.	कर्नाटक	3028	55669	85997	461.32	66	121	127
11.	केरल	23352	23016	46368	297.06	78	77	155
12.	मध्य प्रदेश	26953	24321	51274	683.72	39	36	75
13.	महाराष्ट्र	49930	34368	84298	614.25	61	42	103
14.	मणिपुर	2299	6861	5160	19.05	121	150	271
15.	मेघालय	3160	1245	4405	18.04	172	68	240
16.	मिजोरम	2007	2179	4186	7.24	277	301	578
17.	नागालैंड	3120	1155	4275	12.71	245	91	336
18.	उड़ीसा	13352	21245	34597	326.05	41	65	106
19.	पंजाब	18888	23324	32212	207.8	91	64	155
20.	राजस्थान	26871	22518	49389	455.49	59	49	108
21.	सिक्किम	1520	270	1790	4.27	356	63	419
22.	तमिलनाडु	47157	123721	170878	567.67	83	218	301
23.	त्रिपुरा	3407	5762	9169	28.59	199	202	321
24.	उत्तर प्रदेश	59982	50474	10456	1431.44	42	33	77
25.	पश्चिमी बंगाल	43354	23830	67184	699.63	62	34	96
25.	पांडिचेरी	2106	1596	3702	8.34	253	151	444
26.	केन्द्र	75011	58220	133231	-	-	-	-
	कुल योग	262400	600900	1163300	8717.33	65	69	134

स्रोत : 1. राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी

2. जनसंख्या के लिए महापंजीयक का कार्यालय

*शीर्ष "स्वास्थ्य" के अंतर्गत व्यय में परिवार कल्याण सेवाओं पर सरकारी व्यय शामिल नहीं है। फिर भी यह सरकार के अन्य सामाजिक कल्याण व्यय के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सेवा शामिल है।

इसमें वे संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं जहां विधान सभा नहीं है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय

1617. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, 90 को अंग्रेजी समाचार में यह विज्ञापन प्रकाशित हुआ था कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा "नोएडा" "दिलशाद गार्डन" "विकास पुरी" और "वसंत विहार" में औषधालय खोलना चाहती है और उक्त स्थानों के वे व्यक्ति जो अपने आवास किराये पर देना चाहते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (मुख्यालय) नई दिल्ली से पत्र-व्यवहार कर सकते हैं;

(ख) उपर्युक्त चार स्थानों में प्रत्येक पर औषधालय खोलने का प्रस्ताव कब स्वीकार हुआ था;

(ग) उक्त चार स्थानों में से कौन कौन से स्थानों पर अब तक औषधालय नहीं खोले गए हैं; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए० आर० अंतुले) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) नोएडा और दिलशाद गार्डन में औषधालय स्थापित कर दिये गए हैं। बसन्त विहार और विकासपुरी के लिए औषधालय अभी मंजूर नहीं किए गए हैं।

बंबई-हावड़ा मेल में आग

1618. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने बंबई हावड़ा मेल में 1994 में चक्रधरपुर के समीप लगी आग की दुर्घटना पर अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) जी हां। रेल सुरक्षा आयुक्त, दक्षिण पूर्व क्षेत्र ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला है कि 8001 डाउन के सवारी डिब्बा सं. 8359 में आग सवारी डिब्बे के पेन्ट्री शेल्फ में लगी थी जो उक्त स्थान में मौजूदा कुछ ज्वलनशील सामग्री के अचानक जलने के कारण लगी थी। ऐसा संभवतः किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा लापरवाही से फेंकी गई माचिस की जलती हुई तीली के कारण हुआ था जो सवारी डिब्बे में मौजूद कुछ ज्वलनशील सामग्री के कारण बढ़ गई।

(ग) निम्नलिखित निवारक उपाय किए गए हैं :

(एक) यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील तथा विस्फोट सामग्री ले जाने के खतरों के संबंध में विभिन्न माध्यमों के जरिए यात्रियों में जागरुकता पैदा करना।

(दो) यात्रियों, खोमचे वालों तथा वेंडरों को गाड़ियों में ज्वलनशील सामग्रियों को ले जाने से रोकने के लिए नियमित जांच की जाती है।

(तीन) सवारी डिब्बों के निर्माण में अग्नि रोधक सामग्री का उपयोग किया जा रहा है।

(चार) आरक्षित सवारी डिब्बों में अनाधिकृत यात्रियों के प्रवेश को रोकने तथा ज्वलनशील वस्तुएं आदि ले जाने से रोकने के लिए "त्वरित कार्य दल" बनाए गए हैं।

(पांच) सवारी डिब्बों में बिजली फिटिंगों का पर्याप्त अनुरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है।

(छः) यात्री गाड़ियों में खतरे की जंजीर के उपकरणों द्वारा सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए अनुरक्षण डिपुओं में गहन जांच की जाती है।

(सात) यात्री गाड़ियों में अग्नि शमन यंत्रों की व्यवस्था।

कृषि फसलों संबंधी पेटेंट अधिकार

1619. **श्री रमेश चेन्निथला** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अमरीकी फर्में भारत में उगायी जाने वाली कतिपय कृषि फसलों के पेटेन्ट अधिकार लेने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो किन फसलों के लिए ऐसे पेटेन्ट अधिकार ले लिये गये हैं;

(ग) क्या यह "गेट" करार का उल्लंघन है; और

(घ) यदि हां, तो भारत के हित की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबन्धों के अनुसार भारत में कृषि फसलों के पेटेंट अधिकार मंजूर नहीं किये जाते हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मानसिक रूप से विकलांग रोगी

1620. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मानसिक रूप से विकलांग रोगियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत चलाए जा रहे मानसिक विकलांग रोगियों के चिकित्सा केन्द्रों की संख्या कितनी है; और

(ग) मानसिक विकलांग रोगियों को काम करने योग्य और स्वयं सक्षम बनाने संबंधी इन केन्द्रों के उद्देश्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले) : (क) प्राप्त सूचना के अनुसार 1992 में देश के विशिष्टीकृत मानसिक अस्पतालों में विभिन्न कारणों से मानसिक रूप से मंद 684 रोगियों का उपचार किया गया था जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में 77 संस्थाएं हैं जो कि मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों की पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यावसायिक और आर्थिक उपयोगिता की पुनर्वासात्मक जरूरतों को पूरा कर रही हैं। बहरहाल, मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की कोई केन्द्रीय प्रायोजित योजना नहीं है।

विवरण

वर्ष 1992 के दौरान मानसिक-मंदता के विभिन्न कारणों के लिए विशिष्टिकृत मानसिक अस्पतालों में उपचार किए मानसिक विकारों के रोगियों की संख्या

क्र० सं०	राज्यों/संघों के नाम	संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	33
2.	असम	प्राप्त नहीं हुई
3.	बिहार	41
4.	गोवा	17
5.	गुजरात	47
6.	जम्मू एवं कश्मीर	5
7.	कर्नाटक	145
8.	केरल	58
9.	मध्य प्रदेश	17
10.	महाराष्ट्र	86
11.	नागालैंड	प्राप्त नहीं हुई
12.	उड़ीसा	43
13.	पंजाब	2
14.	राजस्थान	62
15.	तमिलनाडु	98
16.	उत्तर प्रदेश	8
17.	पश्चिम बंगाल	प्राप्त नहीं हुई
18.	दिल्ली	26
	कुल	684

मानसिक स्वास्थ्य

1621. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मानसिक स्वास्थ्य समस्या संबंधी मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) इन मरीजों को उचित चिकित्सा प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले) : (क) देशव्यापी जानपदिक रोग विज्ञान संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि कुछ अस्पतालों के आंकड़ों से मानसिक रोगियों में वृद्धि का पता चलता है।

(ख) लोगों में मनोरोग के बारे में अधिक जागरूकता आई है। शहरी क्षेत्रों की प्रवसन अधिक भीड़-भाड़ आदि से भी समस्या बढ़ी है।

(ग) निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

1. देश में मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या के लिए मौजूदा सेवाओं को सुदृढ़ करना और उनका विस्तार करना।

2. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का कार्यान्वयन, जिसके अंतर्गत देश में मानसिक रोगियों का उपचार करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के डाक्टरों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

[हिन्दी]

समान आमान नीति

1622. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समान आमान (यूनीगेज) नीति के अंतर्गत देश भर में सभी मीटर गेज रेलवे लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी नहीं। केवल उन्हीं लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का कार्य शुरू किया जा रहा है जिनकी परिचालनिक/सामरिक दृष्टि से तत्काल आवश्यकता होती है और जो वैकल्पिक मार्ग/संपर्क के रूप में होती हैं ताकि अतिरिक्त वहन क्षमता सृजित की जा सके।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में खण्ड स्तरीय योजना

1623. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जम्मू और कश्मीर में योजना तैयार करने संबंधी प्रक्रिया का खंड स्तर पर विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग) अभी तक "आदर्श योजना" के रूप में प्रत्येक जिले में एक ब्लाक के लिए योजना तैयार की गई है। ऐसा प्रस्तावित है कि संपुष्टि से पूर्व इन आदर्श योजनाओं पर विद्वानों तथा विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा। चालू वर्ष के अंत तक इन्हीं आधारों पर राज्य के सभी ब्लाकों के लिए योजना तैयार की जाएगी जो कि तब वर्ष 1996-97 की वार्षिक योजना का आधार बनेगी। "ब्लाक नियोजन" के माध्यम से, राज्य के विभिन्न हिस्सों के संतुलित आर्थिक विकास के उद्देश्य के अनुरूप, धन का समान प्रवाह सुनिश्चित हो सकेगा। विभिन्न ब्लाकों को धन के आवंटन के मानदंडों में जनसंख्या संबंधी घटक के अलावा पिछड़ेपन का प्रभाव और मूलभूत ढ़ांचे के विकास का मौजूदा स्तर भी शामिल होगा।

सरकारी अस्पताल

1624. **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कितने अस्पताल इस समय केन्द्र सरकार के अधीन हैं;

(ख) इन अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों तथा नर्सों की अस्पताल-वार संख्या क्या है; और

(ग) इन अस्पतालों द्वारा उपचार किए जा रहे मरीजों की वार्षिक संख्या क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत देश में केन्द्र सरकार के 249 अस्पताल हैं। इन अस्पतालों में डाक्टरों और नर्सों की संख्या तथा वर्ष भर में उपचार किए गए रोगियों की संख्या का संकलन, मंत्रालय में नहीं किया जाता है।

सैनिक अस्पताल

1625. **श्री हरिन पाठक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में कहां-कहां सैनिक अस्पतालों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या इन अस्पतालों में सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य में सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं से युक्त नए सैनिक अस्पतालों की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) गुजरात में सैन्य अस्पताल अहमदाबाद, बड़ौदा, भुज, धरेन्धरा और जामनगर में स्थित हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) गुजरात राज्य में कोई नया सैन्य अस्पताल स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

कोंकण रेलवे

1626. **श्री सुधीर सावंत :**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेल परियोजना के लिए धन की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसे पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) किन कारणों से इसकी लागत में वृद्धि हुई है;

(घ) कोंकण रेल परियोजना संबंधी कार्य किस स्थिति में है;

(ङ) इस परियोजना को केरल राज्य को प्रदान करने हेतु कितना आवंटन किया गया है और कितनी समय-सीमा निर्धारित की गई; और

(च) क्या कोंकण रेलवे निगम को आप्टीकल फाइबर प्रणाली की आवश्यकता है अथवा क्या वह टेलीफोन विभाग की उसी प्रणाली का उपयोग कर सकता है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1995-96 में अपेक्षित 520 करोड़ रुपये की तुलना में सरकार ने 10.5 प्रतिशत कर मुक्त बांडों की बिक्री के माध्यम से 370 करोड़ रुपये एवं 100 करोड़ रुपये परिपूरित परिसंपत्तियों की बिक्री एवं वापस पट्टे पर लेने के माध्यम से जुटाने की स्वीकृति दी थी। बकाया 50 करोड़ रुपयों को भी मार्ग को पट्टे पर देकर धन जुटाने का प्रस्ताव है।

(ग) जिन कारणों से लागत में वृद्धि हुई, वे निम्नलिखित हैं :-

(i) गोआ क्षेत्र में काम का बंद होना।

(ii) सितंबर 1993 तक इस परियोजना में झेली जा रही धन की कमी एवं फरवरी, 1995 से बांड बाजार में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण।

(iii) गोआ एवं कर्नाटक में कुछ सुरंगों के निर्माण के लिए प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा।

(iv) पिछले पांच वर्षों के दौरान सामान्य मुद्रा-स्फीति का सामना करना पड़ा।

(घ) परियोजना की समग्र प्रगति लगभग 92 प्रतिशत है।

(ङ) कोंकण रेल परियोजना की पूरी लंबाई मार्च 1996 तक पूरा कर लिए जाने की योजना है। यह रेल लाइन केरल प्रदेश से नहीं गुजरती।

(च) कोंकण रेल के लिए ऑप्टीकल फाइबर प्रणाली की आवश्यकता है। टेलिफोन विभाग की प्रणाली कोंकण रेल की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएगी।

देवनागरी लिपि का प्रयोग

1627. **श्री राम कापसे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मुम्बई उपनगरीय लाइनों पर स्थित संकेतकों पर रेलवे स्टेशनों के नाम के आद्यक्षर देवनागरी लिपि में लिखने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां।

(ख) चर्चगेट और मुम्बई वी०टी० उपनगरीय स्टेशनों के इंडीकेटर बोर्डों पर प्रदर्शित स्टेशनों के नामों के आद्यक्षर देवनागरी लिपि में लिखने के संबंध में प्रो० राम कापसे, संसद सदस्य द्वारा अग्रेषित श्री सी०आर० परांजपे का एक अभ्यावेदन 27.10.95 को प्राप्त हुआ था।

(ग) मुम्बई वी०टी० स्टेशन के इंडीकेटर बोर्डों पर गंतव्य स्टेशनों के पूरे नाम देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। जहां तक चर्चगेट स्टेशन का संबंध, मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक इंडीकेटर बोर्डों पर स्टेशन नामों के आद्यक्षर हिंदी में लिखने हेतु एक नए अभिकल्प का विकास किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सामाजिक आधारभूत ढांचे हेतु निवेश

1628. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों की योजना भावी निवेश के 1 या 2 प्रतिशत अंश को सामाजिक आधारभूत ढांचे के विकास के लिए आरक्षित रखने की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मुद्दे पर एक समझौते के माध्यम से आम सहमति बनी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) से (ग) निरंतर परस्पर संपर्क बनाये रखने के फलस्वरूप, उद्योगों ने, जो कि पहले कुछ सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे, अब सामाजिक आधारभूत ढांचे के विकास के प्रति अधिक जागरुकता दिखानी और अधिक योगदान देना आरंभ कर दिया है।

[हिन्दी]

आयुर्वेदिक कालेज

1629. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश के प्रत्येक राज्य में आयुर्वेदिक कालेज और अस्पतालों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन कालेजों और अस्पतालों को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने वर्तमान आयुर्वेदिक कालेजों और अस्पतालों के विस्तार करने और नए आयुर्वेदिक कालेज और अस्पताल खोलने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय चिकित्सा प्रणाली तथा होम्योपैथी विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) देश में 1.4.95 को 112 आयुर्वेदिक कालेज और 211 आयुर्वेदिक अस्पताल थे। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में इन कालेजों और अस्पतालों को दी गई कुल वित्तीय सहायता इस प्रकार है :–

वर्ष	सहायता
1992-93	652.52 लाख रुपये
1993-94	824.47 लाख रुपये
1994-95	782.24 लाख रुपये

(ग) से (ङ) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली को मौजूदा आयुर्वेद कालेजों और अस्पतालों के विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान 11 नए आयुर्वेद कालेजों को आरंभ करने की अनुमति प्रदान की गई थी। ये अनुरोध राज्य सरकारों के माध्यम से प्राप्त हुए थे।

विवरण

देश में आयुर्वेदिक कालेजों और अस्पतालों का राज्यवार विवरण
1.4.93 की स्थिति

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कालेजों की संख्या	अस्पतालों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4	7
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	1
3.	असम	1	2*
4.	बिहार	9	8*
5.	गोवा	1	-
6.	गुजरात	9	45
7.	हरियाणा	3	6
8.	हिमाचल प्रदेश	1	14
9.	जम्मू व कश्मीर	-	1*
10.	कर्नाटक	11	60
11.	केरल	4	110
12.	मध्य प्रदेश	7	34*
13.	महाराष्ट्र	35	22*
14.	उड़ीसा	4	6
15.	पंजाब	3	7*
16.	राजस्थान	5	85
17.	सिक्किम	-	1
18.	तमिलनाडु	2	3
19.	उत्तर प्रदेश	10	1669*
20.	पश्चिम बंगाल	1	3*
21.	चण्डीगढ़	1	1
22.	दिल्ली	1	5*
23.	के० सरकार स्वा० योजना	-	1
24.	केन्द्रीय अनुसंधान परिषदें	-	20
	अखिल भारत	112	2111

* वर्तमान वर्ष की सूचना प्राप्त नहीं हुई है और इसलिए अंतिम उपलब्ध वर्ष की सूचना दी गई है।

[अनुवाद]

गुवाहाटी से पुरी तक रेलगाड़ी

1630. **श्री प्रवीण डेका** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्यां गुवाहाटी से पुरी तक सीधी रेलगाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयां एवं संसाधनों की तंगी।

रेल परियोजनाएं

1631. **श्री रामकृष्ण कोंतला** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दक्षिण मध्य रेलवे और अन्य जोनल रेलवे के अंतर्गत आमान परिवर्तन, दोहरीकरण और विद्युतीकरण से संबंधित कितने कार्य किए गए; और

(ख) प्रत्येक कार्य की वर्तमान स्थिति तथा प्रगति का ब्यौरा क्या है और इन कार्यों के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सफाई कर्मचारी

1632. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों की सफाई के कार्य को निजी ठेकेदारों को सौंपा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों के प्रभावित होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस निर्णय की समीक्षा करने और बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों के भविष्य को बचाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ङ) रेलवे स्टेशनों की सफाई विभागीय तौर पर कराती है। तथापि, कुछेक स्टेशनों पर सफाई कार्य प्रयोग के तौर पर निजी ठेकेदारों को सौंपा गया है। इस प्रयोग के परिणामस्वरूप

किसी सफाई कर्मचारी की छंटनी नहीं की गई है। बहरहाल, अभी तक वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन करने का कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार आयोग

1633. **श्री जीवन शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार आयोग में फरवरी, 1995 से ही कोई नियमित अध्यक्ष नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आयोग में सदस्यों के स्थान अभी रिक्त पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) आज की तिथि के अनुसार आयोग के समक्ष कुल कितने मामले लंबित पड़े हैं;

(च) इसके क्या कारण हैं; और

(छ) ये रिक्तियां कब तक भर दी जाएंगी ?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज): (क) और (ख) जी, हां। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के नियमित अध्यक्ष का चयन करने के लिए कदम उठाये गये हैं, जिसकी निकट भविष्य में नियुक्ति किये जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) एम० आर० टी० पी० आयोग के समक्ष 660 अनुचित व्यापार प्रथाओं, 765 प्रतिबंधित व्यापार प्रथाओं, 5 एकाधिकारिक व्यापार प्रथा जांचों तथा 1063 क्षतिपूर्ति के आवेदन लंबित हैं और उन पर विभिन्न चरणों में विचार किया जा रहा है। सभी मामले निर्णयाधीन हैं।

(छ) केवल अध्यक्ष का पद रिक्त है जिसे निकट भविष्य में भरे जाने की संभावना है।

जोधपुर-हावड़ा सुपरफास्ट

1634. **श्री मनफूल सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बीकानेर से यात्रियों की संख्या को देखते हुए जोधपुर-हावड़ा सुपरफास्ट गाड़ी में बीकानेर से आधे यात्री डिब्बों को जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, बीकानेर और हावड़ा के बीच 391/392 जयपुर-बीकानेर पैसेंजर और 2307/2308 जोधपुर-हावड़ा एक्सप्रेस में दो स्लिपर कोच (शयनयान दर्जा) लगाए गए हैं और ये मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं। मांग में वृद्धि होने पर बीकानेर और हावड़ा के बीच एक अतिरिक्त स्लिपर कोच लगाया जाएगा।

[हिन्दी]

रिलायन्स इंडस्ट्रियल ग्रुप

1635. **श्री सुकदेव पासवान** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार रिलायन्स इंडस्ट्रियल ग्रुप द्वारा उठायी गई हानि और कमाये गये लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस ग्रुप की कौन कौन से एकक हानि में चल रहे हैं/लाभ कमा रहे हैं;

(ग) इस ग्रुप के कुल विक्रय की तुलना में वेतन बिल और विविध व्यय का प्रतिशत क्या है;

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान इस ग्रुप के विरुद्ध न्यायालय में पहले से लंबित मुकदमों की संख्या कितनी है और इस ग्रुप द्वारा पार्टियों के विरुद्ध दायर किये गये मुकदमों की संख्या कितनी है; और

(ङ) इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) से (ङ) निजी औद्योगिक समूहों के लाभ/हानि, वेतन भुगतान तथा विविध व्यय अथवा कानूनी मुकदमों जिनका भारत सरकार से संबंध नहीं है, के बारे में सूचना नहीं रखी जा रही है।

[अनुवाद]

रेलवे के भूखण्ड

1636. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में रेलवे के भूखण्ड बड़ी संख्या में खाली पड़े हैं/पर कब्जा किया हुआ है;

(ख) क्या क्षेत्र का विकास करने के उद्देश्य से इन भूखण्डों को स्थानीय प्राधिकरण को आसान शर्तों पर देने की सरकार की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो योजना का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (घ) रेलों के पास लगभग 25000 हेक्टेयर खाली भूमि है। बहरहाल, चूंकि ऐसा समस्त भूमि की रेलों के अपने परिचालनिक तथा अन्य संबंधित उपयोगों के लिए भविष्य में आवश्यकता है अतः किसी भूमि को स्थानीय प्राधिकरणों को सौंपने की कोई योजना नहीं है।

सी० एस० डी० सुविधाएं

1637. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंटीन स्टोर्स डिपो (सी०एस०डी०) सुविधाएं सेवानिवृत्त असैनिक रक्षा कर्मचारियों को दिया जाना व्यवहार्य नहीं पाया गया है जबकि सेवानिवृत्त रक्षा कर्मचारियों के मामलें में व्यवहार्य पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सेवानिवृत्त रक्षा कर्मचारियों की तरह सेवानिवृत्त असैनिक कर्मचारियों को कैंटीन सुविधाएं दिए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) कैंटीन स्टोर विभाग की स्थापना मूलतः रक्षा सेना कार्मिकों के हित के लिए की गई है तथा कैन्टीन संबंधी कुछ सुविधाएं रक्षा सिविल कार्मिकों की कतिपय श्रेणियों को भी उपलब्ध कराया जाना एक संयोग की बात है। इस प्रकार के सिविलियन कार्मिकों की सेवा की स्थितियां रक्षा सेना कार्मिकों से बिल्कुल भिन्न हैं, इसलिए सेवानिवृत्त सिविलियन कार्मिकों को भी यह लाभ दिया जाना आवश्यक नहीं समझा गया है। कर रियायतों और इसके लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे पर आने वाले अतिरिक्त व्यय की दृष्टि से भी इसे औचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता है।

रेलवे स्टाल संबंधी समिति

1638. **श्री राम नाईक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे स्टाल संबंधी समिति के गठन के पश्चात् इसकी कितनी बार बैठकें हुई हैं,

(ख) क्या इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो यह रिपोर्ट कब तक प्राप्त होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) महानगरों के उपनगरीय स्टेशनों पर भीड़-भाड़ और चाय/फल के नए स्टालों आदि पर रोक लगाने की आवश्यकता के मुद्दे की जांच करने के लिए गठित की गई रेल मंत्रालय के लिए संसद सदस्यों की परामर्श समिति की उप समिति ने मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में मौके पर दौरे करने के अलावा 5 बैठकें आयोजित की हैं, इस उप समिति ने अपनी रिपोर्ट 30.11.95 को प्रस्तुत कर दी है।

(ग) उप समिति ने अन्य बातों के साथ स्टालों के मानक डिज़ाइन और आकार, उपयुक्त चिन्ह और स्वच्छता की सिफारिश की है समिति ने यह सिफारिश भी की है कि प्लेटफार्मों पर भीड़-भाड़ रोकने के लिए स्टाल ट्रालियां आवश्यकता पर आधारित होने चाहिए।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आई० सी० एम० आर० एकक

1639. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषरूप से गुजरात में आई०सी०एम०आर० का कोई एकक स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) 30 सितंबर, 1995 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य में आई०सी०एम०आर० के एककों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान 30 सितंबर, 1995 तक स्थापित किए गए आई०सी०एम०आर० एककों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) आई०सी०एम०आर० का पहले से ही एक प्रमुख स्थाई संस्थान नामतः राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान अहमदाबाद में है।

(घ) देश भर में स्थित आई०सी०एम०आर० के स्थाई संस्थानों/केन्द्रों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इसके अतिरिक्त लगभग 75 अनुसंधान केन्द्र/एकक हैं जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फैले हुए हैं।

(ङ) पिछले 3 वर्षों के दौरान आई०सी०एम०आर ०द्वारा स्थापित किया गया केवल एक ही नया संस्थान, राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान है जो 1992 में पुणे में स्थापित किया गया था।

विवरण

आई०सी०एम०आर० के एककों की सूची

1. राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद
2. राष्ट्रीय विष विज्ञान संस्थान, पुणे
3. अनुसंधान एवं प्रजनन संस्थान, मुंबई
4. रोग विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
5. राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद
6. केन्द्रीय जारमा कुष्ठ संस्थान, आगरा
7. मलेरिया अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली
8. चिकित्सा सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, दिल्ली
9. चिकित्सा कीट विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, मदुराई
10. आई०सी०एम०आर० आनुवंशिक अनुसंधान केन्द्र, मुंबई
11. राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान, पुणे
12. क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर
13. क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, दिबरूगढ़

14. आदिवासियों के लिए क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर

15. डेजर्ट चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, जोधपुर

16. क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, जोधपुर

17. क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, बेलगांव

18. क्षयरोग अनुसंधान केन्द्र, मद्रास

19. इम्यूनो रुधिर विज्ञान संस्थान, मुंबई

20. राष्ट्रीय आन्त्र रोग संस्थान, कलकत्ता

21. वेक्टर नियंत्रण अनुसधान केन्द्र, पांडिचेरी

22. खाद्य एवं औषध विषाक्त विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद

23. प्रयोगशाला पशु सूचना सेवा केन्द्र, हैदराबाद

24. चिकित्सा सांख्यकी अनुसंधान संस्थान, मद्रास पेप्टर

25. कोशिका विज्ञान आर नियारक अर्बुद विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

26. आन्त्र विषाणु अनुसंधान केन्द्र, मुबई

27. राजेन्द्र स्मारक आयुर्विज्ञान अनुसधान संस्थान, पटना

[अनुवाद]

डी० एन० ए० फिंगर प्रिंटिंग

1640. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या हैदराबाद में एक पृथक डी०एन०ए० फिंगर प्रिंटिंग की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव छह वर्षों से भी ज्यादा समय से अधर में लटका हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके कब तक काम शुरू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या डी०एन०ए० केन्द्र में परिपूर्ण विधि-कक्ष की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस केन्द्र के लिए अपेक्षित जनशक्ति के लिए स्वीकृति देने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (च) सरकार ने डी०एन०ए० फिंगर प्रिंटिंग केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव का अब अनुमोदन कर दिया है। प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने में समय लगा है क्योंकि अनेक प्रशासनिक, संगठनात्मक तथा वित्तीय पहलुओं का समाधान किया जाना था। उप नियमों, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तथा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत उक्त सोसाइटी के पंजीकरण संबंधी ब्यौरों पर कार्रवाई की जा रही है। गृह मंत्रालय के परामर्श से कानूनी मुद्दों पर कारवाई करने के लिए केन्द्र का एक पृथक एकक होगा। अपेक्षित जनशक्ति का व्यय वित्त समिति ने अनुमोदन कर दिया है। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केन्द्र (सी०सी०एम०बी०), हैदराबाद से एक विशेष कार्य अधिकारी निर्दिष्ट किया गया है। केन्द्र को चालू करने के लिए सी०सी०एम०बी०, हैदराबाद स्थित एक अंतरिम सुविधा सभी मामलों का संचालन कर रही है।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड

1641. **श्री राव बिरेन्द्र सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, इन्दु नगर, तमिलनाडु में जहां लगभग 1400 कर्मचारियों की जीविका संकट में है, इस भयानक स्थिति का निवारण करने के लिए पर्याप्त कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1992 से कंपनी की वर्तमान स्थिति के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० सी० सिल्वेरा) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स को अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक वातावरण में बने रहने में सक्षम बनाने के लिए सरकार ने कंपनी को किसी ऐसे उपयुक्त संयुक्त उद्यम भागीदार का पता लगाने की सलाह दी है जो प्रचालन लागतें कम कर सके, सक्रिय विपणन सहायता प्रदान कर सके, अपेक्षित पूंजी जुटा सके और नियमित प्रौद्योगिकी उन्नयन सुनिश्चित कर सके। सरकार ने नई पोलिएस्टर एक्स-रे परियोजना को पूरा करने और इसे आरंभ करने के लिए 1995-96 के बजट में एच०पी०एफ० हेतु 35 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है।

(ग) कंपनी में घाटे में मुख्य कारण अत्याधिक प्रतिस्पर्द्धा और प्रबंधन की समस्या है।

[हिन्दी]

सरकारी आवास

1642. **श्री कुम्भी लाल** : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से दिल्ली, मुबई, मद्रास और कलकत्ता में कार्यरत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) उनमें से कितने कर्मचारियों के पास सरकारी आवास हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार शेष कर्मचारियों को सरकारी आवास देने का है और यदि हां, तो उन्हें कब तक सरकारी आवास दिए जाने की संभावना है ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर० के० धवन) : (क) और (ख) सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या के आंकड़े इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ग) सामान्य पूल रिहायशी वास प्राप्त सरकारी कर्मचारी संख्या इस प्रकार है :–

दिल्ली	बंबई	कलकत्ता	मद्रास
63.760	8,528	5,823	2,272

(घ) वास का आवंटन लगातार चलता रहता है तथा यह खाली वास सुलभ होने की और प्रतीक्षा सूची पर निर्भर करता है। बड़े शहरों में, धन मिलने पर अधिक रिहायशी वासों के निर्माण के भी प्रयास किये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

योजना 2001

1643. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :

क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2001 की मध्यावधि समीक्षा करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या शेष वर्षों के दौरान ऐसी समीक्षा योजना के बेहतर क्रियान्वयन में सहायक होगी;

(ग) यदि हां, तो किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई और क्या निर्णय लिए गए; और

(घ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संसाधनात्मक विकास में निजी निवेश के आकर्षित करने के लिए कोई निर्णय लिया है ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर० के० धवन) : (क) जी हां। एन० सी० आर० प्लान-2001 का मध्यावधि मूल्यांकन हाल ही में सितंबर, 1995 में शुरू किया गया है।

(ख) जी, हां। मामला अभी भी समीक्षाधीन है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं। तथापित एन० सी० आर० प्लानिंग बोर्ड ने परिवहन क्षेत्र के लिए एक कार्यफल योजना तैयार की है, जिसके प्रथम चरण के लिये 13,900 करोड़ रुपये की निवेश आवश्यकता आंकी गयी है। इसमें से 7,100 करोड़ रुपये का निवेश प्राईवेट सेक्टर में एक्स प्रेसवे हेतु बनाओ, चलाओ, अंतरित करो (बूट) आधार पर, तथा रेलवे व ट्रामवे परियोजनाओं के लिये बनाओ, चलाओ, पट्टे पर दो और अंतरित करो (बोल्ट) आधार पर करने का कार्यक्रम है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर/कृषि उद्योग

1644. **श्री नीतीश कुमार :**
श्री राम सिंह कस्वां :
श्री वृशिण पटेल :
श्री लक्ष्मण सिंह :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कुटीर/कृषि उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए कोई राष्ट्र स्तरीय योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(च) पिछले तीन वर्षों और 1994-95 के दौरान ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु आवंटित की गई राज्य-वार धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने की मुख्य रूप से जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। तथापित, केन्द्र सरकार वित्त, कच्चा माल, प्रौद्योगिकी, विपणन सुविधाएं मुहैया कराकर और बुनियादी संस्थाओं का सृजन करके राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है।

केन्द्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम कुटीर और कृषि उद्योगों का विकास करने के लिए व्यापक नीतिगत रूपरेखा तैयार करती है। केन्द्र सरकार के विभिन्न अभिकरण जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, लघु उद्योग विकास आयुक्त, हथकरघा विकास आयुक्त, हस्त-शिल्प विकास आयुक्त तथा रेशम बोर्ड ग्रामीण तथा ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने तथा उन्हें विकसित करने का कार्य करते हैं। जिला स्तर पर 422 जिला उद्योग केन्द्र हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए व्यापक सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करते हैं साथ ही ग्रामीण विकास में कार्यरत अभिकरणों के साथ निकट संपर्क सुनिश्चित करते हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, जो एक कानूनी संगठन है, अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले 96 ग्रामोद्योगों के संवर्धन और विकास के लिए उत्तरदायी होता है। ये उद्योग देशभर में फैले हैं। खादी तथा ग्रामोद्योग की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुसार, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने इन ग्रामोद्योगों का गहन विकास कार्य हाथ में ले लिया है और इस प्रयोजन के लिए अलग से धन राशि निर्धारित की गई है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने इस प्रयोजन के लिए विशेष जिला योजना कार्यक्रम, खंड विकास कार्यक्रम, विशेष परियोजना कार्यक्रम, आदि जैसे विशेष कार्यक्रम शुरू किये हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करते हैं।

(घ) और (ङ) हाल ही में विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय ने देश में हस्तशिल्प कारीगरों की अखिल भारतीय जनगणना की है। इस जनगणना कार्य से जनांकिकी/सामाजिक-आर्थिक स्थिति, उत्पादन, रोजगार आदि संबंधी

सूचना मिलने की आशा है जिससे राष्ट्रीय स्तर पर विकास नीति/आयोजना तैयार हो सकेगी।

(च) पिछले तीन वर्षों में तथा वर्ष 1994-95 के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए राज्यवार आबंटित धन राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

राज्य सरकारों तथा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों को ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए राशि आवंटन

(रुपये लाख में)

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95 (अनंतिम)
1.	आंध्र प्रदेश	1049.41	1276.58	896.74	843.46
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	2.37	-	53.60
3.	असम	118.50	102.22	128.50	144.08
4.	बिहार	630.59	753.27	636.13	184.26
5.	गोवा	37.37	49.09	24.16	53.29
6.	गुजरात	550.16	1051.28	1099.37	600.84
7.	हरियाणा	537.37	524.97	709.59	283.15
8.	हिमाचल प्रदेश	444.04	257.75	298.65	247.98
9.	जम्मू और कश्मीर	319.84	212.53	226.99	139.83
10.	कर्नाटक	765.08	1001.06	744.58	779.70
11.	केरल	467.95	907.65	436.42	623.70
12.	मध्य प्रदेश	588.02	575.75	259.69	149.08
13.	महाराष्ट्र	1371.90	1676.76	656.33	1144.78
14.	मणिपुर	69.15	107.06	101.99	194.56
15.	मेघालय	36.48	34.78	34.12	86.19
16.	मिजोरम	156.06	84.32	251.19	209.62
17.	नागालैंड	215.89	158.59	114.45	234.97
18.	उड़ीसा	335.54	536.10	416.50	324.53
19.	पंजाब	548.91	563.57	921.17	432.88
20.	राजस्थान	1299.86	818.08	756.19	465.83
21.	सिक्किम	38.16		67.90	46.13
22.	तमिलनाडु	2009.21	2333.24	1984.34	1350.21
23.	त्रिपुरा	33.73	1.33	54.83	86.66
24.	उत्तर प्रदेश	2806.59	4158.21	3233.62	1387.84
25.	प. बंगाल	767.63	554.35	771.21	558.18
	केन्द्र शासित क्षेत्र				
26.	अण्डमान और निकोबार	2.96	6.89	-	17.11
27.	चण्डीगढ़	9.57	15.83	3.91	11.38
28.	दादरा और नगर हवेली	-	-	-	-
29.	दिल्ली	138.05	73.95	182.01	100.00
30.	दमन और द्वीव	-	-	-	-
31.	लक्षद्वीप	-	-	-	2711.32
32.	पाण्डिचेरी	0.79	7.61	9.06	23.87
	योग	15368.81	17845.19	15019.56	13490.99

यात्री सुविधाएं

1645. **श्री सत्यदेव सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोन्डा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीडभाड़ को देखते हुए वहां पर दी गई यात्री सुविधाएं अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपर्युक्त रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (घ) यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करना एक सतत् प्रक्रिया है और इसे यातायात में वृद्धि के अनुसार जरूरत पड़ने पर किया जाता है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो, गोंडा रेलवे स्टेशन में सम्हाले जा रहे यातायात की यात्रा के अनुसार वहां पर पहले से ही सुविधाओं की व्यवस्था है। विकास के तौर पर चालू वर्ष के दौरान कंप्यूटीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली की व्यवस्था तथा प्लेटफार्म सं. 3 की सतह उठाने से संबंधित कार्य पूरे किए गए हैं। इसके अलावा, पानी की सप्लाई में सुधार लाने तथा प्लेटफार्म लाइन सं. 3 पर धुलनीय एप्रन की व्यवस्था से संबंधित कार्य भी शुरू किए गए हैं।

[अनुवाद]

सी० पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा अवैध कब्जा

1646. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री तारा सिंह :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग आवासों के खाली होने के दौरान उनकी मरम्मत अथवा उनको गिराने के उद्देश्य से आवासों पर अवैध कब्जा कर रही है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में केंन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों द्वारा कब्जे में दिये गये ऐसे आवासों की संख्या तथा इनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस विषय पर जांच कराने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री आर० के० धवन) : (क) और (ख) मकानों की मरम्मत हेतु तथा खतरनाक पाये जाने पर गिराने के लिए खाली कराया गया है। के०लो०नि०वि० के पास मरम्मत हेतु कुल 264 मकानों में से 70 मकान फील्ड यूनिट द्वारा स्वयं दी गई अनुमति के आधार पर लाइसेंस फीस पर के०लो०नि०वि० के कर्मचारियों के कब्जे में अथवा के०लो०नि०वि० के स्टोर/कार्यालय इस्तेमाल में पाये गये। इसी प्रकार, गिराने के लिए निर्धारित 452 क्वार्टरों में से 57 क्वार्टरों का स्टोर/कार्यालय के रूप में और सी०पी०डब्ल्यू०डी० स्टाफ द्वारा फील्ड यूनिटों की स्वयं अनुमति से लाइसेंस फीस के भुगतान पर निवास के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। के०लो०नि०वि० के कब्जे वाले इन मकानों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) सरकार ने इस मामले में जांच पड़ताल का पहले ही आदेश दे दिया है।

विवरण

उन क्वार्टरों की सूची जिन्हें मरम्मत तथा गिराने बाबत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने अपने कब्जे में लिया तथा उन्हें अपने स्टाफ को आवंटित किया

क्र०सं०	क्वार्टर सं० तथा स्थान	दखलकार (सर्वश्री/श्रीमती)
1.	58/7 एन्ड्रूज गंज	गिरधारी लाल एस/मैन
2.	94/7 -वही-	जगन्नाथ कारपेन्टर
3.	161/4 -वही-	दुगपाल चौकीदार
4.	142/7 -वही-	सीदान सिंह चौकीदार
5.	81/3 -वही-	बलराम भोज एम.एल.डी.
6.	162/4 -वही-	सीता कान्त चौकीदार
7.	160/4 -वही-	राजेन्द्र प्रसाद, खलासी
8.	159/4 -वही-	कैलाश चन्द, खलासी
9.	158/4 -वही-	देवीराम, खलासी
10.	10/8 -वही-	बनवारी लाल, फिटर
11.	157/4 -वही-	लीला बहादुर, चौकीदार
12.	312/3 एन्ड्रूज गंज	सतीश चन्द्र, जे०ई०
13.	68/3 -वही-	राजकुमार, ए०ई०
14.	टी-111, मार्किट फैल्ट-1 एन्ड्रूजगंज	माखन लाल मीणा, जे०ई०
15.	एच-527, श्रीनिवासपुरी	हुकम सिंह, चौकीदार
16.	जी-247, श्रीनिवासपुरी	एम० सी० गुप्ता, जे०ई०
17.	जी 371, श्रीनिवासपुरी	बी० के० मंडल, जे०ई०
18.	एम 304, कस्तूरबा नगर (सेवानगर)	हेमराज, एस/मैन
19.	एम-302, -वही-	जगदम्बीका प्रसाद, वायर मैन
20.	एम-312, कस्तूरबा नगर	एस० एस० रावत, चपरासी
21.	34, लक्ष्मीबाई नगर	आर० के० सम्मी, एक्स० इंजीनियर
22.	806, लक्ष्मीबाई नगर	डी० एन० मल्होत्रा, एस०ई०
23.	1068, लक्ष्मीबाई नगर	रितु, एल०डी०सी०
24.	डी 135, सरोजिनी नगर	अनिल शर्मा, जे०ई०
25.	जी-120, -वही-	रोशन सिंह, जे०ई०
26.	जी-160, -वही-	एच० सी० धुधानी, जे०ई०
27.	जी-602 -वही-	देवेन्द्र गुप्ता, ए०ई०
28.	जी-604 -वही-	सतवीर सिंह, ए०ई०
29.	ए०बी० 906 -वही-	वी० पी० सिंह, ए०ई०
30.	ए०बी० 908 -वही-	ए० के० पाण्डेय, जे०ई०
31.	जी I-804 -वही-	सुरेन्द्र प्रताप, जे०ई०
32.	जी I-766 -वही-	एस० के० हजारा, ए०ई०
33.	जी I-768 -वही-	पी० के० साहू, जे०ई०
34.	डी०जी० 906 -वही-	आर० के० अग्रवाल, जे०ई०
35.	ए-141 -वही-	हरीश चन्द्र, खलासी
36.	ए-110 -वही-	एस० बी० सिंह, जे०ई०
37.	ए-149 -वही-	आर० एन० प्रजापति, जे०ई०
38.	35 मोहम्मद पुर	एस०के०देव, ड्राइवर

क्र०सं०	क्वार्टर सं० तथा स्थान	दखलकार (सर्वश्री/श्रीमती)
39.	1188, सेक्टर I आर० के० पुरम	एस० सी० सिंह, चपरासी
40.	1185, सेक्टर I आर० के० पुरम	दलीप सिंह, चपरासी
41.	एन. 499 सेक्टर-9, आर० के० पुरम	एस० सी० मेशराम, वास्तुक
42.	7 ई, मिन्टो रोड	आर० के० नरूला
43.	9 ई, मिन्टो रोड	एम० डी० मौर्य
44.	11 ई, मिंटो रोड	के० सी० पन्त
45.	11 ई, भैरों रोड	एस० के० जैन
46.	8 डी, टैगोर रोड	के० सी० जोशी और बी० कुमार
47.	साउथ एवेन्यु, 139	राजेन्द्र कुमार
48.	1 ई, टैगोर रोड	अनिल कुमार त्यागी
49.	50 डी, थामसन रोड	राजबीर सिंह
50.	50 डी, थामसन रोड	इन्द्रजीत सिंह
51.	56 डी, थामसन रोड	सब्बर खां
52.	ई. 34, देव नगर	ए० के० मुटरेजा
53.	ई. 51, -वही-	डी० बी० एस० कौशल
54.	ई-66, -वही-	सजीव मैथानी
55.	ई-99, -वही-	डी० सी० शर्मा
56.	ई-360 -वही-	एस० के० गर्ग
57.	ई-362 -वही-	कैलाश नायक
58.	ई-376 -वही-	ए० एच० खान
59.	ई-377 -वही-	ए० के० अग्रवाल
60.	ई-378 -वही-	अमिताब शर्मा
61.	ई-102, भैरों रोड, मिन्टो रोड	शिव सिंह
62.	ई-279, देव नगर	बी० सी० जोशी
63.	ई-281, -वही-	जगदेव
64.	ई-290 -वही-	भरत सिंह
65.	ई-292 देव नगर	ए० के० गुप्ता
66.	ई-293 देव नगर	गुलशन कुमार
67.	ई-305 -वही-	ए० के० गोयल
68.	1-डी, निकलसन स्कवायर	ए० के० श्रीवास्तव और सी० एल० वर्मा
69.	2-डी, -वही-	आर० के० सिंह और ए० के० स्थाना
70.	3-डी -वही-	आर० सी० श्रीवास्तव और राजेन्द्र कुमार
71.	5-डी -वही-	ए० के० मल्होत्रा और बी० के० गुप्ता
72.	6-डी -वही-	शिवाजी सिंह और पीठ नारायण
73.	14-डी, डलहौजी स्कवायर	एम० के० बंस
74.	15-डी -वही-	टी० बी० सतवाया और जे० एस० यादव
75.	16-डी, विलसन स्कवायर	राम प्रकाश और एस० पासवान
76.	21-डी -वही-	एन० सी० सिंघल
77.	23-डी -वही-	बी० के० शर्मा
78.	22 डी, -वही-	सी० पी० डब्ल्यू० डी० स्टोर
79.	13 डी -वही-	-वही-
80.	19 डी -वही-	-वही-
81.	16 डी, लुम्डाडल स्कवायर	पी० सी० वर्मा
82.	17-डी -वही-	ए० एस० यादव और आर० ए० यादव
83.	14-डी -वही-	सी० पी० डब्ल्यू० डी०स्टोर
84.	15-डी -वही-	-वही-
85.	10-डी, एडवर्ड स्कवायर	पी० के० पतिपालिया
86.	12-डी -वही-	जे० बी० शर्मा
87.	13-डी -वही-	एस० के० जैसवाल और कालू खान
88.	14-डी, एडवर्ड स्कवायर	वीरेन्द्र कुमार तथा एम० सी० शर्मा

क्र०सं०	क्वार्टर सं० तथा स्थान	दखलकार (सर्वश्री/श्रीमती)
89.	7-डी, क्लाइव स्कवायर	हरि ओम अग्रवाल तथा वी० के० मत्थू
90.	10-डी -वही-	सी० पी० डब्ल्यू० डी० स्टोर
91.	1-डी, समरू प्लेस	एस० आर० पाण्डेय
92.	3-डी -वही-	महराज सिंह
93.	4-डी -वही-	वी० सुब्रामणियम
94.	6-डी, रंजीत प्लेस	राम लाल
95.	11-डी -वही-	लालजी विद्यार्थी तथा मीणा
96.	1-डी, परसियन स्कवायर	एस० एस० चौधरी
97.	2-डी -वही-	पी० सी० गुप्ता तथा वीरेन्द्र कुमार
98.	35-ए, मंदिर मार्ग	सी० पी० डब्ल्यू० डी० स्टोर
99.	जी-565, श्रीनिवास पुरी	स्टोर
100.	जी-373 -वही-	स्टोर
101.	एल-506, कस्तूरबा नगर (सेवा नगर)	स्टोर
102.	एफ-325 -वही-	स्टोर
103.	एल-502 -वही-	स्टोर
104.	एफ-312 -वही-	स्टोर
105.	एफ 3014 -वही-	स्टोर
106.	32/400, त्यागराज नगर प्रेम नगर	स्टोर
107.	11/152 -वही-	स्टोर
108.	689, सादिक नगर	स्टोर
109.	590, सादिक नगर	स्टोर
110.	380, अलीगंज	स्टोर
111.	525 -वही-	स्टोर
112.	552 -वही-	स्टोर
113.	डी० जी० 1033 सरोजनी नगर	स्टोर
114.	डी० जी० 1034 -वही-	स्टोर
115.	डी० जी० 1035 -वही-	स्टोर
116.	डी० जी० 1036 -वही-	स्टोर
117.	डी० जी० 1040 -वही-	स्टोर
118.	एक्स वाई-23 -वही-	स्टोर
119.	एक्स वाई-24 -वही-	स्टोर
120.	जी आई-731 -वही-	कार्यालय
121.	जी आई-763 -वही-	कार्यालय
122.	ए-114 -वही-	कार्यालय
123.	ए-66, -वही-	स्टोर
124.	सी-142 -वही-	कार्यालय
125.	आई-338 -वही-	कार्यालय
126.	जी-245, नोरौजी नगर	कार्यालय
127.	एन-493, आर. के. पुरम, सेक्टर 9	स्टोर

रिहायशी एककों का निर्माण

1647. **श्री धर्मण्णा मोंडयूया सादुल :** क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वतमान आवास नीति के अधीन प्रति वर्ष कितने मकानों का निर्माण किए जाने का लक्ष्य है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने मकान निर्मित किए गए;

(ग) क्या सरकार का विचार बकाया को पूरा करने हेतु और अधिक मकान निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो आने वाले दो वर्षों में कितने मकान निर्मित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित किए जान की संभावना है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एस० अहलुवालिया): (क) आठवीं योजना दस्तावेज में औपचारिक (सरकारी) सेक्टर द्वारा योजनावधि में हर साल 13 लाख मकान बनाने का उल्लेख है।

(ख) आवास राज्य का विषय होने के नाते विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपनी स्थानीय जरूरतों पर आधारित योजना प्राथमिकताओं के अनुसार अपने योजनागत धन में से अथवा हुडको की वित्तीय सहायता से विभिन्न आवास स्कीमें बनाई और चलाई जाती हैं।

लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों (ई० डब्ल्यू० एस० व एल० आई० जी०) के लिए आवासीय स्कीमों की प्रगति की केन्द्र सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत मानीटरिंग की जाती है। विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1992-93, 1993-94, 1994-95 और 1995-96 (31.8.95 तक) के दौरान इन स्कीमों के तहत वर्ष-वार उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

वर्ष	निर्मित मकानों की संख्या	
	ई० डब्ल्यू० एस०	एल० आई० जी०
1992-93	114680	53904
1993-94	122895	59665
1994-95	116816	40098
1995-96 (31.8.95 तक)	26414	4109

(ग) और (घ) रिहायशी मकानों की पिछली कमी को दूर करने के लिए विशेष आवासीय स्कीमें बनाना और चलाना राज्य सरकारों पर निर्भर करता है।

(ङ) शहरी क्षेत्रों में मकान निर्माण हेतु राज्य सरकारों को धन मुहैया कराने की कोई केन्द्रीय स्कीम नहीं है।

[हिन्दी]

मानसिक स्वास्थ्य

1648. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के अंतर्गत राज्य मानसिक स्वास्थ्य नियम, 1990 बनाए हैं। तदनुसार प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करनी है, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम में शामिल किए गए कार्यों को करने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी तथा विजिटरों की नियुक्ति करनी है। यह अधिनियम 1.4.93 से लागू हुआ।

(ग) मेघालय, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, कर्नाटक, असम, गोवा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना की है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्मरण कराया गया है कि वे शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करें।

[अनुवाद]

सेना उद्योग की सहभागिता पर सेमिनार

1649. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**
श्री राम विलास पासवान :
श्री राजेश कुमार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना तथा निजी उद्योगों के बीच सहभागिता पर नई दिल्ली कन्फडरेशन आफ इंडियन द्वारा हाल ही में एक सेमिनार आयोजित की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निजी क्षेत्रों के शामिल होने के कारण गुणवत्ता, क्षमता तथा आयुधों तथा सामग्रियों को गोपनीयता किस प्रकार से बरकरार रखी जायेगी;

(घ) सेमिनार में की गयी सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) इन्हें क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/प्रस्तावित हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) भारतीय उद्योग संघ के सहयोग से सेना द्वारा 14-15 सितंबर, 1995 को सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें "प्रक्रियाओं का पुनरीक्षण और परिवर्तन की आवश्यकता", "गुणता आश्वासन और स्व प्रमाणन", "मानव संसाधनों का आपस में बांटना", "भारतीय रक्षा उद्योग का विश्वव्यापीकरण", और "प्रौद्योगिकी विकास" से संबंधित संकल्प पारित किए गए। यह निर्णय लेने के संबंध में विचार किया जाएगा कि क्या इन पर आगे कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।

उत्पाद सहायता सहित गैर-युद्ध सम्पदानों के मामले में ही निजी उद्योग रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी मदों का दायरा बढ़ा रहा है। गोपनीयता बनाए रखने में कोई ढील दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इन उत्पादों को स्वीकार किए जाने से पूर्व इनकी गुणता और कार्यक्षमता की जांच की जाएगी।

यात्री सुविधाएं

1650. **श्री अशोक आनंदराव देशमुख** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों की सुविधा की व्यवस्था और रेलवे स्टेशनों की समुचित देख-रेख सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अचानक निरीक्षण किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यात्रियों की सुविधाओं की देखरेख के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां।

(ख) विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय समय पर जांच की जाती है और पाई गई कमियों और दिए गए सुझावों पर कार्रवाई की जाती है, तथापित, इन जांच कार्यों के कोइ आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) स्टेशनों और गाड़ियों में सुविधाओं की व्यवस्था और उनके रख-रखाव की जांच करने में मंडल स्तर पर अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक की सहायता मंडल वाणिज्य प्रबंधक/सहायक वाणिज्य प्रबंधक तथा मुख्यालय स्तर पर अतिरिक्त महाप्रबंधक की सहायता विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष करते हैं।

कुष्ठ रोगी

1651. **श्री हाराधन राय** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में कुष्ठ रोगियों की वर्तमान कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के उपचार के लिए उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त देश में अलग से कुष्ठ निवारण केन्द्र भी हैं;

(ग) यदि हां, तो इन केन्द्रों की संख्या कितनी है तथा ऐसे केन्द्र राज्य-वार किन किन स्थानों पर हैं;

(घ) केन्द्र सरकार ने इन केन्द्रों के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी सहायता स्वीकृत की है तथा कितनी धनराशि अब तक दी गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा रोगियों को प्रदत्त निःशुल्क सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले) : (क) कुष्ठ रोगियों की राज्यवार कुल संख्या संलग्न विवरण I में दी गयी हैं।

(ख) और (ग) जी हां। कुष्ठ केन्द्रों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण II में दी गई हैं।

(घ) केन्द्रीय बजट आवंटन और सितंबर, 95 तक उन केन्द्रों के संचालन के लिए रिलीज की गई राशि संलग्न विवरण III में दी गई हैं।

(ङ) सभी कुष्ठ रोगियों के मुफ्त उपचार के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुष्ठ रोधी औषधियां प्रदान की जाती हैं। नियमित रूप से उपचार करने के लिए रोगियों को स्वास्थ्य शिक्षा भी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाती है।

विवरण-I

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम–राज्यों में रोगियों की वर्तमान संख्या (1995-96)

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जनसंख्या (लाख में) दिस० 1994	माह के अंत में दर्ज रोगियों की सं०	माह के अंत में उपचार कर रहे रोगी	प्रति दस हजार जनसंख्या पर व्याप्तता दर	माह तक प्राप्त रिपोर्ट
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	700.49	44127	43883	6.30	10/95
2.	अरूणाचल प्रदेश	9.22	588	588	6.38	8/95
3.	असम	270.48	14754	14754	5.45	8/95
4.	बिहार	963.08	106384	97889	11.05	7/95
5.	गोवा	13.71	437	437	3.19	10/95
6.	गुजरात	452.85	14952	14820	3.30	10/95
7.	हरियाणा	182.61	620	620	0.34	9/95
8.	हिमाचल प्रदेश	57.58	2532	2197	4.40	9/95
9.	जम्मू व कश्मीर	84.41	3902	900	4.62	10/95
10.	कर्नाटक	476.99	19324	18457	4.05	8/95

1	2	3	4	5	6	7
11.	केरल	317.90	11779	11778	3.71	10/95
12.	मध्य प्रदेश***	708.18	59793	59793	8.44	8/95
13.	महाराष्ट्र	841.67	38864	38181	4.62	9/95
14.	मणिपुर	20.29	820	820	4.04	10/95
15.	मेघालय	19.02	222	222	1.17	7/95
16.	मिजोरम	7.86	144	144	1.83	4/95
17.	नागालैंड	12.43	2246	2246	18.07	6/95
18.	उड़ीसा	344.13	56941	56941	16.55	8/95
19.	पंजाब	215.58	1253	1253	0.58	9/95
20.	राजस्थान*	475.78	7875	7875	1.66	10/95
21.	सिक्किम	5.15	81	81	1.57	9/95
22.	तमिलनाडु	579.84	56428	48515	9.73	9/95
23.	त्रिपुरा	29.23	919	919	3.14	9/95
24.	उत्तर प्रदेश	1452.15	106613	101028	7.34	9/95
25.	पश्चिम बंगाल**	709.80	91209	91185	12.85	7/95
26.	अंडमान और निकोबार	3.24	150	150	4.63	9/95
27.	चंडीगढ़	8.48	97	72	1.14	7/95
28.	दादरा और नागर हवेली	1.58	190	190	12.03	9/95
29.	दमण और दीव*	1.07	54	43	5.05	10/95
30.	दिल्ली	104.16	8971	8842	8.61	8/95
31.	लक्षद्वीप	0.59	34	34	5.76	7/95
32.	पांडिचेरी	8.32	451	434	5.42	10/95
	योग	9077.87	652754	625291	7.19	

*1994-95 में छुट्टी दिए गए 78 रोगी भी शामिल हैं।

**1994-95 में छुट्टी दिए गए 29768 रोगी भी शामिल हैं।

***1994-95 में छुट्टी दिए गए 6500 रोगी भी शामिल हैं।

विवरण II

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत आधारभूत ढांचा
राज्यों में मार्च, 1995 की स्थिति

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य	एल०यू०सी०/ एम०सी०यू०	यू०एल० सी०	एस०ई० टी०	डी०एल० ओ०	टी०एच० डब्ल्यू०	एस०एस० ए०यू०	वी० ओ०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	94	91	164	51	55	3	45
2.	अरूणाचल प्रदेश	2	-	31	-	1	-	3
3.	असम	9	16	250	6	5	1	6
4.	बिहार	89	71	1044	22	29	3	22
5.	गोवा	1	2	31	1	1	-	-
6.	गुजरात	21	21	369	7	9	2	17
7.	हरियाणा	-	3	2	-	-	1	1
8.	हिमाचल प्रदेश	6	1	15	5	1	1	1
9.	जम्मू व कश्मीर	8	2	37	-	2	-	1
10.	कर्नाटक	41	50	673	20	22	3	22
11.	केरल	20	45	254	8	5	3	11
12.	मध्य प्रदेश	54	72	530	23	14	5	7
13.	महाराष्ट्र	42	258	970	24	23	1	27
14.	मणिपुर	4	1	17	4	1	-	2
15.	मेघालय	2	1	16	-	2	-	1
16.	मिजोरम	2	1	7	2	1	1	-
17.	नागालैंड	2	2	30	3	2	-	-
18.	उड़ीसा	55	16	140	10	11	1	17
19.	पंजाब	2	16	-	1	1	1	1
20.	राजस्थान	5	5	8	4	4	-	7
21.	सिक्किम	2	6	13	1	1	-	1
22.	तमिलनाडु	102	82	26	22	52	7	31
23.	त्रिपुरा	4	4	20	1	1	1	1
24.	उत्तर प्रदेश	122	60	1023	65	17	1	48
25.	पश्चिम बंगाल	91	71	35	15	30	4	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	3	10	1	1	1	-
27.	चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-	-
28.	दादरा और नगर हवेली	-	-	2	-	-	-	-
29.	दमण और दीव	-	-	-	-	-	-	-
30.	दिल्ली	-	3	-	-	-	-	3
31.	लक्षद्वीप	-	-	3	-	-	-	-
32.	पांडिचेरी	1	3	24	2	1	-	1
	योग	780	906	3444	278	290	40	290

एल० सी० यू०/एम० सी० यू० : कुष्ठ नियंत्रण यूनिट/नई नियंत्रण यूनिट

यू० एल० सी० : शहरी कुष्ठ केन्द्र

एस० ई० टी० : सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार केन्द्र

डी० एल० ओ० : जिला कुष्ठ कार्यालय

टी० एच० डब्ल्यू० : अस्थाई अस्पताली वार्ड

एस० एस० ए० यू० : नमूना सर्वेक्षण-सह-आकलन यूनिट

वी० ओ० : स्वैच्छिक संगठन

विवरण-III

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम-1995-96 के बजट आवंटन और 1995-96 के दौरान रीलीज राशि

(सितंबर, 1995)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बजट आवंटन 1995-96			(लाख रुपए) 1995-96 (9/95) के दौरान रिलीज (केवल नगद)
		नगद	सामग्री	कुल	
1.	आंध्र प्रदेश	203.00	33.00	336.00	101.50
2.	अरूणाचल प्रदेश	16.50	26.00	42.00	8.25
3.	असम	20.00	7.50	27.50	10.00
4.	बिहार	112.00	218.40	330.40	56.00
5.	गोवा	0.50	1.00	1.50	0.25
6.	गुजरात	18.00	91.00	102.00	9.00
7.	हरियाणा	7.00	8.00	15.00	3.50
8.	हिमाचल प्रदेश	7.00	8.00	15.00	3.50
9.	जम्मू व कश्मीर	4.50	1.50	6.00	2.24

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बजट आवंटन 1995-96			(लाख रुपए) 195-96 (9/95) के दौरान रिलीज (केवल नगद)
		नगद	सामग्री	कुल	
10.	कर्नाटक	100.00	137.00	237.00	50.00
11.	केरल	76.00	98.76	174.76	38.00
12.	मध्य प्रदेश	117.00	326.40	143.40	88.50
13.	महाराष्ट्र	20.00	135.00	155.00	10.00
14.	मणिपुर	3.50	4.00	7.50	1.74
15.	मेघालय	8.00	4.00	12.00	4.00
16.	मिजोरम	12.00	4.00	16.00	6.00
17.	नागालैंड	3.00	4.00	7.00	1.00
18.	उड़ीसा	112.00	173.52	285.52	56.00
19.	पंजाब	21.00	2.00	23.00	10.00
20.	राजस्थान	29.00	17.00	46.00	14.00
21.	सिक्किम	20.00	3.00	23.00	10.00
22.	तमिलनाडु	112.00	100.50	214.50	57.00
23.	त्रिपुरा	19.00	4.00	23.00	9.50
24.	उत्तर प्रदेश	177.00	336.40	513.40	88.50
25.	पश्चिम बंगाल	80.00	204.52	284.52	40.00
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6.50	1.00	7.50	6.50
27.	चंडीगढ़	0.50	1.00	1.50	0.50
28.	दादरा और नागर हवेली	0.50	2.00	2.50	0.50
29.	दमण और दीव	2.00	1.00	3.00	2.00
30.	दिल्ली	0.50	1.00	1.50	0.25
31.	लक्षद्वीप	2.00	1.00	3.00	2.00
32.	पांडिचेरी	1.00	10.50	11.50	0.75
	योग	1313.00	2066.00	3379.00	662.48

भारतीय खाद्य निगम द्वारा रेलवे का उपयोग कम करना

1652. **श्री एस० एम० लालजान बाशा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने खाद्यानों की आवाजाही के लिये रेलवे के उपयोग को कम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और रेलवे के उपभोग में कमी करने का क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) रेलवे का वैकल्पिक माल यातायात की प्राप्ति के लिये क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे की भूमि

1653. **श्री रामनिहोर राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए रेलवे की कुल कितनी भूमि पट्टे पर दी गई है और इस संबंध में लाभ उठाने वालों का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर रेलवे के मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए कुल कितनी भूमि पट्टे पर दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) भूमि पट्टे पर देने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग

1654. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समेकित अपशिष्ट पदार्थों की कोई प्रायोगिक परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस परियोजना के कब तक चालू होने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने समेकित अपशिष्ट प्रबंध पर एक प्रायोगिक परियोजना 1989 में शुरू की थी। परियोजना के अंतर्गत, विभाग ने घरेलू कूड़ा-करकट से ईंधन टिकियां तैयार करने के लिए दियोनार, बंबई में एक कूड़ा-करकट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया है।

समेकित अपशिष्ट प्रबंध परियोजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

- भरे जाने वाले गड्ढों की निरंतर बढ़ती हुई मात्रा के कारण पर्यावरण की बिगड़ती हुई दशा की सुरक्षा करना।

घरेलू कूड़े से ईंधन टिकियों का बनाना न केवल वैकल्पिक ईंधन स्रोत प्रदान करता है बल्कि गड्ढो को भरने में भी मदद करेगा।

इन ईंधन टिकियों की कैलोरिफिक वैल्यू 4000 k cal/kg (कोयले के समतुल्य) है जिसमें भस्म के अंश 15 प्रतिशत से कम होते हैं। ये टिकियां विभिन्न आकारों में तैयार की जा सकती है। अनेकों प्रयोक्ता इस उत्पादन से संतुष्ट हैं।

(ग) संयंत्र जून, 1994 से चालू है।

अस्पताल के अपशिष्ट पदार्थों का निपटान

1655. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अस्पताल, उपचर्या गृहों, चिकित्सालयों तथा अनुसंधान प्रयोगशालाओं, पशु चिकित्सालयों के अस्पताल चिकित्सीय अपशिष्ट पदार्थ के उचित तथा वैज्ञानिक निपटान के संबंध में नियम तथा विनियमन/दिशानिर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि वर्तमान समय में अस्पताल अपशिष्ट पदार्थ के उचित तथा वैज्ञानिक निपटान के अभाव में कई बीमारियां तेजी से फैल रही हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले में पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा राज्य सरकारों से परामर्श तथा समन्वय करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले) : (क) और (ख) अस्पतालों से फैलने वाले संक्रमण के नियंत्रण के बारे में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशानिर्देश परिचालित किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अस्पताल से अपशिष्ट पदार्थ को फेंके जाने और उसका निपटान किए जाने की प्रक्रिया दी गई है जिससे कि सिरिंजों, सुईयों, आधान-सेट आदि जैसी प्रयुक्त की गई प्रयोज्य सामग्री के पुनः प्रयोग किए जाने के खतरे से बचा जा सके।

(ग) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) सभी केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में अवशिष्ट पदार्थों के निपटान के लिए इनसिनिरेटर हैं।

(ङ) और (च) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राज्य सरकारों और जनता से सुझाव और आपत्तियां, यदि कोई हों, प्राप्त करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध एवं संचालन) नियम, 1995 का प्रारूप अधिसूचित किया है। अधीनस्थ संगठनों/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के संस्थानों से प्राप्त सुझाव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजे गए हैं।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण

1656. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए पंचाटों को विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) अधिकरण द्वारा दिए गए आदेशों को यथाशीघ्र कार्यान्वित करने के लिए मंत्रालय/विभाग जिम्मेदार हैं। आदेशों के कार्यान्वयन के संबंध में सूचना केन्द्रीकृत रूप से रखने की आवश्यकता नहीं होती।

रेलवे स्टेशन

1657. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में गत तीन वर्षों के दौरान विकसित किये गए रेलवे स्टेशनों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या राज्य में बड़ी संख्या में स्टेशनों पर समुचित प्रतीक्षालय कक्ष नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा ये सुविधाएं प्रदान कराने के लिए कोई समयवद्ध योजना तैयार की गई है;

(घ) क्या स्टेशनों के विकास और यात्री सुविधाओं के लिए गैर-सरकारी पार्टियों को शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान कुल 242.29 लाख रुपये की लागत पर इरिंजालकुडा, कालीकट, चेंगन्नूर, एर्णाकुलम जंक्शन, एर्णाकुलम टाउन, पट्टाम्बी, तेल्लिचेरी, तिरूवनन्तपुरम सेंट्रल और कणनोर रेलवे स्टेशनों पर विकास/सुधार/आधुनिकीकरण के कार्य शुरू किए गए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

क्षय मरीज

1658. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**
श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में क्षय मरीजों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में क्षय के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई; और

(ग) क्षय रोग पर नियंत्रण पाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम 50 : 50 की भागीदारी के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है। कार्यक्रम के अंतर्गत रोगियों का शुरू में ही पता लगाने और औषधों के संयोजन के साथ निशुल्क तथा नियमित उपचार को सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जाता है।

[हिन्दी]

भरतपुर हाल्ट

1659. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कटिहार तथा बरौनी रेल प्रखंड के बीच भरतपुर हाल्ट समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इसे चालू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग) कटिहार-बरौनी खंड पर "भरतपुर हाल्ट" का नाम का कोई स्टेशन नहीं है। तथापि, बरौनी-कटिहार खंड पर "भारती" पर हाल्ट स्टेशन खोलने का एक प्रस्ताव 1994 में प्राप्त हुआ था जो कि वित्तीय अथवा यात्री सुविधा दोनों दृष्टियों से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया था।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों का विलंब से चलना

1660. **डा० कार्तिकेश्वर पात्रा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की ओर जाने वाली रेलगाड़ियां प्रतिदिन अपने निर्धारित समय से 12 से 13 घंटे विलंब से पहुंच रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, दुर्घटनाओं, आंदोलनों, उपस्करों की खराबियों, खतरे की जंजीर खींचने, शरारती तत्वों की गतिविधियों जैसे कारणों से कभी-कभी गाड़ियों का चालन प्रभावित होता है।

(ग) मंडल तथा मुख्यालय दोनों स्तरों पर दैनिक समय पालन पर बैठकें आयोजित करने सहित विभिन्न स्तरों पर गहन जांच तथा प्रतिदिन निगरानी रखी जाती है तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से फुट प्लेट निरीक्षण किये जाते हैं। इसके अलावा, निरीक्षकीय और अधिकारी दोनों स्तरों पर समय पालन अभियान भी चलाये जाते हैं तथा प्रणाली में जब कभी खामियां पाई जाती हैं, उन्हें दूर किया जाता है।

कैंसर के अस्पताल

1661. **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कैंसर अस्पतालों की संख्या राज्यवार कितनी है;

(ख) देश में इन अस्पतालों में प्रतिवर्ष कितने मरीजों का इलाज होता है; और

(ग) क्या इन अस्पतालों में मरीजों को हर तरह की चिकित्सा प्रदान करने की सुविधा है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए० आर० अंतुले) : (क) कैंसर उपचार केन्द्रों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त कैंसर रोगियों के उपचार के लिए शल्यक्रिया संबंधी प्रयास तथा रसायन चिकित्सा की सुविधाएं देश के लगभग सभी बड़े अस्पतालों में उपलब्ध है।

(ख) आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों में कैंसर रोगियों के निदान तथा उपचार के लिए गहन सुविधाएं उपलब्ध हैं।

विवरण

कैंसर उपचार केन्द्रों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कैंसर उपचार केन्द्रों की सं०
1.	आंध्र प्रदेश	13
2.	असम	2
3.	बिहार	3
4.	चंडीगढ़	1
5.	दिल्ली	5
6.	गोवा	1
7.	गुजरात	5
8.	हरियाणा	1
9.	हिमाचल प्रदेश	1
10.	जम्मू और कश्मीर	3
11.	कर्नाटक	11
12.	केरल	6
13.	मध्य प्रदेश	6
14.	महाराष्ट्र	16
15.	मणिपुर	1
16.	मेघालय	1
17.	उड़ीसा	3
18.	पांडिचेरी	1
19.	पंजाब	4
20.	राजस्थान	4
21.	तमिलनाडु	17
22.	त्रिपुरा	1
23.	उत्तर प्रदेश	11
24.	पश्चिम बंगाल	7
	योग	124

रेल पटरी

1662. **श्री राम कापसे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि महाराष्ट्र के यवतमल जिले के दीगसर और दरवहा मोतीबाग स्टेशन के बीच रेल पटरी को उखाड़ दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है और उसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) अब तक इन रेल पटरियों का निर्माण नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन रेल पटरियों का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) डिगरास तथा दरवहा मोतीबाग के बीच छोटी लाइन को 1942 से 1945 की अवधि के दौरान उखाड़ा गया था तथा कलेक्टर/यवतमाल को भूमि सौंप दी गई थी।

(ख) उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार, इसे उखाड़ने के संबंध में रेलों द्वारा अब तक कोई जांच नहीं की गई है।

(ग) वर्ष 1988 की अवधि के दौरान टोही इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण किया गया था जिससे पता चला कि इसकी यातायात संभाव्यता अपर्याप्त है, अतः इस लाइन के पुनः निर्माण पर आगे विचार नहीं किया जा सका था।

(घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

कैंसर के मरीज

1663. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कैंसर के मरीजों की संख्या में अत्याधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में कैंसर के कितने मरीजों का पता लगाया गया है;

(ग) कैंसर के मरीजों की संख्या में वृद्धि को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम (भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद) के आंकड़ों से कैंसर की व्याप्तता दर में थोड़ी सी, परन्तु महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। अनुमान है कि किसी एक निश्चित समय के अन्दर देश में 2.0 मिलियन कैंसर रोगी हैं और प्रतिवर्ष इनमें 0.7 मिलियन नए रोगी और जुड़ जाते हैं। राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) एक राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कैंसर की रोकथाम और इसका आरंभिक अवस्था में ही पता लगाने पर बल दिया जाता है।

(घ) सहायता प्रायः चिकित्सा संस्थाओं, अस्पतालों, स्वैच्छिक संगठनों आदि को दी जाती है। पिछले वर्षों में कार्यक्रम की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत दी गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत रिलीज की गई वित्तीय सहायता

क्र०सं०	संस्था का नाम	राशि (लाख रुपये)
	1992-93	
	(क) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को सहायता अनुदान	
1.	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कलकत्ता	299.00*
2.	गुजरात कैंसर एवं अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद	50.00
3.	कैंसर संस्थान, मद्रास	50.00
4.	किदवई स्मारक अर्बुद विज्ञान संस्थान, बंगलौर	50.00
5.	इंस्टीट्यूट आफ रोटरी कैंसर हास्पिटल (अ० भा० आयु० संस्थान), नई दिल्ली	465.00
6.	कैंसर अनुसंधान एवं उपचार समिति क्षेत्रीय केन्द्र, कटक, उड़ीसा	50.00
7.	कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर, म० प्र०	50.00
8.	क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम	50.00
	(ख) विकिरण चिकित्सा यूनिटों को सहायता	
1.	नरगिस दत्त मेमोरियल हास्पिटल (अश्विनी सोसायटी) बर्सी (शोलापुर), महाराष्ट्र	20.00
2.	मीनाक्षी मिशन हास्पिटल मदुरई (तमिलनाडु)	20.00

*149.00 लाख रुपये के योजनेत्तर अनुदान सहित।

क्र०सं०	संस्था का नाम	राशि (लाख रुपये)
3.	कर्नाटक कैंसर रिसर्च एंड थिरेपी इंस्टीच्यूट, हुबली, कर्नाटक	20.00
4.	कमला नेहरू मेमोरियल हास्पिटल, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	50.00
5.	एस० जी० कैंसर हास्पिटल, इन्दौर, मध्य प्रदेश	50.00
6.	लायंस कैंसर डिटेक्शन सेंटर, सूरत, गुजरात	50.00
7.	चेरिटेबल सोसायटी आफ फोर्ट लायंस, जोधपुर (ब्राकेथिरेपी यूनिट के लिए)	5.00
	(ग) जिला परियोजनाओं के लिए सहायता	
1.	जिला बनासकांठा, गुजरात	15.00
2.	जिला पंचमहल, गुजरात	10.00
3.	जिला भटिंडा, पंजाब	15.00
4.	जिला जालंधर, पंजाब	15.00
5.	जिला मदुरई, तमिलनाडु	15.00
6.	जिला कोयम्बटूर, तमिलनाडु	15.00
	(घ) अर्बुदविज्ञान विंगों का विकास	
1.	जिपमर, पांडिचेरी	100.00
2.	सिद्धार्थ मेडिकल कालेज, विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश)	70.00
3.	रवीन्द्रनाथ टैगोर मेडिकल कालेज, उदयपुर, राजस्थान	70.00
4.	कर्नाटक मेडिकल कालेज, हुबली, कर्नाटक	70.00
5.	बी० एस० मेडिकल कालेज, बंकुरा (पश्चिम बंगाल)	70.00
6.	सरकारी मेडिकल कालेज, गोवा	70.00
7.	स्वामी रामानंद तीरथ रूरल मेडिकल कालेज, अम्बाजोगाई (महाराष्ट्र)	30.00
8.	निजाम इंस्टीच्यूट आफ मेडिकल साईंसेस, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	30.00
9.	सिल्चर मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, सिल्चर (असम)	30.00
10.	जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज, अजमेर (राजस्थान)	30.00
11.	नार्थ बंगाल मेडिकल कालेज, सिलिगुड़ी (पश्चिम बंगाल)	30.00
	(ङ) स्वास्थ्य शिक्षा और रोगियों का पता लगाने के लिए स्वैच्छिक संगठन	
1.	लायंस कैंसर डिटेक्शन सेंटर, सूरत, गुजरात	5.00
2.	हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	4.25
3.	अम्बा कैंसर अस्पताल, त्रिचूर, केरल	5.00

क्र०सं०	संस्था का नाम	राशि (लाख रुपये)
*4.	क्रिश्चियन कैंसर सेंटर, अम्बेलिकाई, तमिलनाडु	5.00
5.	जी० के० नायडू मेमोरियल हास्पिटल, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	5.00
6.	राजकोट कैंसर सोसायटी, राजकोट, गुजरात	5.00
7.	कैंसर सेंटर एवं वेलफेयर होम, ठाकुरपुर, पश्चिम बंगाल	5.00
8.	संजीवन मेडिकल फाउंडेशन, मिराज, महाराष्ट्र	5.00
9.	बेहला बालनंद ब्रह्मचारी अस्पताल, कलकत्ता	5.00
	1993-94	
	(क) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को सहायता अनुदान	
1.	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कलकत्ता	610.00*
2.	कैंसर संस्थान, मद्रास	55.00
3.	गुजरात कैंसर एवं अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद	50.00
4.	किदवई मेमोरियल इन्सटीच्यूट आफ आनंकालोजी, बंगलौर	50.00
5.	कैंसर अनुसंधान एवं उपचार समिति क्षेत्रीय केन्द्र, कटक, उड़ीसा	.00
6.	कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान ग्वालियर, मध्य प्रदेश	50.00
7.	क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र त्रिवेन्द्रम	50.00
	(ख) विकिरण चिकित्सा यूनिटों के लिए सहायता	
1.	श्री सयजी जनरल हास्पिटल, बड़ोदरा, गुजरात	50.00
2.	मेडिकल कालेज हास्पिटल, कोट्टायम	50.00
3.	गर्वमेंट मेडिकल कालेज, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	50.00
4.	जे०के० कैंसर इन्स्टीट्यूट, कानपुर, उत्तर प्रदेश	50.00
5.	तंजौर मेडिकल कालेज, तंजौर, तमिलनाडु	50.00
6.	कलकत्ता मेडिकल कालेज, कलकत्ता	50.00
7.	एम० पी० कैंसर चिकित्सा एवं सेवा समिति (जे० एल० नेहरू कैंसर हास्पिटल एवं रिसर्च केन्द्र), भोपाल	50.00
8.	प्रवर मेडिकल ट्रस्ट प्रवर रूरल हास्पिटल, अहमदाबाद (अहमदनगर)	50.00
9.	पेरीफेरल कैंसर केन्द्र, माइया, कर्नाटक	50.00
10.	इंडियन कैंसर सोसायटी, दिल्ली	50.00

*175 लाख रुपये के योजनेत्तर अनुदान सहित।

क्र०सं०	संस्था का नाम	राशि (लाख रुपये)
	(ग) जिला परियोजनाओं के लिए सहायता	
1.	जिला खेडा, गुजरात	15.00
2.	जिला भड़ौच, गुजरात	15.00
3.	जिला पंचमहल, गुजरात	10.00
4.	जिला पूर्वी खासी हिल्स, मेघालय	15.00
	(घ) अर्बुदविज्ञान विंग का विकास	
1.	एस० एस० एस० मेडिकल कालेज, जयपुर, राजस्थान	70.00
2.	एम० एल० मेडिकल कालेज, झांसी, उत्तर प्रदेश	70.00
3.	असम मेडिकल कालेज, डिबरूगढ़, असम	70.00
4.	बर्दवान मेडिकल कालेज, बर्दवान, पश्चिम बंगाल	70.00*
5.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सुचेता कृपलानी हास्पिटल, दिल्ली	70.00
6.	सिविल हास्पिटल, ऐंजल, मिजोरम	70.00
7.	गर्वमेन्ट मेडिकल कालेज, जम्मू कश्मीर	30.00
8.	लाला लाजपतराय मेमोरियल मेडिकल कालेज, मेरठ, उत्तर प्रदेश	50.00
9.	रवीन्द्र नाथ टैगोर मेडिकल कालेज, उदयपुर, राजस्थान	30.00
	(ङ) स्वास्थ्य शिक्षा एवं रोग का आरंभ में पता लगाने के लिए स्वैच्छिक संगठन	
1.	कैंसर डिटेक्शन सोसाइटी, दिल्ली	5.00
2.	इंडियन कैंसर सोसाइटी, दिल्ली	5.00
3.	धर्मशिला कैंसर फाउंडेशन एवं रिसर्च सैंटर, नई दिल्ली	5.00
	1994-95	
	(क) क्षेत्रीय केन्द्रों को सहायता अनुदान	
1.	चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीच्यूट, कलकत्ता	275.00*
2.	गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीच्यूट, अहमदाबाद	50.00
3.	कैंसर इंस्टीच्यूट, मद्रास	55.00
4.	किदवई मेमोरियल इंस्टीच्यूट ऑफ आनकालोजी, बंगलौर	50.00
5.	इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर अस्पताल (अ०भा०आयु० संस्थान), नई दिल्ली	220.00

*175 लाख रुपये के योजनेत्तर अनुदान सहित।

क्र०सं०	संस्था का नाम	राशि (लाख रुपये)
6.	कैंसर अनुसंधान एवं उपचार समिति क्षेत्रीय केन्द्र, कटक, उड़ीसा	50.00
7.	कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च इंस्टिच्यूट, ग्वालियर, म० प्र०	50.00
8.	क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम	50.00
9.	कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल, इलाहाबाद	50.00
	(ख) विकिरण चिकित्सा यूनिटों को सहायता	
1.	महात्मा गांधी इंस्टीच्यूट आफ मेडिकल साईंसेस (कस्तूरबा हेल्थ सोसायटी) वर्धा, महाराष्ट्र	50.00
2.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, श्रीनगर	50.00
3.	इर्विन ग्रुप आफ हास्पिटल, जामनगर, गुजरात	50.00
4.	जी० वी० एन० हास्पिटल कैंसर क्योर सेंट, तिरूचिरापल्ली, तमिलनाडु	20.00
5.	एस० बी० एस० अस्पताल, कोटा, राजस्थान	38.00
	(ग) जिला परियोजनाओं के लिए सहायता	
1.	पश्चिम त्रिपुरा एवं उत्तरी त्रिपुरा, जिला त्रिपुरा	30.00
2.	इटावा एंड आजमगढ़ जिला उत्तर प्रदेश	30.00
3.	कोट्टायम एवं पथानमयिट्टा, जिला केरल	20.00
4.	कटक जिला, उड़ीसा	15.00
	(घ) अर्बुद विज्ञान विंग का विकास	
1.	एम० के० सी० जी० मेडिकल कालेज, बेहरामपुर, उड़ीसा	70.00
2.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एंड संबद्ध अस्पताल, नयी दिल्ली	80.00
3.	जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज (ए० एम० यू०), अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	100.00
4.	गोवा मैडिकल कालेज, बम्बोलियम, गोवा	65.00
5.	एस० एम० एस० मेडिकल कालेज, जयपुर, राजस्थान	30.00
6.	वर्दवान मेडिकल कालेज, वर्दवान, पश्चिम बंगाल	40.00
7.	बी० एस० मेडिकल कालेज, बंकुरा, पश्चिम बंगाल	40.00
8.	सिविल अस्पताल, ऐंजल, मिजोरम	58.95
9.	पटना मेडिकल कालेज, पटना, बिहार	100.00
10.	गांधी मेडिकल कालेज, भोपाल, मध्यप्रदेश	100.00
11.	कैंसर अस्पताल, अगरतला, त्रिपुरा	100.00

क्र०सं०	संस्था का नाम	राशि (लाख रुपये)
	(ङ) स्वास्थ्य शिक्षा एवं रोगियों का पता लगाने के लिए स्वैच्छिक संगठन	
1.	कैंसर सोसायटी आफ मध्यप्रदेश, एम० जी० एम० मेडिकल कालेज, इंदौर, मध्य प्रदेश	5.00
2.	प्रवर मेडिकल ट्रस्ट प्रवर रूरल हास्पिटल लोनी, महाराष्ट्र	5.00
3.	कैंसर सेंटर एंड वेलफेयर होम, ठाकुरपुर, पश्चिम बंगाल	5.00
4.	इंडियन कैंसर सोसायटी, शोलापुर, महाराष्ट्र	5.00
5.	बरसात कैंसर रिसर्च एंड वेलफेयर सेंटर, बारीसाल, पश्चिम बंगाल	5.00
6.	कैंसर केयर ट्रस्ट एंड रिसर्च सेंटर, इंदौर, मध्य प्रदेश	5.00
7.	आम्ला कैंसर हास्पिटल एंड रिसर्च सैंटर, आम्लानगर, त्रिचूर, केरल	5.00
8.	चेरिटेबल ट्रस्ट कोयम्बटूर (कोयम्बटूर कैंसर इंस्टीच्यूट एंड रिसर्च सैंटर) तमिलनाडु	2.50

[अनुवाद]

सॉफ्टवेयर पार्क

1664. **श्री रामकृष्ण कोंताला :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर पार्क शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से इलेक्ट्रॉनिकी विभाग का एक सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क पहले से ही कार्य कर रहा है। आंध्र प्रदेश में एक और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

1665. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान वार्षिक बजट के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए आवंटित पूरी धनराशि का सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक संस्थानों द्वारा उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त वर्षों में प्रत्येक वर्ष आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का अलग अलग और इकाई वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आवंटित धनराशि का पूरी तरह उपयोग न करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की प्रत्येक परियोजना हेतु वर्ष-वार आवंटन तथा उन पर किए गए वास्तविक व्यय का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 8535/95)

(ग) आवंटित राशि का उपयोग नहीं किए जाने के कारणों में विधि व व्यवस्था संबंधी समस्याएं, भूमि अधिग्रहण में विलंब तथा नकदी की कमी से संविदाकारों की धीमी प्रगति, हड़ताल, कुछ राज्यों में भारी वर्षा आदि शामिल हैं।

कूच बिहार में रेलगाड़ी का "स्टापेज"

1666. **श्री अमर रायप्रधान :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1994 और 1995 के दौरान गुवाहाटी-कलकत्ता एक्सप्रेस को नया कूच बिहार में "स्टापेज" बनाये जाने की भारी मांग की गई है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) इस संबंध में कुछ सुझाव/अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) से (घ) जांच की गई थी परन्तु परिचालनिक कठिनाइयों के कारण इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया।

चल चिकित्सालय

1667. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में चल चिकित्सालयों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इनका वित्त पोषण केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले) : (क) से (ग) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संस्थाओं को आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में गरीब लोगों की देख-भाल करने के लिए मोबाइल वैन की व्यवस्था करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

रेलवे क्वार्टर

1668. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अभी तक गुजरात में रेलवे कर्मचारियों को गैर प्राथमिकता वाली श्रेणी में अपनी बारी आने पर आवंटित किये गये रेलवे क्वार्टरों की संख्या कितनी है;

(ख) बिना बारी के रेलवे क्वार्टरों के आवंटन के लिए क्या मानदंड बनाए गए हैं;

(ग) ऐसे आवंटन के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(घ) कितने कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटित किए गए; और

(ङ) शेष कर्मचारियों के आवेदन पत्र किस आधार पर अस्वीकार किए गए?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) 2579 क्वार्टर।

(ख) रेल कर्मचारियों को बिना बारी के क्वार्टरों का आवंटन अनुकंपा के आधार पर चिकित्सा आधार पर और शारीरिक विकलांगता के आधार पर किया जाता है। बिना बारी का आवंटन सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के विशिष्ट आश्रित संबंधियों को भी किया जाता है बशर्ते कि निर्धारित शर्तें पूरी होती हों। उपर्युक्त के अलावा प्रादेशिक सेना के कर्मचारियों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को भी निर्धारित मानदंडों के अनुसार क्वार्टर आवंटित किए जाते हैं।

(ग) 539 आवेदन।

(घ) 407 कर्मचारी।

(ङ) शेष कर्मचारियों के आवेदन विधिवत रूप से विचार करने के बाद गुण दोष के आधार पर अस्वीकार कर दिए गए थे।

मुम्बई में निर्जल गोदी

1669. **श्री सन्मत कुमार मंडल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 अगस्त, 1995 के "द संडे आबजरवर (आफ बिजनेस एंड पॉलिटिक्स)" में "85 करोड़ डाउन द डॉक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या निर्जल गोदी संबंधी सरकारी अक्षमता और घटिया आयोजन के कारण सरकारी धनराशि के अपव्यय संबंधी किसी जांच के आदेश दिये गये हैं और क्या मुम्बई नौसेना गोदी बाड़ा में रक्षा मंत्रालय और नौसेना मुख्यालय के बीच आयोजना समन्वय की कमी के कारण राष्ट्रीय राजकोष पर करीब 25 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ा है और परियोजना में छः वर्षों का विलंब भी हुआ है।

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला और नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस समय परियोजना की स्थिति क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) तथ्यों के बारे में पता लगाया जा रहा है और वे सदन के पटल पर रख दिए जायेंगे।

छोटे तथा मझौले शहरों का विकास

1670. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्यों के छोटे तथा मझौले शहरों को चुन चुन कर उनका विकास करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो 30.9.1995 तक इससे संबंधित स्थिति क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार की ओर से कुछ प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो दिनांक 30 सितंबर, 1995 तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रत्येक परियोजनाओं में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है तथा विलंब के क्या कारण हैं; और

(च) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री आर० के० धवन) : (क) जी, हां।

(ख) छोटे व मझोले कस्बों के समेकित विकास की योजना (आई० डी० एस० एम० टी०) के संशोधित दिशा-निर्देश राज्य सरकारों को अगस्त, 1995 में भेजे जा चुके हैं। इन दिशा निर्देशों में कस्बों का चयन और शिनाख्त करने, परियोजना रिपोर्ट बनाने और अनुमोदित करने, केन्द्रीय सहायता रिलीज करने आदि की प्रक्रिया निर्धारित है।

(ग) से (च) नये दिशा निर्देशों के तहत आई० डी० एस० एम० टी० परियोजना प्रस्ताव राज्य स्तरीय मंजूरी समिति द्वारा अनुमोदित किये जाने आवश्यक है, भारत सरकार द्वारा नहीं। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसरण में, केन्द्रीय सहायता रिलीज करने के लिये गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

भूमि की बिक्री

1671. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपनी जमीन निजी पार्टियों को बेचने की अनुमति देने का अनुरोध किया है ताकि वे बाहरी क्षेत्रों की जमीन खरीद सकें, यदि हां तो अनुमति मांगने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है और क्या उन्हें अनुमति दे दी गयी है;

(ख) क्या सरकार ध्यान 22 तथा 25 अगस्त, 1995 के "जनसत्ता" तथा "इकनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 2005 से पहले नहीं शीर्षक से संबंधित समाचार की ओर गया है और क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपनी जमीन बाजार मूल्य पर बेचने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर० के० धवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जी, हां। तथापि, क्षेत्रीय योजना-2001 की समय-सीमा बढ़ाने बाबत कोई निर्णय नहीं लिया गया है। क्षेत्रीय योजना-2001 की मध्यावधि समीक्षा हाल ही में यानि, सितंबर, 1995 में शुरू की गई है। प्राइवेट पार्टियों को जमीन बेचने बाबत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को कोई पत्र नहीं लिखा है।

ए० एस० एच० और एस० सी० ए० निर्माण

1672. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री हरिन पाठक :
श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वदेशी एडवांस्ड लाइट हेलीकोप्टर और लाइट कांबैट विमान के निर्माण में क्या उपलब्धि हुई है;

(ख) ऐसे विमानों के पूर्ण विदेशीकरण के लिये निर्धारित योजना/लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में कतिपय विदेशी कंपनियों के साथ समझौता करना चाहती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस विमान को वायुसेना को कब तक सौंपे जाने की संभावना है;

(च) इन विमानों का वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(छ) इनका बड़े पैमाने पर निर्माण करने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग) में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (छ) मैसर्स यूरोकॉप्टर के तकनीकी सहयोग से हिन्दुस्तान एयरोनॉटिकस लिमिटेड द्वारा विकसित किए गए उन्नत किस्म के हल्के हेलिकॉप्टर के तीन आदिरूप उड़ान परीक्षण के अंतिम चरण में हैं। उन्नत किस्म के हल्के हेलिकॉप्टर का डिजाइन तैयार हो जाने और अनुमति-पत्र मिल जाने के बाद ही उसका श्रृंखलाबद्ध उत्पादन शुरू किया जाएगा। इसके साथ-साथ सभी उपप्रणालियों और हिस्से-पुर्जों का भी क्रमिक रूप से अधिकतम संभव सीमा तक देश में उत्पादन किया जाएगा। इस बीच 13 हेलिकॉप्टरों के निर्माण के लिए सीमित श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। उपर्युक्त हेलिकॉप्टर के नौसेना रूपान्तर के आदिरूप का भू-परीक्षण किया जा रहा है।

पहला प्रौद्योगिकी प्रदर्शक हल्का युद्धक वायुयान 17 नवंबर, 1995 को रोल आउट किया गया। इस वायुयान की पहली उड़ान से पूर्व इसका विस्तृत भू-परीक्षण किया जाएगा। कतिपय उपप्रणालियों का विकास करने में कुछ विदेशी कंपनियों का सहयोग लिया गया है। इस वायुयान का विकास कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् इसके वाणिज्यिक उत्पादन के लिए एक परियोजना शुरू की जाएगी। हल्के युद्धक वायुयान को सन् 2002 तक सेवा में शामिल किए जाने का प्रयास है।

[हिन्दी]

झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले व्यक्ति

1673. **श्री नीतीश कुमार :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नयी औद्योगिक विकास प्रक्रिया के परिणामस्वरूप छोटे और बड़े शहरों में झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन झुग्गी-झोंपड़ी में रह रहे शहरी व्यक्तियों के औसत प्रतिशत का अनुमान लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो इस अनुमान का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे सर्वेक्षण न कराए जाने के क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एस० अहलुवालिया) : (क) से (घ) स्लम विकास राज्य का विषय होने के नाते, केन्द्र सरकार ने देश भर में स्लमों का कोई विशेष विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, अनुमान है कि 1981 में ज्ञात 27.92 मिलियन स्लम आबादी 1991 में बढ़कर 46.62 मिलियन थी, जो 67 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाती है। 1981 तथा 1991 में ज्ञात/आंकलित स्लम आबादी के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1981 तथा 1991 में अनुमानित स्लम जनसंख्या

(मिलियन में)

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य	ज्ञात स्लम आबादी	शहरी आबादी	अनुमानित स्लम आबादी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2.86	17.81	4.29
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	0.10	0.02
3.	असम	0.12	2.47	0.41
4.	बिहार	3.27	11.37	3.53
5.	गोवा	0.02	0.48	0.08
6.	गुजरात	1.53	14.16	3.57
7.	हरियाणा	0.27	4.05	0.68
8.	हिमाचल प्रदेश	0.08	0.44	0.09
9.	जम्मू तथा कश्मीर	0.63	1.84	0.61
10.	कर्नाटक	0.57	13.85	2.36
11.	केरल	0.41	7.68	1.36
12.	मध्य प्रदेश	1.07	15.55	2.77
13.	महाराष्ट्र	4.31	30.50	6.66
14.	मणिपुर	0.02	0.51	0.09
15.	मेघालय	0.07	0.33	0.08
16.	मिजोरम	-	0.32	0.06
17	नागालैण्ड	-	0.21	0.04
18.	उड़ीसा	0.28	4.23	0.84
19.	पंजाब	1.17	6.00	1.32
20.	राजस्थान	1.03	10.04	1.96
21.	सिक्किम	0.02	0.04	0.05
22.	तमिलनाडु	2.68	19.03	3.56
23.	त्रिपुरा	0.02	0.42	0.07
24.	उत्तर प्रदेश	2.58	27.65	5.85
25.	पश्चिम बंगाल	3.03	18.62	4.62
	सभी राज्य	**26.02**	**207.50**	**45.935**
1.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	-	0.08	2.02
2.	चण्डीगढ़	-	0.57	*0.11
3.	दादर तथा नागर हवेली	-	0.01	0.002
4.	दमण तथा द्वीव	-	0.05	2.009
5.	दिल्ली	1.80	8.43	2.42
6.	लक्षद्वीप	-	0.03	0.005
7.	पाण्डिचेरी	0.10	0.52	0.12
	अखिल संघ राज्य	27.92	217.19	46.621

रेलवे स्टेशन

1674. **श्री सत्यदेव सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव जनपद गोंडा रेलवे स्टेशन का विस्तार करने और इसे अन्य राज्यों से और अधिक रेलगाड़ियों से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग) गोंडा रेलवे स्टेशन पर, सम्हाले जा रहे यातायात की मात्रा के अनुरूप सुविधाएं पहले ही मुहैया करा दी गई हैं। इसके अलावा जल आपूर्ति में सुधार तथा प्लेटफार्म लाइन सं. 3 पर धुलनीय एप्रेन की व्यवस्था करने से संबंधित कार्य भी शुरू किए गए हैं।

गोंडा से/तक पर्याप्त गाड़ी सेवाएं पहले से ही उपलब्ध हैं। तथापि, गोंडा सहित देश के विभिन्न भागों से/तक नई गाड़ियों की व्यवस्था करना एक सतत् प्रक्रिया है जो यातायात औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

नर्सों की वर्दी

1675. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री तारा सिंह :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के केन्द्रीय सरकार अस्पतालों में कार्यरत नर्सों की वर्दी हाल ही में बदल दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नर्सों की परंपरागत सफेद वर्दी में परिवर्तन से नर्सों में असंतोष फैल रहा है; और

(घ) क्या सरकार ने अपने निर्णय में परिवर्तन करने का विचार किया है यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अखिल भारतीय सरकारी नर्स संघ ने निर्धारित वर्दी में परिवर्तन करने के लिए एकपक्षीय निर्णय लिया है। तथापि, ट्रेन्ड नर्सेज एसोसिएशन आफ इंडिया ने इसका समर्थन नहीं किया है।

(घ) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

पृथक स्वायत्त निगम का गठन

1676. **श्री राम नाईक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई में स्थानीय क्षेत्र के लिए पृथक् स्वायत्त निगम का गठन करने हेतु सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पृथक संगठन के गठन के संबंध में मंत्रालय की क्या नीति है; और

(ग) क्या मंत्रालय ने इस संबंध में कोई समयबद्ध योजना तैयार की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) मुंबई उपनगरीय सेवाओं के लिए पृथक स्वायत्त निगम के गठन से संबंधित मुद्दा संसद सहित विभिन्न मंचों से उठाया गया है। अंतर्निहित कठिनाई यह है कि क्योंकि उपनगरीय तथा लंबी दूरी के यात्री और माल यातायात, दोनों एक ही रेल अवसंरचना का उपयोग करते हैं। तथापि, उपनगरीय नेटवर्क के लिए पृथक संगठन की व्यवहार्यता तथा रूपरेखा को विश्व बैंक द्वारा पोषित बंबई शहरी परिवहन परियोजना-2 के अंतर्गत वित्तीय तथा संस्थागत अध्ययन में शामिल किया गया है। अंतिम निर्णय उसके निष्कर्ष पर निर्भर करता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बुर्ला-बंगलौर सेक्शन पर स्टापेज

1677. **श्री धर्मण्णा मॉडयूवा सादुल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुर्ला-बंगलौर-बुर्ला सेक्शन के रेल प्रयोक्ताओं की ओर से मध्य रेलवे के कतिपय महत्वपूर्ण वाणिज्यिक स्टेशनों पर स्टापेज के लिए काफी समय से मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) 1013/1014 कुर्ला-बंगलौर एक्सप्रेस को दुधानी पर ठहराव देने के संबंध में मांगें प्राप्त हुई हैं।

(ग) 1013/1014 कुर्ला-बेंगलूर एक्सप्रेस को 2.12.95 से दुधानी पर ठहराव दे दिया गया है।

तीस्ता-तोशा एक्सप्रेस

1678. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कल्दीवारी तथा सियालदह के बीच चलने वाली तीस्ता-तोशा एक्सप्रेस असामान्य रूप से अनियमित चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग) जुलाई, 95 से एक अतिरिक्त रेक की व्यवस्था करने के पश्चात् 3141/3142 तीस्ता-तोशा एक्सप्रेस के समयपालन में पर्याप्त सुधार हुआ है। मालदा मंडल में बाढ़ और दरारें पड़ने के कारण सितंबर, 95 और अक्टूबर, 95 के दौरान गाड़ी का समयपालन खराब रहा। गाड़ी के समयपालन निष्पादन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और इसके निष्पादन में पर्याप्त सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

शाक अपशिष्ट पर आधारित विद्युत संयंत्र

1679. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**
श्री राम पाल सिंह :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से मद्रास में पूर्णतः शाक अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन करने के लिए भारत की प्रथम संयंत्र स्थापित किए जाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की क्षमता और लागत आदि सहित इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसी प्रकार के शाक अपशिष्ट पर आधारित विद्युत संयंत्रों को देश के अन्य भागों में भी स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) यू० एन० डी० पी०/जी० ई० एफ० सहायता वाली परियोजना के अंतर्गत चरणबद्ध रूप से वनस्पति अपशिष्ट पर आधारित तीन परियोजनाओं की स्थापना की जानी है। मद्रास भी संभावित स्थानों में से एक है। प्रौद्योगिकी, स्थल और लागत ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन देते हुए शहरी, म्यूनिसिपल और औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा की प्रतिप्राप्ति के लिए एक राष्ट्रीय प्रायोगिक कार्यक्रम को अभी हाल ही में आरंभ किया गया है। इस योजना में वनस्पति अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति पर परियोजनाएं भी शामिल हैं। तथापि अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

एड्स नियंत्रण

1680. **श्री हराधन राय :**
श्रीमती गिरिजा देवी :
प्रो० के० वी० थामस :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में कितने एड्स तथा एच०आई०वी० घनात्मक मामले राज्यवार पकड़ में आए; और

(ख) एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक कितनी प्रगति हुई है?

स्वास्थ्य तथा परिवार मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) प्रेस, रेडियो, टेलिवीजन सहित प्रचार माध्यमों के सभी स्रोतों के माध्यम से लोगों और विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले आचरण समूहों में जन जागरूकता पैदा किए जाने की आवश्यकता है। नगर और सामग्रीगत अनुदान देकर सार्वजनिक क्षेत्र के 715 रक्त बैंकों को आधुनिक बनाया जा रहा है और 504 यौन संचारित रोग क्लीनिकों को सुदृढ़ किया जा रहा है। देश में 31 रक्त घटक पृथककरण सुविधाओं की स्थापना हेतु उपकरणों की खरीद के लिए आर्डर दिए गए हैं। अनेक प्रशिक्षण मॉड्यूल्स का विकास किया गया है। कोर प्रशिक्षक किया गया है जो जिला तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

विवरण

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दिसंबर, 1993 तक		दिसंबर, 1994 तक		नवंबर, 1995 तक	
		एच०आई० वी० पाजिटिव	एड्स रोगी	एच०आई० वी० पाजिटिव	एड्स रोगी	एच०आई० वी० पाजिटिव	एड्स रोगी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	143	1	143	1	24	3
2.	असम	5	1	6	2	134	10
3.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
4.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	82	-
5.	बिहार	3	-	3	-	3	1
6.	चण्डीगढ़	165	47	165	47	177	100
7.	पंजाब						
8.	दिल्ली	914	45	994	64	1064	88
9.	दमण व दीव	-	-	-	-	8	1

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	दादरा व नगर हवेली	-	-	-	1	-	-
11.	गोवा	324	8	357	12	594	12
12.	गुजरात	329	18	513	18	517	21
13.	हरियाणा	68	1	120	1	135	1
14.	हिमाचल प्रदेश	13	3	13	9	13	9
15.	जम्मू व कश्मीर	12	2	10	2	10	2
16.	कर्नाटक	876	7	1569	26	1954	51
17.	केरल	180	76	180	76	180	76
18.	लक्षद्वीप	2	-	2	-	5	-
19.	मध्य प्रदेश	64	19	64	21	214	60
20.	महाराष्ट्र	5482	124	5482	280	6273	1041
21.	मणिपुर	1988	22	2758	68	3989	99
22.	मिजोरम	31	-	53	-	63	-
23.	मेघालय	-	-	-	-	53	-
24.	नागालैंड	112	-	112	-	261	4
25.	उड़ीसा	5	-	33	2	145	2
26.	पांडिचेरी	525	6	1009	6	1556	94
27.	राजस्थान	14	1	43	1	46	3
28.	सिक्किम	-	-	-	-	1	-
29.	तमिलनाडु	2449	153	2766	345	2766	372
30.	त्रिपुरा	-	-	-	-	13	-
31.	उत्तर प्रदेश	387	8	475	8	565	8
32.	पश्चिम बंगाल	169	17	251	27	251	39
	कुल	14260	559	17121	1017	21284	2097

*सभी संचयी आंकड़े

रेलवे नेटवर्क का विस्तार

1681. **श्री एस० एम० लालजान बाशा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उड़ीसा राज्य में दक्षिण पूर्व रेलवे में रेलवे नेटवर्क का विस्तार कर भद्रक-कटक, चांदबाली बालीगांव होते हुए तथा भद्रक-कटक, आनंदपुर, अगरपाड़ा होतु हुए जोड़ने को कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार की इसी तरह के विस्तार द्वारा देश के अन्य पिछड़े क्षेत्रों को जोड़ने की कोई योजमा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) संसाधनों की तंगी।

रेल गाड़ियों में बिस्तरबंद

1682. **श्री राम निहोर राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलगाड़ियों में यात्रियों को दिए जाने वाले बिस्तरबंद स्वच्छ नहीं होते हैं और उन्हें रोज साफ नहीं किया जाता है तथा यात्रियों को अन्य यात्रियों द्वारा पहले ही प्रयोग में लाए गए बिस्तरबंद का उपयोग करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, और

(ख) यदि हां, तो रेलगाड़ियों में स्वच्छ और साफ बिस्तरबंदों की व्यवस्था करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) क्षेत्रीय रेलों को यात्रियों को केवल साफ सुथरे और अच्छे बिस्तर सप्लाई करने के लिए कहा गया है। धुलनीय कपड़े जैसे बिस्तर की चादरें, तौलिये, तकिये के कवर एक बार प्रयोग के पश्चात् धोने अपेक्षित होते हैं। यात्रियों को केवल साफ सुथरे बिस्तरों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर अचानक जांच की जाती है। जब कभी किसी संबंधित कर्मचारी के काम में कोई चूक पाई जाती है तो उसके विरुद्ध उचित कारवाई की जाती है।

[हिन्दी]

पेयजल और गंदा पानी

1683. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश जल आपूर्ति और गंदा पानी व्ययन विभाग द्वारा वर्ष 1994-95 के दौरान पेयजल की आपूर्ति और गंदे पानी के व्ययन के संबंध में भेजी गयी परियोजनाओं को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति न दिये जाने का क्या कारण है; और

(ख) ये परियोजनायें कब तक स्वीकृत कर दी जायेंगी ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर० के० धवन) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवर्तित 65 योजनाओं में से 42 योजनाएं भारत सरकार द्वारा पहले ही मंजूर कर दी गई है। चूंकि योजना के दिशा-निर्देशों के आधार पर अनुमेय अधिकतम वित्त सीमा और चालू वर्ष हेतु राज्य का नियतन अधिक हो गया है, इसलिए शेष योजनाएं फिलहाल मंजूरी के लिये पात्र नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार से जल निकासी की कोई योजना मंजूरी के लिए प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों का समय पर चलना

1684. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** :
श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रेलवे बोर्ड द्वारा रेलगाड़ियों को समय पर चलाने को सुनिश्चित करने हेतु कोई परिणामोन्मुख तथा प्रोत्साहन की योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ऊर्जा ग्राम योजना

1685. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऊर्जा ग्राम योजना को समाप्त कर दिया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) जी नहीं, सरकार ने ऊर्जागावं (ऊर्जाग्राम) योजना वापस नहीं ली है। अब तक देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 412 ऊर्जाग्राम परियोजनाएं आरंभ की गई हैं।

अनुसंधान और विकास पर निवेश बढ़ाना

1686. **श्री रमेश चेन्निथला** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत में सकल उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुसंधान और विकास पर खर्च किया गया;

(ख) अनुसंधान और विकास के मामले में भारत के अन्य राष्ट्रों से बहुत पीछे रह जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या अनुसंधान और विकास पर निवेश में पर्याप्त वृद्धि किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) भारत तथा कुछ चुने हुए विकासशील देशों में सकल राष्ट्रीय उत्पाद

का अनुसंधान एवं विकास खर्च प्रतिशत इस प्रकार है :–

देश	संदर्भ वर्ष	अनुसंधान विकास परिव्यय सकल राष्ट्रीय उत्पाद का प्रतिशत
अर्जेंटीना	1988	0.40
ब्राजील	1985	0.40
मिस्र	1982	0.20
भारत	1992	0.83
इंडोनेशिया	1988	0.20
इजराइल	1985	3.10
मलेशिया	1989	0.10
मारिशस	1992	0.30
नाइजीरिया	1987	0.10
पाकिस्तान	1987	1.00
फिलीपिन्स	1984	0.10
कोरिया गणराज्य	1988	1.90
श्री लंका	1984	0.20
थाइलैंड	1987	0.20

स्रोत : यूनिस्को सांख्यिकीय इयर बुक, 1992

(ख) विकसित तथा कुछेक विकासशील देशों की तुलना में भारत का अनुसधान एवं विकास पर खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पाद के परिपेक्ष्य में कम है। निरपेक्ष तौर पर भारत का अनुसंधान एवं विकास पर खर्च इन वर्षों में बढ़ा है।

(ग) और (घ) अनुसंधान एवं विकास में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार ने समय-समय पर सहायता के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं:–

- अनुसंधान एवं विकास खर्च पर आयकर में छूट
- प्रायोजित अनुसंधान के लिए भारित कर कटौती
- सीमा शुल्क छूट
- त्वरित मूल्यह्रास भत्ता
- स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास पर आधारित बल्क औषध पर मूल्य नियंत्रण छूट
- उद्यम/संस्थान स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास सहयोग को बढ़ावा
- सरकारी विभागों द्वारा उद्योगों में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का प्रत्यक्ष वित्तपोषण
- उल्लेखनीय अनुसंधान एवं विकास उपलब्धियों को राष्ट्रीय पुरस्कार तथा सार्वजनिक वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास का व्यावसायीकरण
- वित्तीय संस्थानों से अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विश्वसनीयता जैसे अप्रत्यक्ष लाभ देना
- प्रौद्योगिकी विकास निधी की स्थापना।

मिरगी

1687. **श्रीमती वसुंधरा राजे :**
डा० बसंत पवार :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मिरगी रोग के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) गत दो वर्षों में इस रोग के कितने मामलों का पता चला है;

(ग) क्या इस रोग का उपचार महंगा हो रहा है और गरीबों के लिए समस्या पैदा कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस रोग की रोकथाम के लिए सरकार क्या कदम उठायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले) : (क) और (ख) कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वैसे, मिर्गी के रोगियों की कोई स्पष्ट वृद्धि नहीं हुई है। देश में प्रति हजार लोगों के पीछे इस रोग की व्याप्तता दर 4-6 है।

(ग) आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली मिर्गी रोधी औषधियां नामतः फेनोबार्बिटोन, फेनीटोइन, कार्बेमेजेपाइन और सोडियम वेल्पोरेट उचित दामों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। केवल 10 प्रतिशत मिर्गी के रोगियों को कीमती औषधियों की जरूरत होती है।

(घ) मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, जो ऐसे रोगियों को कम करने में योगदान देगा, में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

कैटरिंग कार्पोरेशन

1688. **श्री राम कापसे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे कैटरिंग कारपोरेशन गठन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग) प्रस्ताव वैचारिक स्तर पर है।

[हिन्दी]

अस्पतालों को विश्व बैंक की सहायता

1689. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार ने इन राज्यों के जिलों में अस्पताल खोलने की मांग करते हुए विश्व बैंक को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या विश्व बैंक के अधिकारियों ने इन राज्यों का दौरा किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन अधिकारियों ने अपने दौरे में इस परियोजना को व्यवहार्य पाया है और इसके वित्त पोषण के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश में द्वितीयक स्तर के अस्पतालों के उन्नयन के लिए एक संक्षिप्त प्रस्ताव भेजा था। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को अब विश्व बैंक की सहायता वाली परियोजनाओं की आवश्यकताओं के अनुसार ही एक संशोधित प्रस्ताव भेजने के लिए परामर्श दिया गया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य में द्वितीयक स्तर के अस्पतालों के उन्नयन के लिए एक प्रस्ताव भेजा है।

(ख) से (घ) इन प्रस्तावित परियोजनाओं, जो निर्माणात्मक आवश्यकताओं से हैं, से संबंधित अधिकारियों ने इन राज्यों का कोई दौरा नहीं किया है।

[अनुवाद]

जनसंख्या विस्फोट पर कानून

1690. **श्री रामकृष्ण कोंताला** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण के लिए कानून बनाने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसे कब तक लागू कर दिया जाएगा

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले) : (क) और (ख) इस समय जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए विधान लाने का नया प्रस्ताव नहीं है।

झींगा संसाधनों का पता लगाना

1691. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झींगा संसाधनों का पता लगाने के लिए कुछ राज्यों में दूर-संवेदन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार झींगे का पता लगाने की प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने का है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) जी, हां। विविध तटीय नमभूमि स्वरूपों पर सुदूर संवेदन आधारित सूचना को, वैज्ञानिक रूप में विश्लेषित करके और अन्य समाजार्थिक सूचना के साथ समाकलित करके, देश के चुने हुए समुद्रवर्ती राज्यों में झींगा कृषि सहित खारे जल में जल-कृषि विकास के लिए उपयुक्त स्थानों का पता लगाने के लिए, उपयोग में लाया जा रहा है। तटों के साथ झींगा सहित मत्स्य पालन के लिए संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए भी सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है।

(ग) विविध राज्य सरकारों के मत्स्य विभागों, मत्स्य एजेंसियों और मछुआरों की एसोसिएशनों की निकट सहभागिता से उपग्रह आधारित पूर्वानुमान/सूचना का प्रसारण किया जाता है।

अनधिकृत निर्माण

1692. **श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार** मंत्री अनधिकृत निर्माणों के बारे में 7 अगस्त, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 982 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो देर के क्या कारण हैं और सूचना एकत्र कर सभा पटल पर कब तक रखी जाएगी;

(घ) 1994 और 1995 के दौरान अवैध/अनधिकृत निर्माण कार्यों, और आवासीय मकानों को कमर्शियल कम्पलेक्सों में बदलने संबंधी मामलों की क्षेत्र-वार संख्या क्या है; और

(ङ) इन निर्माण कार्यों की जांच नहीं किए जाने के क्या कारण हैं, जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है और तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर० के० धवन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण भूमि तथा विकास कार्यालय और नई दिल्ली नगर परिषद ने बताया है कि दिल्ली के विभिन्न इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माणों और/या रिहायशी मकानों को वाणिज्यिक परिसरों में बदलने बाबत उन्होंने कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं कराया है। लेकिन, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि बदरपुर क्षेत्र के निवासियों से क्लासिक मोटर्स के सामने मथुरा रोड पर अनधिकृत विस्तार बाबत चार शिकायतें मिलीं, जिसे हटाने की कारवाई 30.7.95 को की गई।

(घ) फील्ड स्टाफ कृत दैनिक निरीक्षणों और मिली शिकायतों से ज्ञात तथा दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण/नई दिल्ली नगर परिषद द्वारा सूचित

अवैध निर्माणों/रिहायशी मकानों के वाणिज्यिक परिसर में बदलाव के वर्ष 1994 और 1995 के मामलों की संख्या इस प्रकार है :

	अवैध/अनधिकृत निर्माण		रिहायशों का वाणिज्यिक परिसर में बदलाव	
	1994	1995	1994	1995
दि०न०नि०	3715	2621 (31.10.95 तक)	दिल्ली नगर निगम के पास ऐसे मामलों के अलग आंकड़े नहीं होते।	
दि०वि०प्रा०	139	148 (30.11.95 तक)	512	220
न०दि०न०प०	84	144 (30.11.95 तक)	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के पास ऐसे मामलों के अलग आंकड़े नहीं होते।	

(ङ) किसी उल्लंघनों की सूचना मिलते ही संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अनधिकृत निर्माण की जांच और हटाने/दण्ड देने की कारवाई की जाती है।

नेत्रहीन व्यक्ति

1693. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में प्रत्येक तीसरा नेत्रहीन व्यक्ति भारतीय है;

(ख) क्या प्रतिवर्ष हजारों व्यक्ति मृत्यु के पश्चात् अपनी आंखे दान देने की प्रतिज्ञा करते हैं परन्तु वास्तव में इनमें से केवल एक प्रतिशत व्यक्तियों से ही कुछ नेत्रहीनों को रोशनी मिल पाती है;

(ग) यदि हां, तो नेत्रहीन व्यक्तियों की संख्या कितनी है और प्रतिवर्ष नेत्रदान से लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या पूरे देश में नेत्र बैंक और इससे संबद्ध अन्य संगठन अपने अथक प्रयासों के बावजूद इस कार्य में सफल नहीं हुए हैं;

(ङ) क्या सरकार देश में नेत्रहीनता को रोकने और नेत्रहीन व्यक्तियों की सहायता करने के लिए किसी कार्यक्रम पर विचार कर रही; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले) : (क) अनुमान है कि विश्व के पांच दृष्टिहीन व्यक्तियों में से एक भारतीय है।

(ख) जी हां। हर वर्ष हजारों लोग मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान देने का वचन देते हैं। दान दाताओं की मृत्यु पर हर वर्ष लगभग 13,000 आंखें एकत्र की जाती हैं। दान में प्राप्त आंखों के उपयोग पर कोई राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) देश में 12 मिलियन से अधिक व्यक्ति दृष्टिहीन हैं। इनमें से 1.52 प्रतिशत कार्नियल दृष्टिहीनता वाले हैं और इन्हें दान में दी गई आंखों की जरूरत है। देश में प्रतिवर्ष लगभग 8,400 कार्निया प्रतिरोपण आपरेशन किए जाते हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) देश में 1976 से राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दृष्टिहीनता की रोकथाम और नेत्रहीन व्यक्तियों की सहायता के लिए निम्नलिखित कार्यकलाप चलाए जा रहे हैं :–

1. नेत्र विज्ञान के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करना।
2. नेत्र विज्ञान जनशक्ति को प्रशिक्षण।
3. जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण समितियों की स्थापना।
4. ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में कवरेज बढ़ाना।
5. लोगों में नेत्र परिचर्या के बारे में जागरुकता पैदा करना।
6. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा गैर-सरकारी संगठनों को सहायता के स्वरूप में संशोधन।
7. वार्षिक बजट में वित्तीय परिव्यय बढ़ाना तथा सात राज्यों में विश्व बैंक मोतियाबिन्द दृष्टिहीनता नियंत्रण परियोजना का कार्यान्वयन।
8. केन्द्र, राज्य और जिला स्तर पर नेत्र परिचर्या कार्यकलापों को सुदृढ़ करना और उनकी मानीटरिंग करना।

[हिन्दी]

वाणिज्यिक कृषि

1694. **श्री सत्यदेव सिंह :**
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री रामपाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषधीय दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की वाणिज्यिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह योजना कब तक आरंभ की जाएगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय चिकित्सा प्रणाली तथा होम्योपैथी विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) इन पौधों की वाणिज्यिक कृषि के लिए कोई योजना नहीं है। तथापि सरकार सरकारी संस्थानों को चिकित्सीय पादपों की खेती के लिए कई योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान कर रही है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मुलुंड और ठाणे स्टेशनों पर तोड़-फोड़

1695. **श्री राम नाईक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सेन्ट्रल रेलवे के यात्रियों ने 29 सितंबर, 1995 को ठाणे और मुलुंड स्टेशनों पर तोड़फोड़ की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में जांच करायी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है; और

(घ) ऐसी घटनाओं से बचने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां।

(ख) मुख्य संरक्षा अधिकारी, मध्य रेलवे द्वारा एक जांच की गई है।

(ग) ठाणे और मुलुंड स्टेशनों पर 29.9.95 को हुई घटना कई परिस्थितियों अर्थात् टी-46 के पहले दर्जे के सवारी डिब्बे की एक पंक्ति में पंखों की खराबी, मुलुंड से आने वाली लोकल गाड़ियों (सी. टी.-1 और डी-23 डाउन) के क्रम में परिवर्तन, मुलुंड और ठाणे के बीच उदघोषणा सर्किट की खराबी और परिणामतः ठाणे स्टेशन पर गलत उदघोषणा होने और संकेत देने के कारण हुई।

(घ) उपनगरीय प्रणाली पर उदघोषणा सुविधाओं का ग्रेडोन्नयन, अधिक शक्तिशाली एम्पलिफायरों की व्यवस्था, उदघोषकों के लिए मिनियेचर पेनल, अंतः उदघोषण संचार प्रणाली आदि की व्यवस्था की गई है। महत्वपूर्ण उपनगरीय स्टेशन पर प्रातःकालीन/सायंकालीन व्यस्त अवधि की लोकल गाड़ियों की विशेष निगरानी भी की जा रही है।

भवन निर्माण संबंधी उपनियम

1696. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ-राज्य क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने दिल्ली में भवन निर्माण संबंधी उपनियम की अधिसूचना के विरुद्ध सरकार को इस आधार पर अभ्यावेदन दिया है कि इस उपनियम में भवन निर्माण संबंधी संसाधनों पर जनसंख्या वृद्धि के दबाव पर ध्यान नहीं दिया गया है और विशेषकर भंडारण के प्रयोजनार्थ भूतल क्षेत्र में छूट की सीमा मात्र 20 प्रतिशत निर्धारित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन की मूल बातें क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री आर० के० धवन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने भवन उप नियमों बाबत निम्नलिखित सुझाव दिए हैं :–

1. ग्राह्य फर्श क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) में बेसमेंट शामिल किया जाए जैसी कि 15.5.95 को भवन उप-नियम अधिसूचित होने से पहले स्थिति थी।

2. विकास प्रभार की अदायगी पर, प्रत्येक भूखंड पर एक अतिरिक्त तल बनाने की अनुमति होगी, इस राशि का अतिरिक्त नागरिक सुविधाएं देने में प्रयोग होगा। इस हेतु क्षेत्रों के घनत्व में बढ़ोतरी के लिए मास्टर प्लान में संशोधन किया जाए।

3. उदार दरों पर समाधेय शुल्क के एकमुश्त भुगतान पर 20 प्रतिशत तक वेशी दायरे को नियमित कर दिया जाए, जैसा कि 1983 से पहले की नीति और दिनांक 13.12.90 की अधिसूचना में था।

4. अनधिकृत कालोनियों और पुराने भवनों में वेशी निर्माण को सरकार द्वारा तत्काल नियमित कर दिया जाए।

दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर, मौजूदा उप-नियमों की विस्तृत जांच की गई और संशोधित एकीकृत भवन उप-नियमों का मसविदा, 1993 में दिल्ली उच्च न्यायालय में पेश किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फरवरी, 1995 में आदेश दिया कि समुचित प्रक्रिया अपनाते हुए नए उप-नियमों को अंतिम रूप दिया जाए। भवन उप-नियमों को अंतिम रूप देने में सहूलियत हेतु इस मंत्रालय द्वारा 15.5.95 को मास्टर प्लान दिल्ली 2001 में सगत संशोधन अधिसूचित किए गए। पूर्णतः तैयार भवन-उपनियम अभी तक अधिसूचित नहीं किये गये हैं।

उप-नियमों का मसविदा दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर परिषद को, प्रलेख के अधिनियमों के संगत उपबंधों के तहत एतराज/सुझाव लेने हेतु, सार्वजनिक नोटिस जारी करने और अपनी सिफारिशें केन्द्र सरकार को भेजने के लिए भेजा गया है।

संशोधित समान भवन उपनियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विचारों और उनके द्वारा गठित की जाने वाली प्रस्तावित सर्वदलीय समिति की सिफारिशों पर भली भांति विचार किया जाएगा।

रेल की पटरियां

1697. **श्री एस० एम० लालजान बाशा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे पोलूर और तिरूवनमलै के बीच पटरियों पर भारी शिलाखंड के पड़े होने के कारण कोई दुर्घटना हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सुरक्षित रेल यात्रा को सुनिश्चित करने हेतु रेल की पटरियों पर सतर्कता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) 13.4.1995 को दक्षिण रेलवे के पोलूर तथा तिरूवन्नामलाई खण्ड के बीच रेलपथ पर 0.30 मी०X0.30 मी०X0.30 मी० का कंक्रीट ब्लाक गिरने की घटना हुई थी, यह ब्लाक 7699 डा० तिरूपति-मदुरै एक्सप्रेस के ड्राईवर की नजर में 21.45 बजे आया, ड्राइवर ने तत्काल ब्रेक लगाए तथा गाड़ी को रोक दिया और ब्लाक हटाने के बाद गाड़ी को पुनः चलाया गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।

(ग) इस घटना के बाद ही ऐसी किसी अप्रिय घटना पर नजर रखने के लिए गहन सुरक्षा गश्त शुरू कर दी गई थी सिविल आथोरिटीज के पास एक मामला दर्ज किया गया है। जिसके बारे में जांच पड़ताल चल रही है।

पैदल गश्त लगाने तथा वर्षा के दौरान गश्त लगाने के संबंध में पहले से अनुदेश मौजूद हैं। जब कभी कोई सिविल अशांति उत्पन्न होती है/उत्पन्न होने की संभावना होती है तब संरक्षा सुनिश्चित करने तथा रेल संपत्ति की सुरक्षा के लिए निवारक उपाय के रूप में विशेष सुरक्षा गश्त शुरू की जाती है।

[हिन्दी]

जैविक रूप से सक्रिय पौधों के लिए संग्रहालय

1698. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय महत्व के सामुद्रिक जैविक रूप से सक्रिय पौधों के नमूनों के संरक्षण और उनमें जैवकीय पदार्थों की पहचान हेतु संग्रहालय की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) जी हां श्रीमान्। एक प्रायोजित परियोजना "समुद्र से संभाव्य औषधियों का विकास" के अंतर्गत, जल सक्रिय ट्राप्ट से संभावित समुद्री पौधों और जानवरों के संबंध में एक भंडार और समुद्री वर्गिकी संदर्भ सामग्री की स्थापना एवं प्रचालन की प्रक्रिया राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद) गोवा में चल रही है।

[अनुवाद]

रेल लाइनों का दोहरीकरण

1699. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एर्णाकुलम-त्रिवेंद्रम क्षेत्र में रेल लाइन के दोहरीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) इस पर कितनी धनराशि व्यय की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां।

(ख) एर्णाकुलम और कायमकुलम के बीच दो लाइनें एक बरास्ता कोट्टयम और दूसरी बरास्ता अल्लेप्पी पहले से ही मौजूद हैं जिससे दोहरीकरण का प्रयोजन पूरा हो जाता है। कायमकुलम-कोल्लम का दोहरीकरण कार्य भली भांति प्रगति पर है और इसे 95-96 में पूरा कर दिया जाएगा। कोल्लम-तिरूवनन्तपुरम दोहरीकरण का कार्य भी प्रगति पर है। भूमि अधिग्रहण के संबंध में राज्य सरकार के साथ पत्र व्यवहार चल रहा है। उन भागों में जहां भूमि उपलब्ध है, गिट्टी संबंधी कार्य तथा पुलों और तिरूवनन्तपुरम क्षेत्र में 3 ऊपरी सड़क पुलों का कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ग) दिसंबर, 98 तक।

(घ) उपर्युक्त दोनों कार्यों, अर्थात् कायमकुलम-कोल्लम और कोल्लम-तिरूवनन्तपुरम की अनुमानित लागत 141 करोड़ रुपये है।

[हिन्दी]

पश्चिम बंगाल में सौर ऊर्जा संयंत्र

1700. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन क्षेत्र में अमरीका के सहयोग से शुरू की गई सौर विद्युत परियोजना में अब तक क्या प्रगति की गई है;

(ख) परियोजना के प्रथम चरण में किन गांवों को शामिल किए जाने की संभावना है;

(ग) परियोजना के प्रथम चरण पर कितनी लागत आने का अनुमान है तथा इसमें उनके विभाग का हिस्सा कितना है; और

(घ) इस परियोजना में पूरे सुंदरवन क्षेत्र को कब तक शामिल किए जाने की संभावना है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र के कुछ गांवों में सौर प्रकाश वोल्टीय घरेलू रोशनी प्रणालियों, सड़क रोशनियों, सौर लालटेनों और बैटरी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए एक परियोजना का विकास संयुक्त राज अमेरिका भी नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबोरेटरी के सहयोग से किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित गांवों के शामिल होने की संभावना है, गोसाबा, पाखीराला, कटाखाली, सत्यनारायणपुर, कुमिरमारी, सतजेलिया और शांतिगाछी।

इस परियोजना पर अमेरीकी पक्ष की ओर से लगभग 200,000 अमरीकी डालर और भारतीय पक्ष की ओर से लगभग 60 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है। यह सुझाव दिया गया है कि भारतीय पक्ष की लागत का लगभग 50 प्रतिशत भाग की पूर्ति अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा की जाए। इस परियोजना के कुछ विवरणों और वित्तीय पहलुओं के संबंध में राज्य सरकार और अमेरिकी पक्ष से परामर्श किया जा रहा है।

(घ) इस परियोजना के अंतर्गत संपूर्ण सुन्दरवन क्षेत्र को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

न्यायाधीशों के रिक्त पद

1701. **श्रीमति भावना चिखलिया :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितंबर, 1995 की स्थिति के अनुसार विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के स्वीकृत पदों की राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ग) इन रिक्तियों को कब तक भरे जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर०भारद्वाज): (क) से (ग) देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 30.9.1995 को न्यायाधीशों/अपर न्यायाधीशों के रिक्त पदों को दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। विद्यमान रिक्तियों का भरे जाने के लिए संबद्ध संवैधानिक प्राधिकारियों के बीच परामर्श की प्रक्रिया चल रही है। इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है, यह बताना संभव नहीं है।

विवरण

क्र०सं०	उच्च न्यायालय	30.9.1995 को न्यायाधीशों/अपर न्यायाधीशों के रिक्त पद
1.	इलाहाबाद	4
2.	आंध्र प्रदेश	
3.	मुंबई	17
4.	कलकत्ता	5
5.	दिल्ली	3
6.	गुवाहाटी	3
7.	गुजरात	3
8.	हिमाचल प्रदेश	3
9.	जम्मू कश्मीर	3
10.	कर्नाटक	5
11.	केरल	7
12.	मध्य प्रदेश	5
13.	मद्रास	7
14.	उड़ीसा	7
15.	पटना	5
16.	पंजाब और हरियाणा	8
17.	राजस्थान	1
18.	सिक्किम	1
	योग	87

12.00 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सदस्य चाहते हैं कि वित्त मंत्री वक्तव्य दें। वित्त मंत्री वक्तव्य देने के लिए तैयार हैं। क्या मैं उनसे अनुरोध कर सकता हूं कि वह अब वक्तव्य दें?

12.01½ म०प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

मूल्य की स्थिति

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू०पी०आई०) द्वारा यथामापित मुद्रास्फीति की दर को अगस्त, 1991 में लगभग 17 प्रतिशत के शीर्ष से कम करके अप्रैल, 1993 तक लगभग 7 प्रतिशत तक ला दिया। यह कमी सरकार की वृहत आर्थिक स्थिरीकरण नीति तथा साथ ही इसकी विशेषकर मुख्य अनिवार्य वस्तुओं के संबंध में पूर्ति प्रबन्ध नीति के परिणामस्वरूप हुई थी।

तथापि मुद्रास्फीति दबाव मुख्यतः चीनी, कपास, जूट और मूंगफली जैसे मुख्य उत्पादों में गंभीर उत्पादन संबंधी गिरावट के कारण वर्ष 1995 के अंत में पुनः बढ़ गया। अन्य कारकों, जिन्होंने मुद्रास्फीतिकारी दबावों में योगदान दिया वे हैं: चावल, गेहूं, गन्ने और तेलहनों के लिए पिछले चार वर्षों से किसानों को दिए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य में पर्याप्त वृद्धि और पिछले वर्ष मुद्रा पूर्ति में तीव्र वृद्धि। इस प्रकार 1994-95 का वर्ष 10.4 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर पर समाप्त हुआ।

चालू वित्त वर्ष में मौद्रिक वृद्धि में कमी और अनिवार्य वस्तुओं के संबंध में आगे पूर्ति प्रबंध पहल ने सफलतापूर्वक मुद्रास्फीति की वार्षिक दर कम कर दी, जो अब लगभग 8 प्रतिशत है। मार्च 1995 से सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 11 नवम्बर, 1995 तक लगभग 4.7 प्रतिशत रही। इस प्रकार अब तक प्राथमिक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि वर्ष 1994-95 में हुई 10 प्रतिशत से अधिक की तुलना में चालू वित्त वर्ष में 6 प्रतिशत से कम रही।

इस मुद्दे पर मुझे यह कहना है कि दीर्घ-स्थापित परम्पराओं और व्यवहारों के अनुसार मैं सामान्य थोक मूल्य सूचकांक में घट-बढ़ के रूप में मुद्रास्फीति की दर के बारे में बात करता रहा हूं। इस स्थापित परम्परा के लिए मुख्य कारण यह है कि थोक मूल्य सूचकांक उभोक्ता कीमतों के लिए उपलब्ध सूचकांकों से बहुत अधिक व्यापक और विस्तृत आधार वाला सूचकांक है। कुछ दिन पूर्व माननीय सदस्य, श्री निर्मल चटर्जी ने यह इंगित किया है औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक थोक मूल्य सूचकांक से अधिक तेजी से बढ़ता है और कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और भी तेजी से बढ़ता है। वह यह नहीं बता पाए कि इन उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में गिरती हुई मुद्रास्फीति की अवधि में थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में अधिक तेजी से गिरावट भी आती है।

मूल्य स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए सरकार ने वृहत आर्थिक और पूर्ति प्रबंध नीतियों के विवेकसम्मत संयोजन का प्रयोग किया है। केन्द्र का

राजकोषीय घाटा जो वर्ष 1994-95 (सं०अ०) में स०घ०उ० के 6.7 प्रतिशत तक बढ़ गया था, को इस वर्ष 5.5 प्रतिशत के निम्न स्तर पर लाया गया है। इस वर्ष के प्रारंभ में मुद्रास्फीति की वृद्धि की 21.6 प्रतिशत की वार्षिक दर को मध्य-नवम्बर, 1995 तक 14.2 प्रतिशत तक सफलतापूर्वक संयत करने के लिए कई उपाय किए गए हैं।

मुख्य अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों को रोकने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं:-

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है और जहां भी संभव हो आयातों के माध्यम से आपूर्ति को बढ़ाया गया है .....(व्यवधान)
- चावल और गेहूं का निर्गम मूल्य फरवरी, 1994 से नहीं बढ़ाया गया है। भारतीय खाद्य निगम ने पिछले दो वर्षों से चावल और गेहूं की खुले बाजार में बिक्री जारी रखी है। इसके परिणामस्वरूप, गेहूं का थोक मूल्य वर्ष 1995-96 के प्रारम्भ के स्तर से वास्तव में प्रतिशत कम रहा है।
- मार्च, 1995 में 30 प्रतिशत शुल्क और घटाकर वनस्पति खाद्य तेलों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन रखा गया है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति के लिए रियायती शुल्क पर पामोलिन तेल की काफी मात्रा आयातित की गई है। इसने यह सुनिश्चित किया है कि दिनांक 11 नवम्बर, 1995 को खाद्य तेलों का थोक मूल्य इस वित्त वर्ष के प्रारम्भ 1 प्रतिशत से भी कम से अधिक है।
- चीनी के आयात को भी खुले सामान्य लाइसेंस (शून्य शुल्क सहित) पर रखा गया है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकारी खाते पर पर्याप्त आयात हुआ है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लेवी चीनी का आवंटन बढ़ा दिया गया है और चीनी की खुली बिक्री के लिए मासिक निर्गमन भी बढ़ा दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चीनी का निर्गम मूल्य फरवरी 1994 से इस अवधि के दौरान गन्ने के समर्थन मूल्यों में दो उर्ध्वमुखी संशोधन के बावजूद स्थिर रखा गया है। इसके परिणामस्वरूप, नवम्बर, 1995 में चीनी का थोक मूल्य एक वर्ष पूर्व 4 प्रतिशत से भी कम अधिक था यद्यपि सामान्य शुल्क सूचकांक इस अवधि के दौरान 8 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गया था।
- कतिपय अन्य अनिवार्य वस्तुओं जैसे मिट्टी के तेल, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाता है, को मूल्य दो वर्षों से परिवर्तित नहीं किया गया है।
- दालों के आयातों को भी खुले सामान्य लाइसेंस पर रखा गया है और इस वर्ष के प्रारंभ में शुल्क को 5 प्रतिशत और कम किया गया था। तथापि,दालों की अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तियों की सीमित उपलब्धता ने दाल के मूल्यों पर इन नीतियों के संयतकारी प्रभाव में बाधा डाली है, जो सरकार के लिए चिन्ता का विषय बनी हुई है।

मूल्य को नियंत्रित करने की नीति के रूप में सरकार ने आयातों को उदारीकृत किया है तथा क्रमिक बजटों में, उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क की दरें कम की हैं। जबकि इन नीतियों ने विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में वृद्धि को संयत करने में सहायता की है, मैं यह कहना चाहूंगा कि उपभोक्ता सामग्रियों की काफी अधिक मात्रा के आयात पर प्रतिबंध लगाने की हमारी नीति जारी रखने से आयात प्रतिस्पर्धा और शुल्कों में कमी के मूल्य घटाने के प्रभाव में बाधा उत्पन्न हुई है। विनिर्मित उपभोक्ता सामग्रियों के एक बहुत व्यापक क्षेत्र में घरेलू उत्पादक आयात प्रतिस्पर्धा पर रोक लगाए बिना मूल्य बढ़ा पाते हैं। सदन इस क्षेत्र में नीतियों को संशोधित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाल सकता है।

मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि सरकार के पास महंगाई भत्ते की एक प्रणाली है, जो संगठित क्षेत्र में कामगारों की बहुत बड़ी संख्या को मुद्रास्फीति की कठिन परिस्थिति से संरक्षण प्रदान करने में सहायता करती है.....(व्यवधान) मैं उसी पर आ रहा हूँ। मैं पूरी तरह मानता हूं कि भारत के श्रमिक बल की बहुत बड़ी संख्या कृषि, खुदरा व्यापार और अन्य असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत है, जहां महंगाई भत्ते की प्रणाली नहीं पहुंच सकती। समाज के इन वर्गों को मुद्रास्फीति से निपटने में सहायता करने के लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के माध्यम से उचित मूल्यों पर अनिवार्य वस्तुओं तक उनकी पहुंच क्षमता सुधारने और रोजगार के अवसरों में वृद्धि, निर्धनता-रोधी कार्यक्रमों के विस्तार और शिक्षा तथा स्वास्थ्य की मुख्य सामाजिक सेवाओं और साथ ही दोपहर के भोजन का कार्यक्रम और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जैसे नए कार्यक्रम शुरू करने के माध्यम से असंगठित क्षेत्र में कामगारों और परिवारों द्वारा अर्जित आय में वृद्धि करने की दोहरी नीति का पालन किया है।

मैं इस संबंध में सदन को कुछ बुनियादी तथ्यों की जानकारी कराना चाहूंगा। खराब आधारभूत संरचना वाले पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित 1775 प्रखण्डों में आदिवासी, पहाड़ी और शुष्क क्षेत्र की आबादी के लिए जून, 1992 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुधारने (आर०पी०डी०एस०) की एक विशेष स्कीम शुरू की गई थी। अब राज्य सरकारों को दिए जाने वाले सामान्य आवंटन के बाद सु०सा०वि०प्र० को आवंटन के लिए प्रतिवर्ष लगभग 40 लाख टन खाद्यान्न (चावल और गेहूं) की अतिरिक्त मात्रा निर्धारित की जाती है। वर्ष 1992 में केवल 11,000 उचित मूल्य की दुकानों की तुलना में सितम्बर, 1995 को सु०सा०वि०प्र० के क्षेत्रों में 54,000 से अधिक उचित मूल्य की दुकानों को घर पर सुपुर्दगी स्कीम के अधीन लाया गया है।

पिछले तीन केन्द्रीय बजटों के परिणामस्वरूप, ग्रामीण विकास, जो हमारे मुख्य निधनता-रोधी कार्यक्रमों को शामिल करता है, के लिए केन्द्रीय आयोजना बजट आवंटन वर्ष 1992-93 और चालू वर्ष, 1995-96 के बीच लगभग 150 प्रतिशत तक बढ़ गया है। अगर हम प्रति वर्ष औसतन 8 से 9 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर को अनुमति दें, फिर भी इसका अर्थ यह होता है कि ग्रामीण विकास के लिए केन्द्रीय आयोजना आवंटन सच्चे अर्थों में लगभग 120 प्रतिशत बढ़ा है। उसी अवधि के समय बुनियादी शिक्षा के लिए केन्द्रीय आयोजना आवंटन लगभग 130 प्रतिशत और स्वास्थ्य के लिए 120 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है।

सरकार के आर्थिक सुधार के उपायों द्वारा लाई गई विस्तृत आधार वाली आर्थिक अभिवृद्धि की तीव्र पुनर्स्थापना के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में कुल रोजगार में वार्षिक वृद्धि 1991-92 में लगभग 30 लाख से बढ़कर 1994-95 में 70 लाख होने का अनुमान है। लाभदायक रोजगार के अवसरों का विस्तार गरीबी कम करने और समाज के कमजोर वर्गों के मूल्य वृद्धि से रक्षा करने का सर्वाधिक प्रभावकारी तरीका है।

इससे भी बढ़कर, जबकि यह सत्य है कि कृषि श्रमिकों द्वारा क्रय किये जाने वाले सामान की कीमतों में वृद्धि हुई है, मुझे कहना चाहिए कि कृषि मजदूरी में भी काफी वृद्धि हुई है। अखिल भारतीय औसत दर्शाता है कि 1992-93 और 1993-94 जिन दो और हाल के वर्षों के आंकड़े हमारे पास हैं, कृषि श्रमिकों की औसत मजदूरी कृषि कामगारों द्वारा सामना की जा रही मुद्रास्फीति से अधिक बढ़ी है .....(व्यवधान)

यह सब कह कर मुझे यह अवश्य कहना चाहिए कि असंगठित क्षेत्र में कामगारों और परिवारों को मुद्रास्फीति के उत्पीड़न से रक्षा का वास्तविक प्रभावशाली तरीका सिर्फ मुद्रास्फीति की दर को वर्तमान में विद्यमान से भी नीचे के स्तरों पर लाना है। हमें यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह मान्यता माननी होगी कि हमें मिलकर कार्य करना चाहिए ताकि वित्तीय अनुशासन बढ़ाया जा सके, मौद्रिक अभिवृद्धि नियंत्रण में हो सके, आयात नीति को और उदार किया जा सके और हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए मुख्य अनिवार्य वस्तुओं की उपलब्धता का लक्ष्य निर्धारण करते हुए प्रणालियों को मजबूत किया जा सके। हमें देश में उपभोक्ता आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए कार्य करना चाहिए तथा एकाधिकारवादी व्यवहारों को समाप्त करने वाले सभी आवश्यक उपाय करने चाहिएं। भारत सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने की अपनी वचनबद्धता दोहराती है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ सप्ताहों में कीमतों की स्थिति स्पष्ट सुधार दिखलाएगी .....**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, उन्होंने प्रतिवर्ष एक करोड़ रोजगार उपलब्ध करने का वायदा किया था। अब, वह इस बात को श्रेय ले रहे हैं कि वे प्रतिवर्ष सत्तर लाख रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। यह भी वायदा किया गया था कि वे कीमतों को कम करेंगे। लेकिन वे कीमतों में प्रतिवर्ष, मात्र आठ से नौ प्रतिशत वृद्धि होने के श्रेय का दावा कर रहे हैं .....**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। यह एक ऐसी सरकार है जिसे लोगों के बारे में कोई चिंता नहीं है तथा सरकार ने पूर्णतया गलत जानकारी दी हैं। इसलिए, हम विरोधस्वरूप बाहर जाते हैं ....**(व्यवधान)**

12.11 म०प०

इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवानी (गांधी नगर) : महोदय, देश में जो चिंता है। महंगाई के बारे में और बढ़ती हुई कीमतों के बारे में, यह चिंता आपके बयान में नहीं है। इस पर असंतोष प्रकट करने के लिए हम सदन से वाकआउट करते हैं।

12.13 म०प०

[अनुवाद]

इस समय श्री लाल कृष्ण आडवानी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपने गत सप्ताह कहा था कि बढ़ती हुई कीमतों पर वित्त मंत्री का बयान होगा। मुझे आप एक स्पष्टीकरण का मौका दीजिये। वित्त मंत्री जी ने जो बयान दिया है और जो जमीनी वास्तविकता है दोनों में भारी अंतर है। इसका बयान वास्तविकता के विपरीत है। यह सरकार महंगाई को रोकने में पूरी तरह से फेल हुई है। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहा है। 3392 करोड़ रुपये की सरकार ने अनबजेटेड योजना बनाई। लोग परेशान हैं और महंगाई को लेकर त्राहि-त्राहि मची हुई है। आपके दावे पूरी तरह से असफल हो गये हैं। इस बयान में कीमतों को रोकने की जो बात बताई है, उसका वास्तविकता से कोई नाता नहीं है। वास्तविकता के खिलाफ इस बयान को सुनने के बाद हम सदन से वाकआउट करते हैं।

12.15 म०प०

[अनुवाद]

इस समय श्री चन्द्रजीत यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

श्री एम०आर० कादम्बूर जनार्दनन (तिरूनेलवेली) : महोदय, वे लोगों की परेशानियों को नहीं जानते।

श्री पी०जी० नारायणन (गोबीचेटिट्पालयम) : अपने दश की ओर से मैं यह कहना चाहता हूं। कि हम इस वक्तव्य से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए, हम विरोध स्वरूप बाहर जा रहे हैं.....**(व्यवधान)**

12.15 ¼ म०प०

इस समय श्री पी० जी० नारायणन और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, हमारी ओर से कड़ी कार्यवाही वृतान्त में शामिल किया जाए .....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री जी ने जो बयान दिया है यह एक निर्दयता का सबूत है। उन्होंने कहा है कि हम लगातार बढ़ाते ही जायेंगे, कितना बढ़ायेंगे, कभी 8 प्रतिशत, कभी 10 प्रतिशत, लेकिन बढ़ाने पर रोक नहीं होगी। इनकी नीति के चलते करोड़ों लोगों की पाकेटमारी हो रही है। यही पिक पॉकेटिंग की फंडामेंटल पॉलिसी को लेकर ही इनकी सरकार चल रही है। एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा कि आगे कम से कम हम मूल्य को स्थिर रखेंगे। यह इनका उद्देश्य भी नहीं है। अभी तो मैं तुरन्त विरोध में बहिर्गमन करता हूं लेकिन मेरा यह कहना है कि इस पर आप अलग से बहस करायें ताकि सरकार के खिलाफ सदन की राजदाही करने का अवसर हमें मिले। धन्यवाद।

12.16 म०प०

तत्पश्चात श्री भोगेन्द्र झा सभा-भवन से बाहर चले गए।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सिंह (सतना) : मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री के साथ निसंदेह मेरी सहानुभूति है। वित्तीय फिजूलखर्ची, स्वच्छंद भ्रष्टाचार तथा आम आदमी की आवश्यकता की अनुभूति के पूर्ण अभाव ने सचमुच उन्हें

क्षमा मांगने के लिए विवश कर दिया था। मुझे उनसे सहानुभूति हैं। मैं समझता हूं कि कीमत में वृद्धि के संबंध में इस किस्म का वक्तव्य, जो यहां बहुसंख्यक लोगों को प्रभावित कर रहा है, इस सभा के लिये तथा देश के लिए बड़ा अन्यायपूर्ण है।

कुमारी ममता बनर्जी : यह हकीकत है कि कीमतों में वृद्धि से प्रत्येक चिंतित है। लेकिन असलियत यह है कि सरकार के पास आवश्यक वस्तु अधिनियम नामक एक विधि है। लेकिन कोई भी सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम को कार्यान्वित नहीं कर रही है जिसके परिणामस्वरूप आपको यह जानकार आश्चर्य होगा कि मेरे राज्य में जो भी आलू पैदा होता है वह राज्य से बाहर यानि बांग्ला देश की सीमा के पार भेज दिया जाता है और स्थानीय लोगों को आलू नहीं मिल रहे हैं। आलू 12 रुपये किलो बिक रहा है। यही हाल प्याज तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का भी है। कोई सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम को कार्यान्वित नहीं कर रही है। क्या मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन कर सकती हूं कि वे यह पता लगायें कि वे कौन-कौन सी ऐसी राज्य सरकारें हैं जिन्होंने-चोर बाजारी करने वालों तथा जमाखोरी करने वालों को गिरफ्तार किया है तथा ऐसी कौन कौन सी राज्य सरकारें हैं जो आदेश को कार्यान्वित नहीं कर रही हैं। हमें यह देखना है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम सुचारू ढंग से कार्यान्वित हो तथा मूल्यों में वृद्धि अधिक न हो।

महोदय, आज 6 दिसम्बर है। आपको अवश्य याद होगा कि हमारे देश में आज का दिन काला दिन है क्योंकि 6 दिसम्बर, 1992 के दिन बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। हम उस मसले की निन्दा करना चाहते हैं तथा हम यह भी चाहते हैं कि हमारे देश का निर्माण हो तथा हमारे देश में साम्प्रदायिक सदभावना,भाई चारा तथा धर्म निपेक्षता की भावना मजबूत हो।.....**(व्यवधान)** आप सभा से उठकर बाहर चले गये थे। अब आप अन्दर क्यों आ गये हैं। .....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : महंगाई को रोकने में यह सरकार विफल सिद्ध हो रही है। मान्यवर, महंगाई को रोकने में यह सरकार निरन्तर विफल रही है।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी: मैं समझती हूं कि जब मैं यह कहूंगी कि हमें बाबरी मस्जिद गिराने की निन्दा करनी चाहिए तो चन्द्रशेखर जी तथा जो यहां उपस्थित हैं, मेरा समर्थन करेंगे। हम उन लोगों की निन्दा करेंगे जिन्होंने हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को नष्ट किया है।

श्री अर्जुन सिंह (सतना) : महोदय, आपकी अनुमति से .....

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : क्या बी.जे.पी. के लोगों ने अपना वाक आउट वापस ले लिया हैं। चले आये यहां पर।

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : यह मंहगाई नहीं है। बनारस में चीजें बड़ी सस्ती हैं। लोग अपने यहां दो-दो रुपये में खाना खा लेते हैं। खुशी मनाइये, जश्न मनाइये।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक गंभीर लोकहित का मुद्दा उठाना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: अर्जुन सिंह, जी मैं आपको वक्तव्य देने की अनुमति दे रहा हूँ क्योंकि आपने इसकी सूचना दी है और मैं जानता हूं कि आप बड़े सजग होकर वक्तव्य देंगे। इस मामले में आप सतर्कता से बयान दें तो बेहतर होगा क्योंकि कतिपय ऐसी बातें हैं जिन्हें आसानी से कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किये जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

श्री अर्जुन सिंह: महोदय, आपने जो मेरी तारीफ की है उसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं जो मुझे कहना है वह यह है।...

अध्यक्ष महोदय : यह आप पर छोड़ा गया कोई राजनैतिक तीर नहीं था।

श्री अर्जुन सिंह : जो कुछ मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि मेरे बारे में पहले से ही फैसला न किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं आपको जरा सावधान कर रहा हूं क्योंकि यदि इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित कर लिया जायेगा तो कठिनाई होगी। अन्यथा कोई बात नहीं।

श्री अर्जुन सिंह: महोदय, इस देश की त्रासदी यह है कि अब आपने यह टिप्पणी की है कि हमें सतर्क होना हैं और हमें हर जगह सतर्क रहना चाहिए लेकिन इस सभा तथा देश के लिए जो हमारा परम कर्तव्य है— उसको कम महत्व दिया जाता है। आप जो लाद रहे हैं क्या उसे एक दिन का पूरे परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाएगा? इसी को ध्यान में रखते हुए मैं कहना चाहता हूं.....

अध्यक्ष महोदय : संसद में हम सभी संविधान, विधि तथा जो हम अपने लिए नियम बनाते हैं उनके द्वारा आबद्ध हैं।

श्री अर्जुन सिंह : जी हां, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ मैं कह रहा हूं वह यह है कि हमें संविधान विधि तथा नियम जो हमने अपने लिए बनाये हैं, की सीमाओं के भीतर ही रहना चाहिये। इससे बाहर नहीं जाना चाहिये।

श्री अर्जुन सिंह : बिल्कुल ठीक है महोदय। मैं बड़े दुख से ये टिप्पणियां कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब आप यह न समझिये कि हम उस चीज पर चर्चा करने से बचने का प्रयाय कर रहे हैं जिस पर चर्चा की जा सकती है। जो कुछ मैं कह रहा हूं वह यह है कि जिस पर चचा की जा सकती है उसी पर चर्चा की जायेगी किसी और विषय पर भी चर्चा की जा सकती है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा क्योंकि हमें एक ही मसले से निपटना है अपितु बहुत से मसलों से निपटना है।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, मैं वहां वहां की बात करना नहीं चाहता हूं। आपने मुझे अनुमति प्रदान की है। अब मुझे निवेदन करने दीजिये। जो कुछ आपने कहा है मैं उसे याद रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। बहुत अच्छा।

श्री अर्जुन सिंह : जो कुछ आपने कहा है उसे मैं ध्यान में रखूंगा तथा जो कुछ मैं कहना चाहता हूं वह कहने की कृपया मुझे अनुमति दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, यह बड़े दुःख की बात है कि मैं यह टिप्पणी कर रहा हूं। मेरा इरादा कभी भी नहीं रहा है और कभी हो भी नहीं सकता कि इस सभा में के नियम तथा संविधान के किसी उपबंध तथा उन परम्पराओं को तोड़ा जाए जिन्हें इस सभा ने लोक मामलों के संदर्भ में वर्षों में विकसित किया है लेकिन कई बार ऐसे-ऐसे अवसर आये हैं जब मुद्दे सामने आते हैं और हमें मनुष्य मात्र होने के नाते इस सभा में तथा इस सभा से बाहर उसके बारे में कार्यवाही करनी पड़ती है। मैं माननीय न्यायमूर्ति जैन द्वारा की गई टिप्पणी से सबंधित एक मर्मस्पर्शी संदर्भ की बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब यह ठीक वही मुद्दा है जिस पर मैंने आपको सावधान किया है। अब आप कह रहे हैं कि न्यायमूर्ति ने एक वक्तव्य दिया है। यह समाचार पत्र में छपा है। मैं आपको आजादी का जिक्र करता हूं। आप स्वयं नहीं जानते लेकिन जो कुछ छपा है उसके विषय में आप बताते हैं। यदि कल न्यायाधीश यह कहे कि मैंने वह वक्तव्य नहीं दिया था अथवा कोई अलग वक्तव्य दिया था तो हम संसद में क्या करें।

श्री के० राममूर्ति : तीन दिन पहले यह सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। अभी तक किसी ने इंकार नहीं किया है।

12.24 म०प०

स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या की साजिश के संबंध में जैन जांच आयोग के बारे में

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, अब मुद्दा यह नहीं है।

श्री जगमीत सिंह बराड़: न्यायाधीश ने इसमें इंकार नहीं किया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको सीमाओं के भीतर रहकर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति प्रदान की है।

श्री अर्जुन सिंह : मैं यही कह रहा हूं। बिल्कुल ठीक, मैं सीमाओं के भीतर रहकर अपनी बात कहूंगा।

मैं बोल रहा हूं, न्यायमूर्ति जैन नहीं बोल रहे हैं। इस संसद के विनीत सदस्य के नाते जिसे आपके समक्ष खड़े होने का अधिकार है। मैं कह रहा हूं कि अभी तक देश के समक्ष जो भी परिस्थितियां आई हैं वे ये हैं कि दिवंगत प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या करने की साजिश की जांच चल रही है और किसी कारण से यह समझा जा रहा है कि कुछ लोगों की इसमें दिलचस्पी हैं कि जिस ढंग से यह जांच करने की बात सोची गई थी उसे उस ढंग से न्यायिक रूप में शीघ्रातिशीघ्र खत्म न किये जाने में ही कुछ लोगों को दिलचस्पी है।

मैं नहीं जानता कि अब यह जांच क्यों होनी चाहिए। महोदय, ऐसा कई बार हुआ है जब जांच से सम्बंधित कागजात आयोग के समक्ष नहीं रखे गये हैं, जब किन्हीं विशिष्ट फाइलों, जिनकी जरूरत थी, उपलब्ध नहीं कराई गई थीं और एक बार इस देश के गृह मंत्रालय ने यह कहते हुए एक हलफनामा दाखिल किया था कि वर्मा जांच आयोग के गठन से सम्बंधित फाइल भारत के गृह मंत्री के निर्देश पर 27 जुलाई 1991 को भारत के प्रधान मंत्री के निजी सचिव को भेजी गई थी– महोदय, इसे आप अपने समक्ष कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित कर लें कि तब से उस फाइल का कोई अता पता नहीं है। आयोग को वह फाइल नहीं मिल रही है। पिछले सत्र में माननीय राज्य मंत्री श्री चिदम्बरम ने जो कुछ हो रहा है की जानकारी दे कर बड़ी कृपा की थी। इस सभा में उन्होंने हमें सत्यनिष्ठा से दिलासा दी थी कि इस मुद्दे पर ध्यान दिया जायेगा और इस सम्बंध में आयोग की ओर से अब कोई ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी कि उसे सहयोग नहीं मिल रहा है तथा कागजात नहीं मिल रहे हैं।

किंतु वह स्थिति जारी है, बार-बार यही एक ही बात सामने आ रही है।

अब कोई क्या करे? हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए, यह सरकार जो कोई भी इसकी ओर से बोलना चाहता है वह सभा में खड़ा हो तथा कहे कि हा हमें दुख है कि राजीव जी की हत्या की गई है, राजीव जी की मृत्यु हुई और वे चले गए, चुप रहिए, मामला वहीं समाप्त हो गया, क्या किसी के पास इतना नैतिक साहस है कि वह सभा में खड़ा हो तथा यह कहे? यदि उनके पास नैतिक साहस है तो हम देखें। यदि नहीं है तो मेरे विचार से यह सभा तथा यह देश यह जानने का हकदार है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है जिससे सारी प्रक्रिया में विलम्ब हो रहा है।

इस बारे में मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि हम किसी और को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। गृह मंत्री ने इस सारे मामले से हाथ धो लिये हैं क्योंकि वे अब इस मामले को नहीं देख रहे हैं। यदि श्री चिदम्बरम को बुलाया जाय तो वे कहेंगे- पहले अगस्त में उन्होंने तीन महीने में मामले की जांच करने को कह रहे थो अब दो महीने का समय और मांगा है, कुल पांच महीने हो गए हैं। दिसम्बर उनका लक्ष्य था। किंतु मुद्दा यह है कि पूरे तथ्य कौन जानता है, स्थिति के बारे में मेरी जानकारी, संवैधानिक मानदंडों, परम्पराओं और उन मानदंडों के अनुसार जिनके आधार पर इस सदन की कार्यवाही चलती है, के अनुसार आरम्भ से ही सारी जिम्मेदारी देश के प्रधान मंत्री के कंधों पर है।

हम चाहते हैं कि अब क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, यह क्यों नहीं हुआ, इस बात का व्यापक चित्रण करते हुए प्रधान मंत्री से एक वक्तव्य देने के लिए निवेदन करें तथा निदेश दें। क्योंकि हम प्रधान मंत्री से आश्वासन चाहते हैं कि जो कुछ किया जा रहा है वह सही है तथा जो नहीं किया जा रहा है उस बारे में उन्हें जानकारी है। यदि उन्हें जानकारी है और यह किया जा रहा है तो बहुत बुरी बात है। यदि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं हैं तो यह और भी बुरी बात है, इसलिए इस मामले में मैंआपका हस्तक्षेप चाहता हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्रधान मंत्री को इस सभा में वक्तव्य देने का निदेश दें जिसमें वे इस दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष की जानकारी इस सभा को दें। मैं नहीं जानता कि इसका कैसे वर्णन करूं– एक घटना जो प्रभावित करेगी, यदि हम इस देश के नागरिक के रूप में अपने कर्त्तव्यों में निर्वहन के असफल होते हैं तो यह इस देश के सम्मान, अच्छे नाम को बदनाम करेगा कि इस देश के प्रधान मंत्री का जीवन बलिदान हुआ, जिसकी जघन्य हत्या की गई तथा यह देश कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। किसके द्वारा? उन लोगों द्वारा जो वास्तव में इस व्यक्ति के बलिदान के परिणामस्वरूप ही सत्तासीन हुए हैं। वे इस बात को निश्चित करने तथा पता लगाने में अक्षम हैं कि गलती कहां है, कौन दोषी है, षडयंत्रकारी कौन है, उनका नकाब क्यों नहीं उतारा जा रहा है। हम, यह सभा, यह देश तथा सभी लोग, किसी और से नहीं अपितु देश के प्रधान मंत्री से यह जानना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उन्हें इस सभा में वक्तव्य देने के लिए कहें।

श्री पी०सी० नारायणन (गोविचेटिट्पालयम) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं.....

श्री रंगराजन कुमारमंगलम (सलेम) : महोदय कोई उत्तर नहीं मिला।

श्री जगमीत सिंह बरार (फरीदकोट) : क्या आप हमें आश्वासन देंगे कि सरकार या माननीय प्रधान मंत्री को निदेश दिया जायेगा?

अध्यक्ष महोदय: आपको सरकार के समक्ष प्रश्न रखने चाहिए न कि अध्यक्ष के समक्ष।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : महोदय आप सभा का प्रतिनिधित्व करते हैं.....(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह (सतना) : किंतु यहां सरकार है ही नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, पिछले सत्र के दौरान श्री चिदम्बरम ने कुछ स्पष्ट आश्वासन दिये थे। कम से कम यह सभा जानने की हकदार है तथा इस सभा के माध्यम से देश को जानने का अधिकार है। वे ऐसा क्यों कहते हैं? कुछ सदस्य बहुत दुखी हैं। निश्चित रूप से देश के युवा प्रधान मंत्री ही हत्या हुई, और तब यदि ऐसी भावनायें हों कि जांच करवाने या जांच पूरी करने के लिए उचित प्रयास नहीं किये जा रहे है या फाइल पेश की जा रही है या नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। किंतु श्री चिदम्बरम जिन्हें सरकार ने यह कार्य सौंपा गया ने वक्तव्य दिया इसलिए यह उनका कर्त्तव्य है कि वे आगे आये और हमें बतायें कि क्या स्थिति है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय के विस्तार में नहीं जाना चाहता। अर्जुन सिंह जी ने जो सवाल उठाया है, वह बहुत गंभीर सवाल है। यह सवाल कई बार इस सदन में उठ चुका है। इस देश के प्रधान मंत्री की पेथेटिक तरीके से, क्रूर तरीके से हत्या हुई, इस बारे में अर्जुन सिंह जी ने साफ कहा कि उनको सरकार स अपेक्षा है। इस बारे में कई मंत्रियों के बयान आए, लेकिन उन जवाबों से सदन संतुष्ट नहीं है, हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, अर्जुन सिंह जी की इस बात का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं कि यह जांच राजनीति का अड्डा बनती जा रही है और ये लोग 5 महीने कह रहे हैं, मुझे लगता है कि यह जांच कभी खत्म होने वाली नहीं है, इस तरह की उलझनें इसमें आ गई हैं। लोग अपना राजनीतिक कैरियर बनाने के लिए वहां गवाही देने जा रहे हैं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, लेकिन कई स्वामी और ठग लोग वहां पर आ रहे हैं, उनके बारे में फिर वक्त मिलेगा तो बात होगी, लेकिन बड़े जबरदस्त लोग हैं, राष्ट्र के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तथा इस सदन में उनके कई चेले हैं। अध्यक्ष महोदय, यह जांच एक तरह की जासूसी नावल लगने लगी है और जांच एक मजाक का रूप लेती जा रही है। इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति की हत्या एक बहुत गंभीर बात है, देश के लिए अच्छी बात नहीं है, आने वाले भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं अर्जुन सिंह जी की बात से पूरी तरह से सहमत होते हुए आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि प्रधान मंत्री जी यहां पर आकर स्पष्ट करें कि जांच की जो तारीख चिंदम्बरम जी द्वारा बताई गई थी, उसकी क्या स्थिति है। मुझे नही लगता कि बताई गई अवधि में वह जांच पूरी होने वाली है। यह जांच गंभीरता हासिल करे, हम सही आदमी को पकड़ने में कामयाब हों, इसके लिए सदन के नेता पूरी तरह से सदन को विश्वास में लेकर इस बात को रखने का काम करें, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, अर्जुन सिंह जी ने जो सवाल उठाया है और सोमनाथ चटर्जी साहब ने जो कहा है, इस सदन में श्री चिदंबरम जी ने वचन दिया था कि दिसंबर में इस जांच का काम पूरा हो जायेगा। इसीलिए इस सदन के प्रति श्री चिदंबरम की जिम्मेदारी है कि वे स्थिति से अवगत कराएं। उसके बाद की स्थिति पर सदन निर्णय करेगा, क्योंकि पूरे सदन के सामने उन्होंने वचन दिया था, इसलिए इस विषय को हल्के ढंग से न उनको लेना चाहिए और न हम लोगों को लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। इसलिए अध्यक्ष महोदय, पहले आप चिंदबरम जी से कहें कि वे सदन को बताएं कि दिसंबर की तिथि की क्या स्थिति है, उस अवधि का क्या हाल है और यदि वे कहीं से मजबूर हैं तो उसके बारे में भी वक्तव्य सदन में दे दें। इतना ही मेरा आग्रह है।

श्री रवि राव (केन्द्रपाडा) : अध्यक्ष जी, राजीव गांधी जी हमारे देश के 5 साल प्रधान मंत्री रहे, 11 महीने विरोधी दल के नेता रहे और इस सदन में अर्जुन सिंह जी ने जो इलजाम लगाए हैं, उनको सुनने के बाद मेरा इतना ही कहना है कि कांग्रेस के अंदरूनी झगड़ों से हमकों कोई सरोकार नहीं है।.....(व्यवधान) यह सदन इतना ही जानना चाहता है कि राजीव जी की हत्या के इनवेस्टीगेशन के सिलसिले में श्री चिदंबरम जी ने जो बयान यहां पर दिया था, उस बयान की पृष्ठभूमि से सदन चाहेगा कि सरकार खुलासा करे। यह बात सरकार के भी हित में है। इसलिए मैं सरकार से उस जांच की स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं इतना ही मेरा कहना है।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, एक बार पुनः आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सरकार को निदेश दें कि वह प्रधान मंत्री से इस सदन में उस मुद्दे पर वक्तव्य देने के लिए निवेदन करें क्योंकि मेरे विचार से इससे छोटी कोई बात संतुष्ट नहीं कर सकती है।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : यह अच्छा होगा यदि श्री चिदम्बरम वक्तव्य दें।

श्री अर्जुन सिंह : मुझे अफसोस है कि हम श्री चिदम्बरम को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : यह मेरा निवेदन मात्र है, मैं आपके साथ झगड़ा करना नहीं चाहती हूँ ....(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं कर रहा हूं।

श्री राम कापसे (ठाणे) : हम संसदीय कार्यमंत्री से जानना चाहते हैं..... (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्लीज आप बैठे जाइये।

(व्यवधान)

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) पांच वर्ष होने जा रहे हैं..... (व्यवधान) कुछ भी नहीं कहने के लिए..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से सरकार के प्रतिनिधि सभा में हैं। उन्होंने सदस्य की भावनाओं और वक्तव्यों को सुना है, क्या उन्हें इस बारे में कुछ और कहना है?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : जैसाकि आपने सही सोचा है कि हमने सदन में सदस्यों द्वारा व्यक्त भावनाओं को गंभीरता से लिया है तथा इस मामले पर विचार किया जायेगा। श्री चिदम्बरम ने इस मामले में जो प्रगति की उस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, किंतु हम इसकी जांच करेंगे तथा इस बारे में आपको जानकारी देंगे .....**(व्यवधान)**

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, पहले हम चाहते हैं कि आप निदेश दें .....**(व्यवधान)** मैं अध्यक्ष से निदेश चाहता हूं उससे कम कोई बात नहीं..... **(व्यवधान)**

12.37 म०प०

इस समय श्री अर्जुन सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

श्री जगमीत सिंह बरार : वे कहते हैं कि वे हर बात पर ध्यान दे रहे हैं; इस प्रकार का जबाव वह दे रहे है..... **(व्यवधान)**

12.38 म०प०

इस समय श्री अर्जुन सिंह और कुछ माननीय सदस्य सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गये।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अपने स्थान पर चले जाएं तो मैं कुछ कहूंगा। जब मैं कुछ कह दूं तब आप वापस आना चाहें तो दूसरी बात है।

(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : इस मामले में प्रधान मंत्री को कुछ कहना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : कांग्रेस पार्टी को इधर के बजाए उधर धरना देना चाहिए .....**(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : यह सरकार बिल्कुल संवेदना शून्य है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठें जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है अर्जुन सिंह जी हम आप की भावना को समझ सकते हैं तथा सदस्यों की भावनायें भी आपसे भिन्न नहीं हैं। यदि आप अपने स्थान पर बैठें तो मैं कुछ कहूँ बाद में यदि आप आना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं किंतु मुझे कहने दो।

श्री अर्जुन सिंह : हम आपका निदेश और सरकार का जबाव चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे उनकी बात सुननी होगी, मैं हर समय निदेश नहीं देता हूँ, सरकार और आप लोगों को एक दूसरे के विचारों का प्रत्युत्तर देना है। मैं यहाँ पर बैंड मास्टर नहीं हूँ जो हर किसी का मार्ग निर्देश करता रहूँ। यह सरकार और आपके बीच का मामला है। इस मामले में आप हमेशा अध्यक्ष को क्यों घसीटते हो।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अर्जुन सिंह जी, यदि आप वापस आना चाहते हो....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं यह आपके लिए सरल नहीं है, मैं आपकी स्थिति को समझता हूँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ कहने दो फिर आप समझते हैं कि आपको वापस आना है तो आप आ सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अर्जुन सिंह जी इस तरह नहीं। जब आप यहाँ बैठे हो तो मैं वह नहीं कर सकता

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अर्जुन सिंह जी, कृपया इस तरह नहीं।

(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : महोदय आप चाहे तो मुझे सभा से बहार निकाल सकते हैं। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाहर नहीं निकालूंगा। यह अंतिम उपाय होगा, मैं वैसा नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय मैं इस मामले में बोलना चाहता हूँ। आप मुझे बोलने की इजाजत दे। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं इस समय कुछ कहता हूं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कह रहा हूं क्योंकि आप ही यह कार्य कर रहे हैं। यदि मैं कुछ कहता हूँ और यदि मेरे द्वारा कहे गए शब्दों का कुछ अर्थ और महत्व है तो इन्हें स्वतः ही बाहर आना चाहिए न कि इसलिए कि आप यहां बैठे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर : मैं यही कहना चाहता हूं। यह मामला जिस खूबसूरती के साथ, मैं अर्जुन सिंह जी को भी उसी में शामिल करके कहता हूं ....**(व्यवधान)** मैं एक मिनट में चुप हो जाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : फिर मामला लम्बा हो जाता है।

श्री अब्दुल गफूर : जिस खूबसूरती के साथ आपने और अर्जुन सिंह जी ने एक दूसरे को मुखातिब करते हुए.... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उसी भावना का अनुसरण किया है जिस भावना से मैंने यह सब बातें कहीं हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर : मैं दुख के साथ बोल रहा हूं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि फलां आदमी का देहान्त हो गया, देश के प्राइम मिनिस्टिर का देहान्त हो गया। मैं अर्जुन सिंह जी की ज्यादा तारीफ करता हूं। जब आपने इशारा किया तो उन्होंने उसको मान लिया। मैं सबसे ज्यादा अगर कसूरवार किसी को मानता हूं तो वह हमारे पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर हैं जिन्हें समझ नहीं है ....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप उनके विरुद्ध निर्णय क्यों दे रहे हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर : यह अगर समझ जाते तो जिस ऊंचाई पर आप और यह जा रहे थे, उनका जब इस हाउस में .....**(व्यवधान)**

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग-अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : किसी दूसरे को कहिये। क्या बात करते हो .....**(व्यवधान)** आप सब कुछ जानते हो और आपको सब कुछ समझ है ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उस भावना को समझ रहा हूं जिस भावना से यह मामला उठाया गया है तथा मैंने अपने मन में इस मामले का एक विशेष ढ़ग से हल करने की सोची है। इस समय भी मैं इस मामले का एक विशेष ढ़ग से समाधान कर सकता हूं। किन्तु पहले आप अपनी सीट पर वापस जाएं तथा मैं जो कुछ कहूँ उसको सुनने के पश्चात यदि आप संतुष्ट न हों तो यह बिल्कुल अलग बात होगी। किंतु यदि आप यहां बैठते हैं तो ऐसा लगेगा कि मैं दबाव में कार्य कर रहा हूँ जो सही नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि हम भावशून्य हैं तथा तथ्यों को नहीं समझ रहे हैं। किंतु दबाव में कार्य कर रहे हैं जो अच्छा नहीं लगता है, इसलिये आप कृपया अपनी सीट पर जाइये। अर्जुन सिंह जी मेरा आपसे यह निवेदन है। मैंने आप से कहा है कि जो मैं कह रहा हूँ उसे आप समझते हैं। आप मानदंडों के भीतर थे। अब आप मुझे भी मानदंडों में रहने दें।

(व्यवधान)

श्री जयमीत सिंह (फरीदकोट) : अध्यक्ष महोदय पहली बार हम अध्यक्ष पीठ के सामने हैं क्योंकि यह गंभीर मामला है.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हम शायद आपसे इस मामले पर अपने कक्ष में चर्चा कर सकते हैं तथा वापस आकर मैं अपनी बात कहूं। संभवतया इस स्थिति और इस तरीके से हमें इस मामले पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। हम कुछ बातों पर सहमत नहीं हो सकते हैं , इसलिए मैं अब सभा को स्थगित कर रहा हूँ। तथा पुनः वाद-विवाद, करने के लिए हम अपराहन 2.00 बजे समवेत होते हैं। इस बीच हम इस मामले पर अध्यक्ष कक्ष में चर्चा करेंगे।

12.45 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याहन भोजन के लिए 2.00 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.02 म०प०

मध्याहन भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.02 म०प० पर पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय मैं यह जानने के लिए आपकी इजाजत चाहता हूँ कि क्या माननीय प्रधान मंत्री ने हमारी अपील सुनी है तथा क्या वे कल या परसों किसी निश्चित समय पर इस मामले पर एक वक्तव्य देने की कृपा करेंगे।

श्री मल्लिकार्जुन : जैसी माननीय सदस्य को आशा है प्रधान मंत्री ने यहा सभा में नहीं अपितु संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से उनकी बात सुनी है तथा जो भी वक्तव्य दिया जा सकता है दिया जायेगा।

श्री अर्जुन सिंह : मेरा प्रश्न बिल्कुल सटीक है मैंने यह नहीं कहा कि वक्तव्य नहीं दिया जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय संसदीय कार्य मंत्री संक्षेप में यह बतायेंगे कि क्या माननीय प्रधान मंत्री सभा में वक्तव्य देंगे या नहीं।

श्री मल्लिकार्जुन : मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं सिर्फ यह कह सकता हूँ कि सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया जायेगा .....**(व्यवधान)**

श्री के० राममूर्ति (कृष्णा गिरि) : सरकार की ओर से कई वक्तव्य दिये गए थे। यहां तक कि श्री चिदम्बरम ने भी वक्तव्य दिया था। प्रत्येक व्यक्ति ने वक्तव्य दिया .....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा० सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : यह सदन का मामला है। सदन में स्पष्ट रूप से यह मामला आना चाहिए ताकि सारे लोग जान सकें। यह मामला वाकई गंभीर है .....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक कहता हूँ कि यह इस तरह का

मामला नहीं है कि इसे इस प्रकार लिया जाय। माननीय संसदीय कार्य मंत्री और माननीय राज्य मंत्री उपस्थित थे। हमने बहुत ही साधारण निवेदन किया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय प्रधान मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए .....(व्यवधान)

[हिन्दी]

कई माननीय सदस्य : पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री आ गए हैं.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सिंह : मैं कोई अन्तर नहीं करूंगा, यही बात हम चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय प्रधान मंत्री कल तक अपनी सुविधानुसार किसी समय एक वक्तव्य देंगे .....(व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, हमने इस मामले पर आपके कक्ष में भी चर्चा की है। हम इस मामले को बहुत गंभीर मामला मानते हैं तथा कल इस मामले पर निश्चित रूप से सरकार की ओर से बयान दिया जायेगा। इसलिए प्रश्नकाल के तुरंत पश्चात वक्तव्य दिया जायेगा।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय नम्रतापूर्वक मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पर सरकार के किसी सदस्य द्वारा वक्तव्य देना पर्याप्त हो। मैं बार-बार कारणों को नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि यह प्रश्न पूछने के लिए भीख मांगने के समान है तथा मुझे यह करने के लिए बाध्य नहीं किया जाय तथा मेरा ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं है। यदि मामले की गंभीरता, विस्तार, पूर्ण महत्व को समझते हैं तो मेरे विचार से इस सभा के सम्मान और सप्रंभुता के अनुरूप यह अच्छा होगा तथा इस देश के लोगों को आशा है कि माननीय प्रधान मंत्री सभा में आयें तथा सभा में वक्तव्य दें आर इस सभा के माध्यम से देश के लोगों को मामले की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी दें।

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य कब दिया जायेगा? कल?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हां महोदय, वक्तव्य कल दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यह बताने की स्थिति में हैं कि वक्तव्य कौन देगा?

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, इस बारे में हमें परामर्श करके निर्णय करना है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष जी, यह क्या परम्परा है कि बैठे बैठे मंत्री जी कुछ बोल रहे है जबकि यह बहुत सीरियस और गंभीर मामला है। सारी बातें सदन के सामने आनी चाहिए। .....(व्यवधान)

डा० सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : इस तरह का अंतरंग वार्तालाप चलेगा तो हमें क्या पता लगेगा। हमें भी तो आप बताइये, हम क्या सीखें , क्या समझें। जैसा आप हमें बतायेंगे, हम उसी के अनुसार कर लेते हैं .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसे हमेशा के लिए आप भी ध्यान में रखेंगे और सभी ध्यान में रखेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से हम कार्य नहीं कर सके हैं तथा अन्य मामलों को भी लिया जाना है, तथा श्री अर्जुन सिंह द्वारा उठाया गया मामला भी महत्वपूर्ण है और इस मामले को उसी तरह लिया जाना चाहिए जैसा इसे लिया जाना है। इसी तरह अब सभा के सामने यह बात आई है कि कल तक एक वक्तव्य दिया जायेगा। शायद संसदीय कार्य मंत्री इस बारे में अपने साथियों तथा अन्य लोगों के साथ चर्चा करना चाहते हैं और सरकार को निर्णय करना है कि कौन वक्तव्य देगा। इस बारे में हमें कल जानकारी मिलेगी तथा इस पर उस समय भी चर्चा की जा सकती है, इसलिए आज कार्य करने दें। इस बात पर निर्भर रहते हुए कि कल कौन वक्तव्य देता है आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। यदि आप लोगों की स्वीकृति मिलती है तो सरकार भी अपने विचार व्यक्त कर सकती है।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, जब आपने कहा कि यदि आपकी स्वीकृति मिलती है, ने मुझे उलझन में डाल दिया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री अर्जुन सिंह : मुझे किसी बात को स्वीकृत करने का अधिकार नहीं है जो कुछ मैंने महसूस किया मैंने उसे नम्रतापूर्वक कह दिया है। न तो मेरा इरादा सभा की कार्यवाही को रोकना है न ही अन्य सदस्यों के कार्य को रोकना। तब उस स्थिति में आप हमारी उपेक्षा कर दें, हम बिल्कुल चुपचाप बैठेंगे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं : नहीं श्री अर्जुन सिंह जी, हम आपकी भावनाओं का आदर करते हैं इसलिए मैं आपकी अनुमति मांग रहा हूँ। कृपया इसे अन्यथा न लें। यहाँ हम आपस में विवादास्पद शब्दों में नहीं घिरना चाहते हैं।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, न ही मैं विवादास्पद विचार वाला व्यक्ति हूं।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें आपस में विचार-विमर्श करने के बाद निर्णय लेने दें। प्रधान मंत्री के पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों उनकी व्यस्तताओं तथा अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए अंतिम क्षणों में इस बारे में निर्णय लिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह (चितौड़गढ) : अध्यक्ष जी, मैं एक अपील करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि माननीय अर्जुन सिंह जी और उनके सहयोगी यदि इस हद तक बढ़ते हैं जिससे सदन की साधारण गतिविधियों में अवरोध पैदा होता है तो यह कोई साधारण बात नहीं है। अर्जुन सिंह जी एक समय सरकार में दूसरे नम्बर के मंत्री रहे है। अर्जुन सिंह जी के दल और हमारे दल के बीच जो राजनैतिक अंतर है, वह अपनी जगह सलामत है और मैं उन राजनैतिक अंतरों में इस वक्त नहीं जाता हूँ लेकिन मै सरकारी पक्ष से सादर निवेदन करूंगा कि जब अर्जुन सिंह जैस बहुत पुराने राजनेता इस हद तक जाने को बाध्य हों तो सरकारी पक्ष को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जब शून्यकाल में गतिरोध पैदा हुआ था तो हमने सोचा कि शायद सरकारी पक्ष आपस में बैठकर इस मामले में सलाह-मशवरा करेगा और कोई न कोई समाधान तुरन्त निकालेगा।

मुझे खेद है कि यह घटना यथावत है और सरकार इसको एक साधारण सी घटना ले रही है। मैं घटना के पीछे नहीं जाना चाहता। एक भूतपूर्व प्रधान मंत्री की हत्या हो, 5 साल होने को आ रहे हों, उसका समाधान नहीं निकला हो, उससे जुड़े कितने सारे सवाल खड़े हो गए हों, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। एक साधारण

सा प्रश्न आज सदन के सामने है। एक बहुत वरिष्ठ सदस्य इस हद तक यदि जाने को तैयार हैं और सरकार साधारण रूप से जवाब देकर आगे चलना चाहती है तो मैं समूचे सरकारी पक्ष से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार यदि सरकार में बैठी है तो शायद उसी भूतपूर्व राजनेता, प्रधान मंत्री की हत्या के कारण यहां बैठी है। आप इतना सा इसका एक सरल उपाय नहीं ढूंढ सकते कि हम वक्तव्य देंगे, आपको संतुष्ट करेंगे। अलग से बैठकर बातचीत नहीं हो सकती ? अध्यक्षजी, यह कोई साधारण घटना नहीं हो रही है, यह बहुत असाधारण घटना हो रही है। फिर यह सदन चलेगा कैसे? कौन उसमें जांच कर रहे हैं, क्या जांच हो रही है, जांच की क्या क्वालिटी है उसको छोड़ दीजिए। यह तो सदन का मामला है। सदन का मामला सरकार नहीं निपटाएगी, नेता शासक दल नहीं निपटाएगा तो कौन निपटाएगा? अध्यक्षजी, आपके जिम्मे यह सब क्यों न छोड़ दिया जाए? अध्यक्षजी, आप हमारे प्रतिनिधि हैं, मुझे क्षमा करें, आप गलत न लें। आप हमारे प्रतिनिधि हैं और हमारे प्रतीक हैं। यदि आप सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष में कोई विवाद खड़ा होता है तो

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच कोई अंपायर नहीं है। अध्यक्ष अंपायर नहीं है, महोदय मैं आदर के साथ ऐसा कर रहा हूं। सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच इस गतिरोध का दायित्व मूलतः सत्ताधारी दल पर है।

[हिन्दी]

तभी तो आप सत्ता में बैठे हैं। मैं निवेदन करूंगा, सत्ता पक्ष अभी भी इसको गंभीरता से ले और बयान देकर इस मामले को खत्म करे। ऐसे कैसे चलेगा यह?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्षजी, मैंने अभी आपसे कहा कि इस मामले को हम लोग बहुत गंभीर मामला मानते हैं। इस पर किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। इसी तरह से उसकी जो भी जांच-पडताल और जिस प्रकार से इससे मामले को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है, कर रहे हैं। जब वह मामला उठा कि इसमें देरी हो रही है तो श्री चिदम्बरम् जी की अध्यक्षता में एक विशेष कार्यदल गठित किया गया और ये इसमें कुछ तेजी भी लाए और इसमें कोशिश भी की गई। जहां तक मेरा ख्याल है उन्होंने दिसम्बर के अंत तक पूरा करने का आश्वासन दिया था। उसके बाद जो बहुत से और प्रश्न आए हैं उसके आधार पर हम लोगों के मन में भी बहुत से लोगों के मन में अनेक प्रकार की बातें उठती हैं। क्योंकि इस मामले को हम लोग एक पक्षीय मामला नहीं मानते हैं, यह बहुपक्षीय मामला है। जैसा कि जसवंत सिंह जी ने कहा कि उनके राजनैतिक विभेद हो सकते हैं। लेकिन सब जानते हैं कि इतने बड़े राजनेता की यदि हत्या हुई है तो उसकी जड़ तक जाकर पता लगाना चाहिए कि कौन उसके लिए जिम्मेदार था, क्यों हुई, कैसे हुई, कोई गफलत हुई या नहीं हुई। उसके लिए दो कमीशन स्थापित हुए। दोनों कमीशनों ने अपना काम किया है परन्तु उसमें देर हो रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जितनी देर नहीं होनी चाहिए थी उतनी देर हुई है। अब इसके कारण भी बताए जा सकते हैं। और बताए भी जायेंगे। हम लोगों ने कई बार इस बात को सदन में कहा है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : क्या यह प्रतिष्ठा का प्रश्न है?

श्री विद्याचरण शुक्ल : नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : तब क्या कठिनाई है?

श्री विद्याचरण शुक्ल : कौन उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रहा है..... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : कठिनाई क्या है? प्रश्नकाल समाप्त हुए अब तक 2 घंटे और 15 मिनट व्यतीत हो चुके हैं। हमें इसकी बहुत चिंता है क्योंकि दुर्भाग्यवश विगत चार दिनों से इस सत्र में सभा को स्थगित किया जाता रहा है और इसलिए हमने भोजनकाल को त्यागने का निर्णय लिया और शाम को भी एक घंटा अतिरिक्त बैठकर अविलम्बनीय कार्य को निपटाने का निर्णय लिया है। मैं नहीं समझता कि सरकार इस सभा को चलाने के मामले में गंभीर है। क्या पिछले एक घंटे और दस मिनट जो कि सरकार और आपके बीच अनुमति दी गई थी, मैं कोई चर्चा की गई .....(व्यवधान)

श्री विद्या चरण शुक्ल : उन्होंने शायद मेरे वक्तव्य का पहला भाग नहीं सुना है .....(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब आप सही दिशा में जा रहे हैं .....(व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमने इस मुद्दे पर चर्चा की है .....(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम चाहते हैं कि प्रधान मंत्री वक्तव्य दें .....(व्यवधान) आखिरकार यह एक गंभीर मुद्दा है। उन्हें संसद के प्रति उचित सम्मान रखना चाहिए। संसद से परे कोई नहीं है। यदि प्रधान मंत्री वक्तव्य देते तो यह एक उत्तरदायित्वपूर्ण और सम्मानजनक बात होती। इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि सभा का समय व्यर्थ इन बातों में गंवाने से अच्छा है कि हम अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें। मैं एक बहुत ही गंभीर मामला उठाना चाहता हूँ। आपको स्मरण होगा कि आज 6 दिसम्बर है या आप इसको भूलना चाहते हैं?

आज 6 दिसम्बर है आज के दिन की गंभीरता का आपको पता होगा। इसी का हम उल्लेख करना चाहते हैं। अतः मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि उदारता दिखाते हुए उन्हें यह सुझाव स्वीकार करना चाहिए।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, जब सभा सत्र में नहीं था तब हमने इसके समाधान के लिए इस अवधि के हरेक मिनट का उपयोग करते हुए इस पर चर्चा की।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : इसका परिणाम क्या निकला ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यही मैं यहां कह रहा हूँ। इस मुद्दे से जुड़े अन्य लोगों से भी हमने अनुरोध किया है और कल प्रश्नकाल के तुरंत पश्चात हम सभा के समक्ष आयेंगे तथा हमारे पास जो भी सूचना उपलब्ध होगी, उसे इस गंभीर मुद्दे पर जो भी हमारी सोच होगी.....(व्यवधान) यह सभा के समक्ष रखेंगे।

श्रीमती विधु कुमारी देवी (त्रिपुरा पूर्व) : एक प्रधान मंत्री द्वारा किसी भूतपूर्व प्रधान मंत्री को सम्मान देने का मामला नहीं है। अब उन्हें इस पद की जिम्मेदारी भी उठानी हैं। इसलिए यदि वह भूतपूर्व प्रधान मंत्री के बारे में कोई वक्तव्य देते हैं तो यह प्रतिष्ठा की बात नहीं है .....(व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल : जो भी संभव है हम करेंगे। हमारी ओर से कोई हिचकिचाहट नहीं है। इसे रोजमर्रा के मामले अथवा प्रतिष्ठा के मामले के रूप में

नहीं लिया जा रहा है बिल्कुल नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आपका वक्तव्य स्वीकार करता हूँ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : जहाँ तक अयोध्या मामले का सवाल है तो माननीय सदस्यगण जानते हैं कि हम कुछ भी छिपाना नहीं चाहते। यदि माननीय सदस्य वह मुद्दा उठाना चाहते हैं तो हम निश्चय ही इसका समर्थन करेंगे .....(**व्यवधान**)। जहाँ तक इस मामले को छिपाने का संबंध है तो मैं यही कहूंगा कि यह सही नहीं है। मैं पुनः आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम पूरी गंभीरता के साथ कल यह मुद्दा संसद में लाएगे।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष जी, मैं पिछले साढ़े चार वर्षों से इस सवाल पर चुप रहा। आज यदि मैं न बोलूं, तो मैं समझता हूं कि सदन के साथ न्याय नहीं होगा। मैं आपसे एक दिशा-निर्देश चाहता हूं। कोई भी जज किसी जगह बैठकर के कोई भी बयान दे दे, तो क्या उस बयान के आधार पर संसद की कार्यवाही रोकी जा सकती हे या नहीं ? अगर उस बयान पर बहस होती है, तो क्या जज के बारे में भी यहाँ पर बहस हो सकती है या नहीं? जिस तरह से यह आयोग काम कर रहा है उस पर चर्चा करने का निर्देश देंगे या नहीं? ये सवाल ऐसे जटिल सवाल हैं जिनके उत्तर हमें, आपको इन सवालों को उठाने से पहले देने चाहिए। मैं समझता हूं कि जांच होनी चाहिए। मुझे दुख इस बात का है, क्षमा करेंगे हमारे सरकारी पक्ष के लोग जब कोई दबाव पड़ता है, तो ये लोग कोई न कोई बयान दे देते हैं बिना यह सोचे हुए कि इसका नतीजा क्या होगा।

चिदम्बरम जी ने कहा कि दिसम्बर तक हम इस जांच को पूरा कर देंगे। क्या चिदम्बरम जी के अधिकार में है ? जज महोदय, रोज-रोज नये गवाहों को बुला रहे हैं। उनकी गवाहों की सूची अनन्त है। इस अनन्त सूची का अन्त कब होगा, यह शायद इस देश का कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता। चिदम्बरम जी कल यहां पर आएंगे या स्वयं प्रधानी मंत्री जी ही यहां आएं, तो वे क्या उत्तर देंगे मुझे मालूम नहीं।

अध्यक्ष जी, इस सदन में या बाहर बहस होती है, तो पांच, सात या आठ अफसरों को नोटिस दे दिया जाता है। उन पर जांच करने का आदेश दे दिया जाता है। मंत्रिमंडल किस तरह से काम करता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन अधिकारियों में से कुछ को मैं जानता हूं। विनोद चन्द पांडेय से लोगों के मतभेद हो सकते हैं। वे एक ईमानदार अफसर हैं। सही अफसर हैं। नारायण जी अच्छे अफसर हैं। गौरी शंकर वाजपेयी को मैं जानता हूँ। ये सब भले और ईमानदार अफसर हैं। अगर उन्होंने कोई राय दी, तो निर्णय लेने का अधिकार तो जो राजनीतिक लोग थे, उनको था, लेकिन राजनीतिक लोगों को निर्णय लेने के लिए क्या उन अधिकारियों को दंडित किया जाएगा? किस आधार पर इस सरकार ने उन आफीसरों को नोटिस दी, मुझे मालूम नहीं। हर समय दबाव पड़ता है, चाहे कांग्रेस का आन्तरिक मामला हो, चाहे देश में कोई जनमत बनाने की कोशिश हो रही हो, यह काम ठीक नहीं है।

इस संसद का उपयोग इस काम के लिए नहीं होना चाहिए। अर्जुन सिंह जी की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। उन्होंने हमसे पूछा कि आप नाराज हैं। मैं नाराज नहीं हूँ, दुखी जरूर हूँ। वे उस मंत्रिमंडल के साढ़े चार वर्ष तक सदस्य रहे, साढ़े चार वर्ष तक उनका यह दुख क्यों नहीं जागा? मैं जानना चाहता हूँ, जब ये बातें कहीं जाती हैं तो हम कोई मर्यादा रखेंगे या नहीं। जिसकी चाहो पगड़ी उछाल दो, जिस अधिकारी को चाहो अपराधी बना दो। मैं भी अपराधियों में एक हूँ। किसी एक कांग्रेस के नेता ने बयान दिया कि मैं भी षडयंत्र में हूँ। संतोष केवल इतना ही है कि हमारे साथ वी०पी०सिंह और नरसिम्हा राव भी हैं और वे भी षडयंत्रकारी हैं। क्या यह सब चलेगा? यह सब बहस आयोग में होगी? जज लोगों को यह अधिकार है कि किसी के बारे में कुछ भी कहे? .....(**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : चेयरमैन कौन है ?

श्री चन्द्र शेखर : वे कौन हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि फिर अध्यक्ष जी कहेंगे कि आयोग के चेयरमैन का नाम मत लो। लेकिन क्या आयोग के चेयरमैन के बारे में चर्चा होगी, जैसा उन्होंने अभी उठाया है? जब यह सब होने लगेगा तो जो संसद के सदस्य हैं, जो कभी दुर्भाग्य से, सौभाग्य से सरकार में आ गए, वे सब अपराधी हैं, केवल उन लोगों के जो लोग जांच कर रहे हैं। इस परम्परा को कहीं रोकना पड़ेगा। मुझे इस बात का दुख होता हे कि सरकार के हाथ-पांव क्यों फूले रहते हैं। यदि यह सवाल उठता है तो प्रधान मंत्री जी क्यों नहीं आकर सब बातों का खुलासा करते। सोमनाथ चटर्जी ने सही कहा, सरकार जब पंगु हो जाती है, कमजोर हो जाती है तो सब उसको आंख दिखाते हैं। किसी एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, यह राष्ट्र की मान्यता का सवाल है। मैं जो संसदीय जनतंत्र समझा हूँ, उसमें ससंद सर्वोपरि है। मैं जानता हूँ कि न्यायपालिका को पूरा अधिकार है। मैं जानता हूँ कि दूसरे जो अंग हैं, उनको पूरे अधिकार हैं। लेकिन अन्तिम निर्णय संसद का होता है, यह मैं संसदीय जनतंत्र का महत्व समझा हूं। यदि संसदीय जनतंत्र नहीं रहेगा तो न्यायपालिका की आजादी भी नहीं रहेगी। यदि ये बातें किसी की समझ में नहीं आती हैं तो उसको समझाने का काम भी अध्यक्ष महोदय और इस संसद का है। इस बात को समझाना चाहिए। बड़ी कृपा होगी यदि ऐसे सवाल पर बहस करते समय हम कुछ मर्यादा और नियमों का ध्यान रखें।

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठतम आदरणीय सदस्य श्री चन्द्र शेखर जी का मैं अत्यन्त अनुगृहीत हूं जो उन्होंने सब बातें सही पृष्ठभूमि में रख दी हैं। मैं उसमें तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि शुरू-शुरू में आपने ही मुझे यह कहा था कि रैसट्रेंड और कन्सट्रेंड सब रखिए। उन्होंने किसी के पक्ष-विपक्ष के बारे में जो कुछ कहा, मैं उस पर कतई कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि यह हमारा उद्देश्य भी नहीं है और आज की इस बहस को कोई पहलू भी नहीं है। यह तो एक बहुत साधारण सी बात है कि एक गतिरोध पैदा हो गया है जिसकी वजह से काम आगे नहीं हो रहा है। कुछ दृष्टांत हमने रखे। हम तो बिना किसी के खिलाफ आक्षेप लगाए हुए केवल इतना ही निवेदन करते रहे कि इस विषय पर संसद और देश के समाधान के लिए यह नितांत आवश्यक है कि माननीय प्रधान मंत्री जी सदन में आकर इसके बारे में जानकारी दें। इसके आगे मैंने और कोई बात नहीं कही। मेरा किसी पर आक्षेप नहीं है। जहां तक संसद की सार्वभौमिकता का सवाल है, हम में से यह कौन नहीं जानता, जो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का क,ख,ग,घ,ङ जानता है, वह भी यह जानता है कि यदि संसद की सार्वभौमिकता नगण्य हो जाए, क्षीण हो जाए तो न सरकार रहेगी, न अन्य कोई तंत्र रहेंगे। फिर एक ही चीज हो सकती है – अधिनायकवाद का अवतरण। अगर उस अधिनायकवाद के अवतरण को रोकना है तो यहां पर उपस्थित प्रत्येक सदस्य, वह चाहे जिस परिस्थिति में हो, उसका कोई भी पद हो या न हो, का दायित्व है कि संसद की सार्वभौमिकता को केवल शब्दों में नहीं, अपने एक्शन्स में सम्मानित करके सारे देश को दिखाए और उसी की वजह से मेरी यह विनम्र प्रार्थना है कि प्रधान मंत्री जी अपनी सुविधा से पधारें और इस संबंध में संसद को और देश को अवगत कराएं। यदि यह अनाधिकार चेष्टा है, मैं ससंद के कार्य को नहीं रोकना चाहता, मैं आपसे एक ही निवेदन कर सकता हूँ , हमारे संसदीय

इतिहास में शायद किसी सदस्य ने ऐसा निवेदन आपसे या किसी प्रिजाईडिंग ऑफिसर से नहीं किया होगा, कृपा करके आप हमें सदन से बाहर जाने की आज्ञा दें और सदन की कार्यवाही चले। यही मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। .....(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, इस बहस में मैंने एक सवाल उठाया, आप हमको यह बताइये कि कोई जज साहब, जिनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आफ्टर डिक्टा कोई स्टेटमेंट दे दे, तो क्या उस स्टेटमेंट के ऊपर संसद में बहस हो सकती है और अगर वह बहस होगी तो जज साहब के बारे में बहस होगी कि नहीं, यह पहले हमको बताइये, उसके बाद आगे की कार्यवाही बढ़ेगी। ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठिये।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष जी, देखिये, यह मौलिक सवाल है। हत्या और जांच, वह अलग की बात है। सवाल यह है कि जो कार्यवाही आज सवेरे से सदन में हो रही है, उस कार्यवाही का जो आधार है, उस आधार को आप एक अध्यक्ष के नाते मान्यता देते हैं या नहीं, मैं यह बात जानना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आपने एक बहुत ही अच्छा पाइण्ट ऑफ आर्डर रेज़ किया है, उसका डिसीजन भी आना चाहिए मैं इस प्रकार से डिसीजन देना चाहूंगा कि आपने जो कुछ भी अपने निवेदन के पहले हिस्से में कहा, वह सौ टके बराबर है कि कोई भी कांस्टीट्यूशनल एथॉरिटी हो, उसको अपनी मर्यादा में काम करना जरूरी है और उसकी चर्चा अगर बाहर होती गई तो बहुत ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने उनको भी कहने के लिए इजाजत नहीं दी थी, उससे अर्जुन सिंह जी थोड़े से नाराज हो गये थे, तो भी मैंने.....

श्री अर्जुन सिंह : मैं नाराज नहीं हुआ, मैंने अपने को सुधारा।

अध्यक्ष महोदय : नाराज होकर सुधारा या खुश होकर सुधारा, मगर मैंने वही बात कही थी और इसीलिए मैंने उनको कहा था कि इस प्रकार से नहीं तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से इसमें बोलने का अधिकारी हूँ, मैं यहाँ बोलू या नहीं। मैंने कहा कि आपका पूरा अधिकार है और आप बोलिये। मुझे बड़ी खुशी है कि बाद में उन्होंने अपना जो निवेदन दिया, वह निवेदन कानून के दायरे के बिल्कुल बाहर जाकर नहीं किया। अगर जाते तो मैं रिकार्ड में शायद किस प्रकार से डील करना है, उसको डील करता, मगर वह मर्यादा के बाहर नहीं गये हैं, किसी मर्यादा के बाहर नहीं गये हैं। मगर मुझे बार-बार ऐसा लगता है कि जिस चीज पर यहां चर्चा नहीं होनी चाहिए, वह चीज बाहर भी नहीं होनी चाहिए। वर्तमान सत्र में भी चर्चा नहीं होनी चाहिए, इसका हम सब को ख्याल रखना जरूरी है, मगर हम सब को कह नहीं सकते हैं कि आप ख्याल रखिये, नहीं रखिये। अब अपने-अपने क्षेत्र में काम करते हैं, यहां पर से किसी को आदेश देने का हमें अधिकार नहीं है, इसलिए हम कुछ कहते हैं, हम चुप बैठ जाते हैं, हम यह कहते हैं कि हम यह बहस नहीं करेंगे। दूसरे बहस करें, न करें, यह उनकी बात है, वह बात सही है।

अब रही बात, जो अर्जुन सिंह जी ने कही है। अर्जुन सिंह जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके बारे में मैं कुछ कहूं या बोलूं तो बोलते समय मैं 10 दफा विचार करके बोलूंगा, क्योंकि आप ही खुद हर चीज को तोल मोल कर बहुत ही अच्छे ढंग से रख रहे हैं और इसलिए मैं आसानी से नहीं कहूंगा। मगर मैं आपको यह कहूंगा कि आपको बाहर जाने की इजाजत मैं नहीं दे सकूंगा। आपसे में रिक्वैस्ट करूंगा कि आपको जो कहना है, पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से आपने कहा है। अगर मैं शुक्ला जी का स्टेटमेंट समझ सका हूं तो उन्होंने कोई न कहने की बात कही नहीं है, पूरी तरह से सब चीजों को ध्यान में रखकर करेंगें। इसको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से यहीं पर रखना चाहिए। कल हम देख सकते हैं कि क्या होने वाला है।

श्री अर्जुन सिंह : बाहर नहीं जायेंगे तो अन्दर तो बैठ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैंच पर बैठिएगा।

श्री अर्जुन सिंह : नही, वहां, जहां हम लोग बैठे थे, चुपचाप बैठे थे।

अध्यक्ष महोदय : वह आराम की जगह नहीं है, आपके लायक नहीं है। प्लीज। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(व्यवधान)

2.29 म०प०

6 दिसम्बर, 1992, अयोध्या की घटना के बारे में

श्री सोमनाथ चटर्जी : आज एक विशेष दिन की वर्षगांठ है। 6 दिसम्बर, 1992 की घटना हमारे देश के लिए एक राष्ट्रीय शर्म की बात है। जब हमारे देश की धर्म-निरपेक्षता के ढांचे को जानबूझकर अपराधिक गतिविधियों द्वारा गिरा दिया गया। हम उस दिन का उल्लेख इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इस देश में जहा का संविधान धर्म-निरपेक्ष है .....(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, आपने उन्हें अनुमति दी है वे लोग चिल्ला रहे हैं .....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : इससे भी महत्वपूर्ण मामला है उत्तर प्रदेश के किसानों की दुर्गति हो रही है, उस पर विचार करने के लिए समय दिया जाये।

यह क्या बरसी मनाई जा रही हैं, वहां इतने हथियार मध्य प्रदेश से आ रहे हैं कि लोगों को खतरा हो गया है .....(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : लोग धरने, आन्दोलन, सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं, वह लगातार .....(व्यवधान)

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : आडवानी जी बैठे हुए हैं, वह नेता हैं, जो उनको बोलना है, बोलें.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : असहिष्णुता की यह प्रकृति.....(व्यवधान) महोदय, मैं मात्र दो मिनट के लिए बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूँगा

[हिन्दी]

अगर कोई अहम मसला उठा रहे हैं तो उनको बोलने दें। आपको जवाब देना है तो आपको भी इजाजत दी जाएगी। मगर इस तरह से न करें। यह सदन है, जहाँ पर अगर कोई सदस्य अपने विचार योग्य नीति से रखना चाहते हैं तो

उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। उसका जवाब सही तरीके से दें।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मुझे दुःख है कि भाजपा के हमारे मित्र इस मुद्दे पर इतनी अधिक असहिष्णुता दिखा रहे हैं और इसी कारण ही बाबरी मस्जिद को ढाह दिया गया; दूसरों के विचारों के प्रति असहिष्णुता अन्य लोग जो उनके विचारों का अनुसरण नहीं करते के प्रति असहिष्णुता हमारे देश के हित में नहीं है। वे बहुत ही प्रमुख प्रतिनिधी हैं जो हमारी बातों का जवाब दे सकते हैं।

इसीलिए, हमें इस दिन को राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाना चाहिए। यह आत्मनिरक्षण का समय है और साथ ही देश में धर्म-निरपेक्ष लोकतंत्र को बनाये रखने हेतु देश के संकल्प और वचनबद्धता को बरकरार रखने का वक्त है जिससे किसी कीमत पर चाहे जो भी हो समझौता नहीं लिया जा सकता है। महोदय, अपने देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचों में हमारा पूर्ण विश्वास है और इसे बनाये रखने के लिए जो भी संभव हो, किया जाना चाहिए।

सरकार को यहाँ अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में उल्लेख किया है हमने बार-बार कहा है कि यह एक उचित अनुच्छेद नहीं था। इसका उल्लेख करने का क्या फायदा जाहिर है कि उच्चतम न्यायालय इस पर अपना मत व्यक्त करने के प्रयोजन से कोई निर्णय नहीं कर सका। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय अधिकार सीमित था तथा हमने जैसी उम्मीद की थी वैसा ही हुआ और यह बहुत पहले हुआ था।

अब देश के उच्चतम न्यायालय से निर्णय पाने का एक ही तरीका है और वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 138(2) के अधीन ही किया जा सकता है। लेकिन यह सरकार क्या कर रही है। इस विवाद को विभिन्न स्थानों पर बनाये रखने के बदले हम इसे संविधान को अनुच्छेद 138 (2) के अधीन उच्चतम न्यायालय को क्यों नहीं सौंप देते? यह उचित समय है कि हमें न्यायालय की उचित अधिकार क्षेत्र को अवलंब कर उपयुक्त उपबंध के अध्यधीन इसे भारत के उच्चतम न्यायालय को सौंप देना चाहिए। लेकिन सरकार इस भावनात्मक मुद्दे को बनाये रखना चाहती है और जब तक इसका पूर्णतया समाधान नहीं कर दिया जाता तब तक यह हम सभी के लिए एक राष्ट्रीय शर्म के रूप में बना रहेगा।

महोदय, सरकार के लिए यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि इसे संविधान के अनुच्छेद 138(2) के अंतर्गत शीघ्र उच्चतम न्यायालय के सुपुर्द किया जाए। यह हमारी मांग है और हम इस संबंध में आज ही उत्तर चाहते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, मैं सभा को स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि 6 दिसम्बर को अयोध्या घटना के तुरन्त बाद उस वर्ष सभा में काफी उत्तेजना और रोष था।

माननीय विपक्ष के नेता ने—मुझे विश्वास है कि यहां मेरे मित्र इसे सुनेंगे। सभा में कहा था, इसे कार्यवाही वृतान्त से सत्यापित किया जा सकता है—कि जिन्होंने यह अतिक्रमण किया था वह स्मारक गिराया था वे अपनी मर्जी से ऐसा कर रहे थे उन्हें इस की कोई मंजूरी अथवा अनुमति नहीं मिली थी, उन्होंने, जो करना चाहते हैं उससे भी अधिक यह दुष्कर्म किया, उन्हें पहचाना जाना चाहिए, उनसे जवाब तलब किया जाना चाहिए, उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिए, रिकार्ड से देखा जा सकता है कि श्री वाजपेयी जी ने यहां यह बात कही थी। अतः मैं यह जानकर हैरान हूं कि अभी भी उनके दल के बहुत से सदस्य शायद उनमें से सभी तो नहीं लेकिन उनमें से कुछेक-आवश्यक यह वक्तव्य देते फिरते हैं कि जो कुछ उन्होंने किया है उस पर उन्हें गर्व और मुझे खेदपूर्वक यह मानना पड़ता है कि श्री आडवानी के बारे में भी समय-समय पर यह कहा गया कि उन्होंने यह कहा कि यह गर्व की बात है, यह ठीक है अथवा गलत, मुझे मालूम नहीं है। अतः क्या हम इस घटना का यह विवरण सुनें अथवा इस सभा में जो कुछ भी वाजपेयी ने कहा था, जो रिकार्ड था, उनको मान कर चलें कि इन लोगों ने जो किया है उन्हें इसके लिए दण्ड दिया जाना चाहिये और उनका पता लगाकर उनसे जवाब तलब किया जाना चाहिए।

मैं जानना चाहता हूं कि सारे समय यह सम्भ्रम की स्थिति क्यों पैदा की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि एक हफ्ता पहले भारत के गृह मंत्री जी ने कांग्रेस सेवा दल के लोगों को सम्बोधित करते हुए यह कहा था कि जो घटना हुई, उससे न कांग्रेस के लोगों को शर्म होनी चाहिए और न उनसे क्षमा मांगने की जरूरत है। मुझे सही रूप में याद है कि हम उस जमाने में विरोधी दल के नेता आदरणीय आडवानी जी ने अयोध्या की इस दुःखद घटना के बाद अपने पद से त्याग-पत्र देने की बात कही थी। पता नहीं, बाद में उनका विचार क्यों बदला? आज जैसा कि इन्द्रजीत ने कहा कि अगर उनके विचार वही हैं जो इस घटना के तुरन्त बाद थे, उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए क्योंकि उन पर भी आक्षेप आता है और मैं उनकी बहुत कद्र करता हूँ।

अध्यक्षजी, इस संबंध में सरकार क्या जांच कर रही है और आज जो कांग्रेस सेवा दल के कार्यकत्ताओं के समक्ष गृह मंत्री जी का वक्तव्य आया है, उसमें कहां तक तथ्य है? क्या सरकार इस बात को स्पष्ट करेगी कि सरकार इस संबंध में क्या करने जा रही है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो और देश को ऐसे शर्म के रास्ते से गुजरना नहीं पड़े।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया इस बात को समझिये कि आज हमें दो अध्यादेश पारित करने हैं। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि हम दो अध्यादेश पारित करेंगे तथा कल हम देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा आरम्भ करेंगे जिसमें आप सभी हिस्सा ले सकेंगे और बोल सकेंगे। मान लीजिए इन मुद्दों में से प्रत्येक मुद्दे पर यदि कुछेक सदस्यों से ज्यादा सदस्य बोलना चाहते हैं तो जिस ढंग से हम कार्य पूरा करना चाहते हैं उसे पूरा करने में कठिनाई होगी इसीलिए मैं श्री अर्जुन सिंह जी को बोलने का समय दे रहा हूँ ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अच्छा ममता जी को भी।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, मैंने भी सूचना दी है। कृपया मुझे भी एक मिनट के लिए बोलने की अनुमति दीजिये।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सोमनाथजी ने जो यह विषय उठाया है और जो उन्होंने भावनायें व्यक्त की हैं, मैं उससे पूरी तरह सहमत होते हुए भी सदन के समक्ष यह कहना चाहता हूं कि भारत की एकता

और अंखडता इससे कम नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम भारत के गंगा-जमुनी सांस्कृतिक स्वरूप को बनाकर रखें। हम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को व्यावहारिक रूप से मानने के लिए स्वीकार करते हुए उस पर कदम उठायें। किन्हीं भी संकीर्ण बातों से भले ही हमें कोई राजनीतिक लाभ मिलता हो, यह हम सबका कर्त्तव्य है कि उससे परे रहकर हम देश के प्रजातंत्र को संचालित करें। यह दुख की बात है कि 6 दिसम्बर को यह बात ऐसी हुई जिससे सब को गहरा सदमा पहुंचा। हम सब मिलकर यह कोशिश करें कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और भारत की एकता और अंखडता के लिए हमारा जो कमिटमेंट हैं, समर्पण है, उसे बनाये रखने में हम सक्षम हों।

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े दुःख के साथ 6 दिसम्बर 1992 को अयोध्या में जो हुआ यानी इस देश की धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक इस देश के सबसे बड़े अल्पसख्यक समुदाय के पूजा स्थल को ध्वस्त किये जाने की घटना का जिक्र करता हूं।

यह सब हो जाने के पश्चात भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर इस सभा में लगभग सभी सदस्यों ने मेरे माननीय साथी, श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा कही गयी इस बात का समर्थन किया था कि सरकार उसे अनुच्छेद 143 के स्थान पर अनुच्छेद 138 (2) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को भेज दे। लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार ने यह बात नहीं मानी। मैं यहाँ कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक वर्ग उस ठेस को नहीं भूला है जो उसे मस्जिद के ध्वस्त किये जाने से पहुंची है। वास्तव में, यह भारतीय जनता पार्टी की कारसाजी हो सकती है........*

श्री राम कापसे : महोदय, यह ठीक नहीं हैं ....**(व्यवधान)**

श्री ई० अहमद : मैं पूरे विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो हकीकत का ही जिक्र कर रहा हूं ....**(व्यवधान)**

श्री राम कापसे : महोदय, यह सही नहीं है, वे एक नाम ले रहे हैं।

श्री ई० अहमद : आप खण्डन कर सकते हैं। यही तो हम सब करते हैं .....**(व्यवधान)**

श्री राम कापसे : महोदय यह सही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : **मैं देखूंगा उसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।**

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद : महोदय मैं नहीं जानता हूं कि यह सरकार मुस्लिम समुदाय तथा देश को मस्जिद के पुनर्निर्माण के सम्बंध में दिये गये आश्वासन के सम्बंध में यह निष्क्रियता कर रवैया क्यों अपनाये हुये हैं। सरकार चुपी क्यों साधे हुए है? क्या सरकार यह समझती है कि अल्प संख्यक समुदाय बाबरी मज्जिद की घटना के बारे में भूल जायेगा। नहीं, यह नहीं भूलेगा.....**(व्यवधान)** मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, और सरकार ने नरमी का रवैया अपना लिया है।

लेकिन यह कहते हुए मुझे बड़ा दुःख होता है। कि इस सरकार के हमारे मंत्री भी उन लोगों के साथ जा रहे हैं और उनसे हाथ मिला रहे हैं जिन्होंने मस्जिद ध्वस्त की है। यह कहते हुए मुझे बड़ा दुख है। मैं चाहता हूँ कि इस देश में साम्प्रदायिकता सदभाव कायम रहे। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों समुदायों में कोई मतभेद अथवा तनाव न रहे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में अपनी बात कहिये। आपने बड़ी योग्यता के साथ अपनी बात रखी है। कृपया अब समाप्त कीजिये।

श्री ई० अहमद : महोदय, हां। मैं एक बार फिर सरकार से निवेदन करना हूं कि वह इस मुद्दे पर गहराई से विचार करें कि क्या कम-से-कम उच्च न्यायालय अपने समक्ष मामलों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निपटान के लिए एक विशेष बैंच गठित करने हेतु निवेदन कर सकता है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, धर्म-निरपेक्ष के सिद्धान्त में विश्वास करने वाले करोड़ों लोगों को 6 दिसम्बर को आघात लगा है। इसलिए 6 दिसम्बर के दिन को पूरे देश में काला-दिवस के रूप में माना जाएगा। आज इस देश में कट्टरपन्थी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग, चाहे वे जो भी तबके के हों, जो भी समुदाय के हों और जो भी दल के हों, वे हिन्दुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम नहीं रख सकें। धर्म-निरपेक्षता की शंका की सड़ और जिस तरह से मस्जिद ढहाने का काम उन्होंने किया, इसको ध्यान में रखते हुए इसी सदन में माननीय नेताओं द्वारा कहा गया था कि जो लोग इस कार्यवाही में हिस्सा लिए हैं, उन पर कार्यवाही की जाएगी। यह कितने शर्म की बात है कि आज का दिन निश्चित रूप से काला दिवस के रूप में माना जाएगा। सम्पूर्ण दुनिया में हिन्दुस्तान के सिर को झुकाने का काम उस दिन हुआ था, जिस दिन हमारे सक्यूलर संविधान के ढांचे को ढहाने का काम हुआ था। इसलिए सदन में भारतीय धर्म-निरपेक्ष संविधान को बरकरार रखने के लिए एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए और ऐसे तत्वों की भर्त्सना होनी चाहिए।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (दक्षिण कलकत्ता) : महोदय, हमारा संविधान मुख्यतः धर्मनिरपेक्षता पर निर्भर करता है। मैंने पहले ही यह मुद्दा उठाने का प्रयास किया था और उस समय इन लोगों ने सभा से बहिर्गमन किया था क्योंकि मैंने यह कहा था कि आज का दिन हमारे इतिहास का काला दिन है।

महोदय, 6 दिसम्बर 1992 को क्या हुआ? कोई उस मुद्दे को नहीं भूल सकता है? केवल मस्जिद का ध्वस्त किया जाना बाबरी मस्जिद का ध्वस्त किया जाना ही नहीं था अपितु इससे प्रजातंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता की व्यवस्था ही नष्ट हो गयी थी। मेरा सरकार से निवेदन है कि यह वक्त के तकाजे को समझे। इस घटना के बाद बहुत से लोग साम्प्रदायिक दंगों में मर गये। मुझे मालूम नहीं है कि इन लोगों को कोई राहत मिली है अथवा नहीं। दूसरी बात यह है कि सरकार को यह मामला संविधान के अनुच्छेद 138 (2) के अधीन उच्चतम न्यायालय को भेज देना चाहिए ताकि लोगों को न्याय मिल सके। हमें यह समझना चाहिए कि इस देश के अल्प संख्यकों को हमारे देश के संविधान के अनुसार संरक्षण दिया गया है। यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। यह उनका मौलिक अधिकार है। यदि लोकतांत्रिक अधिकार नष्ट कर दिया जाये तो उनके मौलिक अधिकार भी नष्ट हो जायेंगे। मानव अधिकार हर जगह अन्तंग्रस्त हैं।

इसलिए संसदीय कार्य मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे इस मुद्दे पर जोर दें तथा यह देखें कि सरकार इस मामले को संविधान के अनुच्छेद 138(2) के

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

अधीन उच्चतम न्यायलय को भेज दे ताकि लोगों को न्याय मिल सके। .....(**व्यवधान**) मैं यह जानती हूँ क्योंकि आठ माह पूर्व मैंने प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा था।

अतः महोदय मैं समझती हूँ कि यह दलगत मुद्दा नहीं है और सभा को इसकी निंदा करनी चाहिए हो सकता है कि किसी दल ने यह किया हो अथवा हो सकता है कि किसी व्यक्ति को इस पर गर्व हो।

लेकिन यदि कोई हमारे प्रजातंत्र का ढांचा नष्ट करता है तो देश के लिए यह बहुत अच्छी बात नहीं होगी और इसलिए मैं आपसे अपील करती हूँ कि सभी सदस्यों को इस आशय का एक प्रस्ताव पारित करना चाहिये कि हमें अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए , हमें अपने अल्पसंख्यकों को संरक्षण देना चाहिए और हमें सभी वर्गों के लोगों को वे चाहे धनी लोग हों अथवा वे गरीब लोग हों, संरक्षण देना चाहिए। लेकिन धनी लोग अधिक धनी न हों और गरीब लोग अधिक गरीब न हों। अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों तथा सभी अन्य वर्ग के लोगों को दमन न किया जाये , उन्हें कुचला न जाये तथा उन्हें हताश न किया जाये।

महोदय, मैं समझती हूँ कि संसदीय कार्य मंत्री को आज प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए कि आज का दिन काला दिन है और 6 दिसम्बर 1992 को जो घटना घटी में उस घटना की निन्दा करती हूँ। (**व्यवधान**)

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य: अध्यक्ष महोदय, मैंने सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : आपको यह समझना चाहिए कि आप दोनों हाथों में लड्डू नहीं ले सकती हैं। यदि कल आप आर्थिक स्थिति पर चर्चा करना चाहती हैं तो आज आपके पास समय नही हो सकता है क्योंकि कहीं न कहीं तो मैं सीमा रखूंगा ही। मैंने आपके नेता को बोलने की अनुमति प्रदान कर दी थी। मालिनी जी कृपया सहयोग दें।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह (चितौड़गढ़) : अध्यक्ष जी, मेरा इस पर टिप्पणी करने का कोई विचार नहीं था। जब मैंने अपने मित्रों के विचार सुने, उनका प्रत्युत्तर या किसी रूप की सफाई देने का मेरा विचार नहीं है। मैं सोचता हूं कि मेरे लिए 2-3 बातें कहना आवश्यक हो गया है— चाहे मेरे मित्र मानें या न मानें, यहां जो कुछ कहा गया है वह सिर्फ कहने के लिए कहा गया है, एक तो मैं इसे इस रूप में ले सकता हूँ।.....(**व्यवधान**) जैसे यह कह रहे हैं कि दिल से कहा गया, तब मुझे बहुत चिन्ता होती हैं, मैं उसे बताऊंगा। यदि इतनी सरलता से ऐसे विशेषण इस्तेमाल करे लिये जायेंगे और सरलता से कह दिया जाएगा -

[अनुवाद]

○ राष्ट्रीय अपमान और राष्ट्रीय लागत दोनों छोटे शब्द नहीं हैं .....(**व्यवधान**) यहाँ एक बड़ी विभाजन रेखा हमें विभाजित करती है।

अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय अपमान जो भी है, मैं राष्ट्रीय अपमान इन लोगों से नहीं सीखूंगा बिल्कुल नहीं। इन लोगों से मैं राष्ट्रीय अपमान का अर्थ इनसे नहीं सीखूंगा जो 1962 में राष्ट्र का अपमान हुआ वह इन लोगों को राष्ट्र का अपमान ही नहीं लगता है।.....(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

मुझे बैठ करके सिखाया गया है। माननीय अर्जुन सिंह जी की यहां बैठ करके मुझे सीख दे रहे हैं कि यह तो राष्ट्र का काला नाम हो गया। राष्ट्र जब खंडित हुआ तो आप लोगों के कारण खंडित हुआ। आप लोगों को यह याद नहीं है। .....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष जी, जिस सरलता से राष्ट्रीय ह्यूमिलिएशन एंड राष्ट्रीय शेम को एक कौड़ी के तौर पर इधर-उधर से उछाला जा रहा है, उसे सियासत के लिए जरूर उछालिए लेकिन उसका मूल्य पहचान लीजिए। यह पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता करके जो गाय हैं उसको अपने वोट बटोरने में जब चाहे आप दोह लेना चाहते हैं लेकिन उसमें भी होशियारी रखिए, क्योंकि उस गाय को ज्यादा दोहेंगे तो उसके थनों से दूध नहीं, खून निकलेगा।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : जैसा खून आपके यहां निकल रहा है। .....(**व्यवधान**)

श्री जसवंत सिंह : यह जो खून निकल रहा है वह इसलिए कि आपने सिवाए सियासत करने के, अर्जुन सिंह जी ने सिवाए सियासत करने के कभी भी और किसी विषय को लिया हो तो आप मुझे यहां से निकाल दीजिए। हर विषय को सियासत की बोतल में से उड़ेल कर निकालने की कोशिश की जाती है, जरूर कर लीजिए, लेकिन 6 दिसम्बर को या किसी दिन को ऐसे नेशनल शेम या नेशनल ह्यूमिलिएशन का दिन बनाएंगे तो इस तरह के विधवा विलाप निरन्तर कशाघात से नहीं चलेगा, इस तरीके से नेशनल ह्यूमिलिएशन नहीं होता है, इस तरीके से नेशनल शेम का दिन नहीं होता है, यही मुझे टिप्पणी करनी है। .....(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

2.51 म०प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम तथा खाद्य मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : महोदय मैं, भारतीय खाद्य निगम तथा खाद्य मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8299/95]

औद्योगिक विवाद (संशोधन) अध्यादेश, 1995 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों को बताने वाला एक विवरण

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय चिकित्सा प्रणाली तथा होम्योपैथी विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोबार) : महोदय मैं श्री जी वेंकट स्वामी की ओर से औद्योगिक विवाद (संशोधन) अध्यादेश 1995 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8300/95]

उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कर्मकार तथा स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (वेतन का विनियमन) (दूसरा) अध्यादेश 1995

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय चिकित्सा प्रणाली तथा होम्योपैथी विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोबार) : महोदय, मैं श्री ए०आर०अन्तुले की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बध में राष्ट्रपति द्वारा जारी 18 अक्तूबर, 1995 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213(2)(क) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 25 अगस्त, 1995 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कर्मकार तथा स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (वेतन का विनियमन) (दूसरा) अध्यादेश 1995 (1995 का संख्यांक 35) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8301/95]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन, इत्यादि

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): महोदय मैं, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8302/95]

(2) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8303/95]

(3) कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8304/95]

(4) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8305/95]

(5) मेटालर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8306/95]

पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर, तमिलनाडु के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग-अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, मैं श्री के०पी० सिंह देव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ–

(1) पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर, तमिलनाडु के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर, तमिलनाडु के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8307/95]

कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा, इत्यादि

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० राजशेखर मूर्ति): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल०टी० 8308/95]

(2) (एक) मारमोगांव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मारमोगांव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8309/95]

(3) (एक) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8310/95]

(4) (एक) मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8311/95]

(5) (एक) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8312/95]

(6) (एक) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8313/95]

(7) (एक) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8314/95]

(8) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 1994-95 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8315/95]

(ख) (एक) न्यू मंगलोर पत्तन न्यास के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) न्यू मंगलोर पत्तन न्यास के वर्ष 1994-95 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल०टी० 8316/95]

(ग) (एक) मारमोगांव पत्तन न्यास के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मारमोगांव पत्तन न्यास के वर्ष 1994-95 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8317/95]

(घ) (एक) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1994-95 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8318/95]

(ङ) (एक) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1994-95 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8319/95]

(च) (एक) कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1994-95 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8320/95]

(छ) (एक) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1994-95 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8321/95]

(9) (एक) विशाखापतनम पत्तन न्यास के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) विशाखापतनम पत्तन न्यास के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8322/95]

(10) (एक) कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8323/95]

(11) महापत्तन न्यास अधिनियम 1993 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) सा०का०नि० 339 (अ) जो 10 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मारमोगांव पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन विनियम, 1995 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा०का०नि० 483 (अ) जो 6 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्याय (पेंशन निधि) (संशोधन) विनियम, 1995 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा०का०नि० 422 (अ) जो 26 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1995 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा०का०नि० 550 (अ) जो 17 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा-निवृत्ति) विनियम 1995 का अनुमोदन किया गया है।

(पांच) सा०का०नि० 564 (अ) जो 26 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन कर्मचारी (शैक्षिक सहायता) संशोधन विनियम 1995 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 8324/95]

(12) (एक) डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 5 ङ के अंतर्गत मुम्बई डाक श्रम बोर्ड के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीतिक्षत लेखे।

(दो) मुम्बई डॉक श्रम बोर्ड के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 8325/95]

(14) कांडला डॉक श्रम बोर्ड के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं के शुद्धि-पत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 8326/95]

(15) (एक) नाविक भविष्य निधि संगठन, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नाविक भविष्य निधि संगठन, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नाविक भविष्य निधि संगठन, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 8327/95]

उत्तर प्रदेश स्थानीय, स्वशासन विधि (चौथा संशोधन) अध्यादेश, 1995; नगर भूमि, (अधिकतम सीमा और विनियम संशोधन) नियम, 1995 और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम तथा शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर० के० धवन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:—

(1) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी 18 अक्तूबर, 1995 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 29 सितम्बर 1995 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन विधि (चोथा संशोधन) अध्यादेश 1995 (1995 का संख्यांक 38) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 8328/95]

(2) नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम 1976 की धारा 46 की उपधारा (3) के अंतर्गत नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) संशोधन नियम, 1995, जो 2 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 405 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 8329/95]

(3) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम तथा शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 8330/95]

भारतीय पैट्रोरसायन निगम लिमिटेड, वडोदरा के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा, इत्यादि

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग-अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, मैं श्री एडुआर्डो फैलीरो की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतगत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) भारतीय पैट्रोरसायन निगम लिमिटेड, वडोदरा के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय पैट्रोरसायन निगम लिमिटेड, वड़ोदरा का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 8331/95]

(ख) (एक) मद्रास उर्वरक लिमिटेड के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मद्रास उर्वरक लिमिटेड का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 8332/95]

(2) (एक) कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 8333/95]

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड उद्योग मंडल और उर्वरक विभाग, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष

1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8334/95]

(दो) पाइराइट, फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8335/95]

सेन्ट्रल टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर, जमशेदपुर के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा के बारे में विवरण, इत्यादि

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) सेन्ट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, जमशेदपुर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, जमशेदपुर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8336/95]

(2) (एक) इंडो जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडो जर्मन टूल रूम अहमदाबाद के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8337/95]

(3) (एक) सेन्ट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, भुवनेश्वर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, भुवनेश्वर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8338/95]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) (दूसरा) अध्यादेश 1995

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग- अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय मैं श्रीमती मार्गरेट आल्वा की ओर से निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूँ :—

उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी 18 अक्तूबर 1995 की उद्घोषणा के खण्ड (1) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अनुसरण उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 25 अगस्त 1995 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) (दूसरा) अध्यादेश 1995 (1995 का संख्यांक 32) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8339/95]

आंध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड हैदराबाद के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन, इत्यादि

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) आंध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8340/95]

(ख) (एक) उड़ीसा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उड़ीसा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपयंक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8341/95]

(3) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणिया।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8342/95]

भारतीय इलैक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण और वार्षिक प्रतिवेदन, इत्यादि

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): महोदय,

मैं श्री भुवनेश चतुर्वेदी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (क) की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय इलैक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड हैदराबाद के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारतीय इलैक्ट्रोनिकी निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 8343/95]

(2) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योमेगनेटज्म, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज्यामेगनेटिज्म, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय मे रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 8344/95]

(3) (एक) बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलिमाबोटनी, लखनऊ के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलिमाबोटनी, लखनऊ के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 8345/95]

पेट्रोलियम (संशोधन), नियम 1995 तथा नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय चिकित्सा प्रणाली तथा हैम्योपैथी विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोबार) : महोदय, मैं डा० सी० सिल्वेरा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा 29 की उपधारा (4) के अंतर्गत पेट्रोलियम (संशोधन) नियम, 1995 जो 3 अगस्त, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 577 3 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 8346/95]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 8347/95]

(ख) (एक) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 8348/95]

(ग) (एक) भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 8349/95]

(घ) (एक) इजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इजीनियरिंग प्रोजक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 8350/95]

(ङ) (एक) भारत आफ्थैलिमिक ग्लास लिमिटेड दुर्गापुर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत आफ्थैलिमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 8351/95]

(च) (एक) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 8352/95]

(छ) (एक) साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8353/95]

(ज) (एक) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8354/95]

(झ) (एक) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8355/95]

(ञ) (एक) इन्सट्रूमेनटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इन्सट्रूमेनटेशन लिमिटेड, कोटा का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8356/95]

(ट) (एक) भारतीय राष्ट्रीय बाईसिकल निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय बाईसिकल निगम लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8357/95]

(ठ) (एक) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड उटाकमंड के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8358/95]

(ड) (एक) सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नॉलाजी इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नॉलाजी इंस्टिट्यूट बंगलौर का वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8359/95]

(4) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8360/95]

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8361/95]

(तीन) भारत भारी उद्योग निगम तथा भारी उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8362/95]

(चार) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8363/95]

पावर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन, इत्यादि

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल): महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :-

(1) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) पावर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8364/95]

(ख) (एक) नार्थ इस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नार्थ इस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8365/95]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नार्थ इस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8366/95]

(दो) पावर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के

बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8367/95]

जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र बंगलौर के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा, इत्यादि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय चिकित्सा प्रणाली तथा होम्योपैथी-विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8368/95]

(2) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, वड़ोदरा के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, वडोदरा के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8369/95]

(3) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, वड़ोदरा के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, चंढीगढ़ के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8370/95]

(4) (एक) ग्रामीण और औद्योगिक विकास अनुसंधान केन्द्र, चंढ़ीगढ़ के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ग्रामीण और औद्योगिक विकास अनुसंधान केन्द्र, चंढीगढ़ के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8371/95]

(5) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, तमिलनाडु के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, तमिलनाडु के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सम्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8372/95]

(6) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, गुवाहटी के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, गुवाहटी के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8373/95]

(7) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8374/95]

(8) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पटना के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पटना के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8375/95]

(9) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पुणे के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पुणे के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8376/95]

(10) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, तिरूअनंतपुरम के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, तिरूअनंतपुरम के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8377/95]

(11) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, विशाखापतनम के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, विशाखापतनम के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8378/95]

(12) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, कर्नाटकके वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, कर्नाटक के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 8379/95]

(13) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 8380/95]

(14) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) हास्पिटल सर्विसिस कन्सलटेन्सी कारपोरेशन (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार की समीक्षा।

(दो) हास्पिटल सर्विसिस कन्सलटेन्सी कारपोरेशन (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 8381/95]

(15) (एक) अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल०टी० 8382/95]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, इत्यादि के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा और पत्रों को सभा पटल पर रखने में कुछ विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण, इत्यादि

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी०पटेल): महोदय मैं कुमारी शैलजा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :-

(1) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 8383/95]

(2) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1961 की धारा 3 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (1) और (2) में उल्लिखित पत्रों की सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 8384/95]

(4) (एक) सालार जंग म्यूजियम बोर्ड हैदराबाद के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

(दो) सालार जंग म्यूजियम बोर्ड हैदराबाद के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सालार जंग म्यूजियम बोर्ड हैदराबाद के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 8385/95]

(6) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखते हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल०टी० 8386/95]

(8) इंडियन काउन्सिल आफ फिलाम्फिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(9) उपर्युक्त(8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 8387/95]

राजस्थान राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा, इत्यादि

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) राजस्थान डेरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राजस्थान डेरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 8388/95]

(ख) (एक) राजस्थान डेरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राजस्थान डेरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8389/95]

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

2.52 म०प०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देना चाहता हूँ :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के प्रावधानों के अनुरूप मुझे औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1995, जो कि राज्य सभा द्वारा 5 दिसम्बर, 1995 को हुई उसकी बैठक में पारित किया गया था, कि एक प्रति संलग्न करने का निर्देश हुआ है।"

2.25 ¼ म०प०

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथापारित

महासचिव : महोदय, मैं 5 दिसम्बर, 1995 को राज्य सभा द्वारा को यथापारित औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1995 को सभा पटल पर रखता हूँ।

2.52 ½ म०प०

लोक लेखा समिति

एक सौ दसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1993-94 के लिए संघ सरकार के विनियोग लेखों के संबंध में लोक लेखा समिति (दसवीं लोक सभा) का एक सौ दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

2.53 म०प०

[अनुवाद]

कार्य मंत्रणा समिति

छप्पनवां प्रतिवेदन

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति के छप्पनवें प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता हूँ।

2.53 ½ म०प०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

2.54 म०प०

श्रम और कल्याण संबंधी समिति

अठारहवां और उन्नीसवां प्रतिवेदन

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स (मैसूर) : महोदय, मैं (एक) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) विधेयक 1995, तथा (दो) शिक्षु (संशोधन) विधेयक, 1995 के बारे में श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के अठारहवें और उन्नीसवें प्रतिवेदन तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करती हूँ।

2.54 ½ म०प०

पेट्रोलियम और रसासन संबंधी स्थायी समिति

बीसवां प्रतिवेदन

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : महोदय मैं, "पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण" के बारे में समिति (दसवीं लोक सभा) के छठें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति का बीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

2.55 म०प०

गृह कार्य संबंधी समिति

पच्चीसवां प्रतिवेदन

श्री राम सिंह (हरिद्वार) : महोदय मैं, दंड विधि (दूसरा संशोधन), विधेयक 1995 के संबंध में गृह कार्य संबंधी समिति के पच्चीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

2.55 ½ म०प०

परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति

उन्नीसवां प्रतिवेदन

श्री० के० मुरलीधरन (कालीकट) : महोदय मैं, "डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) (महापत्तनों को लागू न होना) विधेयक 1995" के बारे में परिवहन और पर्यटन संबंधी समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

2.56 म०प०

परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति

साक्ष्य

श्री के० मुरलीधरन (कालीकट) : महोदय, मैं "डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) (महापत्तनों को लागू न होना) विधेयक 1995" के बारे में परिवहन और पर्यटन संबंधी समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्यों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

2.56 ½ म०प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

बोस्निया-हर्जेगोविना में शांति के लिए सामान्य रूपरेखा संबंधी करार

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया): महोदय, मैं, श्री प्रणव मुखर्जी की ओर से निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूँ।

भारत की सरकार बोस्निया एवं हर्जेगोविना, क्रोशिया तथा युगोस्लाविया संघीय गणराज्य (सर्बिया व मान्टीनीगरों) के राष्ट्रपतियों के बीच डेटन (ओहापो) अमरीका में 21 नवम्बर, 1995 को सम्पन्न किए गए बोस्निया एवं हर्जेगोविना में शांति के लिए सामान्य रूप रेखा से सम्बद्ध करार का स्वागत करती है।

भारत की सरकार ने इस बात पर गौर किया है कि इस करार में सभी सम्बद्ध पक्षों से एक-दूसरे की प्रभुता सम्पन्न समानता, का पूरी तरह सम्मान करने, झगड़ों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटान करने तथा बोस्निया एवं हर्जेगोविना अथवा किसी अन्य राज्य की प्रादेशिक अखण्डता और राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई न करने का आह्वान किया है। यह भारत सरकार द्वारा निरन्तर अपनाई गई स्थिति के अनुरूप है। बातचीत के जरिये किया गया एक ऐसा राजनीतिक समाधान ही बोस्निया एवं हर्जेगोविना तथा भूतपूर्व युगोस्लाविया के अन्य भागों में चल रहे संघर्ष का स्थायी समाधान हो सकता है जो न्यायोचित, न्यायसंगत तथा सभी सम्बद्ध पक्षों को स्वीकार्य हो। इस सन्दर्भ में भारत की सरकार इस बात पर संतोष व्यक्त करती है कि बातचीत की लम्बी तथा जटिल प्रक्रिया के परिणामस्वरूप सभी सम्बद्ध पक्षों ने भूतपूर्व युगोस्लाविया में शांति के लिए एक समान मंच स्वीकार कर लिया है।

भारत की सरकार युगोस्लाविया संघीय गणराज्य के विरुद्ध प्रतिबंध हटाने के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णय का स्वागत करती है। सरकार आशा करती है कि इस क्षेत्र के साथ सामान्य व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्ध पुनः स्थापित होंगे।

भारत की सरकार आशा करती है कि इस करार से इस क्षेत्र के इतिहास का यह दुःखद अध्याय समाप्त होगा और सभी सम्बद्ध पक्षों से अनुरोध करती है कि इस क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए इस करार के क्रियान्वन के लिए पूरा प्रयास करें और पूरा-पूरा सहयोग दें।

2.58 म०प०

समितियों के लिए निर्वाचन

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): मैं श्री बलराम जाखड़ की ओर से प्रस्ताव करता हूँ :-

> "कि नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4(4) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4 (4) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2.58 ½ म०प०

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०राजशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :-

> "कि राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड नियम 1963 के नियम 4 (झ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्ययीन, राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, अपने में से सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

> "कि राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड नियम 1963 के नियम 4 (झ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, अपने में से सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2.59 ½ म०प०

मानसिक अवरुद्धता और प्रमस्तिष्क अंगघात ग्रस्त व्यक्ति कल्याण राष्ट्रीय न्यास विधेयक*

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०वी० तंग्का बालू) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मानसिक अवरूद्धता और प्रमतिष्क अंगघात ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक न्यास का गठन करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मानसिक अवरूद्धता और प्रमतिष्क अंगघात ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक न्यास का गठन करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के०वी० तंग्काबालू : महोदय, मैं विधेयक** पुरःस्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : क्या अब सभा नियम 377 के अधीन मामलों को ले सकती है अथवा इनको कल के लिये स्थगित कर दिया जाए।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : इस मामले को कल लिया जा सकता है। आज अध्यादेशों को लिया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष जी, आज ही ले लीजिये।

3.00 म०प०

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। जल्दी कीजिये परन्तु, सभा अध्यादेशों को पारित करे बिना आज विसर्जित नहीं होगी।

3.0¼ म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) **उड़ीसा के बरहामपुर में निम्न शक्ति वाले टी०वी० ट्रान्समीटर को उच्च शक्ति वाले टी०वी० ट्रांसमीटर में बदलने की आवश्यकता**

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर) : मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामले को उठाना चाहता हूँ।

इस समय उड़ीसा के गंजाम जिले के प्रगतिशील वाणिज्यिक शहर बरहामपुर में एक कम शक्ति का टी०वी० ट्रान्समीटर है नजदीक की पहाड़ियों के कारण कम शक्ति वाले टी०वी० ट्रान्समीटर का प्रसारण प्रभाव क्षेत्र अत्यन्त सीमित है। इसी प्रकार से नए गजपति जिले में परलखमुंडी के कम शक्ति वाले टी०वी० ट्रान्समीटर का प्रसारण प्रभाव क्षेत्र भी काफी सीमित है।

इसीलिये, मैं भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय से अनुरोध करना चाहता हूं कि बरहामपुर के कम शक्ति वाले टी०वी० ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति वाले टी०वी० ट्रांसमीटर में बदल दिया जाए और परलखमुंडी के कम शक्ति वाले टी०वी० ट्रांसमीटर की प्राथमिकता को बढ़ाने के लिए उसको निर्धारित स्थान से हटाकर किसी अधिक उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाए।

(दो) **महाराष्ट्र के चन्द्रपुर में बाई पास सड़क पर स्थित रेलवे क्रासिंग पर ऊपरि पुल के निर्माण की आवश्यकता**

श्री शांताराम पोतदुखे (चन्द्रपुर) : महाराष्ट्र में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित चन्द्रपुर जिला मुख्यालय एक प्रमुख औद्योगिक केन्द्र है। यहाँ पर कई औद्योगिक इकाइयाँ और लगभग 150 कोयला खानें स्थापित की गई है। इसके कारण बाईपास रोड के द्वारा बड़ी संख्या में ट्रक इन इकाइयों के सामान को देश के अन्य भागों में पहुंचाते हैं।

दिल्ली-मद्रास प्रमुख रेलमार्ग पर चन्द्रपुर मध्य रेलवे का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। इसकी दूरी दिल्ली से लगभग 1293 किलोमीटर है और नागपुर के दक्षिण में यह नागपुर से 198 किलोमीटर दूर है। मालगाडियों के अलावा चन्द्रपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 52 गाड़ियां ओर गुजरती है। चन्द्रपुर में चर्च सिविल लाइन के पास बाई पास रोड़ पर एक रेलवे क्रासिंग है। जहाँ पर प्रत्येक 10 मिनट के पश्चात यह फाटक बंद कर दिया जाता है। इसके कारण इस सड़क पर यातायात रुक जाता है और सड़क के अन्य उपयोगकर्त्ताओं को काफी परेशानी होती है। अत्यधिक यातायात होने की वजह से इस रेलवे क्रासिंग पर उपरि पुल का निमाण अत्यधिक आवश्यक है।

इसलिए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि महाराष्ट्र में चन्द्रपुर में सिविल लाइन के बाई पास रोड़ पर महाराष्ट्र की राज्य सरकार की भागीदारी में एक ऊपरि पुल के निर्माण किये जाने के प्रस्ताव की जाँच की जाए और विचार किया जाए।

(तीन) **मध्य प्रदेश, जबलपुर में हवाई अड्डे का कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता**

श्री श्रवण कुमार पटेल (जबलपुर) : जबलपुर, मध्य प्रदेश का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण शहर है। जबलपुर में कई विश्वविद्यालय हैं और मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय भी वहीं पर है। वहाँ पर केन्द्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण और राज्य बिजली बोर्ड भी है। जिसे राज्य के पुनर्गठन के समय राज्य की नई राजधानी के रूप में विकसित किए जाने वाले शहरों में से भी एक मानकर विचार किया जा रहा था, परन्तु बाद में इस शहर की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। संगमरमर की चट्टानों और अन्य पर्यटक आकर्षण जिसमें वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल हैं, होने के बावजूद भी वहाँ पर एक उपयुक्त हवाई अड्डा अभी तक नहीं बनाया गया है।

सरकार ने दो वर्ष पूर्व जबलपुर में सर्वसुविधा सम्पन्न एक हवाई अड्डे की परियोजना को अक्तूबर, 1995 तक पूरा करने का आश्वासन दिया था। परन्तु, दो वर्ष बीत जाने के बावजूद भी इस परियोजना का कार्य अब तक आरम्भ नहीं हुआ है।

इसलिये, मैं संघ सरकार से अनुरोध करता हूँ कि बिना विलम्ब परियोजना का कार्य आरम्भ कर दिया जाए।

(चार) **वस्त्र उद्योग के लिए मूल्य संवर्धित कर प्रणाली शुरू किए जाने के प्रस्ताव को वापस लिए जाने की आवश्यकता**

श्री काशीराम राणा (सूरत) : महोदय, देश का पूरा कपड़ा उद्योग संकट

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड 2, दिनांक 6-12-95 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की अनुमति से पुरःस्थापित किया गया।

के दौर से गुजर रहा है। कुल कर्मचारियों में से 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। कपड़ा उद्योग की वर्तमान स्थिति की सुधारने के बजाए सरकार में इस उद्योग के ऊपर मॉडवेट प्रणाली को लागू करने जा रही है। कपड़ा उद्योग की छोटी और बड़ी इकाइयों के मालिक महसूस करते हैं कि अगर मॉडवेट प्रणाली लागू कर दी जाती है तो कपड़ा उद्योग खत्म हो जायेगा।

इसलिये, मैं संघ सरकार से निम्नलिखित कार्यवाही तत्काल करने का अनुरोध करना चाहता हूं :

कपड़ा उद्योग के ऊपर मॉडवेट प्रणाली को लागू नहीं करना चाहिए।

पालिस्टर फिलामेंट यार्न और नायलौन फिलामेंट यार्न पर लगाये जाने वाले सीमा शुल्क को 45 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया जाए। अतिरिक्त उत्पादन शुल्क को कपड़े से हटाकर यार्न पर लगाना चाहिये।

वर्ष 1995-96 के बजट में सरकार ने पालिस्टर फिलामेंट यार्न पर 10.35 रुपये प्रति किलोग्राम और टैक्सराइज यार्न पर 5.75 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायतों की घोषणा की थी। परन्तु बुनकरों, कपड़ा बनाने वालों ने, अब तक इन रियायतों का लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुचाया है। बजट में दी गई इन रियायतों के लाभ को वास्तविक उपभोक्ताओं तक पहुँचाना चाहिए।

पी. ओ. वाई. टैक्सराइज यार्न ओर पालिस्टर चिप्स के निर्यात को प्रतिबंधित सूचि में शामिल कर दिया जाए।

(पांच) **रामपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर बाईपास सड़क का निर्माण किए जाने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (रामपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने गत चार वर्षों मे राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर बाई पास बनाये जाने के लिए इस सदन में और सीमित की बैठकों में उठा चुका हूं लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 पर स्थित रामपुर-मुरादाबाद-हापुड़ प्रमुख नगर हैं जहां पर भारी यातायात को देखते हुये बाई पास बनाने के लिए स्थान सुनिश्चित हो चुका है लेकिन भूतल परिवहन मंत्रालय का ध्यान लोकसभा में अनेकों बार आकर्षित करने के बावजूद ये बाई पास नहीं बने हैं और न ही सरकार ने इनके बारे में कोई निर्णय ही लिया है। इन बाई-पास के न बनने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी ट्रैफिक रहता है और कई बार ट्रैफिक जॉम भी रहता है। इस प्रकार जो मार्ग 3 घंटे में तय किया जा सकता है, उसे पूरा करने में 6-7 घंटे लग जाते हैं। कई बार दुर्घटनायें भी हो जाती हैं। ईंधन भी ज्यादा खर्च होता है परिणामस्वरूप वायु प्रदुषण भी बढ़ जाता है।

यह ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कार्य केन्द्रीय सरकार के अधीन होता है और आज के युग में बढ़ते हुए ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुये एक्सप्रेस हाईवेज का निर्माण किया जा रहा है तो रामपुर-मुरादाबाद-हापुड़ के लिए भी एक एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण आवश्यक है।

मेरा माननीय भूतल परिवहन मंत्री से निवेदन है कि इन सब समस्याओं के समाधान के लिये शीघ्रातिशीघ्र राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 के लिये रामपुर-मुरादाबाद-हापुड़ पर बाई पास बनाये जायें ताकि जनसाधारण को होने वाली असुविधा को दूर किया जा सके।

(छह) **असम में विभिन्न नदियों द्वारा, विशेष रूप से बारपेटा में किए जा रहे भूमि क्षरण को रोकने के लिये राज्य सरकार को अधिक धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता**

[अनुवाद]

श्री उद्धव बर्मन (बारपेटा) : - असम के बारपेटा निर्वाचन क्षेत्र में भू-संरक्षण की समस्या एक बड़ी चिंता का विषय रहा है। प्रत्येक वर्ष बेन्की, आई, मनाह, पहुमारा और कलदिया नदियों द्वारा भूमि का कटाव होता है तथा ब्रह्मपुत्र नदी बड़े पैमाने पर भूमि का कटाव करती है। इसके कारण हर साल अत्यधिक संख्या में लोग अधिकांशतः कृषक बेघरबार हो जाते हैं और अत्यंत गरीब हो जाते हैं। असम राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की लगभग 34 प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। प्रत्येक वर्ष भूमि के कटाव के कारण कृषि योग्य भूमि बर्बाद हो जाती है और इसके कारण कृषि क्षेत्र के उत्पादों में भी कमी आई है।

पूरे राज्य में विशेषतः बारपेटा निर्वाचन क्षेत्र में भूमि के कटाव के कारण बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ है, संघ सरकार को भू-संरक्षण की समस्या को सुलझाने के लिये राज्य सरकार की सहायता करनी चाहिए।

मैं संघ सरकार से अनुरोध करता हूँ कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की इस समस्या को सुलझाने के लिये अधिक धन आवंटित किया जाए और तकनीकी सहायता प्रदान की जाए।

(सात) **बागान मालिकों को शारीरिक संरक्षण प्रदान किये जाने के लिए बागान श्रम और बागान श्रम प्रशासन अधिनियम, 1951 में संशोधन किये जाने की आवश्यकता**

श्री राजागोपाल नायडू रामासामी (पेरियाकुलम) : इलायची बागानों में लगे बागान श्रमिकों का कल्याण वर्तमान में बागान श्रम और बागान श्रम प्रशासन अधिनियम 1951 के अंतर्गत आता है। इसमें बागानों के पंजीकरण कल्याण अवकाश, श्रमिकों के नियोजन की अवधि तथा सीमाए तथा दुर्घटनाओं का प्रावधान है।

तमिलनाडु में, विशेषकर पेरियाकुलम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कुमबम, बांदी बायकन्नुर, थेनी चिल्लामनुर और पेरियाकुलम क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बागान मालिक हैं जिनके केरल जो इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं में बड़े-बड़े बागान हैं। केवल केरल में ही 68000 हेक्टेयर भूमि में इलायची की खेती होती हैं।

हाल ही में, बागान मालिकों के अस्वाभाविक मौतों में वृद्धि हुई है जो कि एक बहुत ही गंभीर मामला है। इसलिए, मैं माननीय श्रम मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि केन्द्रीय कानून में उपयुक्त संशोधन कर बागान मालिकों को शारीरिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

3.09 म०प०

निक्षेपागार अध्यादेश 1995 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

और

*निक्षेपागार विधेयक--जारी

अध्यक्ष महोदय : सभा अब 1 दिसम्बर 1995 को श्री राम नाईक द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प तथा निक्षेपागार विधेयक पर आगे चर्चा करेगा। श्री निर्मल

कान्ति चटर्जी अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि मैं अपना वक्तव्य कल ही समाप्त करने वाला था।

महोदय, उस दिन आप यहां नहीं थे। हम लोग इस बात से एकमत थे कि यह एक मूल विधेयक है। और इसलिए इसे स्थायी समिति को सौंपा जाना चाहिए था। यह सरकार से अनुरोध नहीं है वास्तव में अध्यक्षपीठ से यह अनुरोध है कि ऐसा किया जाना चाहिए।

अब, यह प्रश्न उठाया गया कि यह एक साधारण विधेयक है और इस पर समय व्यर्थ नहीं किया जाना चाहिए। इसे स्थायी समिति को सुपुर्द किए जाने के पीछे मात्र यही उद्देश्य था कि विधेयक के प्रारूप में अनेक सुधार किए जाने थे जो स्थायी समिति कर सकती थी तथा समझौता किया जा सकता था। मैं यहाँ कुछ सुधारों का उल्लेख करता हूँ जिसके तहत इसे उल्लिखित समय सीमा के अंतर्गत स्थायी समिति के सुपुर्द करने का मामला सुदृढ़ हो सकता है तथा इस सत्र के दौरान ही हम ऐसा कर सकते हैं। उदाहरणार्थ मैं विधेयक के पृष्ठ 4 में खण्ड 12(1) का उल्लेख करता हूँ यह इस प्रकार है :—

> "कोई हिताधिकारी स्वामी निक्षेपागार के पूर्व अनुमोदन से ऐसी किसी प्रतिभूमि की बाबत, जो किसी निक्षेपागार के माध्यम से उसके स्वामित्व में है, गिरवी या आहमान का सृजन कर सकेगा।"

3.11 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं, 'स्वीकृत' शब्द पर आपत्ति करता हूँ। आप कृपया लघु निवेशकों की दशा के बारे में सोचिए। यदि उन्हें स्वीकृति का इंतजार करना पड़े तो उन्हें परेशान किया जा सकता है। मैं उस शब्द को 'स्वीकृति' के लिए सूचना शब्द से प्रतिस्थापित करता हूँ। यदि यह थोड़ा सा सुधार किया जाना जरूरी था तो भी इसे स्थायी समिति में चर्चा के दौरान शामिल किया जा सकता था।

एक दूसरा मुद्दा यह है कि गलत प्रविष्टि के मामले में आप किस तरह के दंड का प्रावधान करने जा रहे हैं। विनियमों में उसका उपबंध किया जाएगा। ठीक है कि इसका प्रावधान विनियमों में किया जा सकता है, परन्तु इस का उपबंध अधिनियम में भी तो किया जा सकता हैं। यदि आपका कहना है कि इस संबंध में प्रावधान विनियमों में किया जाएगा तथा इन विनियमों को सभा पटल पर रख दिया जाएगा, तब ऐसी स्थिति में, मैं यह स्पष्ट आश्वासन चाहता हूँ कि इन विनियमों पर सभा में चर्चा की जाएगी। विनियमों को सभा पटल पर रखने के लिए 30 दिन के समय का प्रावधान किया गया है। मैं चाहूंगा कि इस अवधि के दौरान इन पर चर्चा हो जानी चाहिए।

अब मैं खंड 13 के उपखंड (2) का उल्लेख करूंगा। यह निम्न प्रकार है:-

> " प्रत्येक निर्गमकर्त्ता, ऐसे निक्षेपागार द्वारा धारित प्रतिभूतियों की बाबत सुसंगत अभिलेखों की प्रतिया निक्षेपागार को उपलब्ध कराएगा।"

मैं केवल यह सुझाव दूंगा कि इसके लिए किसी समय-सीमा का प्रावधान होना चाहिए। मैं ये शब्द जोड़ना चाहूंगा : "ये अभिलेख विनियमों में उपबंधित नियत समय सीमा के अंदर उपलब्ध कराए जाएंगे।" ये कुछ संशोधन हैं जिन्हें आसानी से स्वीकार कर लेते परंतु अब वे इन्हें स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं। यदि इसे स्थायी समिति को सौंपा गया होता तो ये संशोधन शामिल किए जा चुके होते।

अब मैं तीसरी बात पर आता हूँ। खंड 14 का उपखंड (2) इस प्रकार है:

> "निक्षेपागार, उपधारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर अपने अभिलेखों में समुचित प्रविष्टियां करेगा और निर्गमकर्त्ता को उसकी जानकारी देगा।"

माल लो कि वह इसमें एक साल का समय ले ले तो क्या होगा ? इसमें भी समय सीमा होनी चाहिए। आप कहेंगे कि अधिनियम में ऐसा प्रावधान नहीं है। इस अधिनियम में ही यह प्रावधान है। एक मामले में 30 दिन की समय सीमा का प्रावधान किया गया है। अतः यहां भी ऐसा किया जा सकता है।

विनियमों से एक अन्य कठिनाई भी है। मैं उसका भी उल्लेख करूंगा। ये ही कुछ मुद्दे हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। खंड 16(1) इस प्रकार है:

> "तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निक्षेपागार या सहभागी की उपेक्षा के कारण हिताधिकारी स्वामी को कारित किसी हानि की क्षतिपूर्ति निक्षेपागार ऐसे हिताधिकारी स्वामी को करेगा।"

यहां भी मैं ये शब्द जोड़ना चाहूंगा, "जैसा कि विनियमों में प्रावधान किया गया है।" विनियमों में इन चीजों के लिए प्रावधान है। मैं ज्यादा विस्तार में न जाते हुए केवल एक अथवा दो बातें और बताना चाहूंगा।

अध्याय 6 प्रकीर्ण का खंड 22(1) इस प्रकार है:—

> "कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम का इसके अधीन बनाए गए किन्ही विनियमों का उपविधियों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान, बोर्ड द्वारा किए गए परिवाद के सिवाय नहीं करेगा।"

अब हिताधिकारी स्वामी का क्या होगा ? हिताधिकारी स्वामी न्यायालय में क्यों नहीं जा सकता ? यह प्रावधान क्यों किया गया है ? यदि निक्षेपागार हिताधिकारी अर्थात शेयर मालिक से दुर्व्यवहार करें तो क्या होगा ? इसमें कंपनी निर्गमकर्त्ता है, निक्षेपागार निक्षेपागार है, दलालों के एजेंट तथा हिताधिकारी स्वामी, जिनके शेयर निक्षेपागार में रखे जा रहे हैं, सहभागी हैं। तब उसे अनुमति क्यों नहीं दी गई है? अतः मैं चाहूंगा कि बोर्ड द्वारा तथा हिताधिकारी स्वामी द्वारा किए गए परिवाद के सिवाय नहीं करेगा जोडा जाए। मैं इस पर ज्यादा ब्यौरे में नहीं कहना चाहता परंतु बोर्ड के उपनियमों की पूर्व अनुमति का प्रावधान ठीक ही किया गया है। शुरू के हिस्से के संबंध में मुझे सुझाव देना चाहिए परंतु मैं नहीं चाहता। इस कारण मैंने समय-सीमा देने के बारे में कहा था। खंड 26(2) में उपबंध है:

> "(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी उपविधियों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा:
>
> (क) निक्षेपागार में प्रतिभूतियों के ग्रहण और हटाए जाने के लिए पात्रता के मानदंड....."

इन सब बातों का उपबंध किया गया है। ग्रहण आदि की शर्तें दी गई हैं। इनमें भी यह उल्लेख है कि समय सीमा का नियतन विनियमों में किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि मैं गलत नहीं हूँ। इसी कारण मैं चाहता हूँ कि विभिन्न तरह की कार्यवाहियों के लिए यहां वहां समय सीमा का उपबंध होना चाहिए जैसा कि वे विनियमों में भी उपबंध करेंगे तथा उन उपनियमों में भी इसका उल्लेख होना चाहिए जिन्हें वे स्वीकृत करने वाले हैं। वैसे हमने जिक्र कर भी दिया है फिर भी दोहरा देता हूँ कि इस मुद्दे के विषय मे कहीं भी प्रावधान नहीं है। जिन निक्षेपागारों अर्थात कंपनियों के नाम निर्गमकत्ताओं का पास पंजीकृत होते हैं, क्या वे आपस में उसकी खरीद फरोख्त कर सकते हैं। यह एक खुला प्रश्न है। क्या कोई निक्षेपागार

हिताधिकारी मालिक भी हो सकता है। कोई इस बात को नहीं जानता है। इस प्रकार से अनियमितता तथा चालबाजी की गुंजाइश बनी रहती है जिससे बचना चाहिये और इन सभी पर विचार किया जाना चाहिए।

यदि हम गलती करते हैं तो अधिकारी हमें हमारी गलतियां बता सकते थे, यदि हम ठीक बात कहते हैं तो मेरी राय में अधिकारी को उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए था। इसलिए हम इस बात का आग्रह कर रहे हैं कि इसे स्थाई समिति को भेज दिया जाना चाहिए था।

हमने इस बात का भी उल्लेख किया था कि इन्हें केन्द्रीयकृत लेखा परीक्षण के लिए बिल्कुल भी नहीं भेजा जाता है। इस संबंध में यह कहा जाता है कि विनियमों का उपबंध करना होगा। जैसाकि हम बैंकिंग क्षेत्र में आग्रह कर रहे हैं वैसा ही आग्रह हम इसके लिए भी कर रहे हैं कि निक्षेपागार के लेखों की जांच की जानी चाहिए। उसका संबंध हिताधिकारी मालिक तथा उस कंपनी से होता है जिसे खासतौर से इस मामले में निर्गमकर्त्ता कहा जाता है और यदि केन्द्रीयकृत लेखा परीक्षण की व्यवस्था नहीं होती है तो कोई भी यह पता नहीं लगा सकता कि उनको कठिनाइयां क्या थीं और कंपनी अर्थात निक्षेपागार के लेखा परीक्षक को निर्गमकर्त्ता के खातों की जांच करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अतः हम लेखा परीक्षण के प्रश्न के संबंध में भी यह आग्रह कर रहे हैं कि इस पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए तथा गहराई से विचार किया जाना चाहिए और यदि इसे स्थाई समिति को भेज दिया जाता है तो इस पर भलीभांति विचार किया जा सकता था।

3.18 म०प०

[श्री पी०सी० चाक्को पीठासीन हुये]

चूंकि मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ इसलिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। अतः मैं फिर स्पष्ट करता हूँ कि जिन कारणों का मैंने उस दिन जिक्र किया तथा जो कारण मैंने आज बताये हैं उनके कारण हम निक्षेपागार विधेयक के सिद्धांतों का विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि निक्षेपागार को इन क्षेत्रों के लिए मांग की गई थी क्योंकि इस समय विदेशी वित्तीय संस्थाएं सुझाव दे रही थीं तथा सरकार की स्थिति का सामना करना पड़ रहा था और सरकारी क्षेत्र के शेयरों को अपनी बिक्री की स्थिति का सामना करना पड रहा था और सरकारी क्षेत्र के शेयरों का अपनी बिक्री में भी कंपनियों को कठिनाई हो रही थी। जैसा कि आप जानते हैं और यह रिकार्ड में भी है। बजट में घाटे को पूरा करने के लिए शेयरों को बेचकर बाजार में 7000 करोड़ रुपये जुटाने पड़े और फिर भी उन्हें ऐसा करने में सफलता नहीं मिली। जितने भी शेयर बेचे गए बाजार में उनके प्रति कोई खास उत्साह लक्षित नहीं किया गया। अतः बाजार में प्रोत्साहन के संचार के लिए यही जरूरी था जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। चाहे इससे यह सब न हो पाये फिर भी इसे एक बाधा समझा गया और निक्षेपागार लाया गया। अतः अध्यादेश पारित हुआ और मैं नहीं समझता कि इसके पक्ष में दिए गए तर्क ठोस हैं। इसके साथ ही साथ मैं इस बात से सहमत हूँ कि निक्षेपागार का प्रावधान समुचित उपाय है जो शेयर बाजार के कार्यकरण को काफी हद तक सुचारू बनाते हैं क्योंकि कुछ सीमा तक शेयर बाजार में सटोरियों का प्रभुत्व होता है।

श्री राम कापसे (ठाणे) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। किंतु मैं यह बात भी कहना चाहता हूँ कि अन्य वक्ताओं द्वारा यहां दिये गये सुझाव तथा उनके द्वारा उठाई गई आपत्तियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अध्यादेश को प्रख्यापित करना बिल्कुल अनावश्यक था। इस विधेयक को लाने का विचार वित्त मंत्रालय का कई वर्षों से था, ऐसी बात नहीं थी कि कोई आकस्मिकता उठी हो। इसलिए अध्यादेश प्रख्यापित किया गया। कई वर्षों से सरकार इस विधेयक को लाने के बारे में सोच रही थी। यहां तक कि संयुक्त संसदीय समिति ने भी सुझाव दिया था कि जहां तक शेयर धारकों के हितों का संबंध है कुछ किये जाने की आवश्यकता है। कम से कम विगत दो वर्षों से वित्त मंत्रालय इस विधेयक को लाने की सोच रहा है। यदि मूल रूप से एक व्यापक विधेयक इस सभा में लाया जाता और इसे स्थायी समिति को सौंपा जाता तो वह इस विधेयक, शेयरधारकों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के हित में होता, आज भी मैं अन्य वक्ताओं और श्री निर्मल कान्ति चटर्जी द्वारा की गई मांग का समर्थन करता हूँ कि इस विधेयक को स्थायी समिति को सौंपा जाना चाहिए, एक सप्ताह की अवधि के भीतर स्थायी समिति अपने प्रस्ताव दे सकती थी तथा विधेयक के उपबंध शेयरधारकों की अधिक मदद कर सकते थे। मंत्री जी को यह सुझाव मान लेना चाहिए तथा यह विधेयक के लिए भी अच्छा होगा।

महोदय, इस विधेयक को बहुत पहले लाया जाना चाहिए था। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ तथा इस विधेयक में जो भी अच्छे खंड हैं उनसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा शेयर धारकों को लाभ पहुंचेगा।

पूंजी बाजार को मुक्त करने के परिणामस्वरूप कार्य बढ़ा तथा पुरानी निपटान तथा अंतरण प्रणाली शेयरधारकों की मांग को पूरा नहीं कर सकती है। इसलिए यह उपयुक्त है कि निक्षेपी प्रणाली शुरू की जाये। व्यापार और निपटान प्रणाली में परिवर्तन करना अपरिहार्य हो गया है। इसलिए यह निक्षेपी प्रणाली जो अन्य देशों में भी चालू है आवश्यक है तथा यह अच्छा है कि इस प्रणाली को आरम्भ किया जा रहा है। इसलिए वास्तव में इस विधेयक को प्रख्यापित करने तथा इस विधेयक को लाने में पहले ही विलम्ब हो गया है तथा अब हमें इसे जल्दी पारित करना चाहिए। शेयर धारकों द्वारा शेयर प्राप्त करने में अत्यधिक विलम्ब की शिकायतें थीं। अब इस विधेयक के उपबंधों के लागू होने से यह समस्या हल हो जायेगी। शेयरधारकों की शिकायत थी कि शेयर प्रमाणपत्रों को उनके नाम पर अंतरित नहीं किया जा रहा है इस प्रकार हमें निपटान का काफी जोखिम है, यह विधेयक ऐसे जोखिमों पर भी नजर रखेगा। इसलिए इसके बाद शेयरधारकों को यह लाभ मिल जायेगा। तथापि निगमित क्षेत्र से कुछ विरोध भी किया गया था।

किंतु इस विधेयक के खंड 22 (क) में अंतर्विष्ट सुझाव में कहा गया है कि प्रतिभूति संविदा (विनिमयन) अधिनियम में संशोधन किया जायेगा तथा कंपनी प्रबंधन की मनमानी करने की शक्ति को समाप्त किया जायेगा। ये अच्छे व साहसिक सुझाव हैं तथा स्वागत योग्य हैं। ये शेयरधारकों के लिए लाभदायक हैं। फिर इसके अन्य लाभ हैं। यह विधेयक खराब डिलिवरी की समस्या समाप्त करने में भी सहायक होगा, निवेशकों की हानि चोरी और शेयरों की धोखाधड़ी के जोखिम में कमी का लाभ भी मिलेगा। मामलों का जल्दी से निपटारा भी एक स्वागतयोग्य कदम है, इससे लागत में कमी होगी और उत्पादकता में वृद्धि होगी। इसके परिणामस्वरूप पारदर्शिता होगी– जो सभी वित्तीय मामलों में होनी चाहिए तथा जिसमे भी बहुत मदद मिलेगी, साथ ही स्टाक उधार, मार्जिन पर व्यवसाय, तथा ऋणाधार जैसी कई अपेक्षित प्रथायें प्रारम्भ की जायेंगी।

नई प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस अधिनियम में अन्य कानूनों में भी समुचित संशोधन किये गए हैं इस प्रकार शेयरधारकों द्वारा शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण पर भी रोक लग सकती है। यह भी लाभप्रद होगा। किंतु कुछ अन्य प्रश्न हैं, मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी उन्हें विस्तृत रूप से स्पष्ट करें। क्या आप एक निक्षेपागार या बहु निक्षेपागार चाहते हैं ? यही वास्तविक मुद्दा है क्योंकि अधिनियम

में बहु निक्षेपागार का उपबंध है।

यह अच्छा है कि इसके कारण प्रतिस्पर्धा हो पाएगी। शुल्कों में कमी होगी। वह फायदेमंद साबित होगा। किंतु यदि कोई बहुदेशीय निक्षेपागार होगा तो समस्यायें उत्पन्न होगी। निक्षेपागार उस भार को संभालने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए मिलान की समस्या पैदा होगी। अनेक निक्षेपागार होने के कारण कम्पनियां इस पर नजर रखने में सक्षम नहीं होगी, फिर निवेशक कराधान से बचने के लिए विभिन्न निक्षेपागारों का प्रयोग कर सकता है इसलिए संचालन नियमों को बनाते समय सरकार या 'सेबी' को इन समस्याओं का समाधान करना होगा तथा इन समस्याओं पर ध्यान देकर नियम बनाने होंगे।

'सेबी' का विचार एक केन्द्रीय निक्षेपागार बनाने का है। वह अन्तर-निक्षेपागार व्यापार के समाशोधन को निश्चित रूप से आसान बना देगा। किंतु यह अंतर बैंक समाशोधन प्रणाली में भारतीय स्टेट बैंक की भांति कार्य करेगा। यह भी लाभकारी होगा।

जहाँ तक इस विधेयक के पृष्ठ 12, पैरा 13 का संबंध है उसके बारे में एक और प्रश्न है। यह हिताधिकारी स्वामी के रजिस्टर और अनुक्रमणिका तथा डिबेंचर धारक के बारे में हैं। उसमें उल्लेख किया गया है कि धारा 152 के पश्चात निम्नलिखित धारा अन्तः स्थापित की जाएगी , अर्थातः—

> "152क. निक्षेपागार अधिनियम, 1995 की धारा 11 के अधीन किसी निक्षपेागार द्वारा बनाया गया हिताधिकारी स्वामियों का रजिस्टर और अनुक्रमणिका इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, सदस्यों की कोई अनुक्रमणिका और डिबेंचर धारकों का रजिस्टर और अनुक्रमणिका मानी जाएगी।"

मैं जानना चाहता हूं कि यह रजिस्टर निक्षेपागार के पास रखा जायेगा या कम्पनी के पास।

सभापति महोदय : कल्पनाथ राय, मंत्री जी उनका भाषण सुन रहे हैं।

श्री राम कापसे : एक समस्या उत्पन्न होगी क्योंकि आप सोचते हैं कि कम्पनी के सदस्यों का कोई भी रजिस्टर या अनुक्रमणिका नहीं होगी। यह निक्षेपागार के पास अलग होगी तथा कम्पनी के पास अलग होगी। आपने परिकल्पना की है कि शेयरधारक को निक्षेपागार या बाहर शेयर रखने का अधिकार है। वह उनको बाहर या निक्षेपागार के पास रख सकता है। इसलिए किसके रजिस्टर को लिया जायेगा? कम्पनी के या निक्षेपागार के? अतः जहाँ तक धारा 152 क का संबंध है आपको इसे स्पष्ट करना होगा, आप इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे ? ऐसी छोटी समस्याओं के लिए यदि इस विधेयक की स्थायी समिति को सौंपा जाये और 'सेबी' की मदद से इसका गहन अध्ययन किया जाय तो यह शेयरधारकों के हित में होगा। इसलिए मैं इसे प्रवर समिति को भेजने का पुनः सुझाव देता हूँ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसका जवाब पीठासीन अधिकारी को देना है।

श्री राम कापसे : उन्हें मामले का निर्णय करना होगा। हम इस विधेयक को पारित करने में विलम्ब करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यह विधेयक इसी सत्र में पारित हो। किंतु साथ ही इसका गहन अध्ययन किया जाना चाहिए। अतः यह सुझाव दिया गया है मंत्री महोदय को इस पहल का समर्थन करना चाहिए।

श्री राजागोपाल नायडू रामासामी (पेरियाकुलम) : महोदय, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कड़गम की ओर से निक्षेपागार विधेयक, 1995 पर बोलने की अनुमति का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ।

महोदय, मैं प्रारम्भ में ऐसे गंभीर तथा महत्वपूर्ण विषय पर अध्यादेश जारी किये जाने पर अपना विरोध व्यक्त करना चाहता हूँ जबकि सरकार सत्र शुरू होने तक इंतजार कर सकती थी। वास्तव में मुझे समझ नहीं आता कि इसमें इतनी अत्यावश्यकता की कौन सी बात थी और अध्यादेश जारी करके सरकार ने कान सा लाभकारी प्रयोजन सिद्ध किया। सरकार को इस सम्माननीय सभा के समक्ष यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसने अध्यादेश जारी करना ही क्यों उचित समझा। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि यह विधेयक समुचित स्थायी समिति के पास भेजे जाने योग्य है। यह बात सत्य है कि संयुक्त ससदीय समिति ने इस तरह की व्यवस्था की सिफारिश की थी लेकिन केवल स्थाई समिति के पास ही इतना समय होगा कि वह संयुक्त संसदीय समिति कि सिफारिशों को विधायी प्रभाव देने के ब्यौरे पर विचार करे।

इस विधेयक का सीधा उद्देश्य प्रतिभूतियों तथा शेयरों को अभौतिक करना है। प्रत्यक्ष तथा इलेक्ट्रोनिक रिकार्ड में इश्यु का रखरखाय, अन्तरण तथा शेयरों तथा प्रतिभूतियों का लेन-देन करना है। इस बात से हर व्यक्ति सहमत है कि भौतिक रूप में शेयरों को धारण करना तथा उसी रूप में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को उनका अन्तरण करना जटिल प्रक्रियाएं हैं। लेकिन क्या "सेबी" के अधीन निक्षेपागार तथा उनके एजेंट इस समस्या का समाधान हो सकते हैं ? मेरे विचार से ऐसी प्रतिभूति का लेन देन करने वाले ऐसी संस्थाओं के प्रसार से न केवल संभ्रम की स्थिति पैदा होगी अपितु इससे घोटाले भी हो सकते हैं। जब नये निकाय स्थापित किये जाते हैं तो उन पर निगरानी रखने के लिए एक निगरानी व्यवस्था विकसित करनी पड़ती है। इस सभा को स्मरण होगा कि "सेबी" तथा वित्त मंत्रालय की मार्फत सरकार द्वारा नियंत्रण और निगरानी की सर्वोत्तम व्यवस्था के बावजूद मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज में रिलायंस के डुप्लीकेट शेयरों की स्थिति का परिहार नहीं किया जा सका।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि इस प्रयोजन के लिए निक्षेपागार को लाने की क्या आवश्यकता है। शेयर प्रमाणपत्रों को अभौतिक करने तथा उनके अंतरण को सुगम बनाने का प्रयोजन इश्यु जारी करने वाली कम्पनियों को निक्षेपागारों के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करके भी प्राप्त किया जा सकता था ताकि कम्पनी और निवेश कर्त्ताओं के बीच से बिचौलियों के दो बड़े वर्गों अर्थात प्रस्तावित निक्षेपागारों तथा उनके एजेण्टों को हटाया जा सके। इसके अतिरिक्त कम्पनियों को निक्षेपागारों के प्रस्तावित कृत्यों के निष्पादन की शक्ति प्रदान किये जाने में पूंजी निवेश त्रुटिरहित सूचना की व्यवस्था तो सुनिश्चित होगी ही, इससे पूंजी निवेशकों में आत्म विश्वास की भावना इस प्राणाली की विश्वसनीयता कायम की जा सकेगी।

हमारे निवेश बाजार को अभी ऐसी परिपक्वता प्राप्त करनी है जिससे निक्षेपागार फर्मों का कार्यकरण घोटालों से मुक्त रहे। जल्दी ही एक घोटाले के बाद दूसरा घोटाला निवेश बाजार को आघात पहुँचा सकता है जिससे निवेश को भारी नुकसान हो सकता है और उनकी आशाएं चकनाचूर हो सकती हैं। इसका सर्वोत्तम तरीका जो अब हम सोच सकते हैं वह यह है कि हम डाकघर अथवा बैंक पासबुक की तरह की व्यवस्था कर लें जिनमें निवेशक के कोड नम्बर के सामने प्रविष्टियां होती हैं, खरीद के मामले में शेयरों की संख्या तथा मूल्य से संबंधित सूचना दर्ज की जाती है तथा उस अंतरण के मामले में वे प्रविष्टियां काट दी जाती हैं जिसका लेन देन, विशेषतः सभी निवेश कोड नम्बर धारकों के पक्ष में जारी किये गये अधिकृत चैकों की मार्फत किया गया हो।

ये चैक संबंधित जारी करने वाली कंपनियों को डाक द्वारा भेजे जाने चाहिए ताकि वे अपने रिकार्ड ठीक कर सकें और यह कार्य वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया

जाना चाहिए।

सार्वजनिक विश्वसनीयता बड़ी महत्वपूर्ण होती है तथा सभी विधायी उपायों का लक्ष्य अन्य लक्ष्यों के अलावा विश्वसनीयता पैदा करने का होना चाहिए। विधेयक से प्रतीत होता है कि जब सरकार पहले ही बड़े घोटाले में फंसी हुई है तथा रिलायंस के डुप्लीकेट शेयरों जैसे घोटाले हो रहे हैं जिन्हें सरकार गंभीरतापूर्वक नहीं ले रही है तो ये निजी निक्षेपागार फर्में इस सम्बंध में महत्वपूर्ण कार्य करेंगी। निवेशकों के पास धन तो है लेकिन उनके पास इस विषय से सम्बंधित पर्याप्त शिक्षा नहीं है कि किन संभव तरीकों से कानून की त्रुटियों का लाभ उठा कर उन्हें ठगा जा सकता है। अतः कम से कम लोक हित के मद्दे नजर इस विधेयक को जल्दी में पारित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि स्थायी समिति को सौंप दिया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवी प्रसाद पाल) : महोदय, मैं सांविधिक संकल्प तथा विधेयक, जिन्हें यहां चर्चा करने के लिए पुरःस्थापित किया गया है के बारे में बोलूंगा।

मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूँ जिन्होंने इस विधेयक पर चर्चा में भाग लिया, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का इस बात के लिए भी आभारी हूँ कि उन्होंने इस विधेयक को पुरः स्थापित करने की महत्ता और आवश्यकता को स्वीकार किया तथा इस बात पर बल दिया।

महोदय, आपको याद होगा कि नई आर्थिक नीति के परिणामस्वरूप पूंजी बाजार के विकास और वृद्धि की गति में तेजी आई है। वर्तमान में सात हजार पांच सौ कम्पनियों सूचीबद्ध हैं तथा प्रतिभूति संव्यवहार में 9 करोड़ से अधिक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस समय शेयर बाजार में 1,94,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि का निवेश किया गया है। मुम्बई शेयर बाजार में 1990-91 में 30 करोड़ रुपये का दैनिक कारोबार अब बढ़कर 400 करोड़ रुपये हो गया है। इस तेजी के कारण यह महसूस किया जा रहा है कि यदि कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत शेयरों के अन्तरण की औपचारिकतायें तथा प्रक्रियायें पूरी की जाती हैं तो यह काफी समय लेता है, साथ ही जब तक लेन-देन का तेजी से निपटान नहीं किया जाता तब तक हेर-फेर और धोखाधड़ी का भी खतरा बना रहता है। जिस कारण संस्थागत निवेशक काफी चिंतित थे। इस बात की महत्ता को समझते हुए सरकार ने 20 सितम्बर 1995 को यह अध्यादेश जारी किया क्योंकि संसद का सत्र दिसम्बर में आरम्भ होना था। इसलिए सरकार ने अध्यादेश के रूप में तुरंत विधायी उपबंध करने की आवश्यकता महसूस की तथा जब यह मामला भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा गया तो वे भी इस अध्यादेश को तुरंत जारी करने की आवश्यकता के बारे में संतुष्ट थे।

सभी माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया और मैं उन सभी के प्रति आभारी हूँ कि पूंजी बाजार जिन समस्याओं का सामना कर रहा था उनके समाधान के लिए इस कार्य को तेजी से करने की आवश्यकता थी। अब कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि इस विधेयक को स्थायी समिति को सौंपा जाना चाहिए। इस बात का निर्णय माननीय अध्यक्ष महोदय और आप सभी को करना है। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ कि श्री निर्मल कान्ति चटर्जी द्वारा उठाये गए कुछ मुद्दों को छोड़कर सभी माननीय सदस्यों द्वारा उठायी गई बातों का उपबंध इस विधेयक में किया गया है। श्री चटर्जी के मुद्दों के बारे में मैं बाद में बोलूंगा।

निक्षेपागार विधेयक को पुरःस्थापित करने का प्रयोजन क्या है ? निक्षेपागार सेबी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किये जायेंगे। श्री चटर्जी और अन्य माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया कि निक्षेपागार भी हिताधिकारी हो सकता है। अतः टकराव की संभावनायें हो सकती हैं। मैं आदरपूर्वक माननीय सदस्यों का ध्यान "निक्षेपागार" की परिभाषा की ओर दिलाना चाहता हूँ। निक्षेपागार एक ऐसी कम्पनी है जो कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित है तथा सेबी अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत है। कोई भी निक्षेपागार कभी भी हिताधिकारी स्वामी नहीं हो सकता है। यद्यपि शेयर निक्षेपागार के नाम पर पंजीकृत होंगे तथापि, निवेशक ही हिताधिकारी स्वामी है। जिसका नाम निक्षेपागार के कागजों में दर्ज है तथा उन्हें ही सभी आर्थिक अधिकार हैं तथा मतदान के अधिकार प्राप्त होंगे।

इस दृष्टि से विशेष उपबंध किया गया है ताकि निक्षेपागार इस प्रकार के अधिकारों का उपयोग नहीं करने पाए। हिताधिकारी स्वामी को ही इन अधिकारों के प्रयोग का अधिकार होगा तथा वही मतदान का अधिकारी होगा। इसलिए कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई आंशका गलत है तथा उन्होंने विधेयक के उपबंधों को ठीक से नहीं पढ़ा है।

कुछ माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया कि विधेयक में पूंजी की पर्याप्तता के बारे में मानदंडों के लिए कोई उपबंध नहीं है। मैं मात्र यह कहना चाहता हूँ कि जिन विनियमों को बनाया गया है उनमें इस बात का उपबंध भी है कि यदि किसी निक्षेपागार को पंजीकृत किया जाना हो तो उसके पास कम से कम 100 करोड़ रुपये की पूंजी होनी चाहिए।

अतः यह बात ठीक नहीं है कि पूंजी के लिए पर्याप्त नियमों का कोई प्रावधान नहीं है।

मुख्य शिकायत अथवा आशंका जो कुछेक माननीय सदस्यों ने की है वह इस प्रणाली के अंतर्गत निवेशकों को सरक्षण के बारे में है। मैं उनको यह बता दूं कि विधेयक में ही उन विनियमनों के अलावा जो स्वयं अधिनियम के अधीन निक्षेपागार द्वारा बोर्ड अर्थात् सेबी की पूर्वानुमति से बनाये जायेंगे, सरक्षण का प्रावधान है।

अब यदि निक्षेपागार उस विधेयक क अंतर्गत पंजीकृत है जो अधिनियम बनता हो तो यह लेन-देन तभी शुरू कर सकता है बशर्ते की कोई अनुमति दे दे और अनुच्छेद इसे अच्छी तरह से स्पष्ट कर दे कि ऐसी अनुमति बोर्ड द्वारा तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि बोर्ड इस बात से संतुष्ट न हो जाये कि निक्षेपागार द्वारा बनाये गये विनियम हेराफेरी अथवा जालसाजी के खिलाफ काफी सुरक्षा प्रदान करते हैं। अतः यदि बोर्ड की संतुष्टि नहीं होती है और हेरा-फेरी अथवा जालसाजी के खिलाफ विनियमों में पर्याप्त बचाव के उपायों को प्रावधान नहीं है तो व्यापार शुरू करने के प्रमाणपत्र नहीं दिये जायेंगे।

दूसरी बात यह है कि विधेयक का खण्ड 26, बोर्ड अर्थात् सेबी की अनुमति से निक्षेपागार को विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है और एक विशिष्ट खंड यह है कि अब विनियमों में ऐसी हेराफेरी अथवा जालसाजी के खिलाफ सुरक्षा के उपायों के पर्याप्त प्रावधान है। और इस विधेयक के अंतर्गत बोर्ड को यह शक्ति दी गई है कि यदि बोर्ड संतुष्ट नहीं है तो वह निक्षेपागार को समुचित निर्देश दे सकता है कि विनियमों में प्रतिभूतियों की हेराफेरी और जालसाजी के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षोपायों का प्रावधान किया जाए। यदि ऐसे निर्देश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो निक्षेपागार के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है तथा ऐसे निक्षेपागार के विरुद्ध पर्याप्त कदम उठाये जा सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि खण्ड 16 भी इस बात को स्पष्ट कर देता है कि यदि निवेशक को निक्षेपागार अथवा हिस्सेदार की लापरवाही अथवा किसी अनुचित कार्यवाही के कारण कोई नुकसान होता है तो उस मामले में निक्षेपागार निवेशक की क्षतिपूर्ति करेगा। जब भी विधौलिए अर्थात्

वह व्यक्ति जो निवेशकों के शेयरों का रिकार्ड रखता है की लापरवाही से कोई घाटा होता है तो भी निक्षेपागार निवेशक को क्षतिपूर्ति करेगा लेकिन वह इस घाटे को हिस्सेदार से वसूल कर सकता है।

अतः किसी ऐसे जोखिम अथवा किसी घाटे से जो निक्षेपागार अथवा हिस्सेदार के आचरण के कारण निवेशक को होता है बचने के पर्याप्त सुरक्षा उपाय किये गये हैं।

एक अन्य आलोचना अथवा टिप्पणी यह की गई है अर्थात् निवेशकों के नाम कंपनी के खातों में नहीं आयेंगे। जिन माननीय सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया है उनको पूर्ण सम्मान देते हुए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे विधेयक के विशेष प्रावधान को पढ़ लें। निसंदेह निक्षेपागार कम्पनी की किताबों में पंजीकृत मालिक हैं। निक्षेपागार के खातों में दर्ज ऐसे सभी निवेशकों के नाम, जिन्होंने निवेशक के रूप में अपने नाम दर्ज कराए हैं निर्गम करने वाली कम्पनी और कम्पनी के प्रस्तावों को प्रेषित किए जाने होते हैं। निवेशकों के नाम इसी प्रकार से रिकार्ड किए जाएंगे। यदि निवेशक द्वारा शेयरों का अन्तरण या उनका हस्तान्तरण किया जाता है तो ऐसे मामलों में भी यह हस्तान्तरण न केवल निक्षेपागाार की पुस्तकों में दर्ज किया जाएगा, बल्कि इसे निर्गम करने वाली कम्पनी को प्रेषित किया जायेगा। कम्पनी अंतरित व्यक्ति के नामों में आवश्यक संशोधन/सुधार करेगी। इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि समय-समय पर आवश्यक सूचना कम्पनी को दी जाए ताकि जो भी अन्तरण या हस्तानतरण किए जाते हैं, इन्हें तत्काल प्रेषित किया जाए और निर्गम करने वाली कम्पनी को समय-समय पर होने वाले ऐसे परिवर्तनों और ट्रांसफरों की सूचना दी जाए। अतः मैं नहीं समझता कि शेयरधारकों का निवेशकों के अधिकारों की पर्याप्त सुरक्षा नहीं की गई है। इस विधेयक में अंतरित व्यक्तियों निवेशकों को यह विकल्प दिया गया है कि वह कम्पनी से स्वयं अपने शेयर प्राप्त कर सकता है या निक्षेपागार की पुस्तकों में अपना नाम दर्ज करा सकता है। अतः अगर शेयरधारक या निवेशक, पहले वाले तरीके अर्थात स्वयं कम्पनी से शेयरों को प्राप्त करने का तरीका अपनाता है तो, यह उसकी सुविधा पर निर्भर करता है। अगर निवेशक नई प्रणाली, यानि निक्षेपागार के खातों में अपना नाम दर्ज कराना चाहता है तो उसके पास यह विकल्प भी विद्यमान है।

इसके अलावा, एक टिप्पणी की गई है कि दोहरापन और जटिलता होगी। मेरे विचार से कोई जटिलता नहीं होगी। उदाहरण के लिए यदि कोई निवेशक ने जारी करने वाली कम्पनी से शेयरों को वास्तव में अदायगी प्राप्त कर ली है और यदि वह नये तरीके को अपनाना चाहता है तो उसे उक्त कम्पनी की जानकारी देनी होगी और उसका नाम शेयरधारकों के रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उसका नाम निक्षेपागार के रजिस्टरों में तुरत रिकार्ड किया जायेगा और निक्षेपागार ऐसी जानकारी जारी करने वाली कम्पनी को अग्रेषित करेगा और निक्षेपागार के लेखाओं में उसका नाम समुचित रूप से रिकार्ड किया जायेगा। जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है उसमें कोई कठिनाई नहीं है।

इसके अलावा, बोर्ड को निक्षेपागार को अनुमोदन के साथ नियम बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं और नियमों को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। आधुनिक प्रशासनिक विधि में यह एक सुस्थापित सिद्धान्त है कि सरकार के तथा विधानमंण्डल के लिए विधायी उपबंधों में अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए सभी ब्यौरा देना संभव नहीं है और इसीलिए, केवल इस देश में ही नहीं बल्कि विश्वभर में प्रशासकीय विधि का विकास हुआ है। एकमात्र सुरक्षोपाय यह है कि इन नियमों को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ताकि संसद नियम बनाने वाली सत्ता द्वारा बनाये गये नियमों पर कड़ी निगरानी, कड़ी सतर्कता रखे।

निक्षेपागार द्वारा बनाये जाने वाले नियम 'सेबी' की स्वीकृति के साथ होंगे। अन्य अर्थों में, अर्थात 'सेबी' जो सर्वोच्च निकाय है, का उन नियमों पर पूरा नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण होगा जो निक्षेपागार द्वारा बनाये जाने हैं। अतः इसका पूरा सुरक्षोपाय है।

यह टिप्पणी की गई है कि कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, मुझे यह कहना चाहिए कि एक विशेष कार्य-व्यापार में, एक विशेष प्रक्रिया में क्या कोई समय सीमा निर्धारित की जाती है अथवा ऐसी समय सीमा का विशेष रूप से निर्धारित प्रावधान किया जाता है,उसका नियम बनाने वाले प्राधिकरण द्वारा नियम बनाते समय तथा उन विनियमों के द्वारा, जो निक्षेपागार द्वारा 'सेबी' के पूरी स्वीकृति से बनाये जायेंगे, समुचित ध्यान रखा जायेगा।

अतः यह ब्यौरा नियम या उस नियम बनाने वाले अधिकारियों द्वारा तैयार किया जाना होता है और आधुनिक विधान प्रणाली में यह प्रक्रिया है जहां यह सभी विस्तृत ब्यौरा नियम बनाने वाले अधिकारियों पर छोड़ा जाता है।

वास्तव में, निक्षेपागार विधेयक से प्रक्रिया में सरलता आई है। यदि शेयरों को वास्तविक अदायगी लेनी है तो इसमें एक लम्बा समय लगेगा। सदैव एक समय अंतराल होता है जिससे हेराफेरी की गुंजाइश रहती है, जिसे इस सरलीकृत प्रक्रिया द्वारा आसानी से दूर किया जा सकता है क्योंकि यदि निक्षेपागार उसके नाम को लाभ प्राप्त करने वाले स्वामी के रूप में रिकार्ड करता है, तो उसे कोई टिकट-शुल्क प्रदान नहीं करना पड़ेगा। यदि वह इस प्रक्रिया को नहीं अपनाना चाहता है और वास्तविक अदायगी लेना चाहता है, तो केवल तभी उसे इस तरह के अंतरण पर टिकट शुल्क देना होगा।

इस विधेयक में माननीय सदस्यों द्वारा की गई सभी टिप्पणियों का ध्यान रखा गया है और मैं सम्मानपूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि इस मामले को स्थायी समिति के पास भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सही है कि हम अध्यादेश आपातकालीन स्थिति के कारण लाये थे और वह स्थिति इसलिए उत्पन्न हो रही थी क्योंकि पूंजी बाजार सौदों में अधिकता से प्रभावित हो रहा था और संस्थाएं भी इन अंतरणों में विलम्ब होने से कठिनाइयां अनुभव कर रहीं थीं। अतः मैं इस माननीय सभा को यह बताना चाहता हूँ कि यह विधेयक वास्तव में समय पर किया गया उपाय है जिसका उद्देश्य पूंजी बाजार के कार्यव्यापार को सरल करना तथा पूंजी बाजार में लेन देन के विकास के लिए संवर्द्धक तथा प्रोत्साहक के रूप में कार्य करना है। यह आवश्यकता लम्बे समय ये महसूस की जा रही थी जिसको अब इस वर्तमान विधेयक द्वारा पूरा किया गया है। अतः मैं सम्मानपूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि इस माननीय सभा द्वारा यह विधेयक पारित किया जाना चाहिए तथा इस मामले को स्थायी समिति के पास भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद, महोदय।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : धन्यवाद, सभापित महोदय। मैं सभा का अधिक समय नही लूंगा। सभी माननीय सदस्य मंत्री जी को छोड़कर, जो इस विषय में बोले वे पांच थे– उन्होंने इस अध्यादेश को जारी करने के तरीके की आलोचना की है। सत्ता पक्ष से भी इस के पक्ष में कोई नहीं बोला। केवल मंत्री जी को कुछ कहना था। लेकिन मंत्री जी ने इस अध्यादेश को जारी करने की तत्कालीकता को नहीं बताया है।

डा० देवी प्रसाद पाल : मैंने इसके बारे में बताया है।

श्री राम नाईक : आप यह महसूस करते हैं कि आपने यह कह कर कि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट थे कि अध्यादेश जारी किया जाना चाहिए, आप ने ऐसा कर दिया है। आपने आपने वक्तव्य तथा अपने उत्तर में भी यह कहा है। लेकिन इसकी तत्कालीन आवश्यकता नहीं बताई गई है।

माननीय मंत्री ने कहा है कि पूंजी बाजार स्थिर नहीं था और उसके कारण अध्यादेश नहीं लाया गया था। लेकिन उसे यह भी स्पष्ट करना चाहिए था कि अब पूंजी बाजार में क्या हो रहा है। शेयरों में गिरावट क्यों हो रही है ? उसका कारण क्या है.....**(व्यवधान)**

डा० देवी प्रसाद पाल : मैंने यह कभी नहीं कहा है कि पूंजी बाजार स्थिर नहीं था। मैंने वह भाषा प्रयोग नहीं की है। कृपया उपयुक्त ढंग से उद्धृत कीजिए।

श्री राम नाईक : मैं वहीं उद्धृत कर रहा हूँ जो आपने कहा है। प्रश्न यह है कि मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज में अब क्या हो रहा है। आप ने यह कहा है कि इससे बाजार में तो स्थिरता आयेगी। मैंने विशेषरूप से यह कहा था कि शेयरों के मूल्य कम हो रहे हैं और लगभग अव्यवस्था की स्थिति हो गई है। मैंने आपसे यह भी स्पष्ट करने के लिए अनुरोध किया था कि रिलायंस द्वारा क्या किया जा रहा है और मुम्बई स्टॉक एक्सचैंज में क्या हो रहा है, इसके संबंध में माननीय मत्री द्वारा एक भी शब्द नहीं कहा गया है। दूसरा मुद्दा जो मैंने उठाया था, और जिसके बारे में मेरे अन्य साथियों ने भी पूछा है वह यह है कि आपने अध्यादेश जारी करने के पश्चात क्या किया है। अध्यादेश 20 सितम्बर को जारी किया गया था। तीन महीने बीत गये हैं। क्या कार्यवाही की गई है ? क्या अभी तक कोई निक्षेपागार स्थापित किया गया है? क्या किसी ने इसके लिए आवेदन किया है। क्या किसी को लाइसेंस स्वीकृत किया गया है?

पिछले तीन माह में क्या प्रगति हुई है? यदि पिछले तीन माह में कोई प्रगति नहीं हुई है, तो यह अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता क्या थी? अतः आपने अध्यादेश जारी करने के पश्चात विगत तीन माह में सरकार द्वारा किए गये कार्य के बारे में कुछ भी इंगित नहीं किया है।

नियम कहां हैं? नियम भी अभी तक सभा में प्रस्तुत नहीं किए गये हैं? आपने नियम नहीं बनाये? क्या आपने नियम बनाये हैं? यदि आपने नियम नहीं बनाये हैं और ये परिचालित नहीं किए गये हैं, तो आपने विगत तीन माह में क्या किया है? उसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। उसको स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः इससे पता लगता है कि आप कार्य करने और शेयर धारकों को उचित सुरक्षा प्रदान करने के प्रति गंभीर नहीं हैं।

माननीय सदस्य, श्री अमल दत्त ने विशेष रूप से यह मुद्दा उठाया है कि आप हेराफेरी को कैसे दूर करेंगे। आपने केवल यह कहा है कि इसके बाद कोई हेराफेरी नहीं होगी। आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे ? उसके लिए क्या नियम हैं? इसके बारे में और कुछ भी नहीं कहा गया है। उसे भी स्पष्ट किया जाना चाहिए था। क्योंकि आपने नियम नहीं बनाये हैं, आपको कुछ नहीं कहना है। आपने ऐसा क्यों किया? यहीं एकमात्र प्रश्न फिर रहता है?

मैं बीमा के बारे में उल्लेख करना चाहता हूँ। माननीय मंत्री ने यह कहा है कि क्षतिपूर्ति होगी। क्षतिपूर्ति कौन करेगा? बीमा कहाँ हैं? मेरे विचार से क्षतिपूर्ति तथा बीमा पूर्णतया दो भिन्न कार्य हैं। बीमा के लिए क्या उपबंध है? केवल यह कहने से कि वे क्षतिपूर्ति करेंगे , यह अर्थ नहीं है कि अधिकार के रूप में वे वही धनराशि प्राप्त करेंगे जो उन्हें प्राप्त होनी चाहिए। माननीय मंत्री द्वारा उसे भी स्पष्ट नहीं किया गया है।

सभापति महोदय, उसके उत्तर में कुछ भी नहीं है। यहां तक कि माननीय मंत्री ने यह भी नहीं कहा कि अध्यादेश के विरुद्ध सांविधिक संकल्प को वापस लिया जाना चाहिए। उसने इतनी विनम्रता भी नहीं दिखाई। वह इतनी जल्दी में है कि यहां तक साधारण संसदीय विचारधाराओं को भी भुला दिया गया है।

चूंकि विगत तीन माह में कार्य नहीं किया गया है, इसलिए मैं अपने सांविधिक संकल्प पर आग्रह करता हूँ। वे अब खड़े होकर इसे वापस लेने का अनुरोध कर सकते हैं। मैं नहीं जानता कि वे उसके लिए अनुरोध करते हैं अथवा नहीं। लेकिन मुझे उनके अनुरोध की प्रत्याशा चाहिए और यह कहता हूँ कि मैं अपने सकंल्प पर अडिग हूं और मैं इसे वापस नहीं लूंगा। अब सभा इस बारे में निर्णय करेगी कि क्या करना चाहिए।

सभापति महोदय : मुझे आशा है कि माननीय मंत्री श्री राम नाईक से सांविधिक संकल्प वापस लेने का अनुरोध करेंगे।

डा० देवी प्रसाद पाल : महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री राम नाईक से यह अनुरोध करता हूँ कि वे अपना सांविधिक संकल्प वापस लें।

सभापति महोदय : श्री राम नाईक, मंत्रीजी ने अब अनुरोध कर दिया है। शायद उनको अंत में इसका पता लगा है।

श्री राम नाईक : इसीलिए मैंने कहा था, कि वे जल्दी कर रहे हैं। उस जल्दी में उन्होंने यह नहीं किया। अन्ततः कोई कार्य कभी न होने से देर से होना अच्छा होता है। आखिर अब उन्होंने संसदीय शिष्टाचार को निभाया है। अतः सभा की अनुमति से, मैं अपना सांविधिक संकल्प वापस लेता हूँ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह बहुत सरल है। हम सभापति महोदय से यह जानना चाहते हैं कि इसे स्थायी समिति को क्यों नहीं भेजा जा रहा है?

सभापति महोदय : वास्तव में, श्री निर्मल कान्ति चटर्जी को यह जानना चाहिए कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी विधेयकों को स्थायी समिति के पास भेजा जाये। विधेयक की पुरःस्थापना अथवा पारित किए जाने के विरुद्ध दिए गये सभी तर्कों का भी मंत्रीजी ने उत्तर दिया है। मेरा यह विचार है कि अब हम विधेयक को पारित करने को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, सभी विधेयक स्थायी समिति को नहीं भेजे जाते। लेकिन यह कुछ विशेष है।

सभापति महोदय : आपने व्यवस्था का यह प्रश्न अथवा यह आपत्ति विधेयक पर चर्चा प्रारम्भ करने से पूर्व उठानी चाहिए थी। अतः व्यवस्था का यह प्रश्न अब संगत नहीं है।

श्री राम नाईक : महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ।

सभापति महोदय : श्री निर्मल कान्ति चटर्जी आप स्वयं इस विधेयक पर बोले थे। आपने वाद-विवाद में भाग लिया था। मेरे विचार से इसे अब उठाना सही नहीं है।

श्री राम नाईक : महोदय, आपके निदेश पूरा करने से पूर्व में यह कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी द्वारा इस विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने से पूर्व इस प्रश्न को उठाया गया था। मैं पहले अध्यादेश पर, अर्थात अपने संकल्प पर बोला था। उस समय यह प्रश्न उठाया गया था और उसके पश्चात मंत्री जी ने विधेयक को पुरःस्थापित किया है। स्वाभाविक रूप से, हमने यह प्रश्न उठाया था कि इसे स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए था। उस दृष्टिकोण से, यदि सरकार स्थायी समिति की सहायता नहीं लेनी चाहती, तो वे जो चाहे कर सकते हैं।

सभापति महोदय : श्री राम नाईक जी, विधेयक के गुण-दोष से अधिक, वाद-विवाद में भाग लेने वाले अधिकांश सदस्य इस बात की औचित्यता पर बोल रहे थे।

4.00 म०प०

श्री राम नाईक : मेरे पास नोट्स हैं। सभी ने यह कहा है।

सभापति महोदय : आप भी आखरी समय पर आये थे। आपने शायद मंत्री जी के भाषण सहित कई भाषणों को नहीं सुना। माननीय मंत्री द्वारा उठाये गये सभी प्रश्नों को मंत्री जी द्वारा संतोषजनक ढंग से स्पष्ट किया गया है।

श्री राम कापसे : सभापति महोदय, मैंने मंत्री जी से इस विधेयक को स्थायी समिति को भेजने की मांग का समर्थन करने का अनुरोध किया था और मैंने विशेषरूप से यह कहा था कि यह कार्य एक माह के भीतर किया जा सकता है, क्योंकि हम सभी विधेयक की धारा से सहमत हैं। शायद वे भी इसका समर्थन करें।

सभापति महोदय : कापसजी, यह अब तकनीकी प्रश्न नहीं है। क्योंकि हमने इस मुद्दे पर चर्चा की है। कोई उचित प्रश्न नहीं उठाये जा रहे हैं यह निदेश है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं आपके निदेश को समझता हूँ।

सभापति महोदय : यदि आप निदेश को समझते हैं तो इस प्रश्न पर और आगे चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं केवल यह कह रहा हूँ कि इस उत्तर में सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये गये हैं।

सभापति महोदय : यह आपका मत है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह मत का प्रश्न नहीं है। यह तथ्य है।

सभापति महोदय : हम इस स्तर पर इस प्रकार तर्क वितर्क करना जारी नहीं रख सकते। और मंत्री जी द्वारा वाद-विवाद का उत्तर दिया गया है मेरे विचार से इस विधेयक को पारित न करने के कोई कारण नहीं हैं। मेरे विचार से अब हम इस विधेयक को पारित करने के कार्य को आगे बढ़ायेंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : सभापति महोदय, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि विचार प्रारम्भ करने के पश्चात इसे स्थायी समिति को नहीं भेजा जा सकता। वास्तव में, ऐसा पहले भी हुआ है।

सभापति महोदय : मैं यह कह रहा हूँ कि इसको स्थगित करने के लिए कोई उचित कारण नहीं बताये गये थे। कृपया यह समझिए कि यह सभापति का मत है। विधेयक को पारित किए जाने को स्थगित करने के लिए क्या सभा इस बात से सहमत है कि श्री राम कापसे द्वारा प्रस्तावित संकल्प को वापस किया जाये?

संकल्प सभा की स्वीकृति से वापस लिया गया।

सभापति महोदय : मैं, अब विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न यह है:

"कि प्रतिभूतियों में निक्षेपागारों का विनियमन करने और उससे संबंधित या उसमें आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा द्वारा विधेयक पर खंड-वार विचार किया जायेगा।

खंड 2 से 31

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

" कि खण्ड 2 से 31 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 31 विधेयक में जोड़े गये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ी गई।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड-1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड-1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े गये।

डा० देवी प्रसाद पाल : मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.04 म०प०

1995-96 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें– सामान्य

सभापति महोदय : अब सभा वर्ष 1995-96 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा प्रारम्भ करेगी।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियाँ भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये :-

मांग सं० 5 से 7, 9, 10, 14, 28, 39, 44, 46, से 48, 50, 51, 57, 61, 62, 69, 72, 76, 79, 80, 81, 84, 95 और 98।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वर्ष 1995-96 की अनुदानों की पूरक मांगों (सामान्य) की सूची

संख्या और मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गयी अनुदानों की मांगों की राशि	
	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1	2	3
5. रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग	79,00,00,000	.....
6. उर्वरक विभाग	.....	1,49,00,00,000
7. नागर विमानन मंत्रालय	.....	1,00,000
9. नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	60,40,00,000	.....
10. कोयला मत्रालय	.....	36,37,00,000
14. दूर संचार विभाग	31,00,00,000	.....
28. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरण	280,00,00,000	200,00,00,000
39. स्वास्थ्य विभाग	.....	1,85,00,000
44. गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	1,00,000	
46. शिक्षा विभाग	210,52,00,000	
47. युवा कार्य और खेल विभाग	1,00,000	
48. संस्कृति विभाग	1,00,000	.....
50. औद्योगिक विकास विभाग	13,16,00,000	.....
51. भारी उद्योग विभाग	.....	12,57,00,000
57. विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय	5,84,00,000	.....
61. खान मंत्रालय	.....	16,65,00,000
62. गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	.....	51,73,00,000
69. विद्युत मंत्रालय	13,65,00,000	
72. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	1,00,00,000	.....
76. भूतल परिवहन मंत्रालय	.....	15,00,00,000
79. वस्त्रोद्योग मंत्रालय	10,00,00,000	142,47,00,000
80. शहरी विकास और आवास	20,15,00,000	2,00,000
81. सार्वजनिक निर्माण कार्य	.....	2,00,000
84. कल्याण मंत्रालय	1,00,000	
95. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	92,00,000	.....
98. चंडीगढ़	.....	1,00,00,000
योग	725,68,00,000	626,97,00,000

[हिन्दी]

डा० सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : माननीय सभापति महोदय, सरकार के खर्च का कोई हिसाब नहीं है। सरकार खर्च की मांग कर रही है। पहले जो कुछ खर्च किया गया, उसका कोई हिसाब नहीं आया और फिर से नए खर्च बता करके और पैसा चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है।

जिन बातों के लिए पैसा चाहिए उसकी भी जानकारी दी गई है। जो कुछ बताया गया है उसमें दो प्रकार की बातें बताई गयी हैं। एक में 1135.67 करोड़ रुपये की अपेक्षा की गयी है और उसके जो विभाग हैं उसमें रसायन, पेट्रो-रसायन, नागरिक आपूर्ति, शिक्षा, औद्योगिक विकास, भारी उद्योग, विद्याई-कार्य और भारत का सर्वोच्च न्यायालय, खाना और कपड़ा हैं। आयोजना में 301.50 करोड़ रुपये और आयोजना से भिन्न नॉन-प्लान में 834.17 की अपेक्षा की गई है। इसके अलावा जो मांगा गया है, उसमें 2196.44 करोड़ रुपये के बारे में भी जो विभाग बताए गये हैं उसमें संसाधन, पेट्रो-रसायन, उर्वरक, कोयला, आर्थिक कार्य, स्वास्थ्य, गृह-मंत्रालय हैं। औद्योगिक विकास, सूचना-प्रसारण, गैर-पारम्परिक रक्षा स्रोत, विद्युत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भूतल-परिवहन, कपड़ा, शहरी कार्य, परमाणु-ऊर्जा, अंडमान-निकोबार, चंडीगढ़ प्रशासन और ऐसे कुल मिलाकर जो जोड़ दिया गया है उसमें 3332.11 रुपये ऐसी 29 बातों के लिए हैं। अब सरकार जिस तरह से आर्थिक व्यवहार कर रही है उससे विश्वास जनता का उठता जा रहा है यह सरकार सौ-दिन में महगाई कम करने वाली थी पर वह नहीं हुई। उसका परिणाम खर्चे के रूप में आ रहा है। और यह बढ़ता ही चला जा रहा है। यह सब पैसा जनता का ही है। जब जनता का पैसा खर्च किया जाता है तो यह सारी बातें सामने आती हैं। आखिर पैसे को खर्च करने का औचित्य क्या है? इस औचित्य पर चर्चा करने हुए मैं यह बात कहूंगा कि यह सप्लीमेंटरी डिमांड, खर्च पर नहीं कमांड, इसलिए मैं यहा करता हूं सरकार का रिमांड। सरकार को समझना चाहिए कि आखिर यह सब खर्चा करने के लिए क्या वे स्वतंत्र हैं और जिस प्रकार के खर्च किये जा रहे हैं उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसलिए संसद के माध्यम से जब ये चर्चा के लिए आते हैं। तो प्रतिबंध करने के उपाय हम इस चर्चा के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं। भोपाल गैस-पीडितों के बारे में जो मामला है वह वर्षों से चला आ रहा है। उसमें जो लोग पीड़ित हैं जो बूढे थे और जो मृत हो गये उनके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। उनका जो उपचार होना चाहिए था वह नहीं हुआ है। उनके लिए जो होना चाहिए था वह नहीं हुआ।

4.08 म०प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

भोपाल गैस-पीड़ितों के बारे में सरकार कितनी पीड़ित है वह हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए उसके बारे में भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह तो मिलनी चाहिए। बल्कि यह दिखाई भी देना चाहिए। नागरिक आपूर्ति की स्थिति भी ठीक नहीं है। जिन लोगों को हम खाद्यान्न भेजा करते हैं उन तक वह पहुँच नहीं पा रहा है और बिचौलिया के माध्यम से वह ऊंची कीमत पर कहीं और चला जाता है। इसलिए यदि हम कुछ सहायता करते हैं तो वह सहायता उन तक पहुंचनी चाहिए जिनके लिए अपेक्षा की गई है। गांवों में जिन लोगों के लिए आप कुछ करते भी हैं वह सहायता गांव तक नहीं पहुंच रही है, उन लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं जोकि अपेक्षा किए हुए हैं कि राहत उन तक पहुंचेगी। इसलिए राहत में जो चाहत जनता की है वह निराशा में बदल रही है। इसलिए नागरिक आपूर्ति भी ठीक नहीं है। शिक्षा के बारे में तो ठीक है कि हम बड़े-बड़े केन्द्रीय विद्यालय चला रहे हैं। लेकिन शिक्षा के बारे में दिशा स्पष्ट नहीं है। शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए यह हम समझ नहीं पाए हैं। इसलिए शिक्षा के बारे में केवल पुस्तकीय ज्ञान देना ही उपयोगी नहीं है। उसका उपयोग कितना हो रहा है यह हमें देखना चाहिए। हम इंजीनियर बनाते हैं, डाक्टर बनाते हैं, तकनीशियन बनाते हैं लेकिन ये सब आफिस में बैठकर फाइल निपटाते हैं। इंजीनियर भी यही काम करते हैं और चीफ इंजीनियर भी यही काम करता है। उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की है उस शिक्षा का कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं होता। उसकी दीक्षा का कोई परिणाम हमें दिखाई नहीं देता। शिक्षा तो इस प्रकार की होनी चाहिए थी जोकि आजादी के बाद एक स्वतंत्र देश को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करती है, लेकिन इस शिक्षा ने बेरोजगारी की भीड़ तैयार करने का काम ही किया है। इसलिए शिक्षा से देश में निराशा और हताशा फैली है। शिक्षित लोगों के लिए चलायी जाने वाली योजना हम काम में नहीं ला पाये हैं। इसके कारण शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्नातकोत्तर, मैट्रिक और हायर सैकेंडरी शिक्षितों की संख्या असंख्य है। शिक्षा की स्थिति दयनीय होती जा रही है। नवयुवक बेकारी के कारण परेशान हैं। वह बड़ी मुश्किल से पढ़ने के लिए सुविधा जुटा पाते हैं लेकिन बड़े होकर उन्हें रोजगार नहीं मिला है, नौकरी नहीं मिलती है तो निराशा हाथ लगती है। ठीक मायने में शिक्षा को नहीं लिया गया है। शिक्षा के बारे में सरकार पूरी तरह से विचार करे। देश में ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि कोई बेकार न रहे, किसी को निराशा का सामना न करना पड़े।

औद्योगिक विकास के बारे में बढ़-चढ़ कर बोला जा रहा है। आजादी के बाद हमने विकास भी किया और बड़े उद्योग स्थापित किये लेकिन एक के बाद एक उद्योग विदेशी मदद और सहयोग से प्रारम्भ करने के उपाय किये जा रहे हैं। कुल मिलाकर हमने जितने लोगों को शिक्षित और प्रशिक्षित किया, उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण काम नहीं आ रहा है। एक के बाद एक उद्योग बंद होते जा रहे हैं। सारी बात पर पुनर्विचार करना चाहिये। अब कहा जा रहा है कि सारी टैक्नॉलाजी विदेश से लायेंगे और सारी की सारी मशीनें विदेशों से लायेंगे। उनके भरोसे हम सब कुछ चलाने वाले हैं। पिछले 50 साल में हमने देश में क्या किया है? पिछले 50 सालों में यह स्थिति क्यों पैदा हो गई है कि लोगों का इस पद्धति पर से विश्वास उठ गया। मिसमैनजमेंट के कारण हर कारोबार में घाटा हो गया। हमें इससे उबरना चाहिये अन्यथा विदेश के लोग मुनाफा कमायेंगे, सारा पैसा विदेश में चला जायेगा और हम विदेशी कर्जे में डूब जायेंगे। इससे निकलने के लिये ठीक प्रकार के उपाय होने चाहिए। औद्योगिक विकास की दृष्टि से हमें बहुत निराशा हुई है। औद्योगिक विकास की कोई दिशा होनी चाहिए। आप कभी कहते हैं कि हम पब्लिक सैक्टर में जायेंगे। वहां जाने के लिये सारे उद्योगों को इसके अंतर्गत लाते हैं। बड़े-बड़े उद्योगों में बड़े-बड़े लोग सारी योजनायें बनाकर रोजगार में लगते हैं। इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार तो मिल जाता है लेकिन जब उद्योग बंद हो जाते हैं तो बेरोजगारी की समस्या पैदा हो जाती है और उत्पादन खत्म हो जाता है। कुल मिलाकर सारा कारोबार ठप्प हो जाता है। यह चीज बड़े उद्योगों में देखने को मिलती हैं। यह ठीक बात नहीं है। इस दिशा में गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए। मैं यह बात चेतावनी के रूप में बोल रहा हूँ।

खानों के बारे में हमारी स्थिति स्पष्ट नहीं है। हमारे देश में बहुत सारी अतुल सम्पदा धरती में छिपी हुई है। इसलिए हमने इस धरती को सुजलाम सुखलाम कहा है।

यह धरती अपनी धरती है,

दुर्भाग्य हमारा हरती है,

इसकी सेवा से क्या न मिला,

सोना चांदी यह भरती है,

यह कदम बढ़े, वह कदम बढ़े,

हम कदम बढ़ाये मंजिल तक।

ताकत और हिम्मत के साथ अगर हम अपना संकल्प लेकर काम करें तो निश्चित रूप से परिणाम देखने को मिलेंगे लेकिन उसको निकालने के लिए पुरुषार्थ की जरूरत है। इसके लिए अब विदेशी लोग आने वाले हैं। वे यहां से सोना और लोहा ले जाने वाले हैं। चाहे अल्युनियम हो या तांबा हो, सारे काम को करने के लिए विदेशी लोग आयेंगे तो काम बनेगा। हमने बड़े-बड़े कारखाने किस के लिये लगाये ?

मध्य प्रदेश बस्तर, बेलाडीला का लोहा दुनिया का सबसे अच्छा कच्चा लोहा है। वहां कच्चे लोहे के लिये प्राइवेट कम्पनी को लगाकर काम चलाया गया है। लोहे की खान को खोदना आरंभ करना कोई आसान काम नहीं है हमने किया और अब इस काम को भी निजी हाथों में देने की हम सोच रहे हैं। क्या लोहे का शोधन करने के लिये हमारे पास क्षमता नहीं है? क्या हमारे बड़े-बड़े कारखाने बेकार हो गये है कि वे उसको ठीक प्रकार से नहीं कर सकते हैं। हमारे यहां के लोग इसकी मांग रहे हैं और सार्वजनिक सरकारी कारोबार के लोग इसे मांग रहे हैं लेकिन हम यह काम उनको नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे दुराचार है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। बैलाडिला की 11 नम्बर की खदान प्राइवेट लोगों को दे देंगे तो निश्चित रूप से फायदा उनको होगा इस देश की जनता को क्या मिलेगा? खानों के बारे में इस प्रकार को आपको अनुभव ठीक नहीं है। हमें जो कुछ मिला, उसको हम खोते जा रहे हैं।

जब से नई कपड़ा नीति आई है, तब से ऐसा लगता है कि हर कपड़ा मिल बंद होती जा रही है। कपड़े का उद्योग देश का पुराना उद्योग है। उसमें लाखों लोग काम में लगे हुए हैं। सभापति महोदय, आप महाराष्ट्र, बम्बई के बारे में जानते हैं। आप वहां सब कुछ देखते हैं। जब कपड़ा मिलें लगीं तो लोगों ने काम करना शुरू किया। अगर कोई खेत से चलकर आया तो यह कपड़े की मिल में गया। कहीं गांव से निकलकर आया तो कपडे की मिल में गया। कहीं बेकार था तो कपड़े की मिल में गया। ऐसे सारे के सारे लोग कपड़ा मिल चलाने की योग्यता को तैयार हो रहे थे लेकिन किन्हीं कारणों से कपड़ा उद्योग बंद होता चला जा रहा है। मेरे क्षेत्र उज्जैन में तीन कपड़ा मिलें हैं। इनमें हीरा मिल बंद होने के कागार पर है। इनमें सारे लोगों को प्रायः निकाल दिया गया है। उनका भुगतान ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। इस प्रकार सारे लोग बेकारी का सामना कर रहे हैं। वहां पर विनोद विमल मिल भी बंद हो गई है। इन्दौर टैक्सटाईल मिल भी अब नहीं चल रही है। चाहे गुजरात हो या कोई और प्रान्त सभी जगह मिलें ठप्प पड़ी हुई हैं। ऐसा लगता है कि इन मिलों के बारे में कोई नीति नहीं हैं। न मजदूरों को पुनर्रोजगार देने पर विचार हो रहा है।

सभापित महोदय, उर्वरक की बात करते हैं। हम हरित क्रांति की बात करते हैं। हरित क्रांति कहां से आयेगी जब तक उर्वरक सस्ते नहीं होंगे? उर्वरक पर मिलने वाली सबसिडी हम खत्म करते जा रहे हैं और जो उत्पादन वृद्धि की अपेक्षा की जानी चाहिये थी, वह हो नहीं रही है। पोटाशियम खाद हम बाहर से मगा रहे हैं। किसान को कोई लाभ नहीं मिलने के कारण उसका असर उत्पादन पर पड़ता जा रहा है। आप मानें या न मानें यह बात सच है। इसमें एक छिपा हुआ कष्ट है जो किसान भुगत रहा है। इस बात को समझना होगा। इसलिए उर्वरकों के बढ़ते भावों को नियंत्रित करने के लिए जो सहायता मिलनी चाहिए। वह नहीं मिली विगत पांच सालों में उर्वरकों के दाम बढ़े और बढ़ते गये। मेरे पास लोक सभा में एक प्रश्न का उत्तर है जिसमें बताया गया हैं कि उर्वरकों के दाम बहुत बढ़ गये हैं और हम इम्पोर्ट करते चले जा रहे हैं। इस इम्पोर्ट से विदेशी मुद्रा चली जा रही है। जो स्वदेशी गोबर हो सकता है, खाद हो सकती है, उसकी उपेक्षा करते हैं। इसीलिये स्वदेशी खाद के बारे में पुख्ता उपाय करने की जरूरत है।

सभापति महोदय, दूर संचार विभाग में क्या हो रहा है। अभी राज्यसभा के अंदर दूरसंचार लाइसेंस के बारे में जो कुछ हो गया है वह चिंता का विषय है। यदि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और इस प्रकार से दूर संचार को निजी क्षेत्र में जाने के लिए उपाय किये जा रहे हैं तो इसमें हजार करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार की बात है। गांव में दूरसंचार सेवा का लाभ मिलना दूर, जो वायरलैस टावर लग हुए हैं, वे चलते नहीं हैं। एक विदेश के आदमी का लाकर यहां पर बैठा दिया गया जो अब और उसके माध्यम से संचार व्यवस्था चलाने की बात कर रहे हैं। इससे तो सारी संचार प्रणाली विफल होती जा रहीं है। आज भी संचार विभाग से नम्बर लगने के बाद उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टेलिफोन बार बार खराब हो रहे हैं। यह सारे देश में हो रहा है और शिकायतें मिल रही हैं। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये सरकार को सप्लीमेंट्री आयी है जिसमें पास होने का आसार नहीं हैं। यह सरकार पूरी तरह विफल हो गई है। आप इस पर विचार कर लें कि समय और परीक्षा निकट आ रही हैं। इसमें आपकी क्या तैयारी और समझदारी है, इसकी परीक्षा होने वाली है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि दूर संचार विभाग में भ्रष्टाचार है, उपभोक्ताओं को ठीक प्रकार से सेवायें नहीं मिल रही हैं और प्रतीक्षा सूची भी खत्म नहीं हो रही है। टेलीफोन कनेक्शन का न० आने के बावजूद 3-4 महीने लग रहे हैं। और उसमें सुधार की कोई उम्मीद नजर नही आ रही है?। कुल मिलाकर हमारा यह फर्ज है कि आपसे कहा जाये, चेतावनी दी जाये ताकि आप इस ओर ध्यान दे। जहां तक दूर संचार के बारे में अपेक्षायें हैं, उसमें इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। हम जिस गांव के आदमी तक इस सुविधा को पहुँचाना चाहते हैं दूर दराज के गांव से जोड़ना चाहते हैं, उसकी कठिनाई को दूर करने की बात करते हैं, वे इसीलिये पूरी नहीं होती क्योंकि दूर संचार विभाग में अव्यवस्थायें हैं। जिनमें सुधार करना जरूरी है।

सभापति महोदय, आर्थिक कार्य के बारे में देश में क्या हो रहा है, भाषण की बात हो गयी हैं। इसमें रुपये का अवमूल्यन इतना हो गया है और होता चला जा रहा है। रुपया इसलिये कमजोर हुआ क्योंकि इसके बारे में यह मान्यता बनाई गई है कि वह है ही कमजोर। इस कारण हमारा सुधार नहीं हो रहा है। अभी डालर मजबूत है और रुपया कमजोर। एक अच्छे मजबूत आदमी के साथ कमजोर को दौड़ने के लिये एक टांग लगा दी जाये जब तीन टांग की दौड़ में जायेगा तो डालर आगे जायेगा और रुपया पीछे रह जायेगा। रुपया नीचे घसीटता चला गया। एक जमाना था कि एक मोटा पैसा था घिसते घिसते यह हालत हुई कि घिसकर पतला हो गया और फिर पतला होकर खट्टा हो गया उसे बाद वह खट्टे वाला पहिया भी चलता रहा और न जाने चलते चलते कहीं खो गया।

फिर 1960 में एक पहिया आया और वह पहिया भी चलते चलते छड़ गया।

फिर पैसे की कीमत घट गई। पैसा दिखायी देता नहीं है। पैसे की कोई कीमत नहीं है। पैसे का सिक्का चलता नहीं है। हमारी मुद्रा की जो छोटी-छोटी यूनिट है, उस इकाई का पता नहीं है। वह इकाई है या दहाई है, एक तरह से उसकी हो गई सफाई है। धीरे-धीरे पैसा साफ हो गया है। एक रुपए का भी इस तरह से हो रहा है। एक रुपए का नोट शादी-विवाह में मिलता नहीं है। एक रुपये के नोट की यह स्थिति हो गई है। दो रुपये का नोट भी अब ऐसे ही हो गया है। पांच रुपये का हाल भी अब क्या है। धीरे-धीरे हम सिक्कों को, मुद्रा को कमजोर करते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि देश को हम प्रगति की राह पर ले जा रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि ठीक प्रकार से रुपये की पूरी कीमत मिल सके, इससे परिश्रम से उसका गुजारा हो सके, इस प्रकार का विचार होना चाहिए और इसलिए पैसे को मजबूत करने के लिए, मुद्रा को मजबूत करने के लिए हर प्रकार के उपाय करना जरूरी है। सरकार की जो मजबूरी होगी वह होगी, किन्तु पैसे का अवमूल्यन रुपए का अवमूल्यन, मुद्रा का अवमूल्यन निश्चित रूप से गरीब के लिए कष्टदायक है और गरीब को कठिनाई में डालने वाला है और इसलिए इसके बारे में ठीक से उपाय होना चाहिए।

स्वास्थ्य के बारे में मांग की गई है और इसकी हालत बहुत ही खराब है। गांवों में आदमी का उपकार करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यदि कोई बीमार है तो बीमार है, बुखार है तो बुखार है। उसके उपचार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बड़े बड़े लोग चले जाएंगे विदेशों में, अपना उपचार कराकर चले आएंगे विदेशों में, परन्तु गांव में रहने वाला जो आदमी है, यदि वह ताप से पीड़ित है तो उसका उपचार करने के लिए क्या व्यवस्था है? इसलिए गांवों में उपचार के लिए कोई जाता नहीं है, गांवों के बारे में कोई समझता नहीं है, गावों की तकलीफ दूर करने के बारे में किसी का मन नहीं है। पर सरकार कह रही है कि हम लोगों का हित करना चाहते हैं, लोगों की भलाई करना चाहते हैं, हमारा भारत देश महान हैं। भारत देश तो महान है ही, परन्तु उसकी संतान और उसके रहने वाले लोगों का हाल बेहाल क्यों हो रहा है इसके बारे में कोई सोचने वाला तो होना चाहिए। स्वास्थ्य के बारे में अच्छे उपाय किये जाने चाहिए। वह करने में हम विफल रहे हैं। निश्चित रूप से स्वास्थ्य के बारे में ठीक से प्रबन्ध करें।

माननीय सभापति जी, मैं गृह मंत्रालय से संबंधित कुछ बातें कहना चाहता हूं। आज हर आदमी असुरक्षित हो गया है। सुरक्षा के बारे में कल ही राज्य सभा में जो बात हमें सुनने को मिली वह निश्चित रूप से कष्टदायक हैं परंतु ऐसा होता है। हर आदमी की सुरक्षा के बारे में चिंता हो गई है। आदमी अपने घर से निकलकर अपने कारोबार में जाएगा, नौकरी में जाएगा, व्यापार में जाएगा, परंतु लौटकर आएगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं रह गई है। कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी बदतर हो गई है जो बहुत कष्ट का विषय है। बंबई के दंगों के बाद जितने शस्त्रास्त्र बचे थे वे सब मध्य प्रदेश में आ गए और मेरे ही जिले में आ गए। वह जो गुजरात की पुलिस ने आकर उसका पता लगाया, और वहां से ए के 47, ए के 56 राइफल्स, कारतूस, रॉकेट लांचर्स, यू एस कारबाइन्स सारे के सारे यहाँ आ जाते हैं और पता नहीं लगता है। इस तरह से कानून और व्यवस्था की स्थिति बेकार हो रही है। सरकार का ध्यान इस ओर जाना चाहिए। नागरिकों की सुरक्षा सर्वप्रथम होनी चाहिए। जान है तो जहान है, नहीं तो सूना हिन्दुस्तान है। कुल मिलाकर क्या होने वाला है? हर आदमी की जिन्दगी की सुरक्षा की गारण्टी सरकार को देनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के एक संसद सदस्य का खात्मा कैसे हो गया?

हमारे यहां बिजली की बहुत कमी है। बिजली की कमी होने से सारे किसान बहुत परेशान हैं। खेती में सिंचाई नहीं है। वहां उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सब नष्ट हो रहे हैं और प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए बिजली के उत्पादन की दृष्टि से भी इसका उपाय होना चाहिए। हमने मध्य प्रदेश के लिए बहुत बातें सुझाई परन्तु कोई मानने को तैयार नहीं है। यहां भी कांग्रेस सरकार है और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है। वहां पर गैस पर आधारित जो लिंकेज मिलना चाहिए था, उसकी स्वीकृति देने के लिए केन्द्र सरकार तैयार नहीं है। वह कहती है कि हम इस बारे में विचार ही नहीं कर सकते। जहाँ बिजली की कमी है वहां बिजली चाहिए। गैस के लिंकेज देने के बारे में सरकार का विश्वास क्यों नहीं है ? नर्मदा सागर परियोजना के बारे में गुजरात वालों को कह रहे हैं कि अपने बांध को कम कर लो या बढ़ा लो पर हम यहाँ बांध नहीं बनाएंगे। इसलिए हमारा कहना है कि केन्द्र सरकार इस पर विचार करे। नर्मदा सागर परियोजना को सरकार केन्द्रीय परियोजना के रूप में ले और इसको कार्यान्वित करे। इस प्रकार से बिजली परियोजनाओं को ठीक से चलना चाहिए। भूतल परिवहन में भी डी०टी०सी० के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है और वह उधार पर गुजारा कर रहे हैं। ये सारी की सारी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सप्लीमेंटरी डिमाण्ड पर सरकार का कमाण्ड खो गया है। कम से कम सरकार इस पर विचार करे कि जो मांगें ये कर रहे हैं, इन मांगों को मांगने का सरकार को नैतिक अधिकार भी है या नहीं? ये सारी बात मांग करते हुए मैं फिर कहना चाहता हूँ कि आम आदमी के बारे में सोचिए, सुरक्षा के बारे में सोचिए। इतना ही मेरा कहना है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूँ.....**(व्यवधान)** उनको क्या हुआ? .....**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित कीजिए और अपना भाषण जारी रखिए।

कुमारी ममता बनर्जी : उन्हें मेरा समर्थन करना चाहिए। महोदय .....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

ठीक है कि आपको सपोर्ट करना है तो हाथ रेज करके करिये।

[अनुवाद]

महोदय, मैं अपना भाषण प्रारम्भ करने से पूर्व, कुछ उद्धृत करना चाहती हूँ, क्योंकि आज 6 दिसम्बर है। हम धर्म निरपेक्षता को सुदृढ़ करना चाहते हैं, हम साम्प्रदायिक सदभाव तथा भाईचारे को सुदृढ़ करना चाहते हैं। इसीलिए मैं महात्मा गांधी को उद्धृत करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था: "साम्प्रदायिकता हमारा मुख्य शत्रु होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता हमारा मुख्य आधार होना चाहिए, राष्ट्रीयता हमारी मुख्य राजनीति होनी चाहिए, मानवता हमारा मुख्य धर्म होना चाहिए और राष्ट्रभक्ति हमारा मुख्य आदर्श होना चाहिए।"

मैं आज इसको इसलिए उद्धृत करना चाहती हूँ कि मैं इस सभा के सभी माननीय सदस्यों को यह स्मरण कराना चाहती हूँ कि हमें अपने लोकतांत्रिक ढांचे तथा देश में अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली को सुदृढ़ करना है। हमारे संविधान के अनुसार हम किसी विशेष भाग अथवा किन्हीं विशेष लोगों की अनदेखी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार हमारे अधिकार बराबर हैं। आज समय की मांग यही है। वित्त मंत्री को इस बात पर विचार करना चाहिए कि लोग कीमतों में वृद्धि के बारे में बहुत चिंतित हैं, विशेषकर आवश्यक वस्तुओं के

संबंध में। कीमतें आसमान को छू रही हैं। यद्यपि सरकार की एक नीति है, सरकार सदैव कानून पारित करती हैं.....(व्यवधान) आप पहले मेरी बात सुनिये और फिर आप टिप्पणी कर सकते हैं।

सभापति महोदय : कृपया उनके भाषण में व्यवधान न डालिए। उन्हें पहले बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : मैंने किसी की आलोचना नहीं की है। मैं उनकी आलोचना बाद में करूंगी।

महोदय, हमारी प्रणाली के अनुसार जो एक संघीय ढांचा है, भारत सरकार सदैव कानून पारित करती है, अर्थात सदन सदैव कानून पारित करता है; और राज्य सरकार उसका क्रियान्यवन करती हैं। हमारे पास अपना आवश्यक वस्तु अधिनियम है। समस्या इस प्रकार है। माननीय वित्त मंत्री ने आज सुबह कुछ कहा है। यद्यपि उन्होंने सरकारी आंकडों के अनुसार ठीक कहा है, यदि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जायेंगे तो आप यह देखेंगे कि मूल्यों में अन्तर अधिक है– यह चीनी के लिए हो सकता है, यह गेहूँ के लिए हो सकता है, यह चावल के लिए हो सकता है, यह खाद्य तेलों के लिए हो सकता है, यह सब्जियों के लिए हो सकता है अथवा यह अन्य आवश्यक चीजों के लिए हो सकता है।

मेरे राज्य में, स्थिति बहुत कठिन है। पिछले वर्ष, एक किलों आलू केवल 3 रुपये में बेचा जा रहा था। लेकिन अब इसके मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हो गई है और यह 12 रुपये प्रतिकिलो बिक रहा है। हमारे पास दो तरह के आलू हैं। गांवों मे किसान उनका उत्पादन करते हैं। एक किस्म का नाम 'ज्योति' आलू है। मैं मुख्य मंत्री ज्योति बसु का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन यह आलू का नाम है, 'ज्योति' आलू का मूल्य 12 रुपये प्रति किलो तक चला गया है; और पुराने आलू का मूल्य, जिसे मेरे राज्य में चंद्र मुखी कहा जाता हैं, 2 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 6 रुपये प्रति किलो हो गया है।

आपको एक और बात जानकर आश्चर्य होगा। डा० देबी पाल मेरे राज्य से हैं। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और पश्चिम बंगाल का दूसरा स्थान है। आलू की कोई कमी नहीं है। लेकिन समस्या यह है। पहले, प्रतिदिन 600 टन आलू राज्य से बाहर जाता था। यह असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा अथवा देश का अन्य कोई भाग हो सकता है। लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग ने यह घोषणा की है कि चुनाव से पूर्व कोई राजनीतिक दल पैसा एकत्रित नहीं कर सकता।

इसी कारण से, जिन लोगों के पास शीत भाण्डागार है उनके साथ एक सौदा हुआ है। 600 रुपये प्रतिटन की बजाय , आलू को सीमावर्ती क्षेत्रों में बांग्ला देश 1000 रुपये प्रति टन की दर से भेजा गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि पश्चिम बंगाल के लोगों को दिसम्बर के प्रथम सप्ताह तक ही आलू प्राप्त होगा। उसके पश्चात्, यदि हम आलू नहीं भेजते तो भी उन लोगों को आलू नहीं मिलेंगे।

प्याज के मामले में, हमारे पास कोई भण्डार सुविधा नहीं है। हम प्याज सदैव नासिक अथवा आंध्र प्रदेश से खरीदते हैं। अब कीमत लगभग 13 से 14 रुपये प्रति किलोग्राम है। यहां ऐसी स्थिति है। किसानों को आलू का भाव 2 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रहा है जबकि शीत भण्डार गृह के लोग बाजार में आलू 12-13 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से बेच रहे हैं। गरीब व्यक्ति केवल रोटी, कपड़ा और मकान चाहते हैं। आपको इसके बारे में क्या कहना है ? यदि उन्हें चावल और आलू प्राप्त नहीं होता, तो उनको और किस चीज की आवश्यकता है? आज यह स्थिति है।

सरकार के पास आवश्यक वस्तु अधिनियम है। क्या मंत्रीजी सभी राज्य सरकारों से इस बात का पता लगायेंगे कि क्या उनके द्वारा इस अधिनियम को क्रियान्वित किया गया है? यदि हाँ, तो कितनी राज्य सरकारों ने इस अधिनियम को क्रियान्वित किया है। इस अधिनियम के अतर्गत कितने काला बाजारी करने वालों तथा भंडार करने वालों को गिरफ्तार किया गया है? शीत भण्डार गृहों अथवा बाजार से पकड़ी गई आवश्यक वस्तुओं की मात्रा कितनी है? यह सभी वस्तुएं कहां गईं? राजनैतिक हित के लिए एक कृत्रिम कमी उत्पन्न की गई है। इसी वजह से मैं इसे एक गंभीर मामला मानती हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस अथवा भा०क०पा० या भा०ज०पा० अथवा जनता दल एक विशेष राज्य में सत्ता में है। यह मामला आम लोगों से संबंधित है। इसीलिए मेरा केन्द्र सरकार से प्रथम अनुरोध यह है कि उसे आंकड़े एकत्रित करके सभा पटल पर रखने चाहिए। सभी जगह आवश्यक वस्तुओं की कमी है।

आपको यह जानकर आवश्यर्च होगा कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में बाढ़ में बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए थे। मैं वहां व्यक्तिगत रूप से गइ थी। यद्यपि सरकार की ओर से वहाँ कोई भी नहीं जा सका। उत्तरी बंगाल में 'प्राण सागर' नामक एक स्थान है। वहाँ रहने वाले लोग बांग्ला देश चले गये हैं क्योंकि उन्हें राज्य सरकार से कोई राहत नहीं मिली। लगभग दस दिन तक सरकार तथा उस स्थान के बीच कोई संचार सम्पर्क नही था। मैं अपनी पूजा छुट्टियों को कम करके वहां पहुंचनने वाली प्रथम थी। मुझे वहां की मौजूदा स्थिति देखकर बहुत दुःख हुआ था।

अब एक माह बीत गया है। सरकार के पास उनके ऋण को माफ करने की एक नीति है। लेकिन जब तक राज्य सरकार इसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित नहीं करती, तब तक सरकार ऋण माफ नहीं कर सकती। मैं मंत्री से अनुरोध करती हूँ कि वे राज्य सरकार के साथ इस मामले को उठाये ताकि वह इसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करे।

वहां गरीब किसानों ने अपना सब कुछ खो दिया है। उन्हें बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं से कुछ राहत मिलनी चाहिए। ऋण माफ करने के संबंध में सरकार की एक नीति है। लेकिन पहले, उन्हें इसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करना है। एक वक्तव्य देना संभव है। किसी तरह का व्यक्तव्य दिया जा सकता है। लेकिन तथ्य रहते हैं। सच्चाई कायम रहनी चाहिए। सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए।

अब मैं सभा का ध्यान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक राज्य ने अ०जा०, अ०ज० जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण स्वीकार किया है। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि 53 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग मेरे राज्य में रहते हैं। 24 प्रतिशत अ०जा० तथा अ०ज०जा० तथा अन्य लोग हो सकते हैं तथा 21 प्रतिशत अल्पसंख्यक हैं। मंडल आयोग द्वारा प्रकाशित सूची में 177 जातियां हैं और हमारी राज्य सरकार ने इन जातियों की उपेक्षा की है और उसने केवल 29 जातियों को अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलितत किया है जिसके परिणामस्वरूप उनको आर्थिक क्षेत्र शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों मे सुविधाओं से वंचित किया गया है। अतः मैं आपके माध्यम सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ कि जब सरकार ने

कानून पारित कर दिया है और उसे लागू कर रही है, तो पश्चिम बंगाल को एक अपवादिक मामला क्यों समझा जाता है और अ०जा०, अ०ज०जा० तथा अन्य पिछड़े वर्गों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है ? मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि वह इस मामले को कल्याण मंत्रालय के साथ भी उठाये। इसका कारण यह है कि मैंने सदैव कल्याण मंत्री से बात की है तथा लोगों ने भी प्रयास किए हैं लेकिन उनको कोई अवसर नहीं मिल रहा है। यहां तक कि अ०जा०/अ०ज०जा० प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए भी स्थिति कठिन है। उनका क्या कसूर है? क्या यह उनका कसूर है कि वे गरीब हैं? क्या उनकी गलती है कि उनका प्रभाव नहीं है? क्या यह उनकी गलती है कि वे अपेक्षित तथा दलित हैं? क्या यह उनकी गलती है कि उनका कोई अच्छा नेता नहीं है? क्या यह उनकी गलती है कि वे संसद नहीं आ सकते? अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह देखे कि अ०जा०/अ०ज०जा० तथा अन्य पिछडे वर्गों को न्याय मिले क्योंकि न्याय में देरी करना न्याय न देने के बराबर है। साथ ही, मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहती हूँ कि वे राज्य कौन कौन से हैं जिन्होंने इसको क्रियान्वित नहीं किया है। मैं अपने राज्य के बारे में सच्चाई बता रही हूँ। कोई मुझे चुनौती दे सकता है, मेरे पास सभी दस्तावेज हैं। अब मैं साक्ष्य साथ लेकर चलती हूँ। जहां तक 15 सूत्रीय कार्यक्रम का संबंध है, मुझे इस बात की जानकारी है कि इस कार्यक्रम के एक सूत्र का क्रियान्वयन मेरे राज्य में नहीं किया गया है। मेरे विचार से हम लोगों के बारे में इस बात का पता नहीं लगा सकते कि क्या उनकी किसी विशेष रूप में बहुसंख्या है अथवा अल्पसंख्या। हम अपने राज्य में बहुसंख्या में हो सकते हैं लेकिन बिहार में हमारी अल्पसंख्या हो सकती है बिहार में, बिहार के लोगों का बहुमत हो सकता है लेकिन पश्चिम बंगाल में, वे अल्पसंख्यक हो सकते हैं। इसी तरह, महाराष्ट्र के लोग अपने राज्य में बहुसंख्या में हो सकते हैं और पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्या में हो सकते हैं। केरल के लोगों का केरल में बहुमत है और लेकिन हो सकता है कि ऐसा अन्य स्थानों पर नहीं हो। अतः हमें इस बात को याद रखना है कि हम सदैव विश्वनगर प्रणाली में विश्वास करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अतः, अल्पसंख्यकों, अ०जा०/अ०ज०जा० तथा अन्य पिछडे वर्गों को वंचित किया गया है और उनको कोई चांस प्रदान नहीं किया गया है। श्री सुदर्शन, यदि आप यह समझते हैं कि आप चुनौती दे सकते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको आंकड़े प्रदान कर सकती हूँ।.....(**व्यवधान**)

श्री सुदर्शन राय चौधरी : मैं आपको चुनौती नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर नहीं बोल रही हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : आपको अनुपूरक अनुदानों की मांगों के बारे में नियमों को जानना चाहिए। महोदय, उन्हें नियमों की जानकारी नहीं है। यही एक मात्र ऐसा विषय है जहां मैं कोई भी बात उठा सकती हूँ। और यह इस विषय से संबंधित है क्योंकि सरकार 15 सूत्रीय कार्यक्रम के लिए धन दे रही है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन कहां है? मैं इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बारे में पूछ रहीं हूँ। सरकार पंचायतों, जिला परिषदों, प्रधान मंत्री रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विभाग एजेंसी इत्यादि के लिए धनराशि प्रदान कर रही है। सरकार के पास यह प्रणाली है कि सभी राज्य सरकारों को इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। कौन-कौन सी राज्य सरकारों ने अभी तक अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं की हैं ? मैं सरकार से इस विषय में जानना चाहती हूँ। केन्द्र सरकार जवाहर रोजगार योजना के लिए 80 प्रतिशत धनराशि प्रदान कर रही है लेकिन यह धनराशि अन्य प्रयोजनों के लिए खर्च की गई है।. ....(**व्यवधान**)

श्री सत्यगोपाल मिश्र: यह झूठी बात है.....(**व्यवधान**)

कुमारी ममता बनर्जी : आप अपने आंकड़ों से इसे सिद्ध करें.....(**व्यवधान**)

श्री सत्य गोपाल मिश्र : हम कलकत्ता नहीं बैठते हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय मैं चुनौती देती हूँ। यदि मेरी बात गलत है, तो वे मुझे फांसी लगा सकते हैं और यदि में सही हूँ तो वे क्या करेंगे ? क्या वे सभा से माफी मांगेंगे ?

महोदय, मैं जो कुछ कह रही हूँ, वह पुख्ता है.....(**व्यवधान**)

श्री राम नाईक : हम आपको फांसी नहीं दे सकते हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं यहाँ जो कह रही हूँ उसके ठोस प्रमाण मेरे पास हैं.....(**व्यवधान**)

श्री राम नाईक : हम आपको यहाँ चाहते हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, झूठे लोग ही झूठे विवरण दे सकते हैं। महोदय, सरकार का धन जनता का धन होता है। हम सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं कर सकते; हम सरकारी धन को राजनैतिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग नहीं कर सकते अथवा राजनैतिक रूप से उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। मैं एक विशेष राजनैतिक दल के बारे में बात नहीं कर रही हूँ बल्कि मैं सभी के बारे में कह रही हूँ।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, जब श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधान मंत्री थी, तो उस समय श्री ज्योर्तिमय बसु—यदि मैं गलत नहीं हूँ तो वह इस सभा में बहुत बोलने वाले सदस्य थे और यदपि वह मा०क०पा० (मा०) से सबंद्ध थे, फिर भी मैं उनका सम्मान करती हूँ और उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करना चाहती हूँ— उन्होंने मारूति का मामला यह कहते हुए उठाया था कि इंदिरा जी अपने बेटे को छूट प्रदान कर रही हैं और वे अपने बेटे के विरुद्ध जांच आयोग क्यों नहीं गठित करतीं।

उसके पश्चात सन् 1977 में उन्होंने एक जांच आयोग का गठन किया और उस आयोग ने 1979 में अपनी रिपोर्ट पेश की।

महोदय, मैं इस सभा में यह भी मांग करती हूं कि सरकारी धन के दसवें भाग को भी व्यक्तिगत धन की तरह खर्च नहीं किया जाना चाहिए। मैं यह भी चाहती हूं कि जांच आयोग भ्रष्टाचार और वित्तीय घोटालों से संबंधित मामलों की जांच के लिए दो आयोग गठित किए जाएं। पहला प्रश्न जिसके बारे में है, मैं उसका नाम उद्धत नहीं करूंगी, लेकिन मेरे विचार में, मेरे निहितार्थ को सभी सदस्य समझ लेंगे—दक्षिण भारत के एक राज्य के मुख्य मंत्री के बेटे की शादी में कितनी धनराशि खर्च की गई थी। मैं यह भी जानना चाहूँगी कि वह धनराशि कहां से आई, क्या इस बात का पता सरकार ने लगाया था।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : चावल के निर्यात से !

श्री एम०आर० कादम्बूर जनार्दनन (तिरूमेल्लवेल्ली) : हमारी मुख्य मंत्री ने लेखा-जोखा पहले ही प्रस्तुत कर दिया है।

कुमारी ममता बनर्जी : मैंने किसी नाम का उल्लेख नहीं किया है। आप

क्यों चिल्ला रहे हैं ?

महोदय, जब इंदिरा जी अपने पुत्र के लिए आयोग का गठन कर सकती हैं तो मैं भी यह मांग करती हूँ कि मेरे राज्य की मुख्य मंत्री के बेटे के लिए भी एक आयोग का गठन किया जाये। 1977 से पहले, जब वह मुख्यमंत्री नहीं थी, उस समय उनके पुत्र की संपत्ति तथा वर्ष 1995 में उनकी वर्तमान संपत्ति की जांच की जानी चाहिए।

महोदय, रुग्ण उद्योगों के बारे में मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ कि सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और विशेष रूप से राष्ट्रीय वस्त्र निगम तथा राष्ट्रीय पटसन निर्माण निगम को केन्द्र सरकार से पूर्ण समर्थन मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त सरकार को देश के विभिन्न भागों में इसके अधीन जो भी लंबित परियोजनायें हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। निःसंदेह चूंकि मैं पश्चिम बंगाल राज्य में संबंध रखती हूं, इसलिए मैं अपने राज्य के लिए निवेदन कर रही हूँ, लेकिन मैं अन्य उपेक्षित राज्यों के लिए भी अनुरोध कर रही हूँ ताकि परियोजनाओं को मंजूरी मिल सके।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। मैं आपका तथा विपक्ष में उपस्थित अपने मित्रों को मेरी चुनौती स्वीकार करने के लिए धन्यवाद देती हूँ।

प्रो० सुशांत चक्रवर्ती (हावड़ा) :सभापति महोदय मैं, कुमारी ममता बनर्जी, जो सभा में लगभग छह महीने के अंतराल के पश्चात आई हैं, के भाषण को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था।

श्री सत्य देव सिंह (बलरामपुर) : अब वह एक नई सदस्या हैं !

प्रो० सुशांत चक्रवर्ती : मैं पश्चिम बंगाल को दिये जा रहे उनके उपदेशों को सुन रहा था। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं अपने भाषण को अनुदानों की अनुपूरक मांगों तक सीमित रखना चाहूँगा।

महोदय, अनुदानों की अनुपूरक मांगों का दूसरा बैच, जिसमें 29 अनुदान शामिल हैं, इस तथ्य का स्पष्ट सूचक है कि आम चुनाव नजदीक हैं और चुनाव पूर्व खर्चों की वजह से केन्द्र सरकार का व्यय काफी बढ़ गया है। इसकी अभिपुष्टि इन तथ्यों द्वारा की जा सकती है कि अतिरिक्त 166 दूर संचार परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त अनुदान हेतु अनुसुचित जातियों तथा रांची में अनुसूचित जनजाति इत्यादि के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान को सहायता के रूप में अतिरिक्त अनुदान हेतु अनुपूरक बजट में एक प्रावधान किया गया है। अतः बजट तैयार करते समय क्या सरकार ने इन सभी बातों को भुला दिया था? मुझे नहीं मालूम कि अचानक इसकी क्या आवश्यकता आ पड़ी है। महोदय, बजट सरकार के एक निश्चित उद्देश्य को लिए हुए उसके राजस्व और व्यय का वार्षिक वक्तव्य है। बजट का क्या उद्देश्य था? जैसाकि भारत सरकार ने घोषणा कि थी यह एक व्यवहारिक परिवर्तन था। अतः महोदय, अनुपूरक अनुदानों के विस्तार में जाने से पहले मैं माननीय वित्त मंत्री से विनम्रतापूर्वक इस प्रश्न का जवाब चाहता हूँ कि उसमें क्या परिवर्तन किया गया है और क्या यह परिवर्तन व्यवहारिक था? क्या यह सच नहीं है कि निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है? क्या यह सच नहीं है कि मध्यावधि आकलन से यह निष्कर्ष निकला है कि हमारे देश में बेरोजगार युवाओं की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। क्या यह भी सच नहीं है कि राजकोषीय घाटे को, जो बजट का लक्ष्य था, बनाये नहीं रखा जा सकेगा और वह सीमा अधिक होने जा रही है ? क्या यह भी एक तथ्य नहीं है कि लोग विपदा, कुपोषण और निर्धनता के चक्र के तले कराह रहे हैं? निश्चित रूप से, इस परिवर्तन में कोई मानवीय दृष्टिकोण नहीं है।

अब, महोदय, बजट में राजस्व एकत्र करने का उपबंध है और व्यय हेतु भी एक उपबंध है। सरकार अपनी कुछ धनराशि व्यय करने में असमर्थ रही। अतः कुछ बचत हुई है। कुछ क्षेत्रों में अधिक खर्च किये गये हैं। क्या यही वित्तीय अनुशासन है, मौद्रिक अनुशासन है ? क्या सरकार देश के सामने इस प्रकार उदाहरण पेश करना चाहती है ? यह मेरा विनम्र प्रश्न है। मैं माननीय वित्त मंत्री से स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ।

महोदय, मेरे मस्तिष्क की परेशान करने वाली एक अन्य बात यह है कि इस तथ्य की पृष्ठभूमि में वित्तीय अनुशासन को किस प्रकार बनाये रखा जा सकता है कि सरकार स्वयं ही अपने आदेशों जैसे प्रशासनिक मूल्य वृद्धि द्वारा वस्तुओं की कीमतें बढ़ा रही है। पिछले सात या आठ वर्षों के दौरान कितनी बार प्रशासनिक मूल्य बढ़ाये गये और किन वस्तुओं पर बढ़ाये गये ?

अब, सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों में खाद्य पदार्थों के मूल्य बढ़ गये हैं। जी हाँ, मूल्य बढ़ा दिये गये हैं। लेकिन क्या मैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण से उन राज्यों में इन पदार्थों के मूल्यों पर नजर डालने का अनुरोध कर सकता हूं, जो कांग्रेस द्वारा शासित नहीं हैं। उदाहरण के लिए बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु? यह रिपोर्ट योजना आयोग, परियोजना निगरानी प्रभाग तथा साख्यिकी विभाग की है। कुमारी बनर्जी को इस रिपोर्ट का अध्ययन करना चाहिए।

महोदय, परियोजना निगरानी प्रभाग ने 327 परियोजनाओं की एक रिपोर्ट दी है जिसे बजट में शामिल किया गया है और जिसके लिए बजटीय प्रावधान किये गये थे। 200 से भी अधिक परियोजनायें ऐसी हैं जिसमें समय अधिक लगा है या लागत अधिक आई है। इसके क्या कारण हैं ? परियोजना निगरानी प्रभाग ने अपने जवाब में इसके लिए उत्तरदायी महत्वपूर्ण कारणों में से एक धनराशि की कमी बताया है। जब बजट में इसकी व्यवस्था है तो फिर धनराशि की कमी क्यों है। यहाँ तक कि सी बड़ी परियोजनायें, जिनमें 22 परियोजनायें रेलवे विभाग में हैं, को छोड़ दिया गया है, या अधूरी पड़ी हैं। अतः यह एक रणकौशल था; यह वोट प्राप्त करने का एक राजनीतिक निर्णय था कि आप लगभग 300 परियोजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। लेकिन 100 से भी अधिक परियोजनाओं को छोड़ दिया जायेगा और उन पर लागत और समय अधिक लगेगा। इसका वित्त मंत्री के पास क्या जवाब है ? क्या यही वित्तीय अनुशासन है ? क्या आप इसी प्रकार का बजट देश के सामने पेश करना चाहते हैं ? यह हम सभी के लिए शर्मिन्दगी का विषय है कि बजट की पवित्रता को बरकरार नहीं रखा जाता और आप पुनः सभा में अनुदानों की अनुपूरक मांगें लेकर आ रहे हैं।

महोदय, कृपया विद्युत मंत्रालय की अनुदान मांगों पर एक नजर डालिये। अनुदान किसलिए चाहिये ? यह **कुटीर ज्योति** कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब लोगों के घरों में सिंगल पाइन्ट विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए चाहिये। मैं सरकारी उपक्रम समिति का सदस्य हूँ। हमने आर०इ०सी० का साक्ष्य लिया। उनका क्या अनुभव था ? अगर किसी विशेष गांव में विद्युत का एक खंभा लगा दिया जाता है तो हम कहते हैं कि गांव का विद्युतीकरण हो गया है। उस बिजली के खंभे से गरीब का घर कुछ सौ मीटर की दूरी पर हो सकता है। उस लागत को कौन पूरी करेगा ? पुनः आर०इ०सी० इन सभी कार्यों के लिए कहा है। लेकिन सरकार

आर०ई०सी० से 12 प्रतिशत ब्याज की दर वसूल कर रही है। अतः क्या यह सामाजिक उद्देश्य के लिए हैं ? वे लाभ किसे पहुंचा रहे हैं। एक ओर स्थिति यह है कि लगभग 12 प्रतिशत की दर से उन पर ब्याज लगाया गया है, वहीं दूसरी और कृषि क्षेत्र से राजसहायता को हटाया जा रहा है; उर्वरकों के दाम बढे रहे हैं और सच्चाई यह है कि रेल भाड़ा बढ़ रहा है। अब आलू के दाम बढ़ने के लिए कौन जिम्मेदार है ? आलू उत्पादकों को उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है और इसकी कीमत केन्द्रीय सरकार निर्धारित करती है, राज्य सरकार नहीं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या इसके लिए श्री ज्योति बसु जिम्मेदार हैं, कौन जिम्मेदार है, यह पूछा जा रहा है। क्या यही जवाब है? इसका जवाब कौन देगा, यह प्रश्न है.....(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : मैंने किसानों पर आरोप नहीं लगाया है। मैंने किसानों की प्रशंसा की है.....(व्यवधान)

प्रो० सुशांत चक्रवर्ती : मैंने यह आरोप कभी नहीं लगाया कि आप उनको दोषी मानती हैं। मैं तो केवल यह बता रहा हूं .....(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : मैंने किसानों के लिए अनुरोध किया है .....(व्यवधान)

प्रो० सुशांत चक्रवर्ती : मैं इसका स्पष्टीकरण दे रहा हूँ कि अनिवार्य वस्तुओं के, सब्जियों के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। ये सरकार की नीति के कारण बढ़ रहे हैं। ऐसा सरकार की उर्वरकों संबंधी नीति, राजसहायता संबंधी नीति के कारण हो रहा है। यह नीति डा० मनमोहन सिंह ने पेश की थी लेकिन इसका मसौदा विश्व बैंक तथा विश्व मुद्रा कोष में तैयार किया गया था। आप देश की आर्थिक संप्रभुता गिरवी रख रहे हैं। मैं केवल यही बात कहने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं कुमारी ममता बनर्जी और उनकी मित्रों से यह सब बातें समझने का अनुरोध करता हूँ कि जो लोग कष्ट उठा रहे हैं वह देश के निर्धनतम लोगों में से हैं.....(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया पीठासीन अधिकारी को संबोधित कीजिये।

प्रो० सुशांत चक्रवर्ती : महोदय, मैं केवल पीठासीन अधिकारी को ही संबोधित कर रहा हूँ। महोदय, किसी भी तरह से मैं इसी बात पर बल दे रहा हूँ यह सरकार की नीति का प्रश्न है।

जहां तक राजस्व एकत्रित करने के प्रश्न का संबंध है, वित्त मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है कि सीमा शुल्क, आयकर तथा अन्य करों सहित प्रत्यक्ष करों से होने वाली धनराशि में वृद्धि हो गई है। मैं माननीय वित्त मंत्री को यह बताना चाहूंगा कि सकल कर और निगमित क्षेत्र के भुगतान 38 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गये हैं। यह एक अच्छी बात है कि लेकिन कर-पूर्व लाभ 55 प्रतिशत बढ़ गया है। जो बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि कर-पूर्व लाभ 55 प्रतिशत बढ़ गया है, लेकिन सकल कर अदायगी केवल 38 प्रतिशत से कुछ अधिक बढ़ी है। इनमें से सरकार किस बात का समर्थन करती है ? यही मेरा प्रश्न है। फायदा किसे हो रहा है ? इतना ही नहीं है। उसके अतिरिक्त बहुत सी बड़ी कंपनियों जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज अथवा टाटा स्टील ने कराधान पूर्व लाभ प्राप्त करने के बावजूद भी किसी प्रकार का कर नहीं दिया है। सरकार किसका समर्थन करती है। यही प्रश्न मैं इस सभा में उठाना चाहता हूँ।

महोदय, हमारे देश में जिन वस्तुओं का उपभोग धनी वर्ग करता है, उन पर राजसहायता दी जाती है। उन्हें लाभ प्राप्त होता है। इस नई आर्थिक नीति का लाभ उठाकर अमीर लोग और अधिक अमीर हो रहे हैं जबकि निर्धनतम लोगों को अत्यधिक नुकसान हो रहा है। सरकार की यही नीति है। और यही बात अनुदानों की अनुपूरक मांगों में भी लक्षित होती है। मैंने विद्युत क्षेत्र की मांगों में इसका उल्लेख किया है। कृपया भारी उद्योग, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की मांगों पर एक नजर डालिये। कृपया इसे एक बार देखिये। किसके लिए उपबंध किया गया है ? कुछ धनराशि का उपबंध किया गया है ताकि इससे उन्हें अपने वेतन और बोनस मिल सकें। लेकिन क्या इससे समाधान हो सकेगा ? कुमारी बनर्जी यह बात जानती हैं। हमारे राज्य में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में कामगारों को उनके वेतन और मजदूरी नियमित रूप से नहीं मिल रहे हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : और आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि मैंने इसका भी उल्लेख किया है।

प्रो० सुशांत चक्रवर्ती : आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इस तथ्य को समझ लिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। यह सच है कि आप इससे इंकार नहीं कर सकते क्योंकि यह चुनाव से पूर्व हैं .....(व्यवधान) कृपया मुझे अपनी बात कहने दीजिये। अतः इसके लिए प्रावधान किया गया है। लेकिन हर महीने इस उद्योग का प्रबंध नोटिस बोर्ड में टंगे इस नोटिस के साथ सामने आता है कि चूँकि आप इस महीने आय का सृजन करने में असमर्थ रहे हैं, अतः इस बात की संभावना है कि है कि आपको वेतन समय पर न मिले। मंत्रियों को सभी कुछ मिल जायेगा। उनके वेतन बढ़ा दिये जायेंगे। मंत्रिमंडल का जितना चाहे विस्तार कर दिया जायेगा। इस कार्य के लिए सरकारी राजकोष से और अधिक धनराशि खर्च की जायेगी। लेकिन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कामगारों को वेतन तभी मिलेगा जब वे आय का सृजन कर सकें। आज हमारी यह स्थिति है। हालांकि सीमा शुल्क से होने वाली आय काफी सीमा तक बढ़ गई है लेकिन हमारे देश में कुछ मंत्रियों से सीमा-शुल्क प्राप्त करना मुश्किल हो गया है। स्थिति यह है। और अगर कोई ईमानदार अधिकारी शुल्क प्राप्त करने का प्रयास भी करता है तो उसको सजा दी जाती है, उसका स्थानान्तरण कर दिया जाता है। हम ऐसे देश में रहते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी आपके पास इसका क्या जवाब है ? इन सब प्रश्नों का सत्ता पक्ष के सदस्यों के पास क्या जवाब है ?

कुमारी ममता बनर्जी : हम उनका समर्थन करते हैं।

प्रो० सुशांत चक्रवर्ती : और आप वेतन और मजदूरी से भुगतान की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन यह उद्योग किस प्रकार चलता है ? क्या आपने कार्यकारी पूंजी की व्यवस्था की है ? आपको पैसे की जरूरत है। काला बाजार में एक सामान्तर अर्थव्यवस्था काम कर रही है।

आप उन पर छापा क्यों नहीं मारते ? ऐसी सौ से भी अधिक फर्में हैं, जो कर बिल्कुल नहीं देती। आप उनसे आयकर क्यों नहीं लेते ? आयकर किसने अदा नहीं किया है ? क्या आपके पास सूची नहीं है। आपके पास सभी कुछ उपलब्ध है ? आप इन सबका क्या करेंगे ? यही चिंता का विषय है। ये उद्योग किस प्रकार चलेंगे ? यही प्रश्न है। यहां तक कि भारतीय वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भी यह सलाह दी गई है। बैंकों को आदेश मिलने पर ही सहायता प्रदान करें। तब भी उन्हें यह सहायता नहीं मिलती। रे रोली बर्न लिमिटेड को यह सहायता नहीं मिली है। हुगली डॉकिंग और पोट इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को यह नहीं मिलती है। बर्न स्टैण्डर्ड एण्ड कंपनी, ब्रेथवेट तथा जैसाप एण्ड कंपनी को भी यह सहायता नहीं मिलती है। आज हमारी यह स्थिति है। अतः वेतन और मजदूरी से संबंधित ये उपबंध उसमें अवश्य होने चाहिये।

5.00 म०व०

लेकिन कार्यकारी पूंजी प्रदान करने के कुछ उपबंध उसमें होने चाहिए। मैं सरकार का दृष्टिकोण जानना चाहता हूं।

आर्थिक स्थिति पर चर्चा की जायेगी। मैं इसमें भाग ले सकता हूँ। अतः मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ।

लेकिन मैं सरकार के इस रवैये का, धनी वर्ग के समर्थक रवैये का,विदेशी कंपनियों के समर्थक दृष्टिकोण का, उस आधारभूत संरचना, जिसका स्वतंत्रता से लेकर हमने निर्माण किया है, को बिगाड़ने का तथा सरकार को चुनावों के समय, जो लोगों की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के नाम पर जितना चाहे धन खर्च कर रही है। अतिरिक्त खजाना सौंपने का विरोध करता हूँ। वास्तव में, वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। वे अपने जेबें भर रहे हैं वे अपने चुनावी खर्चों के लिए धनराशि एकत्र कर रहे हैं, जिसके प्रति हम चिंता व्यक्त कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि अनुपूरक मांगों पर जो सदन में चर्चा हो रही है, उस चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे आपने अनुमति दी है।

माननीय मंत्री जी ने लगभग 35 करोड़ रुपए अनुपूरक अनुदान मांगों की शक्ल में इस सदन से मांगने की कोशिश की हैं। कुछ मांगें इसमें जरूरी हैं और कुछ मांगें इसमें गैर जरूरी हैं। हमेशा अनुपूरक अनुदान मांगें ऐसे मदों से मांगी जाती हैं, जिसका पूर्वानुमान वित्त मंत्रालय पहले से या संबंधित विभाग पहले से नहीं रखता है। जैसे इसमें हरियाणा सरकार के बाद नियंत्रण हेतु ऋण की शक्ल में 300 करोड़ रुपये की मांग की गई है और उसी प्रकार उड़ीसा राज्य में जमा निधि के लिए 9 करोड़ 19 लाख रुपए की मांग की गई है।। जब ऐसी मांगे इस सदन से मांगीं जाती हैं, तो मैं समझता हूँ कि वह जायज हैं। कोई भी सरकार किसी भी देवी आपदा का पूर्वानुमान नहीं कर सकती है। उस क्षेत्र का नुकसान, वहां की परेशानी और वहां की जनता को राहत देने के लिए यदि इस तरह की अनुपुरक अनुदान की मांगें मांगीं जाये, तो उस का समर्थन किया ही जाना चाहिए। दूसरी तरफ जो हमारे सामने दस्तावेज हैं, उसमें केन्द्रीय विद्यालय अनुसंधान और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दोनों के लिए 109 करोड़ रुपये की मांग की गई है। आखिर मानव संसाधन मंत्रालय जब अपना वार्षिक बजट तैयार करता है, तो इस विभाग के कितने खर्च होंगे, उसके बारे में उसका वार्षिक अनुमान सचमुच में गलत निकलता है। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए जो हमने वार्षिक बजट बनाया, उस बजट में केवल पांच करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया और जब उससे संबंधित अनुपूरक मांगें आती हैं, तो 20 करोड़ रुपये और चाहिए, यानि कि चार गुना। इससे यह बात सिद्ध होती है कि ये महकमे जब अपना वार्षिक बजट बनाते हैं, तो बजट बनाते समय अपनी बुद्धि, अपना विवेक और अपना अनुमान घर पर गिरवी रखकर दफ्तर में बैठकर बजट बनाते हैं। कारण यह है कि बजट जल्दी-जल्दी पास कराना है और बजट पास करा लेते हैं। मैं इस प्रवृत्ति का विरोध करता हूँ और घोर भर्त्सना करना चाहता हूँ।

इसी तरह से इसमें दिया हुआ है कि जम्मु-कश्मीर सरकार को उसकी आयोजना और विधि-व्यवस्था हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए 300 करोड़ रुपये। जम्मू कश्मीर की हालत खराब है, उग्रवाद वहां पांव पसार रहा है। हमारे पड़ौसी देश वहां की स्थिति को भयानक बनाए हुए है और भारत सरकार उस पर काबू पाने में नियंत्रण स्थापित करने में मुश्किल में है।

इसलिए वहां विशेष सहायता तीन सो करोड़ की दी जानी चाहिए। हरियाणा में इतनी बाढ़ आई, आज भी जहां लाखों आदमी बाढ़ के कारण परेशान हैं। आज भी रोहतक के इलाके से बाढ़ का पानी नहीं गया है, इतना बड़ा नुकसान हुआ है उस राज्य को आप सहायता के नाम पर ऋण दे रहे हैं। क्या उनका दोष यही है कि वह जम्मू-कश्मीर में न पैदा होकर हरियाणा में पैदा हो गए हैं। इसलिए मैं इस प्रवृति की भी निन्दा करता हूँ कि भारत सरकार हिन्दुस्तान के हर राज्य के हर नागरिक को इसी देश का नागरिक समझे और इसी तरह की स्थिति माने तथा सभी राज्यों की जनता के प्रति उनको राहत देने का एक जैसा बर्ताव होना चाहिए, यदि उनको कोई तकलीफ या परेशानी है, मैं यह आग्रह करना चाहता हूँ। हमारे जो सार्वजनिक संगठन हैं उनके साथ दो तरह का व्यवहार किया जा रहा है। इस बजट में अमोनिया का जो फर्टिलाइजर प्लांट है उसको 139 करोड़, 149 करोड़ की सहायता भारत सरकार दे रही है। मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में खाद का एक पुराना कारखाना है उसका जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है। यह पिछले 6 साल से बंद है। आज वहां यूरिया की कमी है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में रेल रैक न मिलने से यूरिया नहीं पहुंच रही है। रबी की फसल प्रभावित हो रही है। ट्रावनकोर कोचीन के कारखाने को नयी मशीने लगाने के लिए आप 149 करोड़ का प्रावधान करते हैं। हमसे पैसा चाहते हैं, हम आपको दे भी रहे हैं लेकिन हमने क्या गुनाह किया। 6 साल से हमारा यूरिया प्लांट बंद है। यहां भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय यादव जी बैठे हैं। उस महकमे के वजीर 2200 करोड़ की योजनाएं दूसरे प्लांट्स के लिए, दूसरे खाद्य संयत्र के लिए पूरे हिन्दुस्तान मे देने की बात करते हैं लेकिन यह कहते हैं कि जो गोरखपुर का यूरिया का खाद का कारखाना है उसको हम बद करके बेचने के लिए बाजार में फरोख्त करने की तैयारी कर रहे हैं, मैं इसकी निन्दा करता हूँ।

महोदय मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे आप दूसरे कारखानों को अनुदान देकर उनका जीर्णोद्धार, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण कर रहे हैं, उसी तरह से गोरखपुर के खाद के कारखाने का अभी आधुनिकीकरण और नवीनीकरण भारत सरकार के खर्चे से होना चाहिए। भारत के जितने भी वित्तीय संस्थान हैं उसके लिए धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए, यह भी मांग करता हूँ। .....(**व्यवधान**)

श्री राजबीर सिंह : मोहन सिंह जी, आपने यह अच्छी बात उठाई है । इस बात की सदन में स्वीकृति भी दी थी, आश्वासन दिया था कि गोरखपुर के कारखाने का फिर से नवीनीकरण किया जाएगा, वह क्यों नहीं किया ? .....(**व्यवधान**)

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : आपको याद होगा, मैंने पहले भी कहा था कि गोरखपुर कारखाने को चलाने के लिए हम प्रयास करेंगे और कर रहे हैं। अगर चलाने लायक होगा, हमें राशि उपलब्ध होगी तब हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। मेरी प्रबल इच्छा है वह चले इसके लिए मैं पुरजोर कोशिश करता रहता हूँ। .....(**व्यवधान**)

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : आप इतने समर्थ मंत्री हैं और किसान से जुड़े हुए हैं, किसान परिवार के हैं। किसानों के हित की चिन्ता में रात-दिन लगे रहते हैं।.....(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया इस प्रकार की कोई चर्चा न करें । मोहन सिंह जी, आप अपना भाषण जारी रखें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : उत्तर प्रदेश पर भी वही कृपा कर दीजिये जो बिहार पर की है। .....**(व्यवधान)**

श्री राम लखन सिंह यादव : मैं आपको यह बताता हूँ कि बिहार में मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। बिहार में आप जानते हैं कि मात्र 5 सौ करोड़ रुपये, 17 सौ करोड़ रुपये में हमारी 6 फैक्ट्रिया बंद हो गयी थीं, उनको हमने चलाया। अगर यह पूरा लागू हो जाएगा तो प्रतिवर्ष 23 लाख टन यूरिया हमको मिला करेगा। मैं सोच रहा हूँ जहां-जहां उपलब्धि हो सके, इस तरह से काम चलें। मेरी कोशिश किसी सैक्टर को ताला बंद करने की नहीं है, चलाने की है। मेरी ताला खोलने की इच्छा रहती है, इसलिए मेरी तरफ से उसमें कोई कमी नहीं रहती है। .....**(व्यवधान)**

श्री राजबीर सिंह (आंवला) : मंत्री जी, आपने आश्वासन दिया कि गोरखपुर का कारखाना चलाने के लिए आप प्रयास करेंगे, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कब से यह प्रयास प्रारम्भ कर देंगे और कितने दिनों में पूरा कर देंगे ?

जहाँ तक हो सकेगा, हम इस कारखाने को चलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके लिए धनराशि उपलब्ध होनी चाहिए। आप जिस तरह से कहते हैं कि 64 करोड़ रुपया दे दीजिए, उससे यह कारखाना चल जाएगा और 20 करोड़ रुपया हर साल मुनाफा देगा। मैं चाहता हूँ कि उसका तरीका आप हमको बतला दीजिए और 64 के बजाए 84 करोड़ हमसे ले लीजिए और 20 करोड़ हर साल का होने वाला मुनाफा भी 4 साल तक आप बांट लीजिए।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मंत्री जी ने स्पष्ट आश्वासन सदन के सामने दिया है, इसके बावजूद उनके विभाग में बीआईएफआर में जो रिपोर्ट दी है, उसमें कहा है कि इस कारखाने को चलाना संभव नहीं है और इसको हम बेचने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपने अभी जो आश्वासन दिया है, वह हमारे लिए सर्वोच्च है, शिरोधार्य है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ ।

सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं, भारत सरकार उनके साथ चुनिंदा व्यवहार कर रही है। बहुत अच्छी बात है कि अशोक पेपर मिल को 5 करोड़ रुपया देकर उसका नए सिरे से जीर्णोद्धार करने की बात कही गई है, लेकिन जो अन्य आवश्यक उद्यम हैं, उनको वित्तीय सहायता देने से भारत सरकार कतरा रही है। इसी सदन में एक साल पहले इंडियन एअर लाइंस और एअर इंडिया को निगम से कंपनी में यह तर्क देकर बदला गया है कि इससे कार्य प्रणाली में सुधार होगा और वित्तीय संस्थाए तथा बाहरी संस्थाएं इनमें निवेश कर सकेंगी। बाहर से बहुत पैसा मिलेगा जिससे इन दोनों संगठनों का बहुत विकास हो सकेगा। लेकिन जो अनुपूरक मांगें हमारे सामने आई हैं, इसमें पहले जो 74 करोड़ एअर इंडिया को और 54 करोड़ इंडियन एअर लाइंस को ऋण दिया था, उसको रीइनवेस्ट करने की बात की गई है। जिन संस्थाओं को कंपनी का रूप दे दिया गया है, जो बाहर से धन इकट्ठा कर सकती हैं, जो कंपनियां फिजूलखर्ची में मुब्तिला हैं, जो कंपनियां अपने हवाई जहाजों में अपने लोगों को मुफ्त पास दे रही हैं, जिनके अधिकारी अभूतपूर्व ढंग से आयातित कारें मंगा कर फिजूलखर्ची कर रहे हैं, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, जिसकी वजह से ये संस्थाए घाटे में चल रहीं है , उनको यह पैसा दिया जा रहा है। एअर इंडिया जो पिछले 4 साल से मुनाफे में चल रही थीं, अधिकारियों की लापरवाही और प्रबंधकीय दुव्यर्वस्था के चलते घाटे में चल रही हैं। अधिकासी फिजूलखर्चा करें, घाटा बढता रहे और हम अपनी मूल्यवान पूंजी को जो संचित निधि का पैसा है, सवा-डेढ़ सौ करोड़ रुपया हर साल इनको देते रहें। यह बड़े दुख की बात है।

सभापति महोदय, इसी तरह से खाद्य तेलों के आयात में 60 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जिसकी आप भरपाई कर रहे हैं। देश के मूल्यवान खाद्य तेल को पैसा कमाने के लालच में बाहर भेज दिया जाता है। सरकार हर साल कहती है कि हमारे यहां खाद्यान्न और तिलहन का हमारी आवश्यकतानुसार पर्याप्त उत्पादन हुआ है, लेकिन यहां अनुपूरक मांगों के समय आप कहते हैं कि खाद्य तेलों के आयात में 60 करोड़ का व्यापारियों को घाटा हुआ है, जिसकी भरपाई हम अपने संसाधनों से करेंगे।

इसी तरह से डेढ़ करोड़ रुपये राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया जा रहा है। बड़ी अजीब बात है कि जब सबसे पहले पैसा दिया गया था तो राजीव गांधी फाउंडेशन के अध्यक्ष ने पूरे देश में वाहवाही लेने के लिए कहा कि हम भारत की संचित निधि से एक नया पैसा भी इस संस्थान के लिए नहीं लेंगे, और उस राशि को रिफ्यूज कर दिया था, लेकिन हमेशा चुपके से किसी न किसी बहाने राजीव गांधी फांउडेशन को पैसा दिया जाता रहा है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरह की संस्थाओं का लेखाजोखा और आडिट रिपोर्ट तथा आमदनी का ब्यौरा सदन के सामने रखा जाना चाहिए, देश के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

किस तरह के लोगों ने, किन-किन संस्थाओं ने किस फाउन्डेशन को बाहर से पैसा दिया है इसकी आडिट रिपोर्ट क्या है। हमने अखबारों में पढ़ा है जो संस्था के चलाने वाले कहते हैं कि इसका हम आडिट नहीं करायेंगे। हम देश के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं कि हमारी जो आमदनी का जरिया है वह हम देश को बतायें। इस तरह की गैर-जिम्मेदार संस्थाओं से मैं कहना चाहता हूं, कठोर शब्द की आप चुपके से पैसा देते हैं, इसलिए मैं इसकी निन्दा करना चाहता हूँ।

इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति जी, धन्यवाद करते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

डा० एस० पी० यादव (सम्भल) : सभापति महोदय, वर्ष 1995-96 की अनुपूरक मांगों पर चर्चा हो रही है। मैं इन मांगों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अभी भाई मोहन सिंह जी ने बहुत सी बातों का उल्लेख किया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अनुदान मांगें जो बीच में पेश की गई हैं, 1135.67 करोड़ की, इन में विभिन्न विभागों के लिए अलग-अलग पैसा मांगा गया है। सदन में रसायन और उर्वरक मंत्री जी बैठे हुए हैं, आप कह रहे थे कि कारखानों को चलाने के लिए हमारे अन्दर इच्छा शक्ति है और कारखाने हम चलायेंगे, जो बंद पड़े हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ, किसान जब बुआई करता है, तब आपने डीएपी का रेट 430 रुपये से बढ़ा कर 492 रुपये इसी 1995 में किया है। आपने कभी किसान के बारे में भी सोचने का प्रयास किया है कि हम इतना मंहगा खाद दे कर और उस की खेती को किस प्रकार चलाने का काम करेंगे। किसानों के साथ आज जो मज़ाक हो रहा है, किसान ही इस देश का भाग्य-विधाता है, यदि आप उत्तर प्रदेश

में इस समय जाकर देखें, तो गन्ने का कितना अधिक उत्पादन है। लेकिन किसानों का गन्ना लेने के लिए मिलों के अन्दर जगह नहीं है और अगर जगह भी है, तो उस क्षेत्र के किसानों का गन्ना न लेकर दूसरे क्षेत्रों के किसानों को ब्लैक में पर्चियां बेच रहे हैं और उसके बाद उस का गन्ना ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपने इस व्यवस्था के बारे में भी सोचा, लेकिन आप बजट का पैसा मांग रहे हैं। बजट द्वारा पैसा मांगने का मतलब यह नहीं कि आप पैसा ले ही लेते हैं, लेकिन इस पैसे का सदुपयोग हो रहा है या उपयोग हो रहा है, कभी सरकार ने जानने का प्रयास नहीं किया और न जानकर उस पर अमल करने की कोशिश की।

इस बजट से गृह मंत्रालय के लिए भी कुछ पैसा मांगा गया है। मैं आप से पूछना चाहता हूं, दिल्ली के अन्दर आज आए दिन रात के समय में लोगों के कत्ल हो रहे हैं। अधिकांश बूढ़े और बुढ़िया लोगों के कत्ल हो रहे हैं और जगह-जगह अपहरण हो रहे है। इसके साथ ही दिल्ली के अन्दर डकैतियां हो रही हैं। घर में पकड़ कर बांध दिया जाता है और फिर कत्ल कर दिया जाता है। कभी आपने यह सोचा कि दिल्ली की व्यवस्था यहां सरकार की नाक के नीचे कितनी खराब है, जिसके बारे में कोई हिसाब है नहीं, तो फिर आप कौन से सुधार की बात करते हैं और किस के लिए पैसा मांगते हैं।

5.19 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय, पीठासीन हुए]

श्री राम लखन सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेरा नाम लिया है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। आपको स्वयं पता है कि यूरिया के अलावा जितने रासायनिक खाद हैं, वे सब डिकन्ट्रोल हो गए हैं। इन सब का क्या दाम रखते हैं, या नहीं रखते हैं, यह मेरे बस में नहीं है। यूरिया के लिए हम जिम्मेदार हैं। दूसरी चीज है, कानून .....(**व्यवधान**)

श्री फूलचन्द वर्मा (झाजापुर) : मध्य प्रदेश में यूरिया ब्लैक में मिल रहा है।

श्री राम लखन सिंह यादव : ब्लैक में मिल रहा है, तो आप जानिए। मैं जो बात बार-बार कहता हूं, उसको आप सुनते नहीं हैं। नियम यह है कि मेरा काम यहां से दे देना है, दाम कितना मिलता है, ब्लैक में बेच रहे हैं या कैसे बेच रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की नहीं है, उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।.....(**व्यवधान**)

श्री फूलचन्द वर्मा : हम तो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं .....(**व्यवधान**)

डा० एस० पी० यादव : सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बात कर रहा था कि वहां अव्यवस्था है, कोई देखने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के बारे में 900 करोड़ रुपये की मांग की गई है। जम्मू-कश्मीर में सरकार का कौन सा कंट्रोल है। चार विदेशी लोगों को अभी भी बंधक बनाया हुआ है लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। उन विदेशी बंधकों को छुड़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। सरकार उनके लिये तरह-तरह के सौदे कर रही है। सरकार जानती है कि एक सर्टेन एरिया में विदेशियों को बंधक बनाया हुआ है। सरकार उग्रवादियों को पकड़ने में असमर्थ है। क्या आपने अपनी क्षमताओं के बारे में सोचा है? आप रुपया देकर उनका मुंह बंद करना चाहते हैं। क्या आपने कभी पता लगाया कि जो रुपया उनके विकास के लिए यहां से जा रहा है, वह उन तक पहुंच रहा है या नहीं और वहां के लोगों के विकास पर लग रहा है या नहीं? सरकारी कर्मचारी घोटाले करके सारा पैसा खा जाते हैं। उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है।

शिक्षा के लिए भी पैसा मांगा गया है। मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि शिक्षा की जो दुर्दशा है, उसको आप देखें। दिल्ली में जो केन्द्रीय विद्यालय हैं, उनकी हालत मैं जानता हूँ। वहां बच्चे विभिन्न प्रकार का नशा करते हैं। वहां पढ़ाई की व्यवस्था बहुत खराब है। उत्तर प्रदेश में जूनियर हाई स्कूल, प्राइमरी ऐजुकेशन समाप्त हो गई है। आप यह बात मानव संसाधन विकास मंत्री को बताने का कष्ट करें। आप प्रौढ़ शिक्षा को बंद कर दें। यह पैसा बिल्कुल बेकार जा रहा है। प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर फ्राड़ हो रहा है। वहां किसी प्रकार का पैसा नहीं लग रहा है। आप प्रौढ़ शिक्षा के लिये पैसा देना बंद कर दीजिये। इससे आपको बहुत आमदनी हो जायेगी। विभिन्न प्रदेशों में जो प्राइमरी स्कूल हैं, जूनियर हाई स्कूल हैं, डिग्री कालेज और यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पैसा दे दीजिए। इससे उस पैसे का अच्छा उपयोग होगा। इसका अभी पूर्णरूपेण दुरुपयोग हो रहा है।

आप रोजगार के लिये बात करते हैं। आज देश में बेरोजगारी मुंह बाये खड़ी है। आप 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं। 21वीं सदी में पहुंचते-पहुचते 21 करोड़ बेरोजगार हो जायेंगे। आपका इस ओर कोई ध्यान नहीं है।

दूर संचार के विषय में मैं एक उदारहण देना चाहता हूँ। मेरा लोक सभा क्षेत्र सम्भलपुर यहां से डेढ़ सौ किलोमीटर की दूरी पर है। यहां दूर संचार व्यवस्था पंगु है। पूरा दिन लगे रहो तो भी टेलीफोन पर बात नहीं हो सकती है। मैंने कई बार दूर संचार मंत्री जी से कहा। उन्होंने लिखकर जवाब भी दिया है लेकिन वह सब व्यर्थ है और उसमें तथ्य नहीं है। दूर संचार व्यवस्था बिल्कुल अव्यवस्थित है और यह ऊंचे पैमाने पर है।

आपने स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए भी ग्रांट मांगी है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जी०बी० पंत बहुत अच्छा अस्पताल है। लेकिन यहां सिटी स्कैनर बहुत दिनों से खराब है। इसके कारण मरीज परेशान हैं। अस्पताल में न्यूरोसर्जिकल डिपार्टमेंट के इंटैंसिव केअर यूनिट के लिये पर्याप्त धन नहीं दिया जा रहा है। वैंटीलेटिंग इक्विपमैंट का घोर अभाव है। इस अस्पताल में डी०एस०ए० और एम०आर०आई० की व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री जी यहां नहीं हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय और यहां के कर्मचारी कमीशनखोरी और रिश्वतखोरी के चक्कर में घटिया इक्विपमैंट्स खरीदने के लिए बाध्य करते हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पूर्व में मुख्य मंत्री रह चुके हैं। मेरी मांग है कि जी०बी० पंत अस्पताल के न्यूरोसर्जिकल डिपार्टमैंट की कमियों की गहन जांच करवायी जाये, अव्यवस्था को ठीक किया जाये और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये। यह बहुत ही सटिक इनफर्मेशन हैं। इस अव्यवस्था को ठीक करना चाहिये।

उपाध्यक्ष जी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय से मेरा विशेष विरोध है क्योंकि यह आजकल केवल प्रधान मंत्री जी और उनकी पार्टी कांग्रेस आई के लिए रह गया है। क्या टी०वी० और क्या रेडियो, सब पर इनके कार्यक्रमों का प्रसारण हो रहा है बाकी किसी दल या नेता अथवा एम.पी. को कोई समय नहीं दिया जा रहा है। यहां और किसी को कोई हक हासिल नहीं है। सुबह-शाम प्रधान मंत्री जी के कार्यक्रमों की झड़ी लगायी जा रहीं है क्योंकि निकट भविष्य में चुनाव होने वाले हैं, तो इसलिये अपने प्रचार में तेजी ला रहे हैं। हम आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करते हैं कि सभी दलों के नेताओं के कार्यक्रमों को दूरदर्शन और रेडियो पर स्थान मिलना चाहिए।

विद्युत मंत्रालय की ओर से एक कुटीर ज्योति के नाम से धन की मांग की गयी है। मैं जानता हूँ कि यह कार्यक्रम पहले चला था जो आज लुप्त हो गया है। हमने देखा है कि पहले हमारे प्रदेश में कुटीर ज्योति के माध्यम से कुछ गांवों के लिये बिजली आवंटन किया गया था लेकिन वर्तमान समय में यह योजना

काम नहीं कर रही है। लगता है उत्तर प्रदेश में यह योजना समाप्त हो गयी है।

उपाध्यक्ष जी, भूतल परिवहन विभाग के लिए कुछ मांगें रखी गयी हैं। इसके बारे में यह कहना है कि दिल्ली के अंदर ही अव्यवस्था देख लीजिए। विभाग ने जो रेडलाईन बसें चलायी हैं, उसने लोगों को इधर उधर ले जाने का काम तो किया हैं लेकिन अबोध बच्चों, महिलाओं और अन्य व्यक्तियों को जान से मारने का काम भी किया है। मेरा आपसे निवेदन है कि पहले आप दिल्ली की सड़कों को तो ठीक कराईये। दिल्ली के अंदर रैड लाईन वाले अपनी बसों को लेकर ऐसे दौड़ात हैं, यदि आप बचना चाहे तो ठीक वरना मरने से तो बच नहीं सकते हैं। आये दिन अखबारों में शिकायतें पढ़ने को मिलती हैं। अभी लखनऊ-मेरठ रोड पर, दिल्ली मेरट रोड पर खराब सड़कें होने के कारण इतने एक्सीडेंट होते रहते हैं। अभी कल ही मेरट रोड पर एक परिवार के सात सदस्य एक्सीटेंड में मारे गये। यह स्थिति खाली गाड़ी खराब होने के कारण नहीं, खराब सड़क के कारण भी होती हैं। इनकी मरम्मत का काम जब होता है तो बारिश होने तक पीछे का साफ हो जाता है और फिर आगे आगे काम चलने लगता है। इससे लोगों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि आपका बजट पहले से ठीक नहीं रहता है और बीच में आप अपनी मांगें बढ़ाते रहते हैं। अगर आप पैसा लेते हैं तो कम से कम विभिन्न मंत्रालय के मंत्री अपने जिम्मेदारी को तो समझें कि वे किस प्रकार से पैसे का उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग हो रहा है । मंत्री लोग तो सरकारी पैसे के कस्टोडियन हैं। आपको चाहिये कि आपके विभाग में जो अव्यवस्थायें कर रहे हैं, पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करें। लेकिन हम तो यह समझते हैं कि आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने विभाग के लोगों के माध्यम से जनता को अच्छी से अच्छी सेवा देने का कष्ट करें इन्हीं शब्दों के साथ ही अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अनुदान की पूरक मांगों पर बोलने के लिये समय दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, इन अनुपूरक मांगों की क्या आवश्यकता पड़ी है? क्या सरकार का बजट बनाते समय इन अधिकारियों ने इस बात का ध्यान नहीं रखा था?

आखिर यह बजट किस तरीके से पेश किया गया था? सारी सुविधाएं उसमें की गई फिर भी अनुपूरक मांगों की जरूरत पड़ी। दुर्भाग्य की बात यह है कि आजादी के बाद हिन्दुस्तान की संसद में वही लोग बजट पेश करते हैं, जो ब्रिटिश साम्राज्य के बाद हमें धरोहर में मिले थे। डेमोक्रेसी के लोग, सरकार के लोग अगर इस बात का ध्यान नहीं रखते कि बजट में यह प्रावधान हिसाब से क्यों नहीं किया जा रहा है तो इन अनुपूरक मांगों की जरूरत नहीं पड़ती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की मानसिकता यह है कि आगे लोक सभा के चुनाव आने वाले हैं। इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार अनुपूरक मांगों के जरिये हो रहा है। इसलिए इन अनुपूरक मांगों का मैं घोर विरोध करता हूँ।

अभी माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे कि इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। किसान को साल में सिर्फ एक बार खेती में प्रयोग के लिए डीएपी खाद और यूरिया की जरूरत पड़ती है। मैं आपको आंकड़े देकर बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त 1991 में सरकार सत्ता में आई थी, डीएपी का दाम 291 रुपए था। 1993 में 450 रुपए हुआ और 1995 में 492 रुपये हो गया। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार जितना काम करती है वह किसान विरोधी काम करती है।

शिक्षा के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। केन्द्रीय विद्यालय के लिए सौ करोड़ रुपये की मांग की गई है। शिक्षा ज्ञान का मन्दिर होते हैं। हमारे देश की 65 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। आज़ादी के बाद आज उन लोगों को जो शिक्षा का मौलिक अधिकार होना चाहिए। वह अभी तक नहीं मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल की व्यवस्था नहीं है। अगर स्कूल है तो मास्टर नहीं है, मास्टर है तो बैठने के लिए टाट-बिछौना नहीं है। रूरल और ट्राइबल एरियाज में गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश समूचे भारतवर्ष का सबसे बड़ा प्रान्त है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरा चुनाव क्षेत्र फिरोजाबाद है। फिरोजाबाद में प्रौढ़ शिक्षा के बारे में मेरे मित्र कह रहे थे कि वास्तविकता यह है कि प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में भारत सरकार ने अरबों रुपया खर्च किया और आज भी ये अरबों रुपया मिलीभगत के कारण भ्रष्टाचार में चला जाता है। कहीं इस तरह से व्यवस्था नहीं कि गई कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूर या किसान का बेटा है उसको शिक्षा प्राप्त हो। इसलिए मैं इन मांगों का घोर विरोध करता हूँ।

जम्मू-कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है। कश्मीर के प्रति हमारे देश में एक वातावरण बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के नौजवान आज बेरोजगार हैं। उनके लिए इसमें कुछ प्रावधान करना चाहिए था। बड़े दुःख और विडंबना के साथ मैं इस बात को रखना चाहता हूँ कि कश्मीर के अंदर आज भी भारत का प्रत्येक नागरिक नहीं कह सकता कि कश्मीर भारत माता का मुकुट है। आज भी वहां ऐसी गतिविधियां हैं जिससे वहां का शिक्षित बेरोज़गार मारा-मारा सड़कों पर फिर रहा है, वह बंदूक उठाने के लिए मजबूर हो गया है। भारत सरकार का वर्चस्व वहां पर क्यों नहीं हो पाया है? इसलिए जम्मू कश्मीर के लिए जो अनुदान मांग पेश की गई है मैं इसका भी विराध करता हूँ। अगर भारत सरकार का वहां वर्चस्व होता तो वहां का हर नागरिक कह सकता कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कश्मीर भारत का मुकुट है।

उद्योग आम नागरिक को रोजगार की सुविधा देता है।

हम अमरीका, जापान और ईरान की बात करते हैं। सन् 1993-94 में जितने छोटे-छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग अमरीका के अंदर थे, अभी एक छोटी सी किताब मुझे पढ़ने के लिए मिली थी, वास्तव में छोटे-छोटे उद्योगों के कारण आज अमरीका दुनिया में सबसे बड़ा प्रभावशाली देश है। वह उद्योगों से ही पनप रहा है और उद्योगों में अपनी एक विशिष्टता बनाये बैठा है। इसीलिए प्रधान मंत्री ने यह भी कहा था कि वास्तविक रूप से हिन्दुस्तान में अगर छोटे-छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग पनपेंगे तो उससे हमारी बेरोजगारी खत्म होगी। आखिर बेरोजगारी कैसे खत्म हो क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और राजस्थान के अंदर बड़े-बड़े उद्योग बंद किये जा रहे हैं, तमाम उद्योग बीमार पड़े हुए हैं लेकिन वहां सरकार माडर्नाइजेशन की बात करती है। जमीन बेचने के बाद उनके माडर्नाइजेशन की बात करती है। मैं सरकार से पूछता हूं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हिन्दुस्तान के अंदर, देश के अंदर किसी की कोई कमी नहीं थी। जब हमारे महान पुरुषों ने इस देश की आजादी के लिए वन्देमातरम कहकर फांसी के फंदे को चूमा था। उस समय हमारे देश के अंदर सब कुछ था, फिर आज यह सरकार और उस देश के प्रधान मंत्री विदेशों से कर्जा मांगने के लिए विवश हो रहे हैं ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? सरकार को इस बात की व्यवस्था सोचनी चाहिए कि आज हम लोग दूसरों से कर्जा मांगने के लिए क्यों विवश हो रहे हैं लेकिन सरकार को इस बात की कतई चिंता नहीं है। उसी देश के नागरिक से पूछकर देखिये कि क्या हालत

है ग्रामीण क्षेत्र में हमारा 65 परसेंट भारत रहता है लेकिन उसके लिए बिजली की व्यवस्था नहीं है, किसान के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। आदमी के जीवन के लिए जो वास्तविक मौलिक चीजों की जरूरत होती है वह किसान को मजदूर को और इस देश के नागरिकों को उपलब्ध नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार, सभी राजनीतिक दल और हम सब लोगों को बैठकर इस पर विचार करना चाहिए कि आखिरकार यह फूहड़पन क्यों हुआ। इस देश के अंदर फूहड़पन इसलिए हुआ क्योंकि सत्ता में बैठे हुए, सत्तासीन लोग और डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी दोनों से मिलकर जबदरस्त बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दिया। यह भ्रष्टाचार जब तक इस देश में नहीं रुकेगा, तब तक यहा सुदृढ़ व्यवस्था नहीं बन सकती।

स्वास्थ्य के संबंध में एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आज कितनी अर्थव्यवस्था सही है, अच्छे-अच्छे उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आप जाइये। मैं ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ इसलिए अपनी बात को रख रहा हूँ कि रात को अगर आम नागरिक बीमार पड़ जाता है। तो उसके लिए कहीं कोई डिस्पेंसरी की व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई डाक्टर की व्यवस्था नहीं है, और तो और जो वास्तविकता है भारत सरकार का उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, मध्य प्रदेश सरकार हो, राजस्थान सरकार हो जितनी भी राज्य सरकारें हैं, सभी सरकारों को समय-समय पर मानिटरिंग करनी चाहिए। प्रोपर बजट के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। आज भारत सरकार टाल देती है कि राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। रात्रि के समय, अगर किसी महिला का कोई डिलीवरी का केस है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में नर्स की व्यवस्था नहीं हो पाती है।

आजादी के बाद कितना विकास हुआ, इस देश में 5 लाख 96 हजार ग्राम सभायें हैं। इस वक्त 35 परसेंट ग्राम सभाएं मात्र जोड़ी गई हैं जहां सम्पर्क मार्गों की व्यवस्था की गई है बाकी 65 परसेंट गांव अभी भी भारत में ऐसे रह गये हैं जहां अभी तक कोई सम्पर्क मार्ग की व्यवस्था नहीं है। किसी भी चीज की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं अधिक न कहकर सिर्फ सरकार से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले ही बजट में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि अनुपूरक मांगें न लानी पड़तीं। जब ये आ ही गयी हैं तो मेरा निवेदन है कि सरकार इस तरीके से उसकी मानिटरिंग करें और समय-समय पर इसकी व्यवस्था करती रहे, आपको सद्बुद्धि मिले कि आगे चलकर इसकी व्यवस्था सही सुदृढ़ तरीके से बन सकें। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 1995-96 के अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूँ।

यह वर्ष 1995-96 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरी बारी है। अब यह एक परंपरा सी बन गई है कि प्रत्येक सत्र में, इस सभा में हम बजट पेश करते हैं और उत्तरोत्तर वर्षाकालीन सत्र में फिर शीतकालीन सत्र में संसद में हम अनुदानों की अनुपूरक मांगें पेश करते हैं। वर्षाकालीन सत्र में भी हमने पहले अनुदानों की अनुपूरक मांगें रखी थीं और अब अनुदानों की अनुपूरक मांगें दूसरी बार रखी गई हैं।

हमारे जैसे बड़े देश में तथा देश में जो स्थिति है, उसके मद्देनजर यह नहीं कहा जा सकता है कि एक बार में लेखों का वार्षिक विवरण, जिसे देश का बजट कहा जाता है, में खर्चों को शामिल किया जा सके। अतः ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, जहां व्यय की कुछ मदों का पहले अनुमान नहीं लगाया जा सकता और अनुपूरक बजट के रूप में आने वाली आपात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें सभा में अनुपूरक बजट के रूप में जाना पड़ता है। विपक्ष को इसकी अधिक आलोचना नहीं करनी चाहिए। यहां तक ही राज्यों में लगभग सभी राज्यों में, चाहे वहां सरकार किसी भी पैटर्न की हो अर्थात् चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में हो, यह एक प्रथा बन गई है।

जैसाकि आप जानते हैं, हमारे देश में मुख्य राजनीतिक पार्टियां किसी न किसी राज्य में सत्ता में हैं। जैसे कि बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, में विभिन्न दल सत्ता में हैं और सभी जगह इसी प्रकार की व्यवस्था मिलती है। मै नहीं जानता कि विपक्षी दल में इसका विरोध करने के उद्देश्य से ही इसका विरोध क्यों कर रहे हैं।

अग्रेतर इसमें 29 अनुदान हैं, जिन्हें अनुदानों के अनुपूरक मागों के इस बैच में शामिल किया गया है, जो कुल मिलाकर 3332.25 करोड़ रुपये बैठती है। इसमें से 1135.67 रुपयों का संबंध 16 मदों से है और शेष तकनीकी प्रकृति की हैं अर्थात् अनुदानों की तकनीकी अनुपूरक मांगें कुल 2196.44 रुपये हैं, जिनकी तुलना बचतों, अनुदानों और अतिरिक्त शुल्कों से की जाती हैं। यह समन्वय का प्रश्न है।

2196.44 करोड़ रुपये का प्रश्न समन्वय अथवा एक मद से अन्य मद में हस्तांतरण से संबंधित है। यहाँ यह बताना उचित हैं। 1135.67 करोड़ रुपये में से दो-तिहाई राशि का सम्बध तीन मदों से है। अर्थात 800 करोड़ रुपये की धनराशि तीन मदों से संबंधित है। इसके बारे में यहां विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए। जम्मू और कश्मीर सरकार की अपनी योजना के वित्त पोषण हेतु, जो 300 करोड़ रुपये हैं, विशेष केन्द्रीय सहायता की मांग है। क्या उसका विरोध किया जा सकता था? दूसरे, यहाँ एक अन्य प्रमुख व्यय है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन को 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त अनुदान सहायता और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 109 करोड़ रुपये का अनुदान कुल मिलाकर 209 करोड़ रुपये दिये जाने हैं। यह एक अन्य प्रमुख मद है।

तीसरे, सरकारी क्षेत्र के पाँच रुग्ण उद्यमों को उनके वेतन, मजदूरी और बोनस की अदायगी के लिए 142.74 करोड़ रुपये दिये गये हैं। पहले दो पृष्ठों पर यह संख्या एक से सोलह के लिए कुल 1135.67 करोड़ रुपये में से लगभग तीन-चौथाई धनराशि तीन मदों अर्थात् जम्मू और कश्मीर के लिए 300 करोड़ रुपये, केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए 209 करोड़ रुपये तथा अन्य 142.74 करोड़ रुपये वेतन बिलों के भुगतान तथा अन्य खर्चों हेतु सरकारी क्षेत्र के पाँच रुग्ण उद्यमों के लिए है। कोई छोटी सी मद भी मेरे राज्य के लिए अत्यधिक महत्व रखती है। मद संख्या चार, वर्ष 1996-96 के लिए उड़ीसा राज्य के आपदा राहत कोष को पहले से दिए जाने वाले केन्द्रीय अंशदान से संबंधित है। यह 9.19 करोड़ रुपये है।

एक अन्य 300 करोड़ रुपये की मद हरियाणा में बाढ़ इत्यादि के लिए मध्यावधि ऋण प्रदान करने हेतु है। मैं यही कहूंगा कि उड़ीसा प्राकृतिक आपदाओं का गृह है। ऐसे छोटे-छोटे राज्य बारी-बारी से हर वर्ष बाद, तूफान और सूखे की चपेट में आते रहते हैं। लेकिन इन राज्यों में प्राकृतिक संसाधनों का बाहुल्य है। इस वर्ष मई में हमारे यहाँ 9-10 दिन तक काफी अधिक वर्षा हुई। यहाँ ऐसी बारिश सर्दियों तक भी जारी रही। यह फसलों के लिए पूर्ण रूप से नुकसानदेह है।

उड़ीसा की क्या मांग थी? दसवें वित्त आयोग के अनुसार उड़ीसा की वार्षिक माग लगभग 45 करोड़ रुपये थी। दसवें वित्त आयोग के निष्कर्षों के विरुद्ध हमारी शिकायत उचित है। नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर उड़ीसा को 2,100 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। दसवें वित्त आयोग के कुछ गलत दृष्टिकोण अपनाने तथा गलत गणना के कारण उड़ीसा को न्याय नहीं मिला है। नौवें वित्त आयोग की तुलना में इस बार यह घटकर न्यूनतम 2,100 करोड़ रुपए हो गया है। निर्धनता से पीड़ित उड़ीसा राज्य की सहायता के लिए ऋण के रूप में 100 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। एक अन्य पृष्ठ पर हरियाणा की इन अनुपूरक माँगों के लिए 300 करोड़ रुपये के ऋण की माँग की गई है।

मैं माननीय वित्त मंत्री से उड़ीसा की तर्कसंगत माँग तथा उसकी मौजूदा दयनीय स्थिति पर गंभीरता से विचार करने और उसके साथ-साथ न्याय करने का अनुरोध करता हूँ।

जैसाकि आप जानते ही हैं कि जब इस सरकार ने वर्ष 1991 में सत्ता संभाली तो इसकी अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी। अब इसको पुनः इसके पूर्व रूप में लाया गया है। उस समय सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में घाटा नौ प्रतिशत का और व्यय 20 प्रतिशत के लक्ष्य को पार कर चुका था।

लेकिन कई वर्षों से अनेक सुधार किए गए हैं और यह प्रक्रिया जारी है, जिसके परिणाम भी सामने आए हैं। निःसंदेह इस वर्ष प्राप्त राजस्व की स्थिति भी काफी संतोषजनक रही है। मैं अब स्वयं वित्त मंत्री के वक्तव्य पर आता हूँ। संपूर्ण विकास की स्थिति तो काफी अच्छी रही है लेकिन उत्पाद-शुल्क संतोषजनक नहीं है। यह लगभग 15-16 प्रतिशत लक्षित विकास दर के मुकाबले 8.5 प्रतिशत के स्तर पर ही रहा है। अतः यह संतोषजनक नहीं है लेकिन इसके साथ ही राजस्व विकास की दर 33 प्रतिशत रही है और आयात दर काफी ऊँची 27 प्रतिशत रही है। निःसंदेह मूल्य स्थिति, जिस पर कल चर्चा की जायेगी, के साथ-साथ संपूर्ण आर्थिक स्थिति के बारे में कहा जा सकता है कि मुद्रा की पूर्ति काफी अधिक रही है। इस चर्चा में मैं मूल्य स्थिति पर विस्तार से नहीं बोलूँगा। गरीबी उन्मूलन तथा लोगों के लिए इस वर्ष माननीय प्रधान मंत्री ने अनेक कार्यक्रम चलाये हैं। यहाँ इस विषय की आलोचना नहीं की जा सकती क्योंकि हमें गरीबी से लड़ना है और इसीलिए इस प्रश्न पर कोई आपत्ति नहीं कि जा सकती।

मूल्य वृद्धि के बारे में प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि सभी वर्गों के कर्मचारियों के वेतन भत्तों और न्यूनतम मजदूरी इत्यादि में उतरोत्तर वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। अग्रेतर, स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर किसानों और उत्पादकों की सहायता करने के उद्देश्य से स्वभावतः उनके उत्पादकों के अधिप्राप्ति मूल्यों में वृद्धि की गई है। आप जानते हैं कि पिछले दो वर्षों से धान तथा गेहूँ के प्रति क्विंटल मूल्यों में लगभग 50 रुपये की वृद्धि हुई है। इसका प्रभाव बाजार में अन्य क्षेत्रों में भी हुआ है। इस प्रकार से मजदूरी में तथा संपूर्ण रूप से मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हुई है लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि सरकार इनके बारे में पूर्ण रूप से सचेत है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप किसी फैक्ट्री में किसी विशेष वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसकी निर्यात लागत भी निर्धारित की जाती है। जहाँ तक कृषि का संबंध है, आप उत्पादन लागत पर विचार नहीं करते। यही प्रश्न है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : महोदय, मैं उस प्रश्न पर नहीं बोल रहा हूँ... .....(व्यवधान)

श्री सत्यदेव सिंह : यही मुख्य कठिनाई है। वह फैक्ट्रियों के बारे में चिंतित हैं, लेकिन मजदूरों के बारे में नहीं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : खाद्यान्नों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वे देश के एक भाग से दूसरे भाग में आसानी से आ जा सकता है और लोग चावल सहित इनका निर्यात भारत से बाहर भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे क्षेत्र में भी हीराकुंड में गोदामों में काफी मात्रा में चावल उपलब्ध है। रेलगाड़ी की सुविधा उपलब्ध है। बंग्लादेश इत्यादि के साथ कुछ समझौते किए गए हैं। मैं यह नहीं कहता कि उत्पादक काफी समृद्ध हैं और उन्हें प्रोत्साहनों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अधिप्राप्ति मूल्यों में वृद्धि के साथ-साथ ही बाजार में अन्य वस्तुओं और मजदूरी में वृद्धि भी दृष्टिगोचर है। हमारे वित्त मंत्री डा० सिंह ने इस पर अंकुश लगाने तथा इस स्थिति से निपटने के लिए उपायों का अपने वक्तव्य में उल्लेख किया है। संगठित क्षेत्र तथा वेतनभोगी लोगों को महंगाई भत्ते के रूप में प्रोत्साहन प्राप्त होते हैं लेकिन असंगठित क्षेत्र में हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अनिवार्य वस्तुएं लोगों तक उचित मूल्य पर किस प्रकार पहुंचे। जब तक राज्य सरकारें व्यवस्था को कड़ी नहीं करती तथा जब तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समुचित रूप से सरल नहीं बनाया जाता, तब तक इसके फायदे निम्नवर्ग के लोगों तक नहीं पहुंच सकते। थोक मूल्य स्तर तथा मूल्यों इत्यादि पर मुद्रास्फीति का चाहे जितना भी दबाव हो, उपभोक्ता स्तर पर इसमें काफी अंतर मिलता है। नागरिक आपूर्ति विभाग में सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा राज्य सरकारों की मशीनरी का नवीनीकरण किए जाने की आवश्यकता है, अभी, मुझसे पहले के वक्ताओं ने कहा है कि भारत सरकार को इस पर निगरानी रखनी चाहिए। इस पर भारत सरकार को निगरानी क्यों रखनी चाहिए। कई बार इसे राज्य सरकारों के मामलों में केन्द्र सरकार का हस्तक्षेप माना जाता है। यहाँ अनुदानों की अनुपूरक मांगों में एक उपबंध है जिसके द्वारा राज्य सरकारों को सैकड़ों करोड़ रुपये की मदद दी जायेगी। कई बार यह माँग की जाती है कि केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार को पैसा देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और साथ ही विपक्ष के हमारे कुछ मित्र कहते हैं कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों की क्या आवश्यकता है। विपक्ष के हमारे मित्रों द्वारा इस प्रकार का विरोधी दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है।

महोदय, मुख्य आयुक्तों, सीमा तथा उत्पाद शुल्क के आयुक्तों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कर वंचकों को सजा दिलाने, इस मशीनरी की खामियों को दूर करने तथा 'मोडवेट' योजना इत्यादि के दुरुपयोग के पूर्ण लेखे जोखे के लिए कड़े उपाय करने का सुझाव दिया। उन्होंने सरकार के बढ़ते हुए वित्तीय घाटे पर भी चिंता व्यक्त की और खर्च पर नियंत्रण तथा राजस्व आय को बढ़ाने के लिए विशेष उपायों का आह्वाहन किया।

महोदय, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार स्थिति से पूर्ण रूप से अवगत है और विशेष तौर पर वित्त मंत्री, जैसाकि उन्होंने अपने आज के वक्तव्य में बताया है और जैसाकि विभिन्न मंचों पर दिए गए उनके भाषणों से स्पष्ट है, इसके लिए उपाय कर रहे हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जाटवपुर) : श्री पाणिग्रही, कुछ वित्त मंत्री के कहने के लिए भी छोड़ दीजिये। आप वे सभी बातें कह रहे हैं, जो वित्त मंत्री को कहनी चाहिये।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : महोदया, उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है और वह आपके सभी प्रश्नों का संतोषजनक ढंग से उत्तर दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : पाणिग्रही जी, आप 15 मिनट पहले ही ले चुके हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : महोदय, प्रधान मंत्री महोदय ने कल दिल्ली में बिजनेस को संबोधित करते हुए कहा था कि हम विश्वीकरण की अपनी नीति में राष्ट्रीय हित को दाँव पर लगाने वाला कोई काम नहीं करेंगे। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है और यह बात हमने अच्छी तरह स्पष्ट कर दी है और उसी के अनुसार हम अपनी औद्योगिक और आर्थिक नीति चलायेंगें। उन्होंने यह बात स्पष्ट कर दी है।

महोदय, रुग्ण उद्योगों के सम्बंध में, मैं यह अनुरोध करना चाहूँगा कि इससे अनेक लोगों, मुख्य रूप से मजूदर वर्ग को चिंता हो रही है। मैं यह सुझाव देना चाहूँगा कि औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास मौजूद सभी प्रस्तावों को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और भारत सरकार को रुग्ण उद्योगों को पुर्नजीवित करने के लिए अति उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

महोदय, मैं विशेष रूप से यहाँ उपस्थित वित्त मंत्री और उनके वरिष्ठ सहयोगियों का गरीबी उन्मूलन जैसे लागू किए जा करे कुछ कार्यक्रमों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ मैं प्रधान मंत्री रोजगार योजना का विशेष उल्लेख करना चाहता हूँ। इस योजना के अंतर्गत बैंकों के प्रतिनिधियों की एक समिति द्वारा चयनित लाभार्थियों, बेरोजगार युवकों का चयन किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : पाणिग्रही जी, आप 20 मिनट ले चुके हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मैं भाषण समाप्त कर रहा हूँ। उनकी उनके प्रति यचनबद्धता है। लेकिन जब उन परियोजनाओं के वित्त पोषण और ऋण स्वीकृत करने की बात आती है। तो लाभार्थी युवा बेरोजागार बैंकों में जाते हैं और बैंक के कर्मचारी अपनी वचनबद्धता का निभाते नहीं हैं।

यह एक बहुत गंभीर चूक है। इसलिए वित्त मंत्रालय को तुंरत इस हानिकारक और अवांछनीय स्थिति की ओर ध्यान देना चाहिए और इसका समाधान ढूंढना चाहिए। तत्पश्चात उन्हें बैंकों को सुस्पष्ट अनुदेश जारी करने चाहिए जिसमें यह निर्धारित किया जाये कि बैंक अधिकारियों की उपस्थिति में ग्रामस्तर पर जो भी सूची बनाई जाती है, उसका पालन किया जाये और उस पर अवश्य ही अमल किया जाये।

महोदय, इन शब्दों के साथ, मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि यह आत्म-संतुष्टि का समय नहीं है और वित्त मंत्री जी को कार्यवाही करनी है और हमारी अर्थव्यवस्था में और सुधार लाने के लिए आर्थिक उपाय शुरू करने चाहिए।

6.00 म०प०

[हिन्दी]

श्री रूप चन्द्र मुरमु (झाडग्राम) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे बोलने का मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं सदन का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि हमारी पार्टी की ओर से कामरेड सुशांत चक्रवर्ती ने बहुत सारे पाइण्ट्स रेज़ किये हैं।

मैं बंगला में बोल रहा हूँ।

[अनुवाद]

*महोदय सरकार ने वर्ष 1995-96 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें रखी हैं। मानसून सत्र में भी संसद द्वारा अन्य अनुपूरक मांगों को स्वीकृति दी गई थी। 9 महीनों की अवधि के अन्दर अत्यधिक राशि की मांग की दूसरी अनुपूरक मांगें पेश की गई हैं। इसका क्या कारण है? जहां तक मेरी जानकारी है, आगामी आम चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए यह अनुपूरक मांगे संसद के समक्ष रखी गई हैं। इन मांगों के द्वारा सरकार आम जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहती है। यदि यह बात नहीं है तो हम कह सकते हैं कि सरकार में दूरदर्शिता का अभाव है, जो कुछ भी है, सरकार की कमजोरी इससे उजागर हो गई है। इतनी अधिक राशि कहां से आयेगी? सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं बताया है। जहाँ तक हमारा सम्बंध है, यह सारी धनराशि कर-दाताओं से वसूल की जायेगी, विशेषकर उनसे जो गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं, उन पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा, सबसे अधिक नुकसान उन्हें उठाना होगा। हमें यह कहना चाहिए कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में बुरी तरह असफल हो गई है, सरकार की वित्तीय नीति पूरी तरह नाकाम रही है। यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है।

सर्वप्रथम, मैं उर्वरक विभाग के लिए की गई मांगों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। इस मांग में, यह उल्लेख किया गया है कि बंकोर स्थित उर्वरक एंव रसायन कम्पनी के लिए कुछ धनराशि आवांटित की जायेगी, यह अच्छा लक्षण है। यदि कोई कम्पनी रुग्ण हो जाती है तो इसको फिर से चालू करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। हम सरकार के इस तरह के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। इस सम्बध में, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हल्दिया पेट्रो-रसायन परिसर के बारे में कुछ बताएं मिदनापुर में, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन कारखाना स्थापित किया गया है। लेकिन उसकी उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हुआ है। मैं माननीय मत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि उक्त कारपोरेशन में अब तक पूरी उत्पादन क्षमता का उपयोग क्यों नहीं हुआ है। उक्त कारपोरेशन अपनी पूर्ण उत्पादन क्षमता से उर्वरक का उत्पादन करने के लिए हर तरह से तैयार से हैं। यहां से मजदूर भी उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही हैं? इसका कारण क्या है? ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक कारणों की वजह से वहां कार्य शुरू नहीं किया गया है क्योंकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है। वहां विपक्षी दल की सरकार है। वामपंथी सरकार इस समय वहां सत्ता में है और कुमारी ममता बनर्जी ने अनेक कारणों से पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की है। मैं इन सब आरोपों का खंडन करता हूँ।

जहां तक उर्वरकों का सम्बंध है, सरकार का बाहर के देशों से उर्वरकों का आयात करने का प्रस्ताव है जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। यदि सभी उर्वरक कम्पनियों को उर्वरकों के उत्पादन हेतु आधुनिक बनाया जाता है तो इन कारखानों से पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का उत्पादन हो सकता है और कम खर्च से देश की उर्वरकों की मांग पूरी की जा सकती है और उसके द्वारा हम बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत कर सकते हैं। उक्त कार्य करने के बजाय सरकार विदेशों से उर्वरकों का आयात कर रही है। हमारा देश एक कृषि प्रधान

* मूलतः बंगला में दिए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

देश है और देश की 77 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। बाहर के देशों से उर्वरकों का आयात करने पर हम यह भली-भांति कह सकते हैं कि हमारी सरकार किसान विरोधी है। सरकार द्वारा जो नीति अपनायी जा रही है, उसे बदला जाना चाहिए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे अपनी उर्वरकों सम्बंधी नीति में परिवर्तन करें।

अगली बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्यजनिक वितरण प्रणाली के बारे में है। राज्य व्यापार निगम को हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए सरकार का उन्हें भारी धनराशि देने का प्रस्ताव है सरकार की गलत नीति के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली कोई लाभ प्रदान करने में असफल रही है, सरकार की गलत नीति के कारण आम लोगों की आय धीरे-धीरे कम हो रही है। और लोगों की क्रय शक्ति में भी कमी आयी है और वे उचित दर की दुकानों से वस्तुएं खरीदने की स्थिति में भी नहीं हैं। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि सरकार को आवश्यक वस्तुओं पर राजसहायता देनी चाहिए ताकि आम उपभोक्ता उन्हें खरीद सकें। आयातित खाद्य तेल के लिए जो राजसहायता दी जा रही है, वह बहुत अधिक है।

जहां तक दूर संचार विभाग का सम्बंध है, मैं कहना चाहता हूँ कि दूर संचार सम्प्रेषण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। अब सरकार इस विभाग को भी निजी क्षेत्र को देने का प्रयास कर रही है और विदेशी कम्पनियां इस विभाग का कार्यभार संभाल रही है। हम इस नीति का विरोध करते हैं। अब स्थिति इतनी खराब है मेरे निर्वाचन क्षेत्र झाड़ग्राम से यदि मैं दिल्ली एस०टी०डी० कॉल करना चाहता हूँ तो यह सम्भव नहीं है। कई अवसरों पर मैंने एस०टी०डी० कॉल करने की कोशिश की लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। हर बार यही उत्तर मिलता था कि लाइन व्यस्त है, कृपया कुछ देर इंतजार करें। इस बारे में, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रणाली में कुछ परिवर्तन किया जाये।

जहाँ तक स्वास्थ्य मंत्रालय का सम्बंध है, इस विभाग को आवंटित धनराशि बहुत कम है। चूंकि धनराशि कम आवंटित की गई है, अतः स्वास्थ्य विभाग आम जनता के स्वास्थ्य के देखभाल करने की स्थिति में नहीं है। इसके परिणामस्वरूप मलेरिया जैसी महामारी तथा अन्य बीमारियां देश के कोने-कोने में फैल रही हैं। यदि आवंटित राशि में वृद्धि की गई होती तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि भारत में बाल मृत्यु-दर बहुत अधिक है। इसका कारण यह है कि गर्भवती माताओं को पोषक भोजन नहीं मिल पाता है जिसके फलस्वरूप कम वजन के शिशु पैदा होते हैं। कई मामलों में तो जन्म के समय ही शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि स्वास्थ्य विभाग के लिए पर्याप्त धनराशि का आवंटन करें ताकि समुचित स्वास्थ्य रक्षा प्रदान की जा सके।

जहां तक भारतीय संस्कृति का सम्बंध है, यूरोप की सभ्यता ने हमारे देश में पदार्पण कर लिया है, संस्कृति के नाम पर कुछ विदेशी कंपनियां हमारे देश में संस्कृति की गन्दी तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके फलस्वरूप हमारी भावी पीढ़ियों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह यह ध्यान दे कि हमारी संस्कृति की गलत ढंग से पेश न किया जाये। रांची में, जनजातीय लोगों के कल्याण हेतु एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया है। कुमारी ममता बनर्जी ने भी इसका उल्लेख किया है। जनजातीय लोगों की समस्याएं केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं है अपितु पूरे देश में उनकी ये ही समस्याएं हैं। देश के विभिन्न राज्यों में जनजातीय लोगों के कामकाज की दशा क्या है। हमारा देश लगभग 50 वर्ष पूर्व स्वतंत्र हुआ था लेकिन आज भी जनजातीय लोगों की दशा में सुधार नहीं हुआ है। जनजातीय गावों में पीने के पानी की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। मैं नल के पानी की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन पेयजल भी उपलब्ध नहीं है। जनजातीय लोग झरनों से पीने का पानी लेते हैं जहां से उनके साथ-साथ अन्य जानवर जैसे कुत्ते, बिल्लियां, गायें और भैंसें भी वहीं पानी पीते हैं। कुमारी ममता बनर्जी ने भी इसका उल्लेख किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्ष के बाद भी केन्द्र सरकार जनजातीय लोगों की दशा से बिल्कुल बेखबर है।

जहाँ तक खेलों का सम्बध है, जुलाई 1996 में संयुक्त राज्य अमेरिका में अटलान्टा शहर में ओलम्पिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। क्या हम इस प्रतियोगिता में कोई पदक प्राप्ति की आशा कर सकते हैं? चाहे यह स्वर्ण रजत या कांस्य ही क्यों न हो? 1992 के ओलम्पिक में भी भारत को एक भी पदक नहीं मिल सका था। 1988 में भी ऐसा भी हुआ यहाँ तक 1984 में भी भारत को कोई पदक नहीं मिल सका। पूर्व के वर्षों में, भारत का हांकी के क्षेत्र में अपना वर्चस्व हुआ करता था। लेकिन अब पाकिस्तान हाकी में सर्वोच्य स्थान पर है। क्यूबा एक बहुत छोटा देश है जिसकी संयुक्त राज्य अमेरिका ने 34 वर्षों के लम्बे समय तक नाकाबंदी की हुई थी। इस देश को उक्त ओलम्पिक में आठवां स्थान प्राप्त हुआ। चीन भी खेलों के क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। रूस पहले स्थान पर आ गया। अमेरिका और जापान जैसे देश भी रूस को पहला स्थान प्राप्त करने से रोक नहीं पाये। इसके पीछे क्या कारण हैं? हमारा देश एक प्रजांतात्रिक देश है, इसमें खेलों की उन्नति के लिए समुचित योजना होनी चाहिए। लेकिन यह एक बड़े दुख का विषय है कि हमारे देश में खेलों की उन्नति को सम्यक महत्त्व नहीं दिया गया है। अल्प समाजवादी देश खेलों के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहे हैं। हमें उनसे सबक सीखना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदयः श्री रूप चन्द्र आपने 10 मिनट से अधिक का समय ले लिया है। आप अपनी बात समाप्त कीजिए क्योंकि इस पर बहस पूरी करनी है।

श्री रूप चन्द्र मुरमु : कुमारी ममता बनर्जी ने वामपंथी सरकार का जिक्र किया। पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार पिछले 18 वर्षों से शासन कर रही है लेकिन उससे पूर्व इस राज्य में कांग्रेस 28 या 30 वर्षों तक, जो एक लम्बा समय है, सत्ता में थी। यदि हम इन दोनों सरकारों की कार्यप्रणाली का विश्लेषण और तुलना तो हमें पता लगेगा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सरकार के शासन के दौरान कितना विकास हुआ। पश्चिम बंगाल में 1962 से 1976 तक कृषि उत्पादन 2.6 प्रतिशत था। 1981 से 1992 के दौरान कृषि उत्पादन बढ़कर 6.2 प्रतिशत हो गया है, जबकि राष्ट्रीय औसत 2.2 प्रतिशत है। कुमारी ममता बनर्जी ने खाद्य के मोर्चे पर पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की है। लेकिन मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस समय दिल्ली में आलू का मूल्य क्या है? यह 15 रुपया प्रति कि०ग्रा० है जबकि पश्चिम बंगाल में यह 6 रुपया प्रति कि०ग्रा० है। देश के अन्य महानगरों की तुलना में कलकत्ता में सभी वस्तुओं के मूल्य कम हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। आपने 12 मिनट से भी अधिक समय ले लिया है, आप पाणिग्राही जी का अनुकरण न करें। उन्होंने 20 मिनट का समय लिया था।

श्री रूप चन्द्र मुरमु : केन्द्र सरकार ने कई आश्वासन दिये जिन्हें वह पूरा नहीं कर पाई। अनुदानों की अनुपूरक मांगों में नेशनल जूट मिल कारपोरेशन को

वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। 27 जुलाई, 1994 को सम्बधित मंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि इस नेशनल जूट मिल्स कारपोरेशन को पुनः चालू किया जायेगा। लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। अब मंत्री महोदय 6 महीनों का और समय मांग रहे हैं पहले, मंत्री महोदय ने एक आश्वासन दिया था जिसे वे पूरा नहीं कर पाये। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि वे उक्त आश्वासन को पूरा क्यों नहीं कर पाये?

अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि यदि कुल मिलाकर देखा जाये तो कन्द्र सरकार की आर्थिक नीति पूरी तरह से असफल रही है। उदारीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण के नाम पर सरकार देश की जनसंख्या के केवल 15 या 20 प्रतिशत भाग को ही लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है। अब स्थिति यह है कि वर्ष 1991-92 में जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे, उनकी संख्या में 6 से 7 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। गरीब और अधिक गरीब होते जा रहे हैं और धनी और अधिक धनी बन रहे हैं। मौटे तौर पर इस सरकार की यही नीति है। अनुदानों की ये अनुपूरक मांगें भी सरकार की इस वर्तमान नीति का ही हिस्सा है।

उपाध्यक्ष महोदय इस वाद-विवाद में भाग लेने का आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों की इन अनुपूरक मांगों का मैं विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा जो अनुदानों की अनुपूरक मांगें पेश की गई हैं उस पर हमारे बहुत से माननीय सदस्य अपने विचार रख चुके हैं। मुझे भी इस पर कुछ बातें कहनी हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग जो वार्षिक बजट लाते हैं उसकी पवित्रता को सरकार कायम नहीं रखती। सरकार यह जो अनुपूरक मांगें लाई है उसमें कुछ आइटम्स आवश्यक हैं जिनको अनुदान मिलना चाहिए। बहुत सी ऐसी आइटम्स हैं जिससे यही लगता है, कि यह अकुशल प्रशासन का द्योतक है।

महोदय, सवाल यह है कि जब आप बजट बनाते हैं तो एक साल के लिए बनाते हैं कि इतना खर्च शिक्षा में करेंगे लेकिन फिर भी बजट में कमी हो जाती है या फिर कोन सा ऐसा चमत्कार शिक्षा में किया गया कि उसके लिए आप अनुपूरक मांगें लाएं। शिक्षा का स्तर तो दिन-प्रति-दिन गिरता जा रहा है। अगर इसके स्तर को कुछ ऊंचा करने के लिए कुछ करते तो यह जरूरी था, क्योंकि देश के लिए शिक्षा सर्वोपरि है लेकिन आप इसकी क्वालिटी को और गिराते जा रहे हैं। दूसरी चीज यह है कि भ्रष्टाचार को आप इतना बढ़ावा दे रहे है, यही सारी चीज निगल रही है और उसी के लिए आप अनुपूरक मांग ला रहे हैं।

महोदय, यहां पर सभी मंत्री बैठे हुए हैं। सच्चाई यह है कि हमारे देश की जितनी भी दौलत है, जो हमारे देश के विकास के लिए है वह विकास में न जाकर भ्रष्टाचार में जा रही है। मैं बिहार की तरफ सरकार का ध्यान ले जाना चाहता हूँ। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर खनिज, खान सारी चीजें भरी हुई हैं। उसके बाद भी वहां गरीबी, पिछड़ापन है। इसका क्या कारण है, इसको ढूंढना होगा। हम आपको सारी चीजें देते हैं उसके बावजूद भी पिछड़ापन है। इसका मतलब है कि केन्द्र को जो सही मायने में व्यवहार करना चाहिए वह आप नहीं करते हैं। बिहार के लिए एक-मात्र बरौनी रिफायनरी पुराना कारखाना है। उसकी जितनी क्षमता है उससे अभी तक आधा ही कच्चा माल मिला। आधा कच्चा माल मिलने के बाद भी उसने गतवर्ष 80 करोड़ रुपये का मुनाफा दिया। 60 लाख टन मथुरा रिफायनरी की क्षमता है और 120 लाख टन गुजरात की क्षमता है लेकिन बरौनी रिफाइनरी की 42 लाख टन है जिसमें आप मात्र 22 लाख टन कच्चा माल देते हैं। हमारा जो बरौनी कारखाना है सरकार से तय हुआ था कि हल्दिया की पाइप लाइन का निर्माण करेंगे और उसकी पूरी क्षमता का हम उपयोग करेंगे लेकिन अभी तक वह काम नहीं हुआ। उसके लिए बार-बार नोटिस दिया गया लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अब हल्दिया से जो तैयार माल आ रहा है, कानपुर और बरौनी पाइप लाइन से जो तेल जा रहा है, वहां के मजदूर और यूनियन से मिलकर सरकार को नोटिस दिया है कि उसको हम नहीं आने देंगे, हम इसको रोकेंगे। जो हल्दिया पाइप लाइन निर्माण के लिए सरकार ने कबूल किया है कि इसको हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे जिससे कि बरौनी रिफायनरी को चालू रखा जा सके और किसी तरह से उसको बंद न किया जा सके। जब तक आप तेल नहीं देंगे, आप नहीं भेजेंगे तो यह बंद हो जाएगा।

महोदय, अगला हमारा सवाल यह है कि सबसे पहले जो देश के पंडित जवाहर लाल नेहरू प्रधान मंत्री हुए, उन्होंने जो औद्योगिक नीति बनाई थी उसमें पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर की जहाँ तक बात है, पब्लिक सैक्टर में जितने बड़े-बड़े उद्योग खड़े किए हैं उनको यह कहते थे कि ये भारत के मंदिर हैं।

उस मंदिर में क्या कर रहे हैं। रांची में एक सरकारी उद्यम है, जो इतनी मशीनें तैयार करता है कि साल में दो-चार भिलाई और बोकारो कारखाने खड़े किये जा सकते हैं। लेकिन सरकार उसको आर्डर न देकर विदेश से मशीनें खरीदती है। इसका क्या कारण है, आप समझ सकते हैं। सरकार अपने ही उद्यम से मशीनें नहीं खरीदेगी तो वह उद्यम कैसे चल सकेगा। यह सब भ्रष्टाचार के चलते हो रहा है। 40 वर्ष से आप लोग देश पर राज कर रहे हैं और देश को किस स्थिति में ले आए हैं।

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): मेरे विचार से आप एटीसी को आर्डर देने की बात कर रहे हैं। उनसे कहिए कि जो आडर पहले दिया गया है, उसको पूरा करें, उसके बाद हम और आर्डर देंगे।

श्री सत्यदेव सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप मंत्री गणों से कहें कि यदि वे अपने विभागों से संबंधित कोई सफाई देना चाहते हैं तो वे माननीय सदस्यों को लिख कर भेज दें। इस तरह से यहां बोल कर वे दूसरे सदस्यों का समय ले रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वे खुश हैं कि आप तुरंत उत्तर दे रहे हैं। लेकिन वह चाहते हैं कि आप लिखित में स्पष्टीकरण भेजें।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, यदि सरकार द्वारा उस संस्थान को आर्डर दिए गए हैं। इससे इस संस्थान का विकास हो सकेगा।

हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने गांवों में दूरभाष, पीसीओ लगाने की योजना बनाई थी, जो बड़ी सुंदर योजना थी, जनता को लाभ देने वाली योजना थी, लेकिन उसमें क्या किया गया। भ्रष्ट अधिकारियों ने घटिया मशीनरी के लिए कंपनियों से एग्रीमेंट किया। यहां पर मेरे प्रश्न के उत्तर में भी इस बात

को स्वीकार किया गया कि घटिया उपकरण खरीद लिए गए हैं और उन कंपनियों को ब्लैक-लिस्टेड किया जा रहा है, भुगतान नहीं किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि देश के साथ इस तरह का राजद्रोह करने वाले लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, सूली पर चढ़ा दिया जाए। .....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस तरह से तो सारी कांग्रेस पार्टी समाप्त हो जाएगी।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : कांग्रेस पार्टी तो ऐसे ही खत्म होने जा रही है। कांगेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी थी, देश की सबसे बड़ी पार्टी थी। यदि इस पार्टी ने देश में अच्छे काम किए होते तो देश की जनता इनको नहीं भुलाती। इन्होंने बहुत गलत काम किए हैं, इसकी जांच करवा ली जाए। देश से जो पैसा लूटा गया है, उसका आधा भाग इन लोगों के घर में मिलेगा। हम बराबर मांग करते हैं कि हर मेंबर की संपत्ति की जांच होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। इनकी हिम्मत नहीं है जांच करने की।

उपाध्यक्ष महोदय : 10 मिनट खत्म हो गए हैं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : बस मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूँगा।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि रेलवे के अंदर महेन्दू में एक अराजपत्रित कर्मचारी बहाल करने का बोर्ड है। वहां परीक्षा लोगों ने नहीं दी है लेकिन सारी सीटें भर दी गई हैं। डेढ़ लाख में, दो लाख में फिल-अप हो गई। परीक्षा देने वाले छात्र रोते हैं और कहते हैं कि बताइये कि हम क्या करें। मैंने इसके लिए रेल-मंत्री को लिखित दिया है कि वहां पर उसको रोको क्योंकि पहले ही सब सीटें बुक हो चुकी हैं।.....** तीसरा क्या इनका है, क्या करेंगे। ये मांग तो स्वीकृत करा ही लेंगे। चाहे इस पैसे को पानी में बहा दें, चाहे जो भी करें लेकिन देश के साथ ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। अब देश बराबर इनकी निन्दा करेगा। हम भी आपकी निंदा करते हैं जो यह कार्रवाई की गई है वह निंदनीय है। हमने ज्यादा आपका समय ले लिया। धन्यवाद।

श्री सत्यदेव सिंह : महोदय, कार्रवाई में आप देख लें। इन्होंने एक वर्ग-विशेष का नाम लिया है, बेइमानी से उसको जोड़ा है। उसको एक्सपंज होना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह सुस्थापित नियमों के विरुद्ध हुआ, तो इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री राजपाल सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, अनुदानों की अनुपूरक मांगें जो 1995-96 की आज प्रस्तुत हैं मैं इनका समर्थन करता हूँ। पिछले वर्ष 8 अगस्त को भी इस सदन में 1990-91 और 91-92 और 1994-95 की अतिरिक्त मांगों पर बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हुई थी। उस चर्चा में मैंने भी भाग लिया था। मैंने उस वर्ष भी कहा था कि जब बजट पेश होता है जो लोक सभा और राज्य सभा इसकी स्वीकृति देती है। लेकिन हमेशा देखा जाता है कि अतिरिक्त मांगें चली ही आती हैं और पैसा घट जाता है। बात में इसकी स्वीकृति ली जाती है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह प्रश्न भी करना चाहूंगा कि आखिर बजट बनाते समय इसका ध्यान क्यों नहीं रखा जाता है। ऐसी गंभीरता क्यों नहीं बरती जाती है कि अनुपूरक मांगों पर सहायता न लेनी पड़े। मान्यवर, जब मैं मांगों को पढ़ता हूँ और पिछली कार्रवाई को देखता हूं तो हमेशा आकलन ठीक नहीं होता है। आजतक इस हाउस में यह सुनने में नहीं आया है कि बजट के मुताबिक काम पूरा हो गया और पैसे की कमी नहीं हुई। चाहे हम विपक्ष में रहे हों या सब सत्ता पक्ष में हो, यह सुनाई नहीं देता है। गत वर्ष मेरी टिप्पणी थी कि अनुदानों की अनुपूरक मांगें प्रस्तुत कर इस संसद का सम्मान नहीं अपमान किया जाता है। हमें दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि कहीं न कहीं हमारे बजट निर्माताओं में गड़बड़ी है। हमें इसे ठीक करना होगा, ऐसा मेरा सुझाव है। बहुत सी बात हमारे विद्वान वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने ठीक की हैं। मैं सत्ता पक्ष में होते हुए भी उनसे आग्रह करुंगा कि यह जो दिक्कत चल रही है। जब लोक सभा में बजट सत्र खत्म होगा और जब शीतकालीन सत्र चलेगा या वर्षाकालीन सत्र चलेगा तो अनुदानों की मांगें आ जाएंगी और अनुपूरक मांगों को पूरा कराया जाने लगेगा।

मान्यवर, मैं जानता हूं कि हमारा देश एक विशाल देश है।

वार्षिक सामान्य बजट बनाते समय ऐसी मदें छूट सकती हैं। किंतु जैसा की इसमें वर्णन किया गया है, कश्मीर की बात है या कहीं बाढ़ या सुखाड़ की बात है, ये सब अचानक आ जाते हैं, यहां तक तो ठीक है। उनकी मांगें स्वीकृत करने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसके बाद जो अन्य मांगें आती हैं जैसे की बात चल रही थी 5 करोड़ रुपया ग्रामीण विकास के संदर्भ में रखा गया था और आज 20 करोड़ रुपया उसके लिए अतिरिक्त मांगा जा रहा है, यह हास्यास्पद बात है। इसे नियंत्रित करना होगा। चूंकि मांगें पूरी हो जाती हैं और उनको सदन को स्वीकार करना ही है इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती है, अफसर ऐसा समझते हैं। हमारे देश की नौकरशाही ऐसा समझती है कि मांग पूरी हो जायेगी। पूरा हो जाने दो। जब बजट फरवरी-मार्च में आता है तो हम उस पर डिसकसशन करते हैं। उसकी गहन समीक्षा होनी चाहिए, उचित सावधानी बरतनी चाहिए तथा सही आकलन करना चाहिये। कुशल और अनुभवी लोग इसका आकलन करें और बजट निर्माता दूरदर्शिता से काम लें। इससे निश्चित रूप से नियंत्रण होगा और अनुपूरक मांगों को अलग से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

वित्तीय वर्ष 1995-96 में अनुदानों की मांगों का कुल मिलाकर 29 मदों पर खर्च करना है। इनमें 3332 करोड़ 25 लाख रुपया अतिरिक्त खर्च है। इनमें 773 करोड़ 68 लाख रुपया राजस्व से है। 2558 करोड़ 57 लाख पूंजीगत खर्च है। मैं इन खर्चों का समर्थन करता हूँ लेकिन मेरा इस सम्बंध में वित्त मंत्रीजी से विनम्र निवेदन है। स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुपूरक मांग संख्या 8 में न्यायालय के निर्णय पर 2 करोड़ रुपये भुगतान करने के लिए मांगे गये हैं। गृह मंत्रालय की अनुपूरक मांग क्रम संख्या 7 में न्यायालय के निर्णय पर एल०जी०वी० मानसिक स्वास्थ्य संस्थान तेजपुर को दो करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया जा रहा है। औद्योगिक विकास की अनुपूरक मांग क्रम संख्या 8 में न्यायालय के निर्णय पर 19 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया जा रहा है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुपूरक मांग संख्या 9 में एक करोड़ 24 लाख रुपया न्यायालय के निर्णय पर भुगतान किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर कौन सी बात आ गई, कौन सी कमजोरी आ गई कि मामला अदालत तक गया और प्रभावित लोगों को अदालत तक जाना पड़ा। ऐसे में अदालत को निर्णय देना पड़ा कि विभाग को इतना रुपया क्षति के रूप में देना पड़ेगा। यह किस

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया है।

का दोष है, कौन लोग किसके जिम्मेदार थे? क्या लोक सभा जिम्मेदार थी या विभाग जिम्मेदार था? एल.जी.बी. का जो रुपया संस्थान के लिए दिया जा रहा है, उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार थे? इन लोगों ने कौन सी ऐसी गलती की जिससे अनुपूरक मांगों के रूप में इतनी बड़ी धनराशि पेमेंट की जा रही है। मेरा ख्याल है कि हम 5 करोड़ 46 लाख रुपया केवल न्यायालय के निर्णय पर दे रहे हैं। अपनी गलतियों की वजह से दे रहे हैं क्या जिन्होंने यह गलती की उनके खिलाफ वित्त मंत्रालय कार्यवाही करेगा? उसको कार्यवाही करनी चाहिये। यह बात उस अफसर की चरित्र पंजिका प्रविष्टि में आनी चाहिए और उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए, तब देश चलेगा वरना नहीं चलेगा। मैं ऐसा समझता हूं कि यह राष्ट्र के साथ धोखा है। उस लापरवाह अधिकारी के विरुद्ध जो भी कार्यवाही हो, उसको सदन के सामने लाना चाहिए।

उवरक मांग 2 के अनुसार एफ ए सी टी का विदेशी सहायता देने के लिए 149 करोड़ रुपया खर्च किया गया। माननीय उवरक मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। मैंने उन्हें लिख कर भी दिया कि उत्तर प्रदेश में और खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में विशेष तौर से यूरिया खाद की हालत बहुत खराब है। एक बोरी यूरिया खोलिए। उसमें 3-4 किलो खाद कम होती है। बोरी में 50 किलो खाद होनी चाहिए लेकिन वह 47 किलो, 48, 44 किलो, और कभी 46 किलो ही खाद होता है।

इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये कम्पनिया जिम्मेदार हैं। एक तो महंगाई और दूसरे पूर्ति में कमी आयी है। जो यूरिया खाद मिल रही है, उसकी गुणवता में भी गिरावट आयी है। इसमें मिलावट है और नमक और हड्डी का चूरा मिला हुआ है। किसान इससे परेशान है। जानबूझकर खाद की कमी बतायी जा रही है। मैंने कृषि मंत्रीजी से कहा था तो बोले की खाद पर्याप्त मात्रा में है लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी फर्म है जिसे हजारों टन खाद जाता है लेकिन वहां के अधिकारी मिलकर उसे बिहार में भेज देते हैं।.....(व्यवधान) आपने घंटी बजा दी, इस बिल पर तीन घंटे का समय मिला है जिसमें से डेढ़ घंटा कांग्रेस को है और हमारी पार्टी से दो वक्ता बोले हैं और मैं तीसरा हूं, इसलिए आधा घंटा बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : दस मिनट हरेक को मिलेगा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : तो जानबूझकर खाद की कमी दिखायी जा रही है। इससे सरकार बदनाम होती है। इस पर नियंत्रण करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मांगों में 210 करोड़ 52 लाख रुपये की मांग की गयी है जिसमें एक पुस्तकालय हेतु एक करोड़ 50 लाख रुपये की विशेष व्यवस्था दी गयी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सरकार की ओर से एक भी पुस्तकालय नहीं बनाया गया है। क्या वहां पर लोग नहीं हैं? उत्तर प्रदेश में इससे पूर्व स्थापित विभिन्न दलों की सरकार पर यह जिम्मेदारी थी लेकिन कुछ नहीं किया गया। हमने यहां पर बार-बार कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में कोई पुस्तकालय नहीं हैं, केन्द्रीय सरकार की ओर से अच्छे पुस्तकालयों की स्थापना करनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि सरकार को इन छोटी बातों की ओर भी ध्यान देना चाहिए और फाईनेंस मिनिस्टर को इस ओर भी देखना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में अब काफी प्रगति हुई है।

केन्द्रीय विद्यालय के बारे में अफसरशाही ने अनुदान पेश किया है, उनका कहना है कि दिल्ली में केन्द्र सरकार के अधिकारियों के लिये एक विद्यालय बनेगा। दिल्ली में तो तमाम विद्यालय बने हुये हैं। अच्छा होता यदि हम इस मांग में उन कर्मचारियों के बच्चों के लिए विद्यालय खुलता और उनके बच्चों को भर्ती किया जाता। हमारे प्रधान मंत्री शिक्षा के लिए काफी चिन्तित हैं ये गत वर्ष के मुकाबले 5 परसेंट से इस बार ज्यादा धनराशि शिक्षामद में दे रहे हैं। और सदन में भी उन्होंने कहा है। इन सब के बावजूद गांवों में स्थिति खराब है। आज 50 हजार रुपया डोनेशन लेकर लोगों को इन विद्यालयों में प्रवेश दिया जा रहा है। हमें इस पर नियंत्रण करना होगा। हमारे क्षेत्र में एक बहुत गंभीर घटना हुई है। विश्वविद्यालयों, स्कूलों, कालेजों में एडमिशन नहीं हो रहे हैं। लोग परेशान हैं। अभी कुछ दिन पहले एक लड़का जिसने हाई स्कूल फर्स्ट क्लास, इंटरमीडिएट फर्स्टक्लास, बी०एस०सी० सैकिंड क्लास में पास किया। उसके 56.4 परसेंट मार्क्स थे। उसका एडमिशन एम०एस०सी० में नहीं हुआ। उसने खूब दौड़भाग की लेकिन किसी नेता, किसी विद्वान, किसी समाजसेवी से मदद नहीं मिली तो उसने आत्महत्या कर लिया यह कैसे चलेगा? हम लोग दिल्ली में अफसर के बच्चों के लिये स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं। इस बात को सोचना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, कल्याण मत्रालय की मांग संख्या 84 में सांकेतिक रूप से एक लाख रुपये की मांग की गयी हैं और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग को रांची में रखने के लिए 85 लाख रुपये की मांग की गयी है। यह सही है कि सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रति जागरुक है और गत तीन वर्षों से केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों के लिये जो कुछ किया है, वह सराहनीय है। हम इसके लिए केसरी जी को बधाई देते हैं। इसमें कुछ कमियां उत्पन्न होती जा रही हैं जिन पर हमें विचार करना होगा।

अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुदान प्राप्त संस्था एन०सी०आर०टी० में कुछ प्रधानाचार्यों की आवश्यकता थी। उसमें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की योग्यता एम०ए०, पीएच०डी० तथा सात वर्ष का अनुभव मांगा गया जबकि सामान्य वर्ग के लिए एम०ए०और दस वर्ष का अनुभव मांगा गया। अनुसूचित जाति के प्रति आप क्या रियायत देते हैं? हर जगह लिखा जाता है कि पांच साल की आयु में छूट होनी चाहिए, योग्यता में छूट होनी चाहिए, लेकिन अनुसूचित जाति के लिए ज्यादा योग्यता और सामान्य वर्ग के लिए कम योग्यता रखी जाती है। इसे भी हमें समझना होगा। इसी संदर्भ में मैं कह रहा हूं कि सन् 1980 में इसी सदन में एक बिल हमने पेश किया था और उसमें यह था कि अनुसूचित जाति और जनजाति की लिस्ट में संशोधन किया जाए। उस समय तत्कालीन गृह राज्य मंत्री ने बयान दिया था कि हमको राज्य सरकारें रिपोर्ट नहीं दे रही हैं और अब तक केवल 17 सरकारों ने रिपोर्ट दी है और राज्यों से रिपोर्ट आ जाने पर हम इस बिल पर परिवर्तन करे देंगे। आज 1995 है, मगर अभी तक अनुसूचित जाति और जनजाति की लिस्ट में कोई भी संशोधन नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि यह देश का मामला है। यह हमारी छवि का मामला है और इसलिए इस कमी को हमें दूर करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 50 में औद्योगिक विकास की बात की गई है और इसमें अनुपूरक मांग के माध्यम से 13 करोड़ 35 लाख रुपये की मांग की गई है। उद्योगों के मामले में पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ जो भेदभाव राज्य सरकारों ने बरता है, वह आजादी के इतिहास की एक अभिन्न मिसाल है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का आदमी आज अपराध से घिरा हुआ है। वहां पुलिस जुल्म है। वहां गुण्डों द्वारा लोगों को सताया जा रहा है। वहां का आदमी बेरोजगारी से तंग है, फटेहाल है। सदन में यह मामला पचासों बार हमने उठाया लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। गुण्डागर्दी वहां निरंतर बढ़ती जा रही है। वहां पर छोटे-छोटे खेत हैं।

किसान छोटी जोतों से पेट भर अनाज पैदा नहीं कर रहा है। भुखमरी बढ़ रही है। वहां बहुत पहले से मांग की जा रही हैं कि गाजीपुर, जौनपुर, बलिया आदि जो ऐसे पिछड़े स्थान हैं, वहां पर कुछ बड़े उद्योग होने चाहिए। हैवी इंडस्ट्रीज वहां पर जानी चाहिए, लेकिन आज तक उस पर कोई विचार नहीं हुआ।

प्रधान मंत्री जी से भी हमने बात की थी। प्रधान मंत्री जी ने भी चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने मुझसे कहा कि निश्चित रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश की हालत खराब है। वहां यह करना चाहिए। इसी सदन में आज से 35 साल पहले जब पंडित जवाहर लाल नेहरू यहां बैठे थे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक सांसद ने रोकर और तड़प कर कहा था कि वहां के लोग गोबर में से अनाज निकालकर खाते हैं। आज भी वहां आम की गुठली से आटा निकालकर छोटे और गरीब लोग खाते हैं। आज भी वहां पर महुआ उबालकर खाया जाता है। ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसा कर रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज हमारे निर्वाचन क्षेत्र में 17 लाख मतदाता हैं। 50 लाख नागरिक वहां पर हैं। वहां करीब 18,000 हाई स्कूल, स्नातक तथा स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवक हैं। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का खर्च उधर करते तो हमारा सिर गर्व से ऊंचा होता। आज वहां हजारों हजार किलोमीटर सड़कें लेपन के बिना अधूरी पड़ी हैं। आदमी उस पर पैदल भी नहीं चल सकता है। सड़क बनी हुई हैं, बड़े बड़े कंक्रीट बिछे हुए हैं। इन सब क्षेत्रों में आज सड़क पक्की कराने की जरूरत है। वहां लिंक मार्ग नहीं हैं, पीने का पानी नहीं है। माननीय मंत्री जी यहां पर वहां गए थे।

हमारे उत्तम भाई पटेल जी बड़े साहसी हैं, वे खुद वहां गांव में गये, ऐरोड्रोम से हम उन्हें गांव की ओर लेकर गये। इन्होंने खुद देखा कि वहां पीने के पानी की कमी है। कुल 465 हैंडपंप लगाने हेतु वहां मंजूर किये गये थे। वहां के अधिकारियों को बुलाकर कहा था कि इन हैंडपंपों को तुरन्त लगाइये लेकिन उत्तर प्रदेश की बदलती हुई सरकारों ने और वहां की अफसरशाही ने केन्द्र सरकार की बात को भी ठुकरा दिया। माननीय मंत्रीजी ने 79,05,000 रुपये का पेमेंट कर दिया लेकिन 465 हैंडपंप लगना तो दूर, आज की तारीख तक मात्र 16-17 हैंडपम्प ही लग पाये हैं। वहां से समाचार आता है, आप हमें उसकी जानकारी देते हैं लेकिन किसी पर आपका कोई बस नहीं चलता। ऐसी चीजों पर हम सबको ध्यान देना चाहिये।

विकास कार्यों में धांधली की चर्चा में इस सदन में कई बार कर चुका हूं और आज फिर अंतिम बार चर्चा करना चाहता हूं। इसमें केन्द्र सरकार का दोष नहीं है, क्योंकि उसने तो पैसा भेज दिया लेकिन जैसा मैंने पिछली बार बोला था जब 6 अगस्त को मैंने इसी सदन में स्पीच की थी, उस समय भी कहा था कि वहां अनेकों छोटी छोटी नदियां हैं जिनमें हमारे किसानों की फसलें बहकर चली जाती हैं। यहां के निर्देश पर, हमारे यहां एकौंधी नदी पर तटबंध बनाने के लिए एक करोड़ 55 लाख रुपये भेजे गये लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा भेजे गये एक करोड़ 55 लाख रुपये वहां केवल कागजों पर खर्च हो गये और बांध के नाम पर एक फावड़ा मिट्टी भी नहीं डाली गयी। सारा काम कागजों पर हो गया। यहां ग्रामीण विकास मंत्री जी बैठे हैं। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि इनके पास जाकर कम से कम मामले की जांच कराने का अनुरोध करू। हमारे यहा एक देवकली पम्प कैनाल है, जिसमें हैंड का पानी टेल तक नहीं जाता और टेल का पानी हैड तक नहीं जाता। केन्द्र सरकार से मेरे विशेष अनुरोध पर, 25 लाख रुपये उसकी सफाई के लिए भेजे गये थे जो वहां 8 महीने तक पड़े रहे। जब हम लोगों ने जिद की तो उसकी सफाई का काम शुरू हुआ लेकिन मैं आपको आश्चर्य के साथ बताना चाहता हूँ और अगर मेरी बात गलत पाई जाये तो मैं अगला लोक सभा चुनाव नहीं लडूंगा। देवकली पम्प केनाल का वह सारे का सारा रुपया एक ही रात में खर्च कर दिया गया और सफाई हो गयी। वह सफाई किन लोगों ने की जो आज से 4 साल पहले मर चुके थे, वे शाम को जिन्दा हुए, रात भर उन्होंने सफाई की , और सुबह होने से पहले फिर मर गये। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां कैसा माहौल बना रखा है। इतना ही नहीं, यहां 4 तालाब, 3 ड्रेन्स और 2 सड़कें बनाने के लिए 24 लाख रुपये यहां प्रधान मंत्री योजना से दिये गये थे लेकिन वह सारे का सारा रुपया भी कागजों पर खर्च हो गया, कोई तालाब आदि नहीं बना। जब हम वहां के इंजीनियर से मिलने गये और पूछा कि बताईये तालाब कहां बने हैं तो वे कहने लगे- यहीं तो बने थे। फिर हमने पूछा कि कहां हैं, क्या जेब में चले गये तो वह चुप हो गया। हमारे यहां गाजीपुर में एक सादात थाना है, वहां इसकी रिपोर्ट की गयी। यहां से केन्द्रीय मंत्री ने भी लिखा, सब लोगों ने लिखा और वहां की जनता सब कुछ देख रही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 10-20 जिलों की जनता देख रही है कि विकास के नाम पर क्या हो रहा है लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और सारे का सारा माल जब्त हो रहा है। जिन लोगों ने चोरी की थी, जिन लोगों ने पैसा हड़पा था, जिन लोगों ने कागजों पर काम किये थे, आज वे लोग मौज ले रहे हैं और अपने दफ्तरों में शान की जिन्दगी जी रहे हैं।

मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। हमारे यहां बनारस, गाजीपुर और जौनपुर में 15 लाख पेड़ वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत लगाये गये लेकिन आज की तारीख में आप जाकर देखें तो 500 पेड़ भी नहीं हैं, 15 लाख की बात तो छोड़ ही दीजिये। एक पेड़ लगाने पर 20 रुपये खर्च आता है, उनका सारा पैसा कहा गया?

अभी यहां पर प्रौढ़ शिक्षा की बात की गई, केन्द्र सरकार ने अच्छी भावना का सबूत देते हुये यहां से ज्ञान गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत पैसा भेजा ताकि हमारे देश के नागरिक लिख-पढ़ सकें और सब कुछ ठीक हो जाए। हमारे यहां उस ज्ञान गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत एक करोड़ 50 लाख रुपया खर्च किया गया लेकिन वह सारे का सारा रुपया जब्त कर लिया गया और केन्द्र सरकार की रिपोर्ट भेज दी गयी कि सब लोग पढ़-लिख गये। जब हम वहां गावों में जाकर देखते हैं तो हर गांव में आपको 100-200 लोग अंगूठा लगाने वाले जरूर मिल जायेंगे। जवाहर रोजगार योजना और इंदिरा आवास कार्यक्रमों की यह हालत है। एक आवास बनाने पर 13-14 हजार रुपये खर्च आता है लेकिन उनमें सूअर या मुर्गी भी नहीं रह सकते और सारे के सारे इंदिरा आवास खाली पड़े हुए हैं। चूंकि इन कार्यक्रमों के अंतर्गत केन्द्र सरकार से पैसा जाता है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि उसका सही इस्तेमाल हो, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए और दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए।

मान्यवर, मैं आज गृह मंत्री चव्हाण साहब से मिला था। मैंने उनसे निवेदन किया कि उत्तर प्रदेश में अभी राष्ट्रपति शासन हैं। वहां पिछली सरकारों ने जो भ्रष्टाचार किया है आप उन भ्रष्टाचार के मामलों में से दो-चार मामलों की ही जांच करा दें। मुझे खुशी है कि उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया और कहा कि हम ऐसी स्पेशल टीम भेज रहे हैं तथा वहां के भ्रष्टाचार की जांच करायेंगे।

मान्यवर, मैं इन अनुदान की मांगों का समर्थन कर रहा हूं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमें कुछ सोचकर पुराने बजट को बनाना चाहिए ताकि यह जो व्यवस्था है कि अनुपूरक अनुदान की मांगों को हम स्वीकार कर ही लेंगे, इसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, तभी यह देश चलेगा, यह मुल्क चलेगा। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

का दोष है, कौन लोग किसके जिम्मेदार थे? क्या लोक सभा जिम्मेदार थी या विभाग जिम्मेदार था? एल.जी.बी. का जो रुपया संस्थान के लिए दिया जा रहा है, उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार थे? इन लोगों ने कौन सी ऐसी गलती की जिससे अनुपूरक मांगों के रूप में इतनी बड़ी धनराशि पेमेंट की जा रही है। मेरा ख्याल है कि हम 5 करोड़ 46 लाख रुपया केवल न्यायालय के निर्णय पर दे रहे हैं। अपनी गलतियों की वजह से दे रहे हैं क्या जिन्होंने यह गलती की उनके खिलाफ वित्त मंत्रालय कार्यवाही करेगा? उसको कार्यवाही करनी चाहिये। यह बात उस अफसर की चरित्र पंजिका प्रविष्टि में आनी चाहिए और उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए, तब देश चलेगा वरना नहीं चलेगा। मैं ऐसा समझता हूं कि यह राष्ट्र के साथ धोखा है। उस लापरवाह अधिकारी के विरुद्ध जो भी कार्यवाही हो, उसको सदन के सामने लाना चाहिए।

उवरक मांग 2 के अनुसार एफ ए सी टी का विदेशी सहायता देने के लिए 149 करोड़ रुपया खर्च किया गया। माननीय उवरक मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। मैंने उन्हें लिख कर भी दिया कि उत्तर प्रदेश में और खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में विशेष तौर से यूरिया खाद की हालत बहुत खराब है। एक बोरी यूरिया खोलिए। उसमें 3-4 किलो खाद कम होती है। बोरी में 50 किलो खाद होनी चाहिए लेकिन वह 47 किलो, 48, 44 किलो, और कभी 46 किलो ही खाद होता है।

इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये कम्पनिया जिम्मेदार हैं। एक तो महंगाई और दूसरे पूर्ति में कमी आयी है। जो यूरिया खाद मिल रही है, उसकी गुणवता में भी गिरावट आयी है। इसमें मिलावट है और नमक और हड्डी का चूरा मिला हुआ है। किसान इससे परेशान है। जानबूझकर खाद की कमी बतायी जा रही है। मैंने कृषि मंत्रीजी से कहा था तो बोले की खाद पर्याप्त मात्रा में है लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी फर्म है जिसे हजारों टन खाद जाता है लेकिन वहां के अधिकारी मिलकर उसे बिहार में भेज देते हैं।.....(व्यवधान) आपने घंटी बजा दी, इस बिल पर तीन घंटे का समय मिला है जिसमें से डेढ़ घंटा कांग्रेस को है और हमारी पार्टी से दो वक्ता बोले हैं और मैं तीसरा हूं, इसलिए आधा घंटा बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : दस मिनट हरेक को मिलेगा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : तो जानबूझकर खाद की कमी दिखायी जा रही है। इससे सरकार बदनाम होती है। इस पर नियंत्रण करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मांगों में 210 करोड़ 52 लाख रुपये की मांग की गयी है जिसमें एक पुस्तकालय हेतु एक करोड़ 50 लाख रुपये की विशेष व्यवस्था दी गयी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सरकार की ओर से एक भी पुस्तकालय नहीं बनाया गया है। क्या वहां पर लोग नहीं हैं? उत्तर प्रदेश में इससे पूर्व स्थापित विभिन्न दलों की सरकार पर यह जिम्मेदारी थी लेकिन कुछ नहीं किया गया। हमने यहां पर बार-बार कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में कोई पुस्तकालय नहीं हैं, केन्द्रीय सरकार की ओर से अच्छे पुस्तकालयों की स्थापना करनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि सरकार को इन छोटी बातों की ओर भी ध्यान देना चाहिए और फाईनेंस मिनिस्टर को इस ओर भी देखना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में अब काफी प्रगति हुई है।

केन्द्रीय विद्यालय के बारे में अफसरशाही ने अनुदान पेश किया है, उनका कहना है कि दिल्ली में केन्द्र सरकार के अधिकारियों के लिये एक विद्यालय बनेगा। दिल्ली में तो तमाम विद्यालय बने हुये हैं। अच्छा होता यदि हम इस मांग में उन कर्मचारियों के बच्चों के लिए विद्यालय खुलता और उनके बच्चों को भर्ती किया जाता। हमारे प्रधान मंत्री शिक्षा के लिए काफी चिन्तित हैं ये गत वर्ष के मुकाबले 5 परसेंट से इस बार ज्यादा धनराशि शिक्षामद में दे रहे हैं। और सदन में भी उन्होंने कहा है। इन सब के बावजूद गांवों में स्थिति खराब है। आज 50 हजार रुपया डोनेशन लेकर लोगों को इन विद्यालयों में प्रवेश दिया जा रहा है। हमें इस पर नियंत्रण करना होगा। हमारे क्षेत्र में एक बहुत गंभीर घटना हुई है। विश्वविद्यालयों, स्कूलों, कालेजों में एडमिशन नहीं हो रहे हैं। लोग परेशान हैं। अभी कुछ दिन पहले एक लड़का जिसने हाई स्कूल फर्स्ट क्लास, इंटरमीडिएट फर्स्टक्लास, बी०एस०सी० सैकिंड क्लास में पास किया। उसके 56.4 परसेंट मार्क्स थे। उसका एडमिशन एम०एस०सी० में नहीं हुआ। उसने खूब दौड़भाग की लेकिन किसी नेता, किसी विद्वान, किसी समाजसेवी से मदद नहीं मिली तो उसने आत्महत्या कर लिया यह कैसे चलेगा? हम लोग दिल्ली में अफसर के बच्चों के लिये स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं। इस बात को सोचना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, कल्याण मत्रालय की मांग संख्या 84 में सांकेतिक रूप से एक लाख रुपये की मांग की गयी हैं और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग को रांची में रखने के लिए 85 लाख रुपये की मांग की गयी है। यह सही है कि सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रति जागरुक है और गत तीन वर्षों से केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों के लिये जो कुछ किया है, वह सराहनीय है। हम इसके लिए केसरी जी को बधाई देते हैं। इसमें कुछ कमियां उत्पन्न होती जा रही हैं जिन पर हमें विचार करना होगा।

अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुदान प्राप्त संस्था एन०सी०आर०टी० में कुछ प्रधानाचार्यों की आवश्यकता थी। उसमें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की योग्यता एम०ए०, पीएच०डी० तथा सात वर्ष का अनुभव मांगा गया जबकि सामान्य वर्ग के लिए एम०ए०और दस वर्ष का अनुभव मांगा गया। अनुसूचित जाति के प्रति आप क्या रियायत देते हैं? हर जगह लिखा जाता है कि पांच साल की आयु में छूट होनी चाहिए, योग्यता में छूट होनी चाहिए, लेकिन अनुसूचित जाति के लिए ज्यादा योग्यता और सामान्य वर्ग के लिए कम योग्यता रखी जाती है। इसे भी हमें समझना होगा। इसी संदर्भ में मैं कह रहा हूं कि सन् 1980 में इसी सदन में एक बिल हमने पेश किया था और उसमें यह था कि अनुसूचित जाति और जनजाति की लिस्ट में संशोधन किया जाए। उस समय तत्कालीन गृह राज्य मंत्री ने बयान दिया था कि हमको राज्य सरकारें रिपोर्ट नहीं दे रही हैं और अब तक केवल 17 सरकारों ने रिपोर्ट दी है और राज्यों से रिपोर्ट आ जाने पर हम इस बिल पर परिवर्तन करे देंगे। आज 1995 है, मगर अभी तक अनुसूचित जाति और जनजाति की लिस्ट में कोई भी संशोधन नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि यह देश का मामला है। यह हमारी छवि का मामला है और इसलिए इस कमी को हमें दूर करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 50 में औद्योगिक विकास की बात की गई है और इसमें अनुपूरक मांग के माध्यम से 13 करोड़ 35 लाख रुपये की मांग की गई है। उद्योगों के मामले में पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ जो भेदभाव राज्य सरकारों ने बरता है, वह आजादी के इतिहास की एक अभिन्न मिसाल है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का आदमी आज अपराध से घिरा हुआ है। वहां पुलिस जुल्म है। वहां गुण्डों द्वारा लोगों को सताया जा रहा है। वहां का आदमी बेरोजगारी से तंग है, फटेहाल है। सदन में यह मामला पचासों बार हमने उठाया लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। गुण्डागर्दी वहां निरंतर बढ़ती जा रही है। वहां पर छोटे-छोटे खेत हैं।

[अनुवाद]

श्री बोल्लाबुल्ली रामय्या (एलुरु) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि पूर्व वक्ताओं ने कहा है अनुपूरक माँगें एक रोजमर्रा की बात हो गयी है। इससे काफी वित्तीय घाटा होने की सम्भावना है जैसा कि हमने पहले के बजटों में देखा है। हमने पहले दो वित्तीय घाटे के साथ आरम्भ किया है तथा अतिरिक्त अनुदान और अन्य चीजें और समस्याएँ उत्पन्न करेंगी। मेरा विचार है कि हमें इस तरह से योजना तैयार करनी चाहिए कि गैर-योजनागत व्यय यथासंभव सीमित तथा नियंत्रित रखा जा सके। केवल चक्रवात जैसी असाधारण मामलों तथा अप्रत्याशित चीजों के लिए ही धन प्रदान करना चाहिए और इसमें सावधानी बरती जानी चाहिए।

आंध्र प्रदेश में हाल ही में बाढ़ों तथा चक्रवात के कारण एक हजार करोड़ रु० की हानि हुई है। हमने 598 करोड़ रु० का दावा किया और इसके लिए भी केन्द्र सरकार अभी तक पूर्ण प्रस्तावों के साथ आगे नहीं गई है। हम इस सहायता का बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। आम लोगों के लिए यह बहुत आवश्यक है और उनकी आवश्यक जरूरतें पूरी की जानी चाहिए। कुछ सदस्यों के विचारानुसार मुख्यतः कई घटनाओं के कारण ऐसा हुआ है। हमें काफी सहायता की आवश्यकता है।

रोजगार संभाव्यता, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी सहायता को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके लिए बजट को इस तरह से बनाया जाना चाहिए ताकि हमारा कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन बढ़ सके। और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ये क्षेत्र सही तरीके से कार्य करें।

इस संबंध में उदारीकरण की नई नीति काफी अच्छी है। लेकिन सार्वभौमिकीकरण से काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। शुल्क घटाकर आयातित उत्पादों को सहायता प्रदान करते समय अन्तर्राज्यीय सड़कों, संचार, विद्युत तथा अन्य चीजों जैसी पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं को जुटाने की दिशा में ध्यान नहीं दिया गया। इससे बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है तथा देश में औद्योगिक रुग्णता उत्पन्न हो रही है। यह परम आवश्यक है कि सरकार इस संबंध में तत्काल कार्यवाही करे। औद्योगिक रुग्णता से बेरोजगारी बढ़ रही है। उद्योगों में धन फंस गया है और बैंकों की ब्याज दरें बढ़ती जा रही हैं। इसके परिणामस्वरूप वित्त की कमी हो गई है। चीनी तथा दालों जैसे कृषि उत्पादन के आन्तरिक जरूरतों से अधिक उत्पादन का तत्काल निर्यात किया जाना चाहिए। इससे हमें विदेशी मुद्रा कमाने में तथा बैंकों के तनाव को कम करने में सहायता मिलेगी।

आज जरूरत इस बात की है कि निर्यात और आयात को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेक बन्दरगाहों तथा हवाई-अड्डों को विकसित करना है। यह चीजें बहुत आवश्यक भी हैं। दूर संचार तो बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इससे देश को काफी राजस्व प्राप्त होगा। इसे जल्द से जल्द करने की आवश्यकता है। रेलों को भी अधिक कुशलता से कार्य करने की आवश्कता है ताकि यात्रियों तथा माल संबंधी जरूरतें पूरी की जा सकें। कुछ सदस्यों ने कहा है कि हमारी सड़कों की दशा बहुत खराब है। हमारी कृषि उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादों के लिए परिवहन की अच्छी सुविधाएं होना बहुत आवश्यक है, इसके लिए हमें सड़कों की दशा में सुधार करना होगा। अन्यथा हमें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

मूलभूत ढांचे को और विकसित करने, विदेशी निवेश की दशा सुधारने तथा विभिन्न पहलुओं के विकास हेतु हमें देश की कर प्रणाली में कुछ परिवर्तन करना होगा।

उर्वरक के संबंध में, कुछ सदस्यों ने कहा है कि फास्फेट उर्वरकों को उपयुक्त राज-सहायता प्रदान नहीं की गई है। नाइट्रोजन तथा फास्फेट उर्वरकों का असंतुलित उपयोग हो रहा है। और इसका हमारे कृषि उत्पादन और मुद्रा की स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है। वित्त मंत्री को इसके लिए उपयुक्त सहायता प्रदान करनी होगी। ताकि उर्वरकों का कृषि कार्यों के लिए सही तरीके से इस्तेमाल किय जाये और उर्वरकों की भविष्य की आवश्यकता की सही तरीके से व्यवस्था की जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था बहुत आवश्यक है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

बच्चों का कल्याण भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने पहले कहा शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और सरकार को चाहिए कि वह इन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दे। जैसाकि मैंने पहले कहा, औद्योगिक विकास को वित्त मंत्रालय से सहायता की आवश्यकता है। जब तक सरकार यह सहायता प्रदान नहीं करती तब तक अनुपूरक अनुदान माँगों का दबाव बढ़ता जाएगा, वित्तीय घाटा भी बढ़ता जाएगा और ऋण में भी वृद्धि होगी। ब्याज का दायित्व भी बहुत बढ़ रहा है और हमारी आय का लगभग 50 प्रतिशत ब्याज का दायित्व पूरा करने से खर्च हो रहा है। यदि ऐसा चलता रहा तो अनेक कठिनाईयाँ उत्पन्न हो जाएंगी और हम इन चीजों के और ब्याज का दायित्व पूरा करने के चुंगल में फंस जायेंगे और फिर हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा।

इन चीजों को देखते हुए, मैं माननीय वित्त मंत्री से केवल इतना अनुरोध करूँगा कि वे असंतुलन कम कर कोई ऐसा उपयुक्त रास्ता निकालें जिससे देश की रोजगार संभावना तथा उत्पादकता को समुचित रूप से संतुलित किया जा सके। इन चीजों के लिए भी पर्याप्त सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ, बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा का समय बचाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब श्री राम नाईक।

श्री राम नाईक : मैं श्री सत्यदेव सिंह जी को अवसर देता हूँ क्योंकि उन्होंने जहाज पकड़ना है।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप श्री सत्यदेव सिंह को अवसर दे रहे हैं। श्री सत्यदेव सिंह, आपको श्री राम नाईक को उनके उदारतापूर्ण रवैये के लिए धन्यवाद देना चाहिए। श्री सत्यदेव सिंह।

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : महोदय, मैं अपने वरिष्ट साथी श्री राम नाईक का आभारी हूँ कि उन्होंने अपनी बारी मुझे दी।

[हिन्दी]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया। इस एप्रोपिएशन बिल और सप्लीमेंट्री डिमांड्स फार ग्राण्ट्स 1995-96 के विरुद्ध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज सुबह से, जीरो आवर से लेकर अब तक मैं इस विषय पर नहीं आना चाहता था, लेकिन विवश होकर आना पड़ रहा है। विशेष रूप से हमारी माननीय सदस्या जो इस समय नहीं हैं, सुश्री ममता बनर्जी ने अपने भाषण को 6 दिसम्बर से शुरू किया। अब वे होती, तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन वे बोल कर चली गई और उन्होने फिर 6 दिसम्बर

के परिप्रेक्ष्य में गांधी जी को कोट किया। उसमे लोक तंत्र की बात कही और धर्मनिरपेक्षता की बात कही और राष्ट्रीयता की भी बात कही। मैं समझता हूं कि कम से कम राष्ट्रीयता के शब्द उधर से अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि न तो आप उसका अर्थ समझते हैं और न ही आप में राष्ट्रीयता के बारे में समर्पण का कोई भाव है और इसके बारे में आप पूर्णरूप से निश्चिंत हैं कि जितनी देर भी हमें यहां रहना है, इस सदन में रहना है, उस पक्ष में बैठना है, तब तक हमें इससे कोई मतलब नहीं, अपने दिन काटते जाओ।

सप्लीमेंट्री डिमांड्स आप फिर ले आए। अभी हमारे वरिष्ठ सांसद जी यहां बैठे हुए है, उन्होंने बड़े जोर-शोर से इस बात को कहा कि सप्लीमेंट्री डिमांड्स लाना, यह कोई पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी आती रही हैं। अनेक राज्य सरकारों ने भी इसे किया है। इसलिए केन्द्र सरकार भी यह खेल खेल रही है, तो कोई बुरा नहीं है। कुछ नई परिपाटी बनानी चाहिए। कुछ अच्छे उद्धरण सप्लीमेंट्री डिमांड्स के बारे में ग्रहण करना चाहिए। सप्लीमेंट्री डिमांड्स यदि आप इस प्रकार से लाते हैं, इस केजुअल मैनर में लेकर आते हैं, तो इसका अर्थ तो यह होता है कि इसमें सारी मिनिस्ट्रीज का दोष है। मैं इस बारे में पूरा दोष वित्त मंत्री जी के ऊपर नहीं डाल रहा हूं और इसलिए नहीं डाल रहा हूं क्योंकि वित्त मंत्री जी भी इसीलिए परेशान होंगे कि उनसे बाकी मंत्रालय जब पैसा लेने के लिए आते हैं, तो उन्हें भी अता पता नहीं रहता है कि कितने रुपये की उन्हें आवश्यकता है, कौन-कौन से कार्यक्रम चलाने हैं, कौन-कौन सी योजनाएं चलानी हैं और इसलिए वे कुछ भी बनाकर दे जाते हैं और बाद में वित्त मंत्री यहां खड़े हो जाते हैं और इतना मास मिसमैनेजमेंट है जिसके बारे में जितना कहा जाए, उतना कम है।

अभी महंगाई की चर्चा हुई। महंगाई क्या आपके बजट के कारण से बढ़ रही है? महंगाई में क्या प्रोफेशनल एफीशिएंसी का हस्तक्षेप नहीं है? महंगाई के लिए दोषी कौन है? आप आते हैं सरकार में और बड़ी-बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन यह घोषणा तो एक ऐसी घोषणा थी जो आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई थी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास के लोग हैं। बड़ी संख्या में उनकी तादाद बढ़ रही है। कुछ बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, अच्छे लोग हैं, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है। धनाढ्य वर्ग बढ़ रहा है, नियो रिच आ रहे हैं, लेकिन अभी भी इस देश के अंदर करोड़ों गरीब हैं। अगर चावल का दाम एक रुपया बढ़ जाए, नमक का दाम आठ आने बढ़ जाएं, दाल के दाम बढ़ जाएं, तो माननीय मंत्री जी, यह सेंब उत्पादन आपके खाद के कारण ही होता है, इसलिए मैं आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूं, महंगाई बढ़ रही है।

7.00 म०प०

महंगाई के कारण आज जो त्रासदी है, समाज में जो कठिनाइयां हैं, आज कानून और व्यवस्था की बात है। भारी संख्या में महंगाई की मार अलग है, बेरोजगारी की मार अलग है और उनके बीच से जो जीवन निकल रहा है, वह कोई सुखद जीवन नहीं है। आप अपने ग्रान्ट में होम मिनिस्ट्री की मांग हर साल बढ़ाते हैं, आपको हर बार ज्यादा पैसा चाहिए। क्या महंगाई से देश की कानून-व्यवस्था का जुड़ाव नहीं है? क्या महंगाई से शिक्षा का सवाल नहीं है? यह सीधा प्रश्न जुड़ा हुआ नहीं है। महंगाई के बारे में आपकी कोई सोच नहीं है। हर बार आप बजट बनाते हैं, सप्लीमेंट्री ग्रान्ट लेकर आते हैं, यह जानते हैं कि यह तो पास ही होना है इसलिए हमें कुछ भी नहीं करना है। जो भी 3300 करोड़ रुपए की मांग ले आएं, उसका हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। यह तो पास होना है। लेकिन यदि इस तरह से इस देश को चलाना चाहते हैं तो पता नहीं यह आपके लिए दुखद है या नहीं लेकिन देशवासियों के लिए बहुत दुखद है। जिस जगह आप देश को ले जाकर छोड़ देंगे, आने वाली सरकारों के लिए आप वित्तीय संकट, आर्थिक संकट तो खड़ा करेंगे ही, देश की एकता और अखण्डता पर इसके कारण जो चुनौतियां आ रही हैं, उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव आने वाले दिनों में आने वाली सरकारों पर पड़ने वाला है। अगर आपने मान लिया कि आपको हमेशा के लिए आना ही नहीं है तो कोई बात नहीं है।

रिजर्व बैंक की अभी एक रिपोर्ट आई और रिजर्व बैंक ने प्रबन्धन की बड़ी तारीफ की है। स्वाभाविक है कि आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, एक एक्सटेंडेड आर्म ऑफ दी गवर्नमेंट है तो तारीफ करेंगे। लेकिन रिजर्व बैंक ने कुछ चेतावनियां भी दी हैं। वे चेतावनियां देश के वित्तीय प्रबन्धन में हो रही लापरवाही के बारे में हैं। उन्होंने इस बात की चेतावनी दी है कि यदि सरकारी खर्चों पर अंकुश नहीं लगा तो स्थिति और खराब हो जाएगी। अंधाधुंध खर्च आप करते चले आ रहे हैं, अपनी सुख-सुविधा का सारा ध्यान है। नॉन-प्लान्ड एक्सपेंडिचर बढ़ता चला जा रहा है तो उसका कारण क्या है? इसके कारण जो वित्तीय घाटा हो रहा है, उसको पूरा करने के लिए बाजार से उधार ले रहे हैं। बाजार से लगातार उधार लेने के कारण जो सूद की व्यवस्था आ रही है.....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः सात बजे हैं।

श्री राम नाईक : महोदय, हम सभा का समय बढ़ा सकते हैं।

डा० रामचन्द्र डोम (बीरभूम) : इस पर फुल चर्चा की जा सकती है।

श्री सत्यदेव सिंह : आपकी अनुमति से, मैं इसे आज ही समाप्त करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा क्या चाहती है? अनेक सदस्य दस मिनट बोलने को बजाए 15 मिनट और ले लेते हैं। यदि वे समय का ध्यान रखते तो मैं समझता हूं हमारा कार्य पूर्ण हो गया होता। इसलिए, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप कुछ समय के लिए और बैठें। मेरा विचार है सभा सहमत है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

श्री सत्यदेव सिंह : मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं नियत समय का ध्यान रखने का प्रयत्न करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। मेरा अनुरोध यह है कि हमें कार्य पूरा करने के लिए कुछ देर और बैठना होगा और धैर्य रखना होगा।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह : इस अंधाधुंध ऋण लेने में हम एक प्रकार से आंतरिक ऋण के जाल में फंसते जा रहे हैं। विदेशी ऋण कितना है, आंतरिक ऋण कितना है, इसके बारे में इस सदन में बार-बार चर्चाएं हो चुकी हैं। एक चर्चा यह भी है कि इस देश में जो बालक पैदा हो रहा है, वह भी 6-7 हजार रूपय का कर्जदार है। इस ऋण की अदायगी के लिए आप बाजार से फिर ऋण ले रहे हैं। परिणाम यह हो रहा है कि इनफ्लेशन बढ़ रहा है। विदेशी ऋण का दबाव अलग से पड़ा हुआ है। रुपया हमारा कमजोर होता चला जा रहा है। रिजर्व बैंक ने एक बात और कही कि सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों में बाजार से अंधाधुंध कर्जे लिए हैं और कर्जों के कारण जो ब्याज बढ़ रहा है, उसके लिए रिजर्व बैंक ने एक अलग से सुझाव दिया है कि जो कर्जे हम नहीं चुका पाते हैं उसके

लिए हमारे पास व्यवस्था नहीं हो पाती, उसके लिए कन्सोलिडेटेड फण्ड ऑफ इण्डिया से कन्सोलिडेटेड सिंकिंग फण्ड की स्थापना की जाए। आप सिंकिंग फण्ड बनायेंगे या नहीं, सरकार ने अभी इस पर अपना कोई निर्णय नहीं दिया है। .....(व्यवधान)

श्री राम नाईक : सिंकिंग फण्ड मतलब डूबने का फण्ड?

श्री सत्यदेव सिंह : 'डूबने का फण्ड'।

[अनुवाद]

उन्होंने इसे यही कहा है।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) . आप जरा सिंकिंग फण्ड की व्याख्या कीजिए।.....(व्यवधान)

श्री सत्यदेव सिंह : सिंकिंग फण्ड यह है कि जो घाटा हो रहा है उसके लिए पहले से व्यवस्था की जाए। एक अलग से कोष बना दिया जाए और यह मान लें कि इतना घाटा है। उस सिंकिंग फण्ड के लिए आप यहां सप्लीमेंट्री ग्रान्ट लेकर आने वाले हैं, यह भी तय है। वैसे ईश्वर ने चाहा तो अगली बार आप आयेंगे ही नहीं, लेकिन फिलहाल यह स्थिति है।

रिजर्व बैंक ने एक कॉमेंट्री और की है। 5 हजार रुपये कभी इस देश में गरीब किसानों के माफ किया गया था। उसकी चर्चा भी 6 दिसम्बर की तरह से लगातार चलती है। कोई भी वित्तीय अनियमितता हो, वित्तीय घोटाले हों, इकोनोमिक सिचुएशन में डिटिरियोरेशन हो तो 5 हजार करोड रुपया आपने माफ किया था। रिजर्व बैंक अभी तक उसकी छाया से मुक्त नहीं हुआ है। इस देश में किसानों का 5 हजार करोड़ कैसे माफ कर दिया, यह चिन्ता बनी हुई है। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपके वित्तीय प्रबंधन की लापरवाही के कारण कितना भ्रष्टाचार हो रहा है? कितना कदाचार हो रहा है? उसमें कितना रुपया जा रहा है? क्या आपने कभी उसको क्वानटीफाई किया है? मांस इनएफीशैन्सी, मास करप्शन, नेपाटिज्म, इसके बारे में आप कितना नुकसान उठा रहे हैं। बार-बार रिजर्व बैंक को यह कहने का मौका मिल रहा है कि आगे से इस प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई जाए। मैं इसका विरोध करता हूँ। अगर इस देश के गरीबों को, किसानों को ऊपर उठाने के लिए किसी प्रकार की कोई योजना बनानी पड़े और यदि एक बार ऋण माफ करने की आवश्यकता भी पड़े तो आप बड़े-बड़े उद्योगपतियों को तमाम प्रकार की सुविधाएं देते हैं। देश में पूंजी आयात करने के लिए आप कोई भी चिन्ता नहीं कर रहे हैं। आप ओपन डोर न्यू इकोनोमिक ग्लोबल पॉलिसी की बात करते हैं तो कितने हजार करोड़ रुपये स्कैम में चले गये, उसकी कोई कल्पना नहीं है, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में उसकी चर्चा नहीं आती। अभी-अभी आपने जो घपले किए हैं, उनकी कितनी कीमत है। 8,800 करोड़ रुपये की तो सी.बी.आई, ने चार्जशीट दी है। लेकिन एक्चुअली कितना है?.....(व्यवधान)

चीनी घोटाला जाने दीजिए, घोटालों की तो भरमार है। यह सरकार घोटालों की है, सही तो इसकी कोई बात ही नहीं हैं।

लेकिन इसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा कि आप जो प्रबंधन कर रहे हैं, वह किस प्रकार का प्रबंधन है। आपने 50 करोड़ रुपया

[अनुवाद]

भोपाल गैस रिसाव विभीषिका पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को पुनर्वास निधि के रूप में 50 करोड़ दिया है।

[हिन्दी]

इन भोपाल गैस लीक डिजास्टर विक्टिम्स के बारे में यूनियन कार्बाइड के ऊपर आप क्या कर रहे हो, उनसे कितनी राशि वसूल रहे हो, कितना उनसे रीहैबिलिटेशन के लिए आ रहा है, इसकी कोई चर्चा इसमें नहीं है और आप उनको रिहैबिलिटेशन के लिए 50 करोड़ रुपया दे रहे हैं, लेकिन 50 करोड़ रुपया काफी नहीं है। अगर इसको बढ़ाकर देना चाहिए तो देना चाहिए। यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार के कारखाने लगने के बाद, इस प्रकार के मल्टी नेशनल्स के यहां आने के बाद जो भारी मात्रा में उनकी लापरवाही के कारण, उनके टैक्नीकल डिफाल्ट्स के कारण अगर जन और धन की हानि होती है तो उसकी मॉरल रैस्पोंसिबिलिटी भारत सरकार की है और इस रैस्पोंसिबिलिटी से यह बच नहीं सकती और अगर उसके लिए 50 करोड़ रुपया रखा है और अगर यह कम राशि है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, इसमें हमें एतराज नहीं होगा। लेकिन उनको कुछ मिले तो, यह राशियां लूट के लिए नहीं बननी चाहिए। यह राशियां कहां पहुंचती है, इसका कोई ठिकाना नहीं।

सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि आपने उडीसा में रिलीफ फण्ड के लिए बात कही। उड़ीसा के भी आपके सदस्य उससे संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। वह एक ऐसा राज्य है, जहां तूफान आते हैं, वहां पर भूकम्प भी आते हैं, वहां ड्राउट कण्डीशंस भी हैं, माना यह सब है और इसलिए उन्होंने ज्यादा मांग की है। 300 करोड़ रुपया क्या है, यह कम है। मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं। पूरे देश के अंदर ड्राउट फण्ड्स है, पूरे देश के अन्दर आपदा कोष बने हुए हैं, लेकिन उनके कोष के कोड़ को रिवाइज करने की अब आवश्यकता है। 10,15,20 साल पुराने यह कोड हैं। उनसे जो सहायता, जो राशि आपने निर्धारित की है, उस राशि का आज के व्यावहारिक मूल्यों से कोई मेल नहीं है। आप तत्कालिक सहायता के रूप में 250 रुपये देते हैं। एक आदमी का घर जल गया, उसका बैल मर गया, बाढ़ में तो कुछ बच भी जाता है, खेत भी कई बार फर्टाइल हो जाता है, लेकिन अग्निकाण्ड के अंदर कुछ नहीं बचता है। पांच मिनट के अंदर सब स्वाहा हो जाता है, लोग जल करके मर भी जाते हैं और ये जो झोंपड़े जलते हैं, वह किसी बड़े पूंजीपति के नहीं जलते हैं, बड़े किसानों के नहीं होते हैं, सरमायेदारों के नहीं होते हैं, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप यह पुराना कोड बदलिये। रिलीफ की क्वालिटी बढ़ाई जानी चाहिए, रिलीफ की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए, एक तो मुझे आपसे यह कहना है।

दूसरी बात, आपने

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर सरकार को विशेष केन्द्रीय सहायता उनकी योजना के लिए वित्त देने के लिए

[हिन्दी]

बनाया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह 300 करोड़ रुपया आप दे रहे हैं, इसके अंदर क्या आपने उनके प्लान को फाइनेंस करने की बात कह दी और आपने यह सोचा है कि वहां से, कश्मीर घाटी से आपकी तथाकथित सैकुलर नीतियों के कारण जो वहां के सदियों से रहने वाले उस घाटी के लाखों की संख्या में वहां के मूल पंडित निवासी हैं, वह जो दिल्ली की गलियों में धूल फांक रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर में भीख मांग रहे हैं, उनके लिए आपने इसमें क्या रखा है?

कितना रुपया आपने इसमें रखा है? आतंकवादियों की हत्याओं के शिकार लोग, जो आपकी राजनीति के मोहरे बने हुए हैं, उनके लिए कितना रुपया आपने रखा है? कौन सी गवर्नमेंट वहां चल रही है, वहां कोई सरकार है वैली के अंदर, कश्मीर की घाटी में कोई सरकार है, जिसको आप यह रुपया दे रहे हैं? अभी तक लगातार हर बार कश्मीर के मामले में अब भी उसका कार्यकाल बढ़ाने की, राष्ट्रपति शासन बढ़ाने की बात आई है तो भी इस बात को जोर देकर कहा है कि जो रुपया वहां जा रहा है, वह रुपया वहां पहुंच नहीं रहा है और यह आज से नहीं पहुँच रहा है, जब से स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू यहां प्रधान मंत्री थे, तब से यह रुपया नहीं पहुंच रहा है। 300 करोड़ रुपया आज आप फिर ले जा रहे हैं, किसको देना चाहते हो, आंतकवादियों को दे रहे हैं आप यह पैसा और बार-बार उसके लिए कन्सोलिडेटिड फण्ड आफ इण्डिया के ऊपर आप यहां आकर अपनी एक ग्राण्ट और मांग लेते हो। यह रुपया कहां जा रहा है, मैं यह जानना चाहता हूँ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो पोलिटिकल पैकेज की बात कही है, जिसके लिए अभी फारुख अब्दुल्ला साहब फरमा रहे थे कि पोलिटिकल पैकेज जल्दी भेजिये।

[अनुवाद]

अब समय है। आपके पोलिटिकल पैकेज को लेने वाले कुछ लोग हैं।

[हिन्दी]

इस पोलिटिकल पैकेज में सदरे रियायत के बाद कितना रुपया आप दे रहे हो, इस पैकेज में आपका क्या है? यह 300 करोड़ रुपये तक सीमित रहेगा या यह ग्राण्ट अभी पैकेज की 3000 करोड़ रुपयां आप लेने वाले हो यह बात इसमें स्पष्ट नहीं है और मुझे पूरा विरोध है।

इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में सोफ्टपेयर डवलपमेंट होगा, सोफ्टवेयर डवलपमेंट के लिए वहां परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं और यह परिस्थितियां हम यहां सदन मे बैठकर बना रहे हैं। विपक्षी लोग तो आपको कहते ही कहते हैं, आपके ऊपर एक संवैधानिक अधिकारी ने और एक इलैक्शन कमीशन ने भी इस बात की मोहर लगा दी है, कि कश्मीर घाटी में जो आप कहते हैं वह कुछ नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है, सरकार नहीं है, अनाचार है, अराजकता है, हत्यायें हो रही हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, जैसे बोस्निया में हुआ है उसी प्रकार से घाटी में इथेनिक क्लिनजिंग हुआ है। सुश्री ममता बनर्जी बड़े जोर-शोर से यहां पर धर्म-निरपेक्षता की बात करके चली गई। मंत्रीजी आप उसका अर्थ समझते हैं? जिनको आप अल्पसख्यक कहते हैं अब उसकी परिभाषा बदलिये। इस देश में दूसरे लोग अल्पसंख्य हो गये हैं। जिस समय तक यहां हिन्दू कहलाने वाला व्यक्ति, हिन्दू कहलाने वाला समूह बहुसंख्या में है, तब तक आपका अल्पसंख्यकवाद चल रहा है। जिस दिन हम नहीं रहेंगे, सेक्युलरिज्म समाप्त हो जायेगा। आपकी पोंगा-पंथी घोषणायें हैं, ये सब शून्य होकर रह जायेंगी। यह आपके लिए चेतावनी है कि आप जो पथ-निरपेक्षता और धर्म-निरपेक्षता की बात को चौड़ा सीना करके कहते हो, उसका कोई अर्थ नहीं है। न आर्थिक मायने में है और न ही सामाजिक मायने में है। इस बात को समझने का प्रयास करना पड़ेगा।

एक बात और कहना चाहता हूं। कि एक महिला है। कभी हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री की पत्नी रही है। यहां से बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया था। मुझे खुशी हुई थी, उन्होंने उस रकम को लेने से इनकार कर दिया। क्या सरकार की मंशा यही है कि उनको अपमानित किया जाये? जब उन्होंने 100 करोड़ रुपये लेने से इंकार कर दिया तो आप उनको अब क्यों डेढ़ करोड़ रुपये दे रहे हैं? आपको अगर लाइब्रेरी के बारे मे चिंता है तो आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए दें, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के लिए दें, बाकी शिक्षण संस्थाओं के लिए दीजिये। इसके लिए केन्द्रीय कोष बनाइये। सिंकिग फंड के अलावा एक लाइब्रेरी फंड भी बनाइये, सिंकिग फंड तो बनेगा ही, जिससे आधुनिक पुस्तकों का इस्तेमाल किया जाये। लेकिन जिस फाउंडेशन ने 100 करोड़ रुपये लेने से इन्कार कर दिया उसको अब डेढ़ करोड़ रुपये दे रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री एम०आर० कादम्बूर जनार्दनन (तिरूनेलवेली): क्या सभा की बैठक एक घंटा बढ़ा दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सही है। मैने सभा की राय ली है और सभी सदस्य कुछ देर और बैठने के लिए सहमत हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह : इस सारे ग्रांट में आपने बेरोजगार नौजवानों की चिंता नहीं की। केन्द्रीय बजट में कौन-सी योजनायें ले रहे हैं, कुछ पता नहीं है। कभी लाल किले से घोषणायें करते हैं, कभी दूरदर्शन से घोषणाायें होती हैं, लेकिन मूल में क्या है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। जिस देश के अंदर उपयोगी हाथ बेकार हों उस राष्ट्र को तरक्की करने में बड़ी कठिनाई हो जायेगी। इसके बारे में आप चिंता करें।

मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब सोनकर शास्त्री जी बोल रहे थे। उन्होंने भ्रष्टाचार की चचा की। वे लगातार कहते हैं कि उनके चुनाव क्षेत्र में सब लुट रहा है। शायद इसीलिये वे इधर से उधर चले गये। कांग्रेस पार्टी में चले गये, क्योंकि जनता दल में उनका काम नहीं बन रहा था। मुझे उनको धन्यवाद देना है कि उन्होंने आपको बताया कि आपकी क्या कमियां हैं। आपको थोड़ा परेशानी में भी डालकर वे चले गये।

मैं नेपाल की तलहटी से लगे हुए क्षेत्र बलरामपुर का प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरे क्षेत्र में अनेक ऐसे ब्लाक हैं जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं। जो छोटे-छोटे डैम बनाये गये थे, वे भी सूख गये हैं। वहां पर केन्द्र से कोई पैसा नहीं आता है। मैं मंत्री जी उत्तम भाई पटेल को साधुवाद देता हूं कि वे हमारे प्रदेश में गये और 30-40 लाख रुपये के हैंड-पम्प दे दिये। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे जनपद में भी पधारें। हमारे लोक सभा क्षेत्र के अंदर केसड़ी, पचपरवा, हथिया, बलरामपुर, तुलसीपुर आदि ऐसे खंड हैं जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। अगर सुखे की स्थिति आ जाती है तो टैंकर्स से पानी देते हैं, आप जानते हैं कि टैंकर से कितने लोग पानी पी सकते हैं। इंडिया मार्क 2 भी जब डीप रिंग बोरिंग होती है, तो थोड़ा कामयाब होता है। मेरा मंत्री जी को निमंत्रण है कि वे मेरे क्षेत्र में भी चलें तो शायद आपके कदम रखने से वहां भी पीने के पानी की कुछ व्यवस्था हो सके।

सरयू कनाल सिंचाई का बड़ा प्रोजेक्ट है। उस पर अभी तक 1200 करोड़ रुपये खर्च हो गये हैं। जिन किसानों की हजारों-लाखों एकड़ जमीन खरीद ली गई

है उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। नहरें खोद ली गई हैं, पानी का पता नहीं हैं। अभी भी उस पर ढाई से तीन हजार करोड़ रुपये चाहिए।

इसके लिए आप सोचेंगे कि यह रुपया कहां से आया? आज हमारे फर्टिलाइजर्स मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं और उनके बारे में भी यहां पर बहुत कुछ कहा गया है। मैं आपसे फिर एक बार नम्र निवेदन करुंगा कि आप इसको व्यक्तिगत रूप से देखें कि गोरखपुर के फर्टिलाइजर्स कारखाने को कैसे चालू किया जा सकता है। सिर्फ आप फीजिबिल्टी रिपोर्ट पर मत जाइये। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उसके पांच साल के बाद इम्पीरियल कैमीकल इंडस्ट्रीज का पहला कारखाना कानपुर में पंकी में बना है। सेम डिजाईन, सेम जेपनीज टैक्नोलॉजी कारखाना आज भी एक से दस और एक से 15 प्रतिशत कैपेसिटीज पर उत्पादन कर रहा है। क्या कारण है कि इस देश के अन्दर यूरिया की कमी है? यूरिया में खाद के अंदर मिलावट हो रही है, नमक मिलाया जा रहा है, हड्डियों का चूरा मिलाया जा रहा हे। किसानों के लिए इतनी बड़ी आपदा है। यूरिया वैसल में यूज होता है, टॉप ड्रैसिंग में यूज होता है। किसान को नहीं मिलता है। आप तो बिहार से आते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा आपका देखा हुआ है, समझा हुआ है। आज किसानों की त्रासदी है। आप मंत्री परिषद में रहते हुए कम से कम एक कारखाना चलाकर चले जाइये। पता नहीं, भगवान आपको दुबारा यहां पर बिठायेगा या नहीं? इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है।

श्री राम लखन सिंह यादव : भारत की जनता ने ....(**व्यवधान**)

श्री सत्यदेव सिंह : यह तो भगवान के सहारे हैं। प्रदेश की जनता ने इनको नकारा बना दिया है। यह भगवान के भरोसे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भगवान से ये लोग बहुत डरते हैं।

मान्यवर, वैसे में एकाउन्टेबिलिटी का एक और सवाल उठाता। जैसा कि राजनाथ सोनकर शास्त्री ने कहा था कि आपने पागलखाने को पैसा क्यों दिया? सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला क्यों करना पड़ा? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज सुबह भी एक बहुत सेंसिटिव इश्यू कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के परस्पर सम्बंध के बारे में इस सदन के अन्दर आया था। सुनिश्चित योजनायें हैं, रचना हैं, व्यवहार हैं लेकिन उसके बाद भी यह हो रहा है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहकर, अपनी बात समाप्त करता हूँ। यह जो पेमेंण्ट हो रहा है। इसके लिए आज यहां पर बिल लाया गया है। पेमेण्ट करिये लेकिन मेरा आपसे यह कहना है कि इसमें से अधिकांश बातें ये हो रही हैं कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यहां का अधिकारी और यहा की सरकार कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं समझती और जब संख्या बढ़ जाती है और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसके बारे में कागनीजेंस ले लेता है तब ये लोग यहां पर बिल ले आते हैं। कि इतना जुर्माना यहां पर देना है। इसके लिए कौन लोग जिम्मेवार हैं? अधिकारियों के साथ-साथ वे मंत्री कौन हैं? इससे ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय यह होना चाहिये कि यह व्यवहार कैसे बदलेगा? न्यायपालिका का सम्मान कैसे रहेगा? इस प्रकार के मामले क्यों आयें? किसी व्यक्ति को पैसा दिलाने के लिए न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, यह स्थिति ठीक नहीं हैं। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। यह स्वतंत्रता की बात है। अपने अधिकारों की रक्षा की बात हमारा संविधान लिखता है और कहता है और उसके बाद यह दशा है। मान्यवर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ और इस ग्रान्ट का मैं विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री राजागोपाल नायडू रामासामी (पेरियाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ए०आई०ए०डी०एम०के० की ओर से वर्ष 1995-96 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद करता हूं। इन मांगों की राशि 1135.67 करोड़ रुपये है। दूसरी ओर सरकार का निष्पादन प्रभावशाली नहीं रहा है। कीमतें बढ़ रही हैं और प्रधान मंत्री जी को लोगों की कठिनाइयों की कोई चिन्ता नहीं है। नई औद्योगिक नीति से केवल धनी लोगों को लाभ हुआ है और गरीब लोग गरीब ही रह गए हैं।

आवश्यक और अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं और मुद्रास्फीति भी बढ़ रही हैं। केन्द्र सरकार ने मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। मैं यहां पर अपने सहयोगियों से आग्रह करता हूं कि सरकार ने जितनी धनराशि की मांग की है वह उसे मंजूर न की जाए क्योंकि सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है। मूल्य वृद्धि के साथ-साथ सरकार प्रतिभूति घोटाले से लेकर चीनी घोटाले तक घोटालों में घिरी हुई है। प्रधान मंत्री जी ने घोटालों की ओर से अपनी आंखे मूंद रखी हैं।

सुबह आपने देखा होगा कि कुछ माननीय सदस्य राजीव गांधी हत्या के मामले में सरकार द्वारा की धीमी प्रगति के विरुद्ध सभा में प्रदर्शन कर रहे थे। वर्तमान प्रधान मंत्री षड़यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं हैं अन्यथा उन्होनें जांच में तेजी लाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए होते। अतः इस सरकार को तमिलनाडु जो कि हमारी नेता सुश्री पुराची थलाइवी के गतिशील नेतृत्व में एक स्वर्णिम युग से गुजर रहा है कि सरकार की आलोचना करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

यह मांगें शिक्षा, परिवहन, औद्योगिक विकास और स्वास्थ्य से संबंधित हैं। इन सभी क्षेत्रों में केन्द्र सरकार का निष्पादन बहुत खराब हैं। दूसरी ओर तमिलनाडु में पुराची थालाइवी के गतिशील नेतृत्व में चहुंमुखी विकास हुआ है। साक्षरता के स्तर में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य योजनाएं तैयार और कार्यान्वित की गई हैं। सार्वजनिक परिवहन निगमों में भी वृद्धि की गई हैं और बहुत से निगमों का नाम महान देशभक्तों के नाम पर रखा गया है। जिलों के नाम भी देशभक्तों के नाम पर रखे गए हैं। इससे पता चलता है कि तमिलनाडु राष्ट्रीय एकता के लिए एक आदर्श राज्य है। केन्द्र सरकार को कम से कम इन मामलों में तो तमिलनाडु का अनुसरण करना चाहिए।

वित्त मंत्री जी सभा से बाहर और सभा में भी कह चुके हैं कि वह फिजूलखर्ची कम नहीं कर सके हैं क्योंकि इस नई आर्थिक नीति के लाभ के सामने नहीं आये हैं। किन्तु साथ ही सरकार की संसद और विधान सभा चुनावों को पृथक करने की योजना है। इससे राष्ट्रीय राजकोष पर कितना प्रभाव पड़ेगा? इससे पता चलता है कि यह सरकार चुनावों के दौरान कदाचार, कुप्रशासन और .....** की भी योजना बना रही है।

दोपहर के भोजन की योजना हमारे नेता एम०जी० रामचन्द्रन के मस्तिष्क की देन है। हमारी नेता पुराची थालाईवी इसे अब तक निरंतर जारी रखे हुई हैं। मुझे गर्व है कि केन्द्र सरकार इस योजना की नकल कर रही है। क्या केन्द्र सरकार यह धनराशि देगी जो तमिलनाडु सरकार ने अब तक खर्च की है?

महोदय, एक झोंपड़ी के लिए एक बत्ती की तमिलनाडु सरकार की योजना है। केन्द्र सरकार ने इस योजना की भी नकल की है।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

यह बड़े शर्म की बात है कि आज सत्ता पक्ष की एक सदस्या ने तमिलनाडु की मुख्य मंत्री के दत्तक पुत्र के विवाह के बारे में एक जांच आयोग की मांग की। मैं वास्तव में नहीं जानता हूँ कि सदस्यों ने हाल ही में हैदराबाद में सम्पन्न हुए प्रधान मंत्री की पोती के विवाह के संबंध में जांच आयोग की मांग क्यों नहीं की। मैं कभी भी यह नहीं जानता था कि माननीय सदस्यगण इस महान सभा में बोलते समय इस स्तर तक झुक जाएंगे। सदस्या जब तक कलकत्ता में थी तब तक सभा में कोई समस्या नहीं थी। अब वह लोक सभा मे आ गई हैं, सदस्य इस तरह की अवांछित उल्लेख कर रहे हैं।

महोदय, मैं अन्त में उन लोगों से कहना चाहता हूं जो यह सोचते हैं कि हमारी नेता पुराची थालाइवी कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक चालों के दबाव से झुक जाएंगी कि उनका सोचना बिल्कुल गलत है। आपके जो भी संयोजन या परिवर्तन रहे हों, जनता पुराची थालाईवी के साथ है। चुनाव बताएंगे कि कौन विजयी होने वाला है। अतः मैं अनुदानों की मांगों का विरोध करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदयः श्री जनार्दनन जी क्या अब आप प्रसन्न हैं?

श्री एम०आर०कादम्बूर जनार्दननः महोदय, सदस्या ने अनावश्यक रूप से कुछ और कहा है। हमें उत्तर देना होगा। महोदय, हम चुप नहीं रह सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदयः आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री एम०आर०कादम्बूर जनार्दननः हम उनके विवाह का भी सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। उनका विवाह भी भव्य ढंग से हो सकता है।

श्री प्रभवेश मुखर्जी (बरहामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने आय बजट की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया।

मैं अपने दल आर०एस०पी० की ओर से आम बजट की अनुदानों की अनुपूरक मांगों का विरोध करता हूँ। इसका कारण यह है कि मैं इस सरकार द्वारा अब तक की गई वित्तीय अनुशासनहीनता से सहमत नहीं हो सकता हूँ।

महोदय, मैं बढ़ते हुए वित्तीय घाटे से भयभीत हूं। मैं इस सरकार द्वारा किए गए गंभीर वित्तीय घाटे से भयभीत हूं। हम आर्थिक सुधारों के इस युग में रह रहे हैं जैसा कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी श्री मनमोहन सिंह ने दलील दी है। हम भारतीय अर्थव्यवस्था के निजीकरण के युग में भी रह रहे हैं। हम भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्वव्यापी बनाने के युग में भी रह रहे हैं। महोदय, लेकिन आर्थिक सुधारों के इन पांच वर्षों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्वव्यापी बनाने और निजीकरण के इन पांच वर्षों के दौरान यह सरकार वित्तीय घाटे की बजटीय प्राक्कलनों के स्तर तक नीचे नहीं जा सकी है। यह पूर्ण आर्थिक कारण है। अतः मैं आम बजट के संबंध में अनुदानों की मांगों को उचित नहीं समझता हूं।

महोदय, मैं एक बात का जिक्र करता हूं। कि सरकार ने केवल एक ही काम बहुत अच्छे ढंग से किया है और वह है बाजार से ऋण लेना। आर्थिक समीक्षा से हमें यह आंकड़ा मिलता है कि इस सरकार ने बेहिसाब बाजार ऋण लिया है। बाजार ऋण का मतलब आंतरिक ऋण शिंकजे को स्वीकार करना है। इसी तरह से इस सरकार ने विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से ऋण के नाम पर विदेशी सहायता स्वीकार की है। सरकार ने आंतरिक ऋण स्वीकार किए हैं। सरकार ने विभिन्न बैंकों से ऋण के नाम पर विदेशी सहायता स्वीकार की है। आंतरिक बाजार से या बाह्य पूंजी बाजार से ऋण स्वीकार करने का उद्देश्य वित्तीय घाटे की स्थिति से उबरना है। परन्तु यह भाग्य की विडम्बना है कि वह वित्तीय घाटे की बजटीय प्राक्कलनों के स्तर पर नहीं ला सकी है।

अतः मैं आप बजट के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों से सहमत नहीं हो सकता हूं।

अतः इस मांग की महत्वपूर्ण विशेषता उनकी ओर से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का एक सच्चा प्रयास है। किन्तु यह हमारा अनुभव है कि यह सरकार बढ़ती मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिये पर्याप्त उपाय नहीं कर सकी है। हमारा यह अनुभव है कि सरकार आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को नहीं रोक सकी है। सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं। यह गरीब लोगों की क्षमता से परे-हो गई हैं। लेकिन सरकार स्थिति का सामना करने के लिए कुछ नहीं कर सकी हैं। अतः मैं उसकी सराहना नहीं कर सकता हूं। मैं उनके प्रयास की सराहना नहीं कर सकता हूं।

एक बात और है। इस मांग में केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार के लिए धन आवंटित करने का प्रयास किया गया है। लेकिन निधि का यह आवंटन केवल कर्मचारियों के वेतन, भविष्य निधि व अन्य व्ययों के भुगतान के लिए लागू हो सकती है। किन्तु निधि के इस आवंटन को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार के उद्देश्य से उपयोग में नहीं लाया जा सकता है।

महोदय, आज पश्चिम बंगाल में, नेशनल टेक्सटाइल मिल के कामगारों का हश्र हुआ है। हमारे माननीय वित्त राज्य मंत्री डा० पाल यहां पर उपस्थित हैं। वह नेशनल टेक्स्टाइल मिल के कामगारों की नाजुक स्थिति को भली भांति जानते हैं। वह बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र बरहामपुर में एक मनिन्द्रा बी०टी० मिल है। उसके कामगार बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ब्रहामपुर की मनिन्द्रा बी०टी० मिल बंद होने वाली है। यह सरकार मनिन्द्रा बी०टी० मिल के पुरुद्धार के लिए कार्यशील पूंजी नहीं दे सकती है। यह एक कुंठा है।

महोदय एक दूसरा पहलू है कि यहां पर उपस्थित माननीय मंत्री महोदय इस स्थिति को पूरी तरह से जानते हैं और यही स्थिति बाढ़ से उत्पन्न हो रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बहुत कुछ किया है। उसने बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन वह अपनी सीमित क्षमता को ध्यान में रखते हुए बाढ़ से बचाव के लिए अधिक कुछ नहीं कर सकी है। अतः बाढ़ से बचाव के लिए राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से अधिक धन दिये जाने की आवश्यकता है। पद्मा नदी के कटाव का प्रश्न है। पदमा नदी के कटाव से लोग प्रभावित हैं। पदमा नदी के दाहिनी ओर तटबंध लगभग ४२ किलो मी० तक कट गए हैं। लोग निराश्रय और बेघर हो गए हैं। उनका सब कुछ खो गया है। सरकार हमारे राज्य में पदमा नदी के तटबंधों पर रह रहे लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकी है। यह एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। राज्य सरकार को अधिक धन की आवश्यकता है। वह अपनी सीमित क्षमता के हिसाब से चल रही है। किन्तु उसे केन्द्र सरकार से अधिक धन की आवश्यकता है। अतः अनुदानों की अनुपूरक मांगें करते समय केन्द्र सरकार को इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यदि वह इन सब बातों को ध्यान में रखेगी तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी और मेरे राज्य के लोगों को लाभ होगा।

इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। 3332 करोड़ की अनुपूरक मांगें रखी गई हैं, जिनका विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, संयोग है कि लोक लेखा समिति की 1993-94 के एप्रोप्रिएशन एकाउंट्स के बारे में आज इस सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और यह भी संयोग है कि यह रिपोर्ट मैंने ही प्रस्तुत की है। सरकार का वित्तीय अनुशासन कितना ढीला हो गया है, इसका नमूना इस रिपोर्ट को पढ़कर देखा जा सकता है। इसमें देखा जा सकता है अनुपूरक मांगें प्रस्तुत करने से पहले इन पर पूरी तरह से विचार नहीं किया जाता। संतोष मोहन देव जी इस समिति के सभापति रह चुके हैं, लेकिन इनके समय में इतनी गड़बड़ी नहीं होती थी, लेकिन इस समय जो हमने देखा है, वह मैं बताना चाहता हूं।

आर्थिक अनुशासन लगभग न होने की स्थिति आज पाया जा रहा है। आज अनुपूरक मांगे जल्दी-जल्दी ज्यादा चर्चा न करते हुए पास कर दी जाती हैं, लेकिन वर्ष के अंत में पता चलता है कि पहले तो राशि दी गई है, वही खर्च नहीं हुई हैं। इसलिए इसमें वित्तीय अनुशासन की बात आती है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि गए साल 24457 करोड़ की सेविंग दर्शाई गई हैं और यह सेविंग कृषि, एनीमल हसबेंडरी, डेरी, पावर, औद्योगिक विकास, ग्रामीण विकास जो औद्योगिक दृष्टि से, देश के विकास की दृष्टि से जो कोर सेक्टर है, प्रमुख क्षेत्र हैं, उनमें हुई हैं। यह सेविंग इसलिए हुई है कि जिन कार्यों के लिए पैसा दिया गया, उन कार्यों पर खर्च नहीं किया जा सका। जब पैसा खर्च नहीं किया जा सका तो फिर अनुपूरक मांगों की क्या आवश्यकता है। इन बातों पर अनुपूरक मांगें रखते समय विचार नहीं किया जाता। सप्लीमेंटरी डिमांड्स रख दी जाती हैं और वर्ष के अंत में पता चलता है कि बहुत पैसा बच गया है।

कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लिए 40 करोड़ की अनुपूरक मांगें रखी गई, लेकिन वर्ष के अंत में 399 करोड़ की सेविंग रही। रक्षा मंत्रालय के लिए 528 करोड़ की अनुपूरक मांगें आईं, लेकिन 4863 करोड़ की सेविंग रही। मतलब की नौ गुणा ज्यादा। एक डिपार्टमेंट एक्सपैंडिचर है, इसकी 35 करोड़ की अनुदान मांग आई और 120 करोड़ सेविंग्स। इसी प्रकार डिपार्टमेंट आफ एजुकेशन से भी 3,294 करोड़ की अनुदान मांग आई है और सेविंग 9, 300 करोड़ की है। मतलब कि तीन गुना, चार गुना और पांच गुना इसमें दिखाई देता है। इससे पता चलता है कि यह जो अनुदान की मांग आप भेजते हैं, तब उस पर जितना विचार करना चाहिए, उतना विचार यह वित्त मंत्रालय नहीं कर रहा है। वित्त मंत्रालय का यह मुख्य दायित्व होता है कि उन्हें इसके बारे में विचार करना चाहिए। अंडमान-निकोबार एक छोटा सा क्षेत्र है और उसकी अनुमान की मांग 422 करोड़ रुपये आई और इसमें सेविंग्स 1900 करोड़ रुपये हैं। इसमें सारा जो खेल है, इसमें कोई अनुशासन वित्त मंत्रालय का नहीं है। इसमें सारा काम मोनिटरिंग का वित्त मंत्रालय को करना होता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इस अनुदान की मांगों में केवल वित्त मत्रालय का सेविंग 14000 करोड़ रुपये है। एक नियम होता है, अगर किसी मंत्रालय में सौ करोड़ सा उससे ज्यादा सेविंग्स हो गया, तो सीएजी और पीएसी तथा संसद को बताना चाहिए कि क्यों सेविंग्स हो गया ऐसे सेविंग्स 92 अनुदानों में हो गए और उनमें से वित्त मंत्रालय की सात अनुदान है। इतना होने पर वित्त मंत्रालय जवाब नहीं दे रहा है। वित्त मंत्रालय को अन्य मंत्रालयों से जानकारी लेकर काम करना चाहिए, वित्त मंत्रालय वह काम नहीं कर रहा है। इसीलिए देश की आर्थिक हालत खराब होने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर कोई है, तो वह वित्त मंत्रालय है।

जैसा मैंने कहा है, मैं संक्षेप में अपनी बात रखूंगा, इसीलिए मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जो कारखाने बंद होते हैं, उस स्थिति में कारखाना चल सकता है या नहीं चल सकता है, इस बारे में चर्चा होती है। इस काम के लिए 300 करोड़ रुपये नेशनल रिन्युवल फंड के लिए दिए गए हैं और उसमें से एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। इस तरीके से यह अनुदान की मांगें सदन में लाई गई हैं। यह सारा देखते हुए, ऐसा लगता है कि कोई अनुशासन नहीं है। वित्त मत्रालय की जो अनुशासनहीनता है और अनुदान की मांगें जो सदन में लाई गई हैं, मैं अनुदान की मांगों का विरोध करता हूं और चाहता हूं कि वित्त मंत्रालय इसके बारे में जवाब दे कि इतनी वित्तीय अनुशासनहीनता के चलते हुए, वह आगे चलकर कौन सी बात करने वाले हैं, वह बतायें। होगा यह कि वे पैसे लेंगे और खर्चा नहीं करेंगे। रेलवे मंत्रालय का इससे उल्टा होता है, जितना पैसा लेते हैं, उससे ज्यादा खर्च करते हैं। अधिक खर्चा करते-करते, सारे मिलाकर उन्होंने 1,149 करोड़ रुपया जो बजट में प्रावधान किया है, उससे ज्यादा खर्चा किया है। अब आप कैसे हिसाब लगायेंगे, कैसे खर्च करेंगे, यह मैं जानना चाहता हूं। इस भूमिका में यह जो अनुदान की मांगें आई हैं, मैं उसका विरोध करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि मेरे द्वारा उठाई गई कुछ बातों का जवाब जब वे उत्तर देंगे, तो उस समय देंगे।

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय 1995-96 की अनुपूरक अनुदान की मांगों पर सदन में हम चर्चा कर रहे हैं। मैं खास कर इन मांगों का विरोध इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि बिहार को इस में नहीं लिया गया है। वैसे बिहार हिन्दुस्तान में सबसे पिछड़ा राज्य है, इसको केन्द्र सरकार हमेशा इग्नोर करती रही है। इसलिए मैं उसका विरोध करता हूं यह बिहार के साथ अन्याय है। अगर मैं अनुपूरक मांगों के एक-एक विषय पर चर्चा करूंगा तो काफी समय लगेगा। मैं अपनी बात संक्षेप में कहना चाहता हूं।

शिक्षा के अनुपात में शहर और गांव की कोई तुलना नहीं है। हम गांव से आते हैं। गांवों में गरीब के बच्चे, अनुसूचित जाति और जन जाति के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। केन्द्र सरकार इनके बारे में कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है। जब तक ग्रामीण बच्चे और किसानों तथा मजदूरों के बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हिन्दुस्तान का विकास सम्भव नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आने वाले बजट सत्र में गांवों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाये और अधिक धन खर्च किया जाये।

आज दूर संचार व्यवस्था इस ढंग से हो गई है कि गांवों में हम एम०पीज० लोगों के टेलीफोन भी ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं। वह महीनें मे 10 दिन मुश्किल से ठीक रह पाते हैं। एम०पी० लोगों के टेलीफोन की यह हालत है तो गांवों में साधारण लोगों के टेलीफोन की क्या हालत होगी। टेलीफोन ठीक न होने की वजह से वे एक जगह से दूसरी जगह संवाद पहुंचा नहीं पाते हैं। आप संचार व्यवस्था सुदृढ करें।

गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत भी खराब है। वहां 2 लाख की आबादी के पीछे स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं। केन्द्र सरकार इस बारे में कोई ठोस निणय नहीं ले पायी है। हमें आजाद हुए 48 वर्ष हो गये हैं लेकिन गांवों में किसी ढंग की कोई सुविधा नहीं हैं। वहां सड़क और बिजली की सुविधा नहीं है।

औद्योगिक विकास के नाम पर बिहार के साथ दोहरी नीति अपनायी जा रही है। वह उसको अछूता मान कर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस कारण बिहार का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाया है। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह बिहार के साथ दोहरी नीति न अपनाये।

हमारे यहां 80 से 85 फीसदी लोग गांवों में रहते हैं और वे किसान हैं। यूरिया की कीमत 2-3 साल पहले 105 रुपये प्रति बैग थी, आज वह ढाई सौ रुपये प्रति बैग में भी नहीं मिल पाती है। जब वी०पी० सिंह जी की सरकार थी तो डी०ए०पी० खाद की कीमत 188 रुपये 50 पैसे थी और पोटाश खाद 60 रुपये प्रति बैग मिलती थी लेकिन आज उसमें कई गुना वृद्धि हो गई है। किसान द्वारा पैदा किये अनाज की कीमत ज्यों की त्यों है। किसानों को फसल उगाने के लिये जितनी मेहनत करनी पड़ती है और जितनी लागत लगती है, उसके अनुपात में उसे कुछ नहीं मिल पाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे कितना भी बजट में प्रावधान करना पड़े लेकिन खाद की कीमत निश्चित रूप से घटनी चाहिए ताकि किसान अपने खेती सही ढंग से कर सके। इससे उसे अन्न की उचित कीमत भी मिल सकेगी। निश्चित रूप से इस पर विशेष ध्यान सरकार को देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे स्मरण है कि जब हम बहुत छोटे थे तो स्व. प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू ने भारत-नेपाल सीमा पर कोसी बैराज का शिलान्यास किया था। अब इस कोसी कैनाल के नाम से प्रसिद्ध इस नहर की यह स्थिति है कि पूरी तरह से सिलटिंग हो गयी है जिसके चलते किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है। जब तक यह पानी नहीं पहुंचेगा, किसानों की फसल नहीं होती है। इसका कारण यह है कि केन्द्र सरकार ने केवल 8 करोड़ रुपया दिया है जिसमें बिहार के सिंचाई मंत्री का कहना है कि इस धन से कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे सिंचाई मंत्री श्री जगदा बाबू केन्द्र के सिंचाई मंत्री जी से मिल चुके हैं, अधिक धन की मांग कर चुके हैं, जिसे दिया जाये ताकि किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का काम किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं कहूंगा कि कुछ माह पहले बिहार में आंधी तूफान से लाखों पेड़ ध्वस्त हो गये हैं बिहार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, लोगों के छप्पर के मकान गिर गये है हम लोगों की फसल पानी में डूबी हुई है, केन्द्र सरकार ने सहायता नहीं दी है, आग्रह है कि बिहार सरकार को इस संकट से उबरने के लिए आर्थिक मदद दे। केन्द्रीय सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, देश के शिक्षित बेरोजगारों के लिए केन्द्र सरकार के पास कोई योजना नहीं है कि सही ढंग से इस देश के शिक्षित बेरोजगार मुख्य धारा से जुड़ सकें। अभी बिहार से शिक्षित बेरोजगार दिल्ली में गांधी जी की समाधि पर अनशन का कार्यक्रम रखा। केन्द्र सरकार एक लाख रुपया शिक्षित बेरोज़गार के लिए रखती है लेकिन लाखों युवकों के लिए यह धन अपर्याप्त है। यह धन जिले के इने-गिने लोगों के पास जाता है। मैं चाहूंगा कि देश के लाखों शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए प्रत्येक युवक को एक एक लाख रुपया ऋण के रूप में दें और पहले के ऋण पर सूद को माफ करें।

इन्हीं शब्दों साथ में आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान की पूरक मागों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इनमें 3 हजार 392 करोड़ रुपये की मांग की गयी है लेकिन इस सरकार को एक पैसा भी लेने का नैतिक हक नहीं है। मैं इसमें देख रहा था कि पूंजी के लिए कितना भेदभाव किया गया है। बड़े-बड़े राज्य जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह हैं लेकिन बिहार का इसमे नाम तक नहीं हैं इसलिए मैं सरकार पर चार्ज लगाता हूं कि इसमें सरकार को एक पैसा भी नहीं मिलना चाहिये। बिहार सरकार की तीन विद्युत परियोजनाओं का 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, केन्द्रीय सहायता नहीं मिली है जबकि दक्षिण बिहार में सरकार भूमि अधिग्रहित कर चुकी है, सरकार ने काम भी शुरू कर दिया है।

बिहार सरकार के जिम्मे वह काम था। भारत सरकार ने जो दस करोड़ रुपये की सहायता देनी थी वह अभी तक नहीं दी है। कार्य का अंतिम चरण चल रहा है और कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। किस तरह से सौतेला व्यवहार बिहार के साथ किया जा रहा है और भेदभाव की नीति बरती जा रही है इसके कई उदाहरण हैं लेकिन समय का अभाव है इसलिए मैंने उदाहरण के लिए इसे सामने रखा।

अभी नेपाल सीमावर्ती इलाके में नेपाल के साथ समझौता हुआ है। उत्तर बिहार में नदियों का जाल बिछा हुआ है जिन पर हाई लैवल डैम बनाकर जल विद्युत पैदा करके सस्ती दर पर किसानों को विद्युत देने का मामला आज खटाई में पड़ा हुआ है। वहां कभी सर्वे नहीं होता है। उन परियोजनाओं के लिए बड़े वर्षों से बात हो रही है। नेपाल से सहमति भी हो गई थी। सुखदेव पासवान जी कह रहे थे कि वराह क्षेत्र में हाई लेवल डैम बने और जल विद्युत पैदा हो ओर फ्लड का भी कंट्रोल हो लेकिन आज तक वह मामला लंबित है। केवल चर्चा और डिसकशन में वर्षों लग गए लेकिन किसी नतीजे पर सरकार नहीं पहुच रही है। अभी जल संसाधन मंत्रालय का कुछ ध्यान उस ओर गया है और भूमिगत जल को डेवलप करने के लिए कुछ परियोजनाएं उन्होंने बनायी हैं। लेकिन जो पहले से लंबित हाई लैवल डैम का मामला है उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। उत्तर बिहार में छः करोड़ जनता बाढ़ से सीधा प्रभावित होती है। छः महीने बाढ़ और छः महीने सुखाढ़ की स्थिति बनी रहती है। इसलिए बाढ की समस्या का स्थाई समाधान जब तक नहीं होगा, तब तक हर साल रिलीफ देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। वहां जनता ज्यादा रिलीफ माइण्डेड हो जाएगी और राष्ट्र में पुरुषार्थ वाले जो मजदूर और किसान है वह राहत पसंद हो जाएंगे जिससे देश का नुकसान होगा। जो श्रम शक्ति है, जो उत्पादन में लगती, देश के खेतों में लगती, उसको राहत पसंद बनाया जा रहा है। यह गलत परंपरा डाली जा रही हैं। बाढ़ के नाम पर, क्षतिपूर्ति के नाम पर राहत देने की बात चलायी जाती है। राहत समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता। स्थायी समाधान हाई लैवल डैम हैं चाहे कोसी या वराह क्षेत्र में बने या कमला नदी पर बने या बागमती पर बने। ये नेपाल भाग में हैं और इनमें से हाई लैवल डैम प्रस्तावित हैं इनमें पन बिजली पैदा होने से उत्तर बिहार के साथ पूरे भारत की ज़रुरत भी पूरी हो सकती है।

मैं पिछड़ेपन के संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूं। मैंने पहले जिक्र किया कि बड़े राज्यों का पिछड़ापन दूर नहीं हो सकता। इनकी जो नीति है, जो प्लानिंग कमीशन में डिसकशन होता है, उसका ज़िक्र में नहीं करना चाहता लेकिन सरकार का जो गाडगिल फार्मूला है, जो राज्यों के प्लान का कार्य बनता हैं वह इंटरनल रिसोर्सेज़ के आधार पर बनता है। इसका मतलब यह है कि जिस राज्य के जितने संसाधन होगे, उसके प्लान का कार्य उतना बड़ा होगा। जो बड़े राज्य हैं उनके आंतरिक संसाधन कम हैं चाहे वह उत्तर प्रदेश हों, मध्य प्रदेश हो या बिहार हो उनमें आंतरिक संसाधनों की कमी है तो प्लान का आधार कम होता है। गाडगिल फार्मूले को जब तक बदला नहीं जाएगा तब तक बड़े राज्यों की गरीबी और बेरोजगारी तथा पिछड़ापन दूर नहीं हो सकता है। इसलिए बड़े राज्यों के लिए जरूरतों के आधार पर, उसकी गरीबी के आधार पर, उसकी जनसंख्या और पिछड़ेपन के

आधार पर जब तक प्लान नहीं बनाया जाएगा तब तक बड़े राज्यों का कल्याण नहीं हो सकता है।

अभी मैं इसमें पढ़ रहा था कि जम्मू कश्मीर के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह 300 करोड़ रुपया अफसरशाही में बंदरबांट होगा। उस 300 करोड़ में पांच प्रतिशत भी जम्मू कश्मीर की घाटी के लोगों को विकास के नाम पर मुनस्सर नहीं होगा। पोलिटिकल प्रेशर आ रहा है और यह कहा जा रहा है कि इंटरऐक्शन होता है। लेकिन वहां पोलिटिकल पार्टीज और वहां के सोशल वर्कर्स से कोई इंटरऐक्शन नहीं होता इसलिए जब तक इंटरऐक्शन नहीं होगा, नेगोशिएशन नहीं होगा, वार्ता नहीं होगी, तब तक इसका हल नहीं हो सकता है।

हम लोग उन विचारों को मानने वाले नहीं हैं। जम्मू कश्मीर भारत का अंग है, इसीलिए जम्मू कश्मीर की धरती से ही नहीं बल्कि वहां के लोगों से भी हमें प्यार है। लेकिन कुछ लोगों को केवल वहां की जमीन से प्यार है, वहां के लोगों से प्यार नहीं है। इसीलिए यह समस्या वहां पर है। यह राष्ट्रीय समस्या है और बहुत ही संवेदनशील मामला है। समस्या तीन सौ करोड़ रुपयों की बंदरबांट अफसरों में करने से हल होने वाली नहीं है। वहां शुरू से ही विकास के बुनियादी मसले हल नहीं किये गये, इसीलिए वहां क्षेत्रीय इम्बेलेंस है क्षेत्रीय असंतुलन वहां बढ़ा हुआ है। यही कारण है समस्या आज उग्र रूप में चली गई है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं औद्योगिक विकास के संदर्भ में कहना चाहूंगा। हमारे यहां दरभंगा में अशोक पेपर मिल 5 वर्षों से बंद पड़ी है और भारत सरकार को जो असिस्टेन्स देनी चाहिए वह नहीं देती है, जिसके चलते हजारों मजदूर बेकार हो गये हैं। बिहार की खानों में से 12 खानों को केन्द्रीय सरकार से पट्टा देने की नीति निर्धारण हो चुकी थी, बिहार माइन्स डेवलपमेंट कारपोरेशन के पास 12 खानों का पट्टा देने की बात थी लेकिन उसको लॉक करके अभी तक केन्द्रीय सरकार रखे हुए है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि बिहार की घोर उपेक्षा हो रही है। जहां तक आर्थिक नीति के संबंध में इसमें प्रावधान है हम कुछ कर रहे हैं, हैवी इंडस्ट्रीज, लगा रहे हैं। मैं एक ही शब्द में कहूंगा, चूंकि समय नहीं है, मैं आपसे उर्वरक के विषय में कहना चाहता हूं, खाद तो बिल्कुल गायब हो चुकी है। यूरिया खाद गांव में किसानों को मुनस्सर नहीं होती है और खेती घाटे का व्यवसाय हो गया है। अब खेती में कोई आकर्षण नहीं बचा, चूंकि खाद भी नहीं मिलती, बीज भी नहीं मिलता और जो किसानों को लाभ मिलना चाहिए, सहायता मिलनी चाहिए वह भी नहीं मिलती और ऋण देने की प्रक्रिया को जटिल कर दिया गया है चाहे नाबार्ड से हो, चाहे किसी दूसरी एजेन्सी से हो। आज किसान और खेती का मतलब है गरीबी। गरीबी का पर्यायवाची शब्द हो गया है किसान और खेती। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। अभी खाद, बीज की बात चल रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार बड़ा ढिंढोरा पीट रही है कि अन्न का भंडार है पूरे देश में, जोरो से आवाज उठाते हैं कि अन्न का काफी भण्डार हो गया है, काफी उत्पादन है, कृषि उत्पादन हमारा इतना है, भंडारण काफी है, मैं इनको चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ कि किस चीज का भंडारण बढ़ा है, बासमती चावल का बढ़ा है। संकर वैराइटी का जो महीन किस्म का गेहूँ है उसका भंडारण बढ़ा है। जो 80 प्रतिशत गरीब लोग अनाज खाते हैं चाहे मक्का हो, चाहे मरूआ हो, चाहे सुथनी हो, चाहे अलुवा हो, चाहे जनेर हो, ये गरीबों के अनाज हैं। जिनका उत्पादन घटता जा रहा है। यह मेरा चार्ज है। 80 प्रतिशत गरीब लोग जिस अनाज को खाते हैं, जनेर, मक्का, मरूआ उस अनाज का उत्पादन घटता जा रहा है। आप महीन किस्म का अनाज बासमती चावल का उत्पादन निर्यात करने के लिए बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए जिस ढंग से, जिस रास्ते पर ये जा रहे हैं सन् दो हजार पांच तक देश में सोमालिया जैसी भूखमरी की सी स्थिति पैदा हो जायेगी। पूरे भारत में निश्चित रूप से भुखमरी की स्थिति पैदा हो जायेगी। इसलिए नई आर्थिक नीति से पूरे देश का वर्तमान और भविष्य दोनों खतरे में पड़ने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे इस अनुपूरक मांगों का विरोध करता हूं और इसमें से एक पैसा भी भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए, लूटपाट बढ़ाने के लिए और घोटाले बढ़ाने के लिए सरकार को नहीं देना चाहिए। अंत में इन लोगों से एक शब्द मैं और कहना चाहता हूं कि इन अनुपूरक मांगों में जो पैसे मांगे गये हैं। .....(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे अनुग्रहीत करें। श्री यादव जी आपको सभा के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। वास्तव में बहुत से लोग इसके विरुद्ध थे। यह उचित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : कंक्लूड कर रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन लोगों को क्या सुनाऊं। देश के सामने जो समस्या है क्योंकि डिमांड्स में जो पैसे का प्रावधान किया गया है, वे सभी पैसे लूट लिए जायेंगे। इसलिए मैंने कहा:

शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है,

कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है।

[अनुवाद]

8.00 म०प०

उपाध्यक्ष महोदय : आपको सभा के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। कुछ भी हो सब को इस बारे में प्रसन्नता होनी चाहिए।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने अनुदानों की अनुपूरक मांगें (दूसरा बैच) पर चर्चा में भाग लिया। जिस तरह से चर्चा हुई उससे बहुत सी बातें सामने आई जिसमें से कुछ वर्तमान चर्चा के दायरे में नहीं हो सकती हैं। इससे स्पष्ट रूप से माननीय सदस्यों की चिन्ता का पता चलता है, मैं उन कुछ प्रश्नों पर चर्चा करूंगा जिनका किन्हीं विशेष मुद्दों जो इस सभा के समक्ष चर्चा और स्वीकृति के लिए आए हैं; से सीधा संबंध है।

महोदय, ईमानदारी की बात है कि दूसरे बैच की अनुदानों की अनुपूरक मांगें किसी बजटीय नीति का प्रतिपादन नहीं हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने बजटीय नीति पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत की गई बजटीय नीतियों के दो पहलू थे। उनमें से एक है बजटीय नीति और दूसरा बजटों में नीति का वित्तीय प्रतिपादन। अब सभा में यह व्यापक चर्चा हुई है और मैं समझता हूं कि इस समय पर विचार करना मेरे लिए आवश्यक नहीं है।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि वित्त मंत्रीजी ने जब बजट प्राक्कलन तैयार किए हो सकता है कि उस समय कतिपय अतिरिक्त मांगों की कल्पना करना संभव न हुआ हो जो अनेक मदों के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होती हैं।

अब अनुपूरक मांगों का तीन पहलुओं में विश्लेषण किया जा सकता है। एक पहलू वास्तविक खर्चे हैं जिसकी वास्तविक राशि 3322 करोड़ रुपये की कुल मांग की तुलना में 1136 करोड़ रुपये है। उदाहरण के लिए अन्य पहलू भी हो

सकते हैं। खजाने में राशि पहले ही जमा कर दी गई हो और जो मांग की गई है वह खजाने में जमा की गई राशि के समतुल्य हो। उदाहरण के लिए लघु बचतें, लघु बचतों पर ऋण इत्यादि, यह पहले की राजकोष में आ गई हैं। इसका 75 प्रतिशत राज्यों को जाना है। अतः यदि इसे अनुपूरक मांगों में दर्शाया गया है, तो यह वास्तव में वह खर्च नहीं है जिसे सदस्यगण महसूस करेंगे।

इसी तरह से शिक्षा अनुदानों की पहले ही दिए गए अनुदान हो सकते हैं और उसके बाद यदि स्कूल शुरू करना हो तो उसके लिए नई योजना हेतु सभा की अनुमोदन चाहिए लेकिन उसके लिए नकद राशि व्यय करने की आवश्यकता नहीं होती हैं। इस वर्ष केवल 1136 करोड़ रुपये की ही नकद राशि व्यय की गई है। वर्ष 1994-95 में इस माननीय सभा ने 1962 करोड़ रुपये की नकद राशि मंजूर की। अतः इस वर्ष हमें अपने दूसरे बेच के लिए अनुपूरक मांगों के लिए बहुत कम राशि मिली है। अब यदि आप उन अनेक मदों जिन पर यह 1136 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगें की गई हैं में ईमानदारी से कह रहा हूं कि उनमें से बहुत से प्रतिबद्ध व्यय हैं जो भारत सरकार को करने हैं। मैं आपको आंकड़ों से कुछ उद्धरण दूंगा। जम्मू और कश्मीर सरकार को 300 करोड़ रुपये की योजना को वित्तपोषित करने के लिए अनुदान दिया जाना है। मैं नहीं समझता कि आज जम्मू और कश्मीर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्यगण इन अनुदानों का विरोध कर सकते हैं। इसी तरह से हरियाणा सरकार को बाढ़ राहत के लिए मध्यावधि ऋण दिया गया है मैं नहीं समझता हूं कि माननीय सदस्य इन अनुदानों का विरोध कर सकते हैं जिनके लिए राशि अनुदानों का विरोध कर सकते हैं जिनके लिए राशि व्यय कर दी गई है। मैं केवल मुख्य मदें बता रहा हूं छोटी मदों का अलग-अलग उल्लेख नहीं कर रहा हूं। इसी तरह से उड़ीसा सरकार को आपदा राहत कोष में मध्यावधि ऋण दिया गया है उड़ीसा के माननीय सदस्यों ने और राशि की मांग की है लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई भी इस मांग का विरोध कर सकता है।

शिक्षा के संबंध में केन्द्रीय विद्यालयों की सहायता के लिए भी अतिरिक्त अनुदान की राशि दी गई है वह भी बहुत कम है। कृपया अब वस्त्र उद्योग पर आइए। बहुत से माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि सरकार रुग्ण उद्योगों की सहायता नहीं कर रही है। यह पूरा खर्च वस्त्र उद्योग में उन पांच रुग्ण इकाइयों के कर्मचारियों के वेतन और दिहाड़ी की अदायगी के लिए है जिनके लिए सरकार को यह राशि उपलब्ध करवानी है। जो लोग यह शिकायत कर रहे हैं कि सरकार रुग्ण औद्योगिक उपक्रमों का ध्यान नहीं रख रही है मैं समझता हूं कि उनकी बात इस अनुदान से जो कि सरकार दे रही है, पूरी तरह से झूठी साबित हो जाती हैं। यह राशि 142.74 करोड़ रुपये है।

अब नागरिक आपूर्ति पर आते हैं, राज्य व्यापार निगम को आयातित खाद्य तेल के व्यापार के प्रचालन में जो हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति की जानी है खाद्य तेल का आयात किया गया हैं और यह कम मूल्य पर उपभोक्ताओं को बेचने के लिए है। अतः राज्य व्यापार निगम को घाटा उठाना पड़ा भारत सरकार को इस हानि की भरपाई करनी है।

मैं अन्य मदों पर विचार नहीं कर रहा हूं। कृपया अब भारी उद्योगों पर आइए। भारी उद्योगों में छः मुख्य उद्योग रुग्ण हैं। उदाहरणतः हैवी इंजीनियरिंग कोर्पोरेशन लिमिटेड। हर कोई जानता है कि यह इकाई पिछले कई वर्षों से रुग्ण है। जब तक यह इकाई बंद नहीं होती तब तक सरकार को कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी का भुगतान करने के लिए धन उपलब्ध करना है। इसी तरह से अन्य भारी उद्योग हैं जो रुग्ण हैं। अतः सरकार कर्मचारियों की मजदूरी और वेतन को भुगतान करने के लिए धन दे रही है। अन्यथा इन रुग्ण उद्योगों को बंद करना पड़ेगा।

अब अन्य मदों पर आइए। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बहुत सी मदें 1136 करोड़ रुपये में से प्रतिबद्ध खर्चे हैं। अतः ईमानदारी की बात है कि सरकार ने केवल मुख्य मदों पर खर्च किया है जिससे सरकार को जनता के कल्याण और इन उद्योगों के कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी के लिए खर्च करने को बाध्य हैं। महोदय, मैं समझता हूं कि जितनी राशि खर्च की गइ है वह पिछले वर्ष 1994-95 में खर्च की गई राशि से बहुत कम है।

अनेक माननीय सदस्य मुद्रास्फीति के बारे में प्रश्न उठा रहे हैं। इस संबंध में अर्थात कीमतों की स्थिति के बारे में वित्त मंत्री जी आज पहले ही सभा में वक्तव्य दे चुके हैं। अतः मैं इस पर विचार नहीं करूंगा। जो कुछ कहा गया है उससे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। लेकिन मैं इतना ही कहता हूं कि पिछले वर्ष 1994 की मुद्रास्फीति की दर 10.2 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष मुद्रास्फीति की दर केवल आठ प्रतिशत रही है। अतः मुद्रस्फीति की दर पिछले वर्ष की तुलना में अधिक चिन्ताजनक नहीं हैं। फिर भी निसंदेह रूप से सरकार मुद्रास्फीति को काफी कम करने की कोशिश कर रही है।

आर्थिक विकास और अन्य बातों के संबध में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देना में आवश्यक नहीं समझता हूं। अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को धन दे रही है लेकिन इस बात की निगरानी की जानी चाहिए कि राज्य सरकारों द्वारा यह धन कैसे खर्च किया जा रहा है। मुझे मालूम नहीं है कि क्या कोई निगरानी कर पाना संभव है। लेकिन साथ ही कई जगहों पर निगरानी की जा रही है उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार को तटबंध का निमाण करने के लिए 1.5 करोड़ रुपये दिए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार ने वह धनराशि खर्च नहीं की है।

अब इसी तरह की शिकायतें कुछ माननीय सदस्यों ने भी की हैं— और यह सत्य है— कि केन्द्र सरकार द्वारा दी गई राशि का पूर्ण उपयोग राज्य सरकारों द्वारा हमेशा केवल उन्हीं कार्यों के लिए नहीं किया जाता है। अब इस मामले पर गौर करने के प्रयास किया जाना चाहिए। हम अपनी ओर से इस मामले पर निश्चित रूप से गौर करने की कोशिश करेंगे। कुछ माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया है कि प्रधान मंत्री रोजगार योजना को पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया गया हैं और बाढ़ राहत विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में नहीं दी गई है।

जहां तक प्रधान मंत्री रोजगार योजना का संबध है, बैंकिंग और बीमा का प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं यह कह सकता हूं कि मैंने राज्यों को विशेष निर्देश दिए हैं कि सभी आवेदन पत्रों को 30 नम्बर 1995 से पहले निपटा दिया जाना चाहिए और 31 दिसम्बर 1995 तक ऋणों का कम से कम 75 प्रतिशत संवितरण कर दिया जाना चाहिए तथा फरवरी 1996 तक ऋणों का शतप्रतिशत संवितरण पूरा कर लिया जाना चाहिए। मैंने एक विशेष निर्देश भी दिया है कि यदि किसी योजना को अर्थक्षम पाया जाता है तो समानान्तर प्रतिभूति पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद बेरोजगार युवाओं को पूरी धनराशि एक साथ दे दी जानी चाहिए। मैं स्थिति पर निगरानी करता रहा हूं और बहुत से राज्यों ने अब इन लक्ष्यों का पालन किया है।

कुछ माननीय सदस्य पश्चिम बंगाल में बाढ़ राहत के बारे में शिकायत कर रहे थे। मैंने बैंकिंग विभाग के मंत्री के रूप में बाढ़ राहत के बारे में विशेष निर्देश

दिए हैं अर्थात बैंक राज्य सरकारों के परामर्श से कार्य करेंगे और बाद पीढ़ितों को आसान ऋण देंगे ओर कभी कभार ऋणों को फिर से निर्धारित करना भी संभव होगी। इन ब्यौरों पर मुझे इस समय विचार करने की जरूरत नहीं हैं। मेरा कहना हैं कि 1136 करोड़ रुपये की अनुदानों की अनुपूरक मांगों की बहुत बड़े भागों की आवश्यकता सरकार के प्रतिबद्ध खर्चे जो सरकार को करने होते हैं के कारण उत्पन्न होती है जिनका कारण सामाजिक बाध्यताएं और अन्य कारण भी होते हैं। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि यह माननीय सभा इसके समक्ष प्रस्तुत इन मांगों को पारित करे।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मुझे केवल एक प्रश्न पूछना है। अनेक सदस्यों ने राजीव गांधी न्यास के लिए डेढ करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग का विशेष रूप में उल्लेख किया है। उन्होंने यह भी कहा था कि राजीव गांधी न्यास ने पहले सौ करोड़ रुपये लेने से इंकार कर दिया था। अतः इस राशि की मांग क्यों की जा रही है और विवाद क्यों उत्पन्न किया जा रहा है। मंत्री महोदय ने इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है। क्या यह इस प्रश्न का उत्तर दे कर हमें अनुग्रहीत करेंगे?

डा० देवी प्रसाद पालः यह राजीव गांधी फाउंडेशन के तत्वाधान में ग्राम पुस्तकालय परियोजनाओं के लिए हैं। यह केवल ग्राम पुस्तकालय परियोजनओं से संबंधित है।

श्री राम नाईक : यदि वह इनकार कर दे तो क्या होगा? पिछली बार संसद ने कहा था कि हम इतना धन देंगे लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए। यह एक तरह से संसद का अपमान था। यदि इस बार भी वैसा ही हुआ तो .....(**व्यवधान**)

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): अब इन्कार नहीं होगा।

श्री राम नाईक : क्या आप ने उनसे इस बात की पुष्टि कर ली हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह ग्राम पुस्तकालय परियोजनाओं को दिया जाएगा।

श्री देवी प्रसाद पाल : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1995-96 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है:

> "कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची में स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंध राशियों से अनधिक संबधित अनुपूरक राशियों भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायेः—
>
> मांग संख्या, 5 से 7,9 10, 14, 28, 39, 44, 46, 48, 50, 51, 57, 61, 62, 69, 72, 76, 79, 80, 81 84, 95 और 98"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राम नाईकः हम एक विशेष रियायत के रूप इसका विरोध नहीं कर रहे हैं।

विनियोग (संख्यांक-5) विधेयक*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल): मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० देवी प्रसाद पाल : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

डा० देवी प्रसाद पालः मैं प्रस्ताव **करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के सदांय विनियोग को करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदयः अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

खण्ड 2 और 3

उपाध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

"खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री देवी प्रसाद पाल : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*भारत के राजपत्र असाधारण भाग II खण्ड 2, दिनांक 6.12.95 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित प्रस्तुत।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री मुकुल वासनिक): हम उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने यहां उपस्थित रहकर इस कार्य और अनुपूरक अनुदानों को पारित किया। हम आपका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। महोदय, आपने इस कार्य का समुचित संचालन सुनिश्चित किया। हम सचिवालय के सुरक्षा कर्मचारियों, सचिवालय के कर्मचारियों और प्रेस के प्रतिनिधियों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने कार्यवाही को समुचित ढंग से संचालित करने में हमारी सहायता की।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ भी विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष द्वारा प्रदर्शित धैर्य से बहुत प्रभावित हैं।

अब सभा कल 7 दिसम्बर, 1995 को ग्यारह बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

8.18 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा गुरूवार 7 दिसम्बर, 1995/16 अग्रहायण, 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 1995 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (आठवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
आकाशदीप प्रिंटर्स, 20 अंसारी रोड़, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002 द्वारा मुद्रित।